चतुर्दश माला, खंड 22, अंक 22

शुक्रवार, 25 अगस्त, 2006
3 भाद्रपद, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

(खण्ड 22 में अंक 11 से 22 तक हैं)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No........................
Dated..........................

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

एस.एस. चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 22, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)
अंक 22, शुक्रवार 25 अगस्त, 2006/3 भाद्रपद 1928 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1-3
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	3-4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 426 से 431	4-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 432 से 445	40-77
अतारांकित प्रश्न संख्या 3477 से 3676	77-373
सभा पटल पर रखे गए पत्र	374-380
राज्य सभा से संदेश	380-381
विधेयक पर अनुमति	381
अंतर संसदीय संघ (आई.पी.यू.) की 114वीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी	
प्रतिवेदन	381
आचार समिति	
पहला और दूसरा प्रतिवेदन	381-382
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
177वां प्रतिवदेन	382
याचिका का प्रस्तुतीकरण	382
मंत्रियो द्वारा वक्तव्य	
(एक) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री माणिकराव होडल्या गावित के संबंध में 13-8-2006 के जी. न्यूज प्रसारण की सत्यता की जांच के लिए निष्कर्ष	
श्री शिवराज वि. पाटील	382-386

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

(दो) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 10वे, 12वे और 14वे प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

श्री सुशील कुमार शिंदे 386-387

(तीन) खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

श्री शीश राम ओला 387

(चार) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह 388-390

(पांच) भूकंप के पूर्वानुमान के बारे में दिनांक 18-8-2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2525 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

श्री कपिल सिब्बल 390

(छह) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 127वें, 141वें और 157वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

श्री कपिल सिब्बल 390-391

(सात) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 7वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

श्री विजय हान्डिक 392-398

(आठ) उर्वरक विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

श्री विजय हान्डिक 398-402

(नौ) एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि दिए जाने के बारे में दिनांक 23 अगस्त, 2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3050 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी 402-405

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006 405-412

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

(एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों में हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक और

निरादरपूर्ण भाषा के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा 412-413

श्री अर्जुन सिंह 413-414

कुमारी ममता बैनर्जी 414-423

श्री संतोष गंगवार 423-429

योगी आदित्यनाथ 429-431

श्री गणेश सिंह 431-433

(दो) पश्चिम बंगाल में स्वर्णरेखा परियोजना को कार्यान्वित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम

श्री अधीर चौधरी 433

श्री प्रियरंजन दासमुंशी 433-437

श्री बसुदेव आचार्य 437-438

श्री बृज किशोर त्रिपाठी 438-439

श्री सुनिल कुमार महतो 439-443

नियम 199 के अधीन वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा अपना पद त्यागने के बारे में स्पष्टीकरण

श्री ए. नरेन्द्र 443-459

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सौराष्ट्र, गुजरात में निर्यात जोन की स्थापना के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

श्री जसुभाई धानाभाई बारड 459-460

(दो) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

कुंवर मानवेन्द्र सिंह 460-461

(तीन) तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में फूड पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री एन.एस.वी. चित्तन 461

(चार) करोलबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आनंद पर्वत क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती कृष्णा तीरथ 461-462

(पांच) छत्तीसगढ़ और देश के अन्य भागों में बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड 462-463

(छह) उत्तर प्रदेश के जालौन गरौठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 463

(सात) तुमकुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में शिक्षा, रोजगार और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया 463-464

(आठ) पुष्कर, राजस्थान में पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

प्रो. रासा सिंह रावत 464-465

(नौ) पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में मस्तिष्क ज्वर (इन्सेफलाइटिस) को फैलने से रोके जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 465

(दस) उत्तरांचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पर्याप्त खाद्यान्न जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत "बचदा" 465-466

(ग्यारह) संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रम को रोकने के लिए तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी 466

(बारह) मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में समस्त सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

डा. शफीकुर्रहमान बर्क 466-467

(तेरह) संसद सदस्यों की पहचान के लिए उनके वाहनों पर बीकन लाईटों के प्रयोग की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया 467-468

(चौदह) पटना, बिहार में "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" के अंतर्गत कृषि उत्पाद खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 468

(पन्द्रह) रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु में घरेलू हवाई अड्डा स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन 468-469

(सोलह) ऑल इंडिया आई.डी.बी.आई. इम्पलाईज एसोसिएशन, मुम्बई और निदेशक मंडल, आई.डी.बी.आई. के बीच छठे द्विपक्षीय समझौते को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल 469-470

(सत्रह) झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयले की तस्करी रोके जाने की आवश्यकता

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता 470

(अठारह) बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास उपाय शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील 470-471

(उन्नीस) बिहार में छपरा, कप्तानगंज और महाराजगंज में विभिन्न रेल परियोजनाओं से संबंधित कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 471-472

(बीस) बंगलौर तथा देश के अन्य भागों में अस्थाई कामगारों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना 472

(इक्कीस) अनुसूचित जातियों के लोगों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए उत्तरांचल सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्री मुन्शी राम 472-504

वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006 505

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री ए. राजा 505-506

विषय **कॉलम**

प्रो. महादेवराव शिवनकर 506-510

श्री तथागत सत्पथी 510-513

श्री एस.के. खारवेनथन 513-515

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन 515-518

श्री शैलेन्द्र कुमार 518-519

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह 519-522

श्री मुन्शी राम 522

डा. करण सिंह यादव 522-523

श्री दुष्यंत सिंह 523-526

श्री रामदास आठवले 527

श्रीमती मेनका गांधी 527-530

श्री एम. अप्पादुरई 530-532

श्री बिक्रम केशरी देव 533-535

श्री कीरेन रिजीजू 535-537

श्री लक्ष्मण सिंह 537-545

खंड 2 से 7 और 1

पारित करने के लिए प्रस्ताव 545-548

विदाई उल्लेख 548-552

राष्ट्र गीत 552

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 553

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 554-560

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 561-562

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 562-564

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

शुक्रवार, 25 अगस्त, 2006/3 भाद्रपद, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण मुझे सभा को हमारे दो पूर्व साथियों श्री योगानन्द सरस्वती और श्री के.ए. राजन, के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री योगानन्द सरस्वती वर्ष 1991 से 1996 तक दसवीं लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री सरस्वती ने अपने जीवन की शुरुआत वर्ष 1993 में ब्रह्मचार्य आश्रम, बीकानेर में एक शिक्षक के रूप में की थी। तत्पश्चात् वह तत्कालीन बीकानेर के राजघराने में सेवारत रहे तथा वहां विभिन्न पदों को सुशोभित किया। उनकी विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप ही उन्हें बीकानेर के राजा द्वारा गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। श्री सरस्वती ने बाद में वर्ष 1941 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय सेना में भी कार्य किया।

श्री सरस्वती स्वभाव से एक धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे तथा धर्म और दर्शनशास्त्र में उनको महारत हासिल थी। उन्होंने 'अमृत' नामक एक पुस्तक भी लिखी है।

श्री योगानन्द सरस्वती का निधन 23 जुलाई, 2006 को भिंड, मध्य प्रदेश में 95 वर्ष की आयु में हुआ।

श्री के.ए. राजन वर्ष 1977 से 1984 तक छठी और सातवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने केरल के त्रिचूर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

एक कुशल संसदविद्, श्री राजन वर्ष 1977 के दौरान सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा श्रम मंत्रालय के परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

व्यवसाय से अभियांत्रिक, श्री राजन पूर्व कोचिन राज्य प्रजामंडल से जुड़े थे। एक सक्रिय मजदूर संघ कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने, राज्य सचिव, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय पत्तन न्यास तथा वर्ष 1975 में वाटरफ्रंट वर्कर्स फेडरेशन के पदाधिकारी के रूप में तथा वर्ष 1977 के दौरान उन्होंने अखिल भारतीय विद्युत कर्मचारी संघ में कार्य किया।

श्री के.ए. राजन का निधन 17 अगस्त, 2006 को 80 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं तथा मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी रहेगी।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, मैंने प्रश्न काल को स्थगित करने की सूचना दी है। आतंक का साम्राज्य है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मैं आपको प्रश्न काल के पश्चात् यह मुद्दा उठाने की अनुमति दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, नेशनल हाइडेल पॉवर कॉरपोरेशन के तीन कामगारों की हत्या कर दी गई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मुद्दे को प्रश्न काल के बाद उठाइए। एक घंटे में स्थिति और खराब नहीं हो जाएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल के स्थगन की ये सूचनाएं सभा के स्थगन की सूचनाएं बन रही हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है और न ही किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, कृपया अध्यक्ष पीठ के साथ सहयोग कीजिए।

...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता - उत्तर पूर्व): महोदय, कृपया इस मुद्दे को प्रश्न काल के पश्चात् उठाने की अनुमति दे दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, मैं इसकी अनुमति दे दूंगा और मैंने ऐसा कहा भी है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि मुझे एक बार पुनः सदन के सभी नेताओं के प्रति आभार व्यक्त करनी चाहिए जिन्होंने कल सभा की कार्यवाही को सामान्य रूप से चलाने में मेरी सहायता की। मैं उन सब को धन्यवाद देता हूं। मुझे हमेशा ही उनसे यही उम्मीद रहती है और वह उम्मीद पूरी भी होती है।

लेकिन इसके साथ ही एक बार पुनः मैं उस घटना की पुरजोर निन्दा करता हूं। मेरा यही अनुरोध है कि सभा की प्रतिष्ठा को और आंच न आ पाए।

कल की घटना के बारे में मैंने, कुछ टीवी चैनलों पर, हमारे बारे में बहुत कुछ सुना तथा आज सभी समाचारपत्रों में इस बाबत पढ़ने को भी मिला। देश के लोगों से मुझे इस संबंध में निरन्तर ही फोन आ रहे हैं, ई-मेल संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जिनमें हमारे बारे में कठोर से कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है। यदि संसदीय लोकतंत्र कार्य करना बंद कर दे तो देश का भविष्य क्या होगा उस बारे में गहन चिन्ता करने का यह उचित समय है।

मैं यहां किसी विशेष माननीय सदस्य, किसी विशेष दल अथवा दलों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। यह अनुरोध, मैं यहां के सभी माननीय सदस्यों से कर रहा हूं तथा मुझे विश्वास है कि देश के लोग, जो हमें देख रहे हैं, हमारी सराहना तभी करेंगे जब हम उनकी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करें तथा यह देखें कि देश का यह सर्वोच्च मंच अपने कर्तव्यों तथा कार्यों का निर्वहन उसी रूप में करें, जैसा कि हम से उम्मीद की जाती है।

आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं आज प्रत्येक माननीय सदस्य को प्रश्नकाल के पश्चात् अनुमति देने का प्रयास करूंगा जिन्होंने अविलंबनीय मामलों और ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। कृपया मेरे साथ सहयोग कीजिए। मैं प्रत्येक का नाम पुकारने का प्रयास करूंगा और कोई विशेष चयन नहीं होगा। कृपया सहयोग कीजिए, आप पाएंगे कि आपको अधिक अवसर मिलेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राकेश सिंह - प्रश्न संख्या 426

शहरों का विकास

[हिन्दी]

***426. श्री राकेश सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत चुनिंदा शहरों में एकल खिड़की (सिंगल विंडो) सिविल प्रशासन प्रणाली क्रियान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या शहरों के विकास और नागरिक सुविधाओं का समानांतर उत्तरदायित्व निभा रहे विकास प्राधिकरणों और आवासीय बोर्डों को समाप्त किए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसी सभी संभावनाओं की जांच की है तथा शहरी विकास और नागरिकों को मुहैया करायी जाने वाली बुनियादी सुविधाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) देश में शहरों के प्रशासन का कार्य संबंधित राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का उद्देश्य चुनिन्दा शहरों में अवस्थापना और शासन में सुधार को प्रोत्साहित करना है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन का ध्येय बेहतर अवस्थापना सुविधाएं मुहैया कराने के साथ-साथ कारगर व नागरिक शासन को जन अनुकूल बनाना है। यद्यपि, राज्य सरकारों तथा शहरी स्थानीय निकार्या द्वारा किए जाने वाले सुधारों में एकल खिड़की सिविल प्रशासन प्रणाली का कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन आई.टी. अनुप्रयोगों के इस्तेमाल से ई-गवर्नेंस आरंभ करने, लोक प्रकटीकरण कानून बनाने, समुदाय भागीदारी कानून बनाने इत्यादि जैसे सुधारों के कार्यान्वयन के माध्यम से कार्य संव्यवहार में तीव्रता लाने पर बल दिया गया है। विकास प्राधिकरण और आवास बोर्ड राज्य सरकारों द्वारा स्थापित किए जाने वाले संस्थान हैं। तथापि, संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के अनुसार, राज्य सरकारें इस अधिनियम की 12वीं अनुसूची में उल्लिखित नियोजन सहित सभी 18 कार्यों को स्थानीय निकायों को अंतरित करेंगी। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा किए जाने वाले अनिवार्य सुधारों में से एक सुधार संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 का कार्यान्वयन करने से संबंधित है। शहरी विकास मंत्रालय समय-समय पर राज्य सरकारों को जोर देकर यह कहता रहता है कि वे संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन करें।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत ही खेद की बात है कि इतने सीधे प्रश्न का उत्तर भी सीधा नहीं मिल सका है। मैंने बहुत ही सीधा-सादा प्रश्न पूछा था और उसमें यह जानकारी चाही थी कि क्या विकास प्राधिकरण और आवासीय बोर्डों को समाप्त किये जाने की कोई संभावना है? इस संबंध में मुझे जो उत्तर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मुझे संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 की 12वीं अनुसूची का अध्ययन करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे उसका सही उत्तर मिल पाएगा। चूंकि मैंने प्रश्न किया है, इसलिए मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछना होगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण योजना क माध्यम से देश के कुछ शहरों में प्रोजेक्ट्स पर आधारित विकास हेतु सरकार हजारों करोड़ रुपये की राशि देने जा रही है, लेकिन जिस तरह के विकास की कल्पना सरकार की है, उसमें स्थानीय निकायों के माध्यम से ही वर्क एग्जीक्यूशन का विचार है। सीधे तौर पर भले ही केंद्र सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस बात पर जोर दिया है कि सिडको, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट, डेवलेपमेंट अथारिटीज आदि को समाप्त करते हुए, स्थानीय निकायों को ही वर्क एग्जीक्यूशन के लिए उत्तरदायी बनाया जाए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या स्थानीय निकायों के पास ऐसा इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है और इसके साथ ही कार्य की गुणवत्ता का क्या होगा? क्या स्थानीय निकायों की वर्तमान मापदंड के आधार पर ही गुणवत्ता की जांच होगी या फिर इसके लिए सरकार कोई अलग से मापदंड निर्धारित करके, इसके क्रियान्वयन पर विचार करेगी?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं माननीय सदस्य तथा सभा को यह बात बताना चाहता हूं कि हमारे संविधान में शहरी विकास राज्य का विषय है। हालांकि यह राज्य का विषय है, हमने जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन शुरू किया है जो कि न केवल महत्वपूर्ण है बल्कि इसका वित्तीय प्रभाव भी व्यापक है। आपको मालूम है कि संविधान के बहत्तरवें संशोधन के अंतर्गत प्रमुख कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाने हैं। अभी 18 ऐसे कार्य हैं जिन्हें शहरी स्थानीय निकायों को दिए जाने हैं। इस मंच के माध्यम से मैं यह नहीं कह सकता कि राज्य सरकारों के विकास बोर्ड होने चाहिए या नहीं, उनके योजना बोर्ड होने चाहिए या नहीं। तथापि मैं यह देखने की कोशिश कर रहा हूं कि जवारहलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत शुरू किए जाने वाले कार्यक्रमों के अनुसार अधिकतम कार्य शहरी स्थानीय निकायों को सौंपे जाएं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की गुणवत्ता का ध्यान रखने का प्रयास कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी भी मुझे अपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं मिला है। मैंने जानकारी चाही थी कि क्या स्थानीय निकायों के पास इतना इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है जिससे कि उनके जो वर्तमान कार्य हैं, उनके साथ-साथ वे अपनी इस जिम्मेदारी को भी पूरा कर सकें? इसके साथ ही गुणवत्ता के बारे में विशेष रूप से जो बात मैंने

पूछी थी, इसकी भी जानकारी मुझे नहीं मिली है।...*(व्यवधान)* महोदय, कोई उत्तर मुझे नहीं मिल पाया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप एक बात को बार-बार नहीं दोहरा सकते। उन्होंने कहा है कि यह राज्य का विषय है और वे इसे कर रहे हैं। उनसे यह पूछें कि केन्द्र इस संबंध में क्या कर सकता है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि भारत सरकार शहरी स्थानीय निकायों तथा राज्य सरकारों के स्तरों इस क्षमता निर्माण में मदद करने का प्रयास कर रही है। चूंकि शहरीकरण इस देश में अपेक्षाकृत एक नई प्रक्रिया है, इसलिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट कदम उठा रहे हैं कि इस क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया जा सके।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, जिन शहरों का चयन इस योजना के अंतर्गत किया गया है, उसमें मेरे संसदीय क्षेत्र जबलपुर कटनी का एक प्रमुख शहर जबलपुर भी है। जब विकास की बात आती है तो निश्चित रूप से इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट की कल्पना सामने आती है। पूरे शहर को ऐसी योजनाओं का लाभ मिले, यह जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों और सरकार की होती है। जबलपुर में कैन्टोनमेंट बोर्ड भी है जिसके अंतर्गत बहुत बड़ी आबादी निवास करती है, लेकिन वहां के नागरिकों को इस योजना से अलग रखा गया है।...*(व्यवधान)* इससे शहर की एक बड़ी आबादी लाभ से वंचित रहेगी।...*(व्यवधान)* महोदय, प्रश्न का 'डी' भाग देखें। मेरा प्रश्न नागरिक सुविधाओं के संबंध में भी है और इसमें वही आ रहा है कि हमारी बहुत बड़ी आबादी इससे वंचित रह रही है। मेरा प्रश्न सीधा है कि क्या कैन्टोनमेंट बोर्ड में रहने वाली आबादी को भी इसमें शामिल किया जाएगा, अथवा उन्हें वंचित रखा जाएगा?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, जबलपुर शहर के संबंध में मुझे माननीय सदस्य को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि जबलपुर शहर की शहर विकास योजना प्राप्त हो चुकी है; इसकी समीक्षा करके इसे मंजूरी दे दी गई है। कैन्टोनमेंट बोर्ड के संबंध में बहत्तरवां संशोधन कैन्टोनमेंट बोर्ड के चुनावों को आवश्यक बनाता है। यहां एक समस्या है क्योंकि यह रक्षा मंत्रालय के नियंत्रणाधीन है। मैं रक्षा मंत्रालय से बात कर रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सीधा है।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मंत्री महोदय, कृपया इसका उत्तर न दें। यह अच्छी आदत नहीं है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मैं रक्षा मंत्रालय से यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा हूं कि इस समस्या का समाधान किया जाए। जब तक इसे सुलझाया नहीं जाता, मैं कोई सटीक आश्वासन नहीं दे पाऊंगा।

[हिन्दी]

श्री राकेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, उत्तर सही नहीं मिला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अगर जवाब पसंद नहीं आया, तो आगे भी कार्यवाही हो सकती है।

...*(व्यवधान)*

श्री राकेश सिंह: यदि उत्तर ही नहीं मिलेगा, तो प्रश्न पूछने का मतलब क्या है।...*(व्यवधान)* मुझे आपका संरक्षण चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संरक्षण के लिए आप नोटिस दीजिए। रूल्स के मुताबिक क्या करना है, वह देख लीजिए।

[अनुवाद]

एक संतोषजनक उत्तर मिलने तक आप अपनी बात जारी नहीं रख सकते। पूरा प्रश्न काल आप नहीं ले सकते।

[हिन्दी]

डा. अरविन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरीकरण, सौन्दर्यीकरण योजना का महत्व तब बहुत बढ़ जाता है, जब 2010 में कॉमनवैल्थ गेम्स नजदीक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

आ रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कॉमनवैल्थ गेम्स के दौरान कोई असुविधा न हो और जो योजना आदरणीय पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी का सपना था, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी मिलकर गांवों और शहरों में बराबर विकास करें, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एन.सी.आर. दिल्ली के आस-पास के शहरों जैसे सोनीपत, पानीपत, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद को तो आप ले चुके हैं, इन शहरों को भी जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौन्दर्यीकरण योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, मैं इस प्रश्न की सराहना करता हूं क्योंकि यह वर्ष 2010 में भारत में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए हमारी तैयारी की आवश्यकता से संबंधित है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संबंध में हमारी एक अलग योजना है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आने वाले शहरों पर एक अलग कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान दिया जाएगा और इन्हें जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के भाग के रूप में नहीं लिया जाएगा।

[हिन्दी]

डा. अरविन्द शर्मा: अध्यक्ष महोदय, दस लाख से भी ज्यादा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अगर उत्तर पसन्द नहीं आया, तो मंत्री जी के पास जाकर बात कर लीजिए।

*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी के वक्तव्य के बाद कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। डा. शर्मा क्या आप अपने स्थान पर जाएंगे?

डा. बाबू राव मिडियम: महोदय, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत यह कहा जा रहा है कि ई-गवर्नेंश शुरू किया जाने वाला है और इस योजना में एक ही जगह पर सभी कार्य वाले प्रशासन पर जोर दिया जा रहा है। मंत्री जी से मेरा सीधा प्रश्न यह है कि क्या आंध्र प्रदेश जैसे विभिन्न राज्यों के नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम के स्थान पर जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन आएगा या नहीं? मंत्री जी कृपया मुझे इस संबंध में समझाएं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: सर्वप्रथम तो, जवाहर लाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के माध्यम से किए जाने वाले सुधारों के अंतर्गत नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम को समाप्त किया जाना है। आंध्र प्रदेश सरकार के संबंध में इससे वचन दिया है और हमें विश्वास है कि वे अपना वचन पूरा करेंगे।

श्री मोहन जेना: महोदय, जवारलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन एक नगर आधारित कार्यक्रम है। इसे देश में 60 नगरों को शामिल करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से स्थापित किया गया है। यह प्रबन्धन के लिए हमारे नगरों की क्षमता निर्माण करेगा। तकनीकी संसाधनों का दोहन करने के लिए यह मिशन प्रत्येक नगर में स्वैच्छिक तकनीकी कोर की स्थापना करने का प्रस्ताव करता है। इस मिशन की सफलता अधिकाधिक भागीदारों और हिस्सेदारों का समर्थन जुटाने की इसकी क्षमता पर निर्भर करता है।

महोदय, अवसंरचना क्षेत्र में वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए इस योजना में सार्वजनिक-निजी भागीदारी की संकल्पना की गयी है। अतएव, मेरा प्रश्न योजना के उद्देश्य के संबंध में है। क्या यह योजना स्थानीय निर्वाचित निकायों अर्थात् स्थानीय स्वशासन को सुदृढ़ करेगी या यह धीरे-धीरे शहरी क्षेत्र में पूर्ण निजीकरण की बाढ़ ला देगी?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मिशन के महत्वपूर्ण सुधारों में से एक यह सुनिश्चित करना है कि शहरी स्थानीय निकाय आत्मनिर्भर हों, महत्व प्राप्त करें और अपनी क्षमता बढ़ाएं। इस मिशन के अन्तर्गत निजीकरण का कोई प्रश्न नहीं है। यह कार्यक्रम राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से चलाया जा रहा है।

श्री के. सुब्बारायण: मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीकरण मिशन के अन्तर्गत कोयम्बटूर नगर के विकास के लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गयी है? पहली किस्त कब जारी की जाएगी?

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आपके पास जानकारी है?

श्री एस. जयपाल रेड्डी: मेरे पास जानकारी है।

तमिलनाडु ने कोयम्बटूर के लिए नगर विकास योजना प्रस्तुत की है। इसकी समीक्षा की गयी है और इसे स्वीकृति दी गयी है। मैं इसके संदर्भ में विस्तृत ब्यौरा नहीं दे पाऊंगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत पूरे देश में 75 शहरों का चयन किया गया है। बिहार में हमारा संसदीय क्षेत्र पटना और गया शहर का भी इसमें चयन किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इस वित्तीय वर्ष में आपने पटना और गया शहर के लिए जो धनराशि आवंटित की है, क्या बिहार से उसकी डिटेल्ड प्रौजेक्ट रिपोर्ट आपके पास आ गयी है? अगर वह रिपोर्ट आ गयी है, तो आप कब तक पैसा देने जा रहे हैं ताकि वहां काम शुरू हो सके।

[अनुवाद]

श्री एस. जयपाल रेड्डी: कुछ दिनों पहले ही बिहार सरकार से नगर विकास योजना प्राप्त हुई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। जहां तक वित्तीय आबंटन की बात है, कोई सीमा नहीं है। यह इस पर निर्भर करता है कि किस प्रकार की परियोजना को तैयार करते हैं और किस प्रकार की गुणवत्ता वाली रिपोर्ट तैयार करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं एक घोषणा करना भूल गया। पहले ऐसा न कर पाना मेरी गलती थी। एक माननीय सदस्य का त्यागपत्र प्राप्त हुआ है जिसे मैंने अस्वीकार कर दिया है। मैं उन्हें सभा में आने और भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। कृपया उन्हें यह सूचित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पंडित जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन की शुरुआत इस देश में हो रही है।

जिस राष्ट्रनायक के नाम पर यह योजना आधारित है, उसी परिवार की यू.पी.ए. चेयरपर्सन भी यहां बैठी हैं। माननीय सोनिया जी की ससुराल भी इलाहाबाद में है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रासंगिक नहीं है। आप इन चीजों का उल्लेख क्यों कर रहे हैं? *[हिन्दी]* आप अपना प्रश्न पूछिए, पूरी जीनियोलॉजी में जाने की क्या आवश्यकता है?

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, इलाहाबाद आजादी का केन्द्र बिन्दु रहा है। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने वहीं से स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कार्यक्रम को इलाहाबाद से शुरू करने की कोई योजना है या आप उसे प्रायरिटी पर लेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष का शहर क्यों नहीं? हां, इलाहाबाद को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: इलाहाबाद की नगर विकास योजना कुछ ही दिनों पहले प्राप्त हुई है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जब भी ये प्राप्त होंगे इन पर सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। मैं इलाहाबाद शहर के विशिष्ट ऐतिहासिक महत्व से परिचित हूं।

अध्यक्ष महोदय: सभी इससे सहमत हैं।

कम्पनी अधिनियम में संशोधन

***427. श्री एन.एस.वी. चित्तन:** क्या कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नये कम्पनी कानून की रूपरेखा को अंतिम रूप देते समय कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा अन्य प्रशासन मानदंडों का उल्लंघन किए जाने पर अपेक्षाकृत अधिक कठोर दंड का प्रावधान करने पर बल दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार पारदर्शिता और प्रकटीकरण के मुद्दे पर जोर दे रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचन्द गुप्ता): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ) सरकार उभरते आर्थिक परिवेश में कॉर्पोरेट विधायी ढांचे को अधिक प्रभावी बनाने एवं अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को प्रोत्साहित करने हेतु कम्पनी अधिनियम, 1956 में व्यापक संशोधन पर विचार कर रही है। नए विधान के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करते समय अपराध की गंभीरता के संदर्भ में दण्ड को उचित, उपयुक्त एवं प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखा जा रहा है। प्रस्तावित

कानून को जवाबदेही के साथ स्व-नियमन योग्य बनाने के लिए अपेक्षित पारदर्शिता के साथ उपयुक्त प्रकटीकरण हेतु प्रावधानों की भी जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त सरकार की एम.सी.ए. 21 नामक ई-गवर्नेंस परियोजना कम्पनी से संबंधित सूचना भी सुगमता से प्रदान करेगी।

इस संबंध में विधायी प्रस्ताव विस्तृत कंपनी विधेयक के रूप में तैयार किए जा रहे हैं जिसे यथासमय संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: कंपनी अधिनियम के अंतर्गत अपराधों और दण्डों को तार्किक बनाने के संबंध में मुझे स्मरण है कि संप्रग सरकार ने 4 मई 2005 को श्री ओ.पी. वैश की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की थी। महोदय, आपके माध्यम से क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो उस रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई की गयी है?

श्री प्रेमचंद गुप्ता: वर्तमान में कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत सभी अपराधों पर न्यायालयों में वाद चलेंगे और अभियोजन होंगे। इन मामलों को सुलझाने के लिए कोई आन्तरिक प्रणाली नहीं है। अपराध चाहे छोटे हों या बड़े सभी के लिए न्यायालय जाना अनिवार्य है। संप्रग सरकार ने देश के प्रसिद्ध अधिवक्ता श्री ओ.पी. वैश की अध्यक्षता में एक समिति की नियुक्ति का निर्णय लिया था जो लम्बित मामलों में अभियोजन प्रणाली को सुचारू करने के अर्थोपाय का पता लगाती तथा सुझाव देती। विभिन्न न्यायालयों में लगभग 45,000 वाद लम्बित हैं; और इनमें कुछ 20 वर्ष पुराने हैं। न्यायालयों द्वारा औसत जुर्माना 2247 रुपये लगाया गया है। किन्तु इसमें लगभग 5 से 20 वर्षों का समय लगा है। अतः सरकार रिपोर्ट पर गंभीरता से विचार कर रही है और हम इस मामले को निपटाने का प्रयास कर रहे हैं। छोटे तकनीकी अपराधों वाले लगभग 16000 मामले हैं। अतः हम इस मुद्दे को सुलझाने के अर्थोपाय ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: प्रशासन और वित्तीय पारदर्शिता से संबंधित विनियामक कई हैं और विधि में दुहरापन है। सरकार इन समस्याओं को कैसे सुलझाने जा रही है? चूंकि स्टाक घोटाले के संबंध में इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति ने भी विचार किया था, सेबी विनियकों को छोड़कर सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदण्डों से संबंधित मुद्दों को मंत्रालय कैसे सुलझाएगा? संसद में व्यापक कंपनी (संशोधन) विधेयक कब पुरःस्थापित किया जाएगा?

श्री प्रेमचंद गुप्ता: सेबी स्टाक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध कंपनियों की प्रणाली देखता है। जब कंपनियां सार्वजनिक निर्गम या आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आई.पी.ओ.) लाती हैं तब उन्हें सेबी के सूचीयन करार के खण्ड 49 के अन्तर्गत कतिपय निबंधन व शर्तों का अनुपालन करना होता है। सेबी के अपने विनियम हैं क्योंकि वे एक क्षेत्र विशेष के विनियामक हैं। किन्तु मूल विधि कंपनी अधिनियम, 1956 है और इन दोनों अधिनियमों में कोई भी हितों का टकराव नहीं है - सेबी सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में अपना दायित्व निभाता है; कंपनी अधिनियम कंपनियों के मामले में अपना दायित्व निभाता है चाहे वे सूचीबद्ध हों या न हों।

अध्यक्ष महोदय: किसी और को अनुपूरक प्रश्न पूछना है? मंत्री महोदय, आपके उत्तर ने सबको निरूत्तर कर दिया!

[हिन्दी]

विद्युत उत्पादन की लागत

***428. श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने क कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने की संभावनाओं का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय देश में विद्युत उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले ईंधनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विभिन्न परियोजनाओं में प्रत्येक किस्म के ईंधन का उपयोग करके 2004-05 और 2005-06 के दौरान विद्युत उत्पादन पर औसतन कितनी लागत आई; और

(ङ) देश में विद्युत उत्पादन लागत कम करने के लिए अनुसंधान एवं विकास पर सरकार द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) विद्युत उत्पादन की लागत में कमी करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं।

विद्युत अधिनियम, 2003 विद्युत उत्पादन के लिए प्रतिस्पर्धी

संरचना प्रदान करता है जिससे लागत में कमी आने की संभावना है।

राष्ट्रीय विद्युत नीति व्यवहार्य जल विद्युत क्षमता के पूर्ण विकास पर अधिकतम बल देती है। जल विद्युत दीर्घकालिक रूप से सस्ती होती है।

ताप विद्युत के संबंध में नीति कहती है कि विद्युत उत्पादन का अर्थशास्त्र तथा विद्युत आपूर्ति उपलब्ध विकल्पों में से ईंधन के चयन का आधार होना चाहिए। नए विद्युत उत्पादन केन्द्रों को ईंधन स्रोतों, जैसे पिटहेड स्थल के समीप या भार केन्द्रों के समीप स्थापित करना किफायती सिद्ध होगा।

टैरिफ नीति में प्रावधान है कि मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार या जहां अभिज्ञात विकासकर्त्ता के रूप में राज्य नियंत्रित/के स्वामित्व वाली कोई कंपनी है, को छोड़कर विद्युत की भावी सभी आवश्यकता वितरण लाइसेंसियों द्वारा प्रतिस्पर्धी तरीके से पूरी की जाए। सार्वजनिक क्षेत्र परियोजनाओं के लिए सभी नई उत्पादन एवं पारेषण परियोजनाओं की टैरिफ का निर्धारण पांच वर्षों की अवधि के पश्चात् प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर होना चाहिए। .

अन्य बातों के साथ-साथ कोयला-आधारित केन्द्रों की लागत में कमी करने हेतु ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए कैप्टिव कोल माइनिंग को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के द्वारा खराब निष्पादन कर रहे ताप विद्युत केन्द्रों की प्रचालनात्मक कार्यक्षमता में वृद्धि की गई है।

वर्ष 2004-09 के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग के टैरिफ के नियम एवं शर्तों से प्रचालनात्मक मानदंडों में सुधार हुआ है।

मेगा विद्युत नीति पूंजीगत उपस्करों के आयात तथा घरेलू आपूर्तियों के निर्यात लाभ पर शत-प्रतिशत सीमा-शुल्क में छूट प्रदान करती है।

विद्युत उत्पादन की लागत में कमी करने के उद्देश्य से निम्नलिखित वित्तीय छूट भी दी गई हैं-

- नाफ्था पर सीमा-शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत (मूल सीमा शुल्क) + विद्युत परियोजनाओं के लिए 16 प्रतिशत (सीवी शुल्क) किया गया।
- विद्युत परियोजनाओं के लिए प्राकृतिक गैस पर शुल्क को 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- कोयला पर सीमा-शुल्क को 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।

(ग) कोयला, लिग्नाइट, प्राकृतिक गैस, तरल प्राकृतिक गैस और तरल ईंधन (लो सल्फर हैवी स्टॉक, हैवी फरनेस ऑयल), नाफ्था, हाई स्पीड डीजल आदि भारत में विद्युत उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पारंपरिक ईंधन हैं।

(घ) विद्युत उत्पादन की लागत पूंजीगत लागत, विन्टेज, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी, ईंधन, संयंत्र का आकार, स्थान आदि जैसे विभिन्न घटकों के आधार पर विभिन्न स्टेशनों में अलग-अलग होती है। वर्ष 2004-05 और 2005-06 में विभिन्न ईंधनों से केन्द्रीय क्षेत्र के संयंत्रों द्वारा विद्युत उत्पादन की औसत लागत अनुबंध के रूप में संलग्न है।

(ङ) वर्ष 2002-03 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र अनुसंधान एवं विकास पर 12072.98 करोड़ रुपये खर्च किए गए जिसका 7.7 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन एवं वितरण पर खर्च किया गया।

अनुबन्ध

80 प्रतिशत पी.एल.एफ. पर पैसे/कि.वा.घं. एक्स-बस में वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए 1-4-2004 को विद्यमान केंद्रीय क्षेत्र विद्युत उत्पादन केंद्रों की उत्पादन लागत (टैरिफ) (बेहतर मानदंडों के साथ टैरिफ की नई निबंधन एवं शर्तें)

क्र. सं.	विद्युत उत्पादन केंद्रों का प्रकार	उत्पादन की लागत (टैरिफ) रु/कि.वा.घं.	उत्पादन की लागत (टैरिफ) रु/कि.वा.घं.
	वर्ष	2004-05	2005-06
	यूनिट	पैसे/कि.वा.घं.	पैसे/कि.वा.घं.
1	2	3	4
1.	कोयला स्टेशन-पिट हैड	117	123
2.	कोयला स्टेशन-बिना पिट हैड के	190	194

1	2	3	4
3.	कोयला स्टेशनों की औसत लागत	142	147
4.	लिग्नाइट आधारित थर्मल स्टेशन	171	171
5.	प्राकृतिक गैस ईंधन	152	167
6.	तरल ईंधन (नाफ्था/एच.एस.डी.)	536	700

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बिजली उत्पादन के तीन क्षेत्र हैं - एक क्षेत्र केन्द्रीय है, दूसरा राज्यीय है और तीसरा निजी क्षेत्र है। बिजली हमारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मैं आपकी मार्फत मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि हमारे देश में विद्युत उत्पादन क्षेत्र में कितनी ऐसी विद्युत उत्पादक परियोजनाएं हैं, जिनमें 2004-2005 और 2005-2006 के दौरान 80 प्रतिशत प्लांट लोड फैक्टर औसत के आधार पर कितना विद्युत उत्पादन हुआ है, कौन-कौन से ईंधन का उसमें प्रयोग हुआ है और उस विद्युत उत्पादन की औसत लागत क्या आंकी गई है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, देश में 1992-1993 तक प्लांट लोड फैक्टर 57 प्रतिशत था, जो आज 75 प्रतिशत है। माननीय सदस्य ने 2004-2005 और 2005-2006 के प्लांट लोड फैक्टर की फीगर्स मांगी है। इसके लिए हमें पूरे देश का लोड फैक्टर या हर राज्य का लोड फैक्टर निकालना पड़ेगा। मैं माननीय सदस्य को इस बारे में मालूमात करके बता दूंगा।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, तीन बरस पहले तक यह सुनिश्चित हुआ था कि हाइडल क्षेत्र से जो बिजली पैदा होती है, उसकी उत्पादन लागत थर्मल पावर क्षेत्र द्वारा उत्पादित बिजली से आधी से भी कम है। हमारे देश में हाइडल क्षेत्र से पूरी विद्युत क्षमता का सिर्फ 17 प्रतिशत ही हम उपयोग कर पा रहे हैं। हाइडल क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की अपार सम्भावनाएं हैं, वह बिजली सस्ती भी है। इस क्षेत्र में और ज्यादा बिजली पैदा करने के लिए मंत्री जी का क्या प्रयास है और इसके लिए क्या कोई समयबद्ध कार्यक्रम आपके पास है?

श्री सुशील कुमार शिंदे: हाइडल क्षेत्र में हमारी काफी उपलब्धि है। पूरे हिमालयान क्षेत्र को देखा जाए, तो वहां कम से कम 60,000 मेगावाट बिजली निर्माण का काम हो सकता है। अकेले अरुणाचल प्रदेश में ही, हमारे द्वारा कराए गए सर्वे में आंकड़ों के अनुसार 50,000 मेगावाट बिजली का निर्माण हो सकता है। लेकिन वहां हाइडल में काम बहुत कम हुआ है। मैंने इस सम्बन्ध में स्वयं अरुणाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री से बात की है। इसके अलावा नार्थ-ईस्ट के राज्यों के मुख्यमंत्रियों, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्रियों से भी कहा है। यह बात सही है कि हाइडल से जो बिजली पैदा होती है, वह बहुत सस्ती होती है। उसकी लागत एक रुपये से भी कम आती है। कीमत में थोड़ा फलक्चुएशन होता है, क्योंकि पावर स्टेशंस जहां लगते हैं, यह वहां की स्थिति पर निर्भर करता है। इसलिए उसकी कीमत 89 नए पैसे से दो रुपये तक जा सकती है, लेकिन यह आज सबसे सस्ती बिजली है। हम प्रयास कर रहे हैं और कई जगह इसके लिए प्राइवेट कम्पनीज के साथ एम.ओ.यू. भी साइन हो गए हैं। कुछ सदस्यों ने पूछा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बिना बिडिंग के यह कैसे सम्भव है, लेकिन कई राज्यों ने 100 मेगावाट तक की हाइडल विद्युत परियोजना के लिए एम.ओ.यू. साइन किए हैं, कई राज्यों में इस पर काम चल रहा है, जिसे हम भी बढ़ावा दे रहे हैं। एक-दो राज्य ऐसे हैं, जहां 100 मेगावाट से ऊपर की हाइडल विद्युत परियोजनाओं के लिए भी एम.ओ.यू. साइन किए गए हैं। हम उसमें भी रास्ता निकाल रहे हैं। हमें बिजली निर्माण का कार्य करना चाहिए। हमारे यहां हाइडल विद्युत क्षेत्र में एन.एच.पी.सी. है, उसके जरिए भी हम विद्युत निर्माण करने का प्रयास कर रहे हैं और निजी क्षेत्र से भी सहयोग ले रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। पादर्शिता को लाकर विशेषत: अरुणाचल प्रदेश और नार्थ-ईस्ट में यह काम बहुत जल्दी करना चाहते हैं और उसकी ओर हमारा विभाग अग्रसर है।

श्री ब्रजेश पाठक: अध्यक्ष महोदय, बिजली की समस्या पूरे देश में है। बिजली के बगैर हमारे देश का चतुर्मुखी विकास धीरे-धीरे हो रहा है। मेरा मंत्री जी से सीधा सा सवाल है। हिन्दुस्तान में जितनी चीनी मिल्स हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश में जितनी चीनी मिल्स हैं, वे स्वत: बिजली बनाती हैं। गन्ने से चीनी बनाने के बाद जो खोई निष्प्रयोजित हो जाती है, उससे 15-20 मेगावाट तक और कहीं 30 मेगावाट तक बिजली बनती है, जो उनके उपयोग की क्षमता से अधिक है। हमारा मंत्री जी से सवाल है कि जो चीनी मिलें बिजली बना सकती हैं, उनकी सूची बनाकर, क्या आप विशेषकर गांवों में बिजली देने का काम करेंगे?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष जी, यह सवाल मेरे विभाग में नहीं आता है, मेरे साथी के विभाग में आता है, लेकिन जैसा आपने कहा कि पहले तो सब स्टेट ग्रिड में बिजली जाती है, उसी ग्रिड से सारे राज्य को बिजली दी जाती है। जिसे कोई व्यक्ति यूज नहीं करता है, वह बिजली नेशनल ग्रिड में या स्टेट ग्रिड में जाती है।

श्री कीरेन रिजीजू: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने हमारे राज्य का भी जिक्र किया है, जिसके लिए मैं उनका बहुत आभारी हूं कि वे हमारे राज्य में भी इंट्रेस्ट ले रहे हैं। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जब जिक्र किया जाता है, उसके पीछे दो कारण है - एक तो उससे प्रोजैक्ट बहुत डिले हो जाता है, उसका एस्केलेशन ऑफ कॉस्ट हो जाता है और दूसरे लौंग-टर्म में हाइड्रो बहुत चीप है। यहां पर नॉन-कंवेंशनल एनर्जी और पावर दोनों विभाग के माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं। आठ-दस साल तक जो प्रोजैक्ट्स में डिले हो जाता है, उसे कम करने के लिए ऊर्जा विभाग से संबंधित स्थाई समिति ने भी अपनी रिक्मेंडेशन्स दी थीं, लेकिन हमारे ऊर्जा मंत्रालय ने उसका कोई समाधान अभी तक निकाला नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जो हाइडल-प्रोजैक्ट्स में डिले हो रहा है उसे एक मिशन-मोड में लेकर आप कौन-कौन से कदम उठा रहे हैं? आप जो कोयला और बाकी सैक्टर्स पर ध्यान दे रहे हैं, उसके बदले आपको हाइडल प्रोजैक्ट्स पर जितना ध्यान देना चाहिए, उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस संबंध में आप क्या कदम उठा रहे हैं?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष जी, यह बात सही है कि अभी तक हमारा ज्यादा ध्यान हाइड्रल की तरफ नहीं गया था। जहां से हमें काफी ज्यादा बिजली मिल सकती है वह हिमालय रेंज है। वहां दो-चार डी.पी.आर. हो गये थे, यह बात भी सही है। उसके लिए खुद मैंने बैठकें ली हैं। मैंने एन.एच.पी.सी. के चेयरमैन को बुलाया था, सैक्रेट्री और जो भी संबंधित युटिलिटी के मुखिया हैं, उन सब की बैठक बुलाकर, यह काम कितनी जल्दी कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास किया था। सम्माननीय सदस्य ने मुझसे अरुणाचल प्रदेश के बारे में कहा था। मैंने खुद इंटरवीन करके, उनके चीफ मिनिस्टर और चीफ सैक्रेट्री की बैठक बुलाई। उनके दिल में भी शंका थी कि हम इसे प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं। जो डी.पी.आर. हो गये हैं, उनकी कीमत कितनी हो गयी है और यदि उन्हें काम देना है तो वह पैसा हम कैसे रिकवर करें, जो एन.एच.पी.सी. का खर्चा हो गया है, उसके ऊपर इंट्रेस्ट लेकर और पैसा लगाकर, कैसे उनको काम करने के लिए दें। लेकिन बिजली निर्माण का काम हमें बहुत जल्दी करना है। इसलिए दोनों तरफ से हम काम करना चाहते हैं। लेकिन इसमें हम ट्रांसपेरेंसी लाना चाहते हैं। अध्यक्ष जी, उन्होंने हाइड्रो-स्टेशन के बारे में भी कहा। इसमें पहले 6 साढ़े 6 साल लगते थे लेकिन अब 60 महीने लगेंगे। उसे भी हम कम करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम योजना ला रहे हैं, हैवी-इंडस्ट्री से और ज्यादा मशीनरी प्रोडक्शन का काम करने हेतु लेकर, उसे प्रीओरिटी देकर, जैसा चीन में होता है, हमारे भेल जैसी तीन फैक्ट्रियां हैं, तीन लाख मैगावाट हाइड्रो का निर्माण उन्होंने किया है, हम भी उसी तरह से सोच रहे हैं कि जो हमारे डिपार्टमेंट के पास पूंजी है, एन.टी.पी.सी. के पास पूंजी है, क्या हम खुद पूंजी लगाकर इसमें आगे बढ़ सकते हैं? ऐसा हम सोच रहे हैं ताकि इसमें जल्दी से जल्दी बिजली निर्माण का काम हो सके।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह काफी सकारात्मक उत्तर है किंतु यह संक्षिप्त होना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: श्रीमन्, बिजली उत्पादन की जो दर है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: भविष्य में नेताओं को प्रश्न काल में अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए नहीं कहा जाएगा।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव: अध्यक्ष महोदय, आप यह बंदिश मत लगाइए, कभी-कभी सवाल पूछने का मन करता है। बिजली की दर और उत्पादन की दर, महंगी बिजली की वजह से उद्योग, एग्रीकल्चर और हाउसहोल्ड, सारे लोगों को दिक्कत है। मैं जानता हूं कि यह विषय से थोड़ा सा बाहर हो सकता है, लेकिन मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि बिजली उत्पादन की दर, जब हम सारी दुनिया में कम्पीटिशन में खड़े हुए हैं तो पड़ोसी देशों से और विकसित देश हैं, वहां उत्पादन की दर क्या है? क्या हिंदुस्तान की तुलना में वहां दर कम हैं या ज्यादा है - यह जानने की कोशिश की है या कोई सर्वे किया गया है, और अगर नहीं किया गया है, तो क्या इस तरह का कोई प्रयास सरकार की तरफ से किया जाएगा?

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, अगर देखा

जाए तो भारत में बिजली दरें सबसे कम हैं। यदि दूसरे देशों, जैसे अमरीका से तुलना की जाए तो वहां बिजली की दरें बहुत ज्यादा हैं। मैं यहां किसी के साथ कम्पेयर नहीं करूंगा कि डैवलप्ड कंट्री डैवलपिंग कंट्री और अंडर डवलपिंग कंट्री में क्या दर है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि आज भी हमारी दरें बहुत कम हैं। पिटहैड कोल बेस्ड स्टेशंस से आज भी 1 रुपये 17 पैसे पर यूनिट बिजली आती है, कोल बेस्ड नॉनपिटहैड स्टेशन्स से 1 रुपये 90 पैसे पर यूनिट, एवरेज पर-कोल स्टेशन 1 रुपये 42 पैसे पर यूनिट, लिग्नाइट बेस्ड स्टेशन्स से 1 रुपये 71 पैसे, गैस बेस्ड स्टेशन्स से 1 रुपये 52 पैसे और नाथपा बेस्ड जो सबसे महंगी पड़ती है, वह 5 रुपये 36 पैसे पड़ती है जबकि हाइड्रो इलैक्ट्रिक, जो सबसे कम है, एवरेज 90 पैसे पर यूनिट पड़ती है। यह 84 से 90 पैसे तक जाती है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि देशभर में बिजली का भारी संकट है चाहे वह दिल्ली हो, पश्चिम बंगाल या अन्य राज्य। सरकार अधिकाधिक विद्युत उत्पादन केन्द्र स्थापित क्यों नहीं करती है? *[हिन्दी]* बिजली के लिए ज्यादा पावर जनरेशन सेंटर्स सेट-अप करने हैं। *[अनुवाद]* क्या सरकार देश में स्थिति की समीक्षा करेगी? मंत्री जी ने कहा है कि यदि हम अमेरिका और भारत को देखें तो हमारे यहां मूल्य काफी कम है। भारत, भारत है और अमेरिका, अमेरिका है। हमारा जीवन-स्तर अमेरिका के जीवन स्तर से भिन्न है। हम अमेरिका की तुलना भारत से क्यों करें? हमें हमारे देश पर गर्व है...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार शिंदे: मैंने कभी तुलना नहीं की है...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी: आपने तुलना की है...*(व्यवधान)*

महोदय, विद्युत क्षेत्र में एकाधिकार से हर चीज की तरह विद्युत के दाम बढ़ रहे हैं। यह क्षेत्र अतिरिक्त ईंधन अधिभार और सुरक्षा अधिभार वसूल रहा है। लोग इससे उकता गए हैं। वे परेशानी महसूस कर रहे हैं। क्या सरकार जल-विद्युत की तरह अधिकाधिक विद्युत उत्पादन की संभाव्यता का दोहन करेगी और निजी क्षेत्र अथवा संयुक्त उद्यम को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति देगी ताकि हमें एक एकाधिकार क्षेत्र पर निर्भर न रहना पड़े।

श्री सुशील कुमार शिंदे: सर्वप्रथम, मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैंने भारत की तुलना अमेरिका से नहीं की है। मैंने केवल एक विकसित और विकासशील देश का उदाहरण दिया है।

अध्यक्ष महोदय: हमें अपने देश पर गर्व है।

श्री सुशील कुमार शिंदे: हरेक को अपने देश पर गर्व होना चाहिए। हमारे देश में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, हमें उनका देश के लोगों विशेषकर गरीब लोगों के लिए दोहन करना चाहिए। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में इसका उल्लेख है।

मैं आपके ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि विद्युत क्षेत्र समवर्ती सूची में है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों, दोनों, को इसका ध्यान रखना है...*(व्यवधान)* यदि हम स्वयं कुछ करना चाहते हैं तो हमें संविधान में संशोधन करना होगा।

मैं जानता हूं कि देश में बिजली की कमी है और इसलिए मैं इसमें व्यक्तिगत तौर पर रुचि ले रहा हूं। मैं मुख्यमंत्रियों को बुलाया है और उनसे विद्युत क्षमता को बढ़ाने के बारे में बातचीत की है। कल, मैंने दिल्ली और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों को बुलाया था। वर्ष 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों को ध्यान में रखते हुए हमने दामोदर वैली इलेक्ट्रिसिटी, एन.टी.पी.सी. और हरियाणा के बीच 5,300 मेगावाट के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। महोदय, हम यह भी भलीभांति जानते हैं कि राज्यों में विद्युत उत्पादन कम हो रहा है। हम इसकी जांच कर रहे हैं। मैडम ने कोलकाता के बारे में एक सुझाव दिया है। हम जानते हैं कि उनकी पश्चिम बंगाल में विशेष रुचि है। हम स्थिति को शीघ्रातिशीघ्र सामान्य बनाने का प्रयत्न करेंगे।

[हिन्दी]

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: अध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने दो संकट हैं - एक ऊर्जा के दाम और दूसरा ऊर्जा की उपलब्धि। इसके साथ हमें एक समन्वय भी करना होगा ताकि पर्यावरण में कम से कम प्रदूषण हो। इस क्षेत्र में न्यूक्लियर एनर्जी और हाइड्रो एनर्जी का बहुत महत्व है। मैं आपके माध्यम से सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि अगर इंडो-यू.एस. न्यूक्लियर डील हुआ तो उससे न्यूक्लियर एनर्जी के दरवाजे देश के लिए फिर खुलेंगे, जो अभी केवल 2 परसेंट है। हाइड्रो पावर के क्षेत्र में मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि नेपाल और भूटान के पास 2 लाख मेगावाट ऊर्जा उपलब्ध कराने की क्षमता है। भूटान के माननीय मंत्री जी ने एक हजार मेगावाट के एक नए प्लांट की शुरुआत की है जिससे पहले फेज में भारत को 150 मेगावाट बिजली उपलब्ध हो रही है। क्या सरकार की यह सोच है कि ज्यादा से ज्यादा बिजली इन दोनों देशों से ली जाए ताकि हम

ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्षेत्र में अपना ध्यान केन्द्रित कर सकें। आज सबसे बड़ी मुसीबत देश के सामने जेनरेशन की नहीं है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की है, जिसके कारण देश को 50 परसेंट लॉसेज भुगतने पड़ते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: संक्षेप में कहने से ज्यादा प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार शिंदे: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि हम आज भूटान से बिजली ले रहे हैं और यह प्रोजैक्ट इंडिया और भूटान की ओर से बनाया गया है। इसमें भारत सरकार ने बड़ी पूंजी लगायी थी। आज हम ताल से बिजली ले रहे हैं। यह बात सही है कि हमें नेपाल से भी बहुत बिजली मिल रही है, जिस के लिए हम नेपाल से बात कर रहे हैं। वहां से कम से कम 60 हजार मेगावाट बिजली मिल सकती है। हमारे डिपार्टमेंट ने प्रयास किया है कि ट्रांसमिशन लॉसेज कम करने के लिए यूनिट के नजदीक से बिजली पहुंचाने का काम किया जाए। इससे ट्रांसमिशन लॉसेज कम हो जाएंगे।

श्री सुनिल कुमार महतो: अध्यक्ष महोदय, झारखंड राज्य में विद्युत उत्पादन के लिए कोयला और यूरेनियम जैसे संसाधनों की आवश्यकता है। वहां नदियों पर बांध बनाए गए हैं, भले ही वहां के लोगों को डुबोने के लिए बनाए गए हों, लेकिन उन बांधों के जरिए भारी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए झारखंड राज्य में नई परियोजना लगाने का विचार कर रही है? यदि हां तो कब तक लगाने का विचार है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे विद्युत उत्पादन की लागत के बारे में पूछ रहे हैं।

श्री सुशील कुमार शिंदे: किंतु मैं इसका उत्तर दूंगा क्योंकि झारखंड पिछड़ा राज्य है। इसलिए विद्युत विभाग ने इसमें काफी रुचि ली है। मैं तेनू घाट संयंत्र का उदाहरण देता हूं जो 40 प्रतिशत पी.एल.एफ. से भी कम पर चल रहा है। अतः हमने उन्हें एन.टी.पी.सी. से सहायता उपलब्ध कराई है और अब पी.एल.एफ. 70 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। इसलिए, हम इस प्रकार की उत्कृष्टता भी उपलब्ध करा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: संक्षिप्त प्रश्न पूछिए।

डा. सुजान चक्रवर्ती: महोदय, उत्तर से यह पता चलता है कि वर्ष 2002-03 में अनुसंधान और विकास पर 12072.98 करोड़ रुपये की लागत आई। स्पष्टतया यह काफी अधिक राशि है। क्या मैं मंत्री जी से यह पूछ सकता हूं कि इतने बड़े व्यय के क्या परिणाम निकले और इस दौरान सरकार अनुसंधान और विकास पर इतनी अधिक लागत आने के बाद उत्पादन लागत को कम करने हेतु किन नए प्रस्तावों पर विचार करेगी?

श्री सुशील कुमार शिंदे: जहां तक अनुसंधान और विकास का संबंध है, हमारे पास तीन और चार स्थानों पर विशेष प्रयोगशालाएं हैं। वे विद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित करने की अवधि पारेषण की हानि को कम करने आदि को घटाने पर अनुसंधान कर रहे हैं। मेरे पास सारे आंकड़े और ब्यौरे हैं किंतु मुझे यह बताने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए यदि सदस्य को इसकी जरूरत होगी तो मैं उन्हें ये दे सकता हूं।

[हिन्दी]

पेयजल परियोजना हेतु विश्व बैंक सहायता

***429. श्री रघुराज सिंह शाक्य:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार शहरी क्षेत्रों में पेय जल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं विशेषतः उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

पेयजल परियोजनाओं हेतु विश्व बैंक सहायता

शहरी क्षेत्रों में पेय जल का प्रावधान करना एक ऐसा महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसके लिए विश्व बैंक ने समय-समय पर विभिन्न राज्यों को सहायता प्रदान की है। वर्तमान में विश्व

बैंक से सहायता प्राप्त राज्य स्तर की ऐसी 3 परियोजनाएं चल रही हैं जो पेय जलापूर्ति को कवर कर रही हैं: (क) कर्नाटक शहरी जलापूर्ति परियोजना (39.5 मिलियन अमरीकी डालर); (ख) कर्नाटक नगर पालिका सुधार परियोजना (216 मिलियन अमरीकी डालर) और (ग) तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना (300 मिलियन अमरीकी डालर)।

इसके अतिरिक्त, सरकार का निम्नलिखित शहरी क्षेत्र की परियोजनाओं जिनमें पेय जलापूर्ति का संघटक शामिल है के सहायतार्थ विश्व बैंक को आवेदन करने का विचार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम	वर्तमान स्थिति
1.	आंध्र प्रदेश शहरी सुधार और नगरपालिका सेवाएं परियोजना	परियोजना तैयार कर ली गई है और इसमें 233 मिलियन अमरीकी डालर की विश्व बैंक सहायता शामिल है।
2.	गुजरात शहरी विकास परियोजना	परियोजना की तैयारी आरम्भ हो चुकी है। प्रारम्भिक स्तर पर 130 मिलियन अमरीकी डालर की राशि पर विचार हो रहा है।
3.	महाराष्ट्र शहरी जलापूर्ति और सफाई परियोजना	शहरी विकास मंत्रालय को राज्य सरकार से परियोजना अवधारणा टिप्पणी प्राप्त हो चुकी है। योजना आयोग के आवश्यक अनुमोदन के पश्चात् इसे विश्व बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा। परियोजना की तैयारी के दौरान ब्यौरे तैयार किए जाएंगे।

उत्तर प्रदेश सरकार से पेय जलापूर्ति परियोजना के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है कि विश्व बैंक की सहायता से शहरी क्षेत्रों के लिए पेयजल परियोजनाएं तीन स्थानों पर चल रही हैं, जिनमें कर्नाटक शहरी जलापूर्ति परियोजना 39.5 मिलियन डालर की है, कर्नाटक नगरपालिका सुधार परियोजना 216 मिलियन डालर की है तथा तमिलनाडु शहरी विकास परियोजना 300 मिलियन डालर की है। इसके अलावा कुछ और राज्यों में ये परियोजनाएं चालू हैं, जिनमें आंध्र प्रदेश शहरी सुधार और नगरपालिका सेवाएं परियोजना, गुजरात शहरी विकास परियोजना और महाराष्ट्र शहरी जलापूर्ति और सफाई परियोजना प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में माननीय मंत्री जी ने बताया कि वहां से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, जबकि मुझे पूर्ण जानकारी है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस तरह का एक प्रस्ताव भेजा गया है। क्या उस प्रस्ताव को दबाने का काम किया गया है? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या आप उस प्रस्ताव को ढुंढवाने का काम करेंगे या उत्तर प्रदेश से पुनः प्रस्ताव मंगवाने का काम करेंगे? क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की स्थिति भी बहुत खराब है। इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि या तो वह उत्तर प्रदेश सरकार से पुनः इस प्रस्ताव को मंगवाएं या हम लोग उस प्रस्ताव को फिर से भेजें, ताकि जो परियोजनाएं आप शुरू करने जा रहे हैं, उनमें उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं भी शामिल हो सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बार-बार दोहराने से आपका प्रश्न और मजबूत नहीं बन जाएगा तथा कृपया प्रत्येक समय परोक्ष रूप से नई बातें जोड़ने का प्रयास न करें।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यह प्रश्न शहरी पेयजल आपूर्ति परियोजना से जुड़ा है। मेरा उत्तर यह है कि हमें शहरी पेयजल आपूर्ति परियोजना हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको और भी कुछ पूछना है? सरकार को अभी तक उत्तर प्रदेश से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ सिंह शाक्य: अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने अभी उत्तर प्रदेश की शहरी परियोजनाओं के बारे में कहा, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति भी बहुत खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की स्थिति बहुत खराब है। हमने पचनद डैम के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यह दो हजार करोड़ रुपये की बहुत बड़ी परियोजना है। इस संबंध में हमारी कई बार जल संसाधन मंत्री जी से भी बात हुई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे लोक सभा क्षेत्र में जो पचनद डैम है,

वह इटावा जनपद के चकनगर इलाके में हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक प्रस्ताव यहां भेजा गया है। क्या आप इसे स्वीकृत करके धनराशि उपलब्ध कराने का काम करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आपको ऐसी परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मेरी समझ से माननीय सदस्य सिंचाई परियोजनाओं व अन्य परियोजनाओं का उल्लेख कर रहे हैं। चालू परियोजनाओं में से उत्तर प्रदेश - विशिष्ट कोई चालू जलापूर्ति परियोजना नहीं है। परन्तु आगरा हेतु गंगा जल परियोजना विचाराधीन है जिसे विश्व बैंक के बजाय जे.बी.आई.सी. को प्रस्तावित करना है। उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना भी विचाराधीन है जिसे विश्व बैंक को प्रस्तावित किया जाना है तथा जैसा कि मैंने बताया आगरा हेतु गंगा जल परियोजना है जिसे जे.बी.आई.सी. को प्रस्तावित किया जाना है। अन्य परियोजनाएं भी है जो जल से संबंधित नहीं हैं, उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य तंत्र विकास परियोजना, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परियोजना तथा उत्तर प्रदेश विद्युत विकास परियोजना।

महोदय, यदि माननीय सदस्य मुझे लिख कर देते हैं तो मैं उन्हें पूरा ब्यौरा दे सकता हूं और तब वे मुझसे कह सकते हैं कि क्या मेरे कार्यालय के किसी व्यक्ति ने कोई गलती की है अथवा नहीं।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में, विशेष रूप से हमारी कांस्टीटुएंसी में तीन जिले हैं, जिनमें खासकर कठुआ, ऊधमपुर और डोडा में पानी की एक्यूट शॉर्टेज है। मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि क्या वह वर्ल्ड बैंक की सहायता के तहत हमारे एरिया को भी यह सुविधा दिलवाने का काम करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह जम्मू व कश्मीर से हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यहां मेरी सूची में जम्मू व कश्मीर से प्राप्त कोई प्रस्ताव नहीं है। एक जम्मू व कश्मीर शहरी विकास परियोजना है जिसे एशियाई विकास बैंक को प्रस्तावित किया जाना है और मात्र यही एक परियोजना है जो लम्बित है। जब तक माननीय सदस्य परियोजना का नाम नहीं बताएंगे तब तक मुझे इसके बारे में उत्तर देना कठिन होगा।

अध्यक्ष महोदय: वह आपको लिख कर देंगे बशर्ते कि उन्हें गलत सूचना न दी गयी हो।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष महोदय, महाराष्ट्र की शहरी जलापूर्ति और सफाई योजना केन्द्र सरकार को प्राप्त हुई है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने कितने अमेरिकी डॉलर की योजना केन्द्र सरकार के पास भेजी थी, उसमें सभी महानगर पालिकाओं और नगर पालिकाओं का कितना समावेश है तथा कब तक इस योजना को मंजूरी प्रदान करके इसे विश्व बैंक की तरफ भेजा जाएगा?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, महाराष्ट्र शहरी जलापूर्ति और स्वच्छता परियोजना विचाराधीन है। हमने राज्य सरकार से एक परियोजना संकल्पना विवरण प्राप्त किया है। इसे योजना आयोग द्वारा स्वीकृत किया जाना है और तत्पश्चात् विश्व बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।

इस परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा यह है। परियोजना का उद्देश्य जलापूर्ति और स्वच्छता सेवा को प्रभावपूर्ण और सफल तरीके से क्रियान्वित करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों को वित्तीय रूप से स्वतंत्र, तकनीकी रूप से सुदृढ़ और प्रबंधकीय रूप से पेशेवर बनाना है। राज्य सरकार द्वारा भेजा गया परियोजना विवरण दर्शाता है कि इस परियोजना की लागत 7000 करोड़ रुपये है जो काफी अधिक है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् विश्व बैंक की सहायता की राशि निर्धारित की जाएगी। शहरी विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को आर्थिक कार्य विभाग के पास अग्रेसित किया है। इसके लिए योजना आयोग की स्वीकृति आवश्यक है तथा इसके बाद इसे विश्व बैंक को प्रस्तुत किया जाएगा।

आयकर प्रतिदाय

***430. श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निर्धारितियों को आयकर प्रतिदाय में विलम्ब की शिकायतों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितनी राशि का प्रतिदाय होना था;

(घ) क्या निर्धारितियों को प्रतिदाय के विलंबित भुगतान की क्षतिपूर्ति की गई है;

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(छ) निर्धारितियों को करों का प्रतिदाय समय पर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां। आयकर विभाग के व्यापक कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम द्वारा प्रतिदाय जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाए जाने के बावजूद कुछ मामलों में प्रतिदाय जारी करने में विलम्ब होता है। तथापि, प्रतिदाय में विलम्ब से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए विभाग ने कारगर तंत्र स्थापित किया है।

(ख) विलंबित प्रतिदायों से संबंधित ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। सामान्यतया, चार माह के भीतर विवरणियों पर कार्रवाई जाती है तथा प्रतिदाय जारी किए जाते हैं। तथापि, जन शक्ति की कमी के कारण कुछ विलम्ब हो जाता है। कुछ मामलों में, अदा किए गए अथवा काटे गए करों का सत्यापन करना अपेक्षित होता है जिसकी वजह से सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने तक प्रतिदाय जारी करने में विलम्ब होता है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आयकर विभाग द्वारा कर निर्धारितियों को लौटाई गई कुल धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	प्रतिदाय की राशि (करोड़ रुपये में)
2003-04	25,737
2004-05	28,514
2005-06	29,435

(घ) जी, हां। आयकर अधिनियम में धारा 244 क के अंतर्गत विलंबित प्रतिदाय के लिए करदाताओं को ब्याज दिए जाने का प्रावधान है। ब्याज की वर्तमान दर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष है।

(ङ) गत तीन वर्षों के लिए कर निर्धारितियों को अदा किए गए ब्याज की कुल राशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	कर निर्धारितियों को संदत्त ब्याज (करोड़ रुपये में)
2002-03	6268
2003-04	4701
2004-05	3865

(च) उपर्युक्त (ङ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(छ) कर निर्धारितियों को समय पर करों का प्रतिदाय सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा उठाए गए कदमों में कुछेक इस प्रकार हैं:

(i) प्रतिदायों का समय पर जारी किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विवरणियों की कंप्यूटरीकृत प्रोसेसिंग शुरू की गई है।

(ii) विवरणी दायर करने के चार माह के भीतर सभी विवरणियों को प्रोसेस करने तथा प्रतिदाय जारी करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

(iii) उच्च प्राधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण जैसे प्रशासनिक उपाय किए जाते हैं।

(iv) आयकर विभाग जनशक्ति बढ़ाने की प्रक्रिया में है।

(v) टी.डी.एस. प्रमाणपत्रों का डीमैटकरण करने से ही प्रक्रियाधीन है और सत्यापन का कार्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाएगा।

(vi) करदाता के बैंक खाते में सीधे प्रतिदाय जमा करने के लिए 12 बड़े शहरों में इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली (ई.सी.एस.) शुरू की जा चुकी है। निकट भविष्य में 24 और शहरों में भी यह प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव है।

श्री एस.के. खारवेनथन: महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से फर्जी टी.डी.एस. प्रमाणपत्र के साथ जाली आयकर रिटर्न भरकर किए गए उन फर्जी प्रतिदाय दावों के मामलों की संख्या जानना चाहता हूं जो सरकार की जानकारी में आए हैं। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या फर्जी दावेदारों के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई फौजदारी कार्यवाही की गयी है। यदि हां, तो पूरे देश में कितने मामले दर्ज किए गए हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मुझे खेद है कि मैं तथाकथित इन फर्जी प्रतिदाय दावों के मामलों की संख्या बताने में समर्थ नहीं हूं। प्रथमतः यह मूल प्रश्न भी नहीं है। यदि आप दर्ज किए गए मामलों की संख्या जानना चाहते है तो मुझे देश से आंकड़े एकत्र करने होंगे। परन्तु, चूंकि काफी संख्या में अधिकांश आयकर रिटर्नों की जांच नहीं की जाती है, यदि रिटर्न में प्रतिदाय दावा किया गया हो तो आम स्थिति में प्रतिदाय दे दिया जाता है। मात्र जांच के मामलों अथवा अपील मामलों में इसकी जांच की जाती है और यह तय किया जाता है कि दावा फर्जी है अथवा नहीं।

अध्यक्ष महोदय: ये मामले जिनको अनुमति नहीं दी जाती है वे फर्जी होते हैं।

श्री एस.के. खारवेनथन: क्या निर्धारितियों की सहायता व फर्जी दावों से बचने हेतु प्रतिदाय राशि को बिना किसी असामान्य विलम्ब के सीधे निर्धारिती के बैंक खाता में जमा कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास है।

श्री पी. चिदम्बरम: हां। हम निर्धारिती को अपना 'पैन' नम्बर और बैंक खाता संख्या का उल्लेख करने की सलाह देते हैं। यदि 'पैन' और बैंक खाता संख्या का उल्लेख रहता है तो प्रतिदाय सीधे उनके बैंक खाते में जमा कर दिया जाता है।

श्री रूपचन्द पाल: पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों ने कर प्रतिदाय के लिए दावे किए और उनमें ऐसे व्यक्तियों (हाई नेटवर्क इन्डीविजुअल्स) की संख्या कितनी थी जिन्होंने अपने रिटर्न में अपनी वार्षिक आय 10 लाख रुपये से अधिक घोषित की थी।

श्री पी. चिदम्बरम: इस प्रकार का वर्गीकरण संभव नहीं है। आंकड़ों को इस प्रकार जोड़ा जाता है। मैं प्रतिदाय दावों की संख्या प्रस्तुत कर सकता हूं। वर्ष 2001-02 में, यह संख्या 4,92,468 है, वर्ष 2002-03 में 7,35,155, वर्ष 2003-04 में 4,46,990 और वर्ष 2004-05 में यह संख्या 4,04,477 हो जाता है। वर्गीकरण कंपनी या उच्च नेटवर्क वाले व्यक्तियों पर आधारित नहीं होता है। परन्तु मैं आपको उन व्यक्तियों की संख्या बता सकता हूं जिन्होंने अपनी वार्षिक आय 10 लाख रुपये और इससे ज्यादा होने की घोषणा की है। यह बहुत ही छोटी संख्या है। इस संख्या में वृद्धि करने का प्रयास हो रहा है। मुझे विश्वास है केवल दक्षिण दिल्ली में ही कम से कम एक लाख लोग हैं।

श्री फ्रांसिस फैन्थम: महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह कहा है कि गत तीन वर्षों में आयकर विवरणियों के विलंबित निपटान के कारण ब्याज के रूप में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। यह देखा गया है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा किए गए निर्धारण के कारण विवरणियां अत्यंत ही विस्तृत हैं। आय कर विवरणियों निपटान की प्रभाव क्षमता में वृद्धि करने हेतु मंत्री महोदय क्या कर रहे हैं?

श्री पी. चिदम्बरम: प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि किया गया ब्याज भुगतान बहुत ही अधिक है। यही प्रथम दृष्टया छवि है। यह समझना होगा कि ब्याज का भुगतान क्यों किया गया है। स्रोत पर कर की कटौती निर्धारिती के नियंत्रणाधीन नहीं है। स्रोत पर कर की कटौती की जाती है। कई निर्धारिती स्रोत पर कर की कटौती के पात्र हैं परन्तु चूंकि यह संसद द्वारा बनाए गए कानून के कारण राज्य सरकार द्वारा की गई कटौती है, जब धन उनको वापस किया जाता है, तो निर्धारिती इसका पात्र है। परन्तु जब तक धन सरकार के पास है, यह सरकारी धन है और हम इसका सरकारी व्यय कर सकते हैं। सरकार धन का उपयोग कर रही है। इसलिए, जब इसका प्रतिदाय किया जाता है, ब्याज का भुगतान किया जाता है। इसका विभाग में किसी के विलंब से कोई संबंध नहीं है।

दूसरे, अपील से प्रभावित मामले हैं। निर्धारण करने के बाद कर के रूप में कतिपय धनराशि का निर्धारण किया जाता है। रिकवरी अधिकारी और निर्धारण अधिकारी का काम निर्धारण के बाद यथाशीघ्र उक्त धनराशि की वसूली करना है। निर्धारिती अपील करता है। अपील करने में दो या तीन वर्ष लग जाते है। अब यदि वह अपील करता है, और वह पूर्णतः या आंशिक रूप से सफल होता है तो उसे अपील के अनुसार धन वापस करना होता है। यह अधिकारी की भी गलती नहीं है। परन्तु मैं नहीं समझता कि किसी अधिकारी की गलती के कारण पूरी धनराशि बकाया है। इस प्रकार आयकर का संग्रहण किया जाता है और अतिरिक्त भुगतान का प्रतिदाय किया जाता है।

[हिन्दी]

'जैट्रोफा' की खेती

*431. **श्री कृष्णा मुरारी मोघे:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि बेकार पड़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के कारण सरकार ने सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.) और मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के अंतर्गत 'जैट्रोफा' की खेती पर पुनर्विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो 'जैट्रोफा' की खेती हेतु प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कितने क्षेत्र की पहचान की गई है;

(ङ) 'जैट्रोफा' की खेती में कौन-कौन से राज्य अग्रणी हैं;

(च) 'जैट्रोफा' की खेती से प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है; और

(छ) देश में 'जैट्रोफा' की खेती को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (छ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) भूमि संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन.आर.एस.ए.), हैदराबाद के सहयोग से सैटेलाइट इमेजरी आंकड़ों का प्रयोग करके प्रकाशित किए गए भारत की बंजरभूमि संबंधी एटलस-2005 (वेस्टलैण्ड एटलस ऑफ इण्डिया-2005) के अनुसार देश में 552.69 लाख हैक्टेयर क्षेत्र के बंजरभूमि/ऊसर भूमि क्षेत्र होने का अनुमान लगाया गया है। इसमें से, 121.17 लाख हैक्टेयर क्षेत्र ऊसर, चट्टानी, हिम-आच्छादित आदि होने के कारण कृषि के लिए अयोग्य क्षेत्र है। शेष 431.52 लाख हैक्टेयर क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र है। इसमें 304.97 लाख हैक्टेयर वनेतर कृषि योग्य बंजरभूमि क्षेत्र तथा 126.55 लाख हैक्टेयर अवक्रमित वन भूमि क्षेत्र शामिल है। इस कृषि योग्य बंजरभूमि के क्षेत्रफल के संबंध में राज्य-वार ब्यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। अन्तरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों को ध्यान में रखते हुए पेट्रोलियम डीजल की घरेलू मांग को अंशतः बायो-डीजल के माध्यम से पूरा करने के संबंध में विचार किया गया है। जटरोफा की बायो-डीजल के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में पहचान की गई है। इसकी खेती वनेतर बंजरभूमि, अवक्रमित वन भूमि तथा मौजूदा क्षेत्र विकास कार्यक्रमों, जैसे सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी.पी.ए.पी.), मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) और समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.डी.पी.) के अंतर्गत पौधरोपण के प्रयोजन के लिए पहचान किए गए क्षेत्रों में की जा सकती है। यह अनुमान लगाया गया है कि 431.52 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य बंजरभूमि में से 322.69 लाख हैक्टेयर बंजरभूमि जटरोफा की खेती के लिए उपयुक्त होगी। राज्य-वार क्षेत्र, जो संभवतः जटरोफा की खेती के लिए उपलब्ध है, का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

(ङ) आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तरांचल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के राज्यों ने जटरोफा की खेती को बढ़ावा देने के लिए अपने-आप कदम उठाए हैं।

(च) राष्ट्रीय तिलहन और वनस्पति तेल विकास (नोवोड) बोर्ड, कृषि मंत्रालय ने यह अनुमान लगाया है कि वर्ष 2008-09 तक जटरोफा की खेती का लगभग 31 लाख हैक्टेयर क्षेत्र तक विस्तार हो जाएगा। इस पौधरोपण से प्रतिवर्ष अनुमानतः 29.14 लाख टन बायो-डीजल (0.94 टन प्रति हैक्टेयर की दर से) का उत्पादन होगा। देश में बायो-डीजल उत्पादन के इस स्तर के परिणामस्वरूप अन्तरराष्ट्रीय बाजार में एच.एस.डी. के 27.87 रुपये प्रति लीटर, डीजल के मौजूदा आयात सादृश्य मूल्य की दर पर प्रतिवर्ष लगभग 9,500 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा की बचत होने की संभावना है।

(छ) योजना आयोग ने ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा बायो-डीजल के संबंध में राष्ट्रीय मिशन को शुरू करने के लिए "सिद्धांत रूप में" अनुमोदन दे दिया है। राष्ट्रीय मिशन को दो चरणों में कार्यान्वित किया जाना है अर्थात् चरण-I, 5 वर्षों की अवधि की प्रदर्शन परियोजना के रूप में होगा तथा चरण-II, बायो-डीजल कार्यक्रम के स्व-पोषित विस्तार के रूप में होगा। प्रदर्शन चरण में वनेतर बंजरभूमि तथा अवक्रमित वन भूमि, दोनों में ही लगभग 5 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में जटरोफा के पौधरोपण का कार्य शुरू किया जाएगा।

अनुबंध-I

(क्षेत्र लाख है. में)

क्र.सं.	राज्य	कुल बंजरभूमि	कृषि योग्य वनेत्तर बंजरभूमि	अवक्रमित वनीय बंजरभूमि	कुल कृषि योग्य बंजरभूमि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	45.27	19.49	22.62	42.11
2.	अरुणाचल प्रदेश	18.18	7.17	0.01	7.18
3.	असम	14.03	8.00	6.03	14.03
4.	बिहार	5.44	2.45	2.86	5.31
5.	छत्तीसगढ	7.58	4.23	2.95	7.18
6.	गोवा	0.53	0.42	0.05	0.46
7.	गुजरात	20.38	18.65	1.56	20.21
8.	हरियाणा	3.27	2.67	0.51	3.17
9.	हिमाचल प्रदेश	28.34	8.94	1.14	10.08
10.	जम्मू-कश्मीर	70.20	3.60	6.64	10.24
11.	झारखंड	11.17	2.95	7.76	10.71
12.	कर्नाटक	13.54	5.64	6.46	12.10
13.	केरल	1.79	1.15	0.42	1.57
14.	मध्य प्रदेश	57.13	34.54	21.74	56.28
15.	महाराष्ट्र	49.28	32.00	14.07	46.07
16.	मणिपुर	13.17	13.17	0.00	13.17
17.	मेघालय	3.41	3.36	0.00	3.36
18.	मिजोरम	4.47	4.02	0.45	4.47
19.	नागालैण्ड	3.71	3.69	0.01	3.70
20.	उड़ीसा	18.95	10.61	7.52	18.13
21.	पंजाब	1.17	1.16	0.01	1.17

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	101.45	86.58	9.62	96.20
23.	सिक्किम	3.81	0.01	0.75	0.76
24.	त्रिपुरा	1.32	0.68	0.64	1.32
25.	तमिलनाडु	17.30	7.81	8.13	15.94
26.	उत्तरांचल	16.10	4.28	1.20	5.48
27.	उत्तर प्रदेश	16.98	14.43	2.17	16.60
28.	पश्चिम बंगाल	4.40	3.19	1.03	4.21
29.	संघ राज्य क्षेत्र	0.32	0.76	0.20	0.28
	योग	552.69	304.97	126.55	431.52

अनुबंध-II

(क्षेत्र लाख है. में)

क्र.सं.	राज्य	जटरोफा के पौधरोपण के लिए पहचान किया गया क्षेत्र
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	38.19
2.	अरुणाचल प्रदेश	5.71
3.	असम	8.08
4.	बिहार	3.80
5.	छत्तीसगढ़	6.94
6.	गोया	0.32
7.	गुजरात	17.99
8.	हरियाणा	1.71
9.	हिमाचल प्रदेश	3.32
10.	जम्मू-कश्मीर	7.25
11.	झारखंड	9.83
12.	कर्नाटक	10.11
13.	केरल	1.12
14.	मध्य प्रदेश	48.34
15.	महाराष्ट्र	43.08
16.	मणिपुर	11.77
17.	मेघालय	2.71
18.	मिजोरम	3.32
19.	नागालैण्ड	2.58
20.	उड़ीसा	14.54
21.	पंजाब	0.24
22.	राजस्थान	52.21
23.	सिक्किम	0.75
24.	त्रिपुरा	1.02
25.	तमिलनाडु	14.23

1	2	3
26.	उत्तरांचल	3.60
27.	उत्तर प्रदेश	7.73
28.	पश्चिम बंगाल	2.24
29.	संघ राज्य क्षेत्र	0.23
	योग	322.96

श्री कृष्णा मुरारी मोघे: अध्यक्ष महोदय, आज देश के सामने बंजर भूमि और कच्चे तेल की कमी ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। मैंने अपने प्रश्न द्वारा खाली पड़ी बंजर भूमि पर 'जैट्रोफा' की खेती किये जाने की योजना की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाया है। माननीय मंत्री जी सैद्धांतिक रूप से ऐसी योजना बनाये जाने के प्रति गम्भीर हैं। माननीय मंत्री जी ने उस तरफ योजनायें बनाने का काम तो किया है, लेकिन पूरे देश में जो 431.52 लाख हैक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि निश्चित की गई है, उसके क्रियान्वयन की दिशा में कुछ नहीं बताया है, जिसे 'जैट्रोफा' की खेती के लिये उपयुक्त बनाया जा सकता है। हमारे राज्य मध्य प्रदेश में ऐसी एक लाख हैक्टेयर बंजरभूमि उपलब्ध है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 2004-05 में उस बंजरभूमि पर 'जैट्रोफा' की खेती विकसित करने के लिये आपके मंत्रालय ने कोई सहायता दी है, यदि हां तो कितनी सहायता दी है? यदि इस तरह के प्रोजैक्ट्स सरकार के पास आते हैं तो क्या उन्हें सहायता देने के लिये सरकार की कोई नीति है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय,'जैट्रोफा' की खेती के लिये देश में एनर्जी सिक्यूरिटी है, उसके लिये सरकार का बड़ा भारी जोर है और कई राज्यों ने भी इसमें भारी रुचि दिखाई है। इस कार्य के लिये 9 राज्यों को 49 करोड़ रुपये दिये गये थे। बॉयो-डीजल मिशन के तमाम जो प्रोजैक्ट्स हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये सभी राज्यों से कहा गया है कि वे बॉयो-डीजल मिशन के अंतर्गत कृषि योग्य बंजर भूमि पर 'जैट्रोफा' की खेती करके प्रोजैक्ट को सफल बनायें।

इससे एनर्जी की कमी भी पूरी हो सकेगी। राज्यों की भी इसमें बड़ी रुचि है और देश को जरूरत भी है। वेदों में भी इसका वर्णन है और चरक संहिता में भी इसका वर्णन है। इसे रतनजोत भी बोलते हैं। संस्कृत में कानन अरंड और वन अरंड भी बोलते हैं। इसका बड़ा महत्व है। इसलिए जैट्रोफा की खेती के लिए सरकार अभियान चला रही है और राज्य सरकारों से सहयोग ले रही है। एन.जी.ओज के लोग भी आगे आ रहे हैं। इसमें संदेह नहीं कि इससे बंजर भूमि का भी उपयोग होगा और देश में ऊर्जा की कमी की पूर्ति भी होगी।

अध्यक्ष महोदय: हम एक प्रोजैक्ट आपको भेजेंगे।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह: जी।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

जनरल क्रेडिट कार्य

***432. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंकों को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में जनरल क्रेडिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को जनरल क्रेडिट कार्ड (जी.सी.सी.) जारी करने हेतु 27 दिसम्बर, 2005 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, जी.सी.सी. धारक बैंक की विनिर्दिष्ट शाखा से मंजूर सीमा तक, जो 25,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए, नकद राशि आहरित करने के पात्र होंगे। इस सीमा की समय-समय पर समीक्षा की जा सकती है और खाताधारक के पिछले कार्यनिष्पादन रिकार्ड के आधार पर इसे संशोधित/रद्द किया जा सकता है। इस योजना के तहत, प्रतिभूति और ऋण के प्रयोजन या अंतिम उपयोग पर कोई बल नहीं दिया जाएगा। दी जाने वाली सुविधा पर उपयुक्त एवं उचित समझी जाने वाली ब्याज दर प्रभारित की जा सकती है। बैंक ऋण के लाभार्थियों के रूप में महिलाओं के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जी.सी.सी. योजना के तहत उन्हें तरजीह दी जाए।

(ग) जी.सी.सी. योजना का उद्देश्य श्रमिकों और निम्न आय समूहों के व्यक्तियों सहित बैंक के ग्राहकों को प्रतिभूति या ऋण के अंतिम उपयोग के संबंध में बिना किसी आग्रह के परेशानी रहित ऋण उपलब्ध कराना है।

पोत भंजन उद्योग पर आयात शुल्क

***433. श्री मधुसूदन मिस्त्री:**

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पोत भंजन उद्योग द्वारा उत्तरी राज्यों के शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों को बड़ी संख्या में रोजगार प्रदान किया जा रहा है;

(ख) क्या स्क्रैप मेटल के लिए पोत भंजन पर लगाए गए शुल्क की वर्तमान दर पड़ोसी देशों, विशेषकर बांग्लादेश और चीन में स्क्रैप मेटल पर लगाए गए शुल्क की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो पड़ोसी देशों की तुलना में भारत में लगाए गए शुल्क के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिक शुल्क के कारण इस उद्योग में रोजगार में कमी आ रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) पोत भंजन उद्योग मुख्य रूप से गुजरात राज्य में शारीरिक श्रम करने वाले कामगारों को रोजगार प्रदान करता है।

(ख) और (ग) भारत में पोतों के भंजन पर बुनियादी सीमा शुल्क 5 प्रतिशत है। विश्व व्यापार संगठन के समेकित आंकड़ों के अनुसार, बांग्लादेश में पोतों के भंजन पर सीमा शुल्क की दर प्रति लाईट डिस्प्लेसमेंट टनेज अथवा एल.डी.टी. 1000 बांग्लादेश टका (वर्तमान मूल्यों पर आधारित यथामूल्य शर्तों पर लगभग 3.7 प्रतिशत) है। पाकिस्तान में सीमा शुल्क दर 5 प्रतिशत है, जबकि चीन में यह दर 3 प्रतिशत है।

(घ) पोत भंजन कार्यकलाप में धीरे-धीरे कमी के कारण इस उद्योग में कार्यरत कामगारों की संख्या में हाल के वर्षों में कमी आई है। तथापि, इसका कारण शुल्क ढांचा नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि भारत में तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों में पोत भंजन पर सीमा शुल्क दरों में अत्यधिक भिन्नता नहीं है। पोत भंजन उद्योग में रोजगार में कमी के अनेक कारक हैं, जिनमें से कुछ कारकों का उल्लेख निम्न प्रकार है:

(i) विगत पांच वर्षों के दौरान विश्व बाजार में पुराने पोतों के भंजन की कीमतें काफी बढ़ गई हैं।

(ii) भंजन के लिए पोतों की कमी है।

(iii) बांग्लादेश में पोत की रिसाइक्लिंग संबंधी अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं श्रम सुरक्षा संबंधी विनियमों का सख्ती से कार्यान्वयन न किए जाने के परिणामस्वरूप बांग्लादेश में टैंकर भंजन कारोबार स्थानांतरित हो गया है।

(ङ) पोत भंजन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए निम्नलिखित उपचारी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है:

(i) भंजन के लिए आयातित पोतों को 4 प्रतिशत के अतिरिक्त सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया गया है, जो आयात के लगभग सभी मदों पर लागू है।

(ii) स्क्रैप को पिघलाने पर 5 प्रतिशत का सीमा शुल्क (पूर्व में यह 0 प्रतिशत था) लगा दिया गया है जिससे यह भंजन के लिए पोतों के आयात पर लगने वाले शुल्क के बराबर हो गया है।

उपर्युक्त के अलावा, गुजरात सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:

(i) अलग/सोसिया पोत रिसाइक्लिंग यार्डों में गुजरात मेरिटाईम बोर्ड ने पर्याप्त भौतिक, सामाजिक, स्वास्थ्य और पर्यावरण संबंधी अवसंरचना का विकास किया है और इसकी रिसेप्शन जैट्टी तथा सामान्य स्थान जैसी और सुविधाओं को विकसित करने की योजनाएं हैं जिनसे पोतों को सुरक्षित ढंग से और शीघ्रता से काटने में मदद मिलेगी।

(ii) गुजरात मेरिटाईम बोर्ड ने पोत भंजन उद्योग के लिए कतिपय छूटें प्रदान करने वाली एक नई विस्तृत नीति भी तैयार की है, जो गुजरात सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

ईंधन के रूप में हाइड्रोजन

***434. श्री हंसराज जी. अहीर:**
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के अनुसंधान और वास्तविक उत्पादन के क्षेत्र में कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी कंपनियों को देश में हाइड्रोजन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) देश में इस समय कौन-कौन सी हाइड्रोजन ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं और भविष्य में कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(च) समग्र राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में हाइड्रोजन ऊर्जा की क्या भूमिका है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा लगभग दो दशकों से हाइड्रोजन ऊर्जा पर एक व्यापक आधार वाले अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। भविष्य के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन के महत्व को मानते हुए, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने अक्तूबर, 2003 में एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड का गठन किया। इस बोर्ड में सरकार, उद्योग, शैक्षिक संस्थाओं से उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि और जानी-मानी हस्तियां शामिल हैं। इस राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा बोर्ड के दिशा-निर्देश में तैयार किए गए एक राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप में वर्ष 2020 और उससे आगे हाइड्रोजन ऊर्जा में अनुसंधान, उत्पादन और अनुप्रयोगों के लिए उठाए जाने वाले कदमों की पहचान की गई है।

(ग) और (घ) मंत्रालय को भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए किसी भी विदेशी कंपनी से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) हाइड्रोजन ऊर्जा और ईंधन सैल प्रौद्योगिकियों के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन परियोजनाओं की सहायता की गई है। इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड ने फरीदाबाद, हरियाणा में अपने अनुसंधान एवं विकास केन्द्र में एक हाइड्रोजन डिसपेंसिंग स्टेशन की स्थापना की है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप देश में हाइड्रोजन ऊर्जा पर भावी परियोजनाओं को आरंभ करने हेतु दिशा-निर्देश उपलब्ध कराता है।

(च) हाइड्रोजन ऊर्जा द्वारा अगले दो दशकों में देश की समग्र राष्ट्रीय ऊर्जा सुरक्षा में अधिकाधिक भूमिका निभाए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन ऊर्जा रोड मैप में वर्ष 2020 तक देश में हाइड्रोजन चालित एक मिलियन वाहनों और 1000 मेगावाट की हाइड्रोजन आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता का लक्ष्य दर्शाया गया है।

[अनुवाद]

चूककर्ता संगठनों की परिसंपत्तियां

***435. डा. एम. जगन्नाथ:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बैंक चूककर्ता संगठनों की सुरक्षित परिसंपत्तियों सहित उनके ब्राण्डों की कुर्की करने पर जोर दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोई निर्देश/स्पष्टीकरण जारी किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, संबंधित बैंक चूककर्ता उधारकर्ता के ब्राण्ड/ब्राण्डों, यदि उसका/उनका मूल्य उधारकर्ता की बकाया राशि एवं बैंक में उपलब्ध प्राथमिक/संपार्श्विक प्रतिभूति की तुलना में उल्लेखनीय हो, को कुर्क करने के लिए कदम उठा सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

निवेशक सुरक्षा कोष

***436. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (एस.ई.

बी.आई.) द्वारा निवेशक सुरक्षा कोष (आई.पी.एफ.) की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस कोष के उद्देश्य क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ग) निवेशक सुरक्षा कोष (आई.पी.एफ.) का निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष (आई.ई.पी.एफ.) के साथ क्या संबंध है;

(घ) वर्ष 2005-06 और चालू वर्ष के दौरान निवेशक सुरक्षा कोष (आई.पी.एफ.) के अंतर्गत कितना बजटीय आवंटन किया गया और कितना खर्चा किया गया;

(ङ) क्या निवेशक सुरक्षा कोष (आई.पी.एफ.) में अत्यधिक जटिल प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं सामने आई हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) वर्ष 2006-07 के बजट में यह प्रस्ताव किया गया था कि सेबी द्वारा वसूल किए गए अर्थदंडों तथा शास्तियों द्वारा निधिपोषित एक निवेशक सुरक्षा कोष (आई.पी.एफ.) का गठन किया जाए। ये राशियां वर्तमान में भारत की समेकित निधि में जमा की जाती हैं जैसाकि प्रतिभूति कानूनों (प्रतिभूति संविदा विनियमन) अधिनियम, 1956, सेबी अधिनियम, 1992 तथा निक्षेपागार अधिनियम, 1996 के अंतर्गत अपेक्षित है। आई.पी.एफ. का गठन इन राशियों को आई.पी.एफ. में जमा कराने की अनुमति देते हुए संगत कानूनों में संशोधन करने के पश्चात् ही किया जा सकता है।

(ख) आई.पी.एफ. का मुख्य उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों का संरक्षण करना होगा। विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण सेबी के परामर्श से किया जाएगा।

(ग) निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष का गठन कंपनी अधिनियम के अंतर्गत किया गया है तथा यह कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा प्रशासित है जबकि आई.पी.एफ. का गठन प्रतिभूति कानूनों के अंतर्गत सेबी के तत्वावधान में किए जाने का प्रस्ताव है।

(घ) आई.पी.एफ. के लिए अभी तक कोई बजटीय आवंटन नहीं किए गए हैं क्योंकि इसका गठन सेबी द्वारा अर्थदंड एवं शास्तियों के रूप में संग्रहित राशि से किया जाना है।

(ङ) और (च) आई.पी.एफ. की स्थापना के लिए प्रतिभूति कानूनों में संशोधन किया जाना आवश्यक होगा।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

***437. श्री बी. विनोद कुमार:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संशोधित दिशा-निर्देशों को व्यय वित्त समिति (ई.एफ.सी.) द्वारा स्वीकृति दी गई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) संशोधित दिशा-निर्देशों के कब तक लागू होने की संभावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ङ) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) योजना के कार्यान्वयन के दौरान यह महसूस किया गया था कि इस योजना के दिशानिर्देशों पर पुनः विचार किए जाने की आवश्यकता है तथा शहरी गरीबी की समस्या से निपटने के लिए इस योजना की प्रभावकारिता बढ़ाने हेतु कुछ संशोधन करना आवश्यक होगा। तद्नुसार प्रस्ताव तैयार किए गए थे तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, व्यय वित्त समिति ने इनका मूल्यांकन किया। अब यह निर्णय लिया गया है कि 10वीं योजना अवधि के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना को इसके मौजूदा रूप में जारी रखा जाये तथा 11वीं योजना में इस योजना को जारी रखने के लिए मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

न्यायपालिका के लिए अवसंरचनात्मक विकास

***438. श्री जयवंत सिंह बिश्नोई:**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष न्यायपालिका के लिए अवसंरचना विकास हेतु प्रत्येक राज्य को केन्द्र से कितनी धनराशि आबंटित/जारी की गई है;

(ख) विभिन्न राज्यों में न्यायपालिका के लिए इस धनराशि से किन-किन नई सुविधाओं का सृजन किया गया;

(ग) क्या देश में विधि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए धनराशि भी उपलब्ध कराई जाती है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के अधीन न्यायपालिका हेतु अवसंरचना के विकास के लिए पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी निधियां विवरण में दी गई हैं।

यह स्कीम न्यायालय भवनों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय परिसरों से संबंधित अवसंरचना के विकास के लिए है और यह एक सतत् प्रक्रिया है। राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से भवनों का सन्निर्माण करती हैं। पिछले तीन वर्षों में जारी केन्द्रीय निधियों में से राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा सृजित नई सुविधाओं संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार विधिक शिक्षा के संवर्धन के लिए प्रत्यक्ष रूप से निधियां उपलब्ध नहीं कराती है। तथापि, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, भोपाल को गैर योजना के अधीन केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है तथा भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली और सांविधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान को आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराए जाते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी.) विधि सहित विभिन्न विषयों में उच्चतर शिक्षा तथा अनुसंधान के विकास के लिए पात्र विश्वविद्यालयों को विकास अनुदान उपलब्ध कराता है। देश में विभिन्न विश्वविद्यालयों को आबंटित, जारी साधारण विकास अनुदान को दर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण-I

कुटुंब न्यायालय सहित न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाओं के विकास के लिए राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003-04 के दौरान जारी राशि	2004-05 के दौरान जारी राशि	2005-06 के दौरान जारी राशि
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	283.92	0	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	100.00
3.	असम	40.00	0	200.00
4.	बिहार	526.66	0	0
5.	छत्तीसगढ़	244.00	0	90.00
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	324.09	0	0
8.	हरियाणा	137.20	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	53.20	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	60.80	0	0

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	132.36	0	0
12.	कर्नाटक	359.26	0	0
13.	केरल	216.51	0	0
14.	मध्य प्रदेश	0	25.00	0
15.	महाराष्ट्र	708.00	20.00	0
16.	मणिपुर	0	0	100.00
17.	मेघालय	0	0	0
18.	मिजोरम	114.00	0	100.00
19.	नागालैण्ड	134.00	0	280.00
20.	उड़ीसा	166.35	0	0
21.	पंजाब	197.67	0	0
22.	राजस्थान	300.07	0	0
23.	सिक्किम	0	0	0
24.	तमिलनाडु	416.54	0	0
25.	त्रिपुरा	152.00	0	220.00
26.	उत्तरांचल	76.00	0	0
27.	उत्तर प्रदेश	1090.86	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	878.07	0	0
	योग	6611.56	45.00	1090.00
संघ राज्य क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	60.80	0	0
2.	चंडीगढ	167.20	0	0
3.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0
4.	दमण और दीव	0	0	0

1	2	3	4	5
5.	दिल्ली	324.00	0	0
6.	लक्षद्वीप	0	0	0
7.	पांडिचेरी	152.00	0	100.00
	योग	684.00	0	100.00
	सकल योग	7315.56	45.00	1190.00

विवरण-II

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

10वीं योजना अवधि के दौरान विधि विश्वविद्यालयों को विकास सहायता स्कीम के अधीन आबंटित/जारी अनुदान की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	10वीं योजना आबंटन 2002-2007	2002-03 से 2006-07 में, 23 अगस्त, 06 तक जारी अनुदान
	आंध्र प्रदेश		
1.	नालसार विश्वविद्यालय, हैदराबाद	200.00	160.00
	कर्नाटक		
2.	नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया विश्वविद्यालय, बैंगलोर	105.00	63.00
	मध्य प्रदेश		
3.	नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट विश्वविद्यालय, भोपाल	215.00	86.00
	छत्तीसगढ़		
4.	एच.एन. हिदायतुल्ला विश्वविद्यालय, रायपुर	100.00*	50.00*
	दिल्ली		
5.	भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली (सम विश्वविद्यालय)	300.00	300.00

* नए विश्वविद्यालयों के लिए विशेष विकास अनुदान।

एच.एन. हिदायतुल्ला विश्वविद्यालय, रायपुर के लिए साधारण विकास के अधीन कोई आबंटन नहीं।

टिप्पणी: यह उल्लेखनीय है कि सभी पात्र विश्वविद्यालयों को, जिनके अंतर्गत विधि विभाग भी हैं, 10वीं योजना आबंटन के रूप में आबंटन किए गए थे।

ऋण शोधन बोझ को कम करना

***439. श्री मणि चारेनामै:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को पूर्वोत्तर राज्यों से उनके ऋण शोधन बोझ को कम करने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा आज की तारीख तक ऋण की स्थिति क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा लिया गया कोई ऋण माफ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) अपनी कमजोर वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्य, भारत सरकार से समय-समय पर अपने ऋण शोधन बोझ को कम करने का अनुरोध करते रहे हैं। इन राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध तथा उन पर की गई कार्रवाई विवरण-I के रूप में संलग्न है। 31 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार सभी पूर्वोत्तर राज्यों पर बकाया वित्त मंत्रालय से संबंधित केन्द्रीय ऋणों का ब्यौरा विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2003-04, 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों को कोई ऋण माफी नहीं दी गई है।

विवरण-I

ऋण शोधन/ऋण भार को कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा किए गए अनुरोध

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष	किया गया अनुरोध	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	अरुणाचल प्रदेश	2003-04	वित्त वर्ष 2003-04 के लिए 200 करोड़ रुपये की ऋण शोधन देनदारियों को माफ करना।	उस दौरान राजस्व लेखे पर उनके राजकोषीय निष्पादन में आए सुधार के आधार पर ग्यारहवें वित्त आयोग द्वारा संस्तुत सामान्य ऋण राहत सुविधा लागू थी। अतः इस सुविधा पर राज्य सरकार के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सका।
		2005-06	200 करोड़ रुपये के अर्थोपाय अग्रिम के लिए अनुरोध	2005-06 के दौरान राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपये का मध्यम आवधिक ऋण प्रदान किया गया था।
		2005-06	अर्थोपाय अग्रिम को वापिस करने के लिए एन.एस.एस.एफ. से 200 करोड़ रुपये का अनुरोध।	एन.एस.एस.एफ. द्वारा राज्य सरकार को ऋण चुकाने के लिए 200 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।
2.	असम	2004-05	भारत सरकार से लिए गए 1940 करोड़ रुपये के ऋण की अदायगी को 5 वर्ष के लिए ऋण-स्थगन का अनुरोध।	चूंकि मूल/ब्याज की अदायगी पर ऋण माफी तथा/अथवा ऋण-स्थगन पर सरकार केवल वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही विचार करती है, इसलिए अनुरोध नहीं माने जा सके।

1	2	3	4	5
3.	मणिपुर	2004-05	609 करोड़ रुपये के मध्यम आवधिक ऋण के लिए अनुरोध।	राजकोषीय समस्याओं से निजात पाने के लिए 2004-05 के दौरान राज्य सरकार को 609 करोड़ रुपये का मध्यम आवधिक गैर-योजना ऋण प्रदान किया गया था।
		2005-06	मध्यम आवधिक ऋण को चुकाने के लिए एन.एस.एस.एफ. से दीर्घावधि ऋण का अनुरोध।	मध्यम आवधिक ऋण चुकाने के लिए राज्य सरकार का एन.एस.एस.एफ. से 609 करोड़ रुपये की राशि का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है।
4.	नागालैंड	2003-04	मध्यम आवधिक ऋण को अनुदान में तब्दील करना।	केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को 2002-03 में जारी 365 करोड़ रुपये के मध्यम आवधिक ऋण को अनुदान में परिवर्तित कर दिया गया था।
		2004-05	200 करोड़ रुपये के मध्यम आवधिक ऋण का अनुरोध।	वर्ष के दौरान राज्य की बेहतर राजकोषीय स्थिति के मद्देनजर केन्द्र सरकार ने राज्य के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
5.	त्रिपुरा	2004-05	चूंकि राज्य पर ऋण भार अधिक था इसलिए ऋण राहत के लिए अनुरोध।	भारत सरकार (वित्त मंत्रालय) की ओर से राज्यों पर बकाया 31-03-2004 तक अनुबंधित और 31-3-2005 की स्थिति के अनुसार बकाया ऋण, जो 444.95 करोड़ रुपये बैठता है, को समेकित कर दिया गया है और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार उन्हें 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर पर 20 समान किस्तों में भुगतान के लिए पुनर्सूचीबद्ध कर दिया गया है।

विवरण-II

31 जुलाई, 2006 की स्थिति के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों पर बकाया वित्त मंत्रालय से संबंधित केन्द्रीय ऋणों का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्यों के नाम	31-07-2006 को बकाया ऋण (करोड़ रुपये में)
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	444.81
2.	असम	2274.92
3.	मणिपुर	1351.24
4.	मेघालय	340.54
5.	मिजोरम	321.13
6.	नागालैंड	351.7
7.	त्रिपुरा	495.89
8.	सिक्किम	194.43
	कुल	5774.66

बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा मानदण्डों का उल्लंघन

***440. श्री निखिल कुमार:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मुद्रा अपीलीय अधिकरण ने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को विदेशी मुद्रा संबंधी मानदण्डों के उल्लंघन का दोषी पाया है, जैसा कि 29 जुलाई, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रकार के उल्लंघन के सही कारणों का पता लगाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) और (ख) विदेशी मुद्रा अपीलीय अधिकरण ने संलग्न विवरण-I में सूचीबद्ध 10 बहुराष्ट्रीय कंपनियों और एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दायर की गई अपीलों में विशेष निदेशक, प्रवर्तन द्वारा पारित न्यायनिर्णयन आदेशों को परिपुष्ट कर दिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध न्यायनिर्णित मामलों की अपीलों में संलिप्त शास्तियों के ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) से (ङ) इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति के बिना विदेशों में अपने प्रवासी कर्मचारियों को वेतन एवं परिलब्धियां अदा की हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार छः बहुराष्ट्रीय कंपनियों और एक कंपनी के कर्मचारियों ने विदेशी मुद्रा अपीलीय अधिकरण के आदेशों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की है। उक्त कंपनियों की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण-I

10 बहुराष्ट्रीय कंपनियों और एक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा विदेशी मुद्रा अपीलीय अधिकरण (ए.टी.एफ.ई.) के समक्ष दायर की गई अपीलों की सूची जिनमें शास्तियां अधिरोपित करने वाले न्यायनिर्णयन आदेशों को परिपुष्ट किया गया

क्र.सं.	अपील सं.	बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कर्मचारियों के नाम
1.	690/2003	फ्यूजी बैंक लि.
2.	708/2003	नोकिया इंडिया (प्रा.) लि.
3.	478/2004	मोटोरोला इंडिया (प्रा.) लि.
4.	359/2004	यू.एफ.जे. बैंक लि.
5.	537/2004	ड्यूश बैंक ए.जी.
6.	712/2003	इरिकसन इंडिया (प्रा.) लि.
7.	502/2004	बैंक ऑफ टोक्यो - मित्सुबिशी लि.
8.	412/2004	सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (इससे पूर्व सकूरा बैंक के नाम से जाना जाता था।)
9.	261/2004	मैसर्स सोनी इंडिया (प्रा.) लि.
10.	816-839/2004	एच. शिरकी एंड अदर्स मैसर्स सोनी इंडिया (प्रा.) लि. के कर्मचारी
11.	523/2004	सेमसंग कॉरपोरेशन

विवरण-II

बहुराष्ट्रीय कंपनियों और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के कर्मचारियों द्वारा दायर की गई अपीलों में संलिप्त शास्ति की राशि

क्र.सं.	अपील सं.	बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कर्मचारियों के नाम	अधिरोपित शास्ति
1.	690/2003	फ्यूजी बैंक लि.	1 करोड़
2.	708/2003	नोकिया इंडिया (प्रा.) लि.	5 करोड़

क्र.सं.	अपील सं.	बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कर्मचारियों के नाम	अधिरोपित शास्ति
3.	478/2004	मोटोरोला इंडिया (प्रा.) लि.	1 करोड़
4.	359/2004	यू.एफ.जे. बैंक लि.	45 लाख
5.	537/2004	ड्यूश बैंक ए.जी.	25 लाख
6.	712/2003	इरिकसन इंडिया (प्रा.) लि.	15 करोड़
7.	502/2004	बैंक ऑफ टोक्यो - मित्सुबिशी लि.	5.50 करोड़
8.	412/2004	सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन (इससे पूर्व सकूरा बैंक के नाम से जाना जाता था।)	35 लाख
9.	261/2004	मैसर्स सोनी इंडिया (प्रा.) लि.	5 करोड़
10.	816-839/2004	एच. शिरकी एंड अदर्स मैसर्स सोनी इंडिया (प्रा.) लि. के कर्मचारी	1,57,10,000/-
11.	523/2004	सेमसंग कॉरपोरेशन	1 करोड़

विवरण-III

उन कंपनियों की सूची जिन्होंने विदेशी मुद्रा अपीलीय अधिकरण (ए.टी.एफ.ई.) द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की हैं

क्र. सं.	अपील सं.	बहुराष्ट्रीय कंपनियों, कर्मचारियों के नाम	रिट याचिकाओं की स्थिति
1	2	3	4
1.	690/2003	फुजी बैंक लि.	अनिर्णित शास्ति की अदायगी के प्रति बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए याचक को निदेश दिया गया
2.	706/2003	नोकिया इंडिया (प्रा.) लि.	अनिर्णित
3.	478/2004	मोटरोला इंडिया (प्रा.) लि.	अनिर्णित
4.	712/2003	इरिक्स्सन इंडिया (प्रा.) लि.	अनिर्णित शास्ति की अदायगी के प्रति बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए याचक को निदेश दिया गया
5.	261/2004	मैसर्स सोनी इंडिया (प्रा.) लि.	अनिर्णित शास्ति की अदायगी के प्रति बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए याचक को निदेश दिया गया

1	2	3	4
6.	816-839/2004	एच. शिरकी एंड अदर्स मैसर्स सोनी इंडिया (प्रा.) लि. के कर्मचारी	अनिर्णित
7.	523/2004	सेमसंग कॉरपोरेशन	अनिर्णित

अनुसंधान और विकास पर खर्च किया गया सकल घरेलू उत्पाद

***441. डा. चिन्ता मोहन:**

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर सकल घरेलू उत्पाद की कितनी राशि खर्च की गयी तथा यह राशि सकल घरेलू उत्पाद की कितनी प्रतिशत थी;

(ख) पड़ोसी देशों विशेषत: चीन के संदर्भ में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सकल घरेलू उत्पाद व्यय के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य देशों से मुकाबला करने के लिए धनराशि आबंटन तथा मानव संसाधन में बढ़ोत्तरी करने के लिए विशेष उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) उपलब्ध सरकारी अनुसंधान और विकास आंकड़ों के अनुसार 2002-03 के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर खर्च हुआ व्यय 18000.16 करोड़ रुपये था जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 0.8 प्रतिशत है। यूनेस्को के आंकड़ों (2005) पर आधारित चीन सहित चुनिन्दा पड़ोसी देशों के जी.डी.पी. के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास व्यय के आंकड़े दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) जी हां। वैज्ञानिक विभागों/एजेंसियों का विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना परिव्यय नौवीं योजना के 12,022 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10वीं योजना में 25,243 करोड़ रुपये कर दिया गया है। अनेक वित्तीय प्रोत्साहनों, अनुसंधान और विकास व्यय पर आयकर छूट, प्रायोजित अनुसंधान हेतु भारित कर छूट, सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में उपयोग हेतु आयातित सामानों पर सीमा शुल्क छूट, करावकाश और अन्य सहायता उपाय जैसे औद्योगिक अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के लिए अनुदानों के रूप में सहायता, विभिन्न वैज्ञानिक और आर्थिक मंत्रालयों के क्षेत्र विशेष के कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को सहायता तथा उत्कृष्ट अनुसंधान और विकास हेतु राष्ट्रीय पुरस्कारों के माध्यम से उद्योग और संस्थानों दोनों में अनुसंधान और विकास पर निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए भी सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं।

इसके अतिरिक्त देश में मानव संसाधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें आरंभ की गई हैं। इन कार्यक्रमों में से कुछ इस प्रकार हैं:

- विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में उत्कृष्टता/उन्नत अध्ययन के केन्द्रों की स्थापना करना।
- विज्ञान के नये और अग्रणी क्षेत्रों में अनुसंधान करने के लिए अपेक्षित आधुनिक सुविधाओं के साथ पेशेवरों के कोर ग्रुपों का सृजन।
- नये वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन।
- उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी अवसंरचना के विकास के लिए निधि (एफ.आई.एस.टी.)।
- उद्यमिता विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण सहित एसोसिएटशिपों/अध्येतावृत्तियों के माध्यम से मानव शक्ति विकास प्रशिक्षण/पुनर्प्रशिक्षण कार्यक्रम।
- वैज्ञानिक पूल स्कीम के अन्तर्गत वैज्ञानिकों और तकनीकीविदों के अस्थायी नियोजन का प्रावधान।
- अतिरिक्त पदों का सृजन।
- युवा वैज्ञानिकों के लिए फास्ट ट्रैक स्कीम।

- अन्तरराष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और संस्थानों का दौरा करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी (बी.ओ.वाई.एस.सी.ए.एस.टी.) अध्येतावृत्ति के चुने हुए क्षेत्र में युवा वैज्ञानिकों के लिए बेहतर अवसर।
- कार्यशील वैज्ञानिकों को लक्षित अध्येतावृत्तियां जैसे स्वर्ण जयंती, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अध्येतावृत्तियां, रामानुजन अध्येतावृत्तियां, रमन्ना अध्येतावृत्तियां आदि।
- मेधावी युवा वैज्ञानिकों को कैरियर के रूप में अनुसंधान और विकास अपनाने के लिए आकर्षित और प्रेरित करने के लिए सम्पर्क कार्यक्रम।
- विदेशों में आयोजित अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए वैज्ञानिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- आरंभिक संकाय प्रवेश कार्यक्रम जिसका उद्देश्य मेधावी और युवा अण्डरग्रेज्युएट विद्यार्थियों को इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी/फार्मेसी/वास्तुकला आदि में विज्ञान को अपने कैरियर के रूप में अपनाने के लिए आकर्षित करना है।
- विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अग्रणी और उभरते हुए क्षेत्रों में सहायता करने के लिए विदेश में बसे भारतीय मूल के प्रतिष्ठित पुरुषों और महिलाओं को अल्पकालीन तकनीकी नियुक्तियों हेतु आमंत्रण।
- भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में स्थाई फैकल्टी पदों पर अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के व्यक्तियों की नियुक्ति।

विवरण

चीन सहित चुनिंदा पड़ोसी देशों के लिए सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास व्यय, 2000-02

क्र. सं.	देश का नाम	सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में अनुसंधान और विकास
1	2	3
1.	सिंगापुर	2.20
2.	चीन	1.23
3.	भारत	0.80
4.	नेपाल	0.67
5.	पाकिस्तान	0.27
6.	थाइलैंड	0.24
7.	श्रीलंका	0.20*
8.	मिस्र	0.19

* 1996

ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु क्षेत्र सुधार कार्यक्रम

***442. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता हेतु क्षेत्रीय सुधार कार्यक्रम को अनुमोदित एवं क्रियान्वित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रामीण जलापूर्ति को संतोषजनक रूप से जारी रखना सुनिश्चित करने में यह कितना सहायक होगा;

(घ) क्या अन्य जिलों में सुधार पैकेज को लागू करने हेतु पायलट परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे देश के सभी जिलों में कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) जी, हां। ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए क्षेत्र सुधार कार्यक्रम (एस.आर.पी.) वर्ष 1999 में प्रायोगिक आधार पर शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाना था। इसी प्रकार केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सी.आर.एस.पी.) को पुनर्गठित कर इसे भी 1999 में संपूर्ण स्वच्छता अभियान (टी.एस.सी.) के रूप में कार्यान्वित किया गया।

(ख) और (ग)

ग्रामीण जल आपूर्ति

क्षेत्र सुधार परियोजनाएं 26 राज्यों के 67 जिलों में मंजूर की गई थीं। क्षेत्र सुधार परियोजनाओं की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित थीं-

(i) ग्रामीणों की अधिकारिता के आधार पर एक मांग जनित दृष्टिकोण अपनाना ताकि योजना डिजाइन और प्रबंधन व्यवस्था के चयन में निर्णय लेने की भूमिका के जरिए परियोजना में ग्रामवासियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

(ii) जागरूकता सृजन और सभी स्टेकहोल्डरों के प्रशिक्षण पर बल।

(iii) परियोजना कार्यान्वयन में शामिल एजेंसियों के कार्यों को सरल एवं कारगर बनाकर समेकित सेवा सुपुर्दगी तंत्र सुनिश्चित करना।

(iv) सीधे नकद में 10 प्रतिशत (कम से कम) पूंजी लागत का वहन और उपभोक्ताओं द्वारा संचालन एवं रखरखाव लागत का शत-प्रतिशत वहन। सेवा की बढ़ती हुई मांग से पूंजी लागत में भी समानुपातिक बढ़ोत्तरी होगी। प्रारंभ में सामुदायिक अंशदान नकद या वस्तु रूप (श्रम, भूमि या सामग्री) में था, जिसे बी.पी.एल./अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को छोड़कर, जो वस्तु के रूप में इसका भुगतान कर सकते थे, अन्य सभी के लिए बदलकर केवल नकद रूप में कर दिया गया था।

(v) वर्षाजल एकत्रीकरण और भू-जल पुनर्भरण ढांचों के जरिए जल की स्थायी आपूर्ति के संरक्षण उपाय शुरू करना।

एस.आर.पी. का कुल परिव्यय 2060.45 करोड़ रुपये था जिसमें से भारत सरकार का अंश 1922.85 करोड़ रुपये था। भारत सरकार ने अब तक 1145.56 करोड़ रुपये रिलीज किए हैं और आज की तारीख तक 1209.61 करोड़ रुपये के खर्च होने की सूचना है। इसके अलावा, क्षेत्र सुधार परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई 86860 योजनाओं में से 77636 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इनमें से 76817 योजनाएं संचालन एवं रखरखाव के लिए स्थानीय समुदाय को सौंप दी गई है।

स्वच्छता

समुदाय आधारित तथा जन-केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए पुनर्गठित सी.आर.एस.पी. के अंतर्गत 1-4-1999 से संपूर्ण स्वच्छता अभियान आरंभ किया गया। संपूर्ण स्वच्छता अभियान जो पहले राज्यवार आबंटन के सिद्धांत पर आधारित था, अब मांग आधारित दृष्टिकोण पर आ गया है। कार्यक्रम में स्वच्छता सुविधाओं के लिए मांग सृजन हेतु सूचना, शिक्षा एवं संचार पर जोर दिया जाता है। इसमें लोगों के व्यवहार में युवावस्था से ही बदलाव लाने के लिए विद्यालय स्वच्छता और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है।

भारत सरकार तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की सहायता से (टी.एस.सी.) को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 559 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। हाल ही में 8 अन्य जिलों के लिए भी परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र भारत सरकार की सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित जिलों हेतु टी.एस.सी. परियोजना बनाते हैं। जिला स्तर पर जिला पंचायतें परियोजना को कार्यान्वित करती हैं। अगर, जिला पंचायत काम नहीं कर रही हैं तो जिला जल एवं स्वच्छता मिशन टी.एस.सी. को कार्यान्वित कर सकता है। इसी प्रकार, ब्लॉक तथा पंचायत स्तरों पर, पंचायत समितियां तथा संबंधित ग्राम पंचायतें टी.एस.सी. के कार्यान्वयन में लगी हुई हैं।

(घ) और (ङ) क्षेत्र सुधार परियोजना से प्राप्त अनुभव और ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दिसम्बर, 2002 में एस.आर.पी. को बढ़ाकर स्वजलधारा योजना में तब्दील कर दिया है। स्वजलधारा देश के सभी ग्रामीण जिलों में शुरू की जा सकती है। इस समय ये परियोजनाएं 500 जिलों में चल रही हैं। इसी तरह, संपूर्ण स्वच्छता अभियान देश के सभी ग्रामीण जिलों में शुरू किया जा सकता है और वर्तमान में ये परियोजनाएं हाल ही में अनुमोदित किए गए अन्य 8 जिलों सहित 559 जिलों में चल रही हैं। चूंकि दोनों कार्यक्रम मांग आधारित हैं, इसलिए सभी जिलों में कार्यान्वयन की समय-सीमा संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त अनुरोधों पर निर्भर करेगी।

ग्रामीण व्यापार केन्द्र

***443. श्री पी. मोहन:** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रत्येक राज्य में चल रहे ग्रामीण व्यापार केन्द्रों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों के लक्ष्य एवं उद्देश्य क्या हैं;

(ग) इन केन्द्रों के वित्त-पोषण के स्रोत क्या हैं;

(घ) इस प्रयोजनार्थ गठित शासी निकायों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण व्यापार केन्द्र की इस योजना का शेष किसी राज्य में विस्तार किये जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इसका विस्तार कब तक किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) उत्तरांचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की स्थापना के लिए 50 समझौते संपन्न हुए हैं। स्थान-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र (आर.बी.एच.) के लक्ष्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

लक्ष्य

आर्थिक सुधारों के जरिए प्रवृत्त तीव्र आर्थिक विकास का लाभ उठाते हुए देश के ग्रामीण क्षेत्रों और समाज के सभी वर्गों में समृद्धि लाना और संसाधन/कौशल समृद्ध ग्रामीण क्षेत्रों तथा उद्योग के प्रौद्योगिकी/विपणन कौशल के बीच संबंध को प्रगाढ़ बनाना। इस संपूर्ण प्रक्रिया में अधिकार प्राप्त पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी होती है/उनके द्वारा सहायता दी जाती है।

उद्देश्य

1. ग्रामीण विकास के लिए कृषि और उससे सहबद्ध क्रियाकलापों को 'ग्रोथ इंजन' के रूप में बढ़ावा देना।
2. ग्रामीण गैर-कृषि उद्यमों (आर.एन.एफ.ई.) को बढ़ावा देना ताकि ग्रामीण रोजगार सृजित हो सकें।
3. उन ग्रामीण उत्पादों को अभिज्ञात करना जिनकी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग है और उनकी गुणवत्ता का मानकीकरण करना।
4. ग्रामीण उत्पादों में मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करना ताकि ग्रामीण आय बढ़े।
5. अपेक्षित विपणन/तकनीकी कौशल वाले ऐसे व्यावसायिक केन्द्रों का निर्धारण करना जिनकी इसमें रुचि हो।
6. उत्पादकों और व्यावसायिक केन्द्रों के बीच पारस्परिक लाभप्रद संबंधों को प्रगाढ़ बनाना जैसा कि ऊपर बताया गया है।
7. ग्रामीण क्षेत्रों में ई-समर्थित सूचना सेवा को सुगम बनाना जो आगे के विकास के लिए सूचना केन्द्रों के रूप में कार्य करेगी।
8. व्यवहार्य व्यवसाय प्रतिष्ठानों को ऋण की उपलब्धता को सुगम बनाना।
9. बायोडीजल के क्षेत्र में व्यावसायिक अवसरों को अभिज्ञात करना तथा उनका विकास करना।
10. विद्युत वितरण के क्षेत्र में व्यावसायिक विकल्पों को अभिज्ञात करना तथा उनका विकास करना।
11. ब्लॉक पंचायत स्तर पर केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं और सम्बद्ध संस्थाओं का अभिसरण करना।
12. पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्रों के आर्थिक विकास की योजना बनाने तथा इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमता का निर्माण करना।

(ग) ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के लिए निधियों के स्रोतों के रूप में निम्नलिखित परिकल्पना की गई है:

(i) ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों की परिकल्पना सार्वजनिक निजी पंचायत भागीदारी (पी.पी.पी.पी.) के संबंध में व्यावसायिक प्रतिष्ठान के रूप में की गई है और उसके स्व-सृजक एवं स्व-सहायक होने की संभावना है।

(ii) तथापि, इसमें प्रारंभ में शुरुआती निवेश की जरूरत हो सकती है या उसमें परिपक्वता अवधि निहित हो सकती है जिसके लिए एक या अधिक साझेदारों से निधियां जुटाई जाएंगी।

(iii) इस भागीदारों को कंपनी अधिनियम के तहत एक औपचारिक कंपनी के रूप में समाविष्ट कराया जा सकता है। इस मामले में कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय संस्थाओं, ऋण-पत्रों आदि से एक समान अंशदान/ऋण लिया जाएगा।

(iv) इस कंपनी को साझेदारी फर्म के रूप में पंजीकृत कराया जा सकता है जिसमें साझेदार अपना-अपना अंशदान करेंगे तथा सांस्थानिक ऋण लिया जाएगा।

(v) लाइन मंत्रालयों की वित्तीय सहायता वाली अनेक योजनाएं हैं जिनसे धनराशि ली जा सकती है।

(घ) ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों के लिए इस प्रकार का कोई शासी निकाय नहीं है और अलग-अलग ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्रों का प्रबंध ऐसी संरचना द्वारा किया जाएगा जिस पर साझेदारों के बीच सहमति हो और इसे समझौता ज्ञापन में शर्तों के रूप में शामिल किया गया हो। तथापि, इस अवधारणा के कार्यान्वयन को आसान बनाने तथा इसकी देख-रेख करने के लिए निम्नलिखित संस्थाएं मौजूद हैं:

(i) राष्ट्रीय ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र परिषद जिसकी अध्यक्षता पंचायती राज मंत्री करते हैं तथा भारतीय उद्योग परिसंघ के एस.के. मुंजाल इसके सह-अध्यक्ष हैं।

(ii) सचिव (पंचायती राज) की अध्यक्षता वाल राष्ट्रीय ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र कार्यकारी समिति।

(iii) 12 राज्यों में ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र परिषदें हैं जिनकी अध्यक्षता राज्य के पंचायती राज विभाग के मंत्री/सचिव करते हैं और उद्योगों, राज्य सरकार के विभागों, वित्तीय संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि इसके सदस्य होते हैं।

(ङ) और (च) जी, हां। इस पहल का विस्तार पंचायती राज संस्थाओं वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किया गया है। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र परिषदों की स्थापना की जा रही है।

विवरण

ग्रामीण व्यावसायिक केन्द्र पहल के अंतर्गत हस्ताक्षर किए गए समझौतों की सूची

क्र.सं.	दिनांक	ग्राम पंचायत/ब्लॉक पंचायत/जिला/राज्य	कंपनी का नाम	उत्पाद
1	2	3	4	5
1.	13-8-05	रामगढ़ ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	नीमराना समूह एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
2.	13-8-05	बेतालघाट ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	जयकाली ग्रामोद्योग फल संरक्षण एवं प्रसोधन इकाई एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
3.	13-8-05	काशीपुर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	कांशोपुर एग्रो इंडस्ट्रीज (प्रा.) लि. एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
4.	13-8-05	भीमताल ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	सेखो, जनशिक्षण संस्थान एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
5.	13-8-05	रामनगर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	डेलिशिया फूड्स (प्रा.) लि. एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
6.	13-8-05	भीमताल ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	सुरूची फ्रूट प्रोडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
7.	13-8-05	रामनगर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	इमैजिनेशन एग्री एक्सपोर्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण

1	2	3	4	5
8.	13-8-05	हल्द्वानी ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	हैंड्स के इंटरप्राइजेज (प्रा.) लि. एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
9.	13-8-05	भीमताल ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	नैनीताल फ्रूट प्रोडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
10.	13-8-05	काशीपुर ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	जिंदल फ्रोजन फूड प्रोडक्ट्स (प्रा.) लि. एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
11.	13-8-05	हल्द्वानी ब्लाक/नैनीताल/उत्तरांचल	ब्लिस फूड प्रोडक्ट्स एवं आईटीसी लिमिटेड	फल प्रसंस्करण
12.	9-10-05	पिनागवान/पुन्हाना/मेवात/हरियाणा	डीआई ऑयल्स इंडिया प्रा. लि.	जटरोफा प्लांटेशन और बायोडीजल
13.	9-10-05	होडल और हसनपुर ब्लॉक/फरीदाबाद/हरियाणा	डीआई ऑयल्स इंडिया प्रा. लि.	जटरोफा प्लांटेशन और बायोडीजल
14.	फरवरी, 06	बिलासपुर, छछरोली, जगाधरी और सधौरा ब्लॉक/यमुनानगर/हरियाणा	डीआई ऑयल्स इंडिया प्रा. लि.	जटरोफा प्लांटेशन और बायोडीजल
15.	23-1-06	गौरीगंज ब्लॉक/जिला सुल्तानपुर/उत्तर प्रदेश	सैल्फ एम्प्लायड विमेंस एसोसिएशन (सेवा)	हस्तशिल्प एवं हथकरघा उत्पाद
16-37.	24-2-06 को 22 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए	कर्नाटक राज्य में विभिन्न ग्राम पंचायतें	मलवल्ली पॉवर प्लांट लि., बैंगलौर इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी मंगलौर इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी हुबली इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी गुलबर्गा इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी चामुंडेश्वरी इलैक्ट्रिक सप्लाई कंपनी	विद्युत उत्पादन/वितरण
38-42.	24-2-06 को 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए	हम्पी, कर्नाटक राज्य में पांच ग्राम पंचायतें	राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान	कला कृति/गारमेंट डिजाइन
43.	29-7-06	मूवालूर पंचायत, मइलादुथूरई ब्लॉक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	क्लासिक बायोमास	बायो गैसीफायर
44.	29-7-06	कोडीमंगलम गांव, मइलादुथूरई ब्लॉक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	क्लासिक बायोमास	बायो गैसीफायर

1	2	3	4	5
45.	29-7-06	कोडीमंगलम गांव, मइलादुथूरई ब्लॉक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	शमीना फूड इंडस्ट्रीज	गुणवत्तापूर्ण अट्टा का विकास एवं विपणन
46.	29-7-06	वल्लालहरम गांव, मइलादुथूरई ब्लॉक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	केएमआर इंडस्ट्रीज	नारियल उत्पाद
47.	29-7-06	कप्पुर गांव, कुट्टालम ब्लॉक, नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	ऐक्ट चैम्बर ब्रिक्स इंडस्ट्रीज	गुणवत्तापूर्ण चैम्बर ब्रिक्स
48.	30-7-06	कंजानगरम गांव, सेम्बानरकोईल ब्लॉक नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	शिव शक्ति सीड्स	गुणवत्तापूर्ण बीजों का उत्पादन
49.	30-7-06	अन्नावसल गांव, सेम्बानरकोईल ब्लॉक नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	एनएसी फार्म प्रोडक्ट्स	गुणवत्तापूर्ण केलों का उत्पादन
50.	30-7-06	सेमंगलम गांव, सेम्बानरकोईल ब्लॉक नागापट्टिनम जिला, तमिलनाडु	आरकेएस डेरी फार्म	गुणवत्तापूर्ण दुग्ध उत्पादन

विदेशी संयुक्त भागीदारों की कर देयता

***444. श्री के.एस. राव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में काम कर रही उन विदेशी कंपनियों और विदेशी संयुक्त भागीदारी वाले निगमों की संख्या कितनी है जिनके मुख्यालय देश में हैं;

(ख) विदेशों में स्थित उनकी मूल कंपनियों और यहां स्थित उनकी सहायक/साझेदार कंपनियों के बीच कितनी धनराशि का लेन-देन होता है;

(ग) भारत स्थित कंपनियों द्वारा कर दायित्व से बचने के लिए क्या तरीका अपनाया जाता है;

(घ) क्या सरकार का विचार लेन-देन की संख्या तथा मात्रा की जांच करने तथा उनके कर दायित्वों का निर्धारण और संग्रहण हेतु प्रभावी कदम उठाने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) 31 जनवरी, 2005 की स्थिति के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत से बाहर निगमित 601 कंपनियों को भारत में शाखा कार्यालय खोलने तथा भारत से बाहर निगमित 5794 कंपनियों को भारत में सम्पर्क कार्यालय खोलने की अनुमति दी है।

(ख) डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली में अपेक्षित सूचना सृजित नहीं की जाती है। तथापि, 2003-04 से 2005-06 तक की अवधि के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्प्रवाह 53,868 करोड़ रुपये है।

(ग) भारत में स्थित कम्पनियों के द्वारा कर देयताओं से बचने के लिए प्रयुक्त साधन, यदि कोई हो, कारोबार की प्रकृति एवं संव्यवहार के प्रकार पर निर्भर हो सकता है एवं यह प्रत्येक मामले में भिन्न हो सकता है। कुछ कम्पनियां कर से बचने के लिए या तो विदेश स्थित समूह कम्पनियों को माल/सेवाओं की बिक्री के लिए उनके द्वारा प्रभारित मूल्य को रोक सकती हैं अथवा विदेश स्थित समूह कम्पनियों को माल/सेवाओं के क्रय के लिए बढ़ी हुई कीमत अदा कर सकती हैं।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने कर निर्धारण वर्ष 2002-03 से वित्त अधिनियम 2001 के द्वारा अन्तरण मूल्य निर्धारण

विधान का अधिनियमन किया है। अंतरण मूल्य निर्धारण से संबंधित उपबंध आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-X की धारा 92 से 92 च में सन्निहित हैं। इन उपबंधों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय लेन देनों से होने वाली आय की संगणना निकटतम मूल्य को ध्यान में रख कर की जाती है। निकटतम मूल्य वह मूल्य है, जो अनियंत्रित स्थितियों में संबद्ध उद्यम से भिन्न व्यक्तियों के मध्य लेन देन पर लागू होता है अथवा लागू किए जाने के लिए प्रस्तावित होता है यदि यह पाया जाता है कि किसी कर निर्धारिती ने ऐसा मूल्य अपनाया है जो निकटतम मूल्य नहीं है, आयकर अधिनियम, 1961 के अध्याय-X के अन्तर्गत अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा अन्तरण मूल्य में समुचित समायोजन किए जाते हैं। कर निर्धारण अधिकारी अन्तरण मूल्य निर्धारण अधिकारी द्वारा इस तरह से किए गए समायोजनों को ध्यान में रखते हुए कर निर्धारिती की कर देयता को निर्धारित करता है एवं अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कर मांग की वसूली करता है। अन्तरण मूल्य निर्धारण लेखा परीक्षा के प्रथम वर्ष के दौरान, अन्तरण मूल्य निर्धारण के कुल 999 मामलों पर निर्णय लिया गया था एवं 1212.96 करोड़ रुपये का कुल अन्तरण मूल्य निर्धारण समायोजन किया गया था।

(च) उपर्युक्त पैरा (घ) एवं (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उपयोग प्रमाणपत्रों के बिना राज्यों को अनुदान

***445. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों द्वारा अनुदान की और किस्तें प्राप्त करने के लिए सभी ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित प्रगति रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान कुछ राज्यों से प्रगति रिपोर्ट/उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए जाने के बावजूद कई ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत निधियों की और किस्तें उपलब्ध कराई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त जांच के क्या परिणाम निकले; और

(च) इस संबंध में आगे क्या कार्रवाई की गई है/की जानी है?

ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह): (क) से (ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय गरीबी उन्मूलन, क्षेत्र विकास, ग्रामीण सड़क संपर्क और देश की ग्रामीण आबादी के लिए अन्य बुनियादी सुविधाओं हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करता है। कार्यक्रम दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रस्तावों के लिए अनुरोध किए बिना पहली किस्त स्वतः रिलीज कर दी जाती हैं बशर्ते कार्यान्वयन एजेंसी ने विगत वर्ष में बिना किसी शर्त के दूसरी किस्त प्राप्त कर ली हो। निधियों की रिलीज के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय दूसरी किस्त अथवा अन्य किस्त के मामले में राज्य सरकारों को प्रत्येक कार्यक्रम के कार्यान्वयन की वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिपोर्टें तथा निधियों के उपयोग का प्रमाण-पत्र भेजना होता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 2004-05 तथा 2005-06 में प्रगति रिपोर्ट/उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी योजना के अंतर्गत निधियों की अगली किस्ते रिलीज नहीं की हैं। तथापि, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 2004-05 के दौरान उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सुनामी से प्रभावित जिलों और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां रिलीज की गई थीं। अगले वर्ष, विगत वर्षों की सारी शर्तें पूरी कर दी गई थीं।

जब वर्ष 2004-05 में आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य तथा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित थे तब पहले रिलीज की गई निधियों के 60 प्रतिशत की बजाय 40 प्रतिशत धनराशि का उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के बाद उन्हें इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत दूसरी किस्त अग्रिम रूप में रिलीज कर दी गई थी तथा वर्ष 2005-06 में सामान्य प्रक्रिया अपनाई गई थी।

संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत बिहार की जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को निधियां उपयोग प्रमाण-पत्र तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद रिलीज की गई थी, लेकिन दूसरी किस्त, वर्ष 2004-05 में राज्य में व्याप्त सूखा तथा बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सशर्त रिलीज की गई थी। वर्ष 2005-06 में बिहार की सभी जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों से उपयोग प्रमाण-पत्र तथा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की गई थी तथा दूसरी किस्त पुनः वर्ष के

दौरान उपलब्ध कुल निधियों के 60 प्रतिशत तक के हिस्से के व्यय प्रमाणन के बाद सशर्त रिलीज की गई थी। वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 में दूसरी किस्त की रिलीज के समय लगाई गई शर्तों को राज्य सरकारों द्वारा वर्ष 2006-07 में पूरा किया जाना है।

इसके अलावा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश तथा असम राज्यों के कुछ विशिष्ट जिलों को एस.जी.आर.वाई. के अंतर्गत मैचिंग राज्य अंश में कमी संबंधी शर्तों को शिथिल करके किस्तें सशर्त रिलीज की गई थीं। इसीलिए, एस.जी.एस.वाई. तथा आई.ए.वाई. के मामले में भी असम राज्य के लिए शर्तों में शिथिलता दी गई थी। वर्ष 2005-06 में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अत्यधिक मात्रा में अथशेष को आगे ले जाने के मामले में बिहार, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर तथा उत्तर प्रदेश के चुनिंदा जिलों को भी शर्तों में शिथिलता दी गई थी।

(घ) से (च) मंत्रालय ने कोई जांच नहीं की है क्योंकि वर्ष 2004-05 और 2005-06 में प्रगति रिपोर्ट तथा उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना किसी भी राज्य को कोई निधि रिलीज/मंजूर नहीं की गई थी।

[हिन्दी]

सरदार स्वर्ण सिंह संस्थान

3477. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कपूरथला एवं जालंधर मार्ग में सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत संस्थान (एन.सी.ई.एस.) का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) संस्थान के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए लक्षित तिथि क्या है और अब तक कितना प्रतिशत कार्य पूरा किया गया है और इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(घ) इसे शीघ्र पूरा करने एवं कार्यशील बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) से (ग) सरदार स्वर्ण सिंह राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा संस्थान (एस.एस.एस.-एन.आई.आर.ई.), वडाला कलां, जिला कपूरथला, पंजाब में निर्माण कार्य प्रगति पर है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.), जालंधर ने अगस्त, 2006 में सूचित किया कि आवंटित कार्य का 71 प्रतिशत भाग पूरा कर लिया गया है और 12.11 करोड़ रुपये की कुल राशि का उपयोग किया गया।

(घ) सरकार ने वर्ष 2006-07 में एस.एस.एस.-एन.आई.आर.ई. हेतु 6.00 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान उपलब्ध कराने, पूंजीगत कार्यों के लिए स्वीकृत मूल परिव्यय, जिसका पूरा उपयोग कर लिया गया है, को बढ़ाने और कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए सी.पी.डब्ल्यू.डी. को राजी करने हेतु कदम उठाए हैं।

[अनुवाद]

जैव संवर्धित खाद्य फसलें

3478. श्री एल. राजगोपाल: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन जैव संवर्धित खाद्य फसलों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में नियंत्रित फील्ड ट्रायल किए जा रहे हैं और देश में उक्त खाद्य फसलों को विकसित करने वाली संस्थाओं का ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या बड़े पैमाने पर फील्ड ट्रायल की अनुमति प्राप्त करने हेतु किसी कंपनी ने किसी खाद्य फसल से संबंधित जैव-सुरक्षा संबंधी आंकड़ों को जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया है;

(ग) क्या देश के कुछ कृषि विश्वविद्यालय यथा टी.एन. एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, धारवाड़ एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ वेजीटेबल रीसर्च, वाराणसी भी जैव संवर्धित किस्मों पर कार्य कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्रयोगों/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और इसमें कितनी प्रगति हुई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) नीचे दिए गए विवरण वर्ष, 2005 के दौरान नियंत्रित फील्ड परीक्षणों से गुजर चुके जीन संशोधित खाद्य फसलों और इन खाद्य फसलों के विकास करने वाले संस्थानों के हैं।

क्र.सं.	फसल	संस्थान/उद्योग
1.	बैंगन	मेसर्ज महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कम्पनी लि., मुम्बई मेसर्ज सनग्रो सीड्स लि., नई दिल्ली भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए. आर.आई.), नई दिल्ली
2.	बंद गोभी	मेसर्ज सनग्रो सीड्स लि., नई दिल्ली
3.	फूलगोभी	मेसर्ज सनग्रो सीड्स लि., नई दिल्ली
4.	मकई	मेसर्ज मोनसेंटो इंडिया लि., मुम्बई
5.	मूंगफली	इन्टरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रापिक्स (आई.सी.आर.आई. एस.ए.टी.), पतनचेरू
6.	सरसों	दिल्ली विश्वविद्यालय, साऊथ कैम्पस, नई दिल्ली
7.	ओकरा	मेसर्ज महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कम्पनी लि., मुम्बई
8.	अरहर	इन्टरनेशनल क्राप्स रिसर्च इंस्टिट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रापिक्स (आई.सी.आर.आई. एस.ए.टी.), पतनचेरू
9.	चावल	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए. आर.आई.), नई दिल्ली मेसर्ज महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कम्पनी लि., मुम्बई मेसर्ज मेटाहेलिक्स लाइफ साइंसिज, बंगलौर
10.	टमाटर	भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आई.ए. आर.आई.), नई दिल्ली मेसर्ज महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कम्पनी लि., मुम्बई

(ख) मेसर्ज महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कम्पनी लि., मुम्बई ने क्राई-1 ए.सी. जीन का निष्पीडन करने वाले बी.टी. बैंगन संबंधी जैवसुरक्षा आंकड़े बड़े पैमाने पर फील्ड परीक्षण चलाने हेतु अनुमति के लिए आनुवंशिक इंजीनियरी अनुमोदन समिति (जी.ई.ए.सी.) को प्रस्तुत कर दिया है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय (टी.एन.ए.यू.) पराजीनी चावल तथा बी.टी. बैंगन पर कार्य कर रहे हैं; कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ और भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, वाराणसी बी.टी. बैंगन पर कार्य कर रहे हैं। टी.एन.ए.यू., काइटिनेस जीन का निष्पीड़न करने वाली पराजीनी चावल लाइनों पर खरीफ 2006 के दौरान फील्ड परीक्षण चला रहा है। इन संस्थानों में बी.टी. बैंगन संबंधी विकासात्मक कार्य संकर कार्यक्रम के माध्यम से अपनी लोकप्रिय किस्मों में बी.टी. जीन (क्राई-1 ए.सी. जीन) को अंतरित करने के प्रारंभिक स्तरों पर है।

ओपेक कोष

3479. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु ओपेक कोष से विकासशील देशों को विकास परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों हेतु ऋण के रूप में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2006 तक ओपेक से प्राप्त ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस ऋण/सहायता के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में किन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है; और

(घ) आज की तिथि तक वास्तविक रूप से ऋण की कितनी धनराशि का उपयोग किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 2006 तक "अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु ओपेक निधि" द्वारा भारत को 15 परियोजनाओं के लिए 218.892 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण राशि दी जा चुकी है।

(ग) इस समय "अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु ओपेक निधि" से प्राप्त ऋण से मात्र एक ही परियोजना कार्यान्वित की जा रही है। "सिपेट विस्तार परियोजना" नाम से यह केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजना है जो रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह किसी राज्य विशेष से संबंधित नहीं है।

(घ) आज तक 206.592 मिलियन अमरीकी डालर खर्च किए जा चुके हैं।

[हिन्दी]

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

3480. श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भू-माफिया ने सभी नियमों का घोर उल्लंघन करते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण की भूमि पर अवैध कब्जा कर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 एवं दिल्ली के अन्य भागों में निर्माण कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर दिल्ली विकास प्राधिकरण की वैध/अवैध कितनी भूमि अवैध कब्जे में हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने की कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसको कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

शेयर दलालों पर आयकर अधिकारियों का छापा

3481. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में दिल्ली, कोलकाता एवं अन्य शहरों में आयकर अधिकारियों ने शेयर बाजार के दलालों के आवासों एवं उनके कार्यालयों पर छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त छापों के दौरान जब्त किए गए अपराधसूचक दस्तावेजों इत्यादि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई गिरफ्तारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वित्त वर्ष 2005-06 की शुरुआत से आयकर विभाग ने अहमदाबाद स्थित कतिपय शेयर बाजार के दलालों के आवासों एवं कार्यालयों पर तलाशी एवं जब्ती कार्रवाइयां की हैं।

(ख) तलाशी कार्रवाई के दौरान जब्त किए गए दस्तावेजों में कम्प्यूटर प्रिन्ट आउट, रजिस्टर, खाता बहियां आदि निहित हैं जिनमें लाभ तथा कर अपवंचन के गोपन को दर्शाया गया है।

(ग) आयकर विभाग द्वारा इन तलाशियों के संबंध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मोटलों का निर्माण

3482. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में मोटलों के निर्माण की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.) एवं ऊंचाई से संबंधित किन शर्तों/आवश्यकताओं को पूरा किया जाना होता है;

(ग) क्या सरकार ने किसी मामले में मानदंडों में छूट दी है अथवा छूट देने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली मास्टर प्लान 2001 के अनुसार न्यूनतम 20 मीटर (मार्गाधिकार) चौड़ाई वाले राष्ट्रीय राजमार्गों और अन्तर्राज्य सड़कों पर ग्रामीण जोन/हरित बेल्ट और वाणिज्यिक जोनों में मोटल अनुमत्य हैं। मोटलों के लिए न्यूनतम प्लाट आकार एक हेक्टेयर है। पहले दो हेक्टेयर के लिए अनुमत्य फर्शी क्षेत्रफल अनुपात 15 और शेष भूमि के लिए 5 है बशर्ते समग्र फर्शी क्षेत्रफल 4500 वर्ग मी. हो। निर्मित ढांचे की ऊंचाई नौ मीटर तक सीमित है और वातानुकूलन संयंत्र, फिल्ट्रेसन संयंत्र, विद्युत उप स्टेशन, पार्किंग तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए ग्राउंड कवरेज के बराबर का बेसमेन्ट अनुमत्य है जो फर्शी क्षेत्रफल अनुपात से मुक्त होगा।

(ग) और (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

फ्लैटों को गिराना

3483. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि बिल्डरों द्वारा दो मंजिल से ऊंचे निर्मित फ्लैट गैर-कानूनी है और इनको गिराए जाने की आवश्यकता है;

(ख) क्या दिल्ली के कई भागों में बिल्डरों द्वारा दो मंजिल से ऊंचे फ्लैटों का निर्माण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो गिराए गए फ्लैटों की संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली नगर निगम ने बिल्डरों से वर्ष 2000 के बाद किए गए निर्माण का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा है और यदि हां, तो क्या बिल्डरों ने सूचना प्रस्तुत की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन बिल्डरों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) दिल्ली नगर निगम (एम.सी.डी.) ने यह सूचित किया है कि कल्याण संस्था वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में सिविल रिट याचिका सं. 4582/2003 में माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली नगर निगम को सभी भवनों, चाहे यह रिहायशी हो अथवा व्यवसायिक, के विरुद्ध गिराने की कार्रवाई सहित कार्रवाई करने का निदेश दिया है ताकि उन्हें स्वीकृत नक्शों के पैरामीटर के भीतर तथा उसके स्वीकार्य उपयोग के अनुरूप लाया जा सके।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि दिल्ली के विभिन्न भागों में अनधिकृत निर्माणों का पता लगा लिया गया है तथा 1450 सम्पत्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है, जिसमें निर्माणों को गिराना और सम्पत्तियों को सील करने की कार्रवाई शामिल है।

(घ) और (ङ) दिल्ली नगर निगम ने आगे यह भी सूचित किया है कि दिल्ली के समग्र भवन निर्माताओं को एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी जिसमें दिल्ली में उन भवनों का पूर्ण ब्यौरा देने के लिए कहा गया था, जिनका उन्होंने 3'-12-2000 के बाद निर्माण किया है। भवन निर्माताओं से ऐसा कोई ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है। सार्वजनिक सूचना में दिल्ली नगर निगम ने भवन स्वामियों से उन व्यक्तियों का नाम बताने का भी अनुरोध किया है जिनके साथ उन्होंने सहयोग करार दिया था।

न्यायिक सेवा का सृजन

3484. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय सिविल सेवा की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सेवा सृजित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) भारत के विधि आयोग की सिफारिशों, आल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले (रिट याचिका संख्या 1022/89) में उच्चतम न्यायालय के निदेशों और प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन का विषय सरकार के समीक्षाधीन है। चूंकि एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों का सहयोग अपेक्षित होगा, इसलिए राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों से विचार और टिप्पणियां मांगी गई हैं।

इसके अतिरिक्त, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के लिए राज [illegible] में एक संकल्प पारित किया जाना अपेक्षित होगा, जिसे उपस्थित और मतदान करने वाले दो तिहाई से अन्यून सदस्यों द्वारा पारित किया जाएगा तथा जिसके पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अधीन संसद द्वारा एक समुचित अधिनियमन भी करना अपेक्षित होगा। राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण पुनर्विलोकन आयोग ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के सृजन के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की है। सरकार ने अभी तक राष्ट्रीय स्तर पर न्यायिक सेवा के सृजन के लिए कोई विनिश्चय नहीं किया है।

दिल्ली मेट्रो

3485. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या शहर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी.एम.आर.सी.) को देश के भीतर एवं दूसरे देशों से दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर मेट्रो का विकास करने हेतु परामर्श देने संबंधी प्रस्ताव बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं द्वारा प्रभारित शुल्कों की तुलना में प्रस्तावित प्रभार बहुत ही कम है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परामर्श संबंधी प्रभारों से कितना राजस्व अर्जित होने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली मेट्रो रेल कार्पोरेशन लि. (डी.एम.आर.सी.) को मुम्बई, अहमदाबाद, कोलकाता, बंगलौर, हैदराबाद, कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, नोयडा, गुड़गांव, फरीदाबाद और पुणे शहरों में मेट्रो प्रणालियों की स्थापना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। श्रीलंका तथा सीरिया की सरकारों से भी क्रमशः उनकी राजधानियों कोलम्बो और दमासकस के लिए मेट्रो प्रणालियों हेतु व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) डी.एम.आर.सी. ने बताया है कि वे दिल्ली मेट्रो परियोजना के निष्पादन के दौरान मिले अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर उनके शहरों में ऐसी प्रणालियों की स्थापना की योजना बनाने की इच्छुक राज्य सरकारों को मुख्य रूप से सहायता तथा निर्देश देने के लिए परामर्शी सेवाएं दे रहे हैं। चूंकि परामर्शी सेवाओं का उद्देश्य पूर्णतः व्यवसायिक नहीं है इसलिए प्रस्तावित शुल्क अन्य अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की तुलना में काफी कम है।

(घ) फील्ड सर्वेक्षण/निरीक्षण/अध्ययनों इत्यादि से संबंधित सभी व्यय को पूरा करने के बाद परामर्शी सेवा से डी.एम.आर.सी. लि. को मिला सकल राजस्व निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये)

2002-03	0.90
2003-04	2.08
2004-05	2.18
2005-06	4.68

संपार्श्विक प्रतिभूति संबंधी दिशानिर्देश

3486. डा. रतन सिंह अजनाला: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक का सिटी क्रेडिट सेन्टर (दिल्ली) छोटे एवं मझोले उद्यमों हेतु ऋण संबंधी आवेदनों पर नगरपालिका सीमा के भीतर अवस्थित संपार्श्विक प्रतिभूति की मांग करता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय स्टेट बैंक का छोटे एवं मझौले उद्यम (एस.एम.ई.) सिटी क्रेडिट सेन्टर (दिल्ली) नगरपालिका सीमा में स्थित संपार्श्विक प्रतिभूति के लिए आग्रह नहीं कर रहा है। यह नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित संपार्श्विक प्रतिभूति को भी स्वीकार करता है। बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, नगरपालिका/शहरी समूह के बाहर स्थित संपार्श्विक के रूप में प्रस्तावित संपत्तियों पर विचार किया जा सकता है बशर्ते ग्राहक कानूनी राय की लागत ऐसी प्रतिभूतियों के मूल्यांकन सहित ऐसी संपत्ति के निरीक्षण की लागत वहन करने में सहमत हो।

नगरपालिका संबंधी समिति

3487. श्री गिरिधर गमांग: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं अनुसूची के क्षेत्रों में नगरपालिका के विस्तार संबंधी समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका का विस्तार करने हेतु विधेयक लाने में हुए विलंब के क्या कारण हैं जैसा कि इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 243 में परिकल्पना की गई है; और

(ग) समिति की रिपोर्ट को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) समिति की विभिन्न सिफारिशों के संबंध में अन्य मंत्रालयों/विभागों से परामर्श लेना अपेक्षित है जिसमें समय लगेगा। मामले पर ध्यान दिया जा रहा है ताकि यथाशीघ्र एक तर्कसंगत निर्णय लिया जा सके।

भारी वर्षा

3488. श्री जसुभाई धानाभाई बारड: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू मानसून के दौरान जुलाई, 2006 के अंत तक देश में राज्य-वार कुल कितनी वर्षा दर्ज की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार अथवा गुजरात राज्य की सरकार

ने राज्य में भारी वर्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन को कोई चेतावनी जारी की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) मानसून ऋतु के दौरान 31 जुलाई, 2006 तक राज्यवार वर्षा का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वास्तविक (मि.मी.)	सामान्य (मि.मी.)	% प्रत्यांतर	श्रेणी
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (सं.शा.क्षे.)	593.2	1022.0	-42%	डी
2.	अरुणाचल प्रदेश	760.1	1166.5	-35%	डी
3.	असम	721.0	917.6	-21%	डी
4.	मेघालय	1386.9	3817.9	-64%	एस
5.	नागालैंड	402.1	789.0	-49%	डी
6.	मणिपुर	369.4	548.9	-33%	डी
7.	मिजोरम	974.9	803.2	21%	ई
8.	त्रिपुरा	1034.8	953.0	9%	एन
9.	सिक्किम	1115.9	1233.4	-10%	एन
10.	पश्चिम बंगाल	778.3	719.8	8%	एन
11.	उड़ीसा	673.8	565.9	19%	एन
12.	बिहार	471.0	533.6	-12%	एन
13.	झारखंड	599.5	539.9	11%	एन
14.	उत्तर प्रदेश	411.0	387.1	6%	एन
15.	उत्तरांचल	521.1	606.1	-14%	एन
16.	हरियाणा	195.7	212.7	-8%	एन
17.	चंडीगढ़ (सं.शा.क्षे.)	307.1	408.8	-25%	डी
18.	दिल्ली	289.4	297.7	-3%	एन
19.	पंजाब	230.9	232.9	-1%	एन
20.	हिमाचल प्रदेश	303.3	389.5	-22%	डी
21.	जम्मू-कश्मीर	263.8	257.4	2%	एन

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	175.6	200.1	-12%	एन
23.	मध्य प्रदेश	425.7	461.2	-8%	एन
24.	छत्तीसगढ़	475.1	588.5	-19%	एन
25.	गुजरात	546.2	366.8	49%	ई
26.	दादर नागर हवेली और दमन (सं.शा.क्षे.)	1449.1	1220.0	19%	एन
27.	दीव (सं.शा.क्षे.)	00	389.3	-100%	एनआर
28.	गोवा	1710.6	1957.4	-13%	एन
29.	महाराष्ट्र	611.0	551.8	11%	एन
30.	आंध्र प्रदेश	239.5	292.7	-18%	एन
31.	तमिलनाडु	85.8	125.3	-32%	डी
32.	पांडिचेरी (सं.शा.क्षे.)	126.4	118.4	7%	एन
33.	कर्नाटक	551.5	495.6	11%	एन
34.	केरल	1529.6	1523.3	0%	एन
35.	लक्षद्वीप (सं.शा.क्षे.)	779.9	682.6	14%	एन
	समस्त देश	454.1	472.4	-4%	

डी = कम (-20% से -59%)

एन = सामान्य (+19% से -19%)

ई = अधिक (+20% अथवा अधिक)

एस = बहुत कम (-60% से -99%)

एनआर = बिल्कुल वर्षा नहीं

31 जुलाई 2006 तक मानसून ऋतु में पूरे देश में हुई वर्षा वास्तविक : 454.1 मि.मी., सामान्य : 472.4 मि.मी., प्रत्यांतर - 4%

(ख) और (ग) जी, हां। हाल की भारी वर्षा के दौरान गुजरात सरकार के मुख्य सचिव को जारी की गई चेतावनियों का विवरण इस प्रकार है:

तिथि	चेतावनी
2-7-2006	तेज वर्षा जारी रहेगी और अगले 3-4 दिनों में दक्षिण गुजरात के एक अथवा दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा (≥25 से.मी.) होने की संभावना है।
3-7-2006	तेज वर्षा जारी रहेगी साथ ही अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण गुजरात में, एक या दो स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।
4-7-2006	आगामी 2-3 दिनों के दौरान गुजरात राज्य में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है।

तिथि	चेतावनी
5-7-2006	अगले 48 घंटों के दौरान गुजरात राज्य में कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा और कुछेक स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा (≥25 से.मी.) हो सकती है।
5-8-2006	अगले 2-3 दिनों के दौरान गुजरात क्षेत्र में व्यापक वर्षा तथा कुछेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।
18-8-2006	अगले 24 घंटों के दौरान उत्तरी गुजरात क्षेत्र में व्यापक वर्षा तथा कुछेक स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है।

आयकर प्रतिदाय को जमा करना

3489. श्री मिलिन्द देवरा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर विभाग आयकर प्रतिदाय को निर्धारिती के बैंक खाते में सीधे जमा करने की योजनाओं पर कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रणाली किस वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगी;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया गया है;

(घ) निर्धारितियों के प्रतिदाय के संबंध में पहले क्या प्रक्रिया रही है;

(ङ) क्या किसी बैंक का चयन किया गया है जिसकी सेवाओं का उपयोग इस प्रयोजनार्थ किया जाएगा;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) "इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग प्रणाली" (ई.सी.एस.) नामक प्रणाली वित्त वर्ष 2004-05 से ही भारत के बारह शहरों में क्रियाशील है। चरणबद्ध ढंग से चौबीस और शहरों में भी यह प्रणाली शुरू करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) आयकर प्राधिकारियों के हस्ताक्षर से कागजी चेक जारी करना प्रतिदाय जारी करने की पूर्व प्रथा रही है। तथापि, फिलहाल ई.सी.एस. एवं कागजी चेक दोनों ही विधियों से प्रतिदाय जारी किए जा रहे हैं।

(ङ) से (छ) जिन बारह शहरों में फिलहाल ई.सी.एस. क्रियाशील है वहां इलेक्ट्रॉनिक प्रतिदायों के लिए क्लियरिंग-हाउस के रूप में कार्य करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक की सेवाएं ली गई है। देश के शेष शहरों में भारतीय स्टेट बैंक जो प्रतिदाय के कागजी चैकों के लिए क्लियरिंग बैंक के रूप में पहले से कार्य कर रहा है, आयकर विभाग की ओर से ई.सी.एस. मध्यवर्ती के रूप में कार्य करेगा।

[हिन्दी]

मूल्य सूचकांक

3490. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई प्रकार के मूल्य सूचकांक कार्यरत हैं और इनको तैयार करने की प्रणाली में भी अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इससे संबंधित तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी मूल्य सूचकांकों को वर्ष 2001 पर निर्धारित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां। ऐसे पांच मूल्य सूचकांक हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संकलित किया जाता है। ये हैं- 1. थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू.पी.आई.), 2. औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.), 3. कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.-ए.एल.), 4. ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.-आर.एल.) और 5. शारीरिक श्रम न करने वाले शहरी कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सी.पी.आई.-यू.एन.एम.ई.)।

(ख) से (घ) मूल्य सूचकांकों का ब्यौरा नीचे सारणी में दिया गया है:

सारणी: सूचकांकों की विशेषताएं

विशेषताएं	डब्ल्यू.पी.आई.	सी.पी.आई.-आई.डब्ल्यू.	सी.पी.आई.-ए.एल.	सी.पी.आई.-आर.एल.	सी.पी.आई.-यू.एन.एम.ई.
लक्षित जनसंख्या		औद्योगिक कामगार	कृषि श्रमिक	ग्रामीण श्रमिक	शारीरिक श्रम न करने वाले शहरी कर्मचारी
आधार वर्ष	1993-94	2001	1986-87	1986-87	1984-85
सूचकांक इनके लिए जारी किया गया	अखिल भारत	78 केन्द्र और अखिल भारत	20 राज्य और अखिल भारत	20 राज्य और अखिल भारत	59 शहरी केन्द्र और अखिल भारत
जारी करने की आवृत्ति	साप्ताहिक	मासिक	मासिक	मासिक	मासिक

उत्पाद शुल्क

3491. श्री गणेश सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

गत तीन वर्षों के दौरान देश में कार्यरत बहुराष्ट्रीय निगमों से उत्पाद शुल्क के रूप में सरकार द्वारा कितना राजस्व अर्जित किया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

[अनुवाद]

टाइडल इनर्जी पार्क की स्थापना

3492. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु में टाइडल इनर्जी पार्क की स्थापना करने की मांग काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन पार्कों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के पास तमिलनाडु में ज्वारीय ऊर्जा पार्क की स्थापना करने की कोई मांग लंबित नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

विज्ञान परामर्शदात्री परिषद

3493. श्री के.सी. सिंह 'बाबा': क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधान मंत्री से संबद्ध विज्ञान परामर्शदात्री परिषद ने बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के गिरते स्तर के बारे में सचेत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बुनियादी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) जी, हां। प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद ने देश में विज्ञान की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान आकृष्ट किया गया है जिनमें विज्ञान शिक्षा में समर्पित युवा व्यक्तियों की कमजोर भागीदारी, अन्तर्राष्ट्रीय शैक्षिक स्तर पर भारतीय विज्ञान के योगदान में गिरावट की प्रवृत्ति; राज्य एवं केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विज्ञान में हमारे निवेश का स्तर; उत्कृष्टता के संस्थानों की संख्या में वृद्धि न

होना, वैज्ञानिक एवं उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में कार्य की स्वतंत्रता का अभाव शामिल है।

विज्ञान की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए सरकार द्वारा पहले ही महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं: तीन नए भारतीय विज्ञान शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थानों (आई.आई.एस.ई.आर.) की स्थापना; विश्वविद्यालय क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान और उच्चतर शिक्षण के नवीकरण के लिए निधियां; उत्कृष्टता के नए शोध केन्द्रों की स्थापना; शैक्षिक संस्थानों एवं शोध प्रयोगशालाओं में अनुसंधान तथा विकास अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण; युवा एवं सक्रिय वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए अध्येतावृत्तियों की संस्थापना, महिला वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विशिष्ट कार्यक्रम। सरकार छात्रों द्वारा विज्ञान को एक कैरियर के रूप में अपनाने हेतु कई नए अवसर उपलब्ध कराने पर भी विचार कर रही है।

पुनर्वास कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं

3494. श्री हितेन बर्मन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण काफी समय बीतने के बाद भी दिल्ली की पुनर्वास कालोनियों में विद्युत, जल एवं सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उन पुनर्वास कालोनियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन सुविधाओं को कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1988 में दिल्ली नगर निगम को 44 पुनर्वास कालोनियां स्थानान्तरित की गई थी। दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि वह इन कालोनियों में सुविधाएं बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। जहां तक डी.डी.ए. के रखरखाव वाली पुनर्वास कालोनियों का संबंध है, डी.डी.ए. ने यह बताया है कि सेक्टर-26, रोहिणी, फेज-IV में बिजली को छोड़कर इन कालोनियों में पर्याप्त बुनियादी सुविधाएं यथा बिजली, पानी तथा सड़कें मुहैया करा दी गई है। इस पुनर्वास कालोनी में बिजली मुहैया कराने का कार्य भी नार्थ दिल्ली पावर लिमिटेड (एन.डी.पी.एल.) द्वारा आरंभ कर दिया गया है।

कोयला तथा गैस की कमी

3495. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने के तरीकों का पता लगाने के लिए ऊर्जा समन्वय समिति की कोई बैठक की गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में विद्युत उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस की 38 प्रतिशत तथा कोयले की 7 प्रतिशत कमी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में कोयले तथा गैस की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन की जरूरत और इसकी बढ़ती कमी ऊर्जा समन्वय समिति का ध्यान आकृष्ट कर रही है।

(ख) और (ग) वर्ष 2006-07 (जून 2006 तक) के दौरान प्रति दिन 53.52 मिलियन मीट्रिक स्टैण्डर्ड क्यूबिक मीटर गैस (90 प्रतिशत संयंत्र भार घटक) की जरूरत के मुकाबले वास्तविक आपूर्ति 36.7 एम.एम.एस.सी.एम.पी.डी. रही है और इस प्रकार 31.4 प्रतिशत का अंतराल रहा है।

वर्ष 2006-07 के दौरान थर्मल विद्युत स्टेशनों को कोयला आपूर्ति की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही की समाप्ति पर थर्मल पावर स्टेशनों में अंतिम स्टॉक 17.3 मिलियन टन था, जबकि 2005-2006 की पहली तिमाही की समाप्ति में यह 9.7 मिलियन टन था। 2005-06 की पहली तिमाही की समाप्ति में 7 दिनों से कम स्टाक वाले महत्वपूर्ण विद्युत स्टेशनों की सं. 17 से घटकर वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही की समाप्ति में 2 हो गई है।

(घ) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत देश के विभिन्न तलछटी बेसिनों में अन्वेषण एवं उत्पादन कार्यकलापों के लिए गैस ब्लॉक आबंटन के जरिए घरेलू स्रोतों से और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात से गैस की उपलब्धता बढ़ाने के उपाय किए गए हैं।

वर्ष 2006-07 के दौरान मांग एवं आपूर्ति के बीच के अंतराल को पाटने के लिए 20 मिलियन टन कोयले के

आयात का निर्णय लिया गया है। दीर्घावधि उपाय के रूप में कोल इंडिया उत्पादन बढ़ा रहा है और कोयला मंत्रालय द्वारा विद्युत उत्पादकों/यूटिलिटियों को कैप्टिव खनन हेतु नए कोयला ब्लॉक आबंटित किए जा रहे हैं ताकि विद्युत संयंत्रों की जरूरत को पूरा किया जा सके।

बसों का बीमा

3496. श्री राम कृपाल यादव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेष रूप से बिहार में बीमा कंपनियों ने बसों का बीमा करना बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में बीमा कंपनियों द्वारा क्या दिशानिर्देश/अनुदेश जारी किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट

3497. श्री रनेन बर्मन: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पर्यावरणीय प्रदूषण कम करने तथा अतिरिक्त ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए देश के शहरी क्षेत्रों में "म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट एनर्जी प्रोजेक्ट्स" की स्थापना हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं के लिए राज्य-वार कितना वित्तीय आबंटन किया गया है;

(ग) क्या इस प्रयोजनार्थ निर्धारित लक्ष्य को हासिल कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस योजना के माध्यम से वार्षिक रूप से कितनी ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर एक त्वरित कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम में प्रति परियोजना 8.00 करोड़ रुपये की ऊपरी सीमा के साथ प्रति मेवा. 1.50 करोड़ रुपये से 3.00 करोड़ रुपये के बीच पूंजीगत सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता का प्रावधान है। सब्सिडी की राशि अपशिष्ट के प्रकार और प्रयोग में लाई गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करती है और पात्रता तथा अन्य निबंधन एवं शर्तों के अध्यधीन है। नगर निगमों/शहरी स्थानीय निकायों और राज्य नोडल एजेंसियों से शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति हेतु परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, सूचना के प्रसार और जागरूकता के सृजन हेतु अनेक कार्यशालाओं तथा सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है।

(ख) वर्ष 2006-07 के लिए शहरी अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति पर कार्यक्रम हेतु 11.00 करोड़ रुपये का वित्तीय आवंटन किया गया है। निधियों का कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना में शहरी और औद्योगिक अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्ति के लिए 80 मेगावाट के लक्ष्य की तुलना में इस योजना अवधि के दौरान अब तक 33 मेगावाट से अधिक समग्र क्षमता वाली 16 परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान म्युनिसिपल ठोस अवशिष्ट पर आधारित कमीशन की गई दो परियोजनाओं से लगभग 54 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन हुआ।

महानगरों में "सरस मेले"

3498. श्री मोहन रावले: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्र सरकार को पुणे, औरंगाबाद तथा नागपुर महानगरों में "क्षेत्रीय सरस मेलों" का आयोजन करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, हां।

(ख) महाराष्ट्र सरकार से पुणे, औरंगाबाद तथा नागपुर में अतिरिक्त मेले आयोजित करने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। तथापि, सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय वार्षिक आधार पर प्रत्येक राज्य में एक 'सरस' मेला आयोजित करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता देता है।

स्वास्थ्य बीमा

3499. प्रो. एम. रामदास: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यान्वित स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) इन सभी योजनाओं के दायरे में कितने लोग हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित नई स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरे देश के लिए आदर्श मानने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूचित किया है कि दिनांक 31-03-2005 की स्थिति के अनुसार साधारण बीमा कंपनियों द्वारा संचालित कुल 31 स्वास्थ्य बीमा योजनाएं थीं। इसके अलावा यह भी सूचित किया गया है कि इन योजनाओं के अंतर्गत देश की जनसंख्या के लगभग 1 प्रतिशत को कवर किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

औद्योगिक निवेश आकर्षित करने हेतु उपाय

3500. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने देश के कतिपय क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश आकर्षित करने के लिए दोनों वित्तीय उपायों वाले प्रोत्साहनों का एक पैकेज देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्तमान में इन राज्यों को करों की छूट की कौन-कौन सी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं;

(ग) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार से विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के संबंध में आंध्र प्रदेश के पिछड़े जिलों में करों को छूट दिए जाने संबंधी रियायत देने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) आयकर अधिनियम में कुछ शर्तों के अध्यधीन पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल एवं जम्मू और कश्मीर में किसी भी मद अथवा वस्तु के विनिर्माण अथवा उत्पादन में रत उपक्रम के लिए 10 वर्षीय कर लाभ की व्यवस्था की गई है।

(ग) सरकार को वर्ष 2006 में आंध्र प्रदेश सरकार से ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

सावधि जमा में आयकर छूट

3501. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सावधि जमा योजना 2006 के अन्तर्गत बचतों पर आयकर में छूट दी जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2004-2005 तथा 2005-06 के दौरान ऐसी योजना के अभाव में विभिन्न बैंकों में जमा राशि में कितनी कमी आई; और

(घ) उक्त योजना द्वारा बैंक जमा राशि में कितनी बढ़ोतरी होगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) वित्त अधिनियम, 2006 द्वारा 80ग की उपधारा (2) में खंड (xxi) अंतः स्थापित किया गया है ताकि यह प्रावधान किया जा सके कि अनुसूचित बैंकों के साथ सावधि जमा में 1 लाख रुपये तक के सावधि निक्षेप कर लाभों के लिए पात्र होंगे। ये निक्षेप केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित का.आ.सं. 1220(अ) दिनांक 28-7-2006 के तहत बैंक सावधि जमा स्कीम, 2006 के अनुसार हैं।

(ग) ऐसी जमा राशि का आकलन करना संभव नहीं है जो जुटाई गई होती यदि यह स्कीम वर्ष 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान प्रचालित कर दी गई होती।

(घ) यह स्कीम दिनांक 28 जुलाई, 2006 को अधिसूचित की गई है। अतः ऐसे ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

एस.बी.आई. के सहयोगी बैंकों को स्वायत्तता

3502. श्री कैलाश जोशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) के सहयोगी बैंकों ने सरकार से उन्हें एक स्वतंत्र बैंक बनाए जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो विभाग को किन-किन बैंकों से तथा किन-किन तिथियों को अनुरोध प्राप्त हुए;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय ले लिया है/लिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकार को संबंधित बैंकों से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

एन.आई.आर.डी. द्वारा गांवों को गोद लेना

3503. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) ने आन्ध्र प्रदेश के किसी गांव को गोद लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त गांवों को गोद लिए जाने के बाद गुणात्मक तथा मात्रात्मक बदलावों की दृष्टि से एन.आई.आर.डी. का क्या योगदान है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

टान्डा ताप विद्युत परियोजना

3504. श्री शंखलाल माझी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टान्डा एन.टी.पी.सी. विद्युत परियोजना की राख तथा जल प्रदूषक समाहरिया, मकदुमपुर आदि निकटवर्ती गांवों की कृषि भूमि पर फैल गए हैं जिससे सैकड़ों एकड़ भूमि अनुपजाऊ हो गई है तथा ऐसे प्रदूषण के कारण लोगों को श्वास संबंधी रोगों का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन किसानों को कोई मुआवजा देने का है जिनकी जमीन बंजर हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ङ) क्या प्रत्येक किसान परिवार के कम से कम एक सदस्य को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) एन.टी.पी.सी. लिमिटेड की टांडा ताप विद्युत परियोजना के राख और जल अपशिष्टों के पास के गांवों में कृषि भूमि पर फैसने तथा क्षेत्र को प्रदूषित करने की कोई घटना नहीं हुई है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित एक समिति ने अपने अभिमतों में इस बात की पुष्टि की है कि टांडा ताप विद्युत परियोजना का एश पॉन्ड अपशिष्ट पक्की नाली के जरिए बहाया जाता है और इससे फसल या भूमि को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है। इसके विपरीत यहां की भूमि अत्यंत उपजाऊ है और प्रदूषण के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त है।

(ग) से (छ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[अनुवाद]

नीपको

3505. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीपको ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सर्वेक्षण के क्या परिणाम निकले?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की पारे जल विद्युत परियोजना (एच.ई.पी.) (110 मेगावाट), रंगानदी एच.ई.पी. चरण-II (130 मेगावाट) तालोंग एच.ई.पी. (160 मेगावाट), बदाओ एच.ई.पी. (60 मेगावाट) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) पहले ही तैयार कर ली गई हैं। इसके अलावा, अरुणाचल प्रदेश की डिबिन एच.ई.पी. (100 मेगावाट) कपकलियक एच.ई.पी. (160 मेगावाट) देम्वे एच.ई.पी. (3000 मेगावाट) तथा मेघालय में माबहू एच.ई.पी. (120 मेगावाट) डी.पी.आर. को 2007-2008 में पूरा किया जाना निर्धारित है। अरुणाचल प्रदेश में ही भरेली-I एच.ई.पी. (1120 मेगावाट), भरेली-II एच.ई.पी. (600 मेगावाट) तथा कामेंग बांध एच.ई.पी. (600 मेगावाट) के संबंध में डी.पी.आर. तैयार करने हेतु सर्वेक्षण एवं जांच कार्य स्वीकृति के अभाव में लंबित है। इसके अलावा नीपको मणिपुर की तिपाईमुख एच.ई.पी. (1500 मेगावाट) का डी.पी.आर. आंकड़ा अद्यतन बना रहा है।

छोटे निवेशकों का संरक्षण

3506. श्रीमती मिनाती सेन:

डा. अलकेष दास:

श्री हन्नान मोल्लाह:

श्री लक्ष्मण सेठ:

श्री प्रशान्त प्रधान:

क्या **कंपनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कंपनी लॉ बोर्ड को इस बात की जानकारी है कि वित्त कंपनियों सहित कई निजी कंपनियों ने लोगों, मुख्य रूप से छोटे निवेशकों से मियादी जमा लिए थे और वे इन की परिपक्वता के काफी समय बाद भी इन्हें वापस नहीं कर रही और इनमें से कई कंपनियों जैसे मोरपैन लेबोरेटरीज, डंकन इंडस्ट्रीज, एस्कोर्ट फाइनेन्स, मैकडावल क्रेस्ट फाइनेन्स, रनॉक फाइनेन्स, लोएड फाइनेन्स, कुबेर म्युच्युअल बेनिफिट फंड, कुबेर प्लान्ट्स, एस्कोर्ट लिमिटेड ने चरणबद्ध तरीके से रिफन्ड करने के लिए कंपनी कार्य मंत्रालय से मंजूरी ले ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कम्पनी कार्य मंत्री (श्री प्रेमचंद गुप्ता): (क) से (ग) जी, हां। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क(9) के उपबंध के अंतर्गत, कम्पनी विधि बोर्ड स्वयं या जमाकर्ता के आवेदन पर कम्पनी को आदेश में निर्धारित पद्धति और समयावधि के अनुसार में जमाराशियों का पुनर्भुगतान करने हेतु निर्देश दे सकता है। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए कम्पनी विधि बोर्ड ने 85 मामलों में जमाराशि के पुनर्भुगतान हेतु योजना का अनुमोदन किया है। प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित कम्पनियां के संबंध में विस्तृत जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) सरकार ने छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

(i) जमाकर्ताओं को अपनी शिकायतें मंत्रालय के वेबसाइट **डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.एमसीए.गव.इन** पर ऑनलाइन फाइल करने की सुविधा प्रदान की गई है। इन शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु ई-गवर्नेंस पद्धति अपनाई जा रही है।

(ii) इसकी जगह एक तंत्र बनाया गया है जिसके अंतर्गत जमाकर्ताओं की शिकायतों के निपटान हेतु संबंधित कम्पनी रजिस्ट्रार के माध्यम से इनकी शिकायतों को कम्पनियों के समक्ष उठाया जा रहा है।

(iii) किसी कम्पनी का निदेशक जो जमाराशि का भुगतान करने में असफल रहा हो, वह कम्पनी अधिनियम की धारा 274(1)(छ) के उपबंधों के अनुसार अन्य किसी कम्पनी के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के योग्य नहीं होगा।

(iv) लेखापरीक्षकों को भी यह विवरण देना होगा कि क्या कोई निदेशक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 274 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अंतर्गत निदेशक के रूप में नियुक्ति के अयोग्य है।

(v) निवेशकों को उनके हितों और अधिकारों के संबंध में शिक्षित करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के अंतर्गत स्थापित "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि" के माध्यम से कई प्रयास शुरू किये गए हैं। निवेशकों हेतु स्वैच्छिक संगठनों और निवेशक संघों के माध्यम से शैक्षणिक और

जागरूकता कार्यक्रम भी शुरू किये गए हैं। **डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.वाचआउटइन्वेस्टर्स.कॉम** नामक एक नई वेबसाइट निवेशकों के जालसाज प्रवर्तकों, कंपनियों और एनटिटियों से स्वयं की रक्षा करने हेतु "निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि" से वित्तीय सहायता से तैयार की गई है। यह वेबसाइट उन आर्थिक चूककर्ताओं की वेब आधारित रजिस्ट्री है जिन पर आर्थिक अपराधों/चूकों के आरोप लगाए गए हैं।

विवरण

क्र. सं.	कंपनी का नाम	की गई कार्रवाई का ब्यौरा
1	2	3
1.	मोरपैन लेबोरेटरीज	दिनांक 19-8-2003 को पुनर्भुगतान योजना को कंपनी लॉ बोर्ड द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कंपनी रजिस्ट्रार ने कंपनी लॉ बोर्ड के आदेशों का अनुपालन न करने के कारण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सोलन और जालंधर की अदालत में कंपनी के खिलाफ अभियोजन की शुरुआत की है। कंपनी इसकी प्रबंध योजना के साथ उच्च न्यायालय शिमला तक पहुंच गई है जो अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।
2.	डंकन इण्डस्ट्रीज	कंपनी लॉ बोर्ड ने दिनांक 18-6-2002 के अपने पत्र के माध्यम से कंपनी लॉ बोर्ड के आदेशों के अनुपालन न करने के लिए निर्दिष्ट समय के अन्दर एवं कंपनी रजिस्ट्रार, पश्चिम बंगाल के पास शिकायत दर्ज करने के लिए जमाकर्ताओं को निर्देश देने के साथ चरणबद्ध ढंग से परिपक्व जमाओं के पुनर्भुगतान हेतु एक योजना तैयार की। कंपनी ने अपने अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही हेतु कोलकाता उच्च न्यायालय के समक्ष एक अर्जी दायर की है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने कंपनी रजिस्ट्रार पश्चिम बंगाल को प्रतिबंध आदेश दिया है।
3.	एस्कोर्ट फाइनेंस	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58कक के अंतर्गत दिनांक 28-2-2006 की याचिका कंपनी लॉ बोर्ड के पास लंबित है।
4.	मैकडावल क्रेस्ट फाइनेंस लिमिटेड	माननीय उच्च न्यायालय, चेन्नई ने दिनांक 22-6-2001 के अपने आदेश द्वारा कंपनी को बंद कर दिया तथा उच्च न्यायालय से सम्बद्ध शासकीय समापक को कंपनी के शासकीय समापक के रूप में नियुक्त कर दिया है।
5.	रनॉक फाइनेंस लिमिटेड	पुनर्भुगतान योजना को कंपनी लॉ बोर्ड के दिनांक 4-12-1998 के आदेश द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आर.बी.आई. ने कंपनी लॉ बोर्ड के आदेश का अनुपालन न करने के लिए कंपनी के खिलाफ अभियोजन दायर किया है।
6.	लॉयड्स फाइनेंस	कंपनी लॉ बोर्ड ने दिनांक 1-5-2003 को जमाओं के पुनर्भुगतान से संबंधित दिनांक 16-4-1999 एवं 22-12-2000 के अपने आदेश की समीक्षा की है। माननीय उच्च न्यायालय, मुम्बई ने दिनांक 12-3-2004 के अपने आदेश द्वारा जमाओं के पुनर्भुगतान हेतु योजना तैयार करने के लिए अधिदेश सहित कंपनी के कार्यों के प्रबंध हेतु एक विशेष समिति गठित की है।
7.	कुबेर म्युचुअल बेनेफिट फण्ड	जमाओं की पुनर्भुगतान योजना को दिनांक 31-12-95 के कंपनी लॉ बोर्ड के आदेश द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। कंपनी परिसमापनाधीन है एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय से सम्बद्ध शासकीय समापक को दिनांक 25-4-1999 के आदेश के माध्यम से

1	2	3
		अस्थायी शासकीय समापक के रूप में नियुक्त कर दिया गया है।
8.	कुबेर प्लांट्स	यह एक प्लांटेशन कंपनी है और यह सेबी के दायरे में आती है।
9.	एस्कॉर्टस लिमिटेड	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58कक के अंतर्गत दिनांक 19-10-2005 की याचिका कंपनी लॉ बोर्ड के पास लंबित है।

होटलों के लिए भूमि का आबंटन

3507. श्री शैलेन्द्र कुमार:

श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 2010 में दिल्ली में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में होटलों की भारी मांग की प्रत्याशा में दिल्ली तथा अन्य राज्य सरकारों से नए होटलों के लिए भूमि आबंटित करने को कहा है जैसा कि 14 अगस्त, 2006 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्र मंडल खेलों के प्रयोजन हेतु दिल्ली तथा अन्य राज्यों में होटलों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि उसने दिल्ली विकास प्राधिकरण, हरियाणा राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से होटलों के निर्माण के लिए स्थलों की पहचान करने का अनुरोध किया है। पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों तथा अन्य भू-स्वामी एजेंसियों, जिनमें भारतीय रेल भी शामिल है, से भी अनुरोध किया है कि वे होटलों के निर्माण के लिए विशेषकर बजट श्रेणी में भूमि आवंटित करें।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय ने यह उल्लेख किया है कि दिल्ली और इसके पड़ोसी राज्यों में 30,000 होटल कमरों की जरूरत है।

(ङ) सरकार ने राज्य सरकारों से होटल स्थलों के लिए अधिकाधिक भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। जहां तक दिल्ली का संबंध है, डी.डी.ए. ने 22 पहचाने गए होटल स्थानों में से 9 स्थलों की नीलामी पहले ही कर दी है। दिल्ली मास्टर प्लान 2001 में भी संशोधन किया गया है ताकि होटलों में स्थान का अधिकाधिक वाणिज्यिक उपयोग हो सके और होटलों को वाणिज्यिक उपयोग जोनों, परिवहन नोडों, औद्योगिक उपयोग जानों तथा सार्वजनिक व अर्ध-सार्वजनिक उपयोग जोनों में वाणिज्यिक केन्द्रों को आगे आने की अनुमति दी जा सके। दिल्ली मास्टर प्लान, 2001 में दिनांक 21-7-2006 की सार्वजनिक सूचना के तहत और भी संशोधन करने का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें अन्य के साथ-साथ रिहायशी परिसरों में गेस्ट हाउसों के संबंध में मानकों को उदार बनाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

डी.डी.ए. में इंजीनियर

3508. श्री गिरिधारी यादव:

श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. के कई इंजीनियरों को कोई काम नहीं दिया गया है और वे बेकार बैठे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान में डी.डी.ए. में ऐसे इंजीनियरों की संख्या कितनी है;

(ग) कितने इंजीनियरों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के संबंध में जांच लम्बित है;

(घ) इस जांच की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) डी.डी.ए. में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह सूचित किया है कि यह सच नहीं है कि उसके इंजीनियर बेकार बैठे रहते हैं। रिहायशी परियोजनाओं के निष्पादन के

अतिरिक्त, वाणिज्यिक परियोजनाओं, विकास कार्यों, फ्लाई ओवरों, राष्ट्रमंडल खेलों के लिए अवस्थापना आदि के पर्यवेक्षण के लिए इंजीनियरों की आवश्यकता होती है। आयोजना, डिजाइनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, सतर्कता, भूमि और भवन के अनुरक्षण और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए भी इंजीनियरों की आवश्यकता पड़ती है।

(ग) से (ड) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि 32 इंजीनियरी अधिकारी भ्रष्टाचार मामलों में लिप्त पाये गए हैं जिसमें से 27 मामलों में विभिन्न न्यायालयों में मुकदमा चल रहा है तथा इन मामलों में मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी गई है।

तीन मामलों में बड़ी शास्ती की कार्यवाहियां शुरू की गई है, एक मामले में सी.बी.आई. द्वारा तथा दूसरे मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग द्वारा जांच शुरू की गई है।

(च) प्रणाली में सुधार लाने, दिल्ली विकास प्राधिकरण के कार्यकरण में पारदर्शिता लाने तथा भ्रष्टाचार दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ लोगों को सूचना देना, सुविधा केन्द्र स्थापित करना, दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वागत काउंटर पर पूर्णकालिक काउंसलर तैनात करना, दिल्ली विकास प्राधिकरण की वेबसाइट के जरिये सूचना प्रदर्शित करना आदि शामिल है। शिकायतों की कम्प्यूटरीकृत मानीटरिंग, नागरिकों के चार्टर का पालन करने, आर.टी.आई. अधिनियम, 2005 का प्रभावी कार्यान्वयन, रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण आदि सहित शिकायत दूर करने की प्रणाली में सुधार लाने के प्रयास किए गए।

भारतीय विधिक सेवा

3509. श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा स्कंध (हिन्दी शाखा) के विधिक परामर्शदाताओं को भारतीय विधिक सेवा में शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग के राजभाषा खंड (हिन्दी शाखा) के अधिकारियों को निम्नलिखित आधारों पर विधायी विभाग की भारतीय विधिक सेवा में सम्मिलित नहीं किया गया है:-

(i) विधायी विभाग के भारतीय विधिक सेवा के अधिकारी विधेयकों, अध्यादेशों, अधिनियमों, नियमों, विनियमों और अन्य विधिक दस्तावेजों के प्रारूपण के लिए उत्तरदायी हैं, जबकि राजभाषा खंड (विधायी विभाग) के अधिकारी उक्त दस्तावेजों का हिन्दी/क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं। इस प्रकार, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि राजभाषा खंड (विधायी विभाग) के अधिकारी वैसे ही या उसी प्रकृति के कर्तव्यों का निष्पादन कर रहे हैं जैसे कि विधायी विभाग (मुख्य शाखा) के भारतीय विधिक सेवा के अधिकारी।

(ii) मुख्य सचिवालय के भारतीय विधिक सेवा के अधिकारी और राजभाषा खंड के विधायी परामर्शी पृथक भर्ती नियमों के सैट से शामिल होते हैं।

(iii) राजभाषा खंड के अधिकारी "साधारण केन्द्रीय सेवा" के अंतर्गत आते हैं जबकि भारतीय विधिक सेवा के अधिकारी एक संगठित केन्द्रीय सिविल सेवा के अंतर्गत आते है।

गैस आधारित विद्युत संयंत्र

3510. श्री तूफानी सरोज: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) अपने कुछ गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में गैस अथवा तरल ईंधन का प्रयोग करता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आज की तिथि तक ऐसे संयंत्रों में संयंत्र-बार अलग-अलग कितनी मात्रा में गैस अथवा तरल ईंधन का प्रयोग किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। एन.टी.पी.सी. के पास सात कम्बाइन्ड साइकल गैस/तरल ईंधन आधारित विद्युत संयंत्र हैं। इन संयंत्रों के ब्यौरे निम्नानुसार है:

परियोजना का नाम	स्थान	क्षमता (मेगावाट)	प्राथमिक ईंधन	वैकल्पिक ईंधन
अंता जीपीएस	राजस्थान	413	गैस	नाफ्था
औरैया जीपीएस	उ.प्र.	652	गैस	नाफ्था
एनसीपीएस, दादरी	उ.प्र.	817	गैस	हाई स्पीड डीजल (एचएसडी)
फरीदाबाद जीपीएस	हरियाणा	430	गैस	नाफ्था
कवास जीपीएस	गुजरात	645	गैस	नाफ्था
झानौर-गंधार जीपीएस	गुजरात	648	गैस	-
राजीव गांधी सीसीपीपी	केरल	350	नाफ्था	-

(ग) विगत वर्षों के दौरान उक्त संयंत्रों में प्रयुक्त गैस एवं तरल ईंधन की मात्रा का संयंत्र-वार विवरण संलग्न हैं।

विवरण

[आंकड़े मिलियन मेट्रीक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रति दिन (एमएमएससीएमडी)]

क. गैस खपत

परियोजना का नाम	2005-06	2004-05	2003-04
अंता जीपीएस	1.41	1.51	1.48
औरैया जीपीएस	2.08	2.12	2.08
एनसीपीएस, दादरी	2.45	2.67	2.45
फरीदाबाद जीपीएस	1.51	1.66	1.53
कवास जीपीएस	0.93	0.17	0.64
झानौर-गंधार जीपीएस	2.52	2.24	1.80
कुल	10.91	10.37	9.98

(ख) तरल ईंधन खपत

(आंकड़ें किलो लिटर में)

परियोजना का नाम	तरल ईंधन	2005-06	2004-05	2003-04
1	2	3	4	5
अंता जीपीएस	नाफ्था	111215	91639	107906

1	2	3	4	5
औरैया जीपीएस	नाफ्था	238070	170807	216539
एनसीपीएस, दादरी	एचएसडी	260002	207737	218592
फरीदाबाद जीपीएस	नाफ्था	75060	51040	34281
कवास जीपीएस	नाफ्था	295381	655242	723393
राजीव गांधी सीसीपीपी, कायमकुलम	नाफ्था	89807	139840	531446
कुल	नाफ्था	809533	1108568	1613565
	एचएसडी	260002	207737	218592

जीपीएस: गैस पावर स्टेशन

सीसीपीपी: कंबाइंड साईकल पावर प्रोजेक्ट

निवेश संबंधी मानक

3511. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी कंपनी के सहयोग से भारत में निवेश के लिए क्या नियम बनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इन नियमों के उल्लंघन के संबंध में रिपोर्ट मिली है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारत में संयुक्त उद्यमों/पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियों के माध्यम से किए गए किसी विदेशी कंपनी के निवेश विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 एवं उसके अधीन जारी नियमों/विनियमों की अधिसूचना, आदेशों के द्वारा विनियमित होते हैं।

(ख) से (ङ) फेमा, 1999 की धारा 13 में अधिनियम के उपबंधों या उसके अधीन जारी किए गए नियमों/विनियमों की अधिसूचना और आदेशों में उल्लंघन के लिए अधिनिर्णयन के बाद शास्ति अधिरोपित करने का प्रावधान है। प्रवर्तन निदेशालय को ऐसे उल्लंघनों की जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। विगत दो वर्षों के दौरान नियमों के उल्लंघन के लिए विदेशी कंपनियों के संबंध में कोई जांच नहीं की गई है।

[अनुवाद]

दिल्ली में सरकारी क्वार्टर

3512. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों के रख-रखाव के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) मुख्य एजेंसी है;

(ख) यदि हां, तो राजधानी में आवासों के पूल की संख्या तथा नाम क्या है;

(ग) क्या क्वार्टरों के खाली होने पर नवीकरण कार्य केवल सामान्य पूल के आवासों में किया जाता है तथा अन्य पूल के आवासों में यह कार्य नहीं किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) अन्य पूलों के आबंटितियों से होने वाले इस भेद-भाव को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियां

3513. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों की संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली में वर्तमान पुनर्वास नियम क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण डी.डी.ए. की भूमि प्रबंधन शाखा में योग्य व्यक्तियों की कमी के कारण पुनर्वास नियमों का समुचित रूप से क्रियान्वयन नहीं कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि उन्होंने 31-3-2002 तक विद्यमान अनाधिकृत कालोनियों की रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशनों/सोसायटियों से अक्तूबर, 2004 से 31 जनवरी, 2005 तक आवेदनपत्र मंगाए थे और उन्हें 1432 आवेदनपत्र प्राप्त हुए जिन पर कार्रवाई की जा रही है।

(ख) दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों में लोगों के पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई नियम नहीं बनाए गए हैं। तथापि, अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए नीति दिशानिर्देश सरकार द्वारा वर्ष 2001 तथा वर्ष 2004 में जारी किए गए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने इन दिशानिर्देशों में संशोधन की मांग की है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती

3514. श्री एस. अजय कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों की भर्ती हेतु आरक्षण नियमों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने गत 24 वर्षों से अपने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जनजाति के लोगों को भर्ती नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान भर्ती किए गए अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की वर्षवार और पदवार संख्या कितनी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह बताया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती के लिए आरक्षण नियमों का अनुपालन दिल्ली विकास प्राधिकरण में किया जा रहा है।

(ग) और (घ) डी.डी.ए. ने इस बात से इन्कार किया है कि उन्होंने गत 24 वर्षों में तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में किसी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की भर्ती नहीं की है।

(ङ) डी.डी.ए. ने यह बताया है कि उन्होंने वर्ष 2006 के दौरान अनुसूचित जनजाति के 12 उम्मीदवारों को अनुभाग अधिकारी (बागवानी) के रूप में नियुक्ति के लिए प्रस्ताव पत्र भेजे हैं जिसमें से 8 उम्मीदवारों ने कार्यभार संभाल लिया है।

वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना

3515. श्री अनंत कुमार: क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वी.ए.एम.बी.ए.वाई.) के क्रियान्वयन की स्थिति क्या है; और

(ख) किन-किन राज्यों में यह योजना चल रही है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) सरकार 2-12-2001 से वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे) नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित कर रही है ताकि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे शहरी स्लम वासियों, जिनके पास पर्याप्त आश्रय नहीं है, की दशाओं में सुधार लाया जा सके। इस स्कीम का प्राथमिक उद्देश्य रिहायशी इकाईयों का निर्माण और उनका उन्नयन करना तथा सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से स्वस्थ्य और अनुकूल शहरी पर्यावरण मुहैया कराना है। वाम्बे के अन्तर्गत राज्य-वार संचयी, वित्तीय और वास्तविक उपलब्धियां संलग्न विवरण में दी गई हैं। वाम्बे के अन्तर्गत नए मामलों की स्वीकृति 1 अप्रैल, 2006 से बन्द कर दी गई है क्योंकि जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के तहत "शहरी निर्धनों के लिए बुनियादी सेवायें" नामक स्कीम तथा "एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम" में इस स्कीम का विलय कर दिया गया है। तथापि वाम्बे के प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा किया जा रहा है।

विवरण

30-6-2006 की स्थिति के अनुसार वाम्बे स्कीमों जिनमें भारत सरकार सब्सिडी जारी की गई है का राज्यवार संचयी ब्यौरा

(लाख रु. में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संचयी आवंटन (भारत सरकार सब्सिडी)	जारी की गई भारत सरकार सब्सिडी			ईकाइयां		वास्तविक प्रगति (30-6-06 की स्थिति के अनुसार			
		आवास	शौचालय	कुल	आवास	शौचालय	आवास		शौचालय	
							पूर्ण	प्रगति पर	पूर्ण	प्रगति पर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आन्ध्र प्रदेश	10646.000	22867.975	57.880	22925.855	99190	392	57445	16666	138	0
अंडमान ओर निकोबार	90.730	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	66.240	290.925	0.000	290.925	1293	0	0	80	0	0
असम	1030.800	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
बिहार	4704.520	13.600	0.000	13.600	68	0	0	0	0	0
चंडीगढ	377.700	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ	1335.990	1788.520	300.200	2088.720	8942	1501	5825	3117	858	645
दादरा व नगर हवेली	7.560	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
दमन और दीव	24.680	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	5761.650	50.000	0.000	50.000	167	0	167	0	0	0
गोवा	202.150	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
गुजरात	6084.960	1948.700	693.200	2641.900	20971	3466	20213	0	1538	380
हरियाणा	1780.920	652.600	0.000	652.600	3263	0	0	0	0	0
हिमाचल प्रदेश	285.320	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	1376.440	312.630	55.200	367.830	1389	276	578	128	0	0
झारखण्ड	1567.830	1708.800	18.000	1726.800	8544	90	0	0	0	0
कर्नाटक	3142.240	7424.800	1582.000	9006.800	33282	7910	25904	37	5280	460
केरल	2911.740	5493.590	0.000	5493.590	27467	0	19784	0	0	0
लक्षद्वीप	6.570	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	3610.670	1655.750	50.000	1705.750	7026	250	3287	1610	20	0
महाराष्ट्र	18998.550	16984.075	5213.500	22197.575	76365	26081	46000	7932	18610	3510
मणिपुर	200.330	288.220	0.000	288.220	1281	0	1012	129	0	0
मेघालय	205.90	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	203.520	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	107.590	294.975	6.200	301.175	1311	31	1046	0	31	0
उड़ीसा	1982.980	124.000	0.000	124.000	620	0	276	266	0	0
पांडिचेरी	377.250	210.300	24.000	234.300	1196	120	917	279	40	0
पंजाब	3350.490	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
राजस्थान	5777.410	1766.880	0.000	1766.880	7767	0	3700	1300	0	0

सिक्किम	22.220	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	7712.470	8499.730	4051.600	12551.350	103585	23930	98341	4851	23580	350
त्रिपुरा	158.520	423.003	0.000	423.003	1880	0	1284	436	0	0
उत्तर प्रदेश	12959.670	5407.460	31.000	5438.460	24926	155	8874	4420	0	10
उत्तरांचल	681.880	355.350	46.000	401.350	1849	230	464	401	110	30
पश्चिम बंगाल	11639.440	1921.740	196.800	2118.540	8680	984	3773	2153	777	73
कुल	109393.010	80483.623	12325.580	92809.203	441062	65416	298890	43805	50978	5458
विभिन्न उप-घटकों के अन्तर्गत जारी भारत सरकार धनराशि अर्थात प्रदर्शन परियोजना, एम.आई.एस. सूचना के प्रसार, अनुसंधान और अध्ययन, कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण				874.073	1165	0	125	224		
कुल योग				93683.276	442227	65416	299015	44029		

दिल्ली में प्रदूषित जल

3516. **श्री रेवती रमन सिंह:** क्या **शहर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 4 जुलाई, 2006 को दिल्ली के व्यापक क्षेत्र में प्रदूषित और गन्दे जल की आपूर्ति की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) शहर के उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जो अभी भी पेयजल से वंचित हैं; और

(घ) इन क्षेत्रों में पर्याप्त जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि 4-7-06 को पूरी दिल्ली में अलग-अलग नलों, सार्वजनिक नलों और शिकायतकर्त्ता घरों से पानी के 309 नमूने लिए गए जिसमें से केवल 18 नमूने निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अनुचित पाए गए। यह अलग-अलग सर्विस कनेक्शनों से रिसाव और सीवर/अवशिष्ट जल पाइपों आदि के सरचार्ज के कारण था। इस प्रकार पाई गई कमियों को तत्काल ठीक कर दिया गया था।

(ग) और (घ) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि पश्चिम, दक्षिण-पश्चिम, दक्षिण और उत्तर-पश्चिम जिलों की कुछ अनधिकृत-नियमित कालोनियों में पाइपों से जल आपूर्ति व्यवस्था नहीं है। तथापि, तकनीकी व्यवहार्यता को देखते हुए दिल्ली जल बोर्ड ने भूमिगत जलाशयों/बूस्टर पंपिंग स्टेशनों और बाहरी मुख्य नलों की नियोजित ढंग से चरणों में व्यवस्था के जरिए पाइपों से जल आपूर्ति तंत्र को बढ़ाने का कार्य शुरू किया है। इन क्षेत्रों को पानी के टैंकरों के जरिए पेयजल की आपूर्ति भी की जाती है।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

3517. **श्री वी.के. ठुम्मर:**
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी.पी.डब्ल्यू.डी.) की काफी भूमि इसके अधिकारियों की मिलीभगत से निजी व्यक्तियों के अवैध कब्जे में है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दस वर्ष बीत जाने के बावजूद सी.पी.डब्ल्यू.डी. की भूमि को खाली नहीं करा पाने के क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि के.लो.नि.वि. अधिकारियों की दिल्ली में के.लो.नि.वि. की जमीन के अवैध कब्जे में प्रायवेट व्यक्तियों के साथ मिलीभगत है।

(ग) सार्वजनिक जमीन से कब्जे हटाने के संबंध में नीति दिशानिर्देशों के अनुसार अतिक्रमणकर्त्ताओं को पुनर्स्थापित किया जाना है। अधिकतर मामलों में दिल्ली नगर निगम को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

मध्यम वर्ग हेतु फ्लैट

3518. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में मध्यम वर्गीय लोगों हेतु मकान निर्माण करने संबंधी नीति समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने द्वारका, शेख सराय और रोहिणी में मध्यम वर्गीय लोगों हेतु फ्लैटों का निर्माण करने की योजना वापस ले ली थी; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए दिल्ली में आवास निर्माण की नीति बंद नहीं की गई है। हाल ही में आरंभ की गई "डी.डी.ए. हाउसिंग स्कीम 2006" में मध्यम श्रेणी के लोगों के लिए आबंटन हेतु 2352 दो बेडरूम आवास पेश किए गए हैं। इसके अलावा इस समय डी.डी.ए. द्वारा 1343 एम.आई.जी. तथा 6852 एल.आई.जी. मकान बनाए जा रहे हैं।

बहाइयों के विरुद्ध मामले

3519. **श्री संजय धोत्रे:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में बहाई आध्यात्मिक संघ के विरुद्ध आर्थिक अपराधों से संबंधित मामले शुरू/दर्ज किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो किन विभिन्न प्रकार के अपराधों के तहत मामले दर्ज किए गए हैं; और

(ग) इन मामलों की स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

एनिमेशन उद्योग को सहायता

3520. श्री कमला प्रसाद रावत: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को एनिमेशन उद्योग के विकास के मद्देनजर इस उद्योग को सहायता प्रदान करने के संबंध में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) से कुछ सिफारिशें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार फिक्की की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तथा इस क्षेत्र में विद्यमान समस्याओं और चुनौतियों के मद्देनजर एनिमेशन उद्योग को और अधिक सहायता देने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का है;

(ग) यदि हां, तो ऐसी सहायता कब तक मुहैया करायी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) महोदय, इस मंत्रालय को फिक्की से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (घ) ऊपर (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

निर्यात संवर्धन योजनाएं

3521. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
श्री कीरेन रिजीजू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं शुरू की हैं जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क में आंशिक अथवा पूर्ण छूट दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक योजना के अंतर्गत अलग-अलग कितने-कितने प्रतिशत की छूट दी जाती है;

(ग) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त शुल्क में लगातार वृद्धि हो रही है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत छूट प्राप्त उत्पाद शुल्क की प्रतिशतता अलग-अलग कितनी है;

(ङ) इन योजनाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार इन योजनाओं को समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (छ) निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न स्कीमें लागू की हैं। अधिकांश स्कीमों का उद्देश्य निर्यात उत्पादों में प्रयुक्त निविष्टियों पर लेवीज तथा शुल्कों के भार को निष्प्रभावित करना है जो इस मूल सिद्धांत पर आधारित है कि माल को शुल्क तथा लेवी लगा कर निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। फिलहाल, प्रमुख स्कीमें या तो शुल्क छूट या शुल्क माफी स्वरूप की हैं। शुल्क छूट स्कीमों के तहत निर्यात उत्पादन हेतु अपेक्षित निविष्टियों का शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है। अग्रिम प्राधिकार, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार (शु.मु.आ.प्रा.), निर्यातोन्मुखी एकक (नि.एकक) तथा विशेष आर्थिक जोन (वि.आ.जो.) स्कीमें छूट प्रदायी स्कीमें हैं जो शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति प्रदान करती हैं। शुल्क माफी स्कीम के तहत निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर प्रदत्त शुल्क की बाद में निर्यात पुनःपूर्ति/छूट प्राप्त की जा सकती है। शुल्क छूट स्कीमों में (क) शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम (शु.ह.पा.बु.स्की.) तथा (ख) प्रतिअदायगी स्कीम शामिल है। शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम में निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर आयात प्रभारों की प्रतिअदायगी की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रतिअदायगी स्कीम का आशय निर्यात माल पर वहन किए गए केन्द्रीय करों के भार को निष्प्रभावी बनाना होता है।

निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल (नि.सं.पूं.मा.) नामक एक अन्य स्कीम भी है जिसके तहत निर्यात बाध्यता के अध्यधीन 5 प्रतिशत की रिआयती दर पर पूंजीगत माल का आयात

करने की अनुमति है। इसके अलावा, निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए उत्पाद विशेष तथा देश विशेष स्कीमें भी हैं।

विगत तीन वर्षों के दौरान इन स्कीमों के तहत संवितरित प्रतिअदायगी तथा माफ की गई शुल्क की राशि नीचे दी गई है:

वर्ष	माफ की गई शुल्क की राशि (करोड़ रुपयों में)
2003-04	41060.57
2004-05	40021.86
2005-06	40329.14

ये स्कीमें निर्यातकों को उपलब्ध हैं बशर्ते कि वे स्कीमों में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। इन स्कीमों को समाप्त करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

तेल और गैस पाइपलाइन बिछाने संबंधी परियोजनाओं हेतु कर से छूट

3522. श्रीमती जयाप्रदा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ (फिक्की) ने तेल और गैस पाइपलाइन बिछाने की परियोजनाओं हेतु दस वर्षों के कर से छूट हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या कोई निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) कर नीति में परिवर्तनों से संबंधित सभी प्रस्तावों पर वार्षिक बजटीय प्रक्रिया के एक भाग के रूप में विचार किया जाता है।

यमुना का सौन्दर्यीकरण

3523. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना नदी के तटों के विकास और सौन्दर्यीकरण हेतु मंत्रालय को स्वीकृति हेतु एक व्यापक योजना भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना में यमुना नदी के जल को पीने योग्य बनाने हेतु इसकी सफाई का कार्य भी शामिल है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि जोन "ओ" तथा पाट "पी" (यमुना नदी) के लिए प्रारूप जोनल योजना पर डी.डी.ए. द्वारा दिनांक 28-6-06 को आयोजित उनकी बैठक में विचार किया गया तथा दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार आपत्तियों/सुझाव आमंत्रित करने संबंधी सार्वजनिक सूचना जारी करने के लिए इसे अनुमोदित कर दिया गया। प्रारूप जोनल विकास योजना "दिल्ली में यमुना नदी के पुनरुद्धार के लिए पर्यावरणीय प्रबंध योजना" के संबंध में नेशनल एन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे द्वारा किए गए व्यापक अध्ययन पर आधारित है। जोनल विकास योजना का उद्देश्य जल आपूर्ति बढ़ाने और नदी में प्रदूषण कम करने के साथ-साथ पर्यावरण का अनुकूल विकास करना है। प्रारूप योजना में नदी के पानी की क्वालिटी में सुधार के लिए नालों के मुहानों पर सीवेज शोधन सुविधाएं विकसित करने के लिए एक कार्य योजना पर विचार किया गया है।

स्टेडियम हेतु भूमि का आवंटन

3524. श्री शिशुपाल पटले:
श्री मुन्शी राम:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री मो. ताहिर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वर्ष 2011 में होने वाले क्रिकेट विश्व कप हेतु नए स्टेडियम के निर्माण के लिए भूमि आवंटित करने/मुहैया कराने पर सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में नए स्टेडियम के निर्माण हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटित की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो ये स्थान कहां-कहां हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि क्रिकेट विश्व कप, 2011 के लिए नए स्टेडियम के निर्माण हेतु भूमि आवंटित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कर अपवंचन

3525. श्री रघुनाथ झा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में करीब 25 प्रतिशत बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कर अपवंचन के कार्य में संलिप्त हैं;

(ख) क्या आयकर विभाग ने 1,200 करोड़ रुपये से भी अधिक की धनराशि की वसूली हेतु अन्य देशों को नोटिस भेजे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी उन सभी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं;

(घ) क्या आयकर विभाग ने बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की निगरानी करने हेतु अन्तर्राष्ट्रीय स्कंध में अतिरिक्त आयुक्त की मांग की है; और

(ङ) यदि हां, तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से कर वसूलने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) वित्त वर्ष 2005-06 के दौरान कर निर्धारित ऐसी 1915 कम्पनियों में से 411 बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में प्रत्यक्ष कर अपवंचन पाया गया था, जो कि 21.46 प्रतिशत बैठता है।

(ख) आयकर निदेशालय (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) के न्यायाधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कम्पनियों के संबंध कुल बकाया मांग दिनांक 1 अप्रैल, 2006 को 6,385.09 करोड़ रुपये थी। पिछले कई वर्षों के दौरान ऐसी कम्पनियों के संबंध में कर मांग जारी की गई है। मांग की वसूली को प्रभावी बनाने के लिए, समय-समय पर नोटिस जारी किए जाते हैं।

(ग) ऐसी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों जिन्हें ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं, के विवरण केन्द्रीयकृत रूप से नहीं रखते जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक मामले के अभिलेखों की जांच करनी होगी जिसमें अत्याधिक समय एवं प्रयास शामिल होगा, जो कि प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के अनुकूल नहीं होगा।

(घ) आयकर निदेशालय (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान) में बढ़ते हुए कार्य के दबाव को देखते हुए, कर निर्धारण एवं कर निर्धारण के पश्चात के कार्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए समय-समय पर अतिरिक्त पदों के सृजन के अनुरोध किए जाते हैं।

(ङ) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रत्यक्ष करों की वसूली के लिए आयकर अधिनियम, 1961 में कर मांग की वसूली के लिए विहित समुचित उपाय किए जाते हैं।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइनों को ऋण हेतु दिशानिर्देश

3526. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:

श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में निजी एयरलाइनों को निधियां मुहैय्या कराने हेतु आवधिक ऋण से संबंधित दिशानिर्देशों की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में जारी संशोधित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सभी बैंकों को अपने निदेशक मण्डल के अनुमोदन से एक सुस्पष्ट ऋण नीति तैयार करने की सलाह दी है। नीति में व्यक्ति विशेष/उधारकर्ताओं के समूह को निवेश सीमा, प्रलेखीकरण मानक, क्षेत्रीय निवेश सीमा, बट्टे खाते डालने के लिए शक्तियां प्रदान करने सहित शक्तियों का प्रत्यायोजन एवं समीक्षा कार्यविधि, परिपक्वता एवं मूल्यन नीतियां, न्यूनतम नियत दर से अधिक ब्याज दरें निर्धारित करने हेतु विचारार्थ कारक, आदि निर्धारित किए जाने चाहिए। विभिन्न क्षेत्रों एवं उधारकर्ताओं को ऋण

निवेश का प्रबंधन पूर्णतः आंतरिक प्रबंधन कार्य है और बैंक का निदेशक मण्डल इस संबंध में उपयुक्त नीतियां तैयार करने के लिए प्राधिकृत है।

[अनुवाद]

आसान शर्तों पर ऋणों हेतु अनुरोध

3527. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से आसान शर्तों पर ऋणों की एकमुश्त स्वीकृति हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस सीमा तक एकमुश्त अनुदान की मांग की गई है; और

(ग) मध्य प्रदेश सरकार के प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। भारत सरकार राज्यों को आसान शर्तों पर ऋणों की एकमुश्त स्वीकृति नहीं देती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

शराब उत्पादकों के विरुद्ध मामले

3528. सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विदेशी मुद्रा विनयम अधिनियम (फेरा) के उल्लंघन के संबंध में प्रमुख शराब उत्पादकों के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय में कितने मामले दर्ज किए गए है;

(ख) क्या इन मामलों में पुलिस द्वारा जांच पूरी कर ली गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और यदि नहीं, तो जांच कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है;

(घ) एक वर्ष, तीन वर्षों, पांच वर्षों से अधिक अवधि से लंबित ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे मामलों के शीघ्र निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

किसानों को मुआवजा

3529. श्री रामदास आठवले: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कालोनियां बसाने के लिए भूमि को अधिग्रहित किए जाने के किसान अपनी जीविकोपार्जन से वंचित हो जाते हैं और विस्थापित किसानों को अधिग्रहीत की गई ऐसी भूमि के एवज में नाममात्र का मुआवजा दिया जाता है;

(ख) क्या सितंबर, 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने एक दूरगामी निर्णय में सरकार को इस बात का निदेश दिया है कि वह विकास के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि के मालिक किसानों को रोजगार के लिए वैकल्पिक भूमि प्रदान करें;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुपालन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण और राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि वे दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा अन्य सरकारी विभागों द्वारा प्राप्त करते हैं। किसानों को उनकी अर्जित भूमि के बदले में भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने कृषि भूमि/नदी पुश्ता भूमि के अधिग्रहण के संबंध में 1990 के बाद से न्यूनतम निर्देशात्मक मूल्य नियत किए हैं और दिनांक 30-8-2005 से यह मूल्य संशोधित किए गए हैं जो कृषि भूमि के लिए 17.584 लाख रुपये प्रति एकड़ तथा पुश्ता भूमि के लिए 5.706 लाख रुपये प्रति एकड़ है।

उपर्युक्त भूमि मूल्य के अलावा भूस्वामी को 30 प्रतिशत मुआवजा, प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि तथा कब्जा लेने की तारीख से पहले वर्ष 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा उसके बाद 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज भी दिया जाता है।

(ख) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि वर्तमान नीति के अनुसार जिन व्यक्तियों की भूमि विकास प्रयोजन के लिए ली जाती है उन्हें मुआवजे के अलावा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की सिफारिश पर वैकल्पिक प्लाट भी आवंटित किए जाते हैं। इसके अलावा, जिन व्यक्तियों की भूमि अर्जित की जाती है, उनके लिए आरक्षित मूल्य पर आवंटन के लिए 10 प्रतिशत दुकानें आरक्षित हैं बशर्ते कि अर्जित की गई भूमि एक एकड़ से अधिक हो।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी.डब्ल्यू.पी. 448/2005 मे दिनांक 14-9-2005 के आदेश द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण को निदेश दिया कि याचिकाकर्त्ता द्वारा डी.डी.ए. को दी गई/देय राशि का आवश्यक समायोजन करने के बाद उन्हें डी.डी.ए. द्वारा आवंटित वैकल्पिक प्लॉट का कब्जा दिया जाए।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्वर्ण जयंती

3530. श्रीमती अर्चना नायक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण अपनी स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में वर्ष भर समारोह आयोजित करने की योजना बना रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान क्या नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए जाने की योजना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने सूचित किया है कि ऐसी किसी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी

3531. श्री कीरेन रिजीजू: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम से किए गए करार की अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से अपनी बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं को निजी कंपनियों को सौंप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या पर्यावरणीय मुद्दों को मंजूरी न मिलने के कारण पूर्वोत्तर में बड़ी जल विद्युत परियोजनाएं शुरू होने में विलम्ब हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में जल विद्युत की कुल क्षमता कितनी है और उसमें अरुणाचल प्रदेश का कितना हिस्सा है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) सियोम (सियांग मिडल) जल विद्युत परियोजना (एच.ई.पी.) (1000 मेगावाट) और सियांग लोअर एच.ई.पी. को केन्द्रीय क्षेत्र में नैशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) लिमिटिड द्वारा निष्पादन हेतु 22-3-2000 को अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा हस्तांतरित कर दिया गया था। हालांकि, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने निजी विकासकर्त्ताओं के माध्यम से इन परियोजनाओं के निष्पादन हेतु 22-2-06 को समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। इन दो परियोजनाओं के अतिरिक्त, तीन अन्य परियोजनाएं अर्थात् टाटो-II एच.ई.पी. (700 मेगावाट), नेयिंग एच.ई.पी. (1000 मेगावाट) और हीरोंग एच.ई.पी. (500 मेगावाट) जिसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डी.पी.आर.) की तैयारी का काम 50,000 मेगावाट जल विद्युत पहल के अंतर्गत एन.एच.पी.सी. को सौंपा गया था, भी राज्य सरकार द्वारा निजी विकासकर्त्ताओं को सौंपी गई हैं। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निजी विकासकर्त्ताओं द्वारा एन.एच.पी.सी. को बदलने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोई कारण नहीं बताए गए हैं।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर में कुल 9 परियोजनाएं रुकी हुई हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) 1987 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पूरे किए गए देश की जल विद्युत क्षमता के पुर्नमूल्यांकन अध्ययनों ने जल विद्युत क्षमता को 60 प्रतिशत भार घटक पर 84044 मेगावाट तक आंका है। इसमें से अरुणाचल प्रदेश की क्षमता 26756 मेगावाट है।

विवरण

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से मंजूरी के अभाव में रुकी हुई उत्तर पूर्व की जल विद्युत परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	योजना का नाम	राज्य	एजेंसी	अधिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	नाबा	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	1000
2.	नायरे	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	800
3.	भरेली-II	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	600
4.	भरेली-I	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	1120
5.	ओजू-II	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	1000
6.	ओजू-I	अरुणाचल प्रदेश	नीपको	700
7.	सुबानसिरी मिडल	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	1600
8.	सुबानसिरी अपर	अरुणाचल प्रदेश	एनएचपीसी	2000
9.	तिपाईमुख	मणिपुर	नीपको	1500

सट्टेबाजी का समानान्तर कारोबार

3532. कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडरवर्ल्ड के आकाओं द्वारा विदेशी धरती से गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में बड़े पैमाने पर शेयरों की सट्टेबाजी का समानान्तर कारोबार किया जा रहा है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में किए जा रहे सुधारात्मक उपायों का पूर्ण ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि उसे पश्चिमी भारत के कुछेक भागों में "डब्बा व्यापार" के प्रचलन की सूचना प्राप्त हुई है।

(ख) केन्द्रीय वित्त मंत्री ने अक्तूबर, 2005 में सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों को "डब्बा व्यापार" को समाप्त करने के लिए तात्कालिक कदम उठाने का आग्रह करते हुए पत्र लिखे हैं। सेबी ने सूचित किया है कि उसने मुख्य मंत्रियों को इस मामले में तात्कालिक कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए पूर्व में इसी प्रकार के पत्र लिखे थे। गुजरात राज्य में "डब्बा व्यापार" के संबंध में हाल ही की समाचार मदों के अनुसरण में सेबी ने राज्य सरकार को ऐसे गैर कानूनी कारोबार संबंधी प्रभावपूर्ण संव्यवहार करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करते हुए मुख्य सचिव, गुजरात को पत्र लिखा है।

मुम्बई जल-मल निपटान परियोजनाएं

3533. श्री हरिभाऊ राठौड़:
श्री मोहन रावले:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने मुम्बई जल-मल निपटान परियोजना के द्वितीय चरण के लिए विश्व बैंक से अनुदान/ऋण हेतु महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय के साथ विचार-विमर्श के लिए स्वीकार किया है;

(ख) क्या वित्त मंत्रालय ने कष्टापन्न ऋण सततता के संशोधित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार महाराष्ट्र को ऋण से एक कष्टापन्न राज्य माना है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रालय को संशोधित परियोजना रिपोर्ट और अतिरिक्त सूचना भेजी है;

(घ) क्या मंत्रालय इस योजना की शीघ्र मंजूरी के लिए इन मामलों को वित्त मंत्रालय के साथ उठाएगा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) प्रस्ताव को कब मंजूरी मिलेगी और मुम्बई जल-मल निपटान परियोजना के द्वितीय चरण का क्रियान्वयन का कार्य कब शुरू किया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (च) जी, हां। मंत्रालय ने वर्ष 2004 में मुंबई-सीवेज निपटान परियोजना चरण-II के लिए विश्व बैंक से अनुदान/उधार ऋण लेने के महाराष्ट्र सरकार के प्रस्ताव की सिफारिश वित्त मंत्रालय से की है। तथापि ऋण लेने के दृष्टिकोण से राज्य को "अत्यधिक ऋण भार से ग्रस्त" राज्य की श्रेणी में रखा गया। तदनुसार आर्थिक कार्य विभाग ने सूचित किया कि चूंकि महाराष्ट्र अत्यधिक ऋण भार वाला राज्य है इसलिए इन प्रस्तावों को विश्व बैंक को नहीं भेजा जा सकता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त आर्थिक कार्य विभाग ने यह भी बताया है कि नवम्बर, 2004 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने मुंबई को विश्व स्तर के शहर में बदलने के लिए एक पंचवर्षीय व्यवसायिक योजना बनाने के लिए विश्व बैंक की सेवा लेने तथा शहर के लिए व्यापक योजना में मुंबई सीवेज निपटान परियोजना चरण-II को शामिल करने का अनुरोध किया था। बाद में आर्थिक कार्य विभाग ने फरवरी, 2005 में शहर के लिए एक व्यापक नीति का प्रारूप तैयार करने हेतु एक समर्पित बहु-क्षेत्रीय दल भेजने के लिए विश्व बैंक से अनुरोध किया था।

विश्व बैंक के दलों ने गत वर्ष दो बार मुंबई का दौरा किया तथा महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों एवं मुंबई को विश्व स्तर के शहर के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त कार्यदल के साथ गहन विचार-विमर्श किया। विश्व बैंक के दल ने, जिन्होंने 8 नवम्बर से 21 नवम्बर, 2005 तक मुंबई का दौरा किया था, मुंबई विकास कार्य योजना से संबंधित कार्य योजना की तैयारी के लिए एक समय-सीमा का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित कार्य योजना में प्रमुख सुधारों के व्यापक पैकेज, निवेश तथा वित्तपोषण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा कार्रवाई किया जाना शामिल है। विश्व बैंक द्वारा तैयार की गयी समय-सीमा के अनुसार कार्य योजना को दिसम्बर, 2006 में शुरू किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार से इस समय-सीमा का अनुपालन करने का अनुरोध किया गया है।

उपर्युक्त के अलावा महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई सीवरेज निपटान परियोजना चरण-II के 502.41 करोड़ रुपये को अनुमानित लागत के प्राथमिकता वाले कार्यों को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत शामिल करने के लिए इस मंत्रालय से संपर्क किया है। मंत्रालय में इस प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

कृत्रिम बादलों से वर्षा कराना

3534. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के अनेक भागों में कई वर्षों से लगातार पड़ने वाले सूखे से निपटने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा अलग-अलग कृत्रिम बादलों से वर्षा कराने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) भारत मौसम-विज्ञान विभाग (आई.एम.डी.) ने निकट भविष्य में कृत्रिम बादलों से वर्षा कराने का कोई प्रस्ताव नहीं किया है।

(ख) आई.एम.डी. को किसी भी राज्य सरकार से कृत्रिम बादलों से वर्षा कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय कंपनियों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा निवेश से सुरक्षा पर प्रभाव

3535. श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

*क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सचिवालय (एन.एस.सी.एस.) ने भारतीय कंपनियों में विशेषकर दूरसंचार के क्षेत्र में विदेशी निवेश से सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन्होंने क्या सुझाव दिए हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकार सुरक्षा अभिकरणों के परामर्श से संवेदनशील माने जाने वाले क्षेत्रकों की भारतीय कंपनियों में विदेशी निवेश से राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है। इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

महिला आरक्षण विधेयक

3536. श्री फ्रांसिस फैन्थम: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पुरःस्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब तक; और

(ग) अनुसूचित जनजातियों/अनुसूचित जातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने संबंधी मुद्दों को हल करने में कितनी प्रगति हुई है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) से (ग) सरकार, लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए स्थानों के आरक्षण का उपबंध करने वाला एक विधेयक शीघ्रातिशीघ्र संसद में लाने के मुद्दे पर विचार कर रही है। प्रस्तावित विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर आम सहमति बनाने के उद्देश्य से सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं से परामर्श किया गया था। तथापि, अभी तक कोई आम सहमति नहीं हो सकी है। सरकार प्रस्तावित विधेयक के उपबंधों पर राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति होने के पश्चात् ही संसद में विधेयक पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव करती है, जिससे कि इस पर एकमत से विचार किया जा सके और इसे पारित किया जा सके।

[हिन्दी]

दिल्ली में जनसंख्या सम्बंधी नीति

3537. श्री रशीद मसूद: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दिल्ली में बढ़ती हुई जनसंख्या के दबाव को कम करने के लिए एक नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इस संबंध में निजी भागीदारी भी आमंत्रित की जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड (एन.सी.आर.पी.बी.) का गठन किया गया था और इसे क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय योजनाओं के माध्यम से निकटवर्ती राज्यों के प्रयासों को समन्वित करने की जिम्मेवारी दी गई। एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा तैयार की गई क्षेत्रीय योजना 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने तथा संतुलित विकास करने का प्रावधान है। इस योजना में जनसंख्या, बंदोबस्त की प्रणालियों, क्षेत्रीय भू-उपयोग पैटर्न, पर्यावरणीय कारकों, आर्थिक कार्यकलापों तथा अवसंरचनात्मक सुविधाओं से संबंधित एक अंतर-संबंधित नीतिगत ढांचा बनाने का प्रावधान है जिसे संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ-साथ अन्य भागीदार राज्यों तथा अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा।

जहां तक दिल्ली का संबंध है शहर की आबादी तथा शहरीकरण की तेज वृद्धि को देखते हुए दिल्ली मास्टर प्लान (एम.पी.डी.) 2021 के प्रारूप में आबादी के अतिरिक्त दबाव से शहर को राहत देने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के ढांचे के भीतर ही उप-क्षेत्रीय योजनाओं की तैयारी का प्रावधान है। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 के प्रारूप में अधिग्रहण तथा सरकारी एवं निजी क्षेत्र/भू-स्वामियों को शामिल करते हुए भू-एकत्रीकरण के मिश्रण के जरिए आगे और शहरीकरण के लिए अपेक्षित भूमि जुटाने की भी संकल्पना की गई है।

पीपावॉव ताप विद्युत परियोजना

3538. श्री काशीराम राणा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार और एन.टी.पी.सी. ने पीपावॉव में 1000 मेगावाट की विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से स्थापित करने हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या कोयला मंत्रालय द्वारा एन.टी.पी.सी. को कोयला

खनन ब्लॉक का आबंटन न किए जाने के कारण यह परियोजना अटकी पड़ी हैं;

(घ) यदि हां, तो एन.टी.पी.सी. को कोयला खनन ब्लॉक के आबंटन में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ङ) एन.टी.पी.सी. को कोयला खनन ब्लॉक का आबंटन कब तक होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) गुजरात के अमरेली जिले के पिपावाव में 1000 मेगावाट क्षमता की परियोजना की स्थापना हेतु एक समझौता ज्ञापन दिनांक 20-2-2004 को एन.टी.पी.सी. लिमिटेड द्वारा गुजरात पावर कारपोरेशन लि. (जी.आई.पी.सी.एल.) और गुजरात विद्युत बोर्ड (जी.ई.बी.) के साथ हस्ताक्षरित किया गया था। यह परियोजना तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता जो कि अभिज्ञात की जानी है और उपयुक्त ईंधन के चयन पर आधारित एन.टी.पी.सी. लि. और गुजरात पावर कारपोरेशन लि. (जी.पी.सी.एल.)/ गुजरात सरकार के एजेंसियों की 50:50 अनुपात वाली एक संयुक्त उद्यम परियोजना है।

एन.टी.पी.सी. लि. ने परियोजना की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए जी.पी.सी.एल. के साथ परामर्श करके विभिन्न स्थल विशेष अध्ययन कार्य आरंभ किए हैं। एन.टी.पी.सी. ने स्थल विशेष अध्ययन से संबंधित विभिन्न कार्य भी विभिन्न एजेंसियों को सौंप दिए हैं जो कि निष्पादित किए जा रहे हैं।

प्रारंभ में एन.टी.पी.सी./जी.पी.सी.एल. के पिपावाव परियोजना हेतु कोयला खनन ब्लॉक को आबंटन किए जाने हेतु आवेदन किया था। तथापि, इसका आबंटन नहीं हो सका। एन.टी.पी.सी. लि. ने अब कोयला लिंकेज हेतु आवेदन किया है। विद्युत मंत्रालय ने कोयला लिंकेज के अनुरोध के संबंध में कोयला मंत्रालय को सिफारिश की है। कोयला मंत्रालय ने अपने दिनांक 14-8-2006 के पत्र द्वारा एन.टी.पी.सी. लि. से अनुरोध किया है कि वे पिपावाव परियोजना हेतु कोयला लिंकेज के लिए उचित प्रपत्र में आवेदन करें और प्रक्रिया शुल्क जमा करे।

[हिन्दी]

गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन योजनाओं का विलय

3539. श्री मनसुखभाई डी. वसावा: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास गरीबी उपशमन और रोजगार सृजन योजनाओं के विलय करने तथा इस संबंध में वित्तीय आबंटन में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संशोधित कार्यक्रम के कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन कार्यक्रमों/योजनाओं की असफलता के कारणों का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं और इस संबंध में पाई गई खामियों से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप क्या उपलब्धियां हासिल हुई हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ङ) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों और रोजगार सृजन योजनाओं का विलय करने के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है क्योंकि मौजूदा योजनाएं अर्थात् स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एन.आर.ई.जी.ए.) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन पर संकेन्द्रित हैं। इन योजनाओं को संतोषजनक रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है। स्वतंत्र अनुसंधान संगठनों द्वारा इन योजनाओं का मूल्यांकन किया गया है और कार्यान्वयन में आगे सुधार करने हेतु उनके द्वारा बताई गई कमियों और सुझावों को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों के ध्यान में लाया गया है।

[अनुवाद]

मतदाता सूचियां

3540. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी संख्या में वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में से काट दिए गए थे जिसके कारण उन्हें विभिन्न राज्यों में विधान सभा चुनावों में मत डालने के अधिकार से वंचित कर दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज): (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने यह संसूचित किया है कि यह सत्य नहीं है कि विभिन्न राज्यों में मतदाता सूचियों से बड़ी भारी संख्या में वैध मतदाताओं के नामों को हटा दिया गया था और इस प्रकार उन्हें विधान सभा निर्वाचनों में मतदान करने से वंचित किया गया था। तथापि, निर्वाचन आयोग को निर्वाचक नामावलियों में अनियमितताओं के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं और कुछ शिकायतें उसके समक्ष की गई थी। इन शिकायतों का अन्वेषण संप्रेक्षकों और ऐसे अन्य प्रशासनिक तंत्र द्वारा किया गया था, जिन्हें निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण का कार्य सौंपा गया था तथा जहां कहीं अपेक्षित था, नामावलियों में सुधार करने के लिए समुचित कार्रवाई की गई थी।

[हिन्दी]

भू-मार्ग सीमा शुल्क प्राधिकरण की स्थापना

3541. श्री निखिल कुमार चौधरी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पड़ोसी देशों विशेषकर नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा पर पहले से ही स्थापित भू-मार्ग सीमा शुल्क केन्द्रों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए भारतीय भू-मार्ग सीमाशुल्क प्राधिकरण की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे कितना लाभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ग) भू-मार्ग सीमाशुल्क केन्द्रों के कार्यकरण पर निगरानी रखने के लिए भारतीय भू-मार्ग सीमाशुल्क प्राधिकरण की स्थापना करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

डाभोल विद्युत संयंत्र को गैस आपूर्ति

3542. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार डाभोल विद्युत परियोजना को गैसापूर्ति के लिए कतर सहित पांच देशों के साथ बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई समझौता किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे परियोजना को कितना लाभ होने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि पैट्रोनेट एल.एन.जी. लि. (पी.एल.एल.) डाभोल विद्युत परियोजना में अल्पावधि आधार पर एल.एन.जी. (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) की आपूर्ति के लिए कतार के रास गैस से चर्चा कर रहा है। पी.एल.एल. एवं गेल इंडिया (लि.) भी विभिन्न देशों की अन्य कंपनियों से, परियोजना को गैस आपूर्ति करने के मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) ऊपर (ख) में दिए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) रत्नागिरी गैस पावर प्राईवेट लि. की दाभोल विद्युत परियोजना की वाणिज्यिक व्यवहार्यता ईंधन के तौर पर एल.एन.जी. पर तथा विद्युत खंडों के लिए एक बार एल.एन.जी. उपलब्ध होने पर संयंत्र का इसकी पूर्ण नियत क्षमता पर वाणिज्यिक प्रचालन पर आधारित है।

[हिन्दी]

रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना को गैस की कम आपूर्ति

3543. श्री निहाल चन्द: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रायगढ़ गैस ताप विद्युत परियोजना हेतु वर्तमान में कितनी गैस उपलब्ध है;

(ख) इस परियोजना को इसकी पूरी क्षमता से चलाने के लिए कितनी अतिरिक्त गैस की आवश्यकता है;

(ग) उक्त परियोजना को अतिरिक्त गैस की आपूर्ति करने हेतु प्राधिकृत संगठनों के क्या नाम हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को बिना किसी बाधा से चलाने के लिए आवश्यक गैस के कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) महाराष्ट्र स्टेट पावर जेनरेशन कंपनी लि. (महाजेनको) की उरान गैस विद्युत परियोजना महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। 90 प्रतिशत संयंत्र भार पर प्रतिदिन 4.38 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर की आवश्यकता की तुलना में विद्युत परियोजना हेतु उपलब्ध गैस की औसत मात्रा अप्रैल से जुलाई, 2006 के दौरान 2.86 एम.एम.एस.सी.एम.डी. रही है। इस प्रकार 90 प्रतिशत पी.एल.एफ. पर स्टेशन प्रचालित करने के लिए 1.52 एम.एम.एस.सी.एम.डी. अतिरिक्त गैस मात्रा अपेक्षित है।

(ग) ऑयल एंड नैचुरल गैस कारपोरेशन लि. (ओ.एन.जी.सी.) से आने वाली गैस की आपूर्ति करने और विद्युत संयंत्र को इसे आबंटित करने के लिए मै. गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि. (गेल) अधिकृत संगठन है।

(घ) ओ.एन.जी.सी. के वर्तमान व भावी निवेशों से उत्पादित होने वाली नई और अतिरिक्त गैस के भविष्य में बाजारी मूल्य पर उपलब्ध होने की संभावना है। मार्च, 2007 में दहेज-उरान पाइपलाईन के चालू होने के पश्चात् दहेज में तरल प्राकृतिक गैस की उपलब्धता होने पर अतिरिक्त गैस की आपूर्ति होने की संभावना है।

[अनुवाद]

मेजिया ताप विद्युत परियोजना

3544. श्री सुनील खां: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक मेजिया ताप विद्युत परियोजना से विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) क्या विद्युत संयंत्र की 7वीं और 8वीं इकाइयों की स्थापना सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो क्या मेजिया ताप विद्युत परियोजना इन इकाइयों की स्थापना के बाद देश की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन वाली परियोजना बन जायेगी?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत में मेजिया ताप विद्युत केन्द्र की विद्युत उत्पादन क्षमता 2340 मे.वा. (4x210+2x250+2x520=2340 मे.वा.) होगी।

(ख) मेजिया विस्तार यूनिट 7 और 8 (2x500=1000 मे.वा.) को 11वीं योजना के दौरान दामोदर वैली कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है और मुख्य संयंत्र के लिए आशय-पत्र/आदेश 11वीं योजना के आरंभिक दो वर्षों में जारी किया जाना प्रस्तावित है। इन यूनिटों के वर्ष 2010-11 में चालू हो जाने की आशा है।

(ग) मेजिया ताप विद्युत केन्द्र देश के सबसे बड़े विद्युत केन्द्रों में से एक है, किंतु देश की सर्वाधिक विद्युत उत्पादन करने वाली परियोजना एन.टी.पी.सी. का तलचेर सुपर स्टेशन है जिसकी क्षमता 3000 मे.वा. (6x500 मे.वा.) है।

नोटरी पब्लिक की नियुक्ति

3545. डा. वल्लभभाई कथीरिया: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा नोटरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार नोटरी पब्लिक की नियुक्ति के लिए सरकार को कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) इन आवेदनों में से कितने व्यक्तियों को नोटरी पब्लिक नियुक्त किया गया;

(घ) वर्तमान में सरकार के पास नोटरी पब्लिक के कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं;

(ङ) इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं; और

(च) इन आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया नोटेरी अधिनियम, 1952 और नोटेरी नियम, 1956 में अधिकथित है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें नोटेरियों को नियुक्त करने के लिए सशक्त हैं। केन्द्रीय सरकार को संपूर्ण भारत या उसके किसी भाग के लिए नोटेरियों को नियुक्त करने की शक्ति है, जबकि राज्य सरकार कोई संपूर्ण संबद्ध राज्य या उसके किसी भाग के लिए नोटेरी नियुक्त करने के लिए सशक्त है। नोटेरी नियमों के नियम 3 के अधीन विधि व्यवसायियों में से कोई व्यक्ति नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन कर सकता है, यदि वह कम से कम 10 वर्षों से

विधि व्यवसाय कर रहा हो। यदि नोटेरी के लिए आवेदक अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का है या वह कोई महिला है तो नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता के लिए शर्त 7 वर्ष का विधि व्यवसाय है। ऐसा कोई व्यक्ति भी नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र है यदि वह केन्द्रीय सरकार के अधीन भारतीय विधिक सेवा का सदस्य रहा हो या यदि वह दस वर्षों तक न्यायिक सेवा का सदस्य रहा हो या उसने अधिवक्ता के रूप में नामांकन के पश्चात् केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई पद धारण किया हो जिसमें विधि का विशेष ज्ञान अपेक्षित हो या न्यायाधीश महाअधिवक्ता के विभाग में या सशस्त्र बलों के विधिक विभाग में कोई पद धारण किया हो।

पात्र व्यक्ति नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए विहित प्ररूप, अर्थात् अभ्यावेदन में आवेदन कर सकेंगे, जिस पर किसी मजिस्ट्रेट, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के प्रबंधक, किसी वणिक् और दो प्रमुख स्थानीय निवासियों द्वारा प्रतिहस्ताक्षर किए जाएंगे। तत्पश्चात् केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी अभ्यावेदन की जांच करता है और उस राज्य विधिज्ञ परिषद से, जहां अभ्यावेदक अधिवक्ता के रूप में नामांकित है, टिप्पणियों/आक्षेपों की मांग करता है। आवेदक से एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया जाता है जिसमें शपथ पर यह कथन किया गया हो कि वह न तो किसी राज्य सरकार द्वारा पहले से ही नियुक्त किया गया नोटेरी है और न ही नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए उसका आवेदन संबंधित राज्य सरकार के पास लंबित है और साथ ही उससे व्यवसाय के वांछित क्षेत्र में न्यायालयों की संख्या और नोटेरियों की संख्या का कथन करने का भी अनुरोध किया जाता है। आक्षेपों और विभिन्न तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी नियम 7 के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उस पर विचार करने के पश्चात् उचित विनिश्चय करती है।

(ख) से (घ) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राप्त आवेदनों की और इन आवेदनों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की राज्यवार संख्या उपदर्शित करने वाला ब्यौरा एक विवरण के रूप में संलग्न है।

(ङ) और (च) नोटेरी के रूप में नियुक्ति के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को पहले ही ऊपर भाग (क) में उल्लिखित किया गया है। चूंकि, नोटेरी पब्लिक की नियुक्ति से पूर्व उपरोक्त औपचारिकताओं को पूरा किया जाना होता है, इसलिए इसमें समय लग सकता है।

विवरण

चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार को प्राप्त आवेदनों की और इन आवेदनों में से केन्द्रीय सरकार द्वारा नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की राज्यवार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदनों की संख्या				इन आवेदनों में से नोटेरी पब्लिक के रूप में नियुक्त व्यक्तियों की संख्या
		2003	2004	2005	2006	
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	05	10	57	52	37
2.	असम	-	-	-	01	01
3.	बिहार	03	01	-	05	03
4.	गुजरात	17	91	218	146	100

1	2	3	4	5	6	7
5.	केरल	16	126	77	26	46
6.	मध्य प्रदेश	07	14	17	13	09
7.	तमिलनाडु	04	36	76	48	63
8.	महाराष्ट्र	72	183	345	219	216
9.	कर्नाटक	19	86	102	81	52
10.	उड़ीसा	03	05	03	03	02
11.	पंजाब	44	114	143	54	138
12.	राजस्थान	17	42	126	79	64
13.	उत्तर प्रदेश	86	245	317	105	233
14.	पश्चिमी बंगाल	06	04	34	12	11
15.	जम्मू-कश्मीर	-	02	-	-	-
16.	नागालैंड	-	-	-	-	-
17.	हरियाणा	42	131	127	68	159
18.	हिमाचल प्रदेश	01	01	02	01	02
19.	मणिपुर	-	01	-	-	-
20.	त्रिपुरा	-	02	01	02	01
21.	मेघालय	-	-	-	-	-
22.	सिक्किम	-	-	-	-	-
23.	मिजोरम	-	-	-	-	-
24.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-
25.	गोवा	-	08	07	03	01
26.	उत्तरांचल	-	05	01	02	02
27.	छत्तीसगढ़	-	02	-	03	04
28.	झारखंड	02	01	-	16	-
29.	दिल्ली	30	70	47	23	42

1	2	3	4	5	6	7
30.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-
32.	दादरा और नागर हवेली	-	01	-	-	-
33.	दमण और दीव	-	-	-	-	-
34.	पांडिचेरी	-	-	-	-	01
35.	चंडीगढ़	-	02	02	02	-

औषधियों का मूल्य नियंत्रण

3546. श्री उदय सिंह:

श्री अधीर चौधरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित औषधियों के मूल्य नियंत्रण का विरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या मंत्रालय मूल्य निर्धारण न कर बहुराष्ट्रीय औषधि कम्पनियों के पक्ष में है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) "राष्ट्रीय औषधीय नीति-2006" शीर्षक से एक मसौदा मंत्रिमंडलीय टिप्पणी रसायन और पेट्रोरसायन विभाग (रसायन और उर्वरक मंत्रालय) द्वारा परिचालित की गई है। वित्त मंत्रालय को यह टिप्पणी अन्तः मंत्रालयीय परामर्शों की प्रक्रिया में प्राप्त हुई है। इस संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा यथासमय निर्णय लिया जाएगा।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

महंगाई भत्ते की घोषणा

3547. डा. के. धनराजू: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 2006 में महंगाई भत्ते (डी.ए.) की घोषणा न करने की वजह से सरकारी कर्मचारियों में बहुत रोष है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी घोषणा न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकारी कर्मचारियों के लिए डी.ए. की अन्य किस्तों, जो जुलाई, 2006 से बकाया है, की घोषणा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों/पेंशनरों को देय महंगाई भत्ता (डी.ए.)/महंगाई राहत (डी.आर.) को वर्ष में दो बार 1 जनवरी तथा 1 जुलाई में संशोधित किया जाता है तथा आमतौर पर इसका भुगतान मार्च और सितम्बर माह के वेतन के साथ किया जाता है। डी.ए./डी.आर. की संशोधित राशि यथासमय अधिसूचित की जाएगी।

जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-आपरेशन से ऋण

3548. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास आंध्र प्रदेश राज्य सरकार का जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को-आपरेशन से ऋण प्राप्त करने संबंधी कोई अनुरोध शीघ्र मंजूरी हेतु लंबित है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हेतु जापान बैंक से ऋण

सहायता के लिए वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में आन्ध्र प्रदेश सरकार से निम्नलिखित पांच प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	राशि (करोड़ रु. में)
1.	हैदराबाद और सिकन्दराबाद के जुड़वा नगरों में पारेषण प्रणाली का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण	715.30
2.	लघु गेस्टेशन विद्युत पारेषण योजना-II	363.78
3.	हैदराबाद और सिकन्दराबाद के जुड़वा नगरों के आस-पास 400 के.वी. रिंग मेन	473.19
4.	बाहरी मुद्रिका सड़क परियोजना, हैदराबाद	3000
5.	आन्ध्र प्रदेश लघु सिंचाई और आजीविका परियोजना	1930

आन्ध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त पांच परियोजनाओं में से, क्रम संख्या 1 और 5 पर दिए गए प्रस्ताव जे.बी.आई.सी. ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2006 के लिए सरकारी विकास सहायता ऋण पैकेज हेतु जापान सरकार को प्रस्तुत किए गए हैं और क्रम संख्या 2,3 और 4 पर दिए गए प्रस्ताव जे.बी.आई.सी. ऋण हेतु वित्तीय वर्ष 2006-08 के चल योजना प्रस्तावों में रखे गए हैं।

उपस्करों की कमी

3549. श्री भर्तृहरि महताब: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्युत उपस्करों की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो देश के विद्युत संयंत्रों के लिए विद्युत उपस्करों की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजनार्थ एक पृथक् कम्पनी की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) भारी उद्योग मंत्रालय के अनुसार देश में विद्युत उपस्करों की कोई कमी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) इस उद्देश्य से फिलहाल विद्युत मंत्रालय में कोई कंपनी गठित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बहुउद्देशीय बांध

3550. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही की वर्षा के बाद अधिकतर बहुउद्देशीय बांधों के जलाशय पानी और गाद से भर गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बांधों से उत्पादित की जा रही विद्युत की मौजूदा स्थिति क्या है;

(ग) क्या सभी बांध अपनी पूर्ण क्षमता से विद्युत उत्पादन कर रहे हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण 26 बड़े बहु उद्देशीय जलाशयों के साथ सम्बद्ध जल विद्युत स्टेशनों की निष्पादन की निगरानी कर रहा है। 17-08-2006 के अनुसार इन 26 जलाशयों में से 10 बहुउद्देशीय जलाशय पूरे जलाशय स्तर (एफ.आर.एल.) के निकट भरे हुए हैं जबकि अन्य बांधों के जल स्तर एफ.आर.एल. से कम थे। केन्द्रीय जल आयोग भी सम्पूर्ण भारत में 76 महत्वपूर्ण जलाशयों के स्टोरेज की निगरानी कर रहा है। 18-08-2006 के अनुसार इन 76 जलाशयों में से 69 में अपनी साधारण स्टोरेज के 80 प्रतिशत से अधिक जल भराव था जबकि पांच में अपने साधारण स्टोरेज के 50 प्रतिशत और 80 प्रतिशत के बीच जल स्टोरेज था और शेष 2 में अपनी साधारण स्टोरेज के 50 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच जल स्टोरेज था।

बहुउद्देशीय जलाशय बांध का डिजाइन 100 वर्षों से अधिक के लिए गाद जमा/तलछट की देखरेख को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। इसलिए सिल्ट डिपोजिट ने इन स्टेशनों से होने वाले उत्पादन को प्रभावित नहीं किया है।

(ख) वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान 17-08-2006 तक बहुउद्देशीय बड़े जलाशयों के साथ सम्बद्ध हाइड्रो-इलैक्ट्रिक स्टेशनों से उत्पादन 14412.16 एम.यू. के लक्ष्य की तुलना में 17122.34 एम.यू. था जो लक्ष्य से 2710.18 एम.यू. अधिक है।

(ग) केवल उन यूनिटों को छोड़कर जो नवीकरण एवं

आधुनिकीकरण और जबरनबंदी के अंतर्गत हैं, इन बांधों के साथ सम्बद्ध उत्पादन यूनिट पूरी क्षमता से विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं।

(घ) नवीकरण एवं आधुनिकीकरण के अंतर्गत यूनिटों को लम्बी अवधि तक बन्द रखने की आवश्यकता होती है, जबकि कुछ यूनिटों को विभिन्न तकनीकी कारणों से अनिवार्य रूप से बंद किया जाता है जिसे परियोजना प्राधिकरणों द्वारा उत्पादन को वापस लाने के लिए देखा जाता है।

व्यय संबंधी निगरानी

3551. श्री महेश कनोडीया: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल मंत्रालय में भारत सरकार के वित्त संबंधी खर्च की निगरानी एवं इनकी व्यय प्रबंधन संबंधी अपने अनुदेशों और दिशा-निर्देशों के पूर्ण क्रियान्वयन के लिए वित्त मंत्रालय का कोई प्रतिनिधि है;

(ख) यदि हां, तो इन प्रतिनिधियों की उपलब्धि का ब्यौर क्या है;

(ग) क्या रेल मंत्रालय वर्ष 2004 और 2005 में व्यय प्रबंधन एवं वित्तव्ययिता हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अनुदेशों एवं दिशा-निर्देशों के साथ हेर-फेर कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान "प्रचालन आवश्यकता" के नाम पर प्रतिस्थापन खाते संबंधी रेलवे बोर्ड के वित्त अधिकारियों द्वारा अनुमोदित व्हीकलों का ब्यौरा क्या है;

(च) पेट्रोल और डीजल संबंधी व्यय को नियंत्रित करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम/जारी दिशा-निर्देश क्या हैं; और

(छ) भारतीय रेल में व्हीकलों के दुरुपयोग के लिए आरोपित वरिष्ठ अधिकारियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (छ) इस मामले में रेल वित्तीय संगठन, रेलवे बोर्ड के प्रमुख वित्तीय आयुक्त (रेल) से रिपोर्ट मांगी गई थी। बोर्ड ने इस बात की पुष्टि की है कि रेलवे समय-समय पर वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मितव्ययिता संबंधी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए खर्च करता है। रेल मंत्रालय आवश्यक परिवर्तनों सहित वर्ष 2004 और 2005 में जारी किए गए मार्गनिर्देशों के साथ-साथ वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किफायत संबंधी दिशानिर्देश का परिपालन करता है। ये दिशानिर्देश रेल मंत्रालय द्वारा सभी महाप्रबंधकों/मुख्य लेखाधिकारियों को कार्यान्वयन हेतु आगे जारी किए गए हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान मशीनरी एवं संयंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिस्थापन खाते पर स्वीकृत किए गए व्हीकलों की संख्या निम्न प्रकार है:-

2004-05	276
2005-06	133
2006-07	177

रेल मंत्रालय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किफायत संबंधी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए किफायत संबंधी उपायों का पालन करने हेतु अपने फील्ड निर्माणों को समय-समय पर दिशानिर्देश जारी करता है। अधिकारी व्हीकलों का उपयोग प्रचालनगत कार्यों को करने/रेलवे की आवश्यकता के लिए करते हैं। व्हीकल के दुरुपयोग हेतु किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को दंडित नहीं किया गया है।

कानिहा एन.टी.पी.सी. विद्युत परियोजना के विस्थापित

3552. श्री अनन्त नायक: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के कानिहा में ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की वजह से विस्थापित व्यक्तियों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन.टी.पी.सी.) द्वारा मुआवजे की अदायगी में अत्यधिक विलम्ब हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो विस्थापित व्यक्तियों को मुआवजे की अदायगी शीघ्र करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी नहीं, उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा एन.टी.पी.सी. तलचेर कनिहा परियोजना की स्थापना हेतु भूमि का अर्जन भूमि अर्जन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। परियोजना की स्थापना हेतु कुल 3700 एकड़ भूमि अर्जित की गई थी जिसमें से 1515 एकड़ भूमि निजी भूमि थी। अधिग्रहण की अवधि मई 1987 से जून, 1995 थी। उपरोक्त अवधि के दौरान उक्त भूमि हेतु उड़ीसा सरकार द्वारा ग्रामवार धारा 6(1) अधिसूचना जारी किये जाने के शीघ्र पश्चात् प्रतिपूर्ति धनराशियां जैसा कि उड़ीसा सरकार द्वारा मांग की गई थी, राज्य प्राधिकारियों के पास जमा कराई गई थी जिन्होंने क्रम

में भूमि अर्जन अधिनियम के अंतर्गत निर्णयानुसार पात्र व्यक्तियों को समय-समय पर भुगतान का संवितरण किया। परियोजना की स्थापना हेतु भूमि अर्जन की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और उड़ीसा सरकार की ओर से प्रतिपूर्ति दावे की कोई मांग एन.टी.पी.सी. लि. के पास लम्बित नहीं है।

(ख) उपरोक्त उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

राजस्व और व्यय

3553. श्री मो. ताहिर:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री अशोक कुमार रावत:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही में राजस्व एवं व्यय के आंकड़ों का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो गत वर्ष की प्रथम तिमाही की तुलना में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ है और इसकी प्रतिशतता कितनी है;

(घ) वर्ष 2006-07 के लिए राजस्व प्राप्ति हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान अब तक कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा हुआ और गत वर्ष की तुलना में यह कितने प्रतिशत अधिक है; और

(च) वर्ष भर में अब तक बाजार से कुल कितना ऋण लिया गया है और वर्ष के अंत तक कितना ऋण लिए जाने का अनुमान है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 38,003 करोड़ रुपये (बजट अनुमानों का 10.8 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियों की तुलना में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 52,382 करोड़ रुपये (बजट अनुमानों को 13.0 प्रतिशत) की राजस्व प्राप्तियां हुई हैं। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 93,584 करोड़ रुपये (बजट अनुमानों का 18.2 प्रतिशत) के कुल व्यय की तुलना में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान 1,31,470 करोड़ रुपये (बजट अनुमानों का 23.3 प्रतिशत) का व्यय हुआ है।

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान, बजट में राजस्व प्राप्तियों का लक्ष्य 4,03,465 करोड़ रुपये रखा गया है।

(ङ) चालू वर्ष की पहली तिमाही के दौरान राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता बजट अनुमानों का 52.3 प्रतिशत है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की उसी अवधि में यह घाटा बजट अनुमानों का 36.1 प्रतिशत था; और

(च) चालू वर्ष की पहली तिमाही तक 1,13,667.64 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में बाजार से कुल 27,776.88 करोड़ रुपये की राशि का ऋण (लघु अवधि उधार सहित) लिया गया।

सेवा कर

3554. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने समाज के सबसे गरीब वर्ग की मदद के मद्देनजर राज्य सरकार के सेवा कर के 6.76 करोड़ रुपये के अतिरिक्त भार को माफ करने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार के अनुरोध पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने भेड़ों की आबादी के लिए रियायत वाली बीमा स्कीम पर आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा भुगतान किए जाने वाले सेवा कर से छूट का अनुरोध किया है।

(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम और समग्र ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली पशु बीमा को सेवा कर से पहले ही मुक्त किया जा चुका है। भेड़ों की रियायत वाली बीमा स्कीम का ब्यौरा मांगा गया है।

एस.जी.आर.वाई. के अन्तर्गत खाद्यान्नों में कटौती

3555. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस.जी.आर.वाई.) और अन्य ऐसी योजनाओं के लिए मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों हेतु खाद्यान्नों विशेषकर गेहूं के आबंटन में अत्यधिक कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले उपचारात्मक कदम क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय की मजदूरी रोजगार योजनाओं के अंतर्गत केवल संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाते हैं। वर्ष 2006-07 में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 11.75 लाख टन गेहूं तथा 16.25 लाख टन चावल की आवश्यकता की तुलना में 5 लाख टन गेहूं तथा 12 लाख टन चावल उपलब्ध है। परिणामस्वरूप, मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों के जिलों और संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित खाद्यान्नों को समानुपातिक तरीके से कम कर दिया गया है।

(ग) कम किए गए खाद्यान्नों के बदले नकद क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराने की कार्रवाई शुरू की गई है।

लिग्नाईट आधारित विद्युत परियोजनाएं

3556. श्री दुष्यंत सिंह: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं आरम्भ की जा रही हैं;

(ख) प्रत्येक ऐसी विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है;

(ग) क्या कतिपय राज्य सरकारों ने लिग्नाईट आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए नेवेली लिग्नाईट निगम (एन.एल.सी.) के साथ किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन समझौता ज्ञापनों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) राज्य, जहां लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं और ऐसी प्रत्येक विद्युत परियोजना की क्षमता निम्नानुसार है-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता	राज्य
1.	नेवेली टीपीएस-II विस्तार	2x250 मे.वा.	तमिलनाडु
2.	बरसिंगसर लिग्नाईट टीपीपी	2x125 मे.वा.	राजस्थान
3.	कच्छ लिग्नाइट विस्तार	2x75 मे.वा.	गुजरात
4.	जिराल टीपीपी	1x125 मे.वा.	राजस्थान
5.	जिराल-II टीपीपी	1x125 मे.वा.	राजस्थान
6.	सूरत लिग्नाइट टीपीपी	2x125 मे.वा.	गुजरात

(ग) और (घ) जी, हां। नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन (एन.एल.सी.) ने कोयला मंत्रालय, भारत सरकार और राजस्थान सरकार के साथ दिनांक 10-06-2002 को एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि लिग्नाइट भण्डार, उनके खनन और पालना बरसिंगसर-गुरहा बिठनोक क्षेत्र पर विशेष जोर के साथ राजस्थान के बीकानेर में लिग्नाइट आधारित विद्युत परियोजना का विकास हो सके।

इसके अलावा एन.एल.सी. ने प्रथम चरण में दक्षिण गुजरात में 1000 मे.वा. की एकीकृत माइन-कम-विद्युत परियोजना को संयुक्त रूप से स्थापित करने और दूसरे चरण में क्षमता में 500 मे.वा. की अभिवृद्धि करने के लिए दिनांक 28-07-06 को गुजरात सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, बशर्ते कि लिग्नाइट भण्डारों की उपलब्धता बनी रहे। प्रस्तावित संयुक्त उद्यम कंपनी में एन.एल.सी. की इक्विटी पूंजी में हिस्सेदारी 74 प्रतिशत से 89 प्रतिशत तक होगी और शेष 26 प्रतिशत से 11 प्रतिशत पूंजी गुजरात सरकार द्वारा निविष्ट की जाएगी।

हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन परियोजनाओं के विकास के लिए स्टेकहोल्डरों के उत्तरदायित्वों को रेखांकित करते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3557. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्री के. सुब्बारायण:

श्री ई.जी. सुगावनम:

श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए विशेष पैकेज की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और संबद्ध कार्यों के अन्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण पर खर्च की निगरानी हेतु सरकार ने कोई निगरानी प्रणाली स्थापित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के ध्यान में राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं की धनराशियों के अन्यत्र प्रयोग के मामले भी आए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण पर व्यय की मॉनीटरिंग की प्रणाली परियोजनाओं की स्वीकृति तथा कार्यान्वयनकर्त्ता एजेंसियों को निधि के संवितरण में ही निहित है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा जारी स्वीकृति आदेशों के अनुसार निधियों का पश्चातवर्ती निर्गमन निम्नलिखित पर निर्भर है-

(क) राज्य सरकार की यथोचित सहमति के साथ पहले जारी की गयी 80 प्रतिशत निधि के लिए कार्यान्वयनकर्त्ता एजेंसी द्वारा समुपयोग प्रमाण पत्र की प्रस्तुति।

(ख) परियोजनावार लेखाओं का रखरखाव।

नोडल एजेंसी होने के नाते आर.ई.सी. को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण कार्य की मॉनीटरिंग, समीक्षा, मूल्यांकन एवं कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया है। विद्युत मंत्रालय में आवधिक समीक्षा के लिए सचिव स्तर पर एक मॉनीटरिंग कमेटी गठित की गयी है।

(ङ) और (च) जी, नहीं।

(छ) उपर्युक्त (ङ) और (च) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विदेशी बैंक

3558. **श्री चन्द्रभूषण सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी बैंकों ने लघु बचतदाताओं को दूर रखने के लिए अपने बैंकों में खाता हेतु बहुत अधिक न्यूनतम शेष राशि का प्रावधान कर रखा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) वर्तमान विनियमों के अनुसार, बैंकों को उनके द्वारा रखे जा रहे बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि निर्धारित करने की स्वायत्तता प्राप्त है। साधारणतया, विदेशी बैंकों सहित सभी बैंक, खाताधारकों को उनके द्वारा दी गई सुविधाओं/सेवाओं जैसे चेक सुविधा, ए.टी.एम. सुविधा, इंटरनेट बैंकिंग, किसी भी शाखा में बैंकिंग, निधियों के अंतरण की सुविधा, आदि को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम शेष राशि निर्धारित करते हैं। तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बैंकों को बचत बैंक खाते खोलते समय न्यूनतम शेष राशि की अपेक्षा के संबंध में ग्राहकों को सूचित करने हेतु निर्देश जारी किए हैं। आर.बी.आई. ने विदेशी बैंकों सहित सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह भी कहा है कि वे "शून्य" अथवा बहुत कम न्यूनतम शेष राशि वाले मूल बैंकिंग "अतिरिक्त सुविधा रहित" खाते तथा इसके साथ-साथ वे प्रभार जिससे ऐसे खाते जो जनता के अधिकांश वर्गों की पहुंच में हों, उपलब्ध कराएं।

ग्रामीण विद्युतीकरण

3559. **श्री सुग्रीव सिंह:**

श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देशभर में त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु एक ग्रामीण विद्युतीकरण नीति तैयार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या देश में ग्रामीण विद्युतीकरण को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, पावर ग्रिड निगम और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने किसी समझौते ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन और शर्तें क्या है;

(ङ) इन समझौतों से राज्य-वार कितने गांवों के लाभान्वित होने की संभावना है;

(च) इसमें कुल कितना निवेश अंतर्ग्रस्त है; और

(छ) इनमें से प्रत्येक समझौते के क्रियान्वयन में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 4 और 5 के अनुपालन में केन्द्र सरकार ने 23-08-06 को ग्रामीण विद्युतीकरण नीति घोषित कर दी है। इसकी मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) जी हां। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.) ने पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नैशनल हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, नैशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड और दामोदर वैली कॉरपोरेशन के साथ उन राज्यों को उक्त निगमों की परियोजना प्रबंधन विशेषज्ञता तथा क्षमता उपलब्ध कराने के लिए समझौता ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं, जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत उनकी सेवाएं लेने को इच्छुक हैं। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में कार्य के आवंटन से संबंधित राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) आर.ई.सी. और सी.पी.एस.यू. के बीच हस्ताक्षरित किए गए एम.ओ.यू. के विस्तृत नियम एवं शर्त निम्नानुसार है:

- सी.पी.एस.यू. प्रणाली आयोजना, डिजाइन, अभियांत्रिकी (आर.ई.सी. के दिशानिर्देश, विनिर्देश एवं निर्माण मानक, जहां भी लागू हो, के अनुसार) के साथ अभिज्ञात क्षेत्र में परियोजना का निरूपण, विकास एवं क्रियान्वयन तथा सहमत प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रियाओं के अनुसार प्राप्ति करते हैं।
- सी.पी.एस.यू. जमा कार्य आधार पर परियोजना का कार्य हाथ में लेता है।
- परियोजना को समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है तथा इस प्रकार क्रियान्वित परियोजना के संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी द्वारा पूरा किए जाने के तुरंत बाद इसका अधिग्रहण किया जाएगा, जो बाद में इसके प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए जिम्मेवार होंगे।
- यदि राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी चाहे, तो सी.पी.एस.यू. पूरी की गई परियोजना के प्रचालन एवं अनुरक्षण का काम हाथ में ले सकता है। यदि राज्य सरकार चाहे तो सी.पी.एस.यू. की भूमिका परियोजना की मॉनीटरिंग, निर्माण के दौरान कार्य की गुणवत्ता की देखरेख परियोजना रिपोर्ट के निरूपण और तैयार होने तक सीमित की जा सकती है।
- परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आर.ई.सी. द्वारा निधि समझौते के अनुसार सेवा प्रभार समेत क्रियान्वयन सी.पी.एस.यू. को सीधे जारी की जाती है।
- परियोजना के विकास एवं क्रियान्वयन के लिए सी.पी.एस.यू. अलग से एकाउन्ट का रखरखाव करेगा।
- सी.पी.एस.यू. आनुपातिक आधार पर परियोजना लागत के 12 प्रतिशत सेवा प्रभार हेतु पात्र है तथा इसे परियोजना लागत में शामिल किया जाना है।
- "परियोजना मॉनीटरिंग तथा निर्माण के दौरान गुणवत्ता की निगरानी" के लिए आनुपातिक आधार पर परियोजना लागत का 2 प्रतिशत सी.पी.एस.यू. को सेवा प्रभार के रूप में देय।
- परियोजना रिपोर्ट के निरूपण एवं तैयारी, परियोजना अनुमोदन का प्रबंध, प्राप्ति के दौरान सलाहकारी सहायता तथा यदि आवश्यक हो, तो परियोजना मॉनीटरिंग तथा निर्माण दौरान कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए आनुपातिक आधार पर परियोजना लागत का 5 प्रतिशत सी.पी.एस.यू. को सेवा प्रभार के रूप में देय।

- सी.पी.एस.यू. को देय अतिरिक्त सांविधिक कर की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(ङ) और (च) अब तक इन चार सी.पी.एस.यू. को 56 जिलो के लिए 58 परियोजनाओं का काम सौंपा गया है, जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत 3737.76 करोड़ रुपये की लागत पर 30,237 गैर-विद्युतीकृत गांवों का विद्युतीकरण किया जाना है। इन सी.पी.एस.यू. द्वारा विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों की जिला-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(छ) 18-8-2006 की स्थिति के अनुसार सभी सी.पी.एस.यू. ने 4498 गांवों में बिजली की सुविधा उपलब्ध कराने की सूचना दी है। (आर.जी.जी.वी.वाय के अंतर्गत 15,572 गांवों के विद्युतीकरण की सूचना मिली है।)

विवरण-I

1. ग्रिड संपर्क गांवों के विद्युतीकरण का सामान्य तरीका है। गांवों/वास स्थालों, जहां ग्रिड संपर्क व्यवहार्य नहीं है अथवा किफायती नहीं है, एकल प्रणाली आधारित ग्रिड रहित समाधान की परिकल्पना की गई है।

2. राज्य सरकारों को छः माह के भीतर ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं, जिससे विद्युत वितरण तंत्र का पता चलेगा, तैयार करने और अधिसूचित करने की अपेक्षा की गई है ताकि सभी परिवारों को विद्युत उपलब्धता कराई जा सके और सभी गांवों एवं हैमलेटों का विद्युतीकरण हो सके।

3. विद्युत मंत्रालय विभिन्न स्कीमों में कवर किए जाने वाले गांवों का पता लगाने के लिए समन्वय तंत्र विकसित करेगा।

4. ग्रामीण विद्युतीकरण में स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए जिला समितियों की स्थापना किया जाना। इन समितियों में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

5. पूर्ण लागत और स्पष्ट तथा अस्पष्ट इमदादों को ध्यान में रखने के पश्चात् ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए कम से कम लागत विकल्प को अपनाना।

6. ग्रामीण आपूर्ति व्यवसाय को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए आर्थिक भार विकास पर जोर दिया गया है।

7. आर.जी.जी.वी.वाई. स्कीम में पहले से ही वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए फ्रेंचाइजी रखने के शासनादेश हैं।

8. ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं को दी जाने वाली पूंजी सब्सिडी के लाभ पूरी तरह से उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाएं।

9. कुशल प्रचालन और रख रखाव सुनिश्चित करने के लिए विकेन्द्रीकृत उत्पादन प्रणाली को पूंजीगत सब्सिडी प्रावधान के निमित्त वार्षिकी आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

10. कम ऊर्जा खपत वाले उपकरणों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेषतया सिंचाई पम्पसेटों के लिए कार्यक्रम आरंभ किए जाएं।

11. संविधान के अनुच्छेद 243 में ग्रामीण क्षेत्र की परिभाषा को विद्युत अधिनियम के प्रयोजनार्थ भी माना जाए।

12. एकल प्रणालियों द्वारा बिजली बिक्री के लिए टैरिफ प्रतिस्पर्द्धा बाजार शक्तियों द्वारा तय की जानी है। तथापि सरकार द्वारा प्राप्त वित्तीय सहायता/पूंजीगत सब्सिडी के लाभ उपयुक्त आयोग द्वारा तय दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी तरह से उपभोक्ताओं तक पहुंचाए जाएं। उपयुक्त विद्युत नियामक आयोग को इन दिशा-निर्देशों का क्रियान्वयन न होने पर हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा।

13. 1 मे.वा. तक की एकल प्रणालियों, जो किफायती प्रमाणित प्रौद्योगिकियों पर आधारित हैं और स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करती हैं, को प्रोत्साहित करने की विशेष व्यवस्था है।

14. ग्रामीण विद्युतीकरण के स्थानीय प्रबंधन के लिए फ्रेंचाइजी व्यवस्था हेतु नीति में आवश्यक प्रावधान हैं।

15. यथासंभव फ्रेंचाइजी का चयन प्रतिस्पर्द्धा बोली आधार पर किया जाए।

16. फ्रेंचाइजी से अपेक्षा की जाती है कि वे सुरक्षा विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें और निर्धारित बेंचमार्क के अनुसार उपभोक्ता को वितरण सेवाएं भी सुनिश्चित कराएं।

विवरण-II

सी.पी.एस.यू. जिले

राज्य	कुल जिले	पीजीसीआईएल	एनटीपीसी	एनएचपीसी	डीवीसी	कुल
जम्मू-कश्मीर	14			7		7
राजस्थान	32	7				7
उत्तर प्रदेश	70	8				8
छत्तीसगढ़	16	4	5	7		16
गुजरात	25	2				2
मध्य प्रदेश	48		4			4
बिहार	37	24		6		30
झारखंड	22		8		8	16
उड़ीसा	30	12	12	6		30
पश्चिम बंगाल	18	2	1*	1	1	4
असम	23	7				7
त्रिपुरा	4	2				2
लक्षद्वीप	1		1			
कुल	295	68	30	27	9	134

*2 ब्लॉक

विवरण-III

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सी.पी.एस.यू.-वार तथा राज्यवार परियोजना का ब्यौरा

क्र सं.	सीपीएसयू का नाम	राज्य का नाम	स्वीकृति				संचयी उपलब्धियां
			परियोजनाओं की संख्या	कवर किए गए गांवों की संख्या	कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की लागत (करोड़ रुपये)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	पावरग्रिड	बिहार	19	20	13131	1162.04	2582

1	2	3	4	5	6	7	8
		उत्तर प्रदेश	10	8	6434	952.83	1265
		पश्चिम बंगाल	2	2	2327	199.59	225
		गुजरात	2	2		32.16	
		राजस्थान	2	2	281	79.24	
		असम	1	1	230	66.27	
		कुल	**36**	**35**	**22403**	**2492.13**	**4072**
2.	एनएचपीसी	बिहार	6	6	2803	233.50	
		पश्चिम बंगाल	1	1	467	47.10	149
		छत्तीसगढ	2	2	117	101.46	
		कुल	**9**	**9**	**3387**	**382.06**	**149**
3.	एनटीपीसी						
		पश्चिम बंगाल	1	2 ब्लॉक	225	20.30	61
		छत्तीसगढ	3	3	63	47.49	
		मध्य प्रदेश	2	2	72	213.92	
		झारखंड	1	1	1295	96.99	
		उड़ीसा	2	2	1253	227.28	
		कुल	**9**	**8**	**2908**	**605.98**	**61**
4.	डीवीसी						
		पश्चिम बंगाल	1	1	807	77.71	216
		झारखंड	3	3	732	179.88	
		कुल	**4**	**4**	**1539**	**257.59**	**216**
कुल (सीपीएसयू)			58	56	30237	3737.76	4498

बेरोजगार युवकों को ऋण

3560. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में राज्य-वार विशेषकर कर्नाटक में कार्यरत बैंकों द्वारा विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं के अंतर्गत बेरोजगार युवकों को प्रदान किए गए ऋणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन बैंकों ने इस संबंध में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन बैंकों द्वारा इन लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा स्व-रोजगार कार्यक्रमों अर्थात् स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.), स्वर्णजयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.), प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी.एम.आर.वाई.) और सिर पर मैला ढोने वालों की विमुक्ति और पुनर्वास योजना (एस.एल.आर.एस.) के तहत वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए लक्ष्यों, मंजूर एवं संवितरित ऋणों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण-I, II, III और IV में दिए गए हैं।

(ग) इन योजनाओं के तहत बैंकों के कार्य निष्पादन को सुधारने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कई उपाय किए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) बैंकों को अनुदेश दिए गए हैं कि 25,000 रुपये तक के ऋण हेतु आवेदनों का निपटान दो सप्ताह के भीतर और 2 लाख रुपये तक के ऋण हेतु आवेदनों का निपटान चार सप्ताह के भीतर कर दिया जाए।

(ii) बैंकों से कहा गया है कि जब कभी अपेक्षित हो "बेबाकी प्रमाणपत्र" 15 दिन के भीतर जारी कर दिया जाए, अन्यथा इसे जारी किया मान लिया जाएगा।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक एस.जी.एस.वाई., एस.जे.एस. आर.वाई. के तहत घरेलू अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के कार्य निष्पादन की निगरानी मासिक/तिमाही प्रगति रिपोर्ट की पावती के जरिए करता है।

(iv) इन योजनाओं के तहत हुई प्रगति, योजना के अधीन बुनियादी स्तर से उच्च स्तर तक बनाई गई निगरानी समिति के लिए विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श हेतु कार्यसूची का एक हिस्सा होती है।

(v) भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों से कहा है कि इन योजनाओं के तहत मंजूर ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र के तहत अग्रिमों के रूप में माना जाए।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि शाखा प्रबंधकों को ऋण प्रस्तावों की मंजूरी हेतु पर्याप्त विवेकाधिकार दिए जाएं।

(vii) एस.जी.एस.वाई. के तहत ऋण आवेदनों को 5 दिन की निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटा दिया जाना चाहिए और इसमें किसी भी हालत में एक महीने से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए।

(viii) पी.एम.आर.वाई. के तहत बैंकों को जिला उद्योग केन्द्रों (डी.आई.सी.) से आवेदन प्राप्त किए जाने और साथ ही बैंकों द्वारा मंजूरी एवं संवितरण हेतु समय-सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं।

(ix) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि बैंकों और डी.आई.सी. द्वारा संयुक्त रूप से चलाए जाने वाले अर्थक्षम कार्यकलापों को पहचान करें।

विवरण-I

2004-05 और 2005-06 के लिए एस.जी.एस.वाई. के तहत लक्ष्य और बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य	2004-05						2005-06					
		लक्ष्य (वित्तीय)	स्व-सहायता समूह को संवितरित ऋण		अलग-अलग व्यक्तियों को संवितरित ऋण		कुल संवितरण ऋण राशि	लक्ष्य (वित्तीय)	स्व-सहायता समूह को संवितरित ऋण		अलग-अलग व्यक्तियों को संवितरित ऋण		कुल संवितरण ऋण राशि
			एसएचजी की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि			एसएचजी की संख्या	राशि	व्यक्तियों की संख्या	राशि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	11748.0	19624	5820.6	14024	3768.6	9589.2	10621.4	6728	4722.3	10122	3883.8	8606.1
2.	असम	6907.8	5398	2756.1	4233	1264.2	4020.2	3150.3	4872	2712.6	900	479.8	3192.5
3.	बिहार	32700.8	6427	2283.4	68650	14341.2	16624.5	29996.6	7208	5216.9	58105	10762.1	15979.0
4.	गुजरात	4063.0	1728	692.8	14018	2140.0	2832.7	7360.0	785	638.7	20725	4025.3	4664.1
5.	हरियाणा	2002.0	995	1327.7	784	208.7	1536.4	2393.1	1028	1768.5	839	269.6	2038.1
6.	हिमाचल प्रदेश	1321.0	540	590.4	1849	576.3	1166.7	1533.0	569	596.2	1467	630.6	1226.7
7.	जम्मू-कश्मीर	5252.7	202	117.5	2820	1176.9	1294.5	4786.0	140	82.2	2286	1043.7	1125.9
8.	कर्नाटक	3099.8	2219	2319.4	2071	512.3	2831.7	3252.2	3260	2364.5	1942	751.0	3115.4
9.	केरल	3132.9	2429	1778.6	5951	1406.6	3185.3	3632.7	2279	1764.0	5169	1752.3	3516.3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10.	मध्य प्रदेश	11877.8	5623	3936.3	2587	885.3	4821.5	11579.0	4510	5230.1	3963	1721.4	6951.4
11.	महाराष्ट्र	8359.4	3109	2843.9	7399	1605.5	4449.4	13392.7	5730	6373.3	5067	1631.4	8004.7
12.	मणिपुर	503.5	187	60.9	188	38.2	99.1	471.5	213	72.4	170	46.3	118.7
13.	मेघालय	647.9	770	334.8	404	76.0	410.8	130.5	175	53.3	117	48.1	101.4
14.	नागालैण्ड	576.7	111	163.2	1450	251.9	415.0	229.1	157	85.2	447	105.0	190.2
15.	उड़ीसा	6941.0	3792	5220.8	9880	1748.4	6969.2	8689.2	3367	4922.2	4660	724.3	5646.5
16.	पंजाब	1770.0	442	473.1	3492	888.5	1361.6	2497.3	511	568.8	1943	672.3	1241.0
17.	राजस्थान	5505.9	1482	1176.8	11660	3325.8	4502.5	5996.6	2039	1318.6	9338	2916.9	4235.5
18.	सिक्किम	367.9	55	21.7	722	117.2	138.9	114.5	133	62.6	136	18.9	81.4
19.	तमिलनाडु	7802.4	9233	4868.7	1548	259.9	5128.6	9443.8	15929	9183.6	1269	262.3	9445.9
20.	त्रिपुरा	986.7	903	393.7	1789	362.4	756.1	365.0	358	329.0	279	56.1	385.1
21.	उत्तर प्रदेश	22967.8	10024	7859.4	8399	1600.9	9460.3	23228.0	13254	12258.6	7317	1936.7	14195.3
22.	पश्चिम बंगाल	8390.8	12382	3839.0	10234	1502.5	5341.4	7749.0	15184	5907.4	3172	567.1	6474.5
23.	अंडमान और निकोबार	6.0	26	3.5	10	3.9	7.4	15.0	33	10.5	0	0.0	10.5
24.	अरुणाचल प्रदेश	372.4	82	53.6	1593	179.3	233.0	110.0	211	79.0	154	29.0	108.0
25.	चण्डीगढ़	23.0	10	2.3	14	2.3	4.6	0.0	0	0.0	1	0.4	0.4
26.	दादरा एवं नागर	15.0	0	0.0	14	2.1	2.1	15.0	8	6.0	40	12.0	18.0

हवेली												
27. गोवा	96.9	71	36.6	191	44.3	80.8	190.1	103	82.3	249	59.4	141.7
28. मिजोरम	123.0	90	88.5	133	34.4	122.8	45.0	24	24.0	54	17.0	41.0
29. पांडिचेरी	65.1	150	55.7	12	3.3	59.0	161.0	259	203.0	22	6.0	208.9
30. लक्षद्वीप	13.0	2	0.3	7	1.4	1.7	0.0	0	0.0	0	0.0	0.0
31. दमन एवं दीव	4.0	0	0.0	0	0.0	0.0	11.0	0	0.0	10	4.5	4.5
32. दिल्ली	27.9	8	2.3	3	1.9	4.2	34.0	10	12.6	61	12.0	24.6
33. झारखण्ड	6622.4	1603	664.8	20370	4103.7	4768.5	8276.3	3697	1905.3	19124	4429.5	6334.8
34. छत्तीसगढ़	3429.3	885	665.9	5502	1480.3	2146.2	4310.7	826	1075.1	5961	1718.8	2793.9
35. उत्तरांचल	1614.9	2006	1363.2	277	84.3	1447.5	2071.6	1889	1780.2	198	66.1	1846.2
कुल	159338.7	92608	51815.2	202278	43998.2	95813.4	165851.1	94589	71408.8	165307	40659.5	112068.3

टिप्पणी: आंकड़े अनन्तिम

विवरण-II

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए एस.जे.एस.आर.वाई. के तहत लक्ष्य और बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य	2004-05						2005-06					
		लक्ष्य (वित्तीय)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल ऋण				लक्ष्य (वास्तविक)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल ऋण			
				मंजूर		संवितरित				मंजूर		संवितरित	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	9255	13628	8631	2695.23	6714	1762.1	11281	9522	7606	2402.4	6423	2200.81
2.	असम	2205	1124	682	255.83	635	230.49	954	377	311	128.49	297	105.52
3.	बिहार	3345	1781	1545	545.52	1396	462.54	4234	1899	1595	587.14	1446	495.58
4.	गुजरात	14461	6534	3353	929.06	3200	892.95	12103	10954	4858	956.06	4406	863.47
5.	हरियाणा	2147	3518	1879	697.25	1437	519.1	3454	4492	2567	1040.34	1931	708.1
6.	हिमाचल प्रदेश	374	473	427	219.83	422	205.68	288	321	280	109.46	272	107.89
7.	जम्मू-कश्मीर	2664	3249	1303	602.57	982	437.39	2609	2749	1345	894.13	1054	797.71
8.	कर्नाटक	2683	3779	2818	813.63	2478	712.14	3034	4061	2766	949.79	2547	878.48
9.	केरल	429	4626	4033	1082.33	3690	904.89	2234	8391	5264	988.78	4796	1003.41
10.	मध्य प्रदेश	8719	8763	4807	2532.71	2995	1821.25	9606	12685	6248	2799.51	4037	1745.51

11. महाराष्ट्र	12595	12493	5557	1676.32	4361	1346.48	12562	15271	7237	2028.78	6039	1642.02
12. मणिपुर	15	10	5	2.2	4	1.75	45	5	3	1.25	3	1.25
13. मेघालय	560	248	227	76.61	219	73.98	93	50	28	13.43	25	12.12
14. नागालैण्ड	154	452	437	177.64	428	175.24	110	52	51	23.58	51	22.81
15. उड़ीसा	2442	4520	3257	1008.77	2951	779.2	3929	3615	2297	709.32	1977	592.06
16. पंजाब	1088	1079	833	268.92	740	233.31	521	460	260	93.63	214	78.23
17. राजस्थान	9420	11161	6726	1669.56	4343	1011.65	9596	18214	8212	2312.68	5588	1518.79
18. सिक्किम	258	73	45	15.55	39	13.35	96	52	48	13.8	45	12.84
19. तमिलनाडु	2394	3681	2212	402.6	2124	374.93	1053	2870	1881	473.57	1383	429.39
20. त्रिपुरा	789	605	395	114.94	370	112.01	570	622	314	123.74	274	92.17
21. उत्तर प्रदेश	9840	8284	5971	2339.54	4681	1803.15	11288	13495	8764	4497.98	7130	3700.94
22. पश्चिम बंगाल	3382	3396	2486	563.82	1210	237.26	4156	4254	3118	621.79	2307	445.68
23. अंडमान एवं निकोबार	25	6	4	1.09	4	1.09	0	10	9	2.40	9	2.4
24. अरुणाचल प्रदेश	15	6	5	2.00	5	1.3	0	0	0	0.00	0	0
25. चण्डीगढ	363	106	59	22.7	45	15.05	80	122	46	17.77	32	12.79
26. दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0.00	0	0	30	20	15	5.00	15	5
27. गोवा	95	42	30	7.95	29	7.11	83	37	29	9.33	29	9.19
28. मिजोरम	5	3	3	0.96	3	0.96	15	14	14	2.60	14	2.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	पांडिचेरी	187	300	274	39.74	254	38.13	290	493	349	95.52	304	71.82
30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन एवं दीव	0	0	0	0.00	0	0	5	0	0	0.00	0	0
32.	दिल्ली	986	829	217	73.72	156	41.48	861	1457	359	125.55	243	82.87
33.	झारखण्ड	720	479	334	124.25	305	98.92	800	539	401	154.73	369	140.15
34.	छत्तीसगढ	2814	4469	2544	563.48	1924	419.51	1830	2631	1573	486.74	1135	316.22
35.	उत्तरांचल	1200	1160	791	400.51	654	332.69	1296	1052	704	293.04	622	261.36
36.	विनिर्दिष्ट नहीं												
	कुल	95629	100877	61890	19926.83	48798	15067.08	99106	120786	68552	22962.33	55017	18359.18

टिप्पणी: आंकड़े अनन्तिम

विवरण-III

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए पी.एम.आर.वाई. के तहत लक्ष्य और बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य	2004-05						2005-06					
		लक्ष्य (वास्तविक)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल ऋण				लक्ष्य (वास्तविक)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल ऋण			
				मंजूर		संवितरित				मंजूर		संवितरित	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	43000	29443	18370	11684.0	16051	9706.9	43000	26610	18469	10875.1	11261	6701.16
2.	असम	15000	16031	11406	9648.6	8760	6157.2	15000	13580	7211	5209.83	3864	2138.07
3.	बिहार	16000	16222	11891	10919.8	10510	9291.4	25000	20350	14018	12505.3	10930	8708.12
4.	गुजरात	12500	11071	7021	3331.6	6449	3082.8	9600	11801	6853	3460.22	6192	3132.18
5.	हरियाणा	10200	14880	9260	5403.1	7580	4200.8	10600	16630	10493	6097.20	8429	4254.74
6.	हिमाचल प्रदेश	3000	4393	3171	2546.5	2950	2373.3	3000	4081	3032	2630.84	2810	2362.56
7.	जम्मू-कश्मीर	3000	1732	747	748.3	634	664.7	3000	1190	590	621.34	385	402.12
8.	कर्नाटक	24000	30400	17878	10720.4	14726	8739.7	24000	33369	20918	12565.1	13630	8437.68
9.	केरल	25500	31625	22587	11680.2	17788	9104.4	28000	34879	26361	13060.2	18845	9383.79
10.	मध्य प्रदेश	28000	50628	27708	18165.9	22768	13715.9	32000	49075	27912	18652.8	16471	9699.28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11.	महाराष्ट्र	39000	47154	26985	15788.5	22169	12189.5	36000	43017	27405	15222.1	22011	11766.4
12.	मणिपुर	1500	967	500	430.2	434	325.0	1500	606	394	350.2	268	199.1
13.	मेघालय	1400	766	602	559.9	572	532.9	1400	913	604	557.81	478	399.62
14.	नागालैण्ड	1200	1054	897	909.5	105	101.0	2800	2291	2262	3019.94	1274	1616.30
15.	उड़ीसा	18000	27303	16060	10586.4	11534	7137.1	18000	25771	15378	10911	10676	5950.7
16.	पंजाब	9200	13770	9345	5969.5	8477	5214.7	9200	13308	8895	5677.27	6680	4094.85
17.	राजस्थान	18200	29942	17002	9756.3	13494	7457.1	18700	28735	16896	9877.6	12221	6488.25
18.	सिक्किम	100	75	37	28.0	32	22.8	100	70	31	20.34	27	15.68
19.	तमिलनाडु	25000	33463	20815	8024.8	16783	6566.0	27000	34896	21941	8383.83	17448	6777.19
20.	त्रिपुरा	3000	3144	2212	1731.0	1833	1461.2	3000	3880	2339	2010.51	1901	1413.31
21.	उत्तर प्रदेश	52000	73931	47165	32916.3	42103	28779.4	52500	67829	43829	31720.5	36131	26719.5
22.	पश्चिम बंगाल	24000	9123	4656	3261.5	3774	2467.4	24500	9273	5071	3377.16	3900	2720.37
23.	अंडमान एवं निकोबार	400	305	150	116.0	142	109.1	200	321	191	139.02	94	64.04
24.	अरुणाचल प्रदेश	850	536	452	447.1	449	443.8	1050	989	441	403.02	241	212.02
25.	चण्डीगढ़	100	444	275	179.2	193	113.5	100	453	260	158.31	74	44.87
26.	दादरा और नागर हवेली	50	9	5	4.0	4	3.0	50	53	30	24.00	24	16
27.	गोवा	500	77	53	45.3	44	34.6	500	78	51	45.61	39	33.18

28. मिजोरम	200	266	144	134.5	144	134.2	1000	818	485	447.00	349	287.95
29. पांडिचेरी	650	664	395	181.9	355	148.4	650	754	380	155.93	300	123.31
30. लक्षद्वीप	50	17	12	10.0	4	2.7		6	5	4.15	5	3.9
31. दमन एवं दीव	50	25	22	15.5	22	15,5	50	25	14	10.66	14	10.66
32. दिल्ली	4500	2468	853	618.4	717	491.4	4500	2247	738	530.44	487	343.42
33. झारखण्ड	9000	9164	5650	4752.8	4885	3914.7	9000	9060	5448	4750.07	4324	3331.42
34. छत्तीसगढ़	6000	8199	4333	2754.7	3298	2058.9	6800	9032	5184	3385.03	3457	2111.54
35. उत्तरांचल	7000	8811	6277	424.85	5858	3939.8	8000	9183	6496	4678.67	5895	4120.1
36. विनिर्दिष्ट नहीं		3377	1246	1289.7	1033	1062.2		3280	1304	1328.84	855	865.03
कुल	402150	481479	296128	189607.5	246674	151762.5	419800	478453	301929	192866.94	221990	134948.41

टिप्पणी: आंकड़े अनन्तिम

विवरण-IV

वर्ष 2004-05 और 2005-06 के लिए एस.एल.आर.एस. के तहत लक्ष्य और बैंकों द्वारा संवितरित कुल ऋण का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए लाख में)

क्रम सं.	राज्य	2004-05						2005-06					
		लक्ष्य (वास्तविक)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल ऋण				लक्ष्य (वास्तविक)	प्राप्त आवेदनों की संख्या	कुल ऋण			
				मंजूर		संवितरित				मंजूर		संवितरित	
				संख्या	राशि	संख्या	राशि			संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आन्ध्र प्रदेश	634	524	427	104.83	402	92.63	175	196	177	19.52	176	19.47
2.	असम	182	46	41	4.86	35	4.46	25	0	0	0	0	0
3.	बिहार	280	237	162	38.32	159	38.12	50	103	83	20.4	83	20.4
4.	गुजरात	5448	2137	1775	114.35	1752	110.53	1820	3895	2467	273.09	2446	247.52
5.	हरियाणा	238	274	178	44.00	146	36.5	137	165	114	26.70	107	21.03
6.	हिमाचल प्रदेश	219	90	76	24.62	76	24.62	128	122	103	35.9	102	34.75
7.	जम्मू-कश्मीर	113	28	8	3.05	4	1.27	0	27	27	1.35	27	1.33
8.	कर्नाटक	1994	1014	792	152.87	730	138.1	302	230	221	72.74	214	70.83
9.	केरल	20	4	4	0.46	4	0.46	0	0	0	0	0	0

10. मध्य प्रदेश	4747	4425	2447	623.94	1645	373.39	3905	3796	2384	720.71	1833	482.99
11. महाराष्ट्र	1060	799	510	97.26	474	84.56	875	1004	702	115.25	612	92.25
12. मणिपुर	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. मेघालय	25	7	6	1.05	6	1.05	0	0	0	0	0	0
14. नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00
15. उड़ीसा	1269	922	563	156.01	481	119.41	0	376	296	98.6	295	96.08
16. पंजाब	40	25	23	3.16	23	3.16	10	3	3	0.6	0	0
17. राजस्थान	2601	2862	1801	352.98	1233	234.65	3687	2997	1950	697.31	1412	509.78
18. सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. तमिलनाडु	25	16	16	3.68	16	3.68	8	165	109	21.85	26	4.6
20. त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. उत्तर प्रदेश	661	654	489	92.35	451	58.6	4623	984	766	144.63	645	123.74
22. पश्चिम बंगाल	65	97	68	19.44	52	17.45	0	117	117	2.87	117	2.87
23. अंडमान एवं निकोबार	20	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0
24. अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0
25. चण्डीगढ़	3	2	1	0.5	1	0.5	9	3	3	1.4	2	0.95
26. दादरा एवं नागर हवेली	0	0	0	0.00	0	0	10	28	8	2.00	8	2
27. गोवा	30	1	1	0.2	1	0.2	32	0	0	0	0	0
28. मिजोरम	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0
29. पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दमन एवं दीव	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0	0.00	0	0
32.	दिल्ली	100	25	22	3.09	22	3.09	20	0	0	0.00	0	0
33.	झारखण्ड	0	4	4	0.83	4	0.83	50	0	0	0	0	0
34.	छत्तीसगढ़	637	372	94	19.8	89	18.02	169	129	127	28.25	126	27.67
35.	उत्तरांचल	294	79	48	9.15	46	8.53	668	89	57	13.19	55	12.33
36.	विनिर्दिष्ट नहीं												
	कुल	20725	14644	9556	1870.8	7852	1378.81	16703	14429	9714	2296.36	8286	1770.59

टिप्पणी: आंकड़े अनन्तिम

स्मारक सिक्के

3561. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नामिकीय वैज्ञानिकों के दो, पांच और सौ रुपये के स्मारक सिक्कों को जारी करने की योजना बना रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एकमुश्त निपटान योजनाओं के लंबित प्रस्ताव

3562. श्री सीताराम सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एकमुश्त निपटान योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक के पास एकमुश्त निपटान के कितने प्रस्ताव लंबित हैं;

(ग) इस संबंध में बैंकों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) दिनांक 10-08-2005 को केन्द्रीय वित्त मंत्री द्वारा घोषित छोटे और मझौले उद्यमों (एस.एम.ई.) से संबंधित नीतिगत पैकेज के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने इस क्षेत्र में पुरानी अनुपयोज्य आस्तियों के एकबारगी निपटान के लिए सरलीकृत विवेकाधिकार रहित और अभेदमूलक तंत्र प्रदान करने के लिए सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों द्वारा समान रूप से क्रियान्वयन हेतु दिनांक 03-09-2005 को एस.एम.ई. खातों के लिए एकबारगी निपटान योजना संबंधी मार्गनिर्देश जारी किया है। इन मार्गनिर्देशों में निम्नलिखित शामिल हैं:- (i) एस.एम.ई. क्षेत्र की सभी अनुपयोज्य आस्तियां जो उस तारीख से, जिस तारीख से खाते को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया था, को 10 करोड़ रु. या उससे कम की बकाया शेषराशि के साथ दिनांक 21-03-2004 की स्थिति के अनुसार संदिग्ध या हानि वाली हो चुकी हैं, और (ii) दिनांक 31-03-2004 की स्थिति के अनुसार अवमानक के रूप में वर्गीकृत अनुपयोज्य आस्तियां जो तदनन्तर संदिग्ध या हानिवाली हो चुकी हैं जहां बकाया शेष राशि उस तारीख को 10 करोड़ रुपये या उससे कम थी जिस तारीख को खाते को संदिग्ध के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इन मार्गनिर्देशों में वे मामले शामिल हैं जिनमें बैंकों ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की है और साथ ही, वे मामले भी शामिल हैं जो न्यायालयों/ऋण वसूली अधिकरणों/बी.आई.एफ.आर. में लम्बित हैं जो उनसे प्राप्त की जा रही सहमति डिक्री के अध्यधीन हैं। तथापि, इन मार्गनिर्देशों में जानबूझकर चूक, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के मामले शामिल नहीं हैं।

(ख) से (घ) इन मार्गनिर्देशों के अनुसार, उधारकर्ताओं से आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख 31-03-2006 थी और बैंकों को दिनांक 30-06-2006 तक इस संबंधित प्रक्रिया को पूरा करना था। दिनांक 31-03-2006 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों को 583.45 करोड़ रुपये की कुल राशि वाले 8,206 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिनमें से 6446 मामलों के निपटान को अनुमोदन दिया जा चुका है जिनमें 379.74 करोड़ रुपये की राशि शामिल है। मार्च, 2006 को समाप्त तिमाही के लिए योजना के अंतर्गत प्रगति रिपोर्ट संलग्न विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

मार्च, 2006 को समाप्त तिमाही के लिए लघु और मझौले उद्यमों (एस.एम.ई.) खातों के लिए एकबारगी निपटान योजना के अंतर्गत तिमाही प्रगति रिपोर्ट

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	पात्र खाते		प्राप्त प्रस्ताव		अनुमोदित निपटान	
		खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि	खातों की सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1186	176.50	102	41.33	87	26.65

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	5358	101.11	199	6.02	193	5.98
3.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	सूचित नहीं किए गए		134	22.23	126	20.92
4.	स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र	5785	68.58	79	1.39	43	0.52
5.	भारतीय स्टेट बैंक	191437	223.62	2128	15.47	1227	12.08
6.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	सूचित नहीं किए गए		22	1.11	22	1.04
7.	स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1298	16.93	3	1.05	3	1.05
8.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	262	15.62	34	7.02	30	5.40
9.	इलाहाबाद बैंक	सूचित नहीं किए गए		6	0.21	6	0.21
10.	आन्ध्रा बैंक	12618	165.35	69	8.60	66	5.26
11.	बैंक ऑफ इंडिया	9296	461.12	539	8.54	501	6.28
12.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1624	69.86	103	3.48	88	1.75
13.	बैंक ऑफ बड़ौदा	8515	538.76	402	46.21	340	26.75
14.	केनरा बैंक	7049	791.04	115	12.39	109	7.63
15.	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	13423	705.41	387	56.01	282	15.17
16.	कार्पोरेशन बैंक	सूचित नहीं किए गए		34	5.80	25	5.12
17.	देना बैंक	105	44.26	13	13.70	12	5.30
18.	इंडियन ओवरसीज बैंक	सूचित नहीं किए गए		403	23.58	380	19.76
19.	इंडियन बैंक	4404	297.46	459	56.79	426	42.35
20.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	2297	259.32	328	87.44	275	55.91
21.	पंजाब एंड सिंध बैंक	3608	218.71	89	20.10	69	5.95
22.	पंजाब नैशनल बैंक	11976	452.54	1395	77.21	1142	59.93
23.	सिंडिकेट बैंक	4439	166.80	121	4.03	121	3.70
24.	यूको बैंक	9771	102.43	479	11.91	385	10.43
25.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	13173	333.30	340	18.16	288	15.79
26.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	5711	28.97	33	4.15	32	4.08
27.	विजया बैंक	2024	125.39	190	29.52	168	14.73
	कुल	315359	5363.08	8206	583.45	6446	379.74

[अनुवाद]

यू.टी.आई. म्यूचुअल फंड

3563. श्री खारबेल स्वाई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी म्यूचुअल फंड एजेंसी यू.टी.आई. इस समय म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में शीर्षस्थ स्थान पर है;

(ख) यदि नहीं, तो यू.टी.आई. की इस गिरावट का क्या कारण है; और

(ग) इस संगठन को इसकी पूर्व गरिमा वापस दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) भारत सरकार की यू.टी.आई. म्यूचुअल फंड (यू.टी.आई.एम.एफ.) में कोई शेयर धारिता नहीं है। सरकार की नीति म्यूचुअल फंड उद्योग सहित पूंजी बाजार के लिए लाभप्रद अभिवृद्धि माहौल की व्यवस्था करने की है।

मानदेय की संशोधित दर

3564. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालयों में सरकारी वकीलों को दिए जा रहे सरकारी मानदेय की दरें क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने सरकारी वकील के मानदेय/फीस की दर में संशोधन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सरकारी वकील के मानदेय की दर में वृद्धि और संशोधन करने की योजना बना रही है;

(ङ) यदि हां, तो कब तक; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) विभिन्न न्यायालयों के काउंसेल को संदेय फीस को उपदर्शित करने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) सरकार ने उच्च न्यायालयों के काउंसेलों की फीस संरचना का सुव्यवस्थीकरण करने के लिए एक प्रस्ताव चलाया है जिससे कि उसे बंबई उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के काउंसेलों की फीस संरचना के समान बनाया जा सके। उच्चतम न्यायालय और जिला न्यायालय के काउंसेल की फीस की दरों को पुनरीक्षित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) उच्च न्यायालयों के काउंसेल की फीस संरचना के सुव्यवस्थीकरण के प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को भेजा गया है।

(च) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के काउंसेल की फीस की वर्तमान दरें उचित हैं।

विवरण-I

भारत के उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और जिला न्यायालयों के काउंसेल को संदेय फीस

क. उच्चतम न्यायालय के समूह 'क' काउंसेल को कार्य की मुख्य मदों के लिए संदेय फीस:-

कार्य की मद	संदेय फीस
सभी नियमित अपीलें और प्रतिरक्षित रिट याचिकाएं (अंतिम सुनवाई के लिए)	रु. 4500/- प्रति मामला प्रति दिन
सभी प्रतिरक्षित ग्रहण संबंधी मामले (ग्रहण के लिए एस.एल.पी./टी.पी. और रिट याचिकाएं तथा अन्य प्रकीर्ण मामले)	रु. 3000/- प्रति मामला प्रति दिन
अभिवचनों का समाधान	रु. 1800/- प्रति मामला

कार्य की मद	संदेय फीस
प्रकीर्ण आवेदनों में उपसंजात होना	रु. 1500/- प्रति मामला
सम्मेलन	रु. 300/- प्रति सम्मेलन

ख. उच्चतम न्यायालय के समूह ख, ग और घ काउंसेल को कार्य की मुख्य मदों के लिए संदेय फीस:-

कार्य की मद	संदेय फीस
सभी नियमित अपीलें और प्रतिरक्षित रिट याचिकाएं (अंतिम सुनवाई के लिए)	रु. 2000/- प्रति मामला प्रति दिन
सभी प्रतिरक्षित ग्रहण संबंधी मामले (ग्रहण के लिए एस.एल.पी./टी.पी. और रिट याचिकाएं तथा अन्य प्रकीर्ण मामले)	रु. 1500/- प्रति मामला प्रति दिन
एस.एल.पी./प्रति शपथ-पत्र/प्रत्युतर आदि का प्रारूपण	रु. 1050/- प्रति मामला
लिखित प्रस्तुतिकरण तैयार करना	रु. 1100/- प्रति मामला
प्रकीर्ण आवेदनों में उपसंजात होना या उनका प्रारूपण (इसके अंतर्गत मामले/केवियट/निपटान/संख्या अभिप्राप्त करना तथा सुनवाई के लिए तारीख लेना है)	रु. 900/- प्रति मामला

ग. उच्च न्यायालयों (बम्बई उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय को छोड़कर) के वरिष्ठ पैनल काउंसेल को कार्य की मुख्य मदों के लिए संदेय फीस:-

कार्य की मद	संदेय फीस
वाद, रिट याचिकाएं और अपीलें	रु. 3000/- प्रति मामला प्रति प्रभावी सुनवाई रु. 500/- अप्रभावी सुनवाई के लिए
रिट याचिकाओं को छोड़कर उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए इजाजत हेतु आवेदन	रु. 1100/- प्रति मामला
अभिवचन समाधान	रु. 900/- प्रति मामला
प्रकीर्ण आवेदन	रु. 900/- प्रति मामला
सम्मेलन	रु. 300/- प्रति सम्मेलन

घ. भारत के सहायक महा-सालिसिटर, उच्च न्यायालयों (बम्बई उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय को छोड़कर) के केन्द्रीय सरकार के काउंसेल को कार्य की मुख्य मदों के लिए संदेय फीस:-

कार्य की मद	संदेय फीस
सिविल या दांडिक रिट याचिका	रु. 2250/- प्रति मामला

कार्य की मद	संदेय फीस
संविधान के अनुच्छेद 132 या अनुच्छेद 133 के अधीन याचिकाएं	रु. 900/- प्रति मामला प्रति दिन रु. 1800/- अधिकतम
मूल वाद और मूल वादों की डिक्रियों से सिविल अपीलें	मूल्यानुसार फीस
सिविल या दांडिक पुनरीक्षण	रु. 1050/- प्रति मामला
सिविल या प्रकीर्ण आवेदन अथवा याचिकाएं	रु. 750/- प्रति मामला
विक्रय कर अधिनियम के अधीन उच्च न्यायालय को प्रतिनिर्देश और बैंककारी कंपनी याचिकाएं	रु. 1050/- प्रति मामला या न्यायालय द्वारा नियत की गई राशि, जो भी अधिक हो
अभिवचनों का प्रारूपण	रु. 750/- प्रति अभिवचन

ड जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के स्थायी सरकारी काउंसेल/अतिरिक्त स्थायी सरकारी काउंसेल को संदेय फीसः-

कार्य की मद	संदेय फीस
वाद, मोटर यान अधिनियम संबंधी दावा मामले, मकान किराया संबंधी मामले, सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम, माध्यस्थम अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, आदि के अधीन मामले	(i) रु. 600/- प्रति दिन प्रभावी सुनवाई के संबंध में उपसंजात होने के लिए (ii) रु. 200/- प्रति दिन अप्रभावी सुनवाई के लिए
प्रारूपण	रु. 500/- प्रति अभिवचन
सम्मेलन	रु. 300/- प्रति सम्मेलन

विवरण-II

बम्बई उच्च न्यायालय और कलकत्ता उच्च न्यायालय के काउंसेल को कार्य की मुख्य मदों के लिए संदेय फीस

कार्य की मद	विशेष काउंसेल	ज्येष्ठ काउंसेल समूह-1	ज्येष्ठ काउंसेल समूह-2	कनिष्ठ काउंसेल
1	2	3	4	5
वाद, अपीलें, रिट/पुनरीक्षण याचिकाएं जिनके अंतर्गत उच्च न्यायालय में विशेष सिविल आवेदन भी है (प्रति दिन प्रति प्रभावी सुनवाई)	रु. 3000/-	रु. 2000/-	रु. 1250/-	रु. 650/-

1	2	3	4	5
अंतरिम प्रस्तावों सहित आवेदन, नोटिस, अपीलें, इजाजत आवेदन, माध्यस्थम्, कंपनी मामले, दांडिक पुनरीक्षण और अन्य भूमि अर्जन प्रतिनिर्देश (प्रति दिन प्रति प्रभावी सुनवाई)	रु. 1100/-	रु. 900/-	रु. 700/-	रु. 450/-
समाधान अभिवचनों और शपथ-पत्रों का प्रारूपण (प्रति अभिवचन)	रु. 900/-	रु. 600/-	रु. 500/-	रु. 350/-
मध्यस्थों और अधिकरणों तथा उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालयों के समक्ष उपसंजात होना (प्रति दिन प्रति प्रभावी सुनवाई)	रु. 2500/-	रु. 2000/-	रु. 1250/-	रु. 800/-
सम्मेलन/परामर्श (प्रति परामर्श)	रु. 300/-	रु. 250/-	रु. 200/-	रु. 150/-

केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी.ई.आई.बी.)

3565. श्री सुबोध मोहिते: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सी.ई.आई.बी.) के कार्यकरण का संचालन करने वाले अधिनियम/नियमों/दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए अलग अधिनियम के अभाव के कारण सी.ई.आई.बी. के कार्यकरण में बाधा आती है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए अलग कानून का अधिनियम करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(छ) क्या देश में आर्थिक अपराधों की अभियोजन दर अन्य अपराधों की अपेक्षा बहुत कम है; और

(ज) यदि हां, तो आर्थिक अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (के.आ.आ.ब्यू.) का कार्यकरण सरकार द्वारा जारी किए गए एक चार्टर द्वारा शासित किया जाता है जिसके द्वारा संगठन को आर्थिक आसूचना परिषद के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए और सभी स्रोतों से आसूचना रिपोर्टें प्राप्त करने तथा मिलान करने, विश्लेषण करने तथा संगत सरकारी एजेंसियों के बीच उन्हें प्रचारित करने के लिए आर्थिक आसूचना हेतु एक केन्द्रक एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए आदेश दिया गया है।

(ख) और (ग) जी नहीं।

(घ) से (च) ऐसे विधान को अधिनियमित करने के लिए वित्त मंत्रालय के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि मौजूदा विधान आर्थिक अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त समझे जाते हैं।

(छ) और (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

सरकारी भूमि पर अतिक्रमण

3566. श्री रामदास आठवले: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने अक्तूबर, 2005 में केन्द्र सरकार और डी.डी.ए. को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण रोकने और निजी भूमि पर बनने वाली कालोनियों का भाग्य निर्धारित करने तथा तीन महीने के भीतर दक्षिण दिल्ली में संगम विहार कालोनी को नियमित करने के संबंध में भी कोई निर्णय लेने हेतु निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करने हेतु कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सरकारी भूमि की सुरक्षा करने तथा अनाधिकृत कालोनियों का नियमितीकरण करने के संबंध में निर्णय लेने के लिए संगम विहार विकास मंच बनाम भारत संघ और अन्यों के मामले में सिविल रिट याचिका सं. 905/2005 में 20-10-2005 को आदेश पारित किया था।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने आगे यह सूचित किया है कि जहां तक उसकी भूमि पर अतिक्रमण रोकने का संबंध है, दिल्ली विकास प्राधिकरण इस संबंध में आवश्यक कदम उठा रहा है।

शहरी विकास मंत्रालय ने भी मार्च, 2006 में न्यायालय में एक शपथपत्र दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ दिल्ली में अनाधिकृत कालोनियों के नियमितीकरण के लिए नीति दिशानिर्देशों की स्थिति के बारे में बताया गया है।

बाढ़ के कारण विद्युत की कमी

3567. श्री अशोक कुमार रावत:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महोदव गायकवाड़:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश मे बाढ़ और नदियों के जल स्तर बढ़ने के कारण प्रभावित विद्युत संयंत्रों के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो उपर्युक्त कारण से कितने राज्य विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ग) वर्तमान मानसून के दौरान इन संयंत्रों के बंद होने के कारण परियोजना-वार और राज्य-वार कुल कितना घाटा उठाना पड़ा;

(घ) इन राज्यों को प्रतिदिन कितनी विद्युतापूर्ति की कटौती की जा रही है; और

(ङ) ऐसे सभी राज्यों को अन्य संयंत्रों से विद्युतापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) राज्य सरकारों सहित संबंधित सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से सूचना एकत्र की जा रही है और उचित समय पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

काला धन

3568. श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री के. सुब्बारायण:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने काले धन का पता लगाने और उस पर नियंत्रण पाने के लिए कोई नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान उक्त नीति के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है;

(ग) इससे प्राप्त सफलता के संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस नीति के लागू होने के बाद से बैंकिंग नकद लेन-देन कर के रूप में कुल कितना राजस्व वसूल किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) आयकर विभाग काले धन पर नियंत्रण रखने एवं कर अपवंचन की रोकथाम के लिए दण्डात्मक एवं निवारक उपाय करता है। इनमें तलाशी एवं जब्ती कार्रवाइयों को अन्जाम देना, सर्वेक्षण कार्य, विवरणियों की संवीक्षा, अर्थदण्ड अधिरोपण एवं उचित मामलों में अभियोजन प्रारम्भ करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सरकार के वित्त अधिनियम, 2005 के माध्यम से दो अतिरिक्त कर अपवंचनरोधी उपाय लागू किए गए हैं, नामतः बैंकिंग चैनलों के माध्यम से बड़े नकद आहरणों का पता लगाने के लिए बैंककारी नकद संव्यवहार कर का अधिरोपण एवं आयकर अधिनियम की धारा 206 क के अंतर्गत यथा विहित कतिपय जमा राशियों की तिमाही विवरणी प्रस्तुत करना।

(ख) आयकर विभाग तथा कानून प्रवर्तन करने वाली अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों के समन्वय के परिणामस्वरूप सरकार के द्वारा काले धन का पता लगाया गया है। तदनुसार, इन उपायों के प्रभाव को अलग-अलग करके नहीं मापा जा सकता। तथापि, पिछले दो वर्षों के दौरान आयकर विभाग के द्वारा की गई तलाशी एवं जब्ती कार्रवाइयों के दौरान जब्त की गई परिसम्पत्तियों की राशि निम्नलिखित है:-

वित्त वर्ष	जब्त की गई परिसम्पत्तियों का मूल्य (करोड़ रुपये में)
2004-05	202.27
2005-06	351.69

इसके अतिरिक्त, बैंककारी नकद संव्यवहार कर के अंतर्गत सूचित बड़े नकद आहरणों के संबंध में की गई जांच के फलस्वरूप भी कर अपवंचन का पता चला है।

(ग) समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम प्रभावी रहे हैं। तथापि, कर अपवंचन को रोकना एवं काले धन पर नियंत्रण रखना विभाग की एक सतत प्रक्रिया है।

(घ) बैंककारी नकद संव्यवहार कर को लागू किए जाने के पश्चात् से दिनांक 15 अगस्त 2006 तक संग्रहीत राजस्व की राशि 969 करोड़ रुपये है।

बीमा क्षेत्र में घोटाला

3569. श्री सुनिल कुमार महतो:

श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने गत दो वर्षों के दौरान बीमा क्षेत्र में किसी घोटाले का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) इस घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराए गए अधिकारियों के नाम क्या हैं;

(घ) उक्त घोटाला कितनी धनराशि का है;

(ङ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमरा बंसल): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र की छः बीमा कंपनियों में से तीन कंपनियों नामतः न्यू इंडिया एश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड, दी ओरियंटल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड एवं युनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की गई/की जा रही अनियमितताओं के मामलों की सूचना दी है। मामले तथा उत्तरदायी अधिकारियों के नाम एवं अंतर्ग्रस्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो भ्रष्टाचार एवं अन्य कदाचारों, जिनमें सरकारी कर्मचारी संलिप्त होते हैं, से संबंधित अपराधों की जांच-पड़ताल करता है। जांच-पड़ताल पूरी होने पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो अपने निष्कर्षों एवं दस्तावेज तथा रिकार्ड किए गए मौखिक साक्ष्य के अनुरूप संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कठोर आपराधिक अभियोजन/नियमित विभागीय कार्रवाई (आर.डी.ए.) की सिफारिश करता है। इसके अतिरिक्त, कंपनियों के पास एक बेहतर सतर्कता व्यवस्था होती है जिसका प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जो यह सुनिश्चित करता है कि कंपनी केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.) के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करे। बीमा कंपनियों के सतर्कता अधिकारी उपचारी/निवारक कार्रवाई करने के लिए प्रभाग कार्यालयों/शाखा कार्यालयों का औचक निरीक्षण करते हैं।

विवरण

क्र. सं.	मामलों का ब्यौरा	उत्तरदायी ठहराये गये अधिकारी का नाम	अंतर्ग्रस्त राशि
1	2	3	4
1.	**न्यू इंडिया एश्योरेंस कं. लि.** आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक आस्तियां जो 8,98701/- रुपये राशि की है	श्री ए. बेंकटेश्वर राव, ए.ओ. विजयावाड़ा डी.ओ., विशाखापटनम आर.ओ.	8,98,701/- रुपये

1	2	3	4
2.	घूस लेना	श्री पी.के. दास, क्र.सं. 14954 भुवनेश्वर डी.ओ. III	5,000/- रुपये
3.	दावों का कपटपूर्ण निपटान	श्री एन.के. सिंघल, ए.ओ. (डी) श्री नीरज अग्रवाल, ए.एम. कानपुर, डी.ओ. III कानपुर आर.ओ.	लगमग 4.5 लाख रुपये
4.	जाली मरीन दावों का निपटान	डा. जी.एल. सोनी, सीनियर डी.एम. श्री डी.आर. व्यास, ए.ए.ओ. (डी) श्री डी.ए. सेंगल, ए.ए.ओ. श्रीमती आर.पी. शाह, ए.ए.ओ. श्री एम.एस. उमरीगर, ए.ए.ओ. नाडियाड डी.ओ., बड़ौदा आर.ओ.	लगभग 10 लाख रुपये
5.	जाली दावों का निपटान	श्री एस.ए. परमार, सीनियर डी.एम., बड़ौदा, आर.ओ.	लगभग 23,54,961/- रुपये
6.	कपटपूर्ण मरीन दावे का निपटान	श्री जे.एच. रूसत, मैनेजर श्री सी.के. पटनी, डी.ओ. श्री एम.जी. जयप्रकाश, ए.ए.ओ., बड़ौदा आर.ओ.	लगभग 11,56,216/- रुपये
7.	दावों के निपटान में की गई अनियमितताएं	श्री एम.सी. देसाई, डी.एम., कैलीना, डी.ओ., एम.आर.ओ. II	1,72,500/- रुपये
8.	फंसाने का मामला/घूस लेना	श्री सी.एस. वाल्के, ए.ओ, (डी) उसमानाबाद, बी.आर. पुणे आर.ओ.	1000/- रुपये
9.	जाली मोटर दावों का निपटान	श्री एन.एस. विश्वा, तत्कालीन ए.एम. श्री आर.बी. स्कण्ल, सहायक, तारदेव डी.ओ. 111300 एम.आर.ओ. I	–
10.	टी.सी.एस. के चेकों की कपटपूर्ण भुनाई	श्री एस.सी. शेट्टी, सहायक तारदेव डी.ओ. 120100 एम.आर.ओ. III	1.64 करोड़ रुपये
11.	मरीन दावे के निपटान में अनियमितताएं	श्रीमती एस. मुखर्जी, डी.एम., पटना डी.ओ. I पटना आर.ओ.	2,95,250/- रुपये
12.	नकदी का दुर्विनियोजन	श्री ए.पी. सर्वतकर, सहायक एम.आर.ओ. I	–
13.	एम.ए.सी.टी. मामले के निपटान में अनियमितताएं	श्री एम.के. राघवेन्द्रन, ए.एम. श्री एम. रमेश, वरिष्ठ डी.एम. बंगलौर आर.ओ.	–
14.	निर्माण के लिए वित्त की मंजूरी में अनियमितताएं	श्री यू.एस. काकोदकर, बी.एम. पणजी, बी.आर. गोवा, एम.आर.ओ. II	–

1	2	3	4
15.	**ओरियंटल इन्श्योरेन्स कं. लि.** जाली अग्नि/पशु दावे-सी.बी.आई. पटना	श्री एस.एस. गुप्ता, बी.एम. बी.ओ. सहरसा श्री आर.पी. सिंह, डी.ओ. श्री बिजेन्द्र झा, रिकार्ड क्लर्क, बी.ओ. सहरसा	1,08,000/- रुपये
16.	तीन जाली पशु दावे-सी.बी.आई., पटना	श्री एस.एस. गुप्ता, बी.एम. श्रीमती पूनम झा, एजेन्ट बी.ओ. सहरसा	76,000/- रुपये
17.	अस्तित्वहीन फर्मों के जाली दावे-सी.बी.आई. पटना	श्री एस.एस. गुप्ता, बी.एम. श्रीमती पूनम झा, एजेन्ट बी.ओ. सहरसा	2,10,000/- रुपये
18.	तीन जाली पशु दावे, सी.बी.आई. पटना	श्री एस.एस. गुप्ता, बी.एम. श्री रंजीत पंडित, डी.ओ. श्री एन.के. मिश्रा, डी.ओ. बी.ओ. सहरसा	53,000/-रुपये
19.	पांच कपटपूर्ण विविध एवं पशु दावे-सी.बी.आई., पटना	श्री एस.एस. गुप्ता, बी.एम. श्री जितेन्द्र झा, सर्वेक्षक बी.ओ. सहरसा	98,011/- रुपये
20.	दो कपटपूर्ण घरेलू चीजों के दावे एवं एक पशु दावा-सी.बी.आई., पटना	श्री एस.एस. गुप्ता, बी.एम. श्री राजीव कुमार सर्वेक्षक श्री अशोक कुमार, तत्कालीन ए.ए.ओ.	52,750/- रुपये
21.	चार कपटपूर्ण दावे-सी.बी.आई., पटना	श्री एस.एस. गुप्ता, बी.एम. श्री जितेन्द्र झा, सर्वेक्षक बी.ओ. सहरसा	1,10800/- रुपये
22.	छः कपटपूर्ण दावे-सी.बी.आई., पटना	श्री एस.एस. गुप्ता, बी.एम. श्री राजीव कुमार, सर्वेक्षक श्री नरेन्द्र कुमार मिश्रा, डी.ओ. श्री रतन कुमार लाल सर्वेक्षक बी.ओ. सहरसा	1,15,520/- रुपये
23.	दो पशु दावे-सी.बी.आई., पटना	श्री एस.एस. गुप्ता, बी.एम. श्री अशोक कुमार, तत्कालीन ए.ए.ओ. श्री नगेन्द्र कुमार मिश्रा, डी.ओ. श्री अमरेन्द्र कुमार मिश्रा, सहायक श्री मोहन मिश्रा, सेवानिवृत्त डी.ओ. एल.आई.सी., फारबिसगंज जिला, अररिया, बी.ओ. सहरसा	50,000/- रुपये
24.	**युनाइटेड इन्श्योरेन्स कंपनी लि.** मोटर के तृतीय पक्ष दावे में अनियमितता-सी.बी.आई., चेन्नई	श्री एस. त्यागराजन, वरिष्ठ डी.एम.	50,13,000 रुपये
25.	मोटर के तृतीय पक्ष दावे में अनियमितता-सी.बी.आई., चंडीगढ	यह मामला सी.बी.आई. के विचाराधीन है। संबंधित कर्मचारी की जानकारी अब तक नहीं है।	2.5 करोड़ रुपये*

[अनुवाद]

भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट

3570. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रुपये के मूल्य में अमरीकी डालर की तुलना में निरंतर गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव का आकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, नहीं। अमरीकी डालर की तुलना में विनिमय दर ने हाल की अवधि में दुतरफा उतार-चढ़ाव दिखाए हैं। मार्च 2006 में प्रति अमरीकी डालर 44.48 रुपये की औसत से गिरकर 19 जुलाई, 2006 को प्रति अमरीकी डालर 46.97 रुपये हो जाने के बाद, रुपये के मूल्य में वृद्धि हुई और यह 18 अगस्त, 2006 को प्रति अमरीकी डालर 46.48 रुपये के स्तर पर था।

(ग) से (ङ) रुपये के उतार-चढ़ाव के बृहत्-आर्थिक प्रभाव को बारीकी से मॉनीटर किया जाता है और इस संबंध में नीतिगत दृष्टिकोण यह है कि विनिमय दर को बाजार शक्तियों द्वारा मुक्त रूप से निर्धारित होने दिया जाए क्योंकि यह आर्थिक सिद्धान्तों को प्रतिबिम्बित करता है तथा मौद्रिक नीति एवं अन्य उपायों के माध्यम से अनियमित उतार-चढ़ावों और वास्तविक क्षेत्र के साथ असंगति पर नियंत्रण रखा जाए।

राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम का कार्यान्वयन

3571. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम इस बात पर जोर देता है कि इस अधिनियम के कार्यान्वयन के प्रत्येक कदम में पंचायती राज संस्थाओं को सम्मिलित किया जाना होगा;

(ख) यदि हां, तो इन संस्थाओं को कतिपय राज्यों में इस योजना से बाहर रखने के क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इस योजना को पूरे देश में पूर्णतः कार्यान्वित कराने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले प्रस्तावित सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 13(1) में प्रावधान है कि जिला स्तरीय, मध्य स्तरीय और ग्राम स्तरीय पंचायतें अधिनियम के तहत बनाई गई योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए प्रमुख प्राधिकरण होंगी।

(ख) और (ग) विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के जरिए अधिनियम का कार्यान्वयन किया जा रहा है। मंत्रालय द्वारा प्रत्येक एजेंसी की भूमिका विनिर्दिष्ट करते हुए परिचालन संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं। लागत के रूप में कम से कम 50 प्रतिशत कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित किया जाता है। तथापि, उन राज्यों में, जहां पंचायतें अस्तित्व में नहीं हैं, परिचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में प्रावधान है कि स्थानीय परिषदों/प्राधिकरणों, जैसा कि संबंधित राज्यों द्वारा अधिदेश दिया गया है, को उपयुक्त जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

(घ) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। अधिनियम की प्रगति की निगरानी करने और केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने के लिए विभिन्न राज्यों का क्षेत्र दौरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्षेत्र अधिकारियों और राष्ट्र स्तरीय निगरानीकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। राज्यों को स्थिति से अवगत कराने के लिए उन्हें ये रिपोर्टें भेजी जाती हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्यों को निधियां रिलीज की गई हैं। राज्यों से कहा गया है कि वे कर्मियों, पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों और स्थानीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करें।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों मे विदेशी संस्थागत निवेश की अधिकतम सीमा

3572. श्री के. सुब्बारायण: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी संस्थागत निवेश की अधिकतम सीमा का बैंकवार प्रतिशत कितना है;

(ख) क्या सरकार की सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी संस्थागत निवेश की अधिकतम सीमा को संशोधित करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/80 की धारा 3 (2घ) की शर्तों के अनुसार, कोई व्यक्ति अथवा कंपनी जो भारत से बाहर का निवासी हो अथवा भारत में लागू न किये गए किसी कानून के अंतर्गत नियमित कोई कंपनी अथवा ऐसी कंपनी की कोई शाखा, जो भारत स्थित हो या भारत से बाहर की हो, कभी किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक के शेयरों को उस सीमा से अधिक धारण अथवा अंतरण अथवा अन्यथा द्वारा अर्जित नहीं करेगी, जिससे कि भारत सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसा कुल निवेश, संबंधित बैंक की चुकता पूंजी के 20 प्रतिशत से अधिक न हो। यह उच्चतम सीमा अनिवासी, जिसमें विदेशी संस्थागत निवेशक, व्यक्ति एवं अन्य कारपोरेट शामिल हैं, द्वारा धारित शेयरों पर लागू है। यद्यपि, बैंक की विदेशी इक्विटी धारित हेतु भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 में कोई प्रतिबंधात्मक सांविधिक उपबंध नहीं है फिर भी, भारतीय स्टेट बैंक में भी विदेशी इक्विटी धारिता के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा 20 प्रतिशत की सीमा का भी निर्धारण किया गया है।

(ख) वर्तमान में, सरकारी क्षेत्र के बैंकों में विदेशी इक्विटी धारिता को परिशोधित करने के लिए सांविधिक उपबंधों में किसी संशोधन का प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

न्यायालयों में कंप्यूटरीकरण

3573. श्री कीर्ति वर्धन सिंह
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना में फास्ट ट्रैक कोर्ट सहित सभी अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में बहुत ही धीमी प्रगति हुई है;

(घ) यदि हां, तो अब तक राज्यवार कितने न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया गया है;

(ङ) चालू योजनावधि के दौरान निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अब तक अनुमानतः कितना खर्च किया गया है और कितना खर्च किए जाने की संभावना है; और

(च) चालू योजना की शेष अवधि में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (च) मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता के चार महानगरों में नगर न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की एक स्कीम वर्ष 2001-02 में प्रारंभ की गई थी तथा इस प्रयोजन के लिए वर्ष 2003-04 तक 17.80 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। लगभग 700 न्यायालयों को इस स्कीम के अंतर्गत लाया गया है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2003-04 में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) के माध्यम से 24.81 करोड़ रुपये की प्राक्कलित लागत से राज्य की राजधानियों और ऐसे नगरों के, जिनमें उच्च न्यायालय अवस्थित हैं, नगर न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के कार्यान्वयन को आरंभ किया गया था। इस परियोजना के अधीन 681 न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए अभी तक 15.44 करोड़ रुपये की राशि उपगत की गई है, जिसके राज्यवार ब्यौरे उपबंध 1 में दिए गए हैं। शेष बचे 188 नगर न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण के लिए 9.37 करोड़ रुपये की राशि उपगत होने की संभावना है (ब्यौरे संलग्न विवरण में उपदर्शित है)।

इसके अतिरिक्त, मार्च, 2005 में 384.53 करोड़ रुपये की कुल लागत (पूर्णतया केन्द्रीय सहायता के साथ) से जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की एक स्कीम अनुमोदित की गई थी और वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन.आई.सी.) को 103.05 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थीं। तत्पश्चात्, सरकार द्वारा स्थापित ई-समिति द्वारा सिफारिश की गई राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना के आधार पर 5 वर्ष की अवधि में तीन चरणों में कार्यान्वित किए जाने के लिए इस स्कीम के कार्यान्वयन की प्राक्कलित लागत को 854 करोड़ रुपये के रूप में पुनरीक्षित किया गया था। इस स्कीम का क्रियान्वयन अभी आरंभ किया जाना है।

विवरण

कंप्यूटरीकृत न्यायालयों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	न्यायालय काम्पलैक्स का नाम	लिए गए न्यायालयों की संख्या	अभी लिए जाने वाले न्यायालयों की संख्या	न्यायालयों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	अंदमान और निकोबार द्वीप समूह	पोर्ट ब्लेयर	7	अहमदाबाद-गुजरात	88
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	111	पटना-बिहार	100
3.	असम	गुवाहाटी	33		
4.	चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	चंडीगढ़	19		
5.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	27		
6.	दादरा और नागर हवेली	दादरा और नागर हवेली	2		
7.	दमण और दीव	दमण और दीव	1		
8.	गोवा	गोवा	7		
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	11		
10.	जम्मू	जम्मू	27		
11.	झारखंड	रांची	39		
12.	कर्नाटक	बैंगलौर	121		
13.	केरल	त्रिवेन्द्रम	33		
14.	लक्षद्वीप	लक्षद्वीप	1		
15.	मध्य प्रदेश	भोपाल	36		
16.	मणिपुर	इम्फाल	20		
17.	मेघालय	शिलांग	7		
18.	मिजोरम	आईजोल	5		
19.	नागालैंड	दीमापुर और वोखा	9		
20.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	21		
21.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	14		

1	2	3	4	5	6
22.	राजस्थान	जोधपुर	33		
23.	सिक्किम	गंगटोक	5		
24.	त्रिपुरा	अगरतला	17		
25.	उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	59		
26.	उत्तरांचल	नैनीताल	16		
		योग	681	योग	188

ग्रामीण ऋण एवं लघु वित्त संबंधी रिपोर्ट

3574. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एच.आर. खान की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह ने ग्रामीण ऋण एवं लघु वित्त संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की दी है;

(ख) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इस समूह की सिफारिशों को पूर्णतः कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा श्री एच.आर. खान की अध्यक्षता में गठित आंतरिक समूह ने जुलाई, 2005 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में निहित प्रमुख सिफारिशें निम्नांकित हैं:

- बैंकों एवं बाह्य कंपनियों के बीच दो व्यापक मॉडलों के तहत संपर्क स्थापित किया जाए; यथा (i) कारोबारी सुविधादाता मॉडल जिसमें बैंक, गैर-वित्तीय सेवा देने के लिए सिविल सोसाइटी संगठनों (सी.एस.ओ.) तथा अन्य संगठनों का उपयोग कर सकते हैं तथा (ii) कारोबार प्रतिनिधि मॉडल जिसमें संस्थागत अभिकरण/अन्य बाह्य कंपनियां वित्तीय सेवाएं देने के लिए बैंकों को सहायता दे सकती है।

- कारोबारी प्रतिनिधियों से संबंधित सूचना एकत्रित करने के लिए नाबार्ड के तत्वाधान में एक राष्ट्रीय व्यष्टि वित्त सूचना ब्यूरो (एन.एम.आई.बी.) की स्थापना की जा सकती है।

- नाबार्ड एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) जैसी संस्थाएं राज्य/केन्द्रीय विकास/वित्त निगमों हेतु व्यष्टि वित्त संस्था (एम.एफ.आई.) एवं निधियों की शुरुआत करने के लिए बड़ी मात्रा में ऋण सहायता दे सकती है तथा यदि व्यवहार्य हो, तो इसे चुने गए एम.एफ.आई. को नाबार्ड द्वारा दिया जाए।

- एम.एफ.आई. की रेटिंग भी की जाए। नाबार्ड, सिडबी एवं प्रमुख बैंक इक्विटी अंशदान के माध्यम से स्वतंत्र रेटिंग एजेंसी के संवर्धन पर विचार कर सकते हैं।

(ग) समूहों की सिफारिशों के आधार पर तथा व्यापक वित्तीय निवेश को सुनिश्चित करने एवं बैंकिंग क्षेत्र की पहुंच में वृद्धि करने के उद्देश्य से, बैंकों को अनुमति दी गई है कि वे गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/स्व सहायता समूहों (एस.एच.जी.), एम.एफ.आई. एवं अन्य सिविल सोसाइटी संगठनों का कारोबारी सुविधादाता एवं प्रतिनिधि मॉडलों के प्रयोग के माध्यम से, वित्तीय एवं बैंकिंग सेवाएं देने में मध्यवर्ती के रूप में उपयोग करें।

जल संबंधी राज-सहायता

3575. श्री एल. राजगोपाल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सितंबर, 2005 में बंगलौर में आयोजित बैठक में जलापूर्ति प्रणाली प्रचालन और रख-रखाव पर मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नीति दस्तावेज के अनुसार यह व्यवस्था है कि जल संबंधी राजसहायताएं केवल शहरी गरीबों को प्रदान की जाएंगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का विचार जल संबंधी शुल्कों से प्राप्त हो रहे कम राजस्व के परिप्रेक्ष्य में प्रचालनों और रख-रखाव की आवश्यकता को किस प्रकार पूरा करने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) इस मंत्रालय ने सितंबर, 2005 में बंगलौर में जल आपूर्ति प्रणाली के परिचालन एवं रखरखाव संबंधी मैनुअल में कोई नीति पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। मंत्रालय द्वारा सितंबर, 2005 में बंगलौर में एक दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था जिसमें उक्त मैनुअल में प्रकाशित जल आपूर्ति प्रणाली के परिचालन एवं रखरखाव के विभिन्न पक्षों के संबंध में मुख्य इंजीनियरों, नगरपालिका आयुक्तों तथा अन्य अधिकारियों को जानकारी दी गई।

(ग) दोनों कार्यक्रमों यथा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) तथा छोटे एवं मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास योजना (यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी.) में अनिवार्य सुधारों के एक सैट पर विचार किया गया है जिसमें से एक सुधार इस प्रकार है:-

"शहरी स्थानीय निकायों/पैरास्टेटल द्वारा यथोचित उपभोक्ता प्रभार लगाना जिसका उद्देश्य अगले सात वर्षों में परिचालन एवं रखरखाव की पूरी लागत अथवा आवर्ती लागत वसूल करना है। तथापि, पूर्वोत्तर तथा अन्य विशेष श्रेणी के राज्यों में नगरों/कस्बों से प्रारंभ में परिचालन एवं अनुरक्षण प्रभार का कम से कम 50 प्रतिशत भाग लिया जा सकता है। ये नगर/कस्बे परिचालन एवं अनुरक्षण लागत की पूरी वसूली चरणबद्ध तरीके से करेंगे।"

उपर्युक्त सुधार करने पर ही शहरी स्थानीय निकाय कार्यक्रम के तहत उपलब्ध केन्द्रीय धनराशि प्राप्त कर सकेंगे।

राष्ट्रीय पुनर्वास नीति

3576. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पी.ए.पी.) हेतु राष्ट्रीय पुनर्वास नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो इस नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना को स्वीकृति दे दी है ताकि परियोजना प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु समय पर निर्णय किए जा सकें; और

(घ) क्या राज्य सरकार ने महाराष्ट्र राज्य पुनर्वास (नीति) अधिनियम, 1999 में उपयुक्त संशोधन किए हैं और महाराष्ट्र पुनर्वास प्राधिकरण की स्थापना करने का निर्णय लिया है जो महाराष्ट्र में विभिन्न परियोजना प्रभावित व्यक्तियों हेतु समयबद्ध पुनर्वास कार्यक्रम पर कार्य करेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आंध्र प्रदेश में विदेशी कंपनियां

3577. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश राज्य में "व्यावसायिक प्रतिष्ठान" वाली विदेशी कंपनियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में इन कंपनियों की स्थापना के माध्यम से वर्षवार और कंपनीवार कुल कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया;

(ग) उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें इन कंपनियों को स्थापित किया गया है; और

(घ) आंध्र प्रदेश में अपने उद्यम स्थापित करने अथवा आरंभ करने के लिए उत्सुक उन विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन पर विचार चल रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) सूचना संकलित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

ग्रामीण नल-जल योजना

3578. श्री राकेश सिंह: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण नल-जल योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के विषय में गंभीर है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अपूर्ण ग्रामीण नल-जल योजनाओं और सतही जल आधारित उच्च लागत योजनाओं

हेतु अलग धनराशि प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) नामक केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. मानदंडों के अनुसार, 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन स्वच्छ पेयजल वाली बसावटों को पेयजल आपूर्ति से कवर किया गया माना जाता है। इसके लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रकार तथा सहयोग के स्वरूप के बारे में निर्णय लेना राज्य सरकारों पर छोड़ दिया जाता है। निधियां परियोजना-वार उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, अपितु राज्यों को निर्धारित मानदंडों के आधार पर आबंटित की जाती हैं जिसमें ग्रामीण जनसंख्या, कवर न की गई बसावटों, भौगोलिक स्थितियों तथा जल गुणवत्ता स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। राज्यों को ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई निधियों से ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाएं बनाने, मंजूर करने, कार्यान्वित करने तथा निष्पादित करने का अधिकार दिया गया है।

महाराष्ट्र के गांवों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव

3579. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान न करने के लिए महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग को की गई शिकायतों की जानकारी है जैसा कि दिनांक 19 जुलाई, 2006 के "दैनिक भास्कर" नागपुर में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान न करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन गांवों में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए धनराशि के माध्यम से विशेष सहायता अथवा कोई दिशा निर्देश जारी किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) दैनिक भास्कर, नागपुर में दिनांक 19 जुलाई, 2006 को प्रकाशित रिपोर्ट में महाराष्ट्र के चन्द्रपुर जिले के 70 से अधिक जनजातीय गांवों में बुनियादी सुविधाओं (ग्रामीण पेयजल सहित) की कमी का उल्लेख है।

(ख) से (घ) चूंकि, ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है, इसलिए गांवों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। तथापि, केंद्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) नामक केंद्र प्रायोजित योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने में राज्यों के प्रयासों में मदद करती है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के अंतर्गत निधियों का अंतर्राज्यीय आबंटन करने के लिए निर्धारित मानदंड हैं जिनमें विभिन्न मानकों अर्थात ग्रामीण आबादी, भौगोलिक परिस्थिति, कवर न की गई बसावटों की संख्या और जल गुणवत्ता की स्थिति पर ध्यान दिया जाता है। इस मानदंड के आधार पर वर्ष 2006-07 के दौरान महाराष्ट्र सरकार को 446.03 करोड़ रुपये की धनराशि रिलीज की गई है। राज्य सरकार उपर्युक्त निधि से ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं की आयोजना, उनकी मंजूरी, कार्यान्वयन और निष्पादन करने में सक्षम है। ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत किसी विशेष सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

अभियांत्रिकी कर्मचारियों की कमी

3580. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार एन.टी.पी.सी. में श्रेणीवार कुल कितने लोग कार्यरत हैं;

(ख) क्या एन.टी.पी.सी. में अभियांत्रिकी कर्मचारियों की भारी कमी है;

(ग) यदि हां, तो क्या कमी को पूरा करने के लिए और अधिक अभियांत्रिकी कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) 24-8-2006 की स्थिति के अनुसार एन.टी.पी.सी. लिमिटेड की कुल जनशक्ति का ब्यौरा निम्नवत है-

क्र.सं.	श्रेणी	कुल संख्या
1.	कार्यपालक	10,293
2.	गैर-कार्यपालक	13,751
	कुल	24,044

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) एन.टी.पी.सी. नए संयंत्रों/विकासात्मक गतिविधियों के लिए अपनी तकनीकी जनशक्ति आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु प्रति वर्ष 400 से 500 अभियांत्रिकी ग्रेजुएट प्रशिक्षु के रूप में भर्ती करता है।

कर्नाटक में विद्युत परियोजनाएं

3581. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक में पारेषण व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा विद्युत उपकेन्द्रों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दिए जाने के लिए कोई प्रस्ताव राज्य सरकार से प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार ने ताद्री में 4000 मे.वा. क्षमता की अल्ट्रा मेगा परियोजना, उडुपी व मंगलोर के बीच स्थापित की जाने वाली 1015 मेवा. क्षमता और मंगलोर में 2000 मेवा. क्षमता की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन स्कीमों से विद्युत की निकासी करने के लिए पारेषण स्कीमों को आरम्भ करने का अनुरोध किया है। उत्पादन परियोजना पर अंतिम रूप से विचार कर लिये जाने के बाद ही परियोजना से लाभभोगी राज्यों को किये जाने वाले विद्युत आबंटन के आधार पर इन परियोजनाओं से विद्युत की निकासी हेतु पारेषण प्रणाली को सुनिश्चित किया जायेगा। यदि लाभभोगी दो या अधिक राज्य होते हैं तो केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी द्वारा कार्यान्वयन किये जाने हेतु अंतर राज्यीय पारेषण प्रणाली को सुनिश्चित और अंतिम रूप प्रदान किया जायेगा। यदि दूसरी ओर एक ही राज्य लाभभोगी राज्य है तो संबंधित राज्य पारेषण प्रणाली को निष्पादन के लिए सुनिश्चित किया जायेगा और अंतिम रूप प्रदान किया जायेगा। कर्नाटक सरकार ने त्वरित विद्युत विकास सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) के तहत कुछ स्कीमें प्रस्तावित की हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम
(ए.पी.डी.आर.पी.) के तहत स्कीमें

ए.पी.डी.आर.पी. के दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली कार्रवाई नगरों और शहरों की उपपारेषण एवं वितरण परियोजनाओं (66 केवी और इससे कम) की स्कीमों को ही स्वीकृति प्रदान कर रही है। पारेषण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण और विद्युत सब स्टेशन के निर्माण विषय उल्लेख वाले प्रस्ताव ए.पी.डी.आर.पी. के तहत अर्ह नहीं है। तथापि उपपारेषण एवं वितरण नेटवर्क के सुधार हेतु ए.पी.डी.आर.पी. के अंतर्गत 1186.31 करोड़ रुपये की कुल स्कीम लागत में से नये सबस्टेशनों और सम्बद्ध वितरण नेटवर्क के सृजन एवं विस्तार हेतु 575.9 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।

सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सी.ई.एल.) की बिक्री

3582. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सी.ई.एल.) का कुल उत्पादन, बिक्री और निर्यात कितना था तथा इसके द्वारा कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है;

(ख) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सी.ई.एल. द्वारा अर्जित लाभ में भारी कमी आयी है तथा घाटा होने लगा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सी.ई.एल. के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) सेन्ट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सी.ई.एल.) द्वारा विगत तीन वर्षों के दौरान किए गए सकल उत्पादन, बिक्री, निर्यात एवं अर्जित विदेशी मुद्रा का विवरण निम्न प्रकार है-

(रु. करोड़ों में)

	2003-04	2004-05	2005-06
उत्पादन	65.24	85.42	102.17
बिक्री	63.78	93.32	107.19
निर्यात	6.41	31.64	24.16
विदेशी मुद्रा अर्जन	1.96	25.48	20.40

(ख) जी नहीं।

(ग) सी.ई.एल. ने वर्ष 2003-04 के दौरान रु. 0.99 करोड़ की परिचालन हानि उठाई, तथापि, वर्ष 2004-05 के दौरान रु. 1.74 करोड़ का परिचालन लाभ अर्जित किया, जो कि वर्ष 2005-06 के दौरान बढ़कर रु. 4.27 करोड़ (प्रोविजनल) हो गया।

(घ) सरकार द्वारा सी.ई.एल. के निष्पादन में सुधार हेतु निम्न कदम उठाए गए हैं- (i) कम्पनी के सौर फोटोवोल्टाइक परिचालनों की क्षमता को 25 करोड़ रुपये की लागत से वर्तमान 02 मेगावाट पीक के स्तर से बढ़ाकर 10 मेगावाट पीक करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। (ii) कम्पनी के वित्तीय पुनर्गठन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया, जिससे कम्पनी की वित्तीय स्थिति में दीर्घ कालिक सुधार होगा एवं इससे कम्पनी बाजारी आवश्यकताओं के अनुरूप क्षमता विस्तार हेतु देश एवं विदेश में विकसित हो रहे बाजार में हिस्सेदारी करने के लिए पूंजी की अभिवृद्धि करने में समर्थ हो सकेगी।

गैर-निष्पादनकारी आस्तियां

3583. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार को सरकारी वित्तीय संस्थानों की 1,10,000 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में मानने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में न्यायालय द्वारा जारी अनुदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अपने ऊपर गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के बोझ को घटाने के लिए योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) कॉमन कॉज बनाम भारत संघ एवं अन्य रिट याचिका (सिविल) सं. 1998 का 291 के मामले में 03-08-2006 को सुनवाई के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य बढ़ते हुए अनुपयोज्य आस्तियों की समस्या से निपटने के लिए सरकारी क्षेत्र की वित्तीय संस्थाओं के हाथों को मजबूत करना प्रतीत होता है।

(ग) से (ङ) भरात सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा एन.पी.ए. की शीघ्र वसूली के लिए कुछ कदम निर्धारित किये हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ, बैंकों द्वारा वसूली नीति तैयार किया जाना एवं लागू किया जाना, सिविल न्यायालयों/डी.आर.टी. में मुकदमा दायर करना, 'वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई.) अधिनियम, 2002" के अंतर्गत नोटिस जारी करना, समझौता निपटान, विभिन्न स्तरों पर एन.पी.ए. की निगरानी एवं उन पर अनुवर्ती कार्रवाई, इत्यादि शामिल हैं। ऋण सूचना कंपनियों को विनियम प्रदान करने तथा ऋण के सफल संवितरण को सुकर बनाने के लिए ऋण आसूचना कंपनी (विनियम) अधिनियमन, 2005 को अधिनियमित किया गया है, जिससे कि नये एन.पी.ए. के बनने पर रोक लगे। बैंकों को उधारकर्ताओं के संबंध में सूचना देने के लिए ऋण आसूचना ब्यूरो (भारत) लि. की स्थापना भी की गई है। संगठित प्रयासों के कारण सरकारी क्षेत्रों के बैंकों (पी.एस.बी.) की सकल अनुपयोज्य आस्तियां (एन.पी.ए.) 31 मार्च, 2005 की स्थिति के अनुसार 47,696 करोड़ रुपये से घटकर 31 मार्च, 2006 की स्थिति के अनुसार 41,378 करोड़ रुपये हो गयी हैं।

विद्युत परियोजनाओं का पूरा होना

3584. प्रो. एम. रामदास: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त पोषक एजेन्सियों द्वारा थोपी गयी अतार्किक शर्तों को स्वीकार किए जाने से देश में विद्युत परियोजनाओं को समय से पूरा किए जाने में बाधा पहुंच रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया है;

(ग) क्या सरकार का एक समेकित ऊर्जा नीति तैयार करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है; और

(ङ) इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी नहीं। परियोजनाओं की प्रगति में बाधा नहीं आ रही है। तथापि, विद्युत मंत्रालय, द्वारा अन्य के साथ-साथ पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि. (पी.जी.सी.आई.एल.) द्वारा विश्व बैंक से लिए गए ऋणें के निबंधन और शर्तों का विश्लेषण करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) से (ङ) ऊर्जा के सभी स्रोतों को शामिल करते हुए और ऊर्जा सुरक्षा, पहुंच और उपलब्धता, वहनीयता और कीमत, कार्यकुशलता और पर्यावरण समेत सभी पहलुओं के समाधान के लिए धारणीय विकास के साथ जुड़ी एकीकृत ऊर्जा नीति बनाने के लिए सदस्य (ऊर्जा), योजना आयोग की अध्यक्षता में 12-8-2004 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है। विशेशज्ञ समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक प्रस्तुत नहीं की है।

राष्ट्रमंडल खेलों के लिए प्राइवेट डेवलपरों की भूमिका

3585. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण एक "प्राइवेट डेवलपर" को खेल गांव में आवासीय क्षेत्र इस वायदे के साथ सौंपने पर विचार कर रहा है कि खेल सम्पन्न होने के पश्चात् फ्लैटों की बिक्री की अनुमति दे देगा जैसा कि दिनांक 14 जून, 2006 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन प्राइवेट डेवलपरों का ब्यौरा क्या है जिन्हें यह काम दिया जाने वाला है;

(घ) क्या इस प्रस्ताव से दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को भारी नुकसान होगा; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रकुल खेल गांव का रिहायशी जोन निजी-सार्वजनिक भागीदारी के मार्फत होटलों और रिहायशी अपार्टमेंटों के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। होटलों का विकास संयुक्त रूप से किए जाने का फैसला लिया गया है।

डी.डी.ए. ने यह भी सूचित किया है कि निजी-सार्वजनिक भागीदारी से रिहायशी जोन विकसित करने का प्रस्ताव राष्ट्रकुल खेलों के लिए सरकारी धनराशि की मांग को कम करने के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

हुडको में अनियमितताएं

3586. श्री ब्रजेश पाठक:

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने हुडको (एच.यू.डी.सी.ओ.) में अनियमितताएं करने पर इसके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु केन्द्रीय सतर्कता आयोग को कोई आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो जारी आदेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन आदेशों के अनुपालनार्थ सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने इस संबंध में मंत्रालय के साथ कोई वार्ता की है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या निकले और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) से (ग) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 29-08-2006 के आदेश द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग को हुडको में कथित अनियमितताओं की विस्तृत जांच कराने का निदेश दिया। जांच की गई। सुनवाई की अगली तारीख 28 अगस्त, 2006 तय की गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विदेश में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं

3587. श्रीमती मिनाती सेन: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेहरान, ईरान में भारतीय स्टेट बैंक की कितनी शाखाएं हैं;

(ख) क्या ईरान के साथ व्यापार संबंधों में भारतीय स्टेट बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कोई देश तेहरान में भारतीय स्टेट बैंक के कारोबार को बाधित करने का प्रयास कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) की तेहरान में कोई शाखा नहीं है। तथापि, तेहरान में उनका एक प्रतिनिधि कार्यालय है।

(ख) और (ग) जी, हां। एस.बी.आई. भारत-ईरान व्यापार को तेहरान में स्थित अपने प्रतिनिधि कार्यालय तथा भारत में अपनी शाखाओं के माध्यम से आगे बढ़ा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दाभोल विद्युत परियोजना द्वारा अर्जित लाभांश

3588. श्री रामजीलाल सुमन:

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रत्नागिरी गैस एण्ड पावर लिमिटेड की दाभोल परियोजना द्वारा महाराष्ट्र राज्य विद्युत बोर्ड (एम.एस.ई.बी.) को 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत आपूर्ति की जा रही है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी वास्तविक बिक्री मूल्य क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त उद्धृत बिक्री मूल्य पर विद्युत आपूर्ति द्वारा विद्युत उत्पादक कंपनी द्वारा लाभांश भी अर्जित किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो लाभांश की दर क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी नहीं।

(ख) रत्नागिरि गैस एंड पावर प्रा. लि. (आर.जी.पी.पी.एल.) और महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (एम.एस.ई.डी.सी.एल.) के बीच एककालिक करार के अनुसार मई-जून, 2006 की अवधि के दौरान एम.एस.ई.डी.सी.एल. की उच्चतम ग्रीष्मकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग 55 दिनों तक 4.25 रुपये प्रति कि.वा.घं. की दर से 349 मिलियन यूनिट अनिश्चित (इन्फर्म) विद्युत आपूर्ति की गई। आर.जी.पी.पी.एल. द्वारा हाल में प्राप्त तरल ईंधन के साथ-साथ तत्कालीन स्वामियों द्वारा हस्तांतरित परिसंपत्तियों (शून्य लागत पर छूट) के साथ तरल ईंधन के पुराने स्टॉक को मिलाकर एकसमान टैरिफ निर्धारित की गयी थी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[अनुवाद]

स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की समीक्षा

3589. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम की वर्तमान विभिन्न धाराएं दोषियों को अपराध करने से पर्याप्त ढंग से नहीं रोकती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अधिनियम के प्रावधानों को और अधिक पारदर्शी तथा कठोर बनाने के लिए उनकी समीक्षा करने हेतु समिति गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

दि.वि.प्रा. के कार्य की समीक्षा

3590. श्री गिरिधारी यादव:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.) द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार दि.वि.प्रा. को समाप्त करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ग) दिल्ली में अनधिकृत निर्माणों तथा परिसरों के दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए सरकार ने श्री तेजेन्द्र खन्ना, भूतपूर्व उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुकी है जिसमें उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण की योजना बनाने, आवास मॉनीटरिंग करने तथा प्रवर्त्तन कार्यों के संबंध में कुछ सिफारिशें की है।

(घ) और (ङ) सरकार का दिल्ली विकास प्राधिकरण को बंद करने का कोई विचार नहीं है।

भू-अर्जन

3591. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उन सभी राज्यों को जिनके भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं को दिल्ली की आवासीय समस्या हल करने के लिए भू-अर्जन करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो कुछ राज्यों ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने किसानों को उनकी भूमि के लिए बाजार भाव पर क्षतिपूर्ति के भुगतान अथवा दिल्ली में दी जा रही क्षतिपूर्ति की दर क्षतिपूर्ति दिया जाना सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रयास किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने यह सूचित किया है कि दिल्ली में आवास समस्या को कम करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भागीदार राज्यों को भूमि अधिग्रहण के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। भूमि राज्य का विषय है और मुआवजा सहित भूमि संबंधी मामले संबंधित राज्य सरकार द्वारा निपटाए जाने हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, 1985 की धारा 40 के अनुसार भी भूमि अधिग्रहण और भूमि संबंधी अधिकारों का निर्धारण करना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भागीदार राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है।

बैंकिंग कार्यों का अंतरण

3592. श्रीमती जयाप्रदा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने नागर विमानन मंत्रालय को अपने सभी बैंकिंग कार्यों को भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक से आई.सी.आई.सी.आई. में अंतरित करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ पक्षों द्वारा इसका विरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। नागर विमानन मंत्रालय के अनुरोध पर, भारतीय रिजर्व बैंक ने अगस्त 2004 में इसके प्रत्यायित बैंक को, भारतीय रिजर्व बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड में स्थानांतरित करने के लिए अनुमोदन दिया था।

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक को, नागर विमानन मंत्रालय तथा पर्यटन के सरकारी कामकाज को भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लिमिटेड में स्थानांतरित करने के खिलाफ, क्रमशः अखिल भारतीय

रिजर्व बैंक कर्मचारी संगठन तथा राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी परिसंघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) सरकारी विभाग, अपनी विशिष्ट बैंकिंग आवश्यकताओं के आधार पर, अपने प्रत्यायित बैंक का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं।

आयकर छूट

3593. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र समुद्री बोर्ड ने आयकर अधिनियम के अन्तर्गत आयकर से छूट मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस योजना के अन्तर्गत अन्य स्वायत निकायों यथा काफी, चाय और तम्बाकू बोर्डों को छूट दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो समुद्री बोर्ड को आयकर से छूट नहीं देने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) ऐसे अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे जिनमें महाराष्ट्र समुद्र बोर्ड को आयकर से छूट देने का अनुरोध किया गया था। सरकार द्वारा उन पर विचार किया गया तथा वे स्वीकार्य नहीं पाए गए।

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29क) में अन्य बातों के साथ इसमें यथा विनिर्दिष्ट काफी बोर्ड, चाय बोर्ड और तंबाकू बोर्ड को उद्‌भूत होने वाली अथवा उत्पन्न होने वाली किसी भी आय पर आयकर से छूट का प्रावधान किया गया है।

(घ) समुद्र बोर्ड के कार्यकलापों का स्वरूप ऐसी संस्थाओं के कार्यकलापों से भिन्न है जिन्हें धारा 10(29क) के अंतर्गत छूट मिल रही है। कर निर्धारण वर्ष 2002-03 तक महाराष्ट्र समुद्र बोर्ड को स्थानीय प्राधिकरण के रूप में आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (20) के अन्तर्गत आयकर से छूट मिल रही थी। धारा 10 (20) के अन्तर्गत 'स्थानीय प्राधिकरण' पद को परिभाषित करने के लिए वित्त अधिनियम, 2002 के माध्यम से एक नीतिगत निर्णय लिया गया जिससे कि छूट को पंचायतों, नगर निगमों, नगर पालिका समितियों, जिला बोर्डों तथा छावनी बोर्डों तक सीमित किया जा सके। उदार कर ढांचे से असंगत छूटों को धीरे-धीरे समाप्त करने की आवश्यकता को देखते हुए सीमित करने वाली परिभाषा को स्वीकार कर लिया गया।

दि.वि.प्रा. में भ्रष्टाचार

3594. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री सुब्रत बोस:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार को हटाने के कार्य में विफल है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) दि.वि.प्रा. में भ्रष्टाचार को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के तहत गठित एक कानूनी निकाय है। इसका एक सतर्कता विंग है जिसके अध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति मुख्य सतर्कता आयुक्त की सम्मति से सरकार द्वारा की जाती है। डी.डी.ए. के सतर्कता विंग द्वारा शिकायतों अथवा किसी भी डी.डी.ए. कर्मचारी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप के मामलों में विद्यमान नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रणाली में सुधार करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। गाइडपुस्तिकाओं, कौंसलरों और वेबसाइट के जरिए जनसाधारण को सूचना दी जाती है। डी.डी.ए. द्वारा अपने कर्मियों को प्रशिक्षित करने, कम्प्यूटरीकरण और ई-गवर्नेंस शुरू करने के साथ-साथ सभी स्तरों पर सख्त सतर्कता बरतने के लिए भी उपाय किए गए हैं। अपनी कार्यप्रणाली को दुरुस्त बनाने की दृष्टि से डी.डी.ए. ने निवारक उपाय किए हैं जैसे कि नागरिक चार्टर के अनुसार विभिन्न लेन-देनों के लिए निर्धारित समय-सीमा की निगरानी/कार्यान्वयन। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) प्रणाली को भी शुरू कर दिया गया है।

दि.वि.प्रा. द्वारा उत्पीड़न

3595. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आयी है कि

दि.वि.प्रा. के अधिकारी प्रायः दि.वि.प्रा. फ्लैटों के आवेदकों और आबंटियों का भारी उत्पीड़न करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस उत्पीड़न को रोकने तथा सफल आवेदकों को फ्लेटों की आबंटन प्रणाली पारदर्शी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों पर सी.बी.आई. के छापे

3596. श्री रघुनाथ झाः क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सी.बी.आई. ने 28 जुलाई, 2006 को दिल्ली नगर निगम के इंजीनियरों तथा बिल्डरों पर छापे मारे थे और दिल्ली नगर निगम द्वारा अवैध निर्माण गिराने के नकली मामलों का पर्दाफाश किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक "फाइव स्टार" होटल उप्पल ओरचिड को दिल्ली नगर निगम द्वारा पूरी तरह गिरा दिया गया बताया गया है तथा होटल के मालिक ने अवैध निर्माण गिराने की फीस भी दे दी है, परन्तु उक्त होटल न केवल सही-सलामत है बल्कि अपना कार्य भी सामान्य रूप से कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सभी सम्पत्तियों, जिन्हें दिल्ली नगर निगम के रिकॉर्डों में गिराया हुआ दिखलाया गया है परन्तु वास्तव में उन्हें गिराया नहीं गया है, को गिराने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सी.बी.आई. ने यह सूचित किया है कि उसने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एम.सी.डी. इंजीनियरों/बिल्डरों के रिहायशी/कार्यालय परिसरों पर दिनांक 28-7-2006 को छापे मारे थे। ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सी.बी.आई. ने यह सूचित किया है कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि होटल में स्वीकृत भवन निर्माण योजना से अधिक अनधिकृत निर्माण किया गया है और एम.सी.डी. ने होटल में इस अनधिकृत निर्माण को आंशिक रूप से गिरा दिया है। तथा होटल के मालिक से गिराने का प्रभार वसूल लिया है।

एम.सी.डी. ने यह सूचित किया है कि उसने दिनांक 3-5-1999 को मैसर्स उप्पल प्रोपर्टीज (प्रा.) लिमिटेड को एक मोटल बनाने के लिए भवन निर्माण योजना स्वीकृत की थी तथा दिनांक 5-12-2001 को कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया था। तथापि, दिनांक 12-1-2005 को विभाग को कुछ अनधिकृत निर्माण/परिवर्तन किए जाने की सूचना मिली। एम.सी.डी. ने डी.एम.सी. एक्ट के संगत प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ कर दी और अनधिकृत निर्माण/परिवर्तन को गिराने के आदेश पारित किए गए। दिनांक 7-6-2005 को गिराने की कार्रवाई की गई जिसके दौरान मोटल की मुख्य बिल्डिंग से जुड़े भूतल पर केवल एक कमरे, शौचालय, स्नानघर को आंशिक रूप से गिराया गया और होटल के मालिक से 15,750/- रुपये की राशि गिराने के प्रभार के रूप में वसूली गई।

(घ) अनधिकृत निर्माण के संबंध में कार्रवाई स्थानीय निकायों के क्षेत्राधिकार में आती है और संगत कानूनों के तहत शासित होती है।

विवरण

1. ए.सी. गर्ग कार्यपालक अभियंता
2. एस.ए. खान, सहायक अभियंता
3. नारूल इसलाम, कार्यपालक अभियंता
4. राजीव नारंग, कनिष्ठ अभियंता
5. एन.के. गोयल, कनिष्ठ अभियंता
6. बी.पी. राठोर, कनिष्ठ अभियंता
7. रोहताश चौहान, मेट
8. नरेन्द्र कौशिक (बिल्डर/मालिक)
9. प्रमोद कुमार (बिल्डर/मालिक)
10. उदय शर्मा (बिल्डर/मालिक)
11. राकेश धींगरा (बिल्डर/मालिक)
12. पी.के. गुप्ता (बिल्डर/मालिक)
13. श्याम सुंदर (बिल्डर/मालिक)
14. कुमार सिंह (बिल्डर/मालिक)

15. मैसर्स उप्पल प्रोपर्टीज प्रा.लि. कार्यालय परिसर, एस-39 ए, पंचशील पार्क, नई दिल्ली

16. बिरेन्द्र सिंह यादव, सहायक अभियंता का कार्यालय व निवास

17. नवीन बाहरी (प्रायवेट व्यक्ति)

18. जगवीर सिंह, कनष्ठि अभियंता (सिविल)

19. मैसर्स उप्पल आर्किड होटल, समालखा, नई दिल्ली-1

20. संजीव कुमार महल, प्रायवेट व्यक्ति

21. मैसर्स एस.एम. प्रोपर्टीज प्रा.लि., कार्यालय परिसर, डी-51 दिलशाद गार्डन, दिल्ली

22. प्यार सिंह कार्यपालक अभियंता का निवास

23. शिव दत्त तत्कालीन सहायक अभियंता, एम.सी.डी. का निवास

24. एम.एम. कौशिक तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता का निवास

25. अनिल गुप्ता, मैसर्स एम.एन. प्रोपर्टीज प्रा.लि. के निदेशक का निवास

26. जय किशन गुप्ता, मैसर्स एम.एन. प्रोपर्टीज प्रा.लि. का निदेशक का निवास

27. सुभाष सरकार, निदेशक मैसर्स एम.एन. प्रोपर्टीज प्रा. लि.

28. अजय कादियान (बर्खास्त) कार्यपालक अभियंता का निवास

29. विजय कुमार जैन, सहायक अभियंता (बर्खास्त) का निवास

30. मोहम्मद अहमद, कनिष्ठ अभियंता का निवास

31. मोती लाल शर्मा, हेड कलर्क का निवास

32. मुखवंत सिंह, एल.डी.सी. का निवास

33. ए.पी. शर्मा, सहायक अभियंता, एम.सी.डी.

पड़ोसी देशों में निवेश

3597. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बंग्लादेश में इस्पात तथा अन्य परियोजनाओं में टाटा के निवेश का मुद्दा उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पड़ोसी देशों में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार की क्या कदम उठाने की योजना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार बंगलादेश में इस्पात व अन्य परियोजनाओं में टाटा द्वारा निवेश का मुद्दा नियमित रूप से उस देश की सरकार के समक्ष उठाती रही है। परन्तु राजनीतिक कारणों और उस देश में आगामी चुनावों के कारण यह प्रस्ताव अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

(ग) विदेशों में भारतीय निवेश के संवर्धन हेतु विगत वर्षों में विदेशों में भारतीय प्रत्यक्ष निवेश की नीति को काफी उदार बनाया गया है और प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाया गया है।

पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम को कर से छूट

3598. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड को आय कर से छूट देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. को वित्त (सं. 2) अधिनियम, 1996 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2005-06 तक आयकर से छूट प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त जुलाई, 2006 में अधिनियमित कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 में एक नया खंड (23 ख ख च) जोड़ा गया है जिसके द्वारा उक्त निगम की आय को अधोलिखित सीमा तक अगली अवधि के लिए आयकर से छूट प्रदान की गई है:

(i) 1 अप्रैल, 2006 को प्रारम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय का 80 प्रतिशत

(ii) 1 अप्रैल, 2007 को प्रारम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय का 60 प्रतिशत

(iii) 1 अप्रैल, 2008 को प्रारम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय का 40 प्रतिशत

(iv) 1 अप्रैल, 2009 को प्रारम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष के लिए कुल आय का 20 प्रतिशत

1 अप्रैल, 2010 को प्रारम्भ होने वाले कर निर्धारण वर्ष तथा किन्हीं परवर्ती कर निर्धारण वर्षों के लिए आय के संबंध में छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

[हिन्दी]

भारत में पेट्रोल/डीजल पर प्रशुल्क

3599. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा पेट्रोल तथा डीजल पर लगाए गए कर तथा उपकर विश्व के अन्य देशों की तुलना में अधिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पड़ोसी देशों तथा विकसित देशों द्वारा पेट्रोल तथा डीजल पर करों तथा उपकरों से कितनी धनराशि एकत्रित की गई है; और

(घ) अन्य देशों की तुलना में भारत में इन उत्पादों पर तुलनात्मक अधिक कर तथा उपकर लगाने के क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) केन्द्र सरकार द्वारा दिल्ली में खुदरा मूल्य विक्रय मूल्य की प्रतिशतता के रूप में पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और अन्य उपकर निम्न प्रकार हैं:

क्र. सं.	उत्पाद	खुदरा विक्रय मूल्य और उपकर की प्रतिशतता के रूप में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क
1.	पेट्रोल	32%
2.	डीजल	16%

अन्य देशों के पेट्रोल और डीजल संबंधी ऐसे ब्यौरे और राजस्व संग्रहण आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[अनुवाद]

अवसंरचना पुनर्वास हेतु सहायता

3600. श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री अजय चक्रवर्ती:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार ने कुछ राज्यों को अवसंरचनात्मक पुनर्वास के लिए सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें अंतर्राष्ट्रीय बैंकों ने कोई भूमिका निभाई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में प्रत्येक बैंक की भूमिका क्या रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। वर्ष 2004-05 में शहरी अवसंरचना सुदृढ़ीकरण पहल संबंधी स्कीम (आई.एस.यू.आई.) और वर्ष 2005-06 में जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनूअल मिशन (जे.एन.एन.यू.आर.एम.) के तहत पुनर्वास के साथ-साथ अवसंरचना विकास हेतु राज्यों को धनराशि जारी की गई है। इन दो स्कीमों के तहत जारी की कई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक भी अवसंरचना पुनर्वास हेतु ऋण सहायता प्रदान करते हैं। विश्व बैंक ने तमिलनाडु और पांडिचेरी में आपातकालीन सुनामी पुनर्निर्माण हेतु ऋण सहायता दी है। एशियाई विकास बैंक ने जम्मू और कश्मीर में पुनर्संरचना पुनर्वास तथा तमिलनाडु और केरल में सुनामी आपातकालीन सहायता हेतु ऋण सहायता दी है।

विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	आईएसयूआई (2004-05) जारी की गई	जेएनएनयूआरएम (2005-06) जारी की गई
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	2.96	156.81

1 2	3	4
2. अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3. असम	0.00	0.00
4. बिहार	1.52	0.00
5. छत्तीसगढ़	0.46	0.00
6. गोवा	0.00	0.00
7. गुजरात	2.90	42.88
8. हरियाणा	0.54	0.00
9. हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00
10. जम्मू-कश्मीर	1.98	0.00
11. झारखण्ड	2.63	0.00
12. कर्नाटक	9.42	0.00
13. केरल	0.36	0.00
14. मध्य प्रदेश	8.46	13.99
15. महाराष्ट्र	0.00	22.20
16. मणिपुर	0.00	0.00
17. मेघालय	0.00	0.00
18. मिजोरम	0.00	0.00
19. नागालैंड	0.00	0.00
20. उड़ीसा	0.72	0.00
21. पंजाब	3.61	0.00
22. राजस्थान	8.10	13.84
23. सिक्किम	0.00	0.00
24. तमिलनाडु	16.71	0.00
25. त्रिपुरा	0.14	0.00
26. उत्तर प्रदेश	3.02	0.00
27. उत्तरांचल	0.00	0.00
28. पश्चिम बंगाल	6.90	0.00
कुल	70.16	249.72

बैंक की नई शाखाएं खोलना

3601. श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री रामदास आठवले:
श्री सीताराम सिंह:
श्री सुनील खां:
श्री सज्जन कुमार:
डा. राजेश मिश्रा:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बैंक की नई शाखाएं खोलने के लिए क्या मानदंड अपनाया जाता है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक को देश के शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी-अपनी शाखाएं खोलने/उनके विस्तार के लिए सरकारी क्षेत्र के विभिन्न बैंकों/निजी बैंकों से बैंकवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) सरकारी/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उक्त अवधि के दौरान बैंक शाखाओं को खोलने/विस्तार हेतु कितनी स्वीकृतियां प्रदान की गईं;

(घ) वर्ष 2006-07 के दौरान कितनी बैंक शाखाओं के खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) लंबित प्रस्तावों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक की विद्यमान शाखा प्राधिकार नीति के अनुसार, बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे वार्षिक शाखा विस्तार योजना को भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के लिए उनके पास भेजें। अर्थक्षमता, मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता, कानून और व्यवस्था की स्थिति और उस केन्द्र पर कारोबार की संभावना को ध्यान में रखते हुए बैंक अपनी

पसंद की जगह पर शाखाएं खोलने के लिए स्वतंत्र हैं। तथापि, बैंकों को कम बैंकिंग सुविधा वाले जिलों और ग्रामीण केन्द्रों में शाखाएं खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

जैसे ही भारतीय रिजर्व बैंक को बैंक की वार्षिक शाखा विस्तार योजना प्राप्त होती है, संबंधित बैंक के प्रबंधन के साथ यह बैठक में उस पर विचार-विमर्श करता है जो आमतौर पर योजना की प्राप्ति के एक महीने के भीतर आयोजित की जाती है। इसके पश्चात् शाखा प्राधिकार नीति में निर्धारित मानदंडों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकार जारी किए जाते हैं।

(ख) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

कोयला आधारित विद्युत परियोजनाएं

3602. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वदेशी कोयले तथा आयातित कोयले पर आधारित विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। 11वीं योजना के दौरान लाभार्थ केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र में कुल 44435 मे.वा. क्षमता की स्वदेशी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाएं तथा कुल 2765 मे.वा. क्षमता की आयातित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव है। साथ ही देश के विभिन्न राज्यों में विभिन्न तटवर्ती/पिटहेड स्थानों पर 4000 मे.वा. प्रत्येक की सात अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए पहल की गई है।

कृषि ऋण हेतु नए खाते खोलना

3603. श्री बी. विनोद कुमार: क्या **वित मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण के लिए वर्ष-वार कितने नए खाते खोले गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने चालू वित्त वर्ष के दौरान नए खाते खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ग) यदि हां, तो अब तक क्या उपलब्धियां रहीं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों द्वारा वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 की प्रथम तिमाही में क्रमशः 45.50 लाख, 42.01 लाख और 7.06 लाख नए कृषि खातों को वित्तपोषित किया गया है।

वाणिज्यिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से कहा गया है कि वे वर्ष 2006-07 के दौरान अपने पोर्टफोलियो में 50 लाख नए किसानों को जोड़ें। वर्ष 2006-07 की पहली तिमाही के दौरान उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

एजेंसी	वित्तपोषित खातों की संख्या (लाख में)	संवितरित ऋण (करोड़ रुपये)
वाणिज्यिक बैंक*	7.84*	5,366.65
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2.62	1,156.88
योग	10.46	6,523.53

*गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित।

इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंकों ने वर्ष के दौरान 1.77 लाख नए किसानों को वित्तपोषित किया है, इस प्रकार अब तक बैंकिंग प्रणाली द्वारा वित्तपोषित नए किसानों की संख्या 12.23 लाख हो गई है।

[हिन्दी]

मरु गोचर का विकास

3604. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मरु गोचर के विकास हेतु योजना का ब्यौरा क्या है तथा योजना आरंभ होने के बाद से इसके अंतर्गत राजस्थान को कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ख) यदि कोई धनराशि शेष है तो उसे कब तक प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) मरु गोचर योजना (एम.जी.वाई.) को पश्चिमी राजस्थान

के 10 जिलों में पारम्परिक चरागाह भूमि को विकसित करने के लिए राज्य सरकार के 25 प्रतिशत अंशदान सहित 100 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ वर्ष 2003-04 में शुरू किया गया था। व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने वर्ष 2003-04 के दौरान संबंधित जिला परिषदों को 458.94 लाख रुपये की राशि जारी की थी। तत्पश्चात् वर्ष 2004-05 के दौरान वित्त मंत्रालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय से मरु गोचर योजना (एम.जी.वाई.) को मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) में आमेलित करने के संबंध में विचार करने हेतु अनुरोध किया था। तदनुसार, पूर्ववर्ती मरु गोचर योजना (एम.जी.वाई.) के अंतर्गत चयन किए गए स्थलों को राज्य सरकार द्वारा मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के विशेष परियोजना क्षेत्रों में शामिल कर लिया गया है तथा मरु गोचर योजना के लिए निधियां मरुभूमि विकास कार्यक्रम (डी.डी.पी.) के एक भाग के रूप में जारी की जा रही हैं।

[अनुवाद]

जल विद्युत संभाव्यता

3605. श्री भर्तृहरि महताब:

डा. चिन्ता मोहन:

श्रीमती प्रतिभा सिंह:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के दोहन की गई तथा दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा दोहन न की गई जल विद्युत संभाव्यता के दोहन के लिए कोई प्रयास किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जी हां। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1987 में कराए गए पुनर्मूल्यांकन अध्ययनों के अनुसार देश की जल विद्युत क्षमता 60 प्रतिशत लोड फैक्टर पर 84,044 मेगावाट आंकी गई है जो पूर्ण विकास के बाद लगभग 1,48,700 मेगावाट स्थापित क्षमता के बराबर होगी। वर्तमान में 60 प्रतिशत लोड फैक्टर पर 16506.85 मेगावाट क्षमता, जो कुल क्षमता का 19.64 प्रतिशत है, विकसित की गई है और 4333.73 मेगावाट क्षमता, जो कुल क्षमता का 5.16 प्रतिशत है, विकासाधीन है। इस प्रकार कुल क्षमता का लगभग 75.20 प्रतिशत अभी भी विकसित किया जाना शेष है। 60 प्रतिशत लोड फैक्टर पर क्षमता के रूप में देश में जल विद्युत क्षमता विकास की राज्यवार स्थिति संलग्न विवरण में दर्शायी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने जल विद्युत विकास को उच्च प्राथमिकता दी है। सरकार द्वारा गैर-संदोहित जल विद्युत क्षमता के दोहन के लिए किए गए विभिन्न उपाय निम्नानुसार हैं-

(i) जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए केंद्रीय विद्युत निगमों का निर्माण।

(ii) सी.ई.ए. द्वारा हाइड्रो स्कीमों की रैंकिंग स्टडी।

(iii) 162 जल विद्युत स्कीमों की पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए 50,000 मेगावाट क्षमता के विकास की पहल।

(iv) सी.पी.एस.यू. द्वारा जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए तीन चरण की स्वीकृति वाली सरल प्रक्रिया।

(v) राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई जो जल विद्युत उत्पादन पर और अधिक बल देता है।

(vi) हाइड्रो परियोजनाओं से संबंधित आर. एंड आर. मामलों को सरल बनाने के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों के पुनःस्थापन एवं पुनर्वास पर राष्ट्रीय नीति की घोषणा।

(vii) विद्युत विकास को उदार बनाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 का अधिनियमन।

(viii) जल विद्युत विकास में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए नीति का उदारीकरण।

(ix) 11वीं योजना एवं इसके बाद क्षमता अभिवृद्धि के लिए हाइड्रो परियोजनाओं को अभिज्ञात करने हेतु अग्रिम कार्रवाई।

विवरण

60% भार घटक पर जल विद्युत क्षमता विकास की स्थिति

(राज्यवार)

31-07-2006 के अनुसार

क्षेत्र/राज्य	60% भार घटक पर मूल्यांकित क्षमता (मेगावाट)	60% भार घटक पर विकसित क्षमता (मेगावाट)	विकसित क्षमता का %	60% भार घटक पर विकासाधीन क्षमता (मेगावाट)	विकासाधीन %	विकसित क्षमता का % + विकासाधीन	60% भार घटक पर सीईए द्वारा स्वीकृत स्कीमों की क्षमता (मेगावाट)	सीईए द्वारा स्वीकृत स्कीमों का %	कुल विकसित विकासाधीन+ सीईए द्वारा स्वीकृत क्षमता का %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
उत्तरी									
जम्मू-कश्मीर	7487.00	515.00	6.88	533.27	7.12	14.00	631.95	8.44	22.44
हिमाचल प्रदेश	11647.00	2545.57	21.86	1153.78	9.91	31.76	230.17	1.98	33.74
पंजाब	922.00	679.50	73.70	0.00	0.00	73.70	174.33	18.91	92.61
हरियाणा	64.00	51.67	80.73	0.00	0.00	80.73	0.00	0.00	80.73
राजस्थान	291.00	188.67	64.83	0.00	0.00	64.83	0.00	0.00	64.83
उत्तरांचल	9341.00	1374.52	14.71	783.33	8.39	23.10	505.13	5.41	28.51
उत्तर प्रदेश	403.00	337.90	83.85	0.00	0.00	83.85	0.00	0.00	83.85
उप जोड़ (उ.क्षे.)	30155.00	5692.82	18.88	2470.38	8.19	25.69	1541.58	5.11	30.80
पश्चिम									
मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़	2774.00	1393.10	50.22	472.50	17.03	67.25	184.12	6.64	73.89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
गुजरात	409.00	253.82	62.06	0.00	0.00	62.06	0.00	0.00	62.06
महाराष्ट्र	2460.00	1314.61	53.44	0.00	0.00	53.44	0.00	0.00	53.44
गोवा	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
उप जोड़ (प.क्षे.)	5679.00	2961.52	52.15	472.50	8.32	60.47	184.12	3.24	63.71
दक्षिणी									
आन्ध्र प्रदेश	2909.00	1405.45	48.31	30.23	1.04	49.35	7.58	0.26	49.61
कर्नाटक	4347.00	2429.28	55.88	0.00	0.00	55.88	204.33	4.70	60.58
केरल	2301.00	1144.17	49.72	82.03	3.57	53.29	201.13	8.74	62.03
तमिलनाडु	1206.00	992.33	92.28	65.45	5.43	87.71	31.33	2.60	90.31
उप जोड़ (द.क्षे.)	10763.00	5971.23	55.48	177.72	1.65	57.13	444.38	4.13	61.26
पूर्वी									
झारखंड	478.00	75.17	15.73	0.00	0.00	15.73	190.50	39.85	55.58
बिहार	60.00	44.78	74.64	0.00	0.00	74.64	0.00	0.00	74.64
उड़ीसा	1983.00	1100.50	55.50	31.17	1.57	57.07	0.00	0.00	57.07
पश्चिम बंगाल	1786.00	91.33	5.11	102.98	5.77	10.88	111.50	6.24	17.12
सिक्किम	1283.00	52.50	4.09	164.40	12.81	16.91	380.00	29.62	46.52
उप जोड़ (पूर्व क्षेत्र)	5590.00	1364.28	24.41	298.55	5.34	29.75	682.00	12.20	41.95

पूर्वोत्तर									
मेघालय	1070.00	121.67	11.37	23.58	2.20	13.57	0.00	0.00	13.57
त्रिपुरा	9.00	7.50	83.33	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00	83.33
मणिपुर	1176.00	71.67	6.09	42.50	3.61	9.71	0.00	0.00	9.71
असम	351.00	111.67	31.81	74.17	21.13	52.94	0.00	0.00	52.94
नागालैण्ड	1040.00	81.83	7.87	0.00	0.00	7.87	0.00	0.00	7.87
अरुणाचल प्रदेश	26756.00	122.67	0.46	743.50	2.78	3.24	0.00	0.00	3.24
मिजोरम	1455.00	0.00	0.00	30.83	2.12	2.12	142.50	9.79	11.91
उप जोड़ (पूर्वोत्तर)	31857.00	517.00	1.62	914.58	2.87	4.49	142.50	0.45	4.94
अखिल भारत	84044.00	16506.85	19.64	4333.73	5.16	24.80	2994.58	3.56	28.36

पूर्वोत्तर क्षेत्र में कम्प्यूटरीकरण हेतु वित्तीय सहायता

3606. श्री मणि चारेनामै: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी राज्य ने केन्द्र सरकार से अपने राज्य में कुछ प्रमुख विभागों के 'बैंक ऑफिस' क्रियाकलापों के कम्प्यूटरीकरण हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे अनुरोध पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

पाकिस्तान में जम्मू और कश्मीर बैंक की शाखा

3607. श्री रामदास आठवले: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पी.ओ.के.) में 1947 से बंद पड़ी अपनी मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद शाखाओं को दोबारा खोलने की अनुमति मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने जम्मू और कश्मीर बैंक को अपनी अनुमति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक को जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

फेमा में संशोधन

3608. श्री निखिल कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक का विचार विभिन्न क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अवरुद्ध करने वाले फेमा के नियमों में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मंत्रालय के अधिकारियों तथा निर्यातकों/आयातकों की मिलीभगत से फेमा उल्लंघन के मामलों की संख्या बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार का क्या कार्य-योजना बनाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने हाल ही में प्रेस नोट 4 (2006 शृंखला) के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) नीति को उदार बनाया है। भारतीय रिजर्व बैंक संगत फेमा विनियम में संशोधन करने की कार्रवाई कर रहा है।

(ग) और (घ) मंत्रालय के अधिकारियों और निर्यातकों/आयातकों के बीच किसी मिलीभगत के बारे में ऐसी कोई सूचना नहीं है जिसके परिणामस्वरूप "फेमा" उल्लंघन के मामलों में वृद्धि हुई हो।

विदेशी ऋण

3609. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून 2006 की समाप्ति तक विदेशी ऋणों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश के वित्तीय ढांचे पर विदेशी ऋण का भार कितना है;

(ग) सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कुल कितना ऋण लिया गया;

(घ) वर्तमान प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण कितना है;

(ङ) इन ऋणों पर ब्याज तथा ऋण सेवा शुल्कों पर वार्षिक कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है; और

(च) देश के ऋण भार को घटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, भारत का कुल विदेशी ऋण मार्च अंत 2006 की स्थिति के अनुसार 125.2 बिलियन अमरीकी डालर था।

(ख) देश की वित्तीय संरचना पर विदेशी ऋण की देनदारी, जो विदेशी ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और विदेशी चालू प्राप्तियों ऋण शोधन भुगतान के अनुपात (ऋण शोधन अनुपात) द्वारा यथामापित होती है, 2005-06 में क्रमशः 15.8 प्रतिशत और 10.2 प्रतिशत थी।

(ग) सरकार द्वारा जुटाए गए ऋणों का कुल संवितरण चालू वर्ष के दौरान अब तक (अप्रैल-जुलाई, 2006) में 749 मिलियन अमरीकी डालर (3,491 करोड़ रुपये) रहा है।

(घ) मार्च अंत 2006 में प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण 113 अमरीकी डालर (5,045 रुपये) है।

(ङ) वर्ष 2005-06 के दौरान, ऋण शोधन भुगतान 18.97 बिलियन अमरीकी डालर राशि के थे जिसमें ब्याज भुगतान 5.08 बिलियन अमरीकी डालर के मूल्य का था।

(च) देश का ऋण-भार कम करने के लिए सरकार द्वारा हाल में शुरू किए गए उपायों में, अन्य बातों के अलावा, उच्च लागत वाले ऋणों का समय-पूर्व भुगतान, ब्याज दरों के साथ-साथ एन.आर.आई. जमाराशियों की संरचना को सुप्रवाही बनाना तथा वाणिज्यिक उधारों के अंत-प्रयोग को सीमित करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार रियायती ऋणों, दीर्घावधि परिपक्वता वाले ऋणों, अल्पावधि ऋण का कड़ा अनुवीक्षण और ऋण सृजित न करने वाले पूंजी प्रवाहों पर बल देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि विदेशी ऋण को नियंत्रणीय सीमाओं के भीतर रखा जा सके।

विदेशी सहायता से विद्युत परियोजनाएं

3610. श्री बंसगोपाल चौधरी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुल ऊर्जा मिश्रण को प्राप्त करने हेतु दूसरे देशों/विदेशी कंपनियों की सहायता से कोई विद्युत परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी परियोजनाओं की योजना बनाई गई है तथा ये कब शुरू होंगी; और

(घ) इस संबंध में वित्तीय प्रस्ताव तथा पुनर्भुगतान की शर्तें क्या हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (घ) विदेशी सहायता से निम्नलिखित परियोजनाओं की स्थापना की जा रही है-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	कार्यान्वयन एजेंसी	वित्तपोषक एजेंसी	ऋण राशि (मिलियन)	पुनर्भुगतान पद्धति		चालू होने की तिथि
					ब्याज की दर	पुनर्भुगतान की अवधि	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	उत्तरी करनपुरा टीपीपी (3x660 मेवा.)	एनटीपीसी	जेबीआईसी	जेवाई 15916	0.75%	10 वर्ष की राहत अवधि सहित 30 वर्ष	2010 (I यूनिट)
2.	बक्रेश्वर टीपीपी (2x210 मेवा.)	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	जेबीआईसी	जेवाई 36771	1.8%	10 वर्ष की राहत अवधि सहित 30 वर्ष	मार्च, 2007 (I यूनिट)

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	पुरूलिया पम्पड स्टोरेज प्रोजेक्ट (6x150 मेवा.)	डब्ल्यूबीएसईबी	जेबीआईसी	जेवाई 62051 • किस्त-I जेवाई 20506 • किस्त-II जेवाई 23578 • किस्त-III जेवाई 17967	2.6% 1.3% 0.75%	10 वर्ष की राहत अवधि सहित 30 वर्ष	मार्च, 2007 (I यूनिट)

डब्ल्यूबीपीडीसीएल-वेस्ट बंगाल पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

डब्ल्यूबीएसईबी-वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड

जेबीआईसी-जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोओपरेशन,

जेवाई-जापानी येन

[हिन्दी]

उच्च न्यायालय की न्यायपीठें

3611. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इनकी स्थापना किस प्राधिकार के अंतर्गत की गई थी;

(ग) क्या केन्द्र सरकार देश में उच्च न्यायालयों की और न्यायपीठों की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रस्ताव का कोई विरोध हो रहा है; और

(च) यदि हां, तो किन मुख्य बिंदुओं पर प्रस्ताव का विरोध किया जा रहा है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) देश में इस समय 21 उच्च न्यायालय हैं। इनमें से 6 उच्च न्यायालयों की 14 स्थायी न्यायपीठें हैं। इस संबंध में विवरण संलग्न है।

(ख) उच्च न्यायालयों की न्यायपीठों को राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51(2), पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 31 की उपधारा (2) तथा मुंबई उच्च न्यायालय (अधिकारिता का विस्तारण) अधिनियम, 1981 आदि के उपबंधों के अधीन स्थापित किया गया है।

(ग) से (घ) किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के संबंध में, किसी राज्य सरकार से संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर ही विचार किया जाता है। चूंकि पश्चिमी बंगाल की सरकार से एक पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, इसीलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि जलपाईगुड़ी में कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक सर्किट न्यायपीठ की स्थापना की जाए। तथापि, किसी अन्य राज्य सरकार से ऐसा कोई पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण

उच्च न्यायालयों का नाम, उनका प्रधान स्थान, न्यायपीठें और उनकी अधिकारिता

क्र. सं.	उच्च न्यायालय	प्रधान स्थान	अधिकारिता	न्यायपीठ और वह तारीख जिससे न्यायपीठ ने कार्य करना प्रारंभ किया
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद	इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	लखनऊ (19-07-1960)

1	2	3	4	5
2.	आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	
3.	बंबई	मुंबई	महाराष्ट्र, दमण और दीव, दादरा और नागर हवेली, गोवा	नागपुर (01-05-1960) औरंगाबाद (27-08-1984) पणजी (30-10-1982)
4.	कलकत्ता	कोलकाता	पश्चिमी बंगाल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
5.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर	छत्तीसगढ़	
6.	दिल्ली	दिल्ली	राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली	
7.	गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम,	
			नागालैंड	कोहिमा (10-02-1990)
			मिजोरम	आईजोल (05-07-1990)
			मणिपुर	इम्फाल (21-01-1992)
			त्रिपुरा	अगरतला (16-05-1992)
			मेघालय	शिलांग (04-02-1998)
			अरुणाचल प्रदेश	इटानगर (12-08-2000)
8.	गुजरात	सोला (अहमदाबाद)	गुजरात	
9.	हिमाचल प्रदेश	शिमला	हिमाचल प्रदेश	
10.	जम्मू-कश्मीर	जम्मू-श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर	
11.	झारखंड	रांची	झारखंड	
12.	कर्नाटक	बैंगलौर	कर्नाटक	
13.	केरल	कोच्चि	केरल और लक्षद्वीप द्वीपसमूह	
14.	मध्य प्रदेश	जबलपुर	मध्य प्रदेश	ग्वालियर (01-11-1956) इंदौर (01-11-1956)
15.	मद्रास	चैन्नई	तमिलनाडु और पांडिचेरी	मदुरई (24-07-2004)
16.	उड़ीसा	कटक	उड़ीसा	
17.	पटना	पटना	बिहार	

1	2	3	4	5
18.	पंजाब और हरियाणा	चंडीगढ़	पंजाब, हरियाणा चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र	
19.	राजस्थान	जोधपुर	राजस्थान	जयपुर (31-01-1977)
20.	सिक्किम	गंगटोक	सिक्किम	
21.	उत्तरांचल	नैनीताल	उत्तरांचल	

➤ देश में 21 उच्च न्यायालय हैं।

➤ केवल 6 उच्च न्यायालयों (इलाहाबाद, बम्बई, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान) की 14 स्थायी न्यायपीठें हैं।

[अनुवाद]

जनजातीय न्यायालय

3612. श्री एस. अजय कुमार: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जनजातीय भूमि को अलग करने/जनजातीय भूमि के सरकार द्वारा अधिग्रहण/विस्थापित जनजातीय लोगों के पुनर्वास तथा जनजातीय लोगों पर अत्याचार के मामलों की सुनवाई के लिए पृथक् जनजातीय न्यायालय स्थापित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (ग) न्याय विभाग में उपलब्ध जानकारी के अनुसार जनजातीय भूमि, जनजातीय भूमि का अन्यसंक्रामण/सरकारी अर्जन/विस्थापित जनजातियों का पुनर्वास और जनजातियों पर अत्याचार के मामलों के विचारण के लिए पृथक् जनजातीय न्यायालयों को स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1985 के अधीन रजिस्ट्रीकृत मामलों के शीघ्र निपटारे से संबंधित विधि के विद्यमान उपबंधों के अनुसार राज्यों में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर अनन्य विशेष न्यायालय कार्य कर रहे हैं।

एन.टी.पी.सी. द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण

3613. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. तथा केन्द्रीय सरकार के अन्य विद्युत उपक्रमों को देशभर के 132 जिलों में फैले लगभग 40,000 गांवों में ग्रामीण विद्युतीकरण का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) के अंतर्गत ग्रामीण विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता के लिए राज्यों को उनकी इच्छा तथा आवश्यकताओं के अनुसार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) की सेवाएं प्रस्तावित की गई हैं। कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन क्षमताओं की वृद्धि करने के विचार से, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आर.ई.सी.) ने सेवाओं के उपयोग की इच्छा रखने वाले राज्यों को सी.पी.एस.यू. की प्रबंधन विशेषज्ञता एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन.टी.पी.सी.), पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (पी.जी.सी.आई.एल.), नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (एन.एच.पी.सी.) और दामोदर वैली कारपोरेशन (डी.वी.सी.) के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया है। सी.पी.एस.यू. और आर.ई.सी. के साथ राज्यों द्वारा त्रिपक्षीय/

चतुर्पक्षीय समझौते किए गए हैं। विभिन्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) को कार्य के आबंटन से संबंधित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) अब तक 3737.76 करोड़ रुपये की लागत पर 56 जिलों और 30,237 गांवों को शामिल करते हुए सी.पी.एस.यू. के लिए 58 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। शामिल किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों के संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

अब तक 15572 गांवों में बिजली के तार लगाए गए हैं जिसमें से 4498 गांव राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सी.पी.एस.यू. द्वारा विद्युतीकृत किए गए हैं।

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत निधियां आर.जी.जी.वी.वाई. दिशानिर्देशों के संबंध में उनके द्वारा रिपोर्ट की गई प्रगति के अनुरूप राज्य सरकार/कार्यान्वयन एजेंसियों को क्रमिक रूप से जारी की जाती हैं।

विवरण-I

सी.पी.एस.यू. जिले

राज्य	कुल जिले	पीजीसीआईएल	एनटीपीसी	एनएचपीसी	डीवीसी	कुल
जम्मू-कश्मीर	14			7		7
राजस्थान	32	7				7
उत्तर प्रदेश	70	8				8
छत्तीसगढ़	16	4	5	7		16
गुजरात	25	2				2
मध्य प्रदेश	48		4			4
बिहार	37	24		6		30
झारखंड	22		8		8	16
उड़ीसा	30	12	12	6		30
पश्चिम बंगाल	18	2	1*	1	1	4
असम	23	7				7
त्रिपुरा	4	2				2
लक्षद्वीप	1		1			
कुल	295	68	30	27	9	134

*2 ब्लॉक

विवरण-II

राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत सी.पी.एस.यू.-वार तथा राज्यवार परियोजना का ब्यौरा

क्र सं.	सीपीएसयू का नाम	राज्य का नाम	स्वीकृति				संचयी उपलब्धियां
			परियोजनाओं की संख्या	कवर किए गए गांवों की संख्या	कवर किए गए गैर-विद्युतीकृत गांवों की संख्या	स्वीकृत परियोजनाओं की लागत (करोड़ रुपये)	
1.	पावरग्रिड	बिहार	19	20	13131	1162.04	2582
		उत्तर प्रदेश	10	8	6434	952.83	1265
		पश्चिम बंगाल	2	2	2327	199.59	225
		गुजरात	2	2		32.16	
		राजस्थान	2	2	281	79.24	
		असम	1	1	230	66.27	
		कुल	**36**	**35**	**22403**	**2492.13**	**4072**
2.	एनएचपीसी	बिहार	6	6	2803	233.50	
		पश्चिम बंगाल	1	1	467	47.10	149
		छत्तीसगढ	2	2	117	101.46	
		कुल	**9**	**9**	**3387**	**382.06**	**149**
3.	एनटीपीसी	पश्चिम बंगाल	1	2 ब्लॉक	225	20.30	61
		छत्तीसगढ	3	3	63	47.49	
		मध्य प्रदेश	2	2	72	213.92	
		झारखंड	1	1	1295	96.99	
		उड़ीसा	2	2	1253	227.28	
		कुल	**9**	**8**	**2908**	**605.98**	**61**
4.	डीवीसी	पश्चिम बंगाल	1	1	807	77.71	216
		झारखंड	3	3	732	179.88	
		कुल	**4**	**4**	**1539**	**257.59**	**216**
	कुल (सीपीएसयू)		58	56	30237	3737.76	4498

बीमा के न्यूनतम मूल्य को बढ़ाना

3614. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सरकारी बीमा कंपनियों को उसकी स्वीकृति के बिना बीमा के न्यूनतम मूल्य 15,000 रुपये को बढ़ाकर 50,000 रुपये करने से रोक दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों ने आई.आर.डी.ए. की स्वीकृति के बिना न्यूनतम मूल्य को बढ़ा दिया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की ऐसी बीमा कंपनियों के विरुद्ध आई.आर.डी.ए. द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) आई.आर.डी.ए. ने सूचित किया है कि उन्हें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि कुछ बीमाकर्ता विद्यमान पालिसियों के नवीकरण पर न्यूनतम बीमित राशि को एकपक्षीय रूप से बढ़ा रहे हैं और उनके द्वारा विशेष रूप से "मेडीक्लेम" पालिसियों के संबंध में अधिक प्रीमियम का भुगतान करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बाध्य किया जा रहा है। चूंकि, ऐसे एकपक्षीय परिवर्तन, बीमा उत्पादों के लिए आई.आर.डी.ए. के "फाइल करें तथा उपयोग करें" मानदंडों को ध्यान में रखकर नहीं थे, अतः आई.आर.डी.ए. ने यह दोहराते हुए दिनांक 17-01-2006 को एक परिपत्र जारी किया कि वर्तमान पालिसियों में किसी विशेष परिवर्तन को आवश्यक रूप से फाइल किया जाना चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने सूचित किया है कि उन्होंने कुछ पुरानी योजनाओं के अंतर्गत न्यूनतम बीमित राशि में वृद्धि की थी जो आई.आर.डी.ए. के अस्तित्व में आने से पहले लागू की गई थी, जिसके लिए आई.आर.डी.ए. का अनुमोदन अपेक्षित नहीं था।

ग्रामीण हाट परियोजनाएं

3615. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कतिपय राज्यों विशेषकर गुजरात से स्वीकृति हेतु कोई ग्रामीण हाट परियोजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन्हें स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कब तक स्वीकृति प्रदान कर दिए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ङ) सरकार को गुजरात सहित विभिन्न राज्य सरकारों से ग्रामीण विपणन सुविधाओं के प्रावधान हेतु 14 प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्राप्त हुए थे। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, तमिलनाडु तथा उत्तर प्रदेश प्रत्येक से एक-एक परियोजना और राजस्थान तथा उत्तरांचल प्रत्येक से 2 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। 14 प्रस्तावों में से, राज्यों के लिए 11 प्रस्तावों को अनुमोदित कर दिया गया है, 2 परियोजना प्रस्तावों (छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान प्रत्येक से एक-एक) को संबंधित राज्य सरकारों को संशोधन आदि के लिए वापस लौटा दिया गया है क्योंकि इन प्रस्तावों में स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार कमियां पाई गई थीं। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संशोधित प्रस्ताव अभी प्रस्तुत किए जाने हैं। केरल से प्राप्त 1 परियोजना प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन है और इसे दो अन्तर-मंत्राललीय समितियों में से एक समिति ने अनुमोदित कर दिया है।

कपार्ट की स्थापना

3616. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोक कार्यवाही एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी प्रगति परिषद् (कपार्ट) की स्थापना किस तारीख को की गई और इसकी स्थापना के मुख्य उद्देश्य और मानदण्ड क्या थे;

(ख) क्या समूहों या व्यक्तियों और अन्यों को कपार्ट से संबंधित योजनाओं के लाभ अथवा कोई सहायता दी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कपार्ट मानदण्डों के अंतर्गत ग्रामीण विकास हेतु अनुदान की न्यूनतम और अधिकतम सीमा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) 1 सितम्बर, 1986 को लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी

विकास परिषद् (कपार्ट) को पीपल्स ऐक्शन फॉर डेवलपमेंट (पाडी) तथा काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ रूरल टेक्नोलोजी (कार्ट) को मिलाकर बनाया गया था। यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में एक पंजीकृत सोसाइटी है। कपार्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि को बढ़ाने के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्यों को प्रोत्साहित, संवर्धित करके तथा सहायता देकर ग्रामीण विकास के लिए सरकार के प्रयासों में मदद करना था।

(ख) और (ग) कपार्ट से संबंधित योजनाओं के लाभ या सहायता समूहों या अलग-अलग व्यक्तियों को नहीं दी जाती है। कपार्ट उन स्वैच्छिक संगठनों जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या उसके राज्य अधिनियम, द इंडियन ट्रस्ट्स एक्ट, 1882 या रिलिजियस तथा चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1920 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, को सहायता देता है। कपार्ट को आवेदन भेजने की तारीख तक स्वैच्छिक संगठन के पंजीकरण की तारीख के तीन वर्ष पूरे होने चाहिए। कपार्ट द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं जैसे कि जन सहयोग (पी.सी.), लाभार्थियों का संगठन (ओ.बी.), ग्रामीण प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने की योजना (आर्ट्स) तथा विकलांगता के अंतर्गत परियोजना मोड में सहायता दी जाती है।

(घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत तथा गैर-सरकारी संगठनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अनुदान की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है। पहली बार गैर-सरकारी संगठन को पी.सी., ओ.बी. तथा आर्ट्स के अंतर्गत कपार्ट के संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र को तथा विकलांग योजना के लिए मुख्यालय को परियोजना प्रस्ताव भेजना होता है। पहली परियोजना के सफलतापूर्वक पूरा होने के पश्चात् एक साथ कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठन को तीन परियोजनाओं की मंजूरी दी जा सकती है।

मोटर वाहनों पर उत्पाद शुल्क

3617. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2001-02 से लेकर 2003-04 के बजटों में मोटर वाहनों पर उत्पाद शुल्क की दर में कमी की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रमुख मोटर वाहन विनिर्माताओं ने उपभोक्ताओं को उत्पाद शुल्क में कमी का लाभ नहीं दिया और लगभग 927.31 करोड़ रुपये तक की कम की गई उत्पाद राशि को अपने पास ही रखा;

(घ) क्या इन वाहन विनिर्माताओं ने वर्ष 2001-04 के दौरान वाहन विनिर्माताओं द्वारा प्रयुक्त प्रमुख कच्चे माल के मूल्य में कमी होने के बावजूद अपने वाहनों की कीमत में वृद्धि की थी; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे और सरकार द्वारा जनता को धोखा देने के लिए इन वाहन विनिर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2001-02 के बजट में यात्री कारों पर उत्पाद शुल्क को कम करके 40 प्रतिशत से 32 प्रतिशत कर दिया गया था। वर्ष 2003-04 में, यात्री कारों पर उत्पाद शुल्क को और कम करके 32 प्रतिशत से 24 प्रतिशत कर दिया गया था।

(ग) हालांकि आमतौर पर उत्पाद शुल्क में कमी के परिणामस्वरूप मूल्य कम होता है, यह तथ्य है कि कुछ मामलों में दीर्घकालिक रूप से मूल्यों में कमी शुल्क में कमी के अनुपात में नहीं थी।

(घ) "व्यक्तियों और माल को लाने ले जाने वाले मोटर वाहनों पर उत्पाद शुल्क" पर वर्ष 2003-04 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा-परीक्षा रिपोर्ट (अप्रत्यक्ष कर) में यह उल्लेख किया गया है कि अध्ययन की अवधि के दौरान उनके विनिर्माताओं द्वारा कारों के कतिपय मॉडलों के मूल्यों में वृद्धि की गई थी।

(ङ) किसी उत्पाद का मूल्य बहुत से कारकों पर निर्भर होता है जिसमें कच्ची सामग्री की लागत, श्रम लागत, विद्युत, ब्याज लागत और प्रतिस्पर्धा से प्रोदभूत अन्य वाणिज्यिक प्रतिफल और मौजूदा मांग-पूर्ति स्थितियां शामिल हैं। उत्पाद शुल्क किसी वाहन की लागत के संघटकों में से केवल एक संघटक है। उपभोक्ताओं के लिए उसी अनुपात में प्रत्येक उत्पाद शुल्क कटौती प्रदान करने की कोई अनिवार्य अथवा कानूनी अपेक्षा नहीं है। शुल्क में कटौती विभिन्न कारणों से की जा सकती है जिसमें उद्योग की स्थिति को सुधारना, उपभोक्ता मूल्यों को कम करना, कुछ क्षेत्रों में उद्भूत लागतों की प्रतिपूर्ति करना, प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना और इसी तरह के अन्य कारक शामिल हैं। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए शुल्क में कमी का लाभ को उपभोक्ताओं को पूरी

तरह से न प्रदान किए जाने के कारण विनिर्माताओं के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना

3618. **डा. अरुण कुमार शर्मा:** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एन.एच.पी.सी. की लोअर सुबनसिरी जलविद्युत परियोजना का मूल परिव्यय, प्रतिष्ठापित क्षमता और चालू किए जाने का निर्धारित समय क्या है तथा वर्तमान मूल्य स्तर पर संशोधित स्थिति क्या है;

(ख) क्या विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों ने भूकंप अथवा जलवायु परिवर्तन की स्थिति में इस बांध के टूटने की संभावना और निचले क्षेत्रों में इसके परिणामस्वरूप आपदा के बारे में लोगों के मन में आशंकाएं पैदा की है;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) मिडिल और अपर सुबनसिरी परियोजना के चालू होने में विलम्ब के क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एल.एस.वी. के निकटवर्ती व निचले क्षेत्रों में भूक्षरण नियंत्रण व प्रदूषणरोधी उपायों सहित समुदाय विकास/कल्याण कार्यक्रम पर परियोजना लागत का कुल कितना प्रतिशत उपयोग में लाया गया; और

(च) इस धनराशि को बढ़ाने हेतु योजना का ब्यौरा क्या है तथा कौन से विभिन्न क्रियाकलाप इसके लिए परिकल्पित किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एन.एच.पी.सी.) द्वारा दिसम्बर, 2002 के मूल्य स्तर पर 670.92 करोड़ रुपये की आई.डी.सी. समेत 6285.33 करोड़ रुपये अनुमानित लागत पर केन्द्रीय क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश में सुबानसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना (2000 मे.वा.) का कार्यान्वयन किये जाने हेतु भारत सरकार का अनुमोदन दिनांक 9-9-2003 को संसूचित किया गया था। यह परियोजना जिसे कि सितम्बर 2010 में चालू किये ाने का कार्यक्रम है लागत संशोधन के लिए समीक्षा किये जाने हेतु देय नहीं है।

(ख) और (ग) एन.एच.पी.सी. ने सूचित किया है कि गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.) ने भूकंप या जलवायु परिवर्तन के कारण बांध टूटने की संभावना और डाउन स्ट्रीम क्षेत्रों में इसके परिणामी विनाश होने के बारे में कुछेक स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित किये है। इन लेखों से लोगों के मन में कुछ आशंकाएं पैदा हुई होंगी। एन.जी.ओ. की आशंकाएं दूर करने और लोगों में विश्वास पुनःस्थापित करने के लिए सरकार के सुझावों पर एन.एच.पी.सी. परियोजना के डाउनस्ट्रीम प्रभाव का नये सिरे से और पारदर्शी वैज्ञानिकी मूल्यांकन कराने हेतु स्थानीय लोग की सहभागिता से एक अध्ययन कार्य सौंपने की प्रक्रियारत है।

(घ) अरुणाचल प्रदेश में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि. (एन.एच.पी.सी.) द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में सुबानसिरी मिडिल (1600 मे.वा.) और सुबानसिरी अपर (2000 मे.वा.) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी.पी.आर.) की तैयारी हेतु सर्वेक्षण एवं जांच कार्य रोक दिये गये हैं क्योंकि पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा स्थल स्वीकृति चरण-II के प्रस्ताव को भारतीय वन्य जीवन बोर्ड (आई.बी.डब्ल्यू.एल.) की सुबानसिरी लोअर एच.ई.पी. के मामले में इस सिफारिश के आधार पर नामंजूर कर दिया गया कि "भविष्य में सुबानसिरी नदी के बांध अपस्ट्रीम का निर्माण नहीं होगा"। यह मामला अब भारत के उच्चतम न्यायालय के समक्ष निर्णयाधीन है।

(ङ) और (च) समुदाय/कल्याणकारी कार्यक्रम पर किया गया खर्च गत तीन वर्षों के अग्रिम को छोड़कर कार्यों में किये गये कुल खर्च का 0.54 प्रतिशत है। एन.एच.पी.सी. 250 लाख रुपये की धनराशि के बांध के डाउनस्ट्रीम पर कई 'स्पर/गेवियन' पहले ही निर्मित कर चुका है। पानी की गुणवत्ता और पानी की गुणवत्ता पर निर्माण कार्य के प्रभाव के संबंध में नियमित परीक्षण किये जा रहे है और इसकी नियमित मानीटरिंग की जा रही है। ये परीक्षण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड असम सरकार के माध्यम से किये जा रहे हैं और पानी की गुणवत्ता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं देखा गया है। एन.एच.पी.सी. ने प्रतिष्ठित सरकारी संगठनों के जरिये बांध के डाउनस्ट्रीम पर प्रभाव के मूल्यांकन का अध्ययन कार्य आरंभ किया है। इन अध्ययन कार्यों के परिणामों के आधार पर आवश्यक कार्य आरंभ किये जायेंगे।

[हिन्दी]

जनहित याचिका

3619. **श्री तूफानी सरोज:** क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान न्यायालयों में जनहित याचिकाओं की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस समय देश में विभिन्न न्यायालयों में कितनी जनहित याचिकाएं दर्ज हैं;

(ग) क्या हाल ही के वर्षों में जनहित याचिकाओं के दुरुपयोग में भी वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) और (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) इस प्रश्न का कि क्या मुकदमेबाज जनहित याचिका (पी.आई.एल.) की सुविधा का दुरुपयोग कर रहे हैं, विनिश्चय न्यायपालिका को करना है क्योंकि यह विषय अनन्य रूप से उच्चतर न्यायपालिका की अधिकारिता के अंतर्गत आता है। जनहित याचिकाओं के संबंध में न्यायालयों द्वारा अधिकारिता का प्रयोग उनकी रिट अधिकारिता के अंतर्गत किया जाता है, जिसे संविधान द्वारा प्रदत्त किया गया है। न्यायालय ऐसे मामलों का चयन करने में अपनी अधिकारिता और विवेक का प्रयोग करते रहे हैं, जिनकी उनके द्वारा ब्यौरेवार सुनवाई की जानी चाहिए। न्यायालयों ने उचित जनहित याचिकाओं को लोकप्रियता/निजी/गोंदा/राजनैतिक हित की याचिकाओं से पृथक् करने के लिए कतिपय पैरामीटर अधिकथित किए हैं। डा. बी.के. सुब्बाराव बनाम के. परासरन 1996(7) जे.टी. 265 के मामले में न्यायालय ने सावधान किया है कि "किसी भी मुकदमेबाज के पास अपने कार्यों का ऐसी रीति में समाधान करने के लिए, जैसी कि वह वांछा करे, न्यायालय समय और लोक धन का असीमित प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। न्याय के प्रति आसान पहुंच का भ्रांतिपूर्ण और तुच्छ याचिकाएं फाइल करने की अनुज्ञप्ति के रूप में दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए।" इस समय सरकार के समक्ष जनहित याचिकाओं संबंधी अधिकारिता को, जो न्यायालयों की रिट अधिकारिता का भाग है जो कि संविधान की आधारिक विशिष्टियों में से एक है, समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

ग्राम ऊर्जा परियोजना

3620. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गांवों को बिजली उपलब्ध कराने के लिए देश में ग्राम ऊर्जा परियोजना शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इस योजना के अंतर्गत प्रथम चरण में कितने गांवों को शामिल किया जाएगा; और

(घ) इस पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है और चालू योजनावधि में इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) भारत सरकार ने 2009 तक सभी गांवों को विद्युतीकृत करने तथा सभी ग्रामीण घरों तक विद्युत पहुंचाने के उद्देश्य से अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जी.जी.वी.वाई.) स्कीम प्रारंभ की है। स्कीम के अंतर्गत परियोजना हेतु निम्न के लिए 90 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाएगी:-

(i) समुचित रूप से राज्य पारेषण प्रणाली से संबद्ध प्रत्येक ब्लॉक में एक 33/11 के.वी. (या 66/11 के.वी.) सब-स्टेशन के साथ ग्रामीण विद्युत वितरण बैकबोन (आर.ई.डी.बी.) का निर्माण।

(ii) प्रत्येक गांव/वास स्थान में उपयुक्त क्षमता के वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रावधान और सभी गैर-विद्युतीकृत गांवों/वास स्थानों के विद्युतीकरण हेतु ग्रामीण विद्युत अवसंरचना (वी.ई.आई.) का निर्माण।

(iii) उन गांवों/वास स्थानों के लिए परंपरागत स्रोतों से विकेंद्रीकृत वितरित उत्पादन (डी.डी.जी.) एवं आपूर्ति प्रणाली, जहां ग्रिड आपूर्ति किफायती नहीं है और जहां अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से विद्युत उपलब्ध नहीं कराएगा।

ग्राम और गृह विद्युतीकरण के अतिरिक्त अवसंरचना में कृषि और निम्न समेत अन्य क्रियाकलापों की आवश्यकता पूरी करने की परिकल्पना की गई है-

➢ सिंचाई पम्पसेट

➢ लघु व मझौले उद्योग

➢ खादी और ग्राम उद्योग

➢ कोल्ड चेन

➢ स्वास्थ्य रक्षा

➢ शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकी (आई.टी.)

इससे समग्र ग्रामीण विकास करने में, रोजगार सृजन में और गरीबी हटाने में सुविधा प्राप्त होगी। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत ऋण के रूप में 5 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रदान किया जाएगा।

इस स्कीम के तहत पूंजीगत सहायता की पात्र परियोजना होने के लिए स्कीम के तहत, परियोजनाओं की संस्वीकृति से पहले राज्यों की निम्नलिखित हेतु पूर्व वचनबद्धता भी ली जाएगी।

- योजना के तहत वित्तपोषित परियोजनाओं में ग्रामीण वितरण के प्रबंधन के लिए फ्रेंचाइजी की तैनाती; तथा
- राज्य यूटिलिटियों को अपेक्षित राजस्व सब्सिडियों का प्रावधान, जैसा कि विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत अपेक्षित है।

(ग) प्रथम चरण अर्थात् 10वीं योजना के अंतिम दो वर्षों में लगभग 50,000 गांवों का विद्युतीकरण किए जाने का लक्ष्य है।

(घ) मंत्रिमंडल द्वारा इस स्कीम हेतु 10वीं योजना के लिए 5000 करोड़ रुपये अनुमोदित किए गए हैं। वर्ष 2006-07 के लिए 3000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

[अनुवाद]

विलुप्त कंपनियां

3621. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान वनरोपण और डेयरी उद्योग कंपनियां जनता को अपने शेयर बेचकर गायब हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की गई;

(घ) उक्त कार्रवाई के फलस्वरूप सरकार को कितनी सफलता मिली; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सेबी ने सूचित किया है कि आज की तिथि के अनुसार सामूहिक निवेश योजना (सी.आई.एस.) का संचालन करने वाली कोई कंपनी उसके पास पंजीकृत नहीं है। अतः किसी सी.आई.एस. कंपनी ने विगत 5 वर्षों के दौरान जनता को शेयर जारी नहीं किए हैं।

(ख) से (ङ) उपर्युक्त (क) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार

3622. श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में विदेशी मुद्रा के अवैध कारोबार के किसी मामले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी महीने-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी विदेशी मुद्रा की वसूली की गई; और

(घ) सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापार को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

जाली शेयर आवेदन फार्म

3623. श्री काशीराम राणा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाजार में जाली शेयर आवेदन फार्मों की बिक्री को रोकने हेतु कोई कानून है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन

वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष ऐसे कितने मामले सामने आए हैं तथा उन पर क्या अभियोजन कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बाजार में बोगस शेयर आवेदन फार्मों की बिक्री को रोकने के लिए संबंधित विधानों नामतः कंपनी अधिनियम एवं सेबी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि जाली शेयर आवेदन फार्मों की बिक्री के कोई मामले उनकी जानकारी में नहीं आए हैं।

(ग) और (घ) ऊपर (क) एवं (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान

3624. श्री बसुदेव आचार्य: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान का निगमीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान से अब तक निगमीकरण का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विद्युत बंटवारा करार

3625. श्री दुष्यंत सिंह:

श्री निहाल चन्द:

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की राज्य सरकारों के बीच पंजाब की जल विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत के बंटवारे के बारे में हुए करार की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या राजस्थान के हिस्से को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार द्वारा राजस्थान को उसका उचित हिस्सा देने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) 10-5-1984 को पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों तथा भारत सरकार के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें यह सहमति हुई थी कि आनंदपुर साहिब हाइडल परियोजना, मुकेरियां हाइडल परियोजना, थीन बांध परियोजना, यू.बी.डी.सी. स्टेज-II और शाहपुर कंडी जल विद्युत परियोजना में विद्युत की हिस्सेदारी के संबंध में हरियाणा एवं राजस्थान सरकार द्वारा उठाए गए दावों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को राय के लिए मामला भेजेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को उनकी राय के लिए आवेदन करना था कि राजस्थान और हरियाणा राज्य इन हाईडल योजनाओं से उत्पादित विद्युत में हिस्से के पात्र हैं, और यदि हैं तो प्रत्येक राज्य का कितना हिस्सा होगा। यह सहमति हुई थी कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त सर्वोच्च न्यायालय की राय हस्ताक्षरकर्ता राज्यों को भेज दी जाएगी और उनके लिए बाध्यकर होगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ) मामले को मैत्रीपूर्वक निपटाने के लिए, 1984 से कई औपचारिक और अनौपचारिक वार्ताएं हो चुकी हैं। अब तक, अलग-अलग विचार होने के कारण कोई मतैक्य नहीं हो सका है। इसके अतिरिक्त, अन्य राज्यों के साथ जल की हिस्सेदारी पर अपने सभी समझौते रद्द करते हुए पंजाब सरकार द्वारा पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट, 2004 के लागू करने के परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार ने मामले को सलाह हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भेज दिया है।

जलापूर्ति हेतु धनराशि की कमी

3626. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई राज्य सभी गांवो को पेयजल की आपूर्ति हेतु धनराशि की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य द्वारा प्रतिवर्ष कितनी धनराशि की मांग की गई और केन्द्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान कई राज्यों में कम वर्षा से पेयजल की आपूर्ति बुरी तरह से प्रभावित हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा सभी गांवों हेतु पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए इन राज्यों को पर्याप्त धनराशि प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) से (ग) ग्रामीण पेयजल राज्य का विषय है। तथापि, केन्द्र सरकार केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नामशः त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी.) के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल सुविधाएं उपलब्ध कराने में राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। निधियों का अन्तःराज्यीय आबंटन निर्धारित मानदंडों के आधार पर किया जाता है जिसमें विभिन्न पैरामीटरों जैसे कि ग्रामीण जनसंख्या, भौगोलिक परिस्थितियों, कवर न की गई बसावटों की संख्या और जल गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। इसलिए निधियों के आबंटन एवं उनकी रिलीज के संबंध में राज्यों की मांग पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता। तथापि, वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में यदि निधियां उपलब्ध होती हैं तो राज्यों को आबंटन के अलावा, अतिरिक्त निधियां रिलीज की जाती हैं। अतिरिक्त रिलीज की राशि उपलब्ध बचत, राज्यों की मांग, आवश्यकता के मूल्यांकन और राज्य के कार्य-निष्पादन निर्भर करती है। पिछले तीन वर्ष के दौरान ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के विभिन्न घटकों के अंतर्गत रिलीज (अतिरिक्त रिलीज सहित) और चालू वर्ष के दौरान (23-8-2003 की स्थिति के अनुसार) रिलीज का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. निधियों के 5 प्रतिशत तक की राशि कम वर्षा के कारण सूखे की स्थिति सहित प्राकृतिक आपदा के कारण प्रभावित ग्रामीण जल आपूर्ति बहाल करने हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता देने के लिए अलग से रखी जाती है। इस वर्ष उत्तरांचल में सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए भेजे गए केन्द्रीय दल के निष्कर्षों के आधार पर उत्तरांचल सरकार को 5.50 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं। इस संबंध में अन्य राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं।

विवरण

ए.आर.डब्ल्यू.एस.पी. के सभी घटकों के अंतर्गत की गई कुल रिलीज

क्र. सं.	राज्य का नाम	2003-04 रिलीज	2004-05 रिलीज	2005-06 रिलीज	2006-07	
					आबंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7
1.	आन्ध्र प्रदेश	31639.81	37387.51	27461.58	26376.08	11975.86
2.	बिहार	3604.87	9671.86	17481.42	26932.00	8278.50
3.	छत्तीसगढ	3239.61	2690.41	5020.44	8024.00	2919.50
4.	गोवा	12.83	60.61	182.45	259.00	113.00
5.	गुजरात	14567.52	11405.69	13724.45	20837.56	7923.42
6.	हरियाणा	3482.74	2963.81	4125.44	6446.63	2026.50
7.	हिमाचल प्रदेश	6485.52	6602.60	13303.37	11126.86	4839.10

1	2	3	4	5	6	7
8.	जम्मू-कश्मीर	15058.58	15021.51	26199.55	26944.79	11896.22
9.	झारखण्ड	2500.95	3166.21	7396.61	9526.00	4750.50
10.	कर्नाटक	18350.44	19894.13	22369.11	34605.40	8733.50
11.	केरल	7014.04	6324.82	7484.13	7441.00	3808.10
12.	मध्य प्रदेश	11365.17	12027.38	17757.49	25245.00	8431.47
13.	महाराष्ट्र	23002.46	29367.45	40121.43	44803.00	16553.08
14.	उड़ीसा	8452.66	10437.58	16524.58	19082.00	4611.16
15.	पंजाब	2672.50	3532.63	4775.11	6227.00	1891.97
16.	राजस्थान	29818.39	37078.97	42225.18	66036.68	14269.61
17.	तमिलनाडु	13591.98	16158.57	14695.13	14892.00	6182.15
18.	उत्तरांचल	2763.29	4070.57	7806.30	7693.00	4554.46
19.	उत्तर प्रदेश	13510.15	16992.37	31861.55	37117.00	14668.86
20.	पश्चिम बंगाल	10945.71	10304.76	17424.50	30363.00	7046.00
21.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	10.72	2037.00	1747.51	65.73	0.00
22.	चण्डीगढ़	0.14	0.00	0.00	5.46	0.00
23.	दादर व नगर हवेली	34.57	52.06	0.00	22.92	0.00
24.	दमन व दीव	0.14	0.00	0.00	13.53	0.00
25.	दिल्ली	0.81	0.00	0.00	13.00	0.00
26.	लक्षद्वीप	0.81	0.00	0.00	3.64	0.00
27.	पांडिचेरी	11.69	100.00	0.00	104.72	0.00
28.	अरुणाचल प्रदेश	4592.27	7078.97	10674.54	10509.00	3540.75
29.	असम	10632.91	14075.88	16440.43	22027.00	11890.89
30.	मणिपुर	1702.36	2103.00	3041.92	3588.00	1689.50
31.	मेघालय	2214.45	3085.58	3520.19	4142.00	1946.50
32.	मिजोरम	1474.65	2076.96	2923.47	2962.00	1395.50

1	2	3	4	5	6	7
33.	नागालैण्ड	1981.26	2084.83	3062.25	3054.00	1432.50
34.	सिक्किम	791.13	902.59	1366.38	1256.00	587.50
35.	त्रिपुरा	2863.64	2443.31	3530.19	4121.00	1726.50
	कुल	248390.77	291199.62	384266.70	481666.00	169682.60

सोनिया विहार जल संयंत्र

3627. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सोनिया विहार जल संयंत्र से पेयजल की आपूर्ति शुरू हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त संयंत्र से कौन-कौन सी कालोनियां लाभान्वित हुई हैं;

(ग) क्या उक्त संयंत्र के चालू होने से पेयजल आपूर्ति की मात्रा में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दिल्ली में पेयजल आवंटन को कब तक सुचारू बना दिये जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली जल बोर्ड (डी.जे.बी.) ने सूचित किया है कि सोनिया विहार संयंत्र से पेयजल की आपूर्ति शुरू हो गई है तथा इसकी 140 मिलियन गेलन प्रति दिन (एम.जी.डी.) की कुल डिजाइन संसाधन क्षमता की तुलना में 67.5 मिलियन गेलन प्रतिदिन जल छोड़ा जा रहा है। पूर्वोत्तर, पूर्व और दक्षिण दिल्ली जिलों के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र इस जल की आपूर्ति से लाभान्वित होंगे:-

(i) वितरण तंत्र से जुड़े पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र

(ii) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद/सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट के हिस्से

(iii) दक्षिण दिल्ली क्षेत्रों/कालोनियों में ओखला, महारानी बाग, फ्रेंड्स कालोनी, तैमूर नगर, आश्रम, जंगपुरा, भोगल, सिद्धार्थ एक्सटेन्सन, सिद्धार्थ एन्क्लेव, किलकोरी गांव तथा निकटवर्ती क्षेत्र, श्रीनिवासपुरी सरिता विहार, ग्रेटर कैलाश-I/II, अलकनंदा कालोनी समूह, ईस्ट ऑफ कैलाश, गढ़ी, कैलाश हिल्स, डिफेन्स कालोनी, सी.जी.ओ. काम्प्लेक्स, प्रगति विहार हॉस्टल, एन.डी.एस.ई.-I/II, कोटला मुबारकपुर, लाजपत नगर, नेहरू नगर, सनलाइट कालोनी, कालकाजी, चितरंजन पार्क, गोविन्दपुरी, गिरि नगर, मस्जिद मोठ, चिराग दिल्ली, सावित्री नगर, शेख सराय, दक्षिण पुरी, मदनगीर, लाडो सराय, सादिक नगर, महरौली, साकेत, मालवीय नगर, शिवालिक, गितांजली, जवजीवन विहार, सर्वोदय एन्क्लेव, अघचिनी, विजय मंडल एन्क्लेव, पंचशील पार्क, पंचशील एन्क्लेव, स्वामी नगर, एम.एम.टी.एस. और एस.टी.सी. कालोनी, गुलमोहर पार्क, उदय पार्क, नीति बाग, आनंद लोक, एन्ड्रूजगंज, मेफेयर गार्डन, एशियाड विलेज, शाहपुर जाट गांव, मुनिरका, मुनिरका गांव, ग्रीन पार्क, सफदरजंग विकास क्षेत्र नेव सराय, बेर सराय, कटवारिया सराय, महरौली, वसंत कुंज, किशनगढ़ तथा मसूदपुर गांव।

(ग) और (घ) दिल्ली जल बोर्ड ने यह बताया है कि यमुनापार के क्षेत्रों, दक्षिणी और सेंट्रल दिल्ली में जल की मात्रा में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार वृद्धि हुई है:-

क्षेत्र	मिलियन गेलन प्रतिदिन में वास्तविक वृद्धि
1	2
यमुनापार के क्षेत्र	25.60
दक्षिणी और सेंट्रल	36.65

1	2
दक्षिणी पश्चिमी	2.75
एन.डी.एम.सी. क्षेत्र	2.50

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड ने बताया है कि नेटवर्क की स्वीकार्यता के अध्यधीन धीरे-धीरे भार बढ़ाकर सोनिया विहार संयंत्र को जून, 2007 में इसकी पूर्ण क्षमता तक चालू करने का कार्यक्रम है।

इंडियन साइंस फाउंडेशन

3628. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एक इंडियन साइंस फाउंडेशन की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त फाउंडेशन के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (घ) प्रधानमंत्री की वैज्ञानिक सलाहकार परिषद (एस.ए.सी. - पी.एम.) द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के नैशनल साइंस फाउंडेशन की तर्ज पर एक स्वायत्त राष्ट्रीय विज्ञान एवं इंजीनियरी अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना करने की सिफारिश की गई है। इस प्रस्ताव पर सरकार में विभिन्न स्तरों पर विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बैंक

3629. श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा ऋण की वसूली पर एक वर्ष तक के लिए रोक लगा दी है जैसाकि दिनांक 13 अगस्त, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या ऐसे क्षेत्रों में बैंकों का कारोबार बाधित हो रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है;

(ङ) राज्य-वार कितने बैंकों ने अभी तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपने कामकाज को बंद कर दिया है; और

(च) इसके परिणामस्वरूप बैंकों को कितनी हानि हुई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात राज्यों में आई भयंकर बाढ़ की स्थिति को देखते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने 9 अगस्त 2006 के अपने परिपत्र संख्या आर.पी.सी.डी. सी.ओ. पी.एल.एफ.एस. सं. बी.सी. 16/05-04-02/2006-07 द्वारा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के संबंध में हाल ही में मार्गनिर्देश जारी किए हैं।

परिपत्र में निहित उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंकों के ग्राहकों को अपने खातों तक पहुंच और बैंकिंग सेवाएं प्राप्त करने में न्यूनतम कठिनाई हो। बैंकों से कहा गया है कि विशेषत: व्यवसाय जारी रखने, ए.टी.एम. तक पहुंच, मुद्रा प्रबंधन, निकासी सुविधाएं, परेशानी रहित तरीके से नया खाता खोलने, नए ऋण जारी करने, मौजूदा ऋणों के पुनर्गठन, प्रतिबंध लगाने के सभी मामलों में न्यूनतम एक वर्ष का ऋण स्थगन आदि के संबंध में आवश्यक व्यवस्था करें और आकस्मिकता संबंधी योजनाएं बनाएं।

(ङ) और (च) आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात की राज्य स्तरीय बैंकर समिति के संयोजक बैंक ने सूचित किया है कि बैंकों की कुछ शाखाओं का व्यवसाय प्रभावित हुआ था। तथापि, बैंकों द्वारा उठाए गए घाटे का अभी मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी। शाखाओं के राज्य-वार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

राज्य	प्रभावित शाखाओं की संख्या
1. आंध्र प्रदेश	8
2. महाराष्ट्र	7
3. गुजरात	127

[अनुवाद]

दुकानदारों को विस्थापित करना

3630. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महत्वपूर्ण मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के कारण सांताक्रूज के दुकानदारों को विस्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विस्थापित दुकानदारों को उनके पुनर्वास हेतु वैकल्पिक स्थान दिया गया है/दिया जा रहा है;

(ग) क्या विश्व बैंक ने मार्च, 2006 में एम.यू.टी.पी. के लिए 229 मिलियन डालर की नई राशि के संवितरण को रोक दिया था;

(घ) यदि हां, तो राशि संवितरण को रोकने के क्या कारण थे;

(ङ) क्या विश्व बैंक महत्वपूर्ण मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के लिए ऋण देने को तैयार हो गया है; और

(च) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक तैयार हो जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) मुंबई मैट्रोपोलिटन रीजन डवलपमेंट अथारिटी ने यह सूचित किया है कि बेस लाइन सोसियो-इकानोमिक सर्वे के अनुसार सांताक्रुज-चैम्बूर लिंक रोड परियोजना द्वारा 540 वाणिज्यिक कब्जे प्रभावित हुए है जिनमें से 185 को पुनर्स्थापित किया गया है। पुनर्वास और पुर्स्थापन नीति तथा अनुमोदित पुनर्स्थापन कार्यान्वयन योजना के अनुसार दुकानों को दुकानें मुहैया कराई गई/कराई जा रही हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) पुनर्स्थापन व पुनर्वास क्रियाकलापों के कार्यान्वयन के संबंध में विश्व बैंक को आपत्ति थी।

(ङ) जी, हां। विश्व बैंक ने दिनांक 30-6-2006 से रोक हटा ली है।

(च) परियोजना जून, 2008 तक पूरी होने की संभावना है।

सेन्ट्रल बैंक के वेतनमानों में संशोधन

3631. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेन्ट्रल बैंक के कर्मचारी गत दस वर्षों से संशोधित न किए गए वेतनमानों में संशोधन करने तथा रिक्त पदों को भरने की भी मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में सेन्ट्रल बैंक की विभिन्न शाखाओं में रिक्तियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) रिक्तियों को न भरने के क्या कारण हैं जिससे काम बाधित होता है और विद्यमान कर्मचारियों पर काम का बोझ पड़ता है; और

(ङ) सरकार द्वारा वेतनमानों में संशोधन करने और रिक्तियों को भरने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों द्वारा वेतनमानों में संशोधन की कोई मांग नहीं की गई है। चूंकि यह बैंक भारतीय बैंक संघ का सदस्य है, इसके अधिकारियों और अवार्ड स्टाफ के वेतन और भत्ते उद्योग स्तरीय समझौते द्वारा निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि शाखाओं/कार्यालयों के विभिन्न वेतनमानों/संवर्गों में जनशक्ति का मूल्यांकन, व्यवसाय की आवश्यकताओं और कामकाज की मात्रा पर आधारित, एक सतत प्रक्रिया है। इन रिक्तियों को समय-समय पर आंतरिक पदोन्नतियों और/अथवा सीधी भर्ती के जरिए भरा जाता है।

एस.जी.एस.वाई. के अन्तर्गत उपलब्धियां

3632. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्णजयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी. एस.वाई.) की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) इसके अन्तर्गत क्रियान्वित विभिन्न परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गई है;

(ग) इस संबंध में अभी तक प्रत्येक राज्य ने कितनी प्रगति की है; और

(घ) सरकार द्वारा लोगों में एस.जी.एस.वाई. के प्रति जागरूकता लाने और इसे सफल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) स्वर्ण जयंती ग्राम स्व-रोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(ख) एस.जी.एस.वाई. एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें स्व-रोजगार के सभी पहलू अर्थात निर्धनों का स्व-सहायता समूहों में संगठन, प्रशिक्षण, ऋण, प्रौद्योगिकी, आधारभूत सुविधा और विपणन शामिल हैं। एस.जी.एस.वाई. का उद्देश्य पिछले कुछ वर्षों में आमदनी में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करके सहायताप्राप्त परिवारों (स्व-रोजगारियों) को गरीबी रेखा से ऊपर लाना है। इस उद्देश्य को अन्य बातों के साथ-साथ सामाजिक जागरण की प्रक्रिया के जरिए ग्रामीण निर्धनों को एस.एच.जी. में संगठित करके, उनके प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के माध्यम से आयसर्जक परिसंपत्तियों के प्रावधान के जरिए हासिल किया जाना है। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार केंद्रीय आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) योजना के प्रारंभ से अब तक राज्य-वार बनाए गए स्व-सहायता समूहों एवं सहायताप्राप्त स्व-रोजगारियों (एस.एच.जी.+व्यक्ति) की कुल संख्या संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(घ) एस.एच.जी. आंदोलन को सार्वभौमिक बनाने के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है। प्रोत्साहन, समूहों के निर्माण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आदि के लिए गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक एजेंसियों/समुदाय आधारित संगठनों को सुविधाप्रदाता के रूप में समायोजित किया जाता है।

विवरण-I

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस.जी.एस.वाई.) की मुख्य विशेषताएं

- एस.जी.एस.वाई. एक व्यापक कार्यक्रम है जिसमें स्व-रोजगार के सभी पहलू अर्थात् निर्धनों का स्व-सहायता समूहों (एस.एच.जी.) में संगठन, प्रशिक्षण और क्षमता-निर्माण गतिविधि समूहों का नियोजन, ऋण, प्रौद्योगिकी आधारभूत सुविधा एवं विपणन शामिल हैं।

- इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक संख्या में माइक्रो इण्टरप्राइजेज की स्थापना करना और ग्रामीण निर्धन की क्षमता का निर्माण करना है।

- सहायताप्राप्त परिवार (स्वरोजगारी) व्यक्ति या समूह (स्व-सहायता समूह) हो सकते हैं। तथापि, समूह दृष्टिकोण पर बल दिया जाएगा।

- माइक्रो इण्टरप्राइजेज स्थापित करते समय समूह दृष्टिकोण पर बल दिया जाता है। ब्लॉक में चुनी गई प्रमुख गतिविधियों की संख्या साधारणतया 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए। तथापि, 4-5 प्रमुख गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनकी पहचान संसाधनों, लोगों की पेशेवर योग्यता और बाजार की उपलब्धता के आधार पर की जाती है।

- एस.जी.एस.वाई. एक ऋण-सह-सब्सिडी कार्यक्रम है, जिसके ऋण महत्वपूर्ण घटक और सब्सिडी केवल एक लघु एवं सहायक घटक है।

- इसमें परियोजनाओं के नियोजन एवं निर्माण, क्रियाकलाप समूह की पहचान, आधारभूत सुविधा का नियोजन, एस.एच.जी. का क्षमता निर्माण, स्वरोजगारियों का चयन तथा ऋण की वसूली सहित बाद में ऋण की निगरानी।

- इसमें बहुविध ऋण की बजाए एकमुश्त ऋण अदायगी को बढ़ावा दिया जाता है।

विवरण-II

विगत तीन वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान एस.जी.एस.वाई. के अंतर्गत राज्य-वार केन्द्रीय आवंटन

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	4238.88	5305.97	5305.97	5885.70
2.	अरुणाचल प्रदेश	221.53	276.91	276.91	282.45
3.	असम	5756.15	7195.18	7195.18	7339.07
4.	बिहार	10084.97	12623.79	12623.79	13998.30
5.	छत्तीसगढ	2238.84	2802.45	2802.45	3109.61
6.	गोया	50.00	50.00	50.00	50.00
7.	गुजरात	1595.58	1997.27	1997.27	2216.70
8.	हरियाणा	938.70	1175.03	1175.03	1304.92
9.	हिमाचल प्रदेश	395.33	494.85	494.85	548.73
10.	जम्मू-कश्मीर	489.27	612.44	612.44	679.13
11.	झारखण्ड	3801.08	4757.98	4757.98	5278.02
12.	कर्नाटक	3200.94	4006.76	4006.76	445.01
13.	केरल	1436.25	1797.82	1797.82	1995.54
14.	मध्य प्रदेश	4799.65	6007.91	6007.91	6664.05
15.	महाराष्ट्र	6327.49	7920.39	7920.39	8784.83
16.	मणिपुर	385.88	482.36	482.36	492.01
17.	मेघालय	432.33	540.42	540.42	551.23
18.	मिजोरम	100.04	125.06	125.06	127.56
19.	नागालैण्ड	296.58	370.70	370.70	378.12

1	2	3	4	5	6
20.	उड़ीसा	4848.38	6068.94	6068.94	6729.73
21.	पंजाब	456.20	571.05	571.05	635.23
22.	राजस्थान	2430.60	3042.47	3042.47	3375.71
23.	सिक्किम	110.76	138.45	138.45	141.22
24.	तमिलनाडु	3748.10	4691.65	4691.65	5204.41
25.	त्रिपुरा	696.73	870.71	870.92	888.34
26.	उत्तर प्रदेश	14518.73	18173.71	18173.71	20152.62
27.	उत्तरांचल	763.00	955.10	955.10	1061.01
28.	पश्चिम बंगाल	5388.01	6744.42	6744.42	7480.75
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	50.00	25.00	25.00	25.00
30.	दमन व दीव	50.00	25.00	25.00	25.00
31.	दादरा व नगर हवेली	50.00	25.00	25.00	25.00
32.	लक्षद्वीप	50.00	25.00	25.00	25.00
33.	पांडिचेरी	50.00	100.00	100.00	100.00
	कुल	80000.00	100000.00	100000.00	110000.00

विवरण-III

एस.जी.एस.वाई. के आरंभ (1-4-99) से लेकर 2006-07 (जून, 06) तक बनाए गए स्वसहायता समूहों तथा सहायताप्राप्त कुल स्वरोजगारियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बनाए गए स्व-सहायता समूहों की सं.	सहायता-प्राप्त कुल स्वरोजगारी (वैयक्तिक + स्व-सहायता समूह)
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	461181	707784
2.	अरुणाचल प्रदेश	361	12080
3.	असम	126019	274355
4.	बिहार	97316	877225

1	2	3	4
5.	छत्तीसगढ़	50124	162232
6.	गोवा	664	3728
7.	गुजरात	89846	173063
8.	हरियाणा	10729	111818
9.	हिमाचल प्रदेश	5476	61403
10.	जम्मू-कश्मीर	7111	63278
11.	झारखण्ड	31161	390703
12.	कर्नाटक	38804	272232
13.	केरल	56963	176672
14.	मध्य प्रदेश	247056	452179
15.	महाराष्ट्र	126288	511356
16.	मणिपुर	705	2324
17.	मेघालय	4727	20440
18.	मिजोरम	1406	10560
19.	नागालैण्ड	2436	19429
20.	उड़ीसा	153765	459665
21.	पंजाब	4158	46696
22.	राजस्थान	26413	241917
23.	सिक्किम	1149	11626
24.	तमिलनाडु	246907	439170
25.	त्रिपुरा	17933	72570
26.	उत्तर प्रदेश	331606	1080445
27.	उत्तरांचल	19400	67486
28.	पश्चिम बंगाल	153936	230339
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	348	2828

1	2	3	4
30.	दमन व दीव	0	113
31.	दादरा व नगर हवेली	16	250
32.	लक्षद्वीप	4	75
33.	पांडिचेरी	1230	4706
	कुल	2315238	6960727

पवन ऊर्जा परियोजनाएं

3633. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम.एम.टी.सी. का विचार देश के कुछ भागों में पवन ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी हां।

(ख) इस परियोजना में 70 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर 15 मेवा. की पवन विद्युत परियोजना की संस्थापना की परिकल्पना है।

(ग) इस परियोजना के 31 मार्च, 2007 तक पूरा होने की आशा है।

दावा न की गई वस्तुओं का निपटान न किया जाना

3634. प्रो. एम. रामदास: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दावा न की गई/जब्त की गई आयातित/निर्यातित वस्तुओं का निपटान न किये जाने से सीमा शुल्क राजस्व अटका पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इससे हुई राष्ट्रीय हानि सहित किस सीमा तक नुकसान हुआ है;

(ग) इन वस्तुओं को नहीं निपटाये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) और (ख) माल का निपटान एक सतत् प्रक्रिया है और दावा न किए गए/जब्त किए गए आयात/निर्यात माल को उस वक्त निपटान हेतु लिया जाता है जब वे निपटान हेतु परिपक्व हो जाते हैं। चूंकि माल को "निर्धारित प्रक्रिया" का अनुसरण करते हुए अंतिम रूप से निपटान किया जाता है, सीमा शुल्क राजस्व में अस्थाई रुकावट, यदि कोई हो, अपरिहार्य है।

(ग) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत निषेधों का उल्लंघन करके आयात किए गए/निर्यात के लिए प्रयास किए गए माल को उसी अधिनियम के अंतर्गत जब्त किया जा सकता है। उक्त प्रक्रिया और जब्त करने की प्रक्रिया में जांच, कारण बताओ नोटिस जारी करने और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा जब्ती का आदेश पारित करने जैसे विभिन्न चरण शामिल हैं। इस प्रक्रिया में काफी समय लगता है। न्याय-निर्णयन आदेश जारी करने के बाद भी, आयातक/निर्यातक के साथ-साथ विभाग के पास विभिन्न अपीलीय मंचों के समक्ष अपील दायर करने का कानूनी उपचार है और अपीलीय चरणों के पूरा होने के बाद सरकार माल को अंतिम रूप से जब्त कर सकती है। माल को निपटान हेतु लिये जाने से पहले अपील के इन चरणों में भी काफी समय लग सकता है।

(घ) सरकार ने जब्तशुदा माल के साथ-साथ दावा न किए गए/निकासी न किए गए माल के शीघ्र निपटान के लिए विशेष अनुदेश जारी किए हैं। इसके अलावा, ऐसे माल के शीघ्र निपटान के लिए बहुत से सीमा शुल्क जोनों में "ई-नीलामी" की सुविधा भी आरंभ की गई है।

काम नहीं तो वेतन नहीं

3635. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 अगस्त, 2006 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में "नो वर्क नो पे कोर्ट टेल्स स्ट्राइकिंग गवर्नमेंट स्टाफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि कामगारों को हड़ताल पर रहने की अवधि के लिए कोई वेतन नहीं दिया जाएगा;

(ग) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई विधान लाने जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) से (घ) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक वृद्धि

3636. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रमुख उद्योगपतियों ने उच्च औद्योगिक वृद्धि दर में आने वाली रुकावटों को दूर करने तथा विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाने हेतु पहल करने के लिए सरकार से कहा है;

(ख) यदि हां, तो उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा तथा उच्च वृद्धि के लिए उनके द्वारा की गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उद्योग जगत ने सरकार से ऊर्जा, खनन तथा खाद्य पदार्थों को विनियम से मुक्त करने को कहा है; और

(घ) यदि हां, तो उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) दिनांक 5 जुलाई 2006 को वित्त मंत्री के साथ बजट के बाद की चर्चा सत्र के दौरान विकास दर को बढ़ाए जाने के उपायों के संबंध में एसोचेम, सी.आई.आई., फिक्की तथा पी.एच.डी.सी.सी.आई. के प्रतिनिधियों ने लघु तथा मध्यम उद्यमों के लिए निधियों की उपलब्धता तथा लागत, कोयला खदानों के अवरोध हटाने, अवसंरचना में सरकारी निवेश जुटाने, ऋण बाजार को गहनता तथा व्यापकता प्रदान करने तथा अन्य बातों से संबंधित विभिन्न मुद्दों को उठाया है।

(ग) उद्योग संघों ने, अन्य बातों के अलावा, विद्युत क्षेत्र में सुधारों के कार्यान्वयन, खदानों पर नियंत्रण हटाने तथा खाद्य क्षेत्र (पैक में रखा/ब्रांडयुक्त खाद्य सहित) के लिए एक सहायक नीति, जिसमें करों का यौक्तिकीकरण भी शामिल है, की सिफारिश की है।

(घ) इस बैठक के परिणामस्वरूप, सरकार ने समयबद्ध आधार पर अगले जांच-परीक्षण के लिए विभिन्न मुद्दों की पहचान की है।

छोटे शहरों के लिए योजनाएं

3637. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गत दो वर्षों के दौरान छोटे तथा मध्यम स्तर के शहरों के विकास के लिए एकीकृत योजना के अंतर्गत ऋण घटक को 100 प्रतिशत अनुदान में बदलने के संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कृषि ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज

3638. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने कोई निर्णय दिया है कि कृषि ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगाया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त निर्णय के बावजूद भी बैंक कृषि ऋण पर चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार ने चक्रवृद्धि ब्याज प्रभारित करने वाले बैंकों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय ने 20 जून, 1994 के दिए गए निर्णय में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह माना है कि बैंकों को किसानों से तिमाही या छमाही अंतरालों में ब्याज प्रभारित करने की अनुमति देना किसानों को चक्रवृद्धि ब्याज देने के लिए बाध्य करने जैसा ही होगा क्योंकि वे वर्ष में एक बार अर्थात् जब अपनी फसल की बिक्री से होने वाली आय उन्हें प्राप्त होगी तब ब्याज का भुगतान कर पाएंगे और कि जहां तक कृषि उद्देश्यों के लिए ऋणों का संबंध है सबसे अच्छा यह होगा कि ब्याज वार्षिक अंतराल पर प्रभारित किए जाएं और चक्रवृद्धि ब्याज तब लगाया जाए जब ऋण/किस्त अतिदेय हो जाएं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि उन्हें कृषि अग्रिमों पर तिमाही या लंबे अंतरालों के बजाए वार्षिक अंतरालों पर ब्याज प्रभारित करना चाहिए और वे चक्रवृद्धि ब्याज लगा सकते हैं यदि ऋण/किस्त अतिदेय हो जाएं। यह स्पष्ट किया गया था कि ये अनुदेश सिर्फ लंबी अवधि की फसलों पर ही लागू होंगे। जहां तक अल्पावधि फसल और संबद्ध क्रियाकलापों से संबंधित अन्य कृषि अग्रिमों का संबंध है, बैंकों से ब्याज प्रभारित करते समय उधारकर्ताओं को नकदी के प्रवाहों और फसल कटाई/विपणन मौसम के आधार पर नियत की गई देय तारीखों को ध्यान में रखने और यदि ऋण/किस्त अतिदेय हो जाती है तो उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज में बदल देने की अपेक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, मार्च, 2006 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ (आई.बी.ए.) और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से क्रमशः अपने सदस्य बैंकों और सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को इस मामले में जारी अनुदेशों को दोहराने के लिए कहा है जिसमें उनसे उन अनुदेशों के उल्लंघन करते हुए प्रभारित ब्याज, यदि कोई हो, को वापस करने के लिए कहें। भारतीय रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक तथा भारतीय बैंक संघ से बैंकों को यह सलाह देने के लिए कहा है कि बैंकों की लेखापरीक्षा/निरीक्षण के दौरान इस संबंध में पाई गई चूक को गंभीरता से लिया जाएगा और ऐसी चूकों के लिए आर्थिक दंड लगाया जा सकता है।

मस्टर रोल/दस्ती रसीद कर्मचारियों को सरकारी आवास

3639. श्री बी.के. ठुम्मर: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 1 फरवरी, 2006 के आदेश सं. डी सं. 7/2005-नीति-दो के द्वारा मस्टर रोल/दस्ती रसीद कर्मचारी सरकारी आवास के पात्र नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी आवास के आवंटन हेतु क्या मापदंड अपनाया गया है;

(ग) क्या उक्त आदेश का उल्लंघन करके संपदा कार्यालय द्वारा ऐसे कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) मस्टर रोल/दस्ती रसीद कर्मचारी सरकारी आवासों के लिए पात्र नहीं हैं। केवल नियमित आधार पर नियुक्त कर्मचारी ही सरकारी आवास आबंटन के लिए पात्र हैं।

(ग) और (घ) संपदा निदेशालय कार्यालय द्वारा प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित आदेश के उल्लंघन में ऐसे मस्टर रोल/दस्ती रसीद कर्मचारियों को कोई सरकारी आवास आबंटित नहीं किया गया है।

रत्नागिरी गैस एण्ड पावर लिमिटेड

3640. श्री रामजीलाल सुमन: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रत्नागिरी गैस एण्ड पावर लिमिटेड के दो खण्डों को और मरम्मत की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन खण्डों की मरम्मत की लागत की गणना कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी अनुमानित लागत कितनी है; और

(ङ) उक्त परियोजना में विद्युत उत्पादन शुरू करने के

लिए उक्त परियोजना में अब तक कुल कितना निवेश किया गया है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) रत्नागिरी गैस एण्ड पावर प्राइवेट लि. (आर.जी.पी.पी.एल.) प्रोजेक्ट में कुल तीन विद्युत ब्लाकों में से, अभी तक केवल पावर ब्लॉक-II (740 मे.वा.) आरंभ हुआ है। अन्य दो अर्थात् पावर ब्लॉक-I (670 मे.वा.) और पावर ब्लाक-III (740 मे.वा.) का अभी पुनरुद्धार और चालू किया जाना है।

(ग) और (घ) मै. ट्रेक्टेबल, भारतीय ऋणदाताओं के तकनीकी परामर्शदाताओं, द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार इन दो पावर ब्लाकों अर्थात् पावर ब्लाक-I तथा III की पुनरुद्धार लागत अगस्त 2003 में 146 करोड़ रुपये आंकी गई थी। बहरहाल यह अनुमान संयंत्र तक सीमित पहुंच के आधार पर लगाया गया था क्योंकि परिसम्पत्तियां तब कोर्ट रिसीवर की अभिरक्षा में थीं। इन दो विद्युत ब्लाकों के पुनरुद्धार कार्य के ठेके देने जाने के पश्चात् ही अंतिम लागत का पता लगेगा।

(ङ) आर.जी.पी.पी.एल. ने सूचित किया है कि माननीय मुम्बई उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार तत्कालीन स्वामियों से परिसम्पत्तियां आर.जी.पी.पी.एल. को अंतरण के एवज में 8485 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। इसके अलावा परियोजना के पुनरुद्धार के लिए जुलाई, 2006 तक लगभग 230 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

[अनुवाद]

लम्बित पड़े कर सम्बन्धी मामले

3641. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित पड़े कर सम्बन्धी मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने कर सम्बन्धी मामलों के निपटान में तेजी लाने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) से (घ) उच्च न्यायालय द्वारा कर संबंधी मामलों के शीघ्र निपटान का विषय, एक ऐसा विषय है जो न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है।

रियायती दरों पर ऋण

3642. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय संस्थान पिछड़े क्षेत्रों में परियोजनाओं की स्थापना हेतु रियायती दरों पर पर्याप्त ऋण देने में हिचकिचाते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ग) वित्तीय संस्थाओं ने सूचित किया है कि वे, परियोजना के स्थान पर ध्यान दिए बिना, अर्थक्षम परियोजनाओं को प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर सहायता प्रदान करती है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवा कर

3643. श्री मणि चारेनामै: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 2005-06 और 2006-07 हेतु निर्धारित सेवा कर का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन राज्यों से आज की तिथि तक वर्तमान संग्रहण कितना है;

(ग) ऐसे राज्यों में सेवा कर के दायरे में सभी सेवा प्रदानकर्ताओं को लाना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है; और

(घ) इस प्रकार से संग्रहित सेवा कर में से वर्ष 2005-06 के दौरान ऐसे राज्यों को कितना हिस्सा प्रदान किया गया?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सेवा कर संग्रहण के लिए राज्य-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं है।

(ख) सेवा कर संग्रहण की राशि का ब्यौरा राज्य-वार नहीं रखा जाता है।

(ग) मिडिया प्रचार, संचालन सहायता केन्द्रों आदि सहित सेवा कर अनुपालन में सुधार के अनेक उपाय किए गए हैं।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के लिए सेवा कर संग्रहण का अवक्रमण निम्न प्रकार है:

(करोड़ रु. में)

राज्य का नाम	वर्ष 2005-06 में सेवाकर राशि में वृद्धि
अरुणाचल प्रदेश	20.06
असम	225.37
मणिपुर	25.24
मेघालय	25.86
मिजोरम	16.64
नागालैंड	18.29
त्रिपुरा	29.78

सुनामी के लिए अध्ययन

3644. श्री रामदास आठवले: क्या **पृथ्वी विज्ञान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 26 दिसंबर, 2004 को हिन्द महासागर में आई सुनामी के बाद उत्पन्न स्थिति जैसे हालात उत्पन्न होने पर समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जान एवं माल की रक्षा करने के मद्देनजर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों को कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गई;

(घ) क्या इन वैज्ञानिकों ने विश्व के अन्य वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों से सहायता ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ङ) 26 दिसंबर 2004 को आई सुनामी के तत्काल बाद हुई क्षति का मूल्यांकन करने और विशिष्ट क्षेत्रों में अति संवेदनशील स्थानों की पहचान करने के लिए "भारत के चुनिंदा तटीय क्षेत्रों में सुनामी के प्रभाव का प्रारंभिक मूल्यांकन" अध्ययन किया गया था। पूर्व चेतावनी जारी करते हुए तटीय क्षेत्रों में रह रहे लोगों के जान और माल की रक्षा करने के लिए, सरकार 125 करोड़ रुपये की कुल लागत पर हिंद महासागर में सुनामी और तूफान महोर्मि पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित कर रही है, जिसमें गहराईमापी और तटीय भू-आकृति विज्ञानी सर्वेक्षण तथा भूकंप, माडलिंग इत्यादि जैसे अन्य संबंधित विज्ञान भी शामिल हैं।

भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केन्द्र इनकॉयस, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में 24 घंटे चलने वाले केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इस प्रणाली को सितम्बर 2007 तक प्रचालित किया जाना तय है। यह सुनामी चेतावनी प्रणाली समस्त देश के लिए है। यह देश में ही निर्मित प्रणाली है। इस समय इनकॉयस, हैदराबाद में 24x7 आधार पर एक अंतरिम पूर्व चेतावनी प्रणाली काम कर रही है।

गृह मंत्रालय में राष्ट्रीय चक्रवात कोर समूह का गठन किया गया। इस कोर समूह द्वारा प्रस्तावित उपायों में से एक उपाय के रूप में, विश्व बैंक की सहायता से 13 तटीय राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए एक राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम न्यूनीकरण योजना तैयार की गई है।

[अनुवाद]

लघु जल विद्युत परियोजना

3645. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या **अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में लघु जल विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहन देती है;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र ने स्वीकृति हेतु ऐसे कितने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है तथा गत दो वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(घ) ये परियोजनाएं कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय द्वारा देश में विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करने और लघु

पनबिजली (एस.एच.पी.) परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सी.एफ.ए.) उपलब्ध कराई जा रही है।

(ख) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय को सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार से एस.एच.पी. परियोजनाओं हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए तीन प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ग) तीनों परियोजनाओं के लिए 12.25 करोड़ रुपये की राशि की केन्द्रीय वित्तीय सहायता मंजूर की गई है, जिसमें से 3.25 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।

(घ) 2 परियोजनाओं, नामतः डोलवाहल (2 मेवा. स्टेशन क्षमता) और वान (1.5 मेवा. स्टेशन क्षमता), के दिसम्बर, 2006 तक कमीशन किए जाने की आशा है। तीसरी परियोजना, नामतः कोनल (10 मेवा.) हेतु कार्य-आदेश को सिंचाई विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा अंतिम रूप दिया जा रहा है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा व्यय

3646. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन की आशा में 2000-01 से 2004-05 की अवधि के दौरान मास्टर प्लान, सड़कों के निर्माण, हरित पट्टियों के विकास, भूमि को समतल बनाने, जलापूर्ति सुविधाओं के निर्माण आदि भूमि विकासात्मक कार्यकलापों पर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) खर्च का प्रशासनिक अनुमोदन कब प्रापत हुआ तथा कार्य शुरू करने की संभावित तिथि क्या है;

(ग) प्रशासनिक अनुमोदन की आशा में खर्च करने वाले प्राधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने से पहले खर्च न किया जाना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) उन निर्माणाधीन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिनमें खर्च का प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 2000-01 से 2004-05 तक प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति लेने की आशा में किए गए निर्माण कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) डी.डी.ए. द्वारा यह बताया गया है कि यदि कोई विकास कार्य शीघ्र शुरू करना अपेक्षित होता है और प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति लेने का समय नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा "अग्रिम" अनुमोदन दिया जाता है और बाद में व्यय अनुमोदन समिति द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति देकर उसे नियमित किया जाता है। अतः डी.डी.ए. का प्रशासनिक अनुमोदन लेने से पूर्व व्यय करने के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का कोई विचार नहीं है।

(ङ) डी.डी.ए. ने उन निर्माण कार्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया है जो चल रहे हैं और जिनके लिए व्यय का प्रशासनिक अनुमोदन नहीं मिला है।

विवरण-I

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्र.अनु. एवं व्यय स्वी. से पहले किया गया (लाख रुपये में)		प्र.अनु. एवं व्यय स्वी. की तारीख	प्र.अनु. एवं व्यय स्वी. से पहले कार्य शुरू करने की तारीख	कार्य की स्थिति
		विद्युत	सिविल			
1	2	3	4	5	6	7
1.	द.प. जोन					
	(क) हस्तसाल में आबादकारों के पुनर्वास के लिए प्लाटों का विकास	574.00 (सिविल+ विद्युत)		अभी दी जानी है।	27-6-2000	चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
	(ख) सुलतानगढ़ी, वसंत कुंज में सुलतानगढ़ी हेरीटेज कांप्लेक्स का विकास	4.85	35.00	अभी दी जानी है।	26-4-2002	चल रहा है।
	(ग) वसंत कुंज के उत्तर में बायोडायवर्सिटी पार्क का विकास	9.80	122.27	24-1-05 को दी गई।	21-10-2003	चल रहा है।
2.	उत्तर जोन					
	(क) बी-4, नरेला का विकास	शून्य	13.89	28-7-06 को दी गई।	7-11-2004	चल रहा है।
	(ख) समाधि स्थल के पीछे विजय घाट में यमुना पुश्ता का विकास	7.61	150.00	2006 में दी गई।	2003	पूरा कर लिया गया है।
3.	पूर्वी जोन					
	बक्करवाला में 60 हेक्टेयर भूमि का विकास	150.87	580.00	अभी दी जानी है।	अगस्त, 2001	चल रहा है।
4.	रोहिणी					
	(क) रोहिणी फेस-iv में मास्टर प्लान सड़कों का निर्माण	शून्य	97.00	4-1-2002 को दी गई।	11-7-2000	सिविल कार्य पूरा हो गया है। विद्युत कार्य चल रहा है।
	(ख) सेक्टर-26 और 27 रोहिणी फेस-iv में आबादकारों के पुनर्वास हेतु भूमि का विकास	50.83	114.00	अभी दी जानी है।	22-7-2002	कार्य पूरा कर लिया गया है।
5.	द्वारका					
	द्वारका फेस-I और II में 45 मी. और 60 मी. चौड़ी मास्टर प्लान सड़क का विकास	शून्य	1935.00	5-11-01 को दी गई।	31-7-2000	पूरा कर लिया गया है।
6.	द.पू. जोन					
	(क) कालकाजी में डिस्ट्रिक्ट ग्रीन में आस्था कुंज हेतु भूमि का विकास	24.76	267.04	22-5-06 को दी गई।	25-11-02 & 4-11-03	चल रहा है।
	(ख) मदनपुर खादर, फेस-I का विकास	569.54	1116.05	28-7-06 को दी गई।	30-3-01	पूरा कर लिया गया है।

1	2	3	4	5	6	7
(ग)	मदनपुर खादर, फेस-II का विकास	45.79	776.16	8-11-02 को दी गई।	30-3-01	पूरा कर लिया गया है।
(घ)	तुगलकाबाद मनोरंजन परिसर का विकास	शून्य	140.45	व्यय अनुमोदन समिति द्वारा 27-7-06 को स्वीकृत	4-10-99 & 24-8-01	चल रहा है।
(ङ)	भीकाजीकामा प्लेस में जिला केन्द्र का उन्नयन	53.95	713.00	7-5-04 को दी गई।	30-4-02	चरण-I पूरा हो गया है।
(च)	इंदिरागांधी अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल की दक्षिणी सीमा से द्वारका तक एनएच 8 से 60 मी. मार्गाधिकार लिंक रोड	270.74	1480.00	25-10-04 को दी गई।	27-6-02	पूरा कर लिया गया है।
(छ)	लाडो सराय में बस टर्मिनल	3.00	159.49	2-7-04 को दी गई।	25-11-02	पूरा कर लिया गया है।
(ज)	ओखला फेज-I और II में औद्योगिक क्षेत्र का विकास		222.32	अभी दी जानी है।	5-6-03	पूरा कर लिया गया है।
(झ)	निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से मथुरा रोड तक बड़ा पुल नाला के साथ लिंक रोड	6.57	194-76	अभी दी जानी है।	3-3-03	पूरा कर लिया गया है।
(ञ)	जमरूदपुर में सामुदायिक केन्द्र का विकास	31.23	265.20	अभी दी जानी है।	24-6-02	पूरा कर लिया गया है।

विवरण-II

2000-01 से 2004-05 तक प्रशासनिक अनुमोदन एवं व्यय स्वीकृति से पहले शुरू किए गए निर्माण कार्य

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्र.अनु. एवं व्यय स्वी. से पहले किया गया (लाख रुपये में)		प्र.अनु. एवं व्यय स्वी. की तारीख	प्र.अनु. एवं व्यय स्वी. से पहले कार्य शुरू करने की तारीख	कार्य की स्थिति
		विद्युत	सिविल			
1	2	3	4	5	6	7
1.	**द.प. जोन**					
(क)	हस्तसाल में आबादकारों के पुनर्वास के लिए प्लाटों का विकास	574.00 (सिविल+ विद्युत)		अभी दी जानी है।	27-6-2000	चल रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
	(ख) सुलतानगढ़ी, वसंत कुंज में सुलतानगढ़ी हेरीटेज कांप्लेक्स का विकास	4.85	35.00	अभी दी जानी है।	26-4-2002	चल रहा है।
	(ग) वसंत कुंज के उत्तर में बायोडायवर्सिटी पार्क का विकास	9.80	122.27	24-1-05 को दी गई।	21-10-2003	चल रहा है।
2.	उत्तर जोन					
	(क) बी-4, नरेला का विकास	शून्य	13.89	अभी दी जानी है।	7-11-2004	चल रहा है।
3.	पूर्वी जोन					
	बक्करवाला में 60 हेक्टेयर भूमि का विकास	150.87	580.00	अभी दी जानी है।	अगस्त, 2001	चल रहा है।
4.	द.पू. जोन					
	(क) कालकाजी में डिस्ट्रिक्ट ग्रीन में आस्था कुंज हेतु भूमि का विकास	24.76	267.04	22-5-06 को दी गई।	25-11-02 & 4-11-03	चल रहा है।
	(ख) तुगलकाबाद मनोरंजन परिसर का विकास	शून्य	140.45	व्यय अनुमोदन समिति द्वारा 28-7-06 को स्वीकृत	4-10-99 & 24-8-01	चल रहा है।

आवासीय परियोजनाएं

3647. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात सरकार से आवासीय परियोजनाएं प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई हैं; और

(घ) इन्हें कब तक अनुमोदित कर दिये जाने की सम्भावना है?

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) गुजरात सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा उप-मिशन तथा एकीकृत आवास और स्लम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।

(ख) से (घ) प्राप्त परियोजनाओं की राज्य-वार स्थिति विवरण-I व II में दर्शाई गई है। हर तरह से परिपूर्ण परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृत किया जाता है और बिना किसी विलंब के धनराशि जारी की जाती है।

विवरण-I

बी.एस.यू.पी. की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की राज्य-वार स्थिति

(करोड़ रु. में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	प्राप्त डीपीआर		वापस की गई डीपीआर	मूल्यांकनाधीन परियोजनाएं	स्वीकृत		जारी धनराशि (भारत सरकार 25% अंश)
	सं.	कुल लागत			सं.	धनराशि	
आंध्र प्रदेश	8	764.12	-	3			77.99
छत्तीसगढ़	1	20.00	1	-	-		
गुजरात	6	189.57	4	2	-	-	
हरियाणा	3	91.90	3	-			
कर्नाटक	7	142.79	7	-	-		-
मध्य प्रदेश	11	102.75	6	1	4	74.97	9.34
महाराष्ट्र	2	579.00	2	-	-		-
उत्तर प्रदेश	1	26.13	1	-	-		-
पश्चिम बंगाल	1	30.69	-	1	-	-	-
चंडीगढ़	1	805.08	1	-	-		
कुल	41	2752.03	25	7	9	803.19	87.33

विवरण-II

आई.एच.एस.डी.पी. की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की राज्य-वार स्थिति

(करोड़ रु. में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	प्राप्त डीपीआर		वापस की गई डीपीआर	मूल्यांकनाधीन परियोजनाएं	स्वीकृत		जारी धनराशि (भारत सरकार 25% अंश)
	सं.	कुल लागत			सं.	धनराशि	
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	4	91.39	1	3			

1	2	3	4	5	6	7
छत्तीसगढ़	17	149.21	15	2		
हरियाणा	52	367.26	50	2		
कर्नाटक	22	341.08	22	-		
महाराष्ट्र	1	6.98	-	1		
मध्य प्रदेश	17	30.37	14	3		
राजस्थान	29	61.49	26	-	3	9.47
उत्तर प्रदेश	51	41.42	51		-	
पश्चिम बंगाल	14	287.76	14-	-		
कुल	207	1376.96	193	11	3	9.47

हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज हेतु अनुसंधान तथा विकास

3648. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास हाउसहोल्ड इंडस्ट्रीज हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसंधान तथा विकास हेतु कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) से (ग) घरेलू उद्योगों के लिए अनुसंधान और विकास हेतु कोई विशिष्ट योजना नहीं है। तथापि यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि घरेलू उद्योगों के समाधान के लिए अनुसंधान और विकास परियोजनाओं पर भी सरकार द्वारा विचार किया जाता है।

विकास बैंक सहायता

3649. श्री बाडिगा रामकृष्णा: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने विश्व बैंक से सहायता/ऋण हेतु अपनी पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं भेजी थी;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक परियोजना की राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) प्रत्येक परियोजना के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) जी, हां। उत्तरांचल, पंजाब और तमिलनाडु राज्यों से ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के प्रस्ताव प्राप्त हुए थे जिन्हें विश्व बैंक को प्रस्तुत किया गया था। विश्व बैंक सहायता से 120 मिलियन अमरीकी डालर की उत्तरांचल की परियोजना को अंतिम रूप दे दिया गया है, जबकि पंजाब और तमिलनाडु की परियोजनाएं मूल्यांकन स्तर पर हैं। विश्व बैंक से सहायता प्राप्त ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाएं महाराष्ट्र और कर्नाटक में चल रही हैं और इन मामलों में विश्व बैंक सहायता को बढ़ाने के लिए अनुरोध करने पर विचार किया जा रहा है।

इसके अलावा, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों ने हाल ही में नये प्रस्ताव भेजे हैं। इनको परियोजना की तैयारी मूल्यांकन और अंतिम रूप दिए जाने की पूर्ववत प्रक्रिया से गुजरना होगा।

जहां तक शहरी क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति का संबंध है, आंध्र प्रदेश की परियोजना को विश्व बैंक के साथ अंतिम रूप

दे दिया गया है। गुजरात के लिए परियोजना तैयारी के स्तर पर है और महाराष्ट्र सरकार से एक नया अनुरोध प्राप्त हुआ है।

अन्तर्निहित पेंशन ऋण (आई.पी.जी.)

3650. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 01 अप्रैल, 2004, 01 अप्रैल, 2005 और 01 अप्रैल, 2006 की स्थिति के अनुसार केन्द्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के संबंध में अन्तर्निहित पेंशन ऋण का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस भार को कम करने और पेंशन निधियों का अधिक समझदारी से और अध्यवसायपूर्वक प्रबंधन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) एशियाई विकास बैंक के साथ हुए एक तकनीकी सहायता करार के तहत, भारतीय श्रमिक बल की आय, व्यय और बचत की प्रवृत्ति का अध्ययन करने के लिए वर्ष 2004 में एक राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण आयोजित किया गया। इस सर्वेक्षण द्वारा सृजित डाटाबेस आम जानकारी के लिए उपलब्ध है और इसे www.finmin.nic.in पर देखा जा सकता है।

यह समझा जाता है कि इन्वेस्ट इंडिया इकनोमिक फाउण्डेशन (आई.आई.ई.एफ.) और सेंटर फार मानीटरिंग इंडियन इकोनोमी (सी.एम.आई.ई.) के परामर्शदाताओं ने जुलाई, 2005 में इन आंकड़ों का विश्लेषण किया और यह अनुमान लगाया कि केन्द्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारियों के संबंध में अन्तर्निहित पेंशन ऋण (आई.पी.डी.) अथवा वर्तमान पेंशन देयताएं लगभग 17,35,527 करोड़ रुपये है जो भारत के स.घ.उ. का लगभग 55.88 प्रतिशत है।

उक्त दस्तावेज आई.आई.ई.एफ. की वेबसाइट www.iief.com पर उपलब्ध है।

(ख) सरकार ने 1 जनवरी, 2004 से सेवा में आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों (प्रथम चरण में सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए एक नई पुनर्संरचित परिभाषित अंशदान पेंशन योजना नामतः नई पेंशन योजना (एन.पी.एस.) लागू की है। एन.पी.एस. परिभाषित अंशदानों पर आधारित है जो वेतन और महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत है जिसमें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के संबंध में सरकार का बराबर का अंशदान होगा। एन.पी.एस. एक निधि पोषित पेंशन प्रणाली है जो सरकारी कर्मचारियों के मामले में स्पष्ट तौर पर सरकार की अग्रिम देनदारी को परिभाषित करती है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की बाजार में हिस्सेदारी

3651. श्री तूफानी सरोज: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जीवन बीमा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों की बाजार में हिस्सेदारी का अनुपात निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की तुलना में कम हो रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो वित्तीय वर्ष 2005-06 और चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनियों का बाजार में हिस्सेदारी का अनुपात क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बीमा क्षेत्र में निजी बीमाकर्ताओं के आने से भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) (सार्वजनिक क्षेत्र) द्वारा धारित बाजार की हिस्सेदारी के अनुपात में कमी आई है। तथापि, एल.आई.सी. ने अपने परिचालन के आकार में वर्ष 2004-05 में 19.05 प्रतिशत तथा वर्ष 2005-06* में 24.17 प्रतिशत की वृद्धि से इस अवधि के दौरान अच्छे विकास को बनाए रखा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रथम वर्ष प्रीमियम में एल.आई.सी. और निजी बीमाकर्ताओं की बाजार में हिस्सेदारी इस प्रकार थी:-

(प्रतिशत में)

बीमाकर्ता	2003-04	2004-05	2005-06*
निजी	12.33	21.22	25.86
एल.आई.सी.	87.67	78.78	71.44

*अनन्तिम आंकड़े

[अनुवाद]

डी.आर.डी.ए. द्वारा निधियों का उपयोग

3652. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को जारी की गई धनराशि का विकास कार्यों पर समुचित उपयोग नहीं किया जा रहा है और राज्यों में ज्यादातर गांवों पर ध्यान नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस क्षेत्र में कार्यरत और सरकार से धनराशि प्राप्त करने वाली एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार विकास कार्यों की समुचित निगरानी हेतु इन एजेंसियों को कम्प्यूटर नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार ऐसे विकासात्मक कार्यों की किस प्रकार निगरानी करती है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): (क) और (ख) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी.आर.डी.ए.) तथा राज्य सरकारों से प्राप्त वित्तीय और वास्तविक प्रगति रिपोर्टों के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान निधियों का उपयोग संतोषजनक पाया गया था।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजनाएं राज्य सरकारों, जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

(घ) और (ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नियमित आधार पर योजनाओं/विकास कार्यों की प्रभावी निगरानी के लिए राज्य मुख्यालयों तथा जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों के स्तर पर कम्प्यूटर नेटवर्क सुविधा उपलब्ध कराई है। राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आउटपुट जरूरतों के अनुसार आवश्यक सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए तकनीकी सहायता उपलब्ध कराते हैं।

(च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आवधिक प्रगति रिपोर्टों, समीक्षा समिति के कार्य-निष्पादन, क्षेत्र अधिकारियों की योजना, कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी करने और कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार योजनाओं का कार्यान्वयन करवाने के लिए संसद सदस्यों, राष्ट्रस्तरीय निगरानीकर्ताओं और जिला स्तरीय निगरानीकर्ताओं की वृहत्तर भागीदारी वाली राज्य/जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समिति के माध्यम से निधियों के उपयोग सहित कार्यक्रमों की निगरानी, समीक्षा तथा प्रभाव मूल्यांकन की एक व्यापक प्रणाली बनाई है। इसके अलावा, राज्यों को पांच आयामी कार्यनीति अपनाने की सलाह दी गई है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं - (i) योजनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना (ii) पारदर्शिता (iii) जनभागीदारी (iv) जवाबदेही - ग्राम सभा के माध्यम से सामाजिक लेखा परीक्षा और (v) कड़ी निगरानी एवं सतर्कता।

विद्युत क्षेत्रों के सरकारी उपक्रमों को हानि

3653. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत क्षेत्र के किन-किन सरकारी उपक्रमों ने लाभ अर्जित किया है;

(ग) विद्युत क्षेत्र के हानि उठाने वाले सरकारी उपक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनके कार्यनिष्पादन को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) जी हां।

(ख) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कार्यरत निम्नलिखित सरकारी उपक्रमों ने गत तीन वर्षों के दौरान मुनाफा अर्जित किया है:-

(i) एन.टी.पी.सी. लि.

(ii) पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.

(iii) पावर फाइनेंस कारपोरेशन लि.

(iv) रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि.

(v) नेशनल हाइड्रो-इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.

(vi) नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.

सतलुज जल विद्युत निगम लि. (एस.जे.वी.एन.एल.) ने वर्ष 2004-05 और 2005-06 के दौरान मुनाफा अर्जित किया। चूंकि टिहरी हाइड्रो डेवेलपमेंट कारपोरेशन की 250 मे.वा. की एक यूनिट हाल ही में 30-7-2006 को चालू हुई है, तथा वाणिज्यिक उत्पादन अभी शुरू होना है, इसलिए लाभ व हानि का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 2003-04 के दौरान सतलुज जल विद्युत निगम लि. ने मात्र 93.09 करोड़ रुपये का नुकसान उठाया, क्योंकि वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन आंशिक था जबकि वित्तीय लेखा मे मूल्य ह्रास का ब्यौरा पूरे वर्ष का था।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में आरक्षण नीति

3654. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार और नाबार्ड द्वारा अनेक अनुदेश जारी किए जाने के बावजूद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ने पदोन्नति में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति कार्यान्वित नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पात्रता के अधीन वरीयता के आधार पर एस.सी./एस.टी. की पदोन्नति के संबंध में सरकारी नीति का कार्यान्वयन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) अतिरिक्त विलंब किए बिना गैर-चयन पद्धति के आधार पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में बकाया रिक्तियों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने जानकारी दी है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को, पदोन्नति प्रभावी करते समय, नियमों का कड़ाई से अनुपालन करना होता है। तथापि, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार, अधिकारी संवर्ग (समूह "क") में पदोन्नति पर विचार चयन पद्धति के आधार पर किया जाना है और अधिकारी संवर्ग में पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होता। अन्य संवर्गों में पदोन्नति में आरक्षण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति एवं पदोन्नति) नियमावली, 1998 के नियम 12 के परन्तुक हैं।

(ग) नाबार्ड ने सूचित किया है कि चूंकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आर.आर.बी.) के किसी अध्यक्ष के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं थी, अतः अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठा।

(घ) आर.आर.बी. में नहीं भरे गए पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान संबंधी अनुदेश नाबार्ड द्वारा जारी किए गए थे। सभी आर.आर.बी. को नाबार्ड के विद्यमान अनुदेशों के अनुसार नहीं भरे गए पदों को भरने का निदेश दे दिया गया है।

[हिन्दी]

सामान्य बीमा कंपनियों में अनियमितताएं

3655. श्री शिशुपाल पटले:

प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा उपभोक्ताओं के प्रति बरती जा रही अनियमितताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बीमा कंपनियों के कार्यकरण का नये सिरे से निर्धारण करने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रारूप पत्र तैयार कर लिया गया है;

(घ) क्या बीमा कंपनियां उपभोक्ताओं को गलत सूचना दे रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसी कंपनियों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (ङ) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) ने सूचित किया है कि साधारण बीमा कंपनियां, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा इत्यादि जैसे विभिन्न गैर-जीवन बीमा कवर प्रदान करती हैं। यह संभव है कि कुछ पालिसीधारकों को कंपनियों द्वारा प्रदान की जा रही उनकी पालिसी संबंधी सर्विसिंग के बारे में शिकायत हो सकती है। एक व्यापक अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि उपभोक्ताओं के संबंध में साधारण बीमा कंपनियां अनियमितताएं कर रही हैं। उपभोक्ता द्वारा की गई प्रत्येक शिकायत पर पूरी तरह ध्यान दिया जाता है और उसके गुणावगुण के आधार पर निवारण किया जाता है। आई.आर.डी.ए. में एक "शिकायत एकक" पालिसीधारकों से प्राप्त विशेष शिकायतों पर विचार करता है। ये शिकायतें जांच/पुनः जांच के लिए कंपनियों के साथ उठाई जाती हैं। इसके अलावा, जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर पर शिकायतों के निवारण के लिए "ओम्बड्समैन"

"उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच" तथा न्यायालय के स्वतंत्र तंत्र हैं। फिर भी, सरकार ने गुणात्मक और मात्रात्मक पैरामीटर्स के आधार पर कंपनियों के कार्य-निष्पादन की निगरानी के लिए प्रभावी कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, दावों के निपटान, लक्ष्यों को पूरा करना तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन (सी.आर.एम.) पर विशेष ध्यान शामिल हैं।

[अनुवाद]

घरेलू बचत

3656. श्री एल. राजगोपाल: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में वर्षवार और राज्यवार कितनी घरेलू बचत हुई;

(ख) सरकार द्वारा घरेलू बचत को 24 प्रतिशत के वर्तमान स्तर से 26 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है;

(ग) क्या सरकार घरेलू बचत के संबंध में एक व्यापक नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सी.एस.ओ.) द्वारा जारी की गई उपलब्ध अद्यतन सूचना के अनुसार, 2002-2003 से 2004-05 के दौरान देश में सकल घरेलू बचत (जी.डी.एस.) निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

वर्ष	करोड़ रुपये	चालू बाजार मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में
2002-03	648,994	26.5
2003-04	797,512	28.9
2004-05	907,416	29.1

सी.एस.ओ. ने यह भी सूचित किया है कि वे राज्य-वार अनुमान तैयार नहीं करते हैं।

(ख) सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सकल घरेलू बचत पहले ही 29 प्रतिशत से अधिक हो चुकी है। यह उम्मीद की जा रही है कि अनुकूल जनसांख्यिकी परिवर्तनों के साथ-साथ अर्थव्यवस्था के बेहतर विकास के कारण बचतों में यह सकारात्मक प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है।

(ग) और (घ) घरेलू बचतों के बारे में अलग नीति लाने का फिलहाल कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तो भी, अर्थव्यवस्था में बचतों की दर में परिवर्तनों की सरकार द्वारा निरंतर समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

एन.टी.पी.सी. द्वारा बांड जारी किया जाना

3657. श्री मिलिन्द देवरा: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.टी.पी.सी. ने अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वैश्विक ऋणपत्रों की पेशकश के माध्यम से एक बड़ी धनराशि अर्जित की है;

(ख) यदि हां, तो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या एशियाई वित्तीय संकट के बाद किसी भारतीय फर्म द्वारा पेशकश किया गया यह पहला 10 वर्षीय बेंचमार्क ऋणपत्र है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) अब तक एन.टी.पी.सी. ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिए गए दो यूरोबॉन्ड के जरिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर उगाहे हैं। इसमें से पहला यूरोबॉन्ड इश्यू 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर मार्च, 2004 में तथा दूसरा यूरोबॉन्ड इश्यू मार्च, 2006 में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर पर दिया गया।

यूरोबॉन्ड के पहले इश्यू के लिए 79 निवेशक थे और दो बार इसमें आवश्यकता से अधिक आवेदन आ गए। दूसरे इश्यू के लिए 87 निवेशक आए तथा इसमें 5 से अधिक बार आवश्यकता से अधिक आवेदन आए। दोनों ही यूरोबॉन्ड के लिए विभिन्न यूरोपीय एवं एशियाई देशों के बैंकों, बीमा कंपनियों, हेज फंडस, निवेश प्रबंधक आदि तथा यू.एस. ऑफ-शोर एकाउन्टस समेत विभिन्न प्रकार के निवेशकों ने आवेदन किया।

(ग) और (घ) जी, हां। मार्च, 2006 में दिए गए यूरोबॉन्ड इश्यू के लिए एशियाई वित्तीय संकट के बाद किसी भारतीय कॉरपोरेट द्वारा प्रस्तावित प्रथम बेन्चमार्क 10 वर्ष का था।

मार्च, 2006 में जारी यूरोबॉन्डस (नियत दर नोट) की परिपक्वता अवधि 10 वर्ष है और निर्मोचन मार्च, 2016 में होना है। बॉन्डों का 5.875 प्रतिशत प्रतिवर्ष का नियत कूपन है जो छमाही आधार पर भुगतान किया जाना है तथा सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

3658. प्रो. एम. रामदास: क्या अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय से परामर्श किए बिना ही एकपक्षीय ढंग से समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम नामक एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का राज्यों को हस्तांतरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछेक राज्यों ने इस योजना को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के तहत जारी रखने हेतु योजना आयोग को प्रत्यावेदन दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या मंत्रालय का विचार इस योजना को मंत्रालय के तहत उसी प्रकार से जारी रखने हेतु योजना आयोग के साथ मामले को उठाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री विलास मुत्तेमवार): (क) और (ख) जी हां। योजना आयोग ने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के साथ परामर्श किए बिना, एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.) को राज्यों को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया था।

(ग) से (ङ) आंध्र प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित कुछ राज्यों ने इस योजना को अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के पास ही जारी रखने के लिए अभ्यावेदन दिया था। राज्यों के अभ्यावेदनों और प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा इस योजना की समीक्षा के आधार पर योजना आयोग ने आई.आर.ई.पी. को दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उसी रूप में अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के पास जारी रखने की सहमति दे दी है।

कच्चे माल का शुल्क-मुक्त आयात

3659. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या वित मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योग इस्पात पाइपों संबंधी निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु कच्चे माल का शुल्क-मुक्त आयात कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या शुल्क में छूट प्राप्त करने के पश्चात् निजी क्षेत्र की ज्यादातर इस्पात फर्में निर्यात आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाईं;

(ग) यदि हां, तो कितनी कंपनियों पर इस्पात पाइपों संबंधी निर्यात आवश्यकर्ताओं को पूरा न करने के कारण सरकार को सीमाशुल्क का भुगतान देय है;

(घ) उन पर कुल कितनी धनराशि बकाया है; और

(ङ) धनराशि वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पारेषण और वितरण हानियां

3660. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पारेषण और वितरण हानियां पूर्व में लगाए गए अनुमान से कहीं अधिक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक

वर्ष राज्यवार वास्तव में कितनी पारेषण और वितरण हानि हुई है;

(ग) वर्तमान में पड़ोसी देशों में पारेषण और वितरण हानियां कितनी हैं और हमारे देश से इनकी तुलनात्मक स्थिति क्या है; और

(घ) देश में पारेषण और वितरण हानि को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) और (ख) जैसा कि केंद्रीय प्राधिकरण ने सूचित किया है, वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 में देश में विभिन्न राज्यों में पारेषण और वितरण (टी. एंड डी.) हानियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) कुछ पड़ोसी देशों की पारेषण और वितरण हानियां इस प्रकार हैं-

क्र. सं.	देश का नाम	टी. एंड डी. हानियों (प्रतिशत)
1.	चीन	7
2.	म्यांमार	20
3.	बांग्लादेश	18
4.	श्रीलंका	18
5.	नेपाल	21
6.	पाकिस्तान	26

(घ) सरकार ने पारेषण और वितरण हानियों को कम करने के लिए पहले से ही उपाय शुरू कर दिए हैं। ये हैं-

(क) तकनीकी उपाय

- कुशल मीटरों की अधिष्ठापना;
- कमजोर वितरण प्रणाली का उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण;
- एच.टी.:एल.टी. अनुपात में वृद्धि;
- वितरण सब-स्टेशनों की पुनःस्थापना और/अथवा अतिरिक्त वितरण सबस्टेशनों का प्रावधान;
- कम संख्या में उपभोक्ताओं के प्रयोजनार्थ कम क्षमता वाले वितरण ट्रांस्फार्मरों की स्थापना; तथा कम गैर-भार हानियों वाले स्थानों पर वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना;
- शंट कैपेसिटरों की स्थापना;
- उच्च वोल्टता वितरण प्रणाली (एच.वी.डी.एस.) को अपनाया जाना;
- वितरण नेटवर्क का नियमित अनुरक्षण;
- आंकड़ा संकलन समेत उप पारेषण एवं वितरण नेटवर्क का जी.आई.एस. मैपिंग; और
- आई.टी. हस्तक्षेप।

(ख) वाणिज्यिक उपाय

- मीटरिंग एवं बिलिंग में सुधार;
- राजस्व संग्रहण में सुधार;
- ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण।

(ग) प्रबंधकीय उपाय

- ऊर्जा लेखांकन एवं अंकेक्षण अपनाया जाना;
- भावी विस्तार हेतु उपयुक्त नेटवर्क आयोजना;
- संबद्ध पारेषण प्रणाली समेत वितरण प्रणालियों के चरणबद्ध सुदृढ़ीकरण एवं सुधार हेतु नियमित आधार पर दीर्घकालीन योजनाओं की तैयारी; और
- कार्मिकों को प्रशिक्षण।

(घ) नीतिगत उपाय

- विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार सतर्कता एवं कानूनी उपाय करना, विशेष न्यायालय व पुलिस स्टेशनों की स्थापना आदि; और
- उपपारेषण एवं वितरण प्रणाली के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण हेतु तथा रा.वि.बोर्डों/यूटीलिटियों द्वारा नकद हानि में कमी किये जाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (ए.पी.डी.आर.पी.) का कार्यान्वयन।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में प्रतिशत रूपांतरण, पारेषण एवं वितरण हानियां
(अलेखापरीक्षित ऊर्जा समेत)

(स्रोत - डी.एम.एल.एफ. डिवीजन, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2002-03	2003-04	2004-05*
1	2	3	4
हरियाणा	37.65	32.07	32.00
हिमाचल प्रदेश	21.16	22.76	15.35
जम्मू-कश्मीर	45.55	45.54	40.36
पंजाब	24.42	25.96	25.12
राजस्थान	42.61	43.74	44.77
उत्तर प्रदेश	34.16	35.17	34.93
उत्तरांचल	25.17	49.23	37.21
चण्डीगढ़	24.06	39.06	30.37
दिल्ली	45.82	43.66	45.14
गुजरात	28.52	24.20	30.29
मध्य प्रदेश	43.31	41.44	41.27
छत्तीसगढ़	37.86	42.55	26.68
महाराष्ट्र	34.01	34.12	32.39
दादर व नगर हवेली	40.26	15.10	16.00
गोवा	40.26	45.05	35.15
दमन व दीव	14.95	16.88	15.56
आंध्र प्रदेश	30.11	27.73	23.76
कर्नाटक	24.57	23.29	22.12
केरल	27.45	21.63	22.16
तमिलनाडु	17.31	17.16	19.18

1	2	3	4
लक्षद्वीप	11.29	11.85	10.20
पांडिचेरी	21.10	11.60	18.15
बिहार	37.98	36.66	35.87
झारखण्ड	21.19	25.35	21.02
उड़ीसा	45.36	57.09	33.24
सिक्किम	54.85	54.99	43.75
पश्चिम बंगाल	25.93	31.01	24.70
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	19.78	25.95	12.63
असम	38.30	39.21	51.07
मणिपुर	63.66	65.18	70.61
मेघालय	21.92	16.73	26.23
नागालैण्ड	56.71	55.00	48.26
त्रिपुरा	40.64	46.44	49.53
अरुणाचल प्रदेश	38.95	47.54	30.86
मिजोरम	46.91	55.54	63.67
अखिल भारत	32.54	32.53	31.05

*हानियां अनंतिम हैं।

विद्युत क्षेत्र में जापानी कंपनियों का सहयोग

3661. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निवेश करने के लिए जापानी कंपनियों को आमंत्रण की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन विद्युत क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें जापानी कंपनियों द्वारा निवेश किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने विद्युत क्षेत्र में निवेश के लिए जापानी कंपनियों के साथ कोई समझौता किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ग) विद्युत के उत्पादन, पारेषण, वितरण और व्यापार में 100 प्रतिशत विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति है। राष्ट्रीय विद्युत नीति में कहा गया है कि विद्युत क्षेत्र के विस्तार की आवश्यकता पर विचार करते हुए निजी क्षेत्र से भी पर्याप्त मात्रा में निवेश लाए जाने की आवश्यकता होगी।

भारत के विद्युत क्षेत्र में विदेशी निवेशकों की भागेदारी को आमंत्रित करने के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा कई रोड शो बैठकें की गई हैं। जापान-भारत बिजनेस सहयोग समिति (जे.आई.बी.सी.सी.) द्वारा जापानी उद्योगों के प्रतिनिधियों के

साथ एक बैठक जून, 2006 में टोक्यो, जापान में आयोजित की गई थी।

मित्सुई एंड कंपनी, टोक्यो एंड सुमितोमो कारपोरेशन ने अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं में अपनी अभिरुचि दर्शायी है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

एन.टी.पी.सी. विद्युत संयंत्र

3662. श्री ब्रजेश पाठक: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की स्थिति के अनुसार देश में कार्य कर रही एन.टी.पी.सी. विद्युत संयंत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक ब्रेकडाउन का वर्ष-वार/संयंत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संयंत्रों में बार-बार ब्रेकडाउन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) क्या एन.टी.पी.सी. ने देश में ऐसे विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने हेतु कोई योजना तैयार की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) आज की स्थिति के अनुसार एन.टी.पी.सी. के चल रहे विद्युत संयंत्रों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) विद्युत संयंत्र इकाईयों के ब्रेक डाउन का मापन जबरनबंदी (फोर्स्ड आऊटेज) के परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। आज तक पिछले तीन वर्षों में हुए फोर्स्ड आउटेज का वर्ष-वार एवं संयंत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन संयंत्रों में कोई ब्रेक डाउन बार-बार नहीं हुआ। पिछले तीन वर्षों में एन.टी.पी.सी. केन्द्रों (कोयला आधारित) का संयंत्र भार घटक (पी.एल.एफ.) 87.54 प्रतिशत (2005-06 के दौरान) 87.51 प्रतिशत (2004-05 के दौरान) तथा 84.41 प्रतिशत (2003-04 के दौरान) रहा जो कि अखिल भारतीय संयंत्र घटक कहीं ज्यादा है।

(घ) और (ङ) एन.टी.पी.सी. के पास संलग्न विवरण-III में दिए गए ब्यौरे अनुसार 12 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं तथा इन सभी परियोजनाओं का कार्य संतोषजनक रूप से चल रहा है।

इसके अतिरिक्त, एन.टी.पी.सी. ने ग्यारह नई स्कीमों की संभाव्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स को अंतिम रूप दे दिया है जिनके प्रस्ताव स्वीकृतियों/अनुमोदनों के विभिन्न चरणों में हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

विवरण-I

एन.टी.पी.सी. विद्युत प्लांट की सूची

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मे.वा.)
1.	सिम्हाद्री एस.टी.पी.पी.	आंध्र प्रदेश	1000
2.	रामागुंडम एस.टी.पी.एस.-I और II	आंध्र प्रदेश	2100
	रामागुंडम एस.टी.पी.एस.-III	आंध्र प्रदेश	500
3.	कहलगांव एस.टी.पी.पी.-I	बिहार	840
4.	कोरबा एस.टी.पी.एस.-I, II	छत्तीसगढ	2100
5.	बदरपुर टी.पी.एस.	दिल्ली	705
6.	विंध्याचल एस.टी.पी.एस.-I	मध्य प्रदेश	1260
	विंध्याचल एस.टी.पी.एस.-II	मध्य प्रदेश	1000

क्र.सं.	परियोजना	राज्य	क्षमता (मे.वा.)
	विंध्याचल एस.टी.पी.एस.-III	मध्य प्रदेश	500
7.	तालचेर एस.टी.पी.पी.-I	उड़ीसा	1000
	तालचेर एस.टी.पी.पी.-II	उड़ीसा	2000
8.	तालचेर एस.टी.एस.-I	उड़ीसा	460
9.	सिंगरौली एस.टी.पी.एस.-I और II	उत्तर प्रदेश	2000
10.	रिहंद एस.टी.पी.पी.-I	उत्तर प्रदेश	1000
	रिहंद एस.टी.पी.पी.-II	उत्तर प्रदेश	1000
11.	एन.सी.टी.पी.पी.-I	उत्तर प्रदेश	840
12.	ऊंचाहार-I	उत्तर प्रदेश	420
	ऊंचाहार-II	उत्तर प्रदेश	420
13.	टांडा टी.पी.एस.	उत्तर प्रदेश	440
14.	फरक्का एस.टी.पी.एस.-I	पश्चिम बंगाल	600
	फरक्का एस.टी.पी.एस.-II	पश्चिम बंगाल	1000
	कुल (कोयला आधारित क्षमता)		21185
II.	**कंबाइंड साइकल गैस/तरल ईंधन आधारित परियोजना**		
1.	औरेय्या-I	उत्तर प्रदेश	
2.	अंता-I	राजस्थान	
3.	कवास-I	गुजरात	
4.	दादरी	उत्तर प्रदेश	
5.	झनौर-गंधार-I	गुजरात	
6.	आर.जी.सी.सी.पी.पी. कायमकुलम-I	केरल	
7.	फरीदाबाद	हरियाणा	
	कुल (गैस/तरल ईंधन आधारित क्षमता)		3955

एस.टी.पी.एस.-सुपर थर्मल पावर स्टेशन,

टी.पी.एस.-थर्मल पावर स्टेशन,

सी.सी.पी.पी.-कंबाइंड साइकल पावर प्लांट

विवरण-II

जबरन बंदी/ब्रेक डाऊन % का ब्यौरा

स्टेशन	जबरन बंदी/ब्रेक डाऊन (%)			
कोयला स्टेशन	2006-07 (अप्रैल-जुलाई)	2005-06	2004-05	2003-04
1	2	3	4	5
फरक्का एस.टी.पी.एस.	2.66	2.52	5.98	5.34
कहलगांव एस.टी.पी.एस.	2.59	1.82	0.99	2.45
तालचेर एस.टी.पी.एस., कनिहा	1.48	2.94	3.35	7.30
तालचेर थर्मल पी.एस.	4.45	2.96	3.17	4.05
एन.सी.टी.पी.पी., दादरी	0.52	0.51	0.62	1.97
बदरपुर टी.पी.एस.	1.07	1.70	2.53	0.24
सिंगरौली एस.टी.पी.एस.	2.65	3.54	1.98	2.39
रिहंद एस.टी.पी.पी.	8.80	10.20	1.51	0.78
ऊंचाहार	1.10	1.28	1.47	3.99
टाण्डा टी.पी.एस.	4.80	3.10	1.43	3.01
कोरबा एस.टी.पी.एस.	0.24	7.35	1.31	0.91
विंध्याचल एस.टी.पी.एस.	0.92	2.97	1.12	12.18
रामागुंडम एस.टी.पी.एस.	5.54	1.33	1.61	2.11
सिम्हाद्री एस.टी.पी.पी.	2.59	1.75	1.50	6.07
गैस/तरल ईंधन स्टेशन				
अंता जी.पी.पी.	0.02	0.00	0.83	0.07
औरेय्या जी.पी.पी.	0.21	0.73	8.27	0.08
दादरी जी.पी.पी.	0.02	1.17	0.29	0.44
फरीदाबाद जी.पी.पी.	0.18	1.48	0.23	0.31
कवास जी.पी.पी.	0.07	0.17	0.20	1.13

1	2	3	4	5
झनौर गंधार जी.पी.पी.	0.02	0.04	0.40	0.93
आर.जी.सी.सी.एल., कायमकुलम	0.21	0.00	0.24	1.34

एस.टी.पी.एस.-सुपर थर्मल पावर स्टेशन

टी.पी.एस.-थर्मल पावर स्टेशन

जी.पी.पी.-गैस पावर प्रोजेक्ट

सी.सी.पी.पी.-कंबाइंड साइकल पावर प्लांट

विवरण-III

एन.टी.पी.सी. की निर्माणाधीन स्कीमों का ब्यौरा

क्र. सं.	प्रोजेक्ट	स्थान	ईंधन	क्षमता (मे.वा.)	क्षमता अभिवृद्धि	
					10वीं योजना में (मे.वा.)	11वीं योजना में (मे.वा.)
1.	विंध्याचल एसटीपीपी चरण-III	मध्य प्रदेश	कोयला	1000	1000@	-
2.	ऊंचाहार टीपीएस चरण-III	उत्तर प्रदेश	कोयला	210	210	-
3.	कहलगांव एसटीपीपी चरण-II, फेज-I	बिहार	कोयला	1000	1000*	-
4.	कहलगांव एसटीपीपी चरण-II, फेज-II	बिहार	कोयला	500	500	
5.	सिपत एसटीपीपी चरण-II	छत्तीसगढ़	कोयला	1000	1000*	
6.	सिपत एसटीपीपी चरण-I	छत्तीसगढ़	कोयला	1980	--	1980
7.	बाढ़ एसटीपीपी चरण-I	बिहार	कोयला	1980		1980
8.	भिलाई एक्सपेंशन पावर प्रोजेक्ट-सेल के साथ संयुक्त उपक्रम	छत्तीसगढ़	कोयला	500		500
9.	कोरबा-III	छत्तीसगढ़	कोयला	500		500
10.	कोलडेम एचईपीपी	हिमाचल प्रदेश	हाइडल	800		800
11.	लोहारिनाग पाला एचईपीपी	उत्तरांचल	हाइडल	600		600
12.	एनसीटीपीपी, दादरी-II, यूनिट-I	उत्तर प्रदेश	कोयला	490		490

@ 500 मे.वा. यूनिट 1, 27-7-2006 समकालीक तथा 9-8-06 को चालू होगी।

* इन इकाईयों को 10वीं योजना में पूरा करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

विवरण-IV

नई परियोजना जिनकी संभाव्यता रिपोर्ट/विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही तैयार की जा चुकी है तथा स्वीकृतियों/अनुमोदनों के विभिन्न चरणों में है

क्र. सं.	परियोजना	स्थान	ईंधन	क्षमता (मेगावाट)	स्वीकृतियों/अनुमोदनों की स्थिति
1	2	3	4	5	6
1.	एनसीटीपीपी-II, दादरी यूनिट-II	उत्तर प्रदेश	कोयला	490	- निवेश संबंधी अनुमोदन प्राप्त - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) की स्वीकृतियां ली जानी हैं। - कोयला मंत्रालय (एमओसी) द्वारा कोयला संबंधी संयोजन किया जाना है।
2.	फरक्का-III	प. बंगाल	कोयला	500	- निवेश संबंधी अनुमोदन प्राप्त - एसपीसीबी एवं एमओईएफ से अभी ली जानी है।
3.	तपोवन विष्णुगाड एचईपीपी	उत्तरांचल	जल विद्युत	520	- सभी मुख्य स्वीकृतियां ली जा चुकी हैं। भूमि अधिग्रहण एवं अवसंरचना विकास कार्य चल रहा है।
4.	नॉर्थ करनपुरा एसटीपीपी	झारखंड	कोयला	1980	- विद्युत परियोजना के लिए मुख्य स्वीकृतियां प्राप्त हैं। - राज्य सरकार द्वारा निर्मित किए जाने वाले बांध/जलाशय के लिए वन स्वीकृति प्रतीक्षित है।
5.	नबीनगर टीपीएस-रेलवे के साथ संयुक्त उद्यम	बिहार	कोयला	1000	- सारी मुख्य स्वीकृतियां प्राप्त की जा चुकी हैं। - रेलवे द्वारा सीसीईए अनुमोदन अभी लिया जाना है।
6.	लता तपोवन @ एचईपीपी	उत्तरांचल	जल विद्युत	171	- राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृतियां अभी ली जानी है।
7.	राम्मम-III @ एचईपीपी	प. बंगाल	जल विद्युत	120	- सीईए से तकनीकी आर्थिक स्वीकृति तथा राज्य प्रदूषण बोर्ड तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से स्वीकृतियां प्राप्त होनी हैं।
8.	कायमकुलम में राजीव गांधी सीसीपीपी चरण-II	केरल	गैस	1950	- गैस/आरएलएनजी सुनिश्चित किया जाना है। - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्वीकृति प्राप्त की जानी है।
9.	कवास सीसीपीपी-II	गुजरात	गैस	1300	- सभी मुख्य स्वीकृतियां प्राप्त हो गई हैं। गैस आपूर्ति करार आरआईएल के साथ हस्ताक्षरित किया जाना है। मामला निर्णयाधीन है।

1	2	3	4	5	6
10.	झानौर गंधार सीसीपीपी-II	गुजरात	गैस	1300	
11.	इन्नौर टीपीपी-टीएनईबी के साथ संयुक्त उद्यम	तमिलनाडु	कोयला	1000	भूमि की सिद्धांत रूप से पुष्टि की प्रतीक्षा है। एसपीसीबी तथा एमओईएफ की स्वीकृतियां अभी ली जानी हैं। कोयला मंत्रालय द्वारा कोयला संबंधी संयोजन कोयला खान आबंटन अभी प्रतीक्षित हैं।

@एनटीपीसी-हाइड्रो लि. (एनटीपीसी लि. की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) द्वारा कार्यान्वित किया जाना है।

[अनुवाद]

गरीबों को कानूनी सहायता

3663. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कानूनी सहायता योजना के आरम्भ होने से इससे लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है;

(ख) कानूनी सहायता योजना से सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित आय सीमा क्या है;

(ग) क्या गरीबों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए आय सीमा को बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वेंकटपति): (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अधीन कमजोर वर्गों के व्यक्ति, जैसे कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का कोई सदस्य, मानवों में दुर्व्यापार का शिकार कोई व्यक्ति या संविधान के अनुच्छेद 23 में निर्दिष्ट कोई भिखारी, कोई स्त्री, बालक, मानसिक रूप से बीमार या अन्यथा निःशक्त व्यक्ति और औद्योगिक कर्मकार आदि निःशुल्क विधिक सहायता और सहयोग के लिए हकदार हैं। जहां तक व्यक्तियों के अन्य प्रर्वगों का संबंध है, प्रारंभ में ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 9,000/- रुपये से अधिक नहीं थी, उच्च न्यायालयों और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष आने वाले मामलों में निःशुल्क विधिक सहायता के लिए पात्र था। उच्चतम न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में, पूर्व में यह सीमा 12,000/- रुपये पर नियत की गई थी और अब इस आय सीमा को केन्द्रीय सरकार द्वारा बढ़ाकर 50,000/- रुपये कर दिया गया है। जहां तक उच्च न्यायालय और उसके अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष आने वाले मामलों का संबंध है, 29-02-2004 और 01-03-2004 को कोलकाता में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के तत्वावधान में आयोजित राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की चौथी वार्षिक बैठक में यह विनिश्चय किया गया है कि विधिक सेवा अधिनियम, 1987 (यथासंशोधित) की धारा 12(ज) के निबंधनों में आय सीमा को बढ़ाकर 50,000/- रुपये किया जाए।

(ग) और (घ) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

विद्युत उत्पादक कंपनियों के लिए लाइसेंस

3664. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2004-05 और 2005-06 के दौरान देश में विद्युत उत्पादन हेतु निजी क्षेत्र की अनेक कंपनियों ने लाइसेंस हेतु आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इनमें से कितनी कंपनियों को सरकार ने लाइसेंस जारी किया है और उन कंपनियों के राज्य-वार नाम क्या हैं;

(ग) क्या ये निजी कंपनियां सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों का उल्लंघन कर रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसी कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): (क) से (ङ) विद्युत

अधिनियम, 2003 के अनुसार देश में विद्युत उत्पादन के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, अतः प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

[हिन्दी]

दालों पर सीमा शुल्क

3665. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रमुख पत्तनों के जरिए आयातित दालों पर 10 प्रतिशत सीमा शुल्क हटाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा निर्णय लिए जाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) किन देशों से दालों का आयात किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) सरकार ने दालों पर 10 प्रतिशत की सीमा शुल्क में पूर्णतया छूट प्रदान की है। यह छूट दिनांक 31 मार्च, 2007 तक वैध है।

(ख) सीमा शुल्क छूट का उद्देश्य दालों के घरेलू मूल्यों को नियंत्रण में रखना है।

(ग) छूट की अधिसूचना में उस देश जिससे दालों का आयात किया जा सकता है, के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं है। अतः यह कहना संभव नहीं है कि किस देश से वास्तव में आयात किया जायेगा।

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र की गणना

3666. श्री एल. राजगोपाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र मंत्रालय ने हथकरघा क्षेत्र से संबंधित नीतियों एवं कार्यक्रमों को कारगर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए हथकरघा क्षेत्र के सही आंकड़े प्राप्त करने के लिए दो वर्ष पहले देश में हथकरघा क्षेत्र की गणना करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वित्त मंत्रालय ने इस पर कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) महोदय, ऐसा कोई भी प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का निजीकरण

3667. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण के लिए सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) राष्ट्रीयकृत बैंकों के काम-काज में जनता की अधिक से अधिक भागीदारी लाने के उद्देश्य से, राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी इक्विटी को निरंतर कम किया जा रहा है और सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से इसे जनता को दिया जा रहा है। 19 राष्ट्रीयकृत बैंकों में से 15 ने पहले ही पूंजी बाजार में प्रवेश कर लिया है। वर्तमान में 7 राष्ट्रीयकृत बैंकों की इक्विटी में सरकार की हिस्सेदारी 60 प्रतिशत से कम है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में निजी शेयरधारकों की उपस्थिति, शेयरधारकों के मूल्य को बढ़ाने और अल्पसंख्यक शेयरधारकों की रक्षा के लिए, बहुसंख्यक शेयरधारक के रूप में, सरकार के उत्तरदायित्व को बढ़ाती है। सरकार, बासेल-II अपेक्षाओं को पूरा करने तथा उभरते प्रतिस्पर्द्धात्मक दबाव से प्रभावी ढंग से उबरने के लिए बाजार से अतिरिक्त निधियां जुटाने हेतु सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना चाहती है। तथापि, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970/1980 की धारा 3(2ख)(ग) के शर्तों के अनुसार, सरकार किसी राष्ट्रीयकृत बैंक की चुकता पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत सर्वदा अपने पास रखेगी। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों में सरकारी शेयरधारिता को सांविधिक अपेक्षाओं से कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

जाली नोट

3668. श्री सज्जन कुमार:

डा. राजेश मिश्रा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.बी.आई. ने आसूचना एजेंसियों को देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाने के उद्देश्य से पाकिस्तान के आई.एस.आई. द्वारा भारत के जाली नोट छापने के संबंध में कार्यवाही करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने सूचित किया है कि उनके पास इस विषय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शराब उत्पादकों पर छापे

3669. श्री ई. पोन्नुस्वामी:

श्री बची सिंह रावत 'बचदा':

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर/उत्पाद शुल्क विभाग ने दिल्ली तथा लखनऊ में उत्तर प्रदेश डिस्टिलरीज एसोसिएशन के कार्यालयों में छापे मारे थे;

(ख) यदि हां, तो क्या एसोसिएशन से तथाकथित रूप से भारी धनराशि प्राप्त करने वाले कतिपय प्रभावशाली व्यक्तियों के नामों वाले दस्तावेज जब्त किए गए थे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): (क) फरवरी, 2006 में, आयकर विभाग ने मद्य आसवनी (डिस्टलरीज) व्यवसाय में संलिप्त कतिपय व्यक्तियों के संबंध में तलाशी और जब्ती प्रचालन पूरा किया था। इस प्रचालन के एक अंग के रूप में दिल्ली में, उत्तर प्रदेश डिस्टिलरीज एसोसिएशन (उ.प्र.डि.ए.) के कार्यालय परिसर में एक सर्वेक्षण किया गया था।

(ख) और (ग) तलाशी और जब्ती प्रचालन के दौरान जब्त/परिबद्ध किए गए दस्तावेज ये निर्दिष्ट करते हैं कि उत्तर प्रदेश डिस्टिलरीज एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा कतिपय भुगतान किए गए थे। अप्रैल, 2002 से तलाशी की तारीख तक ये भुगतान 246 करोड़ रुपये (लगभग) तक थे। तथापि, जिनको ये भुगतान किए गए हैं उन व्यक्तियों के नाम कूट रूप हैं।

(घ) तलाशी और जब्ती प्रचालन पर एक रिपोर्ट तैयार की गई है और निर्धारण कार्यवाहियों को अन्तिम रूप देने के लिए क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर प्राधिकारियों को भेजी गयी है। यह रिपोर्ट केन्द्रीय जांच ब्यूरो (के.जां.ब्यू.) और केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भी उनकी ओर से उपयुक्त कार्रवाई के लिए अग्रेषित की गई है।

जाली मुद्रा

3670. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में जाली मुद्रा के व्यापक चलन का मामला केन्द्र सरकार के ध्यान में आया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या जाली मुद्रा के चलन की रोकथाम करने हेतु राज्य सरकारों से कड़े कदम उठाने के लिए कहा गया है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य/केन्द्र राज्य क्षेत्र में दर्ज मामलों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) बैंकों और कानून प्रवर्त्तन एजेंसियों द्वारा की गई वसूलियों/जब्तियों के बारे में राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उन्हें विभिन्न मूल्य वर्गों के भारतीय करेंसी में जाली नोटों के परिचालन में मामलों की जानकारी है।

(ख) देश में भारतीय करेंसी में जाली नोटों के प्रचालन को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं: जाली नोटों की तस्करी को रोकने के लिए सीमा

सुरक्षा बल और सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता में वृद्धि करना; अखबारों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया से सुरक्षात्मक पहलुओं संबंधी सूचना का प्रचार-प्रसार करना तथा बैंकों के सभी मुख्य कार्यालयों में जाली नोट संबंधी सतर्कता प्रकोष्ठ बनाना। इसके अतिरिक्त, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय बैंक नोटों में अतिरिक्त सुरक्षात्मक उपाय शामिल किए गए हैं जिनसे जालसाजी करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसके अलावा भारत सरकार ने जाली करेंसी नोटों के मामलों की जांच की निगरानी के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को नोडल एजेंसी नामित किया है।

(ग) और (घ) जी, हां। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए मामलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003	2004	2005
1.	आन्ध्र प्रदेश	244	163	231
2.	अरुणाचल प्रदेश	7	3	4
3.	असम	67	48	94
4.	बिहार	44	10	28
5.	छत्तीसगढ	12	8	56
6.	गोवा	3	0	6
7.	गुजरात	247	120	419
8.	हरियाणा	29	35	37
9.	हिमाचल प्रदेश	2	6	5
10.	जम्मू-कश्मीर	24	31	29
11.	झारखण्ड	14	12	14
12.	कर्नाटक	108	48	118
13.	केरल	59	58	69
14.	मध्य प्रदेश	20	26	42
15.	महाराष्ट्र	183	119	225
16.	मणिपुर	7	4	11
17.	मेघालय	6	2	3
18.	मिजोरम	12	7	5
19.	नागालैण्ड	5	0	6

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003	2004	2005
20.	उड़ीसा	9	5	17
21.	पंजाब	38	63	73
22.	राजस्थान	22	72	85
23.	सिक्किम	4	1	2
24.	तमिलनाडु	47	49	49
25.	त्रिपुरा	10	12	16
26.	उत्तर प्रदेश	158	119	204
27.	उत्तरांचल	7	16	23
28.	पश्चिम बंगाल	57	100	92
	जोड़ (राज्य)	**1445**	**1137**	**1963**
	संघ राज्य क्षेत्र			
29.	अण्डमान और निकोबार	1	0	0
30.	चण्डीगढ़	2	4	0
31.	दादर और नागर हवेली	1	0	4
32.	दमन और दीव	3	0	5
33.	दिल्ली	11	31	18
34.	लक्षद्वीप	0	1	0
35.	पाण्डिचेरी	1	2	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	**19**	**38**	**27**
	कुल जोड़	1464	1175	1990

लघु बचतों की सुनम्यता

3671. **डा. वल्लभभाई कथीरिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार को यह अभ्यावेदन दिया है कि राज्य सरकार को लघु बचत ऋणों को स्वीकार नहीं करने की सुनम्यता उपलब्ध कराई जानी चाहिए और राज्य सरकार को पहले प्राप्त किए गए उच्च लागत वाले लघु बचत ऋणों को वर्तमान ऋण में बदलने का भी विकल्प दिया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस पहलू पर गौर करने हेतु समिति गठित की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या समिति ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) और (ख) जी, हां। गुजरात सरकार सहित कुछ राज्य सरकारों ने उनके द्वारा जुटाए गए निवल लघु बचत संग्रहणों के शत-प्रतिशत अंतरण को मुख्यतया इन निधियों की ऊंची लागत होने के कारण स्वीकारने में संशय व्यक्त किया है और यह अनुरोध भी किया है कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एन.एस.एस.एफ.) से ऐसे ऊंची कूपन दर वाले ऋणों को अपेक्षाकृत अल्प कूपन दर वाले वर्तमान उधारों के साथ बदला जाए। भारत सरकार ने वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक एक राज्य ऋण अदला-बदली योजना पहले से लागू की है जिसके तहत राज्य भारत सरकार को देय ऊंची कूपन दर वाले ऋणों का जिसमें लघु बचत ऋण भी शामिल है, एन.एस.एस.एफ. से अपेक्षाकृत अल्प कूपन दर वाले ऋण प्राप्त करके और अतिरिक्त खुले बाजार उधारों से समय-पूर्व भुगतान कर सकते थे। राज्यों ने इस योजना के तहत 1,03,652 करोड़ रुपये की राशि के ऊंची कूपन दर वाले ऋणों की अदला-बदली की।

(ग) से (च) राष्ट्रीय विकास परिषद (एन.डी.सी.) की जून, 2005 में आयोजित बैठक के अनुसरण में वित्त मंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो राज्यों के ऋण भार और एन.एस.एस.एफ. के प्रति उनके बकाया ऋणों के संदर्भ में ऋण राहत से संबंधित मुद्दों की जांच करेगी। समिति ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

फ्लैटों का आरक्षण

3672. डा. के. धनराजू: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ समय पहले दिल्ली विकास प्राधिकरण संसद सदस्यों और सेवानिवृत्त अथवा सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए कुछ फ्लैटों को आरक्षित किया करता था;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना अब समाप्त हो गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस योजना की मांग के कारण इसे पुनः आरंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि संसद सदस्यों इत्यादि के लिए फ्लैट आबंटन करने का पूर्व आरक्षित कोटा बवेजा समिति की सिफारिशों के आधार पर 1979 में बंद कर दिया गया था। तथापि, सेवानिवृत्त हो चुके/सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों के लिए न तो कोई कोटा था न कोई कोटा है। डी.डी.ए. फ्लैटों के आबंटन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति, युद्ध के दौरान मारे गए सैनिकों की विधवाओं, विकलांगों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। किसी अन्य श्रेणी को आरक्षण देने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पूंजी निवेश प्रस्ताव

3673. श्री के.एस. राव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष प्राप्त पूंजी निवेश प्रस्तावों तथा ऐसे प्रत्येक प्रस्ताव के मूल्य का क्षेत्रवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या निवेश सभी राज्यों में समय पर एक समान रूप से होता है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्षवार, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कतिपय राज्यों में नक्सली आंदोलन ने ऐसे निवेशों को नुकसान पहुंचाया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इन पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) से (घ) अगस्त, 1991 से मार्च 2006 की अवधि के दौरान दायर किए गए औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों (आई.एम.) की राज्यवार संख्या और यथा उपलब्ध प्रस्तावित निवेशों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है। गत तीन

वर्षों के दौरान क्षेत्रवार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। अगस्त 1991 से मार्च, 2006 की अवधि के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के यथा उपलब्ध राज्यवार अंतर्वाह संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) से (छ) किसी क्षेत्र/राज्य में निवेशों के अंतर्वाह निवेशकों की वाणिज्यिक रुचि पर आधारित होते हैं। सरकार ने अतिरिक्त निवेशों को आकर्षित करने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को भी प्रगामी रूप से उदार बनाया है।

विवरण-I

राज्यवार औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन

(अगस्त, 1991-मार्च 2006)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	दायर किए गए ज्ञापनों की संख्या	प्रस्तावित निवेश
1	2	3
गुजरात	7899	313494
महाराष्ट्र	11968	272714
आन्ध्र प्रदेश	4362	164974
छत्तीसगढ	1530	142376
तमिलनाडु	5334	127615
उत्तर प्रदेश	5674	123669
उड़ीसा	960	126517
कर्नाटक	2536	87105
पश्चिम बंगाल	3676	74331
झारखण्ड	698	77255
मध्य प्रदेश	2351	71069
पंजाब	2574	61138
हरियाणा	3493	46048
राजस्थान	2884	47700
दादरा एवं नागर हवेली	1910	28846
नागालैण्ड	13	16244
हिमाचल प्रदेश	715	15748
उत्तरांचल	1029	15694
केरल	556	9122
असम	423	6925
पांडिचेरी	644	7540
बिहार	193	7263
गोवा	571	7724
जम्मू-कश्मीर	462	7074
दिल्ली	492	6543
दमन और द्वीव	900	5817
मेघालय	221	2590
त्रिपुरा	31	2134
सिक्किम	25	837
चण्डीगढ	39	459
अंडमान और निकोबार	10	362
अरुणाचल प्रदेश	30	316
मणिपुर	3	10
लक्षद्वीप	1	4
मिजोरम	0	0
एक से अधिक राज्य में स्थित	0	0
कुल	64207	1877257

विवरण-II

गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाहों के क्षेत्रवार, राज्यवार ब्यौरे

(राशि मिलियन में)

क्र. सं.	क्षेत्र	2004 (जनवरी-दिसम्बर)	2005 (जनवरी-दिसम्बर)	2006 (जनवरी-मार्च)
1	2	3	4	5
1.	इलेक्ट्रिक उपकरण (कम्प्यूटर साफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिकी सहित)	39666.61	45938.44	27030.64
2.	दूर-संचार	6087.84	9639.13	21374.32
3.	परिवहन उद्योग	8063.68	9659.22	1530.99
4.	सेवा क्षेत्रक	11455.83	31445.14	5298.97
5.	ईंधन (विद्युत और तेल शोधन)	7159.79	2765.05	2656.75
6.	रसायन (उर्वरक को छोड़कर)	8677.14	9044.68	11234.01
7.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	3690.18	1782.91	244.79
8.	औषध और भेषज	15711.08	5107.25	2608.94
9.	सीमेंट और जिम्पस उत्पाद	7.3	19698.17	0
10.	धात्विक उद्योग	8583.79	6321.99	1211.69
11.	परामर्शी सेवाएं	11843.5	1627.16	679.15
12.	विविध अभियांत्रिक एवं इंजीनियरी	717.26	2224.73	42.43
13.	कपड़ा (रंजित, प्रिटेंड सहित)	1784.77	3462.16	884.65
14.	व्यापार	682.16	1257.67	213.98
15.	कागज उत्पाद सहित कागज और गुदा	175.55	1229.04	0
16.	होटल और पर्यटन	1527.23	2799.59	642.74
17.	कांच	384.74	32.72	2.7
18.	रबर पदार्थ	2012.55	1516.41	13.35
19.	औद्योगिक मशीनरी	430.76	1474.73	430.43

1	2	3	4	5
20.	वाणिज्यिक, कार्यालय और घरेलू उपकरण	108.16	1556.95	73.92
21.	कृषि मशीनरी	0	2777.52	1382.28
22.	मशीन टूल्स	2652.7	1001.11	11.41
23.	इमारती लकड़ी के उत्पाद	0.67	4658.77	0.1
24.	चिकित्सीय एवं शल्य चिकित्सा एप्लायंसेज	229.27	72.62	10.69
25.	साबुन, शृंगार और प्रसाधन सामग्री	40.95	3829.82	55.05
26.	मृत्तिका शिल्प	1208.24	276.42	0
27.	अर्थ-मूविंग मशीनरी	5.22	2313	0
28.	उर्वरक	620	193.13	0
29.	किण्वन उद्योग	339.37	362.8	0
30.	चमड़ा, चमड़े की वस्तुएं और पिकर्स	20.36	42.79	6.09
31.	वनस्पति तेल और वनस्पति	271.38	601.66	99.66
32.	सरेस और जिलेटिन	0	0	0
33.	इलेक्ट्रिकल को छोड़कर प्राइम मूवर्स	2.49	0	0
34.	औद्योगिक उपस्कर	49.45	1.17	15.77
35.	शर्करा	135.09	131.04	0
36.	वैज्ञानिक उपस्कर	1.37	4.5	0
37.	फोटोग्राफिक कच्ची फिल्म और कागज	12.75	264.33	0
38.	रंजक सामान	54.2	0	0
39.	बॉयलर्स और भाप उत्पादक संयंत्र	0	23.4	0
40.	रक्षा उद्योग	0	2.37	0
41.	गणितीय, सर्वेक्षण और आरेखण	0	0	0
42.	विविध उद्योग	13400.28	17567.6	4435.56
43.	शेयरों की अधिप्राप्ति	0	0	0
44.	अंतप्रर्वाह का आगम	24851.48	0	0

1	2	3	4	5
45.	स्टॉक अदला-अदली	0	283.71	0
46.	भारतीय रिजर्व बैंक-एन.आर.आई. योजनाएं	0	0	0
	कुल जोड़	172665.2	192990.9	82191.07

टिप्पणी: 1. राशि में केवल एस.आई.ए./एफ.आई.पी.बी. मार्ग, वर्तमान शेयरों की अधिप्राप्ति तथा भारतीय रिजर्व बैंक के स्वचालित मार्ग द्वारा प्राप्त अंतर्वाह ही शामिल है।

विवरण-III

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह का राज्यवार तथा वित्तीय वर्षवार ब्यौरा

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	राज्य	2002-03 अप्रैल-मार्च	2003-04 अप्रैल-मार्च	2004-05 अप्रैल-मार्च
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	242.65	353.49	747.85
2.	असम	2.59	19.48	13.39
3.	बिहार	0.00	1.13	0.00
4.	गुजरात	550.71	917.12	610.53
5.	कर्नाटक	975.24	926.53	1131.34
6.	केरल	67.45	44.53	33.77
7.	मध्य प्रदेश	5.83	34.85	69.25
8.	महाराष्ट्र	2366.40	1355.31	3183.13
9.	उड़ीसा	0.00	0.00	0.00
10.	राजस्थान	1.22	1.89	4.58
11.	तमिलनाडु	990.17	603.80	358.47
12.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.03
13.	पश्चिम बंगाल	177.96	84.50	467.37
14.	चण्डीगढ़	843.89	76.71	13.49

1	2	3	4	5
15.	दिल्ली	3062.22	2123.46	3717.53
16.	गोया	139.09	160.59	100.66
17.	अन्य अनिर्दिष्ट राज्य	3445.25	3360.72	4201.34
	कुल जोड़	12870.67	10064.10	14652.73

जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु मानदंड

3674. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैव-प्रौद्योगिकी हेतु मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समूह ने छोटे निवेशकों में उधेश्यशीलता, नवीनता तथा अधिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए कृषि तथा स्वास्थ्य में जैव-प्रौद्योगिकी हेतु मानदंडों को शिथिल करने के लिए एक प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अगले दो वर्षों के दौरान जैव-प्रौद्योगिकी के कुल व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): (क) और (ख) जैवप्रौद्योगिकी संबंधी अधिकार प्राप्त मंत्रियों का कोई अलग समूह नहीं है, तथापि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) की स्थापना और एस.ई.जेड. के अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों पर विचार करते समय एक अधिकार प्राप्त मंत्रियों के समूह (ई.जी.ओ.एम.) ने जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र में छूट देने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया है और जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए 10 हेक्टेयर और 40,000 वर्गमीटर तक की भूमि एवं निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता, दोनों के संदर्भ में प्रावधानों में छूट दी है। इससे छोटे निवेशकों की उद्यमशीलता, नवीनता तथा अधिक भागीदारी को सामान्य रूप से जैवप्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में और विशेष रूप से स्वास्थ्य तथा कृषि क्षेत्रों में प्रोत्साहन मिलेगा।

(ग) सरकार ने जैवप्रौद्योगिकी उद्योग को बढ़ावा देने और जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र के कुल कारोबार में वृद्धि को सुगम बनाने के लिए विशेष उपाय किए हैं। औद्योगिक विकास हेतु एक उचित वातावरण तैयार करने के लिए कई पहलें की गई हैं जैसे जैवप्रौद्योगिकी क्षेत्र को अनिवार्य लाइसेंसिंग से छूट देना; इस क्षेत्र में 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. को मंजूरी देना; इसे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के समकक्ष बनाने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र के आयतन को कम करना; पूंजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क की छूट, आयात शुल्क में कमी और इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास में किये गये व्यय हेतु 150 प्रतिशत भारित कटौती के संदर्भ में इन-हाऊस अनुसंधान एवं विकास के लिए मान्यता प्राप्त उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देना।

नरेला में प्लॉट की नीलामी

3675. **श्री शैलेन्द्र कुमार:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी.डी.ए. नरेला सोसाइटी प्लॉटों की नीलामी की योजना बना रहा है जैसा कि दिनांक 03 अगस्त, 2006 को हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या डी.डी.ए. के निर्वाचित सदस्यों तथा इंजीनियरों ने इस कदम का विरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अंतिम निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय माकन): (क) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी.डी.ए.) ने यह सूचित किया है कि उसका विचार दिनांक 3-6-1999 की अधिसूचना के तहत सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सार्वजनिक-निजी भागीदारी से अपने अनुमोदित विन्यास नक्शे के अनुसार नरेला उप-शहर के चार सेक्टरों में ग्रुप हाउसिंग हेतु निर्धारित पाकेट का विकास और निपटान करने का है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने दिनांक 3 अगस्त, 2006 की अपनी बैठक में प्राधिकरण के समक्ष रखी गई

कार्यसूची मदों के तहत दिनांक 3-6-1999 के दिशानिर्देशों को संशोधित करने का प्रस्ताव किया है ताकि नरेला में ग्रुप हाउसिंग प्लाटों के विकास के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस.) टेनामेंटों पर अधिक ध्यान दिया जा सके। बैठक में चर्चा के बाद प्राधिकरण ने इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय आस्थगित कर दिया है।

पेंशन प्रणाली की समीक्षा

3676. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उस समय की विद्यमान पेंशन प्रणाली की समीक्षा और जांच करने के लिए किसी "उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह" को नियुक्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस विशेषज्ञ समूह के सदस्य कौन-कौन हैं और इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(ग) विशेषज्ञ समूह द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक दिए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): (क) सरकार द्वारा जून, 2001 में तत्समय मौजूद पेंशन योजना की समीक्षा करने और परिभाषित अंशदान पर आधारित एक नई पेंशन प्रणाली शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश प्रदान करने हेतु एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह गठित किया गया।

(ख) श्री बी.के. भट्टाचार्य की अध्यक्षता में गठित पांच-सदस्यीय विशेषज्ञ समूह के विचारार्थ विषय थे। तत्समय मौजूद गैर-अंशदायी परिभाषित लाभ योजना को एक परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली में बदलने के तौर-तरीकों की जांच और सिफारिश करना; परिभाषित अंशदान प्रणाली के लिए उचित कर उपाय की जांच और सिफारिश करना; उपर्युक्त के समग्र बजटीय प्रभाव का मूल्यांकन करना; केन्द्रीय सरकारी सेवाओं के लिए एक पेंशन निधि की स्थापना के तौर-तरीकों (जिसमें निवेश संबंधी मानदण्ड और संगठनात्मक संरचना भी शामिल है) की जांच और सिफारिश करना; वर्तमान कर्मचारियों को अंशदायी प्रणाली में शामिल करने के विकल्प का पता लगाना; और ऐसे उपायों की जांच करना जो सुवाह्यता को बढ़ावा देने की दृष्टि से अन्य पेंशन व्यवस्थाओं के साथ सामंजस्य बनाएं।

(ग) समूह ने फरवरी, 2002 में सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकांता पाटील): मैं, श्री ए.आर. अंतुले की ओर से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय के बीच वर्ष 2006-2007 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4877/2006]

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, नई दिल्ली के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4878/2006]

शहरी विकास मंत्री (श्री एस. जयपाल रेड्डी): मैं, निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4879/2006]

रसायन ओर उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं इंडियन

[श्री विजय हान्डिक]

ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं के संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4880/2006]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): मैं, भारतीय रेड क्रास सोसायटी, रीजनल कैंसर सेंटर, तिरुवनंतपुरम, किदवई मेमोरियल इंस्टिट्यूट ऑफ ऑन्कोलाजी, बंगलौर तथा इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्यूटिकल कारपोरेशन लिमिटेड, मोहन के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4881/2006]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): मैं, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) का.आ. 1241(अ) जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 513(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(2) का.आ. 1242(अ) जो 2 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 7 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 514(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4882/2006]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): महोदय, श्री श्रीप्रकाश जायसवाल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, अग्निशमन स्कंध, अधीनस्थ रैंक, समूह 'ग' पदों के भर्ती नियम, 2005 जो 17 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 315 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सुरक्षा स्कंध, अधीनस्थ रैंक, समूह 'ग' पदों के भर्ती नियम, 2005 जो 17 सितम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 316 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, परा-चिकित्सीय कर्मचारिवृंद (योधक) भर्ती नियम, 2005 जो 7 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4883/2006]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4884/2006]

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4885/2006]

(3) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन

तथा वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4886/2006]

(4) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4887/2006]

(6) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कालीकट के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4888/2006]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम): मैं, निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:

(1) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 31 के अंतर्गत भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अध्यक्ष और सदस्यों के निबंधन और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2006 जो 18 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ) में प्रकाशित हुआ था कि एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4889/2006]

(2) संविधान के अनुच्छेद 151(1) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(1) मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2006 का संख्यांक 16) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा) खाद्यान्नों के प्रबंधन संबंधी कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4890/2006]

(2) मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन - संघ सरकार (सिविल) (2006 का संख्यांक 17) (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा) - वर्ष 1999-2003 के दौरान चयनित सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों में सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश संबंधी कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4891/2006]

(3) मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन-संघ सरकार (सिविल) (2006 का संख्यांक 18) - (कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा) व्याघ्र और व्याघ्र आरक्षितियों का संरक्षण और संरक्षा संबंधी कार्यनिष्पादन लेखापरीक्षा।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4892/2006]

(3) (एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4893/2006]

[श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम]

(5) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 19 की उपधारा (4) के अंतर्गत देना बैंक अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन और अपील) (संशोधन) विनियम, 2002 जो 2 अप्रैल, 2004 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आई.आर./अमेंड/01/2004 में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4894/2006]

(7) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2005 जो 4 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 77 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पंजाब ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2005 जो 19 जनवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 11 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2005 जो 27 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 89 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) हरियाणा ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2006 जो 2 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 73 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) काशी गोमती सम्युत ग्रामीण बैंक (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, 2005 जो 11 फरवरी, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 22 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4895/2006]

(8) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 455(अ) जो 1 अगस्त, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय भारतीय आयुधनिर्माणी कारखानों को ई.आर.-4 प्रपत्र में वार्षिक वित्तीय सूचना विवरण भरने से छूट देना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4896/2006]

(9) राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम, 2003 की धारा 7 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रूझान की त्रैमासिक समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4897/2006]

(दो) वित्तीय वर्ष 2006-2007 की पहली तिमाही के अंत में बजट के संबंध में प्राप्तियों और व्यय के रूझान की त्रैमासिक समीक्षा के बारे में विवरण।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** सं. एल.टी. 4897'क' 2006]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:

(1)

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2006 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(2)

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 24 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 अगस्त, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2006 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.03½ बजे

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: मैं चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त स्पिरिटयुक्त निर्मिति (अंतर्राज्यिक व्यापार और वाणिज्य) नियंत्रण (निरसन) विधेयक, 2006 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03¾ बजे

अंतर संसदीय संघ (आई.पी.यू.) की 114वीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी

प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव: मैं 7 से 12 मई, 2006 तक नैरोबी (केन्या) में हुए अंतर संसदीय संघ (आई.पी.यू.) के 114वें सम्मेलन में भारतीय संसदीय भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

आचार समिति

पहला और दूसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): मैं आचार समिति का पहला और दूसरा प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04¼ बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

177वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): महोदय, मैं "केन्द्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान विश्वविद्यालय विधेयक, 2006" के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति का 177वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

याचिका का प्रस्तुतीकरण

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना करते हुए भारत के राज्य-क्षेत्रीय समुद्र में हानिकारक अपशिष्ट का वहन करने वाली एस.एस. ब्लू लेडी शिप को प्रवेश करने की अनुमति दिए जाने में प्राधिकारियों की भूमिका की जांच करने के लिए अनुरोध संबंधी श्री गोपाल कृष्ण, इंडियन प्लेटफार्म आन शिप-ब्रेकिंग, ए-1/125, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4898/2006]

अपराह्न 12.04¾ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री मणिकराव होडल्या गावित के संबंध में 13-8-2006 के जी. न्यूज प्रसारण की सत्यता की जांच के निष्कर्ष

[अनुवाद]

***गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील):** 13-8-2006 को

*ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4899/2006

[श्री शिवराज वि. पाटील]

जी.टी.वी. चैनल ने ऑडियो टेप का प्रयोग करते हुए, यह आरोप लगाया था कि गृह राज्य मंत्री श्री गावित ने बुलंदशहर जेल में एक अपराधी के साथ बातचीत की थी। यह आरोप कई दिनों तक घंटों दोहराया जाता रहा।

श्री गावित ने लोक सभा और राज्य सभा में यह कहते हुए एक वक्तव्य दिया था कि उन्होंने कभी भी बुलंदशहर जेल में बंद किसी भी अपराधी के साथ कोई भी बातचीत नहीं की है और यह कि जी.टी.वी. चैनल द्वारा प्रसारित टेप में जो आवाज है वह आवाज उनकी नहीं है और यह कि उक्त टी.वी. चैनल में जो दिखाया या सुनाया जा रहा है वह आधारहीन और झूठा और मनगढ़ंत है तथा वह उस व्यक्ति को नहीं जानते हैं जिसके साथ बातचीत करने का उन पर आरोप लगाया गया था।

उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले में सच्चाई का पता लगाने के लिए किसी से भी या संसद की समिति से जांच करवाने के लिए तैयार हैं और यह कि जब तक सदन को जांच की रिपोर्ट नहीं दे दी जाती तब तक वे अपने कार्यकारी और वैधानिक कार्यों को नहीं करेंगे और वे तब तक अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे जब तक उन्हें दोषमुक्त नहीं कर दिया जाता। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि वे जरा भी दोषी पाए जाते हैं तो वे किसी भी प्रकार की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं और वे अपने राजनैतिक जीवन से संन्यास ले लेंगे। उन्होंने अनुरोध किया था कि अनावश्यक विलम्ब को टालते हुए जांच अतिशीघ्र की जानी चाहिए।

ऐसा प्रतीत होता है कि संसदीय दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मामले की जांच सरकार द्वारा की जानी चाहिए और इसकी रिपोर्ट सदन को दी जानी चाहिए। इसका उल्लेख करते हुए माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय प्रधान मंत्री जी को एक पत्र लिखा गया था। इस पत्र में यह सुझाव दिया गया था कि रिपोर्ट 25 अगस्त, 2006 तक दे दी जानी चाहिए।

उक्त पत्र के अनुसरण में, इस मामले में सी.बी.आई. से जांच करने और रिपोर्ट शीघ्रता से और 25 अगस्त, 2006 को अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्रावसान से पहले प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जी.टी.वी. से टेप प्राप्त किए थे तथा संबंधित व्यक्तियों के बयान रिकार्ड किए गए और स्वतंत्र गवाहों और सी.एफ.एस.एल. के विशेषज्ञों की उपस्थिति में टेप पर श्री गावित की आवाज रिकॉर्ड की थी।

यह जानने के लिए कि क्या टेप की आवाज उनकी आवाज से मेल खाती है, संबंधित टेप आवाज का मिलान करने के लिए केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सी.एफ.एस.एल.) नई दिल्ली को भेजी गई थी। उनसे यह रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था कि क्या यह आवाज एक ही और उसी व्यक्ति की है या भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की है। विशेषज्ञों द्वारा टेप की आवाजों की ऑडियो स्पेक्ट्रोग्राफी पर जांच की गई और उन्होंने यह राय दी कि यह आवाजें मेल नहीं खाती हैं और यह उसी व्यक्ति की नहीं है। रिपोर्ट अधिप्रमाणित की गई है और सदन के पटल पर रखी गई है...*(व्यवधान)* मैं इसे सभा-पटल पर रख रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस मामले पर मैं इस सभा के माननीय नेताओं का धन्यवाद करता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है। वास्तव में हम में से बहुतों ने पहले जब रिपोर्ट टेलीविजन पर देखी थी तथा फिर इस सभा में माननीय मंत्री महोदय को सुना तो हमें बहुत दुख हुआ कि एक ऐसे व्यक्ति को, जिसका कि इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है, उसे इस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है...*(व्यवधान)* मेरी तरह ही अनेक व्यक्तियों की यही राय है...*(व्यवधान)* हां, पूरी सभा की यही राय है। इसके बावजूद भी जांच का सुझाव दिया गया और उसे माना गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस टेलीविजन चैनल पर कहा गया था कि यह निजी स्टिंग आपरेशन नहीं है। यह सरकारी निगरानी का एक भाग है, जो हमें दिया गया है।

माननीय गृह मंत्री जी के आज के वक्तव्य का संबंध उस भाग से बिलकुल भी नहीं है, उन्होंने केवल इतना ही कहा है कि माननीय मंत्री महोदय की आवाज उससे नहीं मिलती है, इसलिए वह निर्दोष हैं। यह तो उसी दिन स्पष्ट था। इसमें से बहुत लोग दोनों सभाओं में यह बात कह चुके हैं। परन्तु उसके बावजूद यदि जांच का आदेश दिया गया था तो जांच का उद्देश्य यह बताना था कि यह कैसे हुआ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष के माननीय नेता मैं सरकार को यही निदेश देने जा रहा हूं। नेताओं की बैठक में हमने यही निर्णय लिया था कि पहले इस पक्ष का पता लगाना चाहिए तथा दूसरी बात जांच की हुई थी।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: ऐसा क्यों कहा गया कि यह सरकारी निगरानी थी? यह एक निजी स्टिंग आपरेशन नहीं

था। आधिकारिक रूप से ऐसा कहा गया। किसी ने इसका खंडन नहीं किया।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, क्या मैं इसका उत्तर दे सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: मैं केवल एक वाक्य बोलूंगा। मुझे लगता है कि पूरी सभा इस बात से सहमत होगी कि हमें श्री गावित को सभा में फिर बुलाना चाहिए। वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं तथा मंत्री है जिन्हें दोषमुक्त किया गया है। उन्हें कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। हम उनके इस दृष्टिकोण की पूरी सराहना करते हैं कि जब तक उन्हें निर्दोष करार नहीं दिया जाएगा, वह कार्यवाही में भाग नहीं लेंगे। उन्हें सम्मानपूर्वक दोषमुक्त किया जा चुका है। मुझे विश्वास है कि उनके यहां उपस्थित होने से आपको अच्छा लगेगा। मेरे कहने का उद्देश्य है कि समान रूप से महत्वपूर्ण दूसरे पक्ष की भी जांच की जानी चाहिए।

मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहेंगे?

श्री शिवराज वि. पाटील: जी हां।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: महोदय, वास्तव में उसी दिन मैंने यह कहा था कि इस मामले में प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। यह किसने किया है? हमें नहीं पता। इसलिए, मैंने कहा था कि भारत में स्टिंग आपरेशनों से निपटने के लिए ऐसे कानून होने चाहिए जैसा कि विश्व के दूसरे लोकतंत्रों में है। अन्यथा इस प्रकार की चीजों से नहीं निपटा जा सकता।

अध्यक्ष महोदय: आपने उस अवसर पर ऐसा कहा था।

श्री लालकृष्ण आडवाणी: मैंने उसी दिन कहा था।

अध्यक्ष महोदय: हां, आपने ऐसा ही कहा था।

श्री शिवराज वि. पाटील: हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें इस बात का निर्णय करना है कि टेलीविजन पर जो आवाज सुनवाई गई थी वह आवाज श्री गावित की आवाज से मिलती है या नहीं। श्री गावित ने साफतौर पर कहा है कि जब तक उन्हें इस संबंध में गठित की गई समिति की रिपोर्ट में बेकसूर नहीं बताया जाता तब तक वह न तो इस सभा में आएंगे और न ही अपने मंत्रालय में कार्य करेंगे। यह बहुत महत्वपूर्ण था। हमने इसे पूरा कर लिया है। सौभाग्य से हमारी फोरेन्सिक प्रयोगशाला में उपलब्ध आधुनिक प्रौद्योगिकी से यह संभव हो पाया था। अन्य कदम उठाए जाने हैं।

दूसरा कदम, इस बात का पता लगाना है कि वास्तव में कौन बोल रहा था अथवा क्या जेल में बंद व्यक्ति द्वारा बात की गई थी अथवा नहीं।

तीसरी बात यह है कि इस बात का पता लगाना है कि जेल में बंद किसी व्यक्ति के पास टेलीफोन कैसे आया? उससे जेल में टेलीफोन पर संपर्क कैसे स्थापित किया जा सकता है? यदि उसके पास टेलीफोन था और उससे संपर्क किया गया था तो ऐसा कैसा हुआ? इस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

चौथी बात यह है कि विपक्ष के माननीय नेता द्वारा जो यह कहा गया है कि ऐसे मामलों की जांच की जानी चाहिए। हमें इस प्रयोजनार्थ उचित कानून बनाकर कुछ सुधारात्मक कदम उठाने होंगे जोकि हम करने जा रहे हैं। यह मामला चल रहा है। लेकिन फिलहाल, इस मामले में सब कुछ हो जाने और रिपोर्ट आ जाने तक हम प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम नहीं चाहते कि तब तक श्री गावित बाहर रहें।

हम इन सभी चीजों और ब्यौरों पर विचार कर रहे है। इसमें थोड़ा और समय लगेगा। हम इस सभा में रिपोर्ट जरूर प्रस्तुत करेंगे।

अपराह्न 12.13 बजे

(दो) ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 10वें, 12वें और 14वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिन्दे):** महोदय, मैं दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा समाचार भाग-दो के द्वारा लोक सभा अध्यक्ष के निदेश संख्या 73क के अनुसरण में ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के 10वें, 12वें और 14वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति से संबंधित वक्तव्य दे रहा हूं।

दसवें प्रतिवेदन में 8 सिफारिशें की गई थी। सरकार द्वारा सभी को स्वीकार कर लिया गया है।

जहां तक वर्ष 2006-2007 हेतु विद्युत मंत्रालय की अनुदान मांगों पर आधारित 12वें प्रतिवेदन के संबंध में मैं बताना चाहता मंत्रालय को यह रिपोर्ट 22 मई, 2006 को

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4900/2006

[श्री सुशील कुमार शिन्दे]

प्राप्त हुई थी और दिनांक 21-08-2006 को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति को ए.टी.एन. भेजी जानी है। ए.टी.एन. तैयार की जा रही है और इसे ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के पास भेजी जाएगी।

14वें प्रतिवेदन में 8 सिफारिशें की गई है जो सभी सरकार के विचारार्थ है।

समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदनों में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे विवरण के अनुलग्नक में दी गई है जिन्हें सभा पटल पर रखा गया है। मैं इस अनुलग्नक की अंतर्वस्तुओं को पढ़कर इस सभा के बहुमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अनुरोध करता हूं कि इसके पठित रूप के अनुसार इस पर विचार किया जाए।

अपराह्न 12.14 बजे

(तीन) खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

***खान मंत्री (श्री शीश राम ओला):** महोदय, मैं खान मंत्रालय से संबंधित कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के 12वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशो के कार्यान्वयन की रिपोर्ट सभा पटल पर रखता हूं।

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति की 12वीं रिपोर्ट लोक सभा में 22-12-2005 को प्रस्तुत की गयी है, जो खान मंत्रालय के वर्ष 2005-06 की अनुदान मांगों से संबंधित है। समिति की सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई रिपोर्ट समिति कार्यालय को दिनांक 28-07-2006 को पहले ही भिजवायी जा चुकी है। समिति की 12वीं रिपोर्ट में पांच सिफारिशें की गयी थीं, जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी थी।

कार्यान्वयन की स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गयी है, जिसे सदन पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध को पढ़ने के लिए सदन का बहुमूल्य समय नहीं लेना चाहूंगा और अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4901/2006

अपराह्न 12.15 बजे

(चार) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

***ग्रामीण विकास मंत्री (डा. रघुवंश प्रसाद सिंह):** महोदय, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 02 फरवरी, 2006 को शुरू किया गया था। मैंने इस सम्माननीय सदन को अधिनियम के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के बारे में 03 मार्च और 23 मई, 2006 को अवगत कराया था। 6 माह की इस छोटी सी अवधि में, इस बात के बावजूद कि इस नए कानून के कार्यन्वयन में राज्यों को आरम्भ में बाधाएं आईं, कार्यान्वयन में हुई प्रगति बहुत प्रोत्साहक रही है। मैं अधिनियम के कार्यान्वयन की अद्यतन स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद के लिए 25 मई, 2006 को नियम अधिसूचित किए गए हैं और उसकी एक प्रति 28 जुलाई, 2006 को सदन के पटल पर रख दी गयी थी।

राज्य रोजगार गारंटी परिषदों के गठन के लिए राज्य भी कार्रवाई कर रहे हैं और आठ राज्यों (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, त्रिपुरा तथा उत्तर प्रदेश) में राज्य रोजगार गारंटी परिषदों की स्थापना कर दी गयी है।

केन्द्र सरकार ने अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए चालू वित्त वर्ष में 11,300 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की है।

केन्द्र सरकार ने एन.आर.ई.जी. अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को 2005-06 में 2367.56 करोड़ रुपये की राशि रिलीज की थी। चालू वर्ष में 4401.57 करोड़ रुपये रिलीज किए गए हैं। प्रत्येक जिला काम की मांग की रिपोर्ट भेजने और लीज किए गए संसाधनों का उपयोग कर लेने के बाद निधियों की और किस्तों के लिए आवेदन करने का पात्र है। मंत्रालय, जब कभी भी ऐसे अनुरोध प्राप्त होते हैं, निधियां रिलीज कर रहा है। वर्ष 2006-07 में राज्यवार रिलीज की गयी निधियों और प्रमुख संकेतकों के संबंध में कार्य-निष्पादन का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

22 अगस्त, 2006 तक की उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 2,54,73,820 जॉब कार्ड जारी किए गए हैं। जिन परिवारों के

---

*सभा पटल पर रखा गया तथा ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4902/2006

पास जॉब कार्ड हैं, वे अपनी आवश्यकता और पंसद के अनुसार रोजगार की मांग कर सकते हैं। रोजगारं की मांग के 15 दिन के भीतर रोजगार देना होता है। उपर्युक्त जॉब कार्ड धारकों में से 89,43,703 धारकों ने रोजगार की मांग की थी और 83,05,930 धारकों को रोजगार दिया गया है। इनमें से लगभग 21 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग, 46 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लोग और 41 प्रतिशत महिलाएं हैं।

2,60,332 कार्य शुरू किए गए हैं, जिनमें से 1,41,085 कार्य जल संरक्षण से संबंधित हैं, 16,727 कार्य बागान और सूखा रोघन के लिए, 3,391 बाढ़ नियंत्रण के लिए, 43,859 ग्रामीण सड़क संपर्क के लिए और शेष अन्य कार्य हैं। इस प्रकार कार्यक्रम के अंतर्गत जल संरक्षण पर प्रमुख ध्यान दिया जाना जारी रखा जा रहा है।

केन्द्र सरकार ने राज्यों को सलाह दी है कि वे अधिनियम के कार्यान्वयन में सतत् निगरानी और कड़ी सतर्कता का सुनिश्चय करें। राज्यों को कहा गया है कि वे राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों के निरीक्षण की समय सारणी निर्धारित करें। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को कम से कम क्रमशः 2 प्रतिशत, 10 प्रतिशत और 100 प्रतिशत निरीक्षण करने चाहिए। मंत्रालय भी कार्यन्वयन में सुधार लाने और कार्यान्वयन की गति बढ़ाने के लिए राज्यों को किए जाने वाले कार्यों की सलाह देने के लिए अपने अधिकारी नियुक्त करता है। क्षेत्र अधिकारियों ने राज्यों के 35 दौरे किए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कार्यान्वयन की स्थिति की निगरानी के लिए 90 एन.आर.ई.जी.ए. जिलों का दौरा करने के लिए 90 राष्ट्रीय निगरानीकर्त्ता तैनात किए थे। कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए क्षेत्र अधिकारियों और राष्ट्रीय निगरानीकर्त्ताओं की रिपोर्टों पर राज्य सरकारों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया जाता है।

राज्यों को राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर अधिकारियों और विभिन्न स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों के लिए भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करने को कहा गया है। राज्यों को राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों और राज्यों द्वारा निर्धारित अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए 83 लाख रुपये की राशि दी गयी है। राज्यों को प्रशिक्षण के लिए निधियों की और आवश्यकता बताने के लिए कहा गया है। एन.आई.आर.डी., हैदराबाद द्वारा 'प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण' देने के दो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

राज्यों को अपनी-अपनी ग्राम सभाओं के माध्यम से एन.आर.ई.जी. अधिनियम की सामाजिक लेखा-परीक्षा करने और ऐसी सामाजिक लेखा-परीक्षा करने के लिए एक समय-सूची निर्धारित करने के लिए कहा गया है।

अपराह्न 12.16 बजे

(पांच) भूकंप के पूर्वानुमान के बारे में दिनांक 18-8-2006 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2525 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

***विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** महोदय, मैं भूकम्प के पूर्वानुमान के बारे में श्री ई.जी. सुगावनम संसद सदस्य द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2525 के 18-8-2006 को दिए गये उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.16½ बजे

(छह) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के 127वें, 141वें और 157वें प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

****विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल):** महोदय, मैं लोकसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 389 के अन्तर्गत लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति द्वारा अपने 127वें, 141वें और 157वें प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में सम्मानित सभा को सूचित करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

127वीं रिपोर्ट बॉयोटेक्नोलॉजी विभाग की वित्तीय वर्ष 2004-05 की विस्तृत अनुदान मांगों पर विचार से संबंधित है। मैंने 127वीं रिपोर्ट में उसके द्वारा की गई सिफारिशों के

---

*ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4903/2006

** सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4904/2006

[श्री कपिल सिब्बल]

क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण 5 मई, 2005 और 23 दिसम्बर, 2005 को प्रस्तुत किए थे और सदन को सूचित किया था। वर्तमान विवरण में रिपोर्ट के पैरा 20 में की गई सिफारिशों से संबंधित अद्यतन स्थिति दी गई है। विस्तृत ब्यौरा अनुबंध-I पर है।

141वीं रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2005-2006 के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित हैं। मैंने 141वीं रिपोर्ट में उसके द्वारा की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के संबंध में विवरण 5 मई, 2005 और 23 दिसम्बर, 2005 को प्रस्तुत किए थे और सदन को सूचित किया था। वर्तमान विवरण में रिपोर्ट के पैरा 34, 43 एवं 52 में की गई सिफारिशों से संबंधित अद्यतन स्थिति दी गई है। विस्तृत ब्यौरा अनुबंध-II पर है।

157वीं रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2006-07 के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग की अनुदान मांगों पर विचार करने से संबंधित है। समिति ने अपनी 3 अप्रैल, 2006 को आयोजित बैठक में डी.बी.टी. के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में हुई प्रगति की समीक्षा की और 18-5-2006 को अपनी रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत की।

रिपोर्ट में 14 सिफारिशें हैं, इनमें से कुछ सलाहकारी प्रकार की हैं। अन्य सिफारिशें जैवप्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित हैं: राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केन्द्र, पुणे, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केन्द्र, गुड़गांव, राष्ट्रीय प्रतिरक्षाविज्ञान संस्थान, नई दिल्ली; राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली में अनुसंधान एवं विकास; और अधिक उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना करना; मानव संसाधनों का विकास करने की ओर पर्याप्त ध्यान देना; आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों के प्रयोग में सुरक्षा को सुनिश्चित करने, वैज्ञानिकों का समूह तैयार करने, स्टेम सेल अनुसंधान के क्षेत्र में गहन अनुसंधान करने आदि के लिए दिशा-निदेशों और प्रक्रियाओं को कारगर बनाना।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग द्वारा समिति की सभी 14 सिफारिशों पर विचार किया गया। सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इसे समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए राज्यसभा सचिवालय को भेज दिया गया है। की गई कार्रवाई का ब्यौरा अनुबंध-III है।

अपराह्न 12.16½ बजे

(सात) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक)**: महोदय, मैं राज्य सभा के माननीय सभापति महोदय के दिशा निदेशों के अनुसरण में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के सातवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2005-06 के लिए 'औषधों और भेषजों की उपलब्धता और मूल्य प्रबंधन' की जांच की और लोक सभा में 25 जनवरी, 2006 को अपनी सातवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में 22 सिफारिशें/टिप्पणियां शामिल थीं। इस समिति की सिफारिशों/टिप्पणियों का सारांश निम्नलिखित है:-

(i) एक जनहित याचिका में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश के कारण सरकार द्वारा 2002 में घोषित औषध नीति 2002 लागू नहीं की जा सकी।

(ii) नई औषध नीति तैयार करते समय प्रधान सलाहकार, योजना आयोग की अध्यक्षता वाले टॉस्क फोर्स की सिफारिशों को ध्यान में रखा जाएगा।

(iii) नई औषध नीति तैयार करते समय आवश्यक और जीवनरक्षक औषधों की उत्तम गुणवत्ता की उचित कीमतों पर उपलब्धता, स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में वृद्धि, पी.एस.यूज के पुनरूद्धार, आर एंड डी व्यय में वृद्धि और दवाओं की भारतीय प्रणाली को प्रोत्साहन देने के बारे में समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा सकता है।

(iv) सरकार को और अधिक एन.एल.ई.एम. औषधों को मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत लाने और कैंसर, टी.बी., एच.आई.वी./एड्स इत्यादि जैसी बीमारियों की आवश्यक दवाओं के बारे में विचार करना चाहिए।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4905/2006

(v) एन.पी.पी.ए. का सुदृढ़ीकरण।

(vi) अपराधों के दंड के लिए डी.पी.सी.ओ. में संशोधन कर प्रावधान बनाये जाने चाहिए।

(vii) सभी राज्यों में डी.पी.सी.ओ. प्रकोष्ठों की स्थापना।

(viii) राज्यों में औषध विनियामक तंत्र का सुदृढ़ीकरण।

(ix) विपणन अनुमोदन देने के पूर्व नए पेटेंटशुदा औषधों के लिए मूल्य संबंधी वार्ताओं का तंत्र।

(x) समान नैदानिक प्रयोग वाली औषधों की श्रेणी के लिए सरकार को एक उपयुक्त सीलिंग तय करनी चाहिए जिससे ज्यादा मूल्यों में वृद्धि की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

(xi) जेनेरिक औषधों का प्रयोग जोर-शोर से होना चाहिए।

(xii) ट्रेड मार्जिन में कटौती।

(xiii) अवैज्ञानिक और अतार्किक औषधों के संवर्द्धन को हतोत्साहित करना।

(xiv) नकली औषधों के मामलों पर रोक लगाने के लिए विद्यमान प्रयोगशालाओं का आधुनिकीकरण।

(xv) नकली/फर्जी औषधों पर माशेलकर रिपोर्ट।

(xvi) पी.एस.यूज का पुनरूद्धार।

(xvii) सार्वजनिक स्वास्थ्य तंत्र का प्रोन्नयन।

(xviii) दवाओं के लिए पूल और अधिप्राप्ति प्रणाली।

(xix) दवाओं की पारंपरिक पद्धति को बढ़ावा।

(xx) राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण का सृजन।

(xxi) फार्मा में आर एंड डी के लिए दीर्घावधि आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन।

(xxii) रिपोर्ट की प्रस्तुति के छः महीनों के भीतर टॉस्क फोर्स की रिपोर्ट पर सरकारी कार्रवाई।

समिति की सभी सिफारिशों पर रसायन और पेट्रोरसायन विभाग में विचार किया गया है और कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

संयुक्त सचिव (पी.आई.) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम और एस.एल.पी. सं. 3668/2003 में माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों के मद्देनजर मूल्य नियंत्रण के विस्तार की जांच ऐसे मानदंड तैयार करने हेतु किया गया ताकि आवश्यक दवाएं मूल्य नियंत्रण से बाहर न जाने पाएं। तदुपरांत डा. प्रणब सेन की अध्यक्षता में एक टॉस्क फोर्स का भी गठन जीवन रक्षक औषधों को उचित कीमतों पर उपलब्ध कराने के लिए मूल्य नियंत्रण से इतर अन्य विकल्पों पर विचार करने के लिए किया गया। संयुक्त सचिव (पी.आई.) की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफारिशों, टॉस्क फोर्स की रिपोर्ट और अन्य स्टेकधारकों से प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों के आधार पर सरकार ने एक राष्ट्रीय औषध नीति 2006 का प्रस्ताव किया है जिसमें समिति की लगभग सभी सिफारिशों/टिप्पणियां शामिल हैं। प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:-

- औषध विनियामक तंत्र का सुदृढ़ीकरण।
- पेटेंट ऑफिस इन्फ्रास्ट्रक्चर का सुदृढ़ीकरण।
- अनुसंधान और विकास पर फोकस - प्रक्रिया विकास, औषध अन्वेषण, औषध विकास और क्लीनिकल जांच।
- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (नाइपर) जैसे और संस्थानों के द्वारा औषध विज्ञान में मानव संसाधन विकास।
- कैंसर रोधी और एच.आई.वी./एड्स रोधी दवाओं के लिए पहुंच बढ़ाने की रणनीतियां।
- औषधों पर उत्पाद-शुल्क को तर्कसंगत बनाना।
- सरकार द्वारा औषधों की बल्क अधिप्राप्ति के तंत्र को सुचारू बनाना (तमिलनाडु, दिल्ली सरकार के तंत्र की तरह)।
- जेनेरिक औषधों का संवर्धन - (सरकारी अस्पतालों की खरीद से)।
- फार्मा सी.पी.एस.ईज का सुदृढ़ीकरण।
- उपभोक्ता जागरूकता अभियान।
- गरीबों विशेषकर बी.पी.एल. परिवारों तक औषधों को पहुंचाने की योजनाएं।
- भारत में प्रमुख बल्क औषधों के उत्पादन को प्रोत्साहित करना।

- उत्तम विनिर्माण परम्पराओं के लिए अनुसूची एम (औषध एवं सौन्दर्य प्रसाधन नियमावली, 1945) लागू करने के लिए ब्याज सब्सिडी योजनाएं।
- औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के तहत पुराने बकायों के निपटारे के लिए निपटारा योजना।
- औषधों की अधिप्रभारित राशि की वसूली से औषध मूल्य निगरानी जागरूकता व पहुंच निधि (डी.पी.एम.ए.ए. फंड) की स्थापना।
- फार्मा पार्कों की स्थापना की योजना।
- फार्मा निर्यात पर बल।
- कुशल औषध वितरण हेतु खुदरा तंत्र में सुधार।
- राष्ट्रीय स्तर पर औषध सलाहकार मंच।
- एन.पी.पी.ए. में सलाहकार समितियां - एक मुख्यालय स्तर पर तथा पांच विभिन्न क्षेत्रों में। इनकी अध्यक्षता एन.पी.पी.ए. के अध्यक्ष करेंगे।
- मूल्य निर्धारण तंत्र - मूल्य नियंत्रण का विस्तार वर्तमान 74 औषधों और उनके फार्मूलेशनों के अलावा एन.एल.ई.एम. 2003 में उल्लिखित विनिर्दिष्ट शक्तियों वाले 354 औषधों को भी शामिल किया गया है। लागत सह पद्धति के अलावा मूल्य नियंत्रण की अन्य पद्धतियों जैसे, निगोशिएटिड मूल्य, डिफरेंशियल मूल्य, पेटेंटशुदा औषधों के लिए संदर्भ मूल्य, थोक क्रय मूल्य इत्यादि का प्रस्ताव किया गया है।
- कच्ची सामग्री की लागत - विनिर्माताओं, फार्मा सी.पी.एस.ईज, आयात डेटा और बाजार के स्रोतों से प्राप्त की जाएगी।

  अधिकतम अनुमत्य विनिर्माणोत्तर व्यय (एम.ए.पी.ई.) जो कि विनिर्माण लागत का फिलहाल 100 प्रतिशत है, उसे निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है:-

  (क) सामान्यतः 150 प्रतिशत।

  (ख) निर्धारित गोल्ड स्टैंडर्ड्स को पूरा करने वाली आर एंड डी इंटेसिव कंपनियों के लिए 50 प्रतिशत अतिरिक्त एम.ए.पी.ई.।

  (ग) निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के (बी.पी.एल.) परिवारों के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाने वाले विनिर्माताओं को 50 प्रतिशत एम.ए.पी.ई.।

  (घ) विद्यमान 74 औषध जो मूल्य नियंत्रणाधीन है उनके लिए एम.ए.पी.ई. एक वर्ष के लिए 100 प्रतिशत ही रहेगा ताकि अचानक मूल्य वृद्धि न हो पाए। तत्पश्चात् इसे चरणबद्ध ढंग से बढ़ाया जाएगा।

- एम.ए.पी.ई. की दी गई प्रतिशतता के आधार पर लागत सह मूल्य नियंत्रण पद्धति में सभी औषधों की कीमत निर्धारित की जाएगी। जहां कहीं संभव हो, अधिकतम कीमत तय की जाएगी।
- अन्य सभी पैकेटबंद वस्तुओं की भांति अधिकतम खुदरा मूल्य (एम.आर.पी.) में सभी करों का समावेश होगा।
- उत्पाद पेटेंट या प्रोसेस पेटेंट या नई औषध डिलीवरी प्रणाली के जरिए भारत में विकसित नए औषधों को पांच वर्षों के लिए मूल्य नियंत्रण से छूट दी जाएगी। इससे आर एंड डी को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार सेरा, टीके और जैविक औषध; सिर्फ अस्पतालों को बेचे जाने वाली औषधों; उन औषधों जिनकी प्रति यूनिट लागत 3 रुपये प्रति टैबलेट/कैप्सूल है; और पूर्व निर्धारित नार्मों को अपनाने वाले जेनेरिक फार्मूलेशनों को सभी प्रकार के मूल्य नियंत्रण से मुक्त रखा जाएगा।
- नई नीति के ढांचे के आधार पर विद्यमान डी.पी.सी.ओ., 1995 की जगह पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अंतर्गत एक नया औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश जारी किया जाएगा।
- राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) का पुनर्गठन और सुदृढ़ीकरण।
- भारत सरकार के निधियन से राज्य औषध नियंत्रक कार्यालयों में मूल्य निगरानी प्रकोष्ठ।
- स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों से निपटने और औषध मूल्यों के प्रभावी विनियमन हेतु औषध (मूल्य प्रबंधन और संवितरण) अधिनियम को अधिनियमित किया जाएगा।
- जेनेरिक-जेनेरिक औषधों पर ट्रेड मार्जिन तय किया जाएगा।

- रसायन व पेट्रोरसायन विभाग के नाम में औषधों को भी दर्शाने के लिए इसके नाम में परिवर्तन (प्रस्तावित नाम है - रसायन, पेट्रोरसायन और औषध विभाग)।

घटिया औषधों, चिकित्सा की पारंपरिक प्रणालियों कि प्रोत्साहित करने, राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण के निर्माण से संबंधित मुद्दे, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है, पर मंत्रालय ने सूचित किया है कि सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए निधि आवंटन को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है और राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार, सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर जोर देते हुए अगले 5 वर्षों में जन स्वास्थ्य पर खर्चे को जी.डी.पी. का कम से कम 2-3 प्रतिशत तक बढ़ायेगी। औषध विनियम प्राधिकरण के सुदृढ़ीकरण के अंतर्गत मंत्रालय राष्ट्रीय औषध प्राधिकरण बनाने पर सक्रियता से विचार कर रहा है। घटिया औषधों के संभावित क्रियाकलापों पर प्रभावी निगरानी पर विस्तृत दिशा-निर्देशों और ऐसी गतिविधियों में संक्षिप्त आपराधिक तत्वों को पकड़ने की जिम्मेदारी राज्य औषध नियंत्रण संस्था को दे दी गई है। दंड प्रावधानों को बढ़ाने और पुलिस को प्रतिवादी पर कार्रवाई आदि के लिए सशक्तिकरण के लिए औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 में संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल का प्रारूप संसद में पेश किया जा चुका है। देश में घटिया एवं नकली दवा की मौजूदगी को रोकने एवं बेहतर विनिर्माण चलन (जी.एम.पी.) को आवश्यकता के लिए माशेलकर समिति को सिफारिशों पर मंत्रालय द्वारा पहले ही शुरू की जा चुकी है। इसके आगे आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध एवं होमियोपैथी विभाग (आयुष) के पास आयुष पद्धति की दवाओं की प्रभावशीलता के बारे में जनसाधारण में जागरूकता पैदा करने के लिए आर.सी.एच. कार्यक्रम आई.ई.सी. जैसी योजनाएं हैं।

रुग्ण फार्मा पी.एस.यूज के पुनर्जीवन के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (आई.डी.पी.एल.) द्वारा पुनर्वास योजना का एक प्रारूप सौंपा गया है जो कि विभाग में परीक्षाधीन है। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (बी.सी.पी.एल.) के लिए संशोधित पुनर्वास योजना 7-8-2006 को बोर्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राईजेज (बी.आर.पी.एस.ई.) के पास सिफारिशों के लिए भेजी गई है। 9-3-2006 को सरकार ने हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लि. (एच.ए.एल.) के लिए पुनर्वास योजना का अनुमोदन किया है। अन्य बातों के साथ-साथ, इस योजना में 137.59 करोड़ रुपये का नकद निषेचन शामिल है। सरकार ने 22-7-2006 को केन्द्रीय फार्मा उद्यम एवं सहायक कंपनियों से 102 दवाओं की प्राथमिक खरीद को एन.पी.पी.ए. द्वारा निर्धारित दर से 35 प्रतिशत तक छूट घटा कर अनुमोदित किया है।

प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध नीति 2006 पर विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं और मंत्रिमंडल के लिए नोट मंत्रिमंडल के समक्ष रखना है।

औषध उद्योग संगठनों यथा ओ.पी.पी.आई., आई.डी.एम.ए., आई.पी.ए., सी.आई.पी.आई., सी.आई.आई., फिक्की आदि के प्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध नीति 2006 पर उनकी टिप्पणियों पर चर्चा करने के लिए 17-8-2006 को मंत्री स्तर पर एक बैठक आयोजित की गई। अन्य बातों के साथ-साथ चर्चा के दौरान, गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बी.पी.एल.) की सहायता के लिए लोक-निजी भागीदारी, सरकारी प्रबंध के लिए रियायती मूल्य, मूल्य नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा एवं अनुश्रवण, मूल्य-अनुश्रवण या लागत आधारित मूल्य निर्धारण, माननीय उच्चतम न्यायालय की विशेष अनुमति याचिका 3668/2003 में दिनांक 10-3-2003 के आदेश, कि आवश्यक औषध मूल्य नियंत्रण से बाहर न रहें, के अर्थान्वयन आदि मामलों की परीक्षा के लिए सचिव (रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग) की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। संयुक्त समिति को इसकी रिपोर्ट 30 सितम्बर, 2006 तक प्रस्तुत करने को कहा गया है। संयुक्त समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद राष्ट्रीय औषध नीति, 2006 के प्रारूप को अंतिम रूप दिया जाएगा।

अपराह्न 12.16½ बजे

(आठ) उर्वरक विभाग से संबंधित रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक):** महोदय, मैं माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा समाचार भाग-II दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को जारी निदेश 73-क के अनुसरण में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4906/2006

[श्री विजय हान्डिक]

में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2005-06 के लिए उर्वरकों से जुड़े मूल्य निर्धारण और फीडस्टोक नीतियों से संबंधित मुद्दों की जांच की और 22-12-2005 को अपनी दसवीं रिपोर्ट लोक सभा में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 14 सिफारिशें/अभ्युक्तियां निहित थीं। समिति द्वारा की गई सिफारिशों/अभ्युक्तियों का सार इस प्रकार है:-

(1) कृषि उत्पादन बढ़ाने में उर्वरक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 1970 के दशक में हरित क्रांति के कारण उर्वरकों की खपत में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है।

(2) किसानों को वहनीय मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, प्रारम्भ से ही सरकार इस दिशा में विभिन्न कदम उठाती रही है जैसे देश के भिन्न-भिन्न हिस्सों में संचलन और वितरण के लिए उर्वरकों के विक्रय मूल्य का निर्धारण और आवश्यक वस्तु अधिनियम (ई.सी.ए.) का आबंटन करना।

(3) प्रतिधारण मूल्य योजना के स्थान पर यूरिया इकाइयों के लिए समूह आधारित नई मूल्य निर्धारण योजना 1-4-2003 को प्रारम्भ की गई थी।

(4) यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य निर्धारण योजना के चरण-I और II के निष्पादन की समीक्षा करने के लिए डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की रिपोर्ट तथा दिनांक 1-4-2006 से प्रारम्भ होने वाले चरण-III के लिए यूरिया इकाइयों के लिए नीति की तैयारी में शीघ्रता लाई जानी चाहिए तथा यूरिया नीति को अंतिम रूप देने में समिति द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार किया जाना चाहिए।

(5) सरकार द्वारा दिनांक 1-4-2006 से शुरू होने वाले नए मूल्य निर्धारण योजना के चरण-III के लिए नीति को अंतिम रूप देते समय किसानों को सीधे राजसहायता का भुगतान करने के मुद्दे की जांच करनी चाहिए।

(6) सरकार को उर्वरक संयंत्रों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक गैस आपूर्ति आबंटित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाने चाहिए।

(7) सरकार द्वारा उर्वरक उद्योग को उचित मूल्य पर आवश्यक मात्रा में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए तथा सरकार को यथाशीघ्र पेट्रोलियम नियामक प्राधिकरण की स्थापना के लिए आवश्यक कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

(8) निरंतर खाद्यान्न उत्पादन और मृदा की उर्वरता बनाए रखने के लिए पी एण्ड के उर्वरकों के पोषक तत्वों और अनिवार्यता को देखते हुए पी एंड के उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की प्रणाली जारी रखने की अत्यंत आवश्यकता है ताकि लघु और सीमांत किसान भी महंगा उर्वरक खरीद सकें। सरकार को पी एण्ड के उर्वरकों/मिश्रित उर्वरकों के लिए कच्ची सामग्रियों के आयात हेतु दीर्घावधि करार सुनिश्चित करने के लिए उर्वरक उद्योग की भी मदद करनी चाहिए।

(9) पी एण्ड के उर्वरकों पर रियायत के कारण पिछले काफी समय से लंबित धनराशियां सरकार द्वारा यथाशीघ्र निर्मुक्त की जाए।

(10) उर्वरक विभाग प्रमाणन, देय धनराशि के वितरण आदि की प्रक्रिया की समीक्षा करें ताकि एक कार्यक्षम प्रणाली का पता लगाया सके जो सभी राज्यों में समान रूप से लागू की जाएगी।

(11) पी एण्ड के उर्वरकों की बिक्री पर रियायत की घोषणा के मामले की जांच करने के लिए गठित विशेष समूह की सिफारिशों तथा सिफारिशों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई से भी समिति को अवगत कराया जाना चाहिए।

(12) समिति ने राज्य सरकारों से एस.एस.पी. के अधिकतम खुदरा मूल्य को वर्तमान स्तर पर बनाए रखने के लिए कहने के सरकार के कदम की सराहना की है क्योंकि इससे किसानों को सीधे अतिरिक्त रियायत प्राप्त होगी।

(13) समिति ने इच्छा व्यक्त की है कि उर्वरक विभाग पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से परामर्श करके अतिरिक्त गैस की उपलब्धता के महत्वपूर्ण विषय को तय करे ताकि आधुनिकीकरण के प्रस्तावों को शीघ्र अनुमोदित किया जाए।

(14) सरकार फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरकों के

उत्पादन के लिए विदेशों में संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाए।

समिति की समस्त सिफारिशों पर उर्वरक विभाग में विचार किया गया है तथा की गयी कार्रवाई के उत्तर लोकसभा सचिवालय को भी भेज दिए गए हैं।

सरकार द्वारा क्र.सं. 1,2,3,6,8,10,12 और 14 की सिफारिशों/टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया गया है।

डा. वाई.के. अलघ की अध्यक्षता में एन.पी.एस. के चरण-I और II की प्रभावकारिता की समीक्षा करने और एन.पी.एस. के चरण-III के लिए नीति बनाने के लिए गठित कार्यदल की रिपोर्ट पर दिनांक 1-4-2006 से प्रारम्भ होने वाले एन.पी.एस. के चरण-III हेतु नीति बनाने की दृष्टि से उर्वरक विभाग में जांच की गयी है। आर्थिक कार्यों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 27-07-2006 की अपनी बैठक में दिनांक "दिनांक 1-4-2006 से प्रारम्भ होने वाली नयी मूल्य निर्धारण योजना के चरण-III हेतु यूरिया इकाइयों के लिए नीति-निर्धारण" के बारे में उर्वरक विभाग के नोट पर विचार किया था, जिसमें समिति ने यह निदेश दिया कि प्रथमतः सचिवों की समिति द्वारा इस विषय की जांच की जाए। फिलहाल इसकी जांच सी.ओ.एस. द्वारा की जा रही है।

उर्वरक क्षेत्र को प्राकृतिक गैस और एल.एन.जी. की आपूर्ति सम्बन्धी विषयों की जांच करने तथा उर्वरक क्षेत्र उद्योग को स्वदेशी प्राकृतिक गैस का प्राथमिकता के तौर पर आबंटन सुनिश्चित करने और उर्वरक इकाइयों को एल.एन.जी. उपलब्धता कराने, उसका मूल्य-निर्धारण करने तथा सम्बद्ध कराधान विषयों के सम्बन्ध में एक ढांचा तैयार करने और जांच करने के लिए वित्त मंत्री की अध्यक्षता में गठित अन्तर मंत्रालय समूह (आई.एम.जी.) ने दिनांक 18-5-2006 को आयोजित अपनी बैठक में अपनी सिफारिशों को अन्तिम रूप दे दिया है। सचिवों की समिति ने भी दिनांक 16-5-2006 की अपनी बैठक में उर्वरक क्षेत्र के लिए प्राकृतिक गैस/एल.एन.जी. के मूल्य निर्धारण और उपलब्धता के विषय पर भी विचार विमर्श किया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल एवं गैस उपक्रमों को आई.एम.जी. की सिफारिशों पर आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सी.ओ.एस. की सिफारिशों पर भी आगे की कार्रवाई की जा रही है।

वर्ष 2005-06 की नियंत्रणमुक्त फोस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त (पी एण्ड के) उर्वरकों की बिक्री पर रियायत योजना को 27 अप्रैल, 2006 को सी.सी.ई.ए. के अनुमोदन से दिनांक 31-3-2007 तक एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। विशेषज्ञ समूह की अन्तरिम सिफारिशों को सम्मिलित करने के पश्चात् 2005-06 की रियायत योजना में मामूली संशोधन करके वर्ष 2006-07 के लिए बढ़ायी गई रियायत योजना को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। विशेषज्ञ समूह की अन्य सिफारिशें आगे की जांच और डब्ल्यू.टी.ओ. संगत नीति को अन्तिम रूप देने के लिए अन्तर-मंत्रालय समूह को प्रेषित की गयी है।

अपराह्न 12.17 बजे

(नौ) एड्स नियंत्रण कार्यक्रमों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को धनराशि दिए जाने के बारे में दिनांक 23 अगस्त, 2006 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3050 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

***स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी):** महोदय, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3050 के भाग (ग) और (घ) का 23 अगस्त, 2006 को दिए उत्तर, जिसमें 10.32 करोड़ रुपये के स्थान पर असावधानीपूर्वक 126.18 करोड़ रुपये दर्शाये गए हैं, का शुद्धि करने वाला विवरण प्रस्तुत करती हूं। भाग (ग) और (घ) के उत्तर का सही संस्करण यहां पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आप इसे सभापटल पर रख सकती हैं।

श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी: मैं इसे आपकी अनुमति से रख रही हूं।

(ग) क्या इन गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी एजेन्सियों द्वारा धनराशि प्रदान की जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) और (घ) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को 103.99 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। इन निधियों की विश्व बैंक, डी.एफ.आई.डी. और यू.एस.एड. से व्यवस्था की जाती है जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4906/2006

[श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी]

दाता एजेन्सी	राशि (करोड़ रु. में)
नाको (विश्व बैंक सहायता)	33.63
डी.एफ.आई.डी.	41.36
यू.एस.एड.	29.00
कुल	103.99

इसके अतिरिक्त नाको से उपलब्ध जानकारी के अनुसार दाता एजेन्सियों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को निम्नलिखित धन राशियां सीधे जारी की गई थीं।

दाता एजेन्सी	राशि (करोड़ रु. में)
बिल एण्ड मिलिन्डा गेट्स फाउंडेशन	180.01
डी.एफ.आई.डी.	10.32
यू.एस.ए.आई.डी.	13.95 (लगभग)
सी.डी.सी. अटलांटा	12.59 (लगभग)

वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान हिमाचल प्रदेश में गैर-सरकारी संगठनों को 111.55 लाख रुपये की राशि जारी की गई।

असुविधा के लिए खेद है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: अब कोई कार्य नहीं हो रहा है। किस मामले पर व्यवस्था का प्रश्न है? दो मदों के बीच में कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं प्रक्रिया नियमों के नियम 26 का उल्लेख कर रहा हूं। आप देखेंगे कि नियमों के प्रावधान के अनुसार, शुक्रवार को तरजीह देते हुए, गैर-सरकारी सदस्य कार्य दिवस के लिए ढाई घंटे दिए जाते हैं। अतः, इसे अगले सत्र के लिए स्थगित किया जाना न्यायोचित और उचित नहीं है। सरकारी कार्य तो बकाया कार्यों में रखा जा सकता है। इनके लिए आपातकालीन स्थिति में निपटने हेतु संवैधानिक प्रावधान है और वे इसे पूरा करते हैं। लेकिन, हम, इस सभा के असहाय सदस्य, केवल तभी इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जब सत्र चल रहा होता है। यदि सभा का सत्र न चल रहा हो, तो हम अधिकार खो बैठते हैं। हम इसका उपयोग केवल ढाई घंटे के दौरान ही कर सकते हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि सरकारी कार्य का निपटान तो बकाया कार्यों के तौर पर किया जा सकता है। गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को बकाया के तौर पर मत शामिल कीजिए। मुझे खेद है कि हम एक बहुत ही खराब मिसाल पेश करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आपने यह मुद्दा बहुत ही अनुचित अवसर पर उठाया है। लेकिन आप अध्यक्ष के रूप में अपने दिनों को भूल गए हैं। मेरे पास अधिकार है। मैंने ऐसा किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष के निर्णय पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगाया जा सकता। एक भी शब्द मत बोलिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आने से पहले, मैं आपके सहयोग के लिए आप सभी का अत्यधिक धन्यवाद करता हूं। मैं सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं को भी पूरा करना चाहता हूं। मुझे 66 सूचनाएं और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन आपके विनम्र सहयोग से एक विधेयक पुरःस्थापित किया जाना है। आइए हम उसे पुरःस्थापित करवा देते है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): **मैं इण्ट्रोडक्शन स्टेज पर बोल रहा हूं।**...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अच्छा बोलिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: रूल 72 (1) देखा जाये। ...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप सब बोलने तो दीजिए, यह क्या बात है। *[अनुवाद]* आपके कुछ भी बोलने से पहले उन्हें अभी बात शुरू करने दें। कृपया पहले उन्हें सभा की अनुमति प्राप्त करने दें।

अपराह्न 12.20 बजे

केन्द्रीय शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) विधेयक, 2006*

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): अध्यक्ष महोदय, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी, ने भारत के संविधान का पहला संशोधन पेश किया था। जिसमें समाज के कमजोर वर्गों को राहत देने के उद्देश्य से संविधान में अनुच्छेद 15(4) समाविष्ट किया गया। इस संशोधन को इस संसद द्वारा पारित संविधान के 93वें संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 15(5) के रूप में जोड़ा गया।

यह केवल समाज के शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के उत्थान के उद्देश्य के प्रति माननीय कांग्रेस अध्यक्षा और माननीय प्रधानमंत्री की सतत वचनबद्धता के कारण ही संभव हुआ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अनुमति मांगें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को विधेयक पुरःस्थापित करने के लिए पहले सभा की अनुमति मांगनी चाहिए। वह भाषण कैसे शुरू कर सकते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सही बोल रहे हैं। माननीय मंत्री जी भूमिका बांध रहे हैं। यह नियमों के अन्तर्गत निषिद्ध नहीं है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, वह पहले सभा की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। तत्पश्चात्, कुछेक माननीय सदस्यगण जिन्हें पुरःस्थापित किए जाने पर आपत्ति हो, इस संबंध में बोल सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हर किसी को इस विधेयक के महत्व का पता है। यह स्थायी समिति के समक्ष जाएगा। इस पर वहां गहन विचार-विमर्श होगा।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, मैं आधिकारिक तौर पर यह कहना चाहता हूं कि इस सभा में उपस्थित सभी दलों ने, सर्वानुमति से, 389-शून्य के वोट से इस संशोधन पर अपनी मुहर लगाई तथा इस विधान को बनने दिया। मेरी जानकारी के मुताबिक, विधान का यह अंश संविधान के इस प्रावधान के अंतर्गत संसद के सम्मुख पहली बार लाया गया।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, आप विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगें।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई: महोदय, वह विधेयक प्रस्तुत करने के पूर्व भाषण दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह एक समस्या है। मुझे इसे नियंत्रित करने दें। नियम में कोई मनाही नहीं है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, अभिसमय यह है कि वे विधेयक प्रस्तुत करने के लिए पहले सदन से अनुमति मांगें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि ऐसा कभी नहीं होता है।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, पूरे देश के पिछड़े वर्गों के लाखों लोग राज्य द्वारा अनुरक्षित उच्च शिक्षा की संस्थाओं में प्रवेश हेतु बराबरी का अवसर पाने की प्रतीक्षा में है। इस दिशा में, एक छोटा सा किन्तु वापस नहीं लिया जा सकने वाला कदम आज उठाया जा रहा है। यह इस संसद की बुद्धिमत्ता में है कि वह उनके सपनों को साकार तथा वास्तविकता प्रदान करे जिसे उन्होंने दशकों से पाला है।

इन शब्दों के साथ, मैं केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण प्रथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2 दिनांक 25-08-2006 में प्रकाशित।

[अध्यक्ष महोदय]

के नागरिकों के विद्यार्थियों के प्रवेश में आरक्षण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

मेरे पास तीन नोटिस हैं। हमारे स्पष्ट नियम के अंतर्गत, इस चरण में, किसी विधेयक को प्रस्तुत करते समय विरोध प्रकट करने का कारण बताना चाहिए। अब जहां तक श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव के नोटिस का संबंध है, उन्होंने केवल इतना कहा है कि विधेयक संविधान के विरुद्ध है। यह तर्कसंगत नहीं है। अतएव, मैं किस प्रकार अनुमति दे सकता हूं?

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अगर यह संविधान की मंशा के खिलाफ है तो यह सबसे बड़ा रीजन है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री राधाकृष्णन ने कारण बताया है, लेकिन वह गलत कारण है। योगी आदित्यनाथ ने कोई कारण नहीं बताया है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने इस पर एक आपत्ति दी है।

अध्यक्ष महोदय: आपत्ति का टाइम तो होना चाहिए। [*अनुवाद*] लेकिन उसके बावजूद, आपकी भावनाओं को देखते हुए, मैं आप सभी को एक-एक मिनट बोलने की अनुमति दूंगा।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: इन तीन सदस्यों को छोड़कर जिन्होंने नोटिस दी है किसी अन्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आपने अभी नोटिस नहीं दी है।

[हिन्दी]

श्री ए. नरेन्द्र (मेडक): पहले हमें बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आप किस बारे में कहना चाहते हैं?

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उसके लिए समय है। मैंने आपसे अनुरोध किया है। श्री यादव, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप केवल एक मिनट का समय ले सकते हैं। आपने आपत्ति का कोई कारण नहीं बताया है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, अगर आप अलाउ नहीं करेंगे, तो कैसे काम होगा? मुझे अपनी बात कहने के लिए एक मिनट का समय दीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसके अनुसार:

"विधेयक प्रस्तुत करने के विरोध की नोटिस महासचिव को आपत्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते विधेयक प्रस्तुत की अनुमति देने वाले दिन में 1000 बजे तक दी जाय ताकि उसे कार्यसूची में शामिल किया जा सके।"

यह नियमों में विशिष्ट रूप से शामिल किया गया था क्योंकि सभी साधारण नोटिस आपत्ति के आधार बिना बताए भेज दिए जाते थे।

[हिंदी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, यह 72 (1) के तहत है।

अध्यक्ष महोदय: हम यहां 72 (2) पढ़ रहे हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं आपके आदेश से अपने को करेक्ट करता हूं। आर्टिकल 15 (4) के तहत और 15 (5), जो पिछले सत्र में दोनों सदनों से पारित हो चुका है, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं और इसके पहले मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। मैं इसमें कुछ करेक्शन चाहता हूं। अभी जो बिल आया है, उसके संबंध में मैं एक बेसिक प्वाइंट उठाना चाहता हूं। हिंदी का वर्जन देखा जाए, मैं क्लाज 2 का जिक्र करना चाहता हूं। क्लाज 2 में a सैक्शन डेफिनिशन सैक्शन है। डेफिनिशन सैक्शन क्लाज के अनुसार एक्ट बनेगा, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? जिसमें क्रीमी लेयर है, जबकि इंग्लिश वर्जन में यह नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह स्थायी समिति के पास जाएगा।

[हिंदी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादवः यह क्या कन्फ्यूजन हो रहा है? हिंदी वर्जन में क्रीमी लेयर है। मेरे पास उसकी कापियां हैं और इंग्लिश में वह गायब है। यह क्या हो रहा है? इससे जब यह न्यायालय के पास जाएगा, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। जब इसका इंटरप्रिटेशन होगा, तो हिंदी का माना जाएगा या इंग्लिश का माना जाएगा?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आपका जो पसंद हो, आप वह ले लीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यदि ऐसा है, तो मा. मंत्री को इस पर ध्यान देना चाहिए, स्थायी समिति के माननीय सदस्य इस पर गौर करेंगे। हम लोग उतने शक्तिहीन नहीं हैं।

[हिंदी]

प्रो. राम गोपाल यादवः अध्यक्ष महोदय, इस क्रीमी लेयर को हटाएं या रखें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः अभी इसका टाइम नहीं है, उसे स्टैंडिंग कमेटी में तय करेंगे।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): यदि हिन्दी अनुवाद में कोई कमी है तो मैं माननीय मंत्री महोदय से बात करूंगा। इसका अंग्रेजी पाठ सही है।

[हिन्दी]

हां, ऐसा है। जो दूसरा आर्टिकल है, उसमें दो जगह क्लाज के बारे में कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मैं आपको खण्डों पर बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। मैं इस विधेयक का प्रबल समर्थक हूं लेकिन इसके साथ ही मैं यहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः फिर आप इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं?

श्री वरकला राधाकृष्णनः महोदय, मेरा विनम्र निवेदन यह है कि तिरानवें संविधान संशोधन के पारित होने के बाद देश में अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं के संबंध में एक नई स्थिति उत्पन्न हुई है और हमें इस संबंध में निर्णय करना है। इसके बिना इस अधिनियम को कठिनाई पेश आ सकती है। पिछड़ वर्गों के संबंधित समुदायों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के समुदाय के छात्रों के प्रवेश में कठिनाईयां पेश आ सकती है। जब तक हम अल्पसंख्यक संस्थाओं के बारे में परिभाषा स्पष्ट नहीं करते जिन्हें तीसवें संविधान संशोधन के अनुच्छेद 3 के अनुसार तिरानवें संविधान संशोधन के आधार पर छूट दी गई है, तब तक इस संबंध में संकट बना रहेगा।

अतः मैं माननीय मंत्री से अल्पसंख्यक संस्थाओं को परिभाषित करने के संबंध में कोई ठोस रुख अख्तियार करने का अनुरोध करता हूं। उन्हें केवल छूट देने से कुछ नहीं होगा। आपको इसे स्पष्ट करना होगा। महोदय, मेरे राज्य में 90 प्रतिशत शैक्षिक संस्थाओं का नियंत्रण इन तथाकथित अल्पसंख्यक संस्थाओं के पास है।

अध्यक्ष महोदयः मुझे लगता है कि वह आपके सुझावों से प्रभावित हुए होंगे।

श्री वरकला राधाकृष्णनः इसलिए मैं पुरजोर रूप से उनका समर्थन करता हूं। वे इस दिशा में अग्रसर हो सकते है और इस संबंध में एक स्पष्ट विधान ला सकते है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः योगी आदित्यनाथ, आप बोलिए। आपने भी कोई कारण नहीं दिया, सिर्फ स्पिरिट ऑफ दी कौन्सटीट्यूशन बोल दिया। यह क्या बात है।

योगी आदित्यनाथः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह उपबंध क्यों किया गया है? यह केवल विधायी सक्षमता को प्रदर्शित करने के लिए किया गया है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: मैं मंत्री जी के इस विधेयक को यहां प्रस्तुत करने का इसलिए विरोध करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी नीयत ठीक नहीं है। माननीय प्रधान मंत्री जी और मंत्री जी के बयान में स्वयं विरोधाभास है। देश के अंदर जो वर्तमान स्थिति है, यह विधेयक संविधान की मूल भावनाओं का शुद्ध रूप से अपमान करता है। अल्पसंख्यक और शैक्षणिक संस्थाओं को इस विधेयक से वंचित क्यों रखा गया है। आखिर जो संस्थाएं भारत सरकार से ऐड पाती होंगी, राज्य सरकारों से ऐड पाती हैं और भारत सरकार जो उन्हें सुविधाएं देती है, वह देश की जनता का पैसा होता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मेरिट्स ऑफ दी बिल के बारे में बोल रहे हैं। सॉरी।

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: आखिर उन संस्थाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा क्यों नहीं मिलेगी। यह व्यवस्था करें और अगर सरकार नहीं करती तो माना जाएगा कि सरकार संविधान की धारा 14, 15 और 16 का अपमान कर रही है, उसका उल्लंघन कर रही है और इस देश के अंदर अलगाववाद की स्थिति पैदा करके वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा कर रही है। इसलिए हम माननीय मंत्री जी के इस विधेयक को प्रस्तुत करने का विरोध करते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप संवैधानिकता के बारे में नहीं बोले।

श्रीमान मंत्री जी, आप अब आप कुछ कहना चाहते हैं।

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं अपने सहयोगी द्वारा हिंदी अनुवाद के बारे में व्यक्त चिंता का समाधान करना चाहता हूं। मेरा मंत्रालय हिंदी अनुवाद नहीं करता है यह कार्य विधायी विभाग का है। अगर कोई टाइपिंग में त्रुटि रह गई है, जो कि नहीं होनी चाहिए, तो यह स्थायी समिति में सुधारी जा सकती है। संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा के दौरान एक प्रस्ताव सभा में अल्पसंख्यक संस्थानों के संबंध में पेश किया गया था और उस प्रस्ताव को सभा ने अस्वीकृत कर दिया था।

योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए मुद्दे के संबंध में मैं उनको बताना चाहता हूं कि जब मूल संविधान (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की जा रही थी और प्रस्ताव को इस सभा में 214 मतों के मुकाबले 287 मतों से अस्वीकृत कर दिया गया था उस समय प्रस्ताव के माध्यम अल्पसंख्यकों को सम्मिलित किए जाने संबंधी मुद्दा उठाया गया था।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित, अनुरक्षित या सहायता प्राप्त कतिपय केन्द्रीय शैक्षणिक संस्थाओं में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों के विद्यार्थियों के प्रवेश मे आरक्षण तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब मंत्री महोदय विधेयक प्रस्तुत करेंगे।

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, मैं विधेयक प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.32 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना

(एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों में हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक और निरादरपूर्ण भाषा के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में अपना वक्तव्य दें।

"इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के एम.ए. पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों में हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक और निरादरपूर्ण भाषा के उपयोग और सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में"।

[हिन्दी]

***मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह):** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं माननीय सदस्य की उन भावनाओं से अपने को जोड़ता हूं जिनमें उन्होंने विवादित अंशों के बारे में आहत होने का जिक्र किया है। मैं भी उतना ही आहत हूं। मैं केवल तथ्यात्मक बात आपके सामने रखना चाहता हूं। विवादित पुस्तक अंग्रेजी में वर्ष 2003 में प्रकाशित की गई और उसका हिन्दी अनुवाद वर्ष 2004 में हुआ।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शान्त रहिए। ऐसे में सभा की कार्यवाही कैसे चल पाएगी? कृपया शांत रहिए। कृपया शांतिपूर्वक परिगमन करें।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: सबसे पहले अप्रैल, 2006 में एक विद्यार्थी द्वारा आपत्तिजनक अंश की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। उसके बाद यह सामग्री विश्वविद्यालय कोर्स के लिए निरस्त की गई। हमें जो दस्तावेज उपलब्ध करवाए गए हैं, उनसे यह स्पष्ट नहीं होता कि विश्वविद्यालय में पुस्तकों के लिखवाने और उनके पास की स्वीकृति देने की निर्धारित प्रक्रिया क्या है और किस प्रक्रिया के अनुसार इस किताब को मंजूरी दी गई। ऐसी स्थिति में मैं विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को ध्यान में रखते हुए यही उपयुक्त समझता हूं कि हम विश्वविद्यालय के विजिटर आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी से अनुरोध करें कि वे इस संबंध में जांच के लिए अनुमति दें। जिससे न केवल यह तथ्य सामने आया कि ऐसी पुस्तक में आपत्तिजनक हिस्से कैसे शुमार हुए और उसके लिए कौन व्यक्ति जिम्मेदार है? इस जांच द्वारा उपलब्ध तथ्यों के प्रकाश में ऐसी प्रक्रिया भी निर्धारित की जा सकेगी जिससे भविष्य में इस तरह की गंभीर त्रुटि न हो।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो लिखित वक्तव्य दिया और अभी जो वक्तव्य पढ़ा है, उसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि वे भावनाओं से सहमत हैं। इस पुस्तक की 15 हजार कापियां देश-विदेश आदि सब जगह जा चुकी हैं इसलिए उनको तुरंत रीकॉल करना चाहिए। इस पुस्तक के कुछ अंशों को मैं आपके सामने पढ़कर बताना चाहता हूं। जिन लोगों ने इस पुस्तक को लिखा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी, उनके लेखकों के विरुद्ध कोई कानूनी कार्रवाई की गयी या उनको कोई सजा दी गयी? आप उन शब्दों को देखें जिनका उल्लेख इस पुस्तक के अंदर किया गया है। इस पुस्तक में सबसे पहले शिवजी के बारे में यह लिखा है कि शिवजी औघड़ तपस्वी थे। उनके बदन पर राख मली होती थी। वह नग्न रहने वाला साधु पुरुष था जो तपस्वियों और देवताओं की पत्नियों का शील भंग करता था।...*(व्यवधान)* सोमनाथ जी, आपका नाम भगवान शिव के नाम पर है। आप अपना नाम ऐसा नहीं रखेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप शिवजी की भक्ति करते हैं लेकिन हम नहीं करते।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप ऐसा नाम नहीं रखना चाहेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री जी ने इसे गलत मान लिया है। यह स्वीकार कर लिया गया है। कोई भी समर्थन नहीं कर सकता।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, देवी महात्मय दुर्गा को महिषासुर के साथ लड़ते हुए दिखाया गया है। उन्हें इस संघर्ष के दौरान शराब पीते हुए दिखाया गया है। उन्हें शराब पसंद है। वे अट्टहास करती हैं और नशे में उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। वह भी गैर सनातनी देवी का चित्र है।

अध्यक्ष महोदय, हम सब दुर्गा पूजा करते हैं। सब लोग माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाते हैं। परन्तु दुर्गा शराब पीती हैं, अट्टहास करती हैं, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं।...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): यह किताब किस लेखक ने लिखी है?...*(व्यवधान)*

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4908/2006

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मंत्री महोदय ने कहा है कि मैं जांच करूंगा। जिन्होंने यह किताब लिखी है, उनको प्रमोशन दे दिया गया है। मंत्री महोदय, इनका प्रमोशन तो आपके यहां से ही हुआ होगा। पुस्तक में सुश्री नैना दयाल का नाम है। वे रिसर्च स्कॉलर थीं। प्रो. एस. बासु जो इस पुस्तक की संरचना और विषय का सम्पादन कर रहे हैं। उनको प्रमोट करके मंत्रालय में जगह दी गयी है।...*(व्यवधान)* इस पुस्तक में लिखा है कि वह गैर सनातनी देवी का चित्र है। ये गैर सनातनी देवी नहीं हैं। इसके अलावा दुर्गा के कुछ नकारात्मक गुण और शक्तियां भी हैं जैसे निद्रा और माया की देवी है। दुर्गा के शत्रु पुरुष उन पर आसक्त रहते थे।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कहा जा रहा है कि यह गलत है। माननीय मंत्री महोदय पहले ही इसे स्वीकार कर चुके हैं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैंने आपसे कहा। इस तरह भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा आपने यह सही कहा था और सरकार ने यह स्वीकार कर लिया है कि यह गलत है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं यही कहना चाहता हूं। भगवान कृष्ण के बारे में कहा गया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गोयल यह संयम से बाहर है। आप मेरे संयम की परीक्षा ले रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस बात का उल्लेख बार-बार किया जा रहा है कि यह किताब कब आई? यह किताब पहली बार...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सरकार पहले ही यह कह चुकी है। माननीय मंत्री महोदय पहले ही यह कह चुके हैं। मुझे लगता है कि आपने उनकी बात नहीं सुनी है। कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता और सरकार ने भी इस बात को स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह किताब फर्स्ट टाइम वर्ष 2004-05, जुलाई में लगायी गयी। वर्ष 2005-06 में इसका इंगलिश ट्रांसलेशन हुआ।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोगों को क्या हो रहा है, यह हम नहीं जानते?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आपस में बात मत कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह नयी बनी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। अब आपको मेरी सहायता करने की आवश्यकता नहीं है। जब मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं आपको बता दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों से सहयोग करने का आग्रह कर रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने यह मुद्दा सही उठाया है। मैं इसकी अनुमति दे चुका हूं।

आज भी बहुत से मामले हैं। आपने इसे उठाया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं केवल दो-तीन मिनट और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग कीजिए। मैं सभी से

सहयोग करने का आग्रह कर रहा हूं। आज इस सत्र का अंतिम दिन है। मैं कार्य को पूरा करना चाहता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, इसमें भगवान श्रीकृष्ण के बारे में घोर अश्लील बातें कही गयी हैं।* हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी का नाम भी भगवान श्रीकृष्ण के नाम पर आधारित है। इस प्रकार की सारी बातें इसमें शैवों और वैष्णवों के बारे में लिखी गयी हैं। मंत्री जी, आपने कहा कि इस पुस्तक को विदड्रॉ करके जांच कराएंगे, लेकिन जिन लोगों ने यह पुस्तक लिखी, उन लोगों को प्रमोशन क्यों दिया गया? उनको पूरा का पूरा लाकर अपने मंत्रालय का पूरा भार आपने उनके हाथों में क्यों दे दिया? उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए।

महोदय, मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो पुस्तकें आपने विदड्रॉ नहीं की हैं, जो पुस्तकें अभी भी 12वीं कक्षा में पढ़ाई जा रही हैं, उनमें भी इसी तरह की बातें हैं। इसी तरह जाटों के बारे में लिखा गया है: *[अनुवाद]* "जमीदारों के नेतृत्व वाला जाट विद्रोह शीघ्र ही लूटपाट बन गया। उन्होंने लूटपाट की...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें नहीं रोक रहा हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह पढ़ाया जा रहा है। इसे वापस नहीं लिया गया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। वह बोल रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह पुस्तक आज भी पढ़ाई जा रही है। यह वापस नहीं ली गई है। "उन्होंने सभी को लूटा, धनी और निर्धन, जागीरदार और किसान, हिन्दू और मुसलमान। उन्होंने...में सक्रिय भाग लिया।" देशभर में सभी राज्यों में यह आज भी पढ़ाया जा रहा है।" जो पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। हम सभी को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस बारे में क्या? लोग इस विषय पर 15 मिनट बोले है।...*(व्यवधान)* ये पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इनमें से किसी बात का समर्थन नहीं

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

कर रहा हूं। ऐसा मत कहिए। मैं इन बातों का समर्थन नहीं कर रहा हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसे वापस नहीं लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, वह इसका उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इसमें आगे लिखा है: * क्या वे सभी आतंकवादी नेता थे? उन लोगों के बारे में कहा गया है कि वे टेररिस्ट थे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: * और आज भी यह पढ़ाया जा रहा है। यह पुस्तक में है। मेरे पास यह किताब है।...क्या वे आतंकवादी थे?...आप क्या पढ़ा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। जिस उद्देश्य से मैंने इस प्रस्ताव की अनुमति दी थी, वह पूरा नहीं हो रहा है। इसका उद्देश्य यह स्पष्ट करना था कि सरकार ने एक स्पष्ट वक्तव्य दिया है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यह वह पुस्तक नहीं है। यह दूसरी पुस्तक है।

अध्यक्ष महोदय: आप उस पुस्तक को बीच में क्यों ला रहे हो? कृपया ऐसा मत कीजिए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह आज भी पढ़ाई जा रही है। यह वापस नहीं ली गई है। *[अनुवाद]* यह वह किताब नहीं है जिसे विदड्रॉ करने की बात कही गयी है। यह किताब आज भी पढ़ाई जा रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तान्त में और कुछ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)***

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। ऐसा लगता है कि आप सभा चलाए जाने के प्रति गंभीर नहीं हैं। तत्पश्चात् मुझे सभा को स्थगित करने दीजिए। मैं इसे और नहीं चला सकता।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस सभा में क्या हो रहा है?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं, अब चिल्लाने से क्या होगा?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह यहां लिखा है।* *[हिन्दी]* और मंत्री जी ने उन पुस्तकों को वापस नहीं लिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, इसे छोड़िए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इस प्रकार की पुस्तकें आज भी पढ़ाई जा रही हैं और उनको आज भी विदड्रॉ नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया तुलना न करें। ऐसा न करे। कृपया कोई आरोप न लगाए।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। *[हिन्दी]* महोदय, तीसरी, चौथी और पांचवीं कक्षाओं में भी ऐसी पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): मैं प्रो. मल्होत्रा द्वारा निर्दिष्ट एक मुद्दे को स्पष्ट करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या है?

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अगर आप हमें बोलने नहीं देंगे तो हम आपको कैसे बोलने देंगे? रामायण और महाभारत के बारे में इस किताब में लिखा गया है कि...*(व्यवधान)* *[अनुवाद]* पाठ्य पुस्तक को हटाया क्यों नहीं गया?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब इस मामले को और जटिल न बनाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसकी अनुमति दी क्योंकि आपने ऐसा महसूस किया। मैं सरकार का दृष्टिकोण जानना चाहता हूं। सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है। इसे हटा दिया गया है। इसे रोक दिया गया है। फिर भी यह सब चल रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: ये किताबें वापस नहीं हुई हैं, अब भी पढ़ाई जा रही हैं। अर्जुन सिंह जी ने इन्हें विदड्रा नहीं किया है। उस पुस्तक में यह भी कहा है कि महाभारत काल्पनिक है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। इस अवसर का दुरुपयोग किया जा रहा है। श्री संतोष गंगवार क्या आप बोलेंगे?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: जी, नहीं महोदय। इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है। यह महत्वपूर्ण मामला है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभा के नेता कुछ कहना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें आमन्त्रित किया है।

श्री प्रणब मुखर्जी: प्रो. मल्होत्रा, क्या आप मुझे एक सैकेण्ड का समय देंगे? मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

यह हमारी श्रद्धा है और महिषासुर को मारने से पहले देवी दुर्गा ने सप्तसती के अध्याय 3 में कहा है:

गर्ज गर्ज क्षणं मूढ मधु यावत्पिबाम्यहम्।

मया त्वयि हतेअत्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता:।।

इसका अर्थ है ओ मूढ, जब तक मैं मधु पीती हूं तब तक क्षण भर के लिए तू गर्ज ले। मेरे हाथ से मारे जाने पर अब शीघ्र देवता गर्जना करेंगे...*(व्यवधान)* इसकी विभिन्न व्याख्याएं हैं, कई टीकाऐं और छन्द हैं...*(व्यवधान)* देवी दुर्गा ने यह कहा है। आप ग्रन्थों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो, आप सप्तसती में बदलाव नहीं कर सकते हो। यह प्रामाणिक ग्रन्थ है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: प्रत्येक हिन्दू इसे पढ़ता है। यह धार्मिक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है यह सही तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या करने का प्रयास कर रहे हो? मैं नहीं जानता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक भी शब्द कार्यवृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या करोगे? आप पूरा नहीं कर रहे हो। आपने दस मिनट से ज्यादा का समय ले लिया है। मैं और अधिक समय नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इस अवसर का दुरुपयोग कर रहे हो।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: सब कुछ हटा दिया जायेगा। आप इसे मेरे पास लाइये। मैं सब कुछ हटा दूंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया एक बार बैठ जाइए। श्री हरिन पाठक, यहां क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया बैठ जाइये। यह सही नहीं है। आप पुनः आ गए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.48 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 1.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 1.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, मैं आपसे कह रहा था कि माननीय मंत्री महोदय ने इग्नू में जो पुस्तक लगाई थी, उसके बारे में कहा कि उसको विदड्रा कर लिया गया है। परन्तु उसी तरह की बातें जिन पुस्तकों में लिखी हैं, हम चाहेंगे कि वे उनको भी विदड्रा करें। ऐसी जो नयी किताबें लगी हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप किताबों के नाम दे दें।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: ऐसी जो किताबें लगी हैं उनमें जातिवाचक शब्दों का प्रयोग है जोकि अपराध है। अगर उन शब्दों का बाहर कोई प्रयोग कर ले तो उसे 6 महीने से लेकर 6 साल तक की सजा का प्रावधान है। उन जाति-सूचक शब्दों को मैं यहां कहना नहीं चाहता हूं। ऐसे जाति-सूचक

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

शब्दों का अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए प्रयोग अपराध है, तब उन्हें हम अपनी पाठ्य-पुस्तकों में क्यों पढ़ा रहे हैं? वे पाठ्य-पुस्तकें अभी लगी हैं। ऐसे अंशों को उन पुस्तकों में से निकालना चाहिए। उन पुस्तकों के अंदर बहुत सी गलत बातें कही गयी हैं। दूसरे हाउस में जब इस विषय में बात आई थी तो सभी दलों के सदस्यों ने इसका विरोध किया था। उनका विरोध आउट ऑफ कंटैक्स्ट नहीं है। इसलिए ऐसे अंशों को विदड्रा करना चाहिए। पुस्तकें ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों को पढ़ाई जा सकें। पुस्तकों को जातिवाचक शब्दों या अन्य चीजों के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, जो बच्चों को गलत प्रभाव डालें।

दूसरा, ऐसे कुछ इतिहासकार हैं जो परवर्ट माइंड के हैं जिन्होंने कहा है कि रामायण और महाभारत कभी नहीं हुई - ऐसी सब बातें कही गयी हैं, उनको भी कृपया मोडीफाई करें या उनको पुस्तकों में से निकाल दें। जो गलत बातें, जाटों के बारे में, सिखों के बारे में और आर्य समाज के बारे में कही गयी हैं उनको भी निकाल दें।

कुमारी ममता बैनर्जी: सर, खुदीराम बोस को टैरेरिस्ट बोला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह सब्जैक्ट मैटर में नहीं है। उससे रैस्पैक्टेड कोई है क्या? उसकी हम दिल से पूजा करते हैं। कोई ऐसी बात कह देगा तो क्या खुदीराम बोस बर्बाद हो जाएगा। उन लोगों को छोटा मत कीजिए। वे बहुत बड़े हैं। उनकी वजह से हम यहां बैठे हैं।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय बुरे पाठ छात्रों के समक्ष नहीं आने चाहिएं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): अध्यक्ष जी, प्रश्न केवल इग्नू की पुस्तक का नहीं है। मेरा आग्रह है कि अगर समाज में हम ऐसी पुस्तकें पढ़ाते हैं जिनका समाज पर बुरा असर पड़ता है तो मानव संसाधन मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि ऐसी पुस्तकों की समीक्षा करे और दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। मैं दो-तीन बातें बताना चाहता हूं। जैसा माननीय मल्होत्रा जी कह रहे थे कि कुछ लोगों ने लिखा*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया किसी बात का संदर्भ न दें। मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होने दूंगा।

[हिन्दी]

आप किताब का नाम दे दीजिए, किताब के पन्ने का नम्बर दे दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: ...*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां दुनिया की सारी किताबों पर चर्चा नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: ऐसी बातें हम लोगों को बहुत प्रताड़ित करती हैं। ऐसी कुछ बातें हैं जो हम लोगों की भावनाओं पर चोट करती हैं। आपने इग्नू के संबंध में कहा। आपसे आग्रह है कि चाहे एन.सी.आर.टी. या और दूसरी जो भी ऐसी किताबें पढ़ाई जाती हैं उनके लिए एक समिति बनाए जो सारी किताबों की समीक्षा करे। ऐसी मानसिकता के लोग भी हैं जो हमारी बातों को बहुत गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: दुर्भाग्यवश आपका नाम नहीं लिया गया। अतः आपका एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा। आप क्यों बोल रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार: जो लोग ऐसी किताबों के लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके मोशन को भी अलाओ करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: महोदय, जो व्यक्ति जिम्मेदार है, उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्रीमती नीता पटैरिया (सिवनी): अध्यक्ष महोदय, आज यहां सदस्यों को बोलने से आप मत रोकिए। यह आस्था पर प्रहार है। हिन्दू धर्म का अपमान है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान है, जिसकी पूरी देश निंदा करता है। लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं और आस्था पर चोट पहुंची है। औरंगजेब ने तो केवल प्रतिमाओं को ही खंडित किया था*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्षमा करें परन्तु इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)***

अध्यक्ष महोदय: यह बड़े दुख की बात है।

(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सब कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। यह सब बेमतलब है...*(व्यवधान)* क्या यह सभा में कहने के लिए उचित बात है? इसकी अनुमति नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसका विरोध कर रहा हूं। इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: न केवल इसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाएगा बल्कि मैं इसके प्रति अपना निरनुमोदन व्यक्त करता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक जिम्मेदार सांसद हैं। यह सही तरीका नहीं है। यह ध्यानाकर्षण पेश करने के दायरे से बाहर है। कृपया बैठ जाएं

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही इस मुद्दे पर अपनी टिप्पणी दे दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह काफी शर्मनाक है। मैंने इसे निकाल दिया है तथा मैंने इसकी निन्दा भी की है। मैं और क्या कर सकता हूं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमने उन्हें कहा है। हम अपोज कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, यू.पी.ए. सरकार हिंदू धर्म का अपमान कर रही है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती नीता पटैरिया आप आगे बोलना चाहती हैं या नहीं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गोयल जी कृपया बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती नीता पटैरिया: माननीय अध्यक्ष जी, हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं, हिंदू सभ्यता, संस्कृति के विरुद्ध हैं और इतिहास को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। हिंदुस्तान के सुंदर इतिहास को विकृत कर रहे हैं।...*(व्यवधान)* यह लोगों की आस्था पर प्रहार है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसके बाद योगी आदित्यनाथ बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नियमों के अंतर्गत आप केवल एक प्रश्न पूछ सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुंशी जी, आप इन्हें कंट्रोल कीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें। केवल योगी आदित्यनाथ जी की बात सम्मिलित की जानी चाहिए।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब मैं आपका नाम लूंगा। अभी मैं आपका नाम लूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको दिए गए अवसर का आप दुरुपयोग कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, इस सभा की एक महिला सदस्य द्वारा गैर जिम्मेदाराना रूप से सभा में बोली गई इन बातों की मैं कड़ी निन्दा करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: यह परम्परा और संस्कृति के विरुद्ध है...*(व्यवधान)* मैं इसकी कड़ी निन्दा करता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी मैं इस ध्यानाकर्षण को स्थगित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह ऐसा नहीं कर सकती। वह केवल एक प्रश्न पूछ सकती हैं।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मुझे क्षमा कीजिए पर मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं यह भाजपा के अध्यक्ष से पूछना चाहूंगा। क्या यह उचित बात है जो इन्होंने उठाई है कि ये लोग हिन्दू नहीं हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती नीता पटैरिया क्या आप अपने स्थान पर जायेंगी? कृपया अपने स्थान पर जायें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय हर बात की कोई हद होती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

अपराह्न 1.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना - *जारी*

(एक) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की पाठ्य पुस्तकों में हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में अपमानजनक और निरादरपूर्ण भाषा के प्रयोग से उत्पन्न स्थिति, और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों मैं आपसे नियमों का

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पालन करने का पुनः अनुरोध करूंगा। मैं सभी को अनुमति देने का प्रयास कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं केवल एक स्पष्टीकरण प्रश्न पूछा जा सकता है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मेहरबानी करके आप चुप रहिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः यह सत्र का आखिरी दिन है। कृपया नियमानुसार केवल एक प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः योगी जी, केवल एक क्वैश्चन पूछिए।

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष जी, इन्दिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के एम.ए. के इतिहास के पाठ्यक्रम में जो बातें पढ़ायी जा रही हैं, उनसे संबंधित माननीय मंत्री जी ने अपना वक्तव्य यहां दिया है। माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि जुलाई 2004 में उनका प्रकाशन हुआ और उसके उपरान्त एम.ए. इतिहास के पाठ्यक्रम में उन्हें शामिल करके लागू किया गया था।

महोदय, एन.सी.ई.आर.टी. या इग्नू में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, वह भारतीय परम्परा और संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है।

अध्यक्ष महोदयः आप क्या पूछना चाहते हैं?

योगी आदित्यनाथः भगवतगीता में कहा गया है कि "श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम्" किस प्रकार की श्रद्धा भारत की परम्परा और संस्कृति के प्रति व्यक्त करना चाहते हैं। आज जो बातें यहां पर सदन के नेता माननीय प्रणव मुखर्जी जी ने कहीं हैं वे बड़ी आपत्तिजनक हैं।

अध्यक्ष महोदयः वह बात अभी नहीं है। आप उसे छोड़िए।

योगी आदित्यनाथः वे आपत्तिजनक हैं और इसलिए हैं कि उन्होंने जिन बातों का उद्धरण दिया है, अगर हम इस बात को कहते हैं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः खेद है, मैंने श्री गणेश सिंह का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आप प्रश्न पूछिए।

योगी आदित्यनाथः मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदयः आप प्रश्न पर आइए।

योगी आदित्यनाथः जिस प्रकार आपत्तिजनक बातें कही गई हैं, उनको एक्सपंज करना चाहिए। अगर हम कहते हैं कि हमारी सेना किसी दुश्मन सेना की खून की प्यासी है तो क्या उसका मतलब यह हो जाएगा...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः आपकी बात रिकॉर्ड में नहीं आ रही है।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः इस बारे में कॉलिंग अटेंशन नहीं है। श्री गणेश सिंह, आप प्रश्न पूछिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः मैं आपकी बहुत कद्र करता हूं और आदर भी करता हूं। *[अनुवाद]* ऐसा लगता है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथः उन पंक्तियों को हटाने के लिए क्या प्रयास हुआ है? जो दोषी हैं, जिन के द्वारा हिन्दू धर्म और संस्कृति पर इस प्रकार कीचड़ उछालने का प्रयास हुआ है क्या सरकार उनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करके कार्रवाई करेगी?

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: गणेश सिंह जी, केवल एक प्रश्न पूछिए।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता था कि पिछले कुछ दिनों से देश भर में लगातार शिक्षा जगत में देश के गौरवशाली इतिहास तथा विभिन्न धर्मों की आस्था के प्रतीक और स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़े महापुरुषों के खिलाफ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह इग्नू में नहीं है। आपका कॉलिंग अटैंशन डेयटिज पर है।

श्री गणेश सिंह: मैं एक आम बात कह रहा हूं और उससे जुड़ा प्रश्न है। आपत्तिजनक उद्धरण पाठ्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यह निश्चित तौर पर देश की युवा पीढ़ी को गुमराह करने की साजिश हो रही है। मैं जानना चाहता हूं कि यह इतना गंभीर विषय है, क्या इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी? मैं बताना चाहता हूं कि 19 जुलाई को माननीय मंत्री जी का एक बयान अखबार में छपा था कि इन उद्धरणों को हम हटायेंगे। 20 जुलाई को विश्वविद्यालय के कुलपति ने सात सदस्यीय एक समिति बनाई और उन्होंने कहा कि हम इसकी समीक्षा करेंगे। मैं कुछ उद्धरण यहां बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: और नहीं *[हिन्दी]* हम आपको बोलने का मौका देते हैं।

श्री गणेश सिंह: मैं सिर्फ पृष्ठों के नम्बर बता रहा हूं और अन्य कुछ नहीं बता रहा हूं। मैं चाहता हूं कि इसकी जांच हो। खंड-1 में जो किताब है, उसमें पृष्ठ संख्या 3,14,15, 22,23,30,35,38 और 45 तथा खंड-दो में पृष्ठ संख्या 23 और 25, खंड-3 में 3,6,16,17,28,29,32,34 और 38 हैं।

अध्यक्ष महोदय: लगता है आपने बहुत ध्यान से पढ़ा है।

श्री गणेश सिंह: खंड-चार में 8 से 11, तथा 15 से 17 हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप लिखकर भेज दीजिए, मिनिस्टर साहब ने बोला है, वह देखेंगे।

श्री गणेश सिंह: खंड-पांच में 3,5 से लेकर 12,14 और 19 हैं।

मैं मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि इन सभी पृष्ठों में इतने आपत्तिजनक शब्दों का उपयोग हुआ है कि किसी भी धर्म के मानने वालों को इन्हें किसी भी तरह से स्वीकार करना संभव नहीं हो सकेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: और कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: मैं एक उदाहरण और देना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माफ कीजिए। अवसर का दुरुपयोग मत कीजिए। मेरा आपमें पूर्ण विश्वास है। कृपया मेरा विश्वास बनाए रखिए। *[हिन्दी]* हम आपसे विनती करते है कि आप बैठ जाइए। आप सब जानते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: छोड़िये, आप लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, आप हाउस को भी गुमराह मत कीजिए।

श्री अर्जुन सिंह: सर, कालिंग अटैन्शन नोटिस के बारे में मुझे जो कहना था, मैंने पूर्व में ही कह दिया है। उसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मैं एक वक्तव्य आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखना चाहता हूं, उसे आप स्वीकार कर लें। उसमें विस्तार से मैंने ये सब बातें कही हैं। मैं सदन का अधिक समय लेने की आवश्यकता नहीं समझता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप जिस्ट बोल दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सुनिये, आप क्या बात कर रहे हैं। आप सदन का टाइम भी बर्बाद करते हैं और सुनते भी नहीं हैं।

श्री अर्जुन सिंह: मैं समय बर्बाद नहीं कर रहा हूं। मल्होत्रा साहब से मेरा पुराना परिचय है।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): मुझे मालूम है...*(व्यवधान)*

श्री अर्जुन सिंह: महोदय, जहां तक अन्य पुस्तकों के बारे में कहा गया है, कल इसी विषय पर राज्य सभा में चर्चा हुई

थी और मैंने वहां यह कहा है कि सबके बारे में हम समीक्षा करेंगे। वही बात हम यहां कह रहे हैं। बार-बार उस हाउस की बात को इन्होंने यहां संदर्भ से बाहर लाकर पढ़ना शुरू कर दिया, अब मैं उसका क्या उत्तर दूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इन सारी पुस्तकों की समीक्षा होगी, जितनी पुस्तकें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बोल दिया है कि कार्रवाई करेंगे और ऑलरेडी कार्रवाई की भी है और आगे करने वाले हैं।

योगी आदित्यनाथ: सर, इन पुस्तकों के उद्धरणों को हटा दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 2.08 बजे

(दो) पश्चिम बंगाल में स्वर्णरेखा परियोजना को कार्यान्वित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): मैं जल संसाधन मंत्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:-

"पश्चिम बंगाल में स्वर्ण रेखा परियोजना को कार्यान्वित न किए जाने से उत्पन्न स्थिति तथा सरकार द्वारा इस संबंध में उठाए गए कदम।"

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, सुबर्णरेखा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के राज्यों के बीच बहने वाली एक अंतर्राज्यीय नदी है। अविभाजित बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों के बीच नई दिल्ली में अगस्त, 1978 में एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया। इस समझौते के अधीन सुबर्णरेखा की कोकपाड़ा में आंकी गई 5.55 बी.सी.एम. की 75 प्रतिशत विश्वसनीय वार्षिक जल उपलब्धि तीन सह-बेसिन राज्यों झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के बीच क्रमशः 71%, 27% तथा 2% के अनुपात में बांटी जाएगी।

*त्रिपक्षीय समझौते के बाद तीनों सह-बेसिन राज्यों में से प्रत्येक ने सुबर्णरेखा नदी बेसिन के जल संसाधनों को उपयोग में लाने के लिए अपने-अपने कार्यक्रम तैयार किए हैं।

सुबर्णरेखा बैराज परियोजना (पश्चिम बंगाल) में सुबर्णरेखा नदी पर चांडिल बांध के अनुप्रवाह पर एक बैराज का और भोसराघाट के निकट गलुडीह बैराज का निर्माण किया जाना है जिससे कि योजना आयोग द्वारा 1995 में यथा अनुमोदित 96,860 हेक्टेयर के कृष्य कमान क्षेत्र को शामिल करने वाली एक बांया तट नहर और उसकी वितरण प्रणाली के जरिए पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में प्रतिवर्ष 1,14,198 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित किया जा सके। यह परियोजना 215.61 करोड़ रुपये (1987 का मूल्य स्तर) की अनुमानित लागत पर वर्ष 1995-96 में निर्माण के लिए प्रारंभ की गई।

इस परियोजना की नवीनतम अनुमानित लागत 595.34 करोड़ रुपये (1996 का मूल्य स्तर) है। यदि परियोजना की लागत को आज के मूल्य स्तर के अनुरूप अद्यतन बनाया जाए तो यह लगभग 1350 करोड़ रुपये बैठेगी। मार्च, 2006 के अंत तक किया गया वास्तविक व्यय 41.44 करोड़ रुपये है। दसवीं योजना का परिव्यय और 2006-07 के लिए प्रस्तावित परिव्यय क्रमशः 30.198 करोड़ रुपये तथा 2.358 करोड़ रुपये है। जहां तक वास्तविक स्थिति का प्रश्न है असली परियोजना कार्य अभी तक शुरू नहीं किए जा सके हैं और केवल अवसंरचनात्मक संबंधी कार्य किए जा रहे हैं। अभी तक किसी क्षमता का निर्माण नहीं किया जा सका है।

यह परियोजना 2001-02 के दौरान ए.आई.बी.पी. के अधीन शामिल की गई थी और मार्च, 2003 तक इस परियोजना के लिए 13.288 करोड़ रुपये (2001-02 के दौरान 2.050 करोड़ रुपये तथा 2002-03 के दौरान 11.233 करोड़ रुपये) की केन्द्रीय ऋण सहायता (सी.एल.ए.) प्रदान की गई थी। 2003-04 के दौरान कोई सी.एल.ए. प्रदान नहीं की गई। क्योंकि इन परियोजना कार्यों के संबंध में वांछित प्रगति प्राप्त नहीं की जा सकी थी इसलिए राज्य सरकार ने अगस्त, 2004 में इस परियोजना को ए.आई.बी.पी. से हटाने और 10.25 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि को तीस्ता बैराज परियोजना के निमित्त अंतरित करने का प्रस्ताव किया है। जल संसाधन मंत्रालय ने नवम्बर, 2004 में यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

पश्चिम बंगाल सरकार ने सुबर्णरेखा परियोजना को भारत निर्माण के अपने कार्यक्रम के अधीन शामिल कर लिया है। भारत सरकार, राज्य सरकार से इस प्रयोजन के लिए राज्य द्वारा बराबर का बजट प्रावधान किए जाने के संकेत सहित अपेक्षित प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद ए.आई.बी.पी. के अधीन परियोजना को सहायता प्रदान करने पर विचार कर सकती है।"

---

*...*भाषण का यह भाग सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 4909/2006

श्री अधीर चौधरी: पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बार हमारे देश में सिंचाई परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में चित्रित किया था। जैसा कि हम जानते हैं सिंचाई कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत एक ऐसा देश है जहां 67 प्रतिशत जनसंख्या अभी भी कृषि से अपनी आजीविका चला रही है। यह बात भली-भांति ज्ञात है कि सिंचाई सुविधा युक्त क्षेत्रों में कृषि उत्पादन वर्षा सिंचित क्षेत्रों के कृषि उत्पादन से हमेशा अधिक रहता है। तथापि, निवल बोआई क्षेत्र के केवल 40 प्रतिशत भाग में ही अभी सिंचाई हो रही है।

इस परिप्रेक्ष्य में, मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सुबर्णरेखा परियोजना एक बहुउद्देश्यीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना थी जिसमें तीन राज्य - पूर्व में बिहार तथा अब झारखंड तथा पश्चिम बंगाल - ने सुबर्णरेखा बेसिन में उपलब्ध जल संसाधनों का दोहन करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया था। जहां तक सुबर्णरेखा बेसिन का संबंध है, सुबर्णरेखा बेसिन में दोहन के लिए अनुमानित पुनः आ जाने वाला उपलब्ध भूजल संसाधन 1.82 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष है; इस बेसिन में अनुमानित सिंचाई हेतु उपलब्ध भूजल 1.55 बी.सी.एम.; तथा सुबर्णरेखा बेसिन में दोहन के लिए अनुमानित भूजल भंडार 1.40 बी.सी.एम. है। इस परिदृश्य में सुबर्णरेखा बांध परियोजना का निर्माण स्पष्ट रूप से उचित है क्योंकि वह क्षेत्र वर्षों से जल के अभाव से ग्रस्त है।

हमने पश्चिम बंगाल से अपनी चिंता पहले ही व्यक्त कर दी है कि सुबर्णरेखा परियोजना को जल्द-से-जल्द पूरा किया जाना चाहिए। आप यह जानकर आश्चर्य होगा कि पांचवीं योजनावधि में, चांडिल बांध परियोजना को झारखंड में स्थापित किये जाने का प्रस्ताव था। सातवीं योजनावधि में, गुलादी तथा कोकपारा बांध परियोजनाओं को उड़ीसा में मयूरभंज तथा बालासोर जिले को शामिल करते हुए स्थापित किया जाने का प्रस्ताव था। झारखंड में, इसमें सिंहभूम जिले को शामिल करना था। पश्चिम बंगाल के लिए, पूर्व तथा पश्चिम मिदनापुर जिलों को शामिल करने का प्रस्ताव था।

लेकिन तथ्य यह है कि माननीय मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य राज्य सरकार की घोर अक्षमता को दर्शाता है जो पश्चिम बंगाल में सुबर्णरेखा बांध परियोजना पर कोई निर्माण शुरू तक नहीं कर सकी। वक्तव्य से हमें यह पता चलता है कि जहां तक वास्तविक स्थिति का प्रश्न है, परियोजना से संबंधित वास्तविक कार्य अभी शुरू भी नहीं हो पाए हैं तथा केवल अवसंरचनात्मक कार्य प्रगति में हैं। अब तक कोई क्षमता विकसित नहीं की गई है।

1995 में रा.ज.ग. सरकार के एक माननीय मंत्री ने एक पत्र लिखा कि सरकार के पास सुबर्णरेखा बांध परियोजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में नदी की बाईं तरफ एक नहर का निर्माण करने का प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव में 19 से 20 कि.मी. लंबी नहर का निर्माण करने का प्रस्ताव था जिसे 2001 में शुरू किया जाना था तथा सात वर्षों में पूरा किया जाना था। हालांकि, परियोजना पर कोई कार्य शुरू नहीं किया गया। पूरी सुबर्णरेखा बेसिन के लिए सुबर्णरेखा बांध परियोजना द्वारा केवल 9,32,000 हेक्टेयर की क्षमता सृजित की गई है।

जहां तक समझौते की बात है, चांदिल बांध के निर्माण की लागत तीन राज्यों द्वारा वहन की जानी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांध के लिए अपना अंश पहले ही अदा कर दिया लेकिन अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है तथा पश्चिम बंगाल में कोई क्षमता नहीं विकसित की गई है। उस विशिष्ट क्षेत्र में, चारों तरफ गरीबी तथा भुखमरी है। समूचे क्षेत्र में नक्सलवादियों ने आतंक मचा रखा है। किसान समुदाय वर्षों से सुबर्णरेखा सिंचाई परियोजना से जल तथा सिंचाई सुविधाओं की मांग कर रहे हैं।

महोदय, पहली बार मुझे यह पता चला है; तथा यह वक्तव्य में भी दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना प्रश्न रखें।

श्री अधीर चौधरी: चूंकि इस परियोजना से संबंधित कार्य में वांछित प्रगति नहीं हो पायी थी इसलिए राज्य सरकार ने अगस्त 2004 में इस परियोजना को ए.आई.डी.पी. से निकालने तथा व्यय न की गई 10.25 करोड़ रुपये की राशि को तीस्ता बैराज परियोजना के लिए अंतरित करने का प्रस्ताव रखा था। पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से इस परियोजना की स्वीकृत राशि को तीस्ता बैराज परियोजना के लिए अंतरित करने का प्रस्ताव रखा है जो कि एक अन्य परियोजना है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया, अपना प्रश्न पूछिए।

श्री अधीर चौधरी: मैं नहीं जानता कि केन्द्र सरकार ने प्रस्ताव का अनुमोदन किया है या नहीं। मैं माननीय मंत्री तथा केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृषि क्षेत्र में उभरती हुए विभिषीका को देखते हुए केवल सिंचाई ही हमें और तबाही से बचा सकता है।...(*व्यवधान*) हम यह जानकर खुश होंगे कि वर्तमान सं.प्र.ग. सरकार साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा दर्शाई गई विशेष रुचि के फलस्वरूप सभी बकाया सिंचाई परियोजनाओं

को ए.आई.बी.पी., अर्थात्, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सुबर्णरेखा बांध परियोजना को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत द्रुत कार्यक्रम में शामिल किया जाए।

द्वितीयत यदि यह संभव नहीं हो तो इस कार्यक्रम को 11वीं पंचवर्षीय योजना में या किसी अन्य द्विपक्षीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत झारखंड तथा उड़ीसा की योजनाओं की तरह, जिसे विश्व बैंक की योजना के अन्तर्गत मंजूरी मिली थी, में शामिल किया जाना चाहिए। अतएव, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करूंगा - मैं श्रीमती सोनिया गांधी का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहूंगा कि सुबर्णरेखा बांध परियोजना के कार्य में तेजी लाई जाय।

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष की उपेक्षा नहीं करें वरना आप मुसीबत में पड़ जायेंगे।

श्री अधीर चौधरी: यह पश्चिम बंगाल के स्थानीय किसान समुदायों की मांग है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): यह काफी महत्वपूर्ण परियोजना है।

अध्यक्ष महोदय: केवल एक स्पष्टीकरण पूछें।

श्री बसुदेव आचार्य: यह तीन राज्यों झारखंड, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के लाभ के लिए है। इस परियोजना को योजना आयोग तथा पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा वर्ष 1995 में मंजूरी मिली थी। राज्य सरकार ने इस पर 40 करोड़ रुपये खर्च कर दिए हैं लेकिन केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं उठाए हैं। इस परियोजना को ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत शामिल किया गया था; केवल थोड़ी सी राशि केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर की गई।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछें। हमारे पास 65 माननीय सदस्यों की सूची है जो 'अविलंबनीय महत्व के मामले' के अंतर्गत बोलना चाहते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: भूमि अधिग्रहण पूरा हो गया है...*(व्यवधान)* अवसंरचना तैयार हो गई है...*(व्यवधान)* वर्ष 2002-03 में इस परियोजना को रोक दिया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार जल्द-से-जल्द इस परियोजना को पूरा करने के लिए सहमत हों। यही सबसे अच्छी बात है। सबों को मिलकर काम करना चाहिए तथा इस कार्यक्रम को पूरा करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: अब राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को शामिल करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है; प्राक्कलन अब 1,300 करोड़ रुपये से भी अधिक का है। इस परियोजना को पूरा करने हेतु इतनी बड़ी धनराशि का भार उठाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है। यह परियोजना सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण हेतु आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रश्न पूछें और स्पष्टीकरण प्राप्त करें। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करें।

श्री बसुदेव आचार्य: चूंकि बैराज का कार्य पूरा नहीं हुआ है, मिदनापुर पूर्व और मिदनापुर पश्चिम के दो जिले बाढ़ का सामना कर रहे हैं। क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि क्या राज्य सरकार ने इसे भारत निर्माण के अंतर्गत शामिल करने का प्रस्ताव भेजा है?

अध्यक्ष महोदय: यह पहले ही किया जा चुका है; आप वक्तव्य पढ़ सकते हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारत सरकार इसे भारत निर्माण योजना के अंतर्गत शामिल करने हेतु विचार करेगी या नहीं ताकि यह परियोजना पूरी हो सके।

अध्यक्ष महोदय: इसे शामिल किया जा चुका है। आप यहां उपस्थित नहीं थे और आपने वक्तव्य नहीं पढ़ा है।

श्री बसुदेव आचार्य: मैं यह जानना चाहता हूं क्या भारत सरकार पर्याप्त धनराशि स्वीकृति करेगी ताकि निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सके और निर्धारित समय सीमा के अंदर पूरा किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रबोध पाण्डा - उपस्थित नहीं हैं।

श्री बी.के. त्रिपाठी। कृपया मात्र एक स्पष्टीकरण पूछें।

श्री बृज किशोरा त्रिपाठी (पुरी): मैं मात्र एक प्रश्न पूछूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम सूची में नहीं है परन्तु मैं आपको मात्र एक स्पष्टीकरण पूछने की अनुमति देता हूं क्योंकि आपने अनुरोध किया है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: सुबर्णरेखा एक अंतर्राज्यीय नदी है जिसकी जल भागीदारी का फार्मूला पश्चिम बंगाल के लिए 2 प्रतिशत, उड़ीसा के लिए 27 प्रतिशत और झारखण्ड के लिए 71 प्रतिशत है। इस नदी को उत्तरी उड़ीसा का शोक कहा जाता है। हम भुगत रहे है। यह नदी झारखण्ड के छोटानागपुर से निकलती है और उड़ीसा में बंगाल की खाड़ी

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

में गिरती है। आज उड़ीसा का पूरा उत्तरी भाग इस नदी के कारण बाढ़ग्रस्त है। बहु-नदीय परियोजना बाढ़ रोकने और तीनों राज्यों की पूरी भूमि सिंचित करने में सहायक होगा। इस परियोजना के महत्व पर विचार करते हुए क्या सरकार इसे शत-प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना घोषित करेगी तथा इसे ग्यारहवीं योजना में शामिल करेगी? तीनों राज्यों के पास तीन अलग-अलग परियोजनाएं हैं। क्या सरकार उड़ीसा सुबर्णरेखा सिंचाई परियोजना को केन्द्रीय सहायता प्राप्त परियोजना के रूप में स्वीकार करेगी ताकि यह पूरी हो सके। हम भुगत रहे हैं परन्तु हमें कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इस पूरी परियोजना का केन्द्रीय परियोजना के रूप में वित्त पोषण करेगी?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: बृज किशोर त्रिपाठी जी, आपने अपनी बात कह दी है। आप कृपया कर बैठ जाइए। श्री सुनील कुमार महतो, आप एक प्रश्न पूछिये।

श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर): अध्यक्ष महोदय, थोड़ा बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: बोलने का मौका नहीं मिलता है। आप प्रश्न नहीं पूछना चाहते हैं तो बैठिये।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछने के हकदार नहीं हैं, परन्तु मैं आपको अनुमति दे रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री सुनिल कुमार महतो: अध्यक्ष महोदय, आज वहां विस्थापितों की जो स्थिति है, वे यायावर की तरह जिन्दगी जी रहे हैं। वहां करीब 25000 लोग विस्थापित हो गए हैं। ऐसी स्थिति है कि आज कहीं भी उद्योग लगाने के नाम पर या डैम लगाने के नाम पर लोग आतंकित हो जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ बंगाल और उड़ीसा को फायदा पहुंचाने के लिए इतनी विशाल परियोजना झारखंड में लगाई गई है। उनकी नागरिक सुविधाओं के लिए सरकार ने जो घोषणा की थी, उनमें से एक भी आज तक इंप्लीमेंट नहीं हुई। विस्थापितों के पुनर्वास के लिए न घर दिये, न ही मकान बनाने के लिए पैसे दिये। विस्थापित लोग उस एरिया में डूब रहे हैं, मर रहे हैं। उनको नागरिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप हमारी मदद कीजिए। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है और मंत्री जी ने उसको नोट भी किया है।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं सदस्यों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का काफी संक्षेप में उत्तर दूंगा। सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पश्चिम बंगाल की परियोजना तक सीमित है। झारखण्ड और उड़ीसा की परियोजना इसमें शामिल नहीं है। जहां तक इस परियोजना का प्रश्न है, हमें झारखण्ड अथवा उड़ीसा से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय: आप सही कह रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसलिए, मुझे खेद है कि मैं उड़ीसा और झारखण्ड से संबंधित मुद्दों का उत्तर नहीं दे सकता हूं। संप्रग सरकार ने सत्ता में आने के तुरंत बाद अपने साझा न्यूनतम कार्यक्रम में सिंचाई पर काफी जोर दिया। मैं इस सभा को बताना चाहता हू कि जब से मैं जल संसाधन मंत्रालय में हूं, मुझे काफी निराशा के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पिछली तीन योजनाओं से कोई भी राज्य सरकार ने चाहे वह जिस किसी भी दल की रही हो, सिंचाई पर जोर नहीं दिया है जिसका परिणाम यह संकट है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप इसे छोड़ सकते हैं। उनका जवाब मत दीजिए।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि सिंचाई राज्यों के जिम्मे है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् से कोई भी सिंचाई परियोजना केन्द्र सरकार की परियोजना नहीं मानी गयी है। यह हमेशा राज्य परियोजना रही है जिसमें राज्य और केन्द्र का समतुल्य अनुदान रहा है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं पश्चिम बंगाल के अपने किसी सहयोगी को परेशान करना नहीं चाहता हूं, परन्तु मैं समझता हूं कि श्री बसुदेव आचार्य मेरी बात से सहमत होंगे कि पश्चिम बंगाल सरकार की इच्छा पर सुबर्णरेखा परियोजना को ए.आई.बी.पी. परियोजना के रूप में प्रायोजित किया गया है। यह पश्चिम बंगाल सरकार थी जिसने अगस्त 2004 में इस परियोजना के निमित्त धनराशि को ए.आई.बी.पी. निधि से हटाकर तीस्ता के निमित्त कर दिया। उन्होंने तदनुसार कार्रवाई की थी। अब यदि पश्चिम बंगाल सरकार इस धनराशि को पुनः ए.आई.बी.पी. निधि में स्थानांतरित करना चाहती है तो हम कल ही इस धनराशि को जारी करने के लिए तैयार हैं। इसलिए, यह राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर है। यदि वे पहले वाली स्थिति बहाल करते हुए ए.आई.बी.पी. के साथ बने रहना चाहते हैं तो इस धनराशि की मांग करें।

श्री बसुदेव आचार्य: वे लोग प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप इस बात को पहले ही कह चुके हैं।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं आधिकारिक रूप से कहना चाहता हूं कि यह प्रस्ताव अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मंत्री जी, आप अपना वक्तव्य दें।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं माननीय नेता, श्री बसुदेव आचार्य को बताना चाहता हूं कि यदि कोई शिष्टमंडल अपनी ओर से कोई पत्र प्रस्तुत करता है तो वह राज्य सरकार का आधिकारिक पत्र नहीं माना जाता। मैं यह सूचित करना चाहता हूं कि यदि पश्चिम बंगाल सरकार इसे ए.आई.बी.पी. में वापस लाना चाहती है तो हम इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करेंगे।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं अपनी बात यह कहकर समाप्त करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने भारत निर्माण की घोषणा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुनील जी, कृपया कार्यवाही में व्यवधान नहीं डालें।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: भारत निर्माण के अंतर्गत हमें एक मिलियन हेक्टर की सिंचाई करनी है तथा ए.आई.बी.पी. को इस कार्यक्रम में सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है जो सुबर्णरेखा परियोजना की भी भरपाई करेगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठे-बैठे कैसे बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने वेस्ट बंगाल के बारे में नोटिस देने का कष्ट भी नहीं किया।

श्री सुनिल कुमार महतो: मैंने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस साढ़े दस बजे दिया है।

[अनुवाद]

मुझे दुख है। अब श्री नरेन्द्र एक वक्तव्य देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, कृपया उत्तर नहीं दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ध्यानाकर्षण समाप्त हो चुका है। मैंने श्री ए. नरेन्द्र को बुलाया है। वे एक वक्तव्य देना चाहते हैं। मैं आपको बाद में नियमों के अनुसार बोलने की अनुमति दूंगा लेकिन उनके वक्तव्य के बाद।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमारा दुर्भाग्य है कि हमने आपको बुलाया है और आपका सौभाग्य है कि हमने आपको बुलाया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपको फिर मौका देंगे, अभी आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री त्रिपाठी, आपको बोलने की अनुमति नहीं थी। मैंने सामान्य प्रक्रिया से हटकर आपको अनुमति थी। लेकिन लगता है कि जब तक आपको बोलने का मौका नहीं दिया जायेगा आप बोलते जाएंगे। इसमें मैं क्या कर सकता हूं?

अपराह्न 2.26 बजे

नियम 199 के अधीन वक्तव्य

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री द्वारा अपना पद त्यागने के बारे में स्पष्टीकरण

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री नरेन्द्र के वक्तव्य के अलावा कुछ भी कार्यवाही में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको इसे पढ़ना है। इसके अतिरिक्त कुछ नहीं बोलना है।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

श्री ए. नरेन्द्र (मेडक): अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, केवल वक्तव्य पढ़ा जाना है।

अध्यक्ष महोदय: हां। मैं भी यही कह रहा हूं। आपको केवल वक्तव्य पढ़ना है।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय: आप धन्यवाद छोड़िए, आपने जो दिया है, उसे पढ़िए।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. नरेन्द्र: मैंने जो दिया है, वही पढूंगा, लेकिन मैं पहले धन्यवाद देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको अनुमति नहीं दी जाती है। अन्यथा, नियम के अनुसार मुझे इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालना पड़ेगा।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदय: हमने धन्यवाद ले लिया।

श्री ए. नरेन्द्र: जिन्होंने हमारा साथ दिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां आपके बहुत कीमती साथी बैठे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. नरेन्द्र: अध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों को अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए आपके सामने स्टेटमेंट रख रहा हूं। आपने मुझे बोलने के लिए एलाऊ किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खुशी है कि उन्होंने फास्ट ब्रेक किया है।

[अनुवाद]

श्री ए. नरेन्द्र: महोदय, श्री के. चन्द्रशेखर राव, केन्द्रीय श्रम तथा रोजगार मंत्री तथा मैंने, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टी.आर.एस.) का प्रतिनिधित्व करते हुए केन्द्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिया है। यह दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय तेलंगामा के लोगों की हताशा को दर्शाता है जिन्होंने तेलंगाना राज्य के निर्माण के प्रश्न पर धोखा खाया है।

जैसा कि आपको पता होगा, तेलंगाना राष्ट्र समिति (टी.आर.एस.) ने सं.प्र.ग. सरकार में इस स्पष्ट आश्वासन पर सम्मिलित हुई थी कि प्रस्ताव पर आम सहमति बनने के पश्चात् तेलंगाना राज्य बनाया जाएगा।

इसे सं.प्र.ग. के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया गया था, संसद के प्रथम संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के संबोधन में कहा गया था तथा माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के रूप में पहले सरकारी तथा सार्वजनिक प्रेस सम्मेलन में दोहराया गया था।

बाद में सं.प्र.ग. द्वारा देश के सभी राजनीतिक दलों की इस प्रस्ताव पर राय जानने के लिए एक उपसमिति का गठन किया गया था। इस तरह की आम सहमति पहले कभी नहीं बनी थी जब 1956 के पश्चात् एक दर्जन से ज्यादा राज्य बने थे, तथापि हम इस आश्वासन से सहमत रहे कि यह मात्र एक औपचारिकता है तथा समूची प्रक्रिया दो सप्ताह में पूरी कर ली जाएगी। इस समयसीमा को बाद में बढ़ाकर चार सप्ताह तथा अंत में आठ सप्ताह कर दिया गया। अब 80 सप्ताह से ज्यादा हो चुके हैं, वादा किए हुए।

इस बीच, सं.प्र.ग. की उपसमिति द्वारा विभिन्न राजनीतिक दलों की राय जानने का कार्य वस्तुतः पूरी हो चुकी है तथा तेलंगाना राज्य बनाए जाने के संबंध में समर्थन काफी ज्यादा है। हमने दो वर्ष से अधिक समय की प्रतीक्षा की है तथा तेलंगाना राज्य बनाए जाने का निर्णय लेने में अप्रत्याशित विलंब समझ में नहीं आ रहा है तथा रहस्यमयी है।

इस चरण में ऐसा आभास कराया जा रहा है कि संसद में विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच तेलंगाना राज्य के निर्माण के संबंध में आम सहमति बनाया जाना बाकी है। तथ्य यह है कि इस संबंध में आम सहमति पहले ही बनाई जा चुकी है।

एक दिन जब सं.प्र.ग. के संघटकों की बैठक हुई थी जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर सबों ने इस प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री नरेन्द्र के भाषण को छोड़कर कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री ए. नरेन्द्र: इसके आगे ग्यारह में से छह राजनीतिक दल जो बाहर से सरकार का समर्थन कर रहे हैं, ने स्पष्ट रूप से इस मामले पर समर्थन किया है।

इस तरह का आभास भी दिलाया जा रहा है कि वाम मोर्चा तेलंगाना राज्य के निर्माण का विरोधी है जो तथ्य को तोड़ना-मरोड़ना है। फार्वर्ड ब्लाक प्रस्ताव पर स्पष्ट रूप से समर्थन कर रही है। सी.पी.आई.(एम) ने स्पष्ट किया है कि वे इसके रास्ते में नहीं आएंगे यदि कांग्रेस और भाजपा इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने टिप्पण के अतिरिक्त कुछ न कहें।

श्री ए. नरेन्द्र: इसके अलावा, भाजपा और बड़ी संख्या में राजग घटक ने भी तेलंगाना राज्य के गठन हेतु अपना प्रकट समर्थन व्यक्त किया है। यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि भारत के सभी भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों ने या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने दल की ओर से इस कदम का बिना आपत्ति के समर्थन किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह नियमानुसार नहीं है। मैं किसी नियम का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं।

श्री ए. नरेन्द्र: महोदय, नियम क्या है?

अध्यक्ष महोदय: नियम यह है कि आप स्वीकृत पाठ पढ़ें। क्या आप स्वीकृत पाठ पढ़ रहे हैं?

श्री ए. नरेन्द्र: मैं नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: जब आप स्वीकृत पाठ से इतर बोल रहे हैं तो वहां आप नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। स्वीकृत पाठ से इतर नहीं जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है। आप इसे अनदेखा करें। श्री ओवेसी, यह बहुत अनुचित है। आप इतने सहयोग करने वाले सदस्य हैं। आपको क्या हो गया है?

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: नारेबाजी न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: स्वीकृत पाठ में जो नहीं है, उसे हटा दें।

...*(व्यवधान)**

श्री ए. नरेन्द्र: इस पृष्ठभूमि में तेलंगाना राज्य के गठन हेतु परिस्थिति उचित और अनुकूल है। इसमें आगे विलम्ब करने का कोई कारण नहीं है। फिर भी पृथक् राज्य के गठन के प्रस्ताव को यदि पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा रहा है तो भी इसमें विलंब करने के कुछ संकेत दिए जा रहे हैं। एक ऐसा आभास दिया जा रहा है कि वर्तमान राज्य सरकार के अन्तर्गत तेलंगाना का सर्वाधिक व त्वरित विकास हो रहा है और पृथक् राज्य की मांग तेजी से घटती जा रही है। यह सरासर झूठ है।

अध्यक्ष महोदय: पुनः आप वह पढ़ रहे हैं जो स्वीकृत नहीं है। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं। सबका लोप कर दिया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री ए. नरेन्द्र: जैसा कि हम कहते रहे हैं, एकीकृत आंध्र प्रदेश के भीतर तेलंगाना के लोगों द्वारा सामना की जा रही समस्याओं का कोई समाधान नहीं हो सकता है। हमने कांग्रेस पार्टी के साथ इस आशा, विश्वास और स्पष्ट आश्वासन के साथ गठबंधन बनाया था और राजग सरकार में भागीदार बने थे कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के भाग के रूप में तेलंगाना राज्य का गठन होगा।

अध्यक्ष महोदय: सभी नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। यह तो मजाक हो गया है। नियमों का उल्लंघन करना मौलिक अधिकार हो गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. नरेन्द्र: किन्तु तेलंगाना के लोगों के लिए निराशाजनक और आश्चर्यजनक ढंग से ऐसा नहीं हो रहा है और निकट भविष्य में ऐसा होने की संभावना नहीं है। परिणामतः तेलंगाना के लोगों का वर्तमान व्यवस्था पर से विश्वास हट गया है। लोगों के विभिन्न वर्गों - शिक्षकों, सरकारी कर्मचारियों, विद्यार्थियों, किसानों, कामगारों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, डाक्टरों, कलाकारों और कारीगरों ने इस मुद्दे पर अपने को एकत्रित करके पुनः आंदोलन का रुख अख्तियार कर रहे हैं।

इस परिदृश्य में तेलंगाना राष्ट्र समिति तेलंगाना के साढ़े तीन करोड़ लोगों को दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले सतत् शोषण और तद्जन्य हताशा की स्थिति में छोड़कर मूक दर्शक बन कर नहीं रह सकती है। अतएव हमने निर्णय लिया है कि हम तेलंगाना के लोगों के पास वापस जाएंगे और तेलंगाना के लिए राज्य का दर्जा हासिल करने के उनके साहसिक संघर्ष में उनके साथ रहेंगे। हम अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक तेलंगाना राज्य प्राप्त करने के लम्बे समय से संजोए लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते चाहे इस प्रक्रिया में जो भी बलिदान देनी पड़े। जय तेलंगाना...*(व्यवधान)* हम यहां से आश्वासन प्राप्त करके जाएंगे और संघर्ष करेंगे।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आगे कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब हम विशेष उल्लेख लेंगे। श्री एल. राजगोपाल।

...*(व्यवधान)*

श्री सर्वे सत्यनारायण (सिद्दीपेट): महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: एक शब्द भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने अब श्री राजगोपाल को बोलने को कहा है।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नियम अनुमति नहीं देते हैं। अनुमति नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, मैं महात्मा गांधी जी के कथन को याद करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था - "जातिवाद, सम्प्रदायवाद और वंशवाद से बचो और मानवतावाद को अपनाओ।"

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

"मानवतावाद" किसी भी 'वाद' से काफी ऊपर है चाहे वह "राष्ट्रवाद" हो अथवा "वैश्विकवाद" या "समाजवाद"। 'मानवतावाद' इन सबसे काफी ऊपर है। कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के पदचिन्हों का अनुकरण कर रही है और महात्मा गांधी जी के विचारों को अपना रही है। कांग्रेस पार्टी एक जिम्मेदार और तर्क के आधार पर कार्य करने वाली राष्ट्रीय पार्टी है। यही कारण है कि जब कभी कोई भावनात्मक मांग की जाती है तो हम उस पर तार्किक विचार करते हैं।...*(व्यवधान)* कुछ भावनात्मक मांगें की गई थीं। हम इससे इंकार नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से भारत के लोग स्वभाव से ही भावुक हैं। किंतु राजनैतिक दलों के नेता भावनाओं अथवा संवेदनाओं के आधार पर अपने निर्णय नहीं दे सकते हैं अथवा उनके काम इन पर आधारित नहीं हो सकते हैं।

इसी कारण से एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते कांग्रेस ने व्यापक राष्ट्रीय परिदृश्य में इन सभी पहलुओं की जांच करने हेतु एक समिति नियुक्त की है। श्री प्रणब मुखर्जी का उस समिति का सभापति नियुक्त किया गया है। समिति ने इन सभी चीजों की जांच की है और यह पता लगाया है कि सारे भारत में अर्थात् 29 राज्यों में इस भावना का क्या समाधान निकाला जाए। तदनुसार समिति दूसरी एस.आर.सी. लाई है। हमें इस दूसरी एस.आर.सी. पर दृष्टिपात और इस पर विचार करना चाहिए कि इस मुद्दे का एक ही बार में समाधान किस प्रकार किया जाए।

हमने अपना बर्ताव नहीं बदला है। हमारा बर्ताव एक जैसा ही रहा है। कांग्रेस पार्टी का बर्ताव एक जैसा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने किसी के साथ विश्वासघात नहीं किया है और अपना रुख नहीं बदला है। वह सदैव एक जैसी रही है।

हम भाजपा की तरह नहीं हैं। 1998 के चुनावों के दौरान, उन्होंने काकीनाड़ा में कहा: "एक वोट-दो राज्य"। किन्तु बाद में वे अपनी बात से मुकर गए। किंतु कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात नहीं बदली है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समय समाप्त हो गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री एल. राजगोपाल जी ने जो कुछ कहा है, श्री सर्वे सत्यनारायण स्वयं को उससे संबद्ध करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, मैं आपकी बात पर आऊंगा। यदि आप यहां आओगे तो आपके मामले पर विचार नहीं हो पाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इसके बाद आपको बुलाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, यदि यह सिद्ध हो जाए कि उनका बर्ताव एक जैसा रहा है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

...*(व्यवधान)*

श्री एल. राजगोपाल: हमारा बर्ताव एक जैसा रहा है, उनका नहीं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समय खत्म हो गया है। एल. राजगोपाल जी, आप अच्छा बोले।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री एल. राजगोपाल ने जो कुछ कहा है, श्री सर्वे सत्यनारायण स्वयं को उससे संबद्ध करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री बसुदेव आचार्य जी का नाम पुकारता हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री बसुदेव आचार्य जी का भाषण कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: कोई भी सदस्य अध्यक्षपीठ की विवशता को नहीं समझता है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: समय खत्म हो गया है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: किंतु यह आपका निर्वाचन क्षेत्र नहीं है।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, कृपया संक्षेप में बोलें।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री सर्वे सत्यनारायण जी, आपका नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित हो चुका है। श्री सर्वे सत्यनारायण ने श्री एल. राजगोपाल का पुरजोर समर्थन किया है और स्वयं को उनसे संबद्ध किया है।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, हिमाचल प्रदेश के चम्बा क्षेत्र में एक जल-विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य चल रहा है...(*व्यवधान*) विद्युत मंत्री को यहां पर उपस्थित होना चाहिए...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें यहां पर क्यों होना चाहिए?

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: क्योंकि वे समस्या के बारे में जानते हैं...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को राज्यसभा में जाना था।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य जी, कृपया संक्षेप में और सटीक बोलें।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: उस परियोजना में काम करने वाले कामगारों ने एन.एच.पी.सी. द्वारा अनुबंधित ठेकेदार अर्थात् हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी से न्यूनतम मजदूरी की मांग की है। एक आंदोलन हुआ था जिसमें तीन कामगारों की हत्या हो गई थी। यद्यपि कि हत्यारे को गिरफ्तार किया गया था परन्तु बाद में उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस बात को मानता हूं कि न्यायालय ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया है।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: आज यह सब क्या हो रहा है। जैसा कि श्रमिक सुरंग के निर्माण हेतु न्यूनतम मजदूरी और भत्ते की मांग कर रहे हैं, उन्हें कार्य करने नहीं दिया जा रहा है। एन.एच.पी.सी. के अंतर्गत निर्माण कम्पनी अब नए श्रमिकों को कार्य पर लगा रही है। सीटू के राज्य सचिव को झूठे आरोपों के तहत गिरफ्तार किया गया...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। मुझे 55 मामले लेने हैं।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: उन्हें पुलिस हिरासत में यातनाएं दी गयीं।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि तीन श्रमिकों की हुई हत्या के मामले की सी.बी.आई. जांच करायी जाए। आतंक का राज्य, जो उस क्षेत्र में अस्तित्व में नहीं था, समाप्त किया जाना चाहिए तथा श्रमिकों को कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए। उस क्षेत्र में पहले की स्थिति बहाल की जानी चाहिए।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री रूपचंद पाल और श्री अमिताभ नन्दी को इस मामले से सम्बद्ध किया जाता है।

...(*व्यवधान*)

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में न्यूनतम मजदूरी कानून और ऐसे अन्य श्रम कानूनों का पूरी तरह उल्लंघन किया जा रहा है।...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: हाल ही में एक शिष्टमंडल ने माननीय मंत्री महोदय से मुलाकात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया था कि वह आवश्यक कार्रवाई करेंगे। परन्तु कुछ भी नहीं किया गया है।...(*व्यवधान*)

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, हमें आश्वासन दिया गया है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें। मंत्री जी, आप बाहर जा सकते हैं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मैं उन्हें उत्तर देने की अनुमति नहीं दूंगा।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: मैं आपके साथ सहयोग करूंगा, परन्तु कृपया आप उन्हें उत्तर देने के लिए कहिए।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

आप उन्हें बोलने का मौका दीजिए।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि वे कंसीडर करेंगे।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप उन्हें लिखें।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, कृपया आप कहें कि आप मामले पर विचार करेंगे।

...(*व्यवधान*)

विद्युत मंत्री (श्री सुशील कुमार शिंदे): महोदय, माननीय सदस्य मैंने श्रीमती वृन्दा करात तथा अन्य लोगों के साथ चर्चा की है। वे सभी संतुष्ट हैं। मैंने परसों सभी अधिकारियों को भी बुलाया था।...(*व्यवधान*)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम संतुष्ट नहीं हैं।...(*व्यवधान*)

श्री सुशील कुमार शिंदे: हम कैसे संतुष्ट कर सकते हैं?...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप अपने वचन का पालन नहीं कर रहे हैं।

श्री अनंत कुमार, मुझे खेद है कि आपकी बात दौरान व्यवधान पैदा किया गया।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: कोई निवेदन का मामला नहीं है। एकमात्र विनती है कि कृपया बैठ जाइए।

...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): महोदय, यह गरीबों से जुड़ा हुआ मामला है।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: सभी मामले गरीबों से जुड़े हुए हैं और इनको इधर बैठने वाले भी उठाते हैं और उधर बैठने वाले भी उठाते हैं।

...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, मैं कर्नाटक की साढ़े पांच करोड़ जनता के मन में व्याप्त शंकाओं को व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हाल ही में, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने माननीय प्रधान मंत्री से मुलाकात की थी और पुराने सीमा विवाद को उठाया था।...(*व्यवधान*)

अभी मैं काफी निराशा के साथ सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री, श्री शिवराज पाटील भी महाराष्ट्र के मुद्दे को प्रभावी बनाने हेतु शिष्टमंडल के साथ गए थे। मैं महसूस करता हूं कि माननीय प्रधान मंत्री; माननीय जल संसाधन मंत्री, माननीय गृह मंत्री अथवा सभी केन्द्रीय मंत्रियों को पक्षपातरहित होना चाहिए। जब राज्यों के पुनर्गठन संबंधी मामले माननीय गृह मंत्री जी के पास विचाराधीन हो तो उन्हें किसी भी राज्य के किसी भी शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। हम सभी को पता है कि न्यायमूर्ति मेहरचन्द महाजन ने अपने महाजन आयोग की रिपोर्ट में वर्ष 1967 में ही यह स्पष्ट रूप से कहा था कि बेलगाम कर्नाटक का अंग है और यह कर्नाटक का अभिन्न अंग है। महाराष्ट्र अनावश्यक रूप से इस मुद्दे को पुनः उठा रहा है। मैं मात्र एक बात कहना चाहता हूं कि जब आयोग का गठन किया जा रहा था तो महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री, श्री वी.पी. नायक ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि आयोग की सिफारिशें मात्र दोनों राज्यों के लिए ही नहीं बल्कि केन्द्र सरकार के लिए भी बाध्यकारी होंगी। इसी पृष्ठभूमि में, केन्द्र सरकार ने न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन आयोग का गठन किया।

[श्री अनंत कुमार]

मैं यह एक बात भी उद्धृत करना चाहता हूं। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने, जब वह प्रधान मंत्री थे - जैसा कि दिनांक 28-5-1986 के 'द हिन्दू' में प्रकाशित हुआ था - महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा संबंधी मुद्दे पर महाजन आयोग की रिपोर्ट पर पुनः विचार करने किसी संभावना से इनकार किया था और यह कहा था। मैं उद्धृत करता हूं:

"हम इस मुद्दे को बार-बार कैसे उठाते रह सकते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारे द्वारा स्थापित संस्थाओं की स्वायत्तता बनी नहीं रह पाएगी।"

हम इस वक्तव्य को केन्द्र सरकार के वचन के रूप में लेते है तथा यह मानते हैं कि केन्द्र सरकार स्वर्गीय श्री राजीव गांधी की भावनाओं व वचन को मानने के लिए बाध्य है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

श्री अनंत कुमार: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। यह उम्मीद थी कि इस महीने की 21 तारीख को केंद्र सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष महाराष्ट्र राज्य सरकार के संवाद संबंधी आवेदन का प्रत्युत्तर दर्ज करेगी।

अध्यक्ष महोदय: अब आप इस मुद्दे पर बोलते नहीं रहें।

श्री अनंत कुमार: लेकिन आज की तिथि तक माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष कोई प्रत्युत्तर दर्ज नहीं किया गया है। अतः, मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि इसे न्यायमूर्ति मेहरचंद आयोग की रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं का सम्मान करना चाहिए और महाजन आयोग की अनुशंसाओं को अक्षरशः लागू करना चाहिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रहलाद जोशी इसके साथ स्वयं को जोड़ रहे हैं।

श्री अनंत कुमार: मैं आपकी सहायता और हस्तक्षेप चाहता हूं। सभा के माननीय नेता यहां उपस्थित हैं। उन्हें कर्नाटक सरकार को आश्वस्त करना चाहिए कि न्याय होगा और महाजन समिति की रिपोर्ट क्रियान्वित की जाएगी...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैंने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एसोसिएट कीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सिर्फ अपने आपको इससे संबद्ध कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप नाम भेज दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: मेरे प्रिय साथी श्री प्रहलाद जोशी ने भी एक नोटिस दिया है। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि उन्हें बोलने का अवसर दिया जाए। वह युवा एवं उदीयमान सांसद हैं। सभा के नेता यहां उपस्थित हैं। कर्नाटक में यह एक ज्वलंत मुद्दा है। कर्नाटक के लोगों के मन में आशंका है।

अध्यक्ष महोदय: कर्नाटक निश्चित रूप से हमारे देश का एक भाग है। यह एक महत्वपूर्ण राज्य है। वहां से महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व है।

श्री अनंत कुमार: इसीलिए, उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक संवाद संबंधी आवेदन लंबित है। माननीय केंद्र मंत्री होने के कारण श्री शिवराज वी. पाटील को महाराष्ट्र प्रतिनिधि मंडल में नहीं होना चाहिए था। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आगे कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित न करें।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि ऐसा नहीं होता।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है। श्री प्रहलाद जोशी का नाम कार्यवाही वृत्तांत में है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह मजाक की जगह नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जब तक वह स्वयं उत्तर नहीं देते मैं उन्हें बाध्य नहीं कर सकता।

श्री अनंत कुमार: मैं उनसे बोलने का अनुरोध करूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके अनुरोध को कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है। कृपया सहयोग करें। आज मुझे 65 मामलों को लेना है। यह उचित नहीं है। आपका नाम सूची में काफी नीचे था। मैंने आपको बुलाया है। कृपया बैठ जाइए।

श्री अनंत कुमार: सभा के नेता यहां उपस्थित हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप इससे भली-भांति अवगत हैं। आप मुझे बोलने के लिए क्यों बाध्य करते हैं? एक भी और शब्द नहीं लिखें।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: तो क्या हुआ?

श्री अनंत कुमार: उन्होंने नोटिस दिया है।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने नोटिस दिया है। मैंने उनका नाम कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित करने की अनुमति दी है। क्या मैं सभा को यह बताऊं कि उन्होंने मुझसे क्या कहा है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका कोई उपयोग नहीं है। आपका नाम कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस नहीं दिया है। प्रत्येक सदस्य मनमाना आचरण कर रहे हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ें।

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: जी, नहीं। मैं समाचार पत्र नहीं पढ़ रहा हूं। फ्लाइट आई.सी.-184 जिसका हाईजैक हुआ था और जिस टैरोरिस्ट को रिलीज किया गया था, उस घटना की तरफ मैं इस हाउस और पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आज कुछ बिल्कुल नये तथ्य सामने आये हैं। हमारे सामने बैठी हुई पार्टी की तरफ से हम पर हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं कि हम टैरोरिस्ट और टैरोरिस्ट एक्टिविटीज के प्रति सॉफ्ट ऐटीट्यूट रखते हैं या उन्हें एनकरेज करने वाली नीतियां अपनाते रहे हैं। इतना ही नहीं, लौह पुरुष और विकास पुरुष के साथ कितने टैरोरिस्ट गये, जो उनके विरोध में थे और किस तरह से वे उसे कर्व करना चाहते थे, उसका एक चित्र हमेशा सामने वालों की तरफ से हमारे ऊपर चित्रित किया जाता रहा है। अभी जो नये तथ्य सामने आये हैं, उनके मुताबिक जब वे लोग सरकार में थे तब उन्हीं के पार्टनर, जो एन.डी.ए. के एलायंस थे, डा. फारूक अब्दुल्ला का एक इंटरव्यू पेपर में छपा है। डा. फारूक अब्दुल्ला ने उस इंटरव्यू में यह कहा कि उस वक्त के बड़े प्रधान, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी, इन दोनों ने मिलकर मौलाना मसूद अजहर को रिलीज करने का निर्णय लिया था। इतना ही नहीं, डा. फारूक अब्दुल्ला इसके बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने उस वक्त कहा था कि मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। यहां तक बात आई थी कि अगर यह नहीं छोड़ेंगे, तो हम उन्हें एन.डी.ए. से निकाल देंगे या बर्खास्त कर देंगे। उस इंटरव्यू में उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उन्होंने इन हार्ड कोर टैरोरिस्ट्स को नहीं छोड़ा होता तो लंदन में हीथ्रो और पूरी दुनिया में जहां-जहां आतंकवाद फैला हुआ है, वह आतंकवाद नहीं फैलता। इस सबकी जिम्मेदारी उस वक्त के प्रधान मंत्री और गृह मंत्री पर है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी दिखाया नहीं जा सकता है। कुछ भी नहीं दिखाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अपराह्न 2.57 बजे

(इस समय श्री अशोक प्रधान और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभापटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

अध्यक्ष महोदय: अगर कुछ भी ऐसा कहा गया है जो उचित नहीं है, तो मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर जाएं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसे मेरे पास लाइए। मैं कार्यवाही-वृत्तांत देखूंगा।

(व्यवधान)

अपराह्न 2.58 बजे

नियम 377 के अधीन मामले**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नियम 377 के अन्तर्गत मामलों को सभा पटल पर रखा गया समझा जाए।

...*(व्यवधान)*

(एक) सौराष्ट्र, गुजरात में निर्यात जोन की स्थापना के लिए गुजरात सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जसुभाई धानाभाई बारड (जूनागढ): महोदय, गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली का उत्पादन काफी अधिक मात्रा में होता है। पिछले तीन सालों के आंकड़ों के अनुसार पूरे गुजरात राज्य में लगभग निम्नलिखित उत्पादन हुआ है।

वर्ष		उत्पादन
2002-2003	-	1094500 टन
2003-2004	-	4477600 टन
2004-2005	-	1812000 टन

सौराष्ट्र क्षेत्र में मूंगफली का एक्सपोर्ट भी काफी मात्रा में किया जाता है। लेकिन निजी एजेंसियों और एक्सपोर्ट जोन नहीं होने की वजह से यहां पर किसान को उनकी फसल का सही मूल्य भी नहीं मिलता है और निजी एजेंसियों द्वारा किसान का शोषण भी किया जाता है।

यदि एक्सपोर्ट जोन के माध्यम से मूंगफली का एक्सपोर्ट किया जाये तो सरकार और किसान दोनों की आमदनी में भी वृद्धि हो सकती है। मूंगफली का एक्सपोर्ट जोन सौराष्ट्र क्षेत्र में बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अक्तूबर 2003 को प्रस्ताव भेजा गया था।

सौराष्ट्र क्षेत्र में एक्सपोर्ट जोन बनाने का प्रस्ताव किसान और सरकार के हित के लिए अति महत्वपूर्ण है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि मेरे इस प्रस्ताव पर विचार करके उचित कार्यवाही की जाये।

(दो) उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): महोदय, उत्तर प्रदेश के जनपद मथुरा में आजादी के 59 सालों बाद भी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीण अंचलों में आज भी महिलायें तीन से चार किलोमीटर दूर से पीने का पानी सिर पर रखकर लाती हैं। स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने वर्ष 1984 में इस समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से पेयजल योजना को प्रारंभ किया था परन्तु पेयजल आपूर्ति हेतु उत्तरदायी जल निगम की स्थिति आज इतनी दयनीय है कि इनके पास अपने कर्मचारियों को देने के लिए समय से नियमित वेतन भी नहीं है। इस विभाग द्वारा तीन या चार ग्रामों की पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकियां बनायी गयी थी किंतु आज विभाग द्वारा संचालित 90 प्रतिशत टंकियां क्षतिग्रस्त अथवा अनुपयोगी हैं जिनसे पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है। भीषण गर्मी में यह समस्या और भी विकराल रूप धारण कर लेगी। मेरे जनपद में हर साल करोड़ों तीर्थयात्री/पर्यटक आते हैं तथा इस समस्या के कारण उन्हें

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**सभा पटल पर रखे माने गये।

भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति व माननीय प्रधान मंत्री जी ने भी इस समस्या पर अपनी चिंता प्रकट की है। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी ने अवगत कराया है कि उ.प्र. में पेयजल समस्या के समाधान हेतु राज्य सरकार को 100 करोड़ रुपया दिया गया है। मैंने अपने जनपद में पेयजल समस्या के समाधान हेतु उ.प्र. सरकार व निदेशक जल निगम को अनेकों पत्र लिखे किंतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हुई।

अतः मेरा अनुरोध है कि मेरे जनपद की इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति हेतु उ.प्र. सरकार को उचित व प्रभावी निर्देश प्रदान करें तथा इस गंभीर समस्या के त्वरित समाधान हेतु केन्द्र सरकार से अतिरिक्त सहायता राशि दिये जाने की मांग भी मैं आपके माध्यम से करता हूं।

(तीन) तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में फूड पार्क स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एन.एस.वी. चित्तन (डिंडीगुल): खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय देश में कई स्थानों पर फूड पार्कों की स्थापना कर रहा है। तमिलनाडु का डिंडीगुल जिला पिछड़े जिलों में से एक है। मैं सरकार से लोगों की सुविधा के लिए तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में फूड पार्क स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

(चार) करोलबाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के आनंद पर्वत क्षेत्र में अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान जिला करोलबाग में आनन्द पर्वत क्षेत्र जो कि एक व्यवसायिक क्षेत्र है, इसका अधिकतर भाग मान्यता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्र है और साथ ही लगते हुए आवासीय क्षेत्र हैं, जिसमें घनी आबादी है जैसे- नेहरू नगर, बलजीत नगर, आनंद पर्वत, रोहतक रोड आदि। यहां डी.डी.ए. द्वारा ली गयी जमीन खाली पड़ी है। इसमें लगभग दो तीन सौ बीघा जमीन खाली है और कहीं-कहीं बड़ी-बड़ी जमीन करीब 5000 गज या इससे भी अधिक है जिस पर भूमाफिया कब्जा करते रहते हैं। इससे आसपास की कालोनी वालों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

मेरा केन्द्रीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस खाली जमीन को डी.डी.ए. दीवार बनवा कर सुरक्षित करे और फिर जनहित में एक बड़ा 500 बिस्तर का अस्पताल, दो सीनियर सैकेण्डरी स्कूल, एक बड़ा पार्क तथा वहां के निवासियों तथा व्यवसायिक क्षेत्रवासियों के लिए पार्किंग स्थल, बारात घर, बाल विकास केन्द्र आदि बनाये जायें।

एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहती हूं कि जहां के जो गरीब निवासी हैं उनके लिए हम उन्हीं कच्चे पक्के मकानों के स्थल पर डी.डी.ए. द्वारा घर निर्मित करके कम मूल्य पर दें तथा कुछ घर डी.डी.ए. द्वारा वहीं के व्यवसायिक व्यक्तियों को दिये जायें जिससे दूर से आने वाले व्यवसायियों को ट्रैफिक का सामना न करना पड़े और इसमें आने जाने में खर्च होने वाले पेट्रोल की भी ठीक बचत होगी तथा आवासीय घरों की कमी दूर होगी इससे से जो झुग्गी-झोंपड़ियां हैं, उन्हें रहने के लिए पक्के घर मिल सकेंगे।

(पांच) छत्तीसगढ़ और देश के अन्य भागों में बच्चों में कुपोषण की समस्या का समाधान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड (नामनिर्दिष्ट): भारत में कुपोषित बच्चों के बारे में विभिन्न राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों के आंकड़े 47 प्रतिशत भारतीय बच्चों का भविष्य अंधकारमय दर्शाते हैं। यूनिसेफ के अद्यतन आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत में 5 वर्ष से कम आयु के 47 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से ग्रस्त हैं।

इसके कारणों में कम मात्रा में स्तन पान, उच्च जनसंख्या घनत्व, संक्रामक रोगों की उच्च दर, महिलाओं की असाक्षरता की उच्च दर, कम उम्र में विवाह, टीकाकरण की न्यून दर और कम वजन वाले बच्चों की उच्च जन्म दर।

केवल छत्तीसगढ़ में ही कुपोषण से होने वाली मृत्यु की दर लगभग 300 प्रति वर्ष है।

कुपोषण से ग्रषित अधिकतर बच्चे दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं जहां स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं अप्रर्याप्त हैं।

कुपोषित बच्चों की उक्त उच्च दर से भारत के भविष्य की आर्थिक संभावनाओं को निश्चित रूप से कमजोर करेगी।

कुपोषित बच्चों का यदि इलाज नहीं किया जाता है तो वयस्क होने पर अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार वे देश के श्रम बल में योगदान नहीं कर सकते हैं।

[सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड]

मैं माननीय मंत्री जी से इस संबंध में उचित कदम उठाने और बच्चों में कुपोषण के मुद्दे का समाधान करने का भी अनुरोध करती हूं।

(छह) उत्तर प्रदेश के जालौन गरौठा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा, उ.प्र. में काफी संख्या में लोग मिलिट्री एवं पैरा मिलिट्री सर्विस में कार्यरत हैं, जो कि दूरदराज क्षेत्र बार्डर आदि पर पोस्टेड हैं, जिसकी वजह से वे अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं एवं बहुत से अधिकारी जिनकी स्थानांतरित सर्विस है, वे भी उरई, जालौन जैसे पिछड़े क्षेत्र में अच्छे विद्यालय न होने की वजह से अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से मांग है कि मेरे संसदीय क्षेत्र जालौन गरौठा में एक केन्द्रीय विद्यालय खोलने की कृपा करें।

(सात) तुमकुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, कर्नाटक में शिक्षा, रोजगार और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. मल्लिकार्जुनैया (तुमकुर): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बेरोजगारी बढ़ रही है। यहां चिकित्सा अभियांत्रिकी महाविद्यालय एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान हैं। प्रतिवर्ष हजारों छात्र उत्तीर्ण होकर निकल रहे हैं। परन्तु उचित अवसरों की कमी के कारण उन्हें कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। इस प्रकार की बेरोजगारी ज्यादा है।

इस चिंताजनक स्थिति के मद्देनजर, मैं सरकार से शिक्षित छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

यहां की सड़कें भी जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं और यहां बार-बार दुर्घटनाएं होती हैं और लोगों की जानें जाती हैं। सड़कों को चौड़ा कर और इनका रख-रखाव करते हुए इनका समुचित रख-रखाव करना बहुत जरूरी है।

चूंकि तुमकुर बंगलोर से काफी निकट है यानि लगभग 70 कि.मी. की दूरी पर है, तुमकुर में प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित किया जाना है। मैं सरकार से इस कार्य के लिए आगे आने का अनुरोध करता हूं।

सभी प्रकार के आधुनिक उपकरणों और अवसंरचना वाला एच.एम.टी. कारखाना चालू नहीं है। कुप्रबंधन के कारण उक्त कारखाना बंद पड़ा है और उक्त कारखाने को पुनर्जीवित करने के कई प्रयासों के बावजूद अब तक कोई समाधान तैयार नहीं किया जा सका है। इसके परिणामस्वरूप हजारों लोग बेरोजगार हैं।

तुमकुर के लोगों की लंबी मांग यह है कि शिक्षा, रोजगार और वाहनों के सुगम यातायात के लिए बेहतर सड़कों जैसी मौलिक सुविधाएं दी जाएं।

मैं भारत सरकार से तुमकुर के लोगों की शिकायतों के यथाशीघ्र समाधान हेतु तत्काल कदम उठाने का पुनः आग्रह करता हूं।

(आठ) पुष्कर राजस्थान में पर्यटकों को सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर अत्यंत प्राचीन महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धर्मस्थल है। इसे तीर्थ गुरु भी कहा गया है। विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर भी यहीं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि का केन्द्र पुष्कर ही है। यहीं पर जगतपिता ब्रह्मा ने सृष्टि रचने हेतु यज्ञ का आयोजन किया था। तीर्थ राजपुष्कर मंदिरों की नगरी है तथा सर्व सम्प्रदायों की श्रद्धा एवं आस्था का केन्द्र है। देश विदेश के पर्यटक भी साल भर तथा विशेषतः मेले के दौरान बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। परन्तु, खेद है कि पुष्कर की प्रसिद्धि का आधार पुष्कर सरोवर, जिसमें लाखों लोग स्नान का पुण्यार्जन करते हैं, विगत सालों से भयंकर प्रदूषण का शिकार है। किनारे पर बने हुए होटलों से गंदा पानी आने, पहाड़ों की रेता, मिट्टी बहकर आने से जहां पानी मैला और गंदा हो गया है वहीं गाद और मिट्टी से भर जाने के कारण जल भराव क्षमता बहुत कम रह गयी है। पानी आने के रास्तों पर अतिक्रमण हो जाने, अवरोध पैदा होने से बहुत कम पानी की आवक रहती है जिससे वर्षभर यात्रियों को बहुत परेशानी रहती है।

अतः भारत सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति विभाग से प्रार्थना है कि इस तीर्थगुरू पुष्कर की गरिमा अक्षुण्ण रखने, तीर्थ का गौरव बनाये रखने तथा लाखों यात्रियों की सुविधार्थ इसमें समुचित जल की मात्रा बनाये रखने हेतु पानी बहकर

आने के मार्गों पर अतिक्रमण हटवाये जायें, फीडर का निर्माण कराया जाये तथा पुष्कर सरोवर की गाद, मिट्टी, रेत निकालकर इसकी सफाई करवाकर प्रदूषण मुक्त किया जाये।

(नौ) पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश के अन्य भागों में मस्तिष्क ज्वर इन्सेफलाइटिस को फैलने से रोके जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): मस्तिष्क ज्वर (इंसेफलाइटिस) से देश के विभिन्न भागों में हर साल हजारों मौतें होती हैं। मस्तिष्क ज्वर एक जानलेवा बीमारी है जो जुलाई से अक्तूबर तक फैलती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के कुछ भाग हर साल इसकी चपेट में आते हैं। पिछले 28 सालों में पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस बीमारी से 50000 से अधिक मौतें हुई हैं। अकेले बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर, उ.प्र. में पिछले साल 3000 से अधिक रोगी इस बीमारी से भर्ती हुए जिनमें से 1000 से अधिक मौतें हुई हैं। यह बीमारी 18 साल से कम उम्र वाले बच्चों को ही अक्सर अपनी चपेट में लेती है। अगर समय से उपचार नहीं हुआ तो मरीज मर जाता है। एक बार जो इस बीमारी की चपेट में आता है वह अगर इस बीमारी से छुटकारा पा भी ले तो भी वह मानसिक अथवा शारीरिक रूप से विकलांगता की स्थिति में पहुंच जाता है। बीमारी की भयावहता को देखते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री पिछले साल गोरखपुर गये थे, टीकाकरण तथा छिड़काव का आश्वासन माननीय मंत्री द्वारा दिया गया था लेकिन समय से टीकाकरण न होने तथा छिड़काव की कोई व्यवस्था न होने के कारण अब तक बी.आर.डी. मेडिकल कॉलेज में 500 से अधिक मस्तिष्क ज्वर के मरीज भर्ती हुए हैं जिनमें से 100 के लगभग मौतें हुई हैं।

मैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस बीमारी के रोकथाम के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश के चिन्हित क्षेत्रों में टीकाकरण तथा छिड़काव की पर्याप्त व्यवस्था तथा इसकी रोकथाम का एक केन्द्र गोरखपुर में खोलने की व्यवस्था करने का कष्ट करें।

(दस) उत्तरांचल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पर्याप्त खाद्यान्न जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश में और विशेषकर उत्तरांचल में उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण करने में असफल सिद्ध हो रही है। इस साल उत्तरांचल सूखाग्रस्त रहा है और यहां के सीमांत कृषकों के पास भोजन के लिये अन्न उनके घर पर नहीं के बराबर है। दूसरी ओर गेहूं सरकारी सस्ते गलले की दुकानों पर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। खाद्यान्न की कमी व बढ़ती कीमतों के कारण गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के लिये जीवन का संकट पैदा हो गया है।

अत्यधिक ऊंचाई वाले दूरस्थ क्षेत्रों के खाद्यान्न गोदाम खाली पड़े हुए हैं और खुले बाजार में भी आवश्यक खाद्य वस्तुयें उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों को तो खाद्यान्न का आबंटन ही बंद हो गया है।

इन विषम परिस्थितियों में मेरा केन्द्र सरकार से आग्रह है कि वह उत्तरांचल को अतिरिक्त खाद्यान्न आबंटित करते हुए पूर्व की भांति वहां के सुदूर क्षेत्र के लोगों को पर्याप्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु तत्काल राहत के उपाय करें।

(ग्यारह) संगठित और असंगठित क्षेत्रों में बाल श्रम को रोकने के लिए तंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): हमारे देश को स्वतंत्र हुए 60 वर्ष हो चुके हैं, परन्तु संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में बाल श्रमिक गंभीर चिंता का विषय है। यह भी बहुत चिंता की बात है कि विश्व के 21 करोड़ बाल श्रमिकों में से 9 करोड़ भारत में हैं। सर्वशिक्षा अभियान शुरू होने के बावजूद बाल श्रमिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए आत्म-परीक्षण की आवश्यकता है। बाल श्रमिकों के रोजगार का विनियमन करने वाले सभी वर्तमान कानूनों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। हमारे देश के सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की पृष्ठभूमि को देखते हुए इस समस्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार को आगे आना चाहिए और हमें भी हमारी भविष्य की पीढ़ियों की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए तथा हमारे बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए ईमानदारी से कार्य करना चाहिए।

(बारह) मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में समस्त सुविधा सम्पन्न अस्पताल खोले जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

डा. शफीकुर्रहमान बर्क (मुरादाबाद): महोदय, मैं आपका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र मुरादाबाद की ओर दिलाना चाहता हूं। इस संदीय क्षेत्र में लगे हुए रामपुर, अमरोहा एवं संभल

[डा. शफीकुर्रहमान बर्क]

संसदीय क्षेत्र भी है जिनकी कुल आबादी 50 लाख के लगभग है। मुरादाबाद शहर मुख्य केन्द्र है। यहां केन्द्र सरकार के अनेक कार्यालय हैं एवं पीतल उद्योग का बड़ा निर्यातक केन्द्र है। सभी सुविधायें इस शहर में होने के बावजूद यहां केन्द्र सरकार को कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जिस कारण यहां व आसपास के जिलों के मरीजों को लेकर दिल्ली भागना पड़ता है। जो अस्पताल इस जिले में है वह मरीजों के इलाजों व उनकी सुविधाओं को देखते हुए काफी नहीं हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता जिला मुरादाबाद में एक केन्द्रीय अस्पताल खुलवाने की मांग सालों से करती आ रही है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरे संसदीय क्षेत्र जिला मुरादाबाद में सभी सुविधाओं से युक्त एक केन्द्रीय अस्पताल शीघ्र खुलवाने का कष्ट करें।

(तेरह) संसद सदस्यों की पहचान के लिए उनके वाहनों पर बीकन लाईटों के प्रयोग की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): महोदय, देश के अनेक राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अपने सदस्यों को अपनी निजी गाड़ियों में पहचान के तौर पर हरी एवं अन्य प्रकार की बत्तियां लगाने की अनुमति दी हुई है तथा जिला पंचायत अध्यक्ष को राज्य मंत्री का दर्जा देते हुए लाल बत्ती लगाने की अनुमति दी गई है। माननीय सांसद जो अनेक तहसीलों व एक से अधिक जिलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, को किसी भी प्रकार की बत्ती, हूटर, बोर्ड, नाम पट्टिका, वाहन के आगे व पीछे एवं सायरन आदि गाड़ी में लगाने की सुविधा प्रदान नहीं की गयी है जिस कारण माननीय सांसदों को अपने क्षेत्र में विकास कार्यों के निरीक्षण, ग्रामीण दौरों एवं आम सभाओं व पार्टी की मीटिंग में भाग लेने, प्रशासनिक अधिकारियों एवं जिला समितियों के पदाधिकारियों से मिलने एवं तहसील एवं जिला स्तर पर लगने वाले जनता दिवसों में भाग लेने तथा संसदीय क्षेत्र के भ्रमण एवं अन्य प्रकार के आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ता है। टोल टैक्सों, अन्य प्रकार के पुलों एवं सड़कों पर बने बैरियरों पर पहचान के लिए माननीय सांसदों को अपना पहचान पत्र दिखाना पड़ता है जो बेहद ही अशोभनीय है।

अतः सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि माननीय सांसदों की उक्त परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपनी पहचान के लिए निजी वाहनों में किसी भी रंग की बत्ती, सायरन, हूटर एवं नाम पट्टिका व बोर्ड इत्यादि लगाने की अनुमति प्रदान की जाये।

(चौदह) पटना, बिहार में "राष्ट्रीय बागवानी मिशन" के अंतर्गत कृषि उत्पाद खुदरा बिक्री केन्द्र खोले जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना): महोदय, सरकार इस साल के बजट में राष्ट्रीय बागवानी मिशन की स्थापना की बात की है। साथ ही साथ प्रधान मंत्री जी भी इस मिशन के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। इस मिशन के द्वारा एकीकृत ढंग से एक ही दायरे में शोध, उत्पादन, फसल पश्चात प्रबंधन, प्रसंस्करण और समुचित विपणन के लिए हर सिरे पर पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। बागवानी का क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र के 20 प्रतिशत और उसके निर्यातांश के 54 प्रतिशत हिस्से की पूर्ति करता है जबकि इसका जोत क्षेत्र का हिस्सा मात्र 8.5 फीसदी ही है। अतः बागवानी क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने की असीम संभावनायें हैं। इसी मिशन के तहत देश के कई भागों में कृषि उत्पादन बिक्री केन्द्र स्थापित करने की योजना है उसमें एक केन्द्र पटना में स्थापित होनी है।

मैं सदन के माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि पटना में इस केन्द्र की स्थापना के लिये जल्द से जल्द कदम उठायें जिससे कि राज्य के किसानों को लाभ मिल सके।

(पन्द्रह) रामनाथपुरम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, तमिलनाडु में घरेलू हवाई अड्डा स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): रामनाथपुरम निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक रूप से बहुत वृहत है। इसकी लंबाई 250 किलोमीटर है और यह तीन जिलों से गुजरता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बारह लाख से ज्यादा लोग रहते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रामेश्वरम के निकट उचिपाली कस्बे में नौसेना का एक एयर स्टेशन है। मैं भारत सरकार से निम्नलिखित कारणों से मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक घरेलू विमानपत्तन स्थापित करने का अनुरोध करती हूं। भारत की महत्वाकांक्षी परियोजना सेतु समुन्द्रम, जोकि राष्ट्रीय अखंडता का प्रतीक है, को रामेश्वरम में शुरू किया जा चुका है। द्वितीय रामेश्वरम को अंतर्राष्ट्रीय तौर पर पवित्र पूजा तथा धरोहर के रूप में जाना जाता है वहां सांस्कृतिक पर्यटन हेतु

असीमित संभावनाएं हैं। संपूर्ण भारत से लोग प्रतिदिन रामेश्वरम, तिरुपुलानी, तिरुत्तरकोसामंगई, देवीपट्टिनम, कलईयारकोंहल, इरवड़ी आदि जैसे पवित्र पर्यटन केन्द्रों पर आते हैं। यह सभी रामनाथपुरम कस्बे के निकट हैं। संपूर्ण विश्व का एक अन्य व्यवसाय मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, जिसे इसे घरेलू विमानपत्तन की बहुत आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में एक ऐसे विमानपत्तन का निर्माण करने से भारत सरकार को एक लाभदायक विमानपत्तन मिलेगा।

(सोलह) ऑल इंडिया आई.डी.बी.आई. इम्पलाईज एसोसिएशन, मुम्बाई और निदेशक मंडल आई.डी.बी.आई. के बीच छठे द्विपक्षीय समझौते को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल (बुलढाना): भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम 1964 के अंतर्गत 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक के सम्पूर्ण स्वामित्व वाले अनुषंगी बैंक के रूप में कार्य करने के लिए की गई थी। 1977 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से अलग कर एक स्वायत्त निकाय बनाया गया। 1977 से कर्मचारियों को स्वतः ही भारतीय रिजर्व बैंक में प्रचालित वेतन दिया जा रहा है तथा उन पर द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक वाले निबंधन एवं शर्तें लागू होती हैं। वर्तमान समझौता जोकि छठा द्विपक्षीय समझौता है, उस पर 17 मार्च, 2006 को अखिल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी संघ, मुम्बई तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मंडल के बीच हस्ताक्षर किए गए, इसे 01 नवम्बर, 2002 से लागू किया जाना है।

भारतीय औद्योगिक विकास बैंक निरसन अधिनियम के पारित होने तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक द्वारा अधिग्रहण से एकीकरण के बावजूद, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक लिमिटेड के प्रबंघन ने 16 अगस्त, 2005 को हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय समझौते के माध्यम से भारतीय रिजर्व बैंक की तरह ही विशेष प्रतिपूर्ति भत्ता प्रदान किया।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत उक्त एकीकरण योजना मार्च 2003, तक विलय पूर्व भारतीय औद्योगिक विकास बैंक में नियोजित कर्मचारियों की निबंधन एवं शर्तों का संरक्षण सुनिश्चित करती है।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने 17 मार्च, 2006 को हस्ताक्षर किए गए द्विपक्षीय समझौते के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति नहीं दी है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे 17 मार्च, 2006 को अखिल भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कर्मचारी संघ, मुंबई तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के निदेशक मंडल के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते को लागू कराएं तथा भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के कर्मचारियों के साथ न्याय करें।

(सत्रह) झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयले की तस्करी रोके जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता (हजारीबाग): महोदय, झारखंड तथा पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों से कोयले का अवैध खान तथा अरबों रुपये के कोयला की तस्करी हो रही है। अवैध खनन से तमाम निकाला गया कोयला की खरीद स्पनज आइरन के कारखाना एवं फर्जी डिपो में जाता है। हर साल सैकड़ों मजदूरों की मौत अवैध खनन में हो जाती है। कोई उसकी सुध लेने वाला भी नहीं होता। अकेले झारखंड में महीने में अरबों रुपये की कोयला की तस्करी होती है। इस संबंध में माननीय कोयला मंत्री, केन्द्र सरकार मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक झारखंड सरकार को दर्जनों बार लिखित सूचना दी गयी, लेकिन राज्य सरकार और पदाधिकारी विशेषकर पुलिस पदाधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं तथा चार सौ रुपये के स्थान पर मात्र 80 रुपये मजदूर को दिया जा रहा है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि राष्ट्रहित में कोयला की तस्करी बंद करवायें।

(अठारह) बीड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, महाराष्ट्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास उपाय शुरू किए जाने की आवश्यकता

श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील (बीड): महोदय, मेरा चुनाव क्षेत्र, बीड, महाराष्ट्र गोदावरी नदी के पानी से बाढ़ग्रस्त हुआ है। गेवराई व माजलगांव परली तहसील के गोदावरी किनारे के अनेकों गांव का सम्पर्क टूट गया है। बहुत सारे गांव के किसानों को सेना की मदद से सुरक्षित जगह लाया गया है। गांवों से सभी झुग्गी झोंपड़ी, मिट्टी के घर व जानवरों का चारा और फसल बह जाने से सब तरफ तबाही मच गयी है। यहां तक कि गाय, बैल, भेड़-बकरियां भी बह गयी हैं। नदी किनारे गांवों के सारे किसान निराश्रित हो गए हैं।

राज्य शासन की ओर से आज उन्हें केवल दो समय का

[श्री जयसिंगराव गायकवाड़ पाटील]

भोजन दिया जा रहा है। लेकिन किसान भविष्य के बारे में चिंतित हैं। वैसे तो बीड जिले में बारिश की कमी के कारण खरीफ की फसल पर भारी असर हुआ है। दूसरी तरफ ऊपरी इलाके में भारी बारिश के कारण गोदावरी में बाढ़ व जायकवाड़ी प्रकल्प से अतिरिक्त प्राणी छोड़ने के कारण गोदावरी किनारे के गांव के किसानों को दुतरफा मार पड़ी है। इन किसानों को सहारा व तत्काल मदद की जरूरत है।

अतः मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस विषय में व्यक्तिगत रूप से ध्यान दें। बीड जिले के उपरोक्त क्षेत्र के परिस्थिति का जायजा लें व बाढ़ पीड़ित किसानों के सभी प्रकार के नुकसान के पंचनामें तुरंत करें, जानवरों के चारे की व्यवस्था, किसानों के लिए लगे कम्प आगे और तीन महीने तक चालू रहे, इन्हें दी जाने वाली मदद का पहला हफ्ता तत्काल देने की व्यवस्था करें व भविष्य में ऐसी नौबत फिर न आये इसलिए इन सभी गांवों का पुनर्वसन कार्य शीघ्र शुरू करने का कष्ट करें ताकि मेरे चुनाव क्षेत्र बीड लोक सभा महाराष्ट्र के किसानों का भविष्य भयमुक्त व चैन अमन से परिपूर्ण हो।

(उन्नीस) बिहार में छपरा, कप्तानगंज और महाराजगंज में विभिन्न रेल परियोजनाओं से संबंधित कार्य शीघ्र पूरा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, देश में विभिन्न रेल परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं, जिसमें बिहार प्रांत अंतर्गत छपरा से कप्तानगंज वाया सिवान थावे छोटी लाइन से बड़ी लाइन में परिण्त करना, एवं महराजगंज से मशरक, नयी रेल लाइन, प्रमुख है। छपरा से कप्तानगंज परियोजना छोटी रेल लाइन से बड़ी लाइन बिछाने की है, जिसका काम शिथिल पड़ा हुआ है। पिछली सरकार ने दुरौंदा से मशरक तक की परियोजना स्वीकृत की थी, जिसमें दुरौंदा से महराजगंज के बीच रेल का परिचालन भी शुरू हो गया है, जबकि महराजगंज से मशरक रेल लाइन के लिए अभी तक जमीन का अधिग्रहण का काम अत्यंत ही धीमी गति से चल रहा है।

उपरोक्त दोनों परियोजनाओं के पूरा हो जाने से जहां इसके आसपास के हजारों गांव की आम जनता लाभान्वित होगी वहीं इस क्षेत्र के पड़ने वाले व्यवसायिक केन्द्रों के बीच व्यवसायिक गतिविधियां काफी बढ़ जायेंगी जिसके कारण आम जनता के साथ-साथ व्यवसायियों तथा सरकार को भी काफी राजस्व का लाभ होगा।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि छपरा से कप्तानगंज वाया सिवान थावे रेल लाइन तथा महाराजगंज से मशरक स्वीकृत रेल परियोजना का कार्य शीघ्र कराया जाये।

(बीस) बंगलौर तथा देश के अन्य भागों में अस्थाई कामगारों की सेवाओं को नियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): पूरे भारत में एक लाख से अधिक अस्थायी कर्मचारी पिछले तीन महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। बंगलौर में ही 15,000 से अधिक कर्मचारियों ने सरकार को अपना ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए विधान सभा तक जुलूस निकाला। इनमें से अनेक मजदूरों ने लगभग 10 से 15 वर्षों तक कार्य किया है और ये आज भी अस्थायी कर्मचारी हैं। नालियों की सफाई और मरम्मत के कार्य में लगे कर्मचारियों का जीवन दयनीय है क्योंकि उन्हें बहुत कम वेतन मिलता और उनके बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं। उनका स्वास्थ्य भी तेजी से बिगड़ रहा है। इस संबंध में केंद्र सरकार को कम से कम एक दर्जन अभ्यावेदन प्राप्त हो चुके हैं। दुर्भाग्यवश, इस गंभीर मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है और बाल मजदूरी तथा बंधुआ मजदूरी स्वतंत्रता प्राप्ति के 59 वर्षों बाद आज भी जारी है।

बीड़ी कारखानों, माचिस कारखानों, अगरबत्ती उद्योगों पटाखे बनाने वाले कारखानों तथा ऐसे अन्य उद्योगों में कार्यरत लोगों को भी समय पर वेतन नहीं मिल रहा है। उन्हें मामूली से वेतन के लिए काम करना पड़ता है। वे अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाकर इन श्रमिकों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्काल कदम उठाए ताकि अन्य कर्मचारियों की तरह वे भी शांतिपूर्ण जीवन जी सकें।

(इक्कीस) अनुसूचित जातियों के लोगों को जाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए उत्तरांचल सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की जांच किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मुंशी राम (बिजनौर): महोदय, उत्तरांचल सरकार उत्तरांचल में निवास करने वाली अनुसूचित जातियों को जो कि उत्तरांचल की अनुसूचित जाति की मूल जाति नहीं है, परन्तु उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति में आती है एवं

उत्तरांचल इससे पूर्व उत्तर प्रदेश का ही एक अंग था। पृथक राज्य बन जाने के पश्चात् उत्तरांचल के सभी नियम एवं कानून उत्तर प्रदेश के ही लागू किये गये थे। जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने में ही क्यों भेदभाव किया जा रहा है।

अतः मेरी भारत सरकार से मांग है कि उत्तरांचल में रह रहे खटीक, बाल्मीकि, धनगर आदि जो पूर्व से उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति के लोग हैं, उन्हें अविलम्ब जाति प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश उत्तरांचल सरकार को दिया जाये एवं उत्तरांचल सरकार से स्पष्टीकरण मांगा जाये कि इस तरह की भावनाएं किस कानूनी संशोधन के द्वारा पैदा की गयी है।

अध्यक्ष महोदय: सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 4.00 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न बजे

(लोक सभा अपराह्न 4.00 बजे पुनः समवेत हुई)

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम विशेष उल्लेखों पर चर्चा करेंगे।

योगी आदित्यनाथ बोलेंगे।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन का ध्यान देश के विभिन्न भागों में भुखमरी से जो मौतें हो रही हैं, उनकी ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 2000 में, एन.डी.ए. सरकार के समय भारत के अन्दर कहीं भी भूख से मौत न हो, इस बात को ध्यान में रखकर कुछ योजनाएं लागू की गयी थीं। काम के बदले अनाज, अन्त्योदय, अन्नपूर्णा और बी.पी.एल. आदि ऐसी ही योजनाएं थीं, लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इन सभी योजनाओं का विभिन्न क्षेत्रों में बड़ा दुरुपयोग हुआ है और वे योजनाएं चन्द लोगों की लूट-खसोट का जरिया बन गयी हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में पिछले 20 महीनों में 35 से अधिक मौतें भूख से हुई हैं। मैंने अप्रैल में एक कॉलिंग अटेंशन सदन में दिया था, जिसका उत्तर इस सदन में सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किया गया था।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, यह ठीक नहीं है, माननीय सदस्य की जानकारी का स्रोत क्या है?...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: महोदय, मैं इसके प्रमाण दे रहा हूं और तथ्यों पर आधारित बातें कह रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां स्टेट मैटर मत लाइए। बड़ी मुसीबत हो गयी है।

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: महोदय, मेरे पास तथ्य हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह उसके लिए सही जगह नहीं है। यह पार्लियामेंट में नहीं चलेगा। कोई स्टेट मैटर यहां नहीं उठाया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ: महोदय, यह किसी एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि भुखमरी से जो मौतें हो रही हैं, उसका मामला है। हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम में जो कमियां हैं, मैं उनकी ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं ऐसा करने का प्रयास कर रहा हूं। आप सुनते क्यों नहीं हैं?

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ : महोदय, पहले मेरी बात तो सुन ली जाए। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वयं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ कृपया आप बैठ जाइए। मैं और कुछ करने की अनुमति नहीं दूंगा। आप अवसर का दुरुपयोग कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, डा. करण सिंह यादव अपने विषय को उठाएंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: योगी आदित्यनाथ, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित मत कीजिए।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: राजस्थान के रूरल पीपल की समस्या है, उसे सुनिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. करण सिंह यादव (अलवर): महोदय, राजस्थान में इस वर्ष बाढ़ आने से राजस्थान के कुछ जिलों में बहुत भारी संख्या में लोगों की जनहानि हुई है। जब भी कोई कैलेमिटी या प्राकृतिक आपदा आती है, तो कुछ मौतें अवश्य होती हैं, उनको हम नहीं बचा पाते हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: योगी जी, आपको अन्य सदस्यों की अपेक्षा अधिक अनुशासित होना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. करण सिह यादव: मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि एक नदी के बीच में लोग 10 घंटे तक फंसे रहे और लोग वहां खड़े होकर उनको देखते रहे। यहां तक कि राजस्थान सरकार के एक मंत्री भी वहां खड़े रहे और...*(व्यवधान)* उनको बचा नहीं पाए।...*(व्यवधान)*

वहां राजस्थान के मंत्री खड़े रहे और उन लोगों को बचा नहीं पाए।...*(व्यवधान)* मैं यह नहीं कहता कि वहां की सरकार ने कोई प्रबंध नहीं किया और न ही मैं इस पर कोई राजनीति कर रहा हूं।...*(व्यवधान)* लेकिन मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि वहां आपकी आंखों के सामने लोग पानी में डूब गए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रधानमंत्री को बुलाइए।

मुझे नहीं लगता कि आप सभा की कार्यवाही चलने देने के पक्षधर हैं।

[हिन्दी]

डा. करण सिंह यादव: बाड़मेर में बाढ़ आने के कारण कई गांवों के लोग दूसरी जगह चले गए।

अध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

डा. करण सिंह यादव: मेरा यह निवेदन है कि केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने का काम तुरंत शुरू करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री निखिल कुमार।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कोई सहयोग नहीं करता है। मेरा विचार है कि एक दिन कोई कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): महोदय, मैं आपको इस अवसर के लिए धन्यवाद देता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग किसी की बात सुनने भी नहीं देते, सिर्फ खुद ही बोलते रहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया प्रधानमंत्री को बुलाइए।

संसदीय कार्य तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं आपको सूचित करना चाहूंगा

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कि आज हम व्यवसाय कार्य सूची के अनुसार जारी रखे हुए हैं। एकमात्र लंबित महत्वपूर्ण कानून वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक है जिसे राष्ट्र को टाइगर प्रोजेक्ट हेतु प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता के साथ राज्य सभा से पारित किया गया है। यह वनों और टाइगर प्रोजेक्ट से अत्यावश्यक रूप से जुड़े है। यह विधेयक लंबित है। मैं आप से अनुरोध करता हूं कि 'शून्य काल' के एक या दो मामलों पर विचार करने के बाद आप हमें इस विधेयक को पारित करने दें...*(व्यवधान)* मुझे बात पूरी करने दीजिए। *[हिन्दी]* जब मैं अपनी बात कह दूं, तब आप अपनी बात खड़े होकर कह देना। इस तरह से बीच में टोकना उचित नहीं है। कृपया मुझे कहने दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देवेन्द्र प्रसाद जी, आप भी नहीं समझते और खड़े होकर बीच में बोलने लगते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): हमारा विषय बहुत गंभीर है। दिल्ली में रिक्शा चालन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी मौका दूंगा। सबके गंभीर मुद्दे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाला बिल स्पेशल मेंशन के बाद ले लें। हमारे यू.पी.ए. की तरफ से कोई सदस्य उस पर नहीं बोलेगा। यह संशोधन बिल है, मंत्री जी को इसे मूव करने दें और फिर इसे पारित किया जाए। उसके बाद आप वैलिडिक्ट्री स्पीच दे दें, प्रधान मंत्री जी भी आ जाएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उस विधेयक पर आऊंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ विषयों के बाद मैं इसे लूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर आऊंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): संशोधनों को परिचालित नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, क्या आप विधेयक को पारित नहीं कराना चाहते हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: मैं विधेयक को पारित कराना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: तो कृपया सहयोग कीजिए।

श्री निखिल कुमार: महोदय, मुझे यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं केन्द्र सरकार, केन्द्रीय विद्युत मंत्री और संप्रग की अध्यक्ष का एक महत्वपूर्ण विद्युत परियोजना की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसको बिहार में विद्युत स्थिति पर गंभीर प्रभाव होगा। बिहार में मेरे संसदीय क्षेत्र औरंगाबाद के नमीनगर में 2200 मेगावाट परियोजना स्थापित होगी। इस परियोजना के विषय में मुझे बोलना का अवसर के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं जो कि सत्रह वर्ष से लंबित है। यह वह परियोजना है जिसका सूत्रपात 1989 में हुआ था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप दुखी कर रहे हैं।

श्री निखिल कुमार: किंतु 1999 तक परियोजना में कोई प्रगति नहीं हुई थी। केवल 1999 में इसे सक्रिय करने के प्रयास किए गए थे। योजना आयोग से परामर्श सहित इसके संभाव्यता अध्ययन पूर्ण हो चुके थे। यह वह समय था जब विद्युत क्रय समझौते को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए था। चूंकि सामान्यतः इन विद्युत परियोजनाओं का निर्माण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जाता है, इसलिए इस मोलभाव करना और करार को अंतिम रूप देना चाहिए। किन्तु एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए रेल मंत्रालय ने एक रेल विद्युत निर्माण निगम की स्थापना करके इसका निर्माण करने की पेशकश की जिसमें उसकी साम्या 51 प्रतिशत थी। ऐसा कभी नहीं सुना गया था और इससे विद्युत और रेल मंत्रालयों के बीच विवाद पैदा हो गया। यद्यपि, इस मामले को किसी तरह सुलझा लिया गया और यह उम्मीद की गई थी कि जब परियोजना अस्तित्व में आएगी, इससे बिहार की विद्युत समस्या का समाधान होगा क्योंकि इसे 2200 मेगावाट की विद्युत परियोजना होना था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको बहुत कम शब्दों में इसके बारे में बताना चाहिए। लंबे भाषण दिए जा रहे हैं। आप इसे किस प्रकार चलाने की हिम्मत करेंगे? हमें पूरी कार्य प्रणाली बदलनी पड़ेगी। कृपया समाप्त कीजिए।

श्री निखिल कुमार: तेरहवीं लोकसभा भंग हो गई। लोक सभा के भंग होने के पश्चात् एक पखवाड़े बाद इसकी आधारशिला रखी गई थी।

यह आधारशिला आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति के अनुमोदन के बिना रखी गई थी।

अध्यक्ष महोदय: यहां राज्य से संबंधित मामले उठा जा रहे हैं।

श्री निखिल कुमार: महोदय, यह एक अनिवार्यता है। सी.सी.ई.ए. का अनुमोदन अनिवार्य है। वह नहीं लिया गया था। आज तक यह अनुरोध आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति के पास लंबित है यद्यपि वित्त मंत्रालय ने इस परियोजना को सहमति भी दे दी है। यह न केवल बिहार अपितु पूरे पूर्वोत्तर भारत और शायद पूरे देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। यह 2200 मेगावाट की परियोजना है। मेरी केन्द्र सरकार, माननीय विद्युत मंत्री और संप्रग की अध्यक्ष से अपील है कि कृपया देखें कि आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति का बिना किसी और देरी के अनुमोदन परियोजना के लिए मिले ताकि निर्माण कार्य शुरू हो सके।

अध्यक्ष महोदय: यह समय अविलंबनीय महत्व के मामलों के लिए है। हमारे शब्दकोश में अविलंबनीय का कोई अर्थ नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): अध्यक्ष जी, धान का समर्थन मूल्य माननीय कृषि मंत्री श्री शरद पवार जी ने 40 रुपये बढ़ाकर 640 रुपये प्रति क्विंटल किया है। वास्तव में धान का मैनेजमेंट अगर छोड़ भी दिया जाए, तो भी उसका खर्चा 1000 रुपये प्रति क्विंटल आता है। विदर्भ में धान उगाने वाले जो जिले हैं, उनमें लागत न मिलने के कारण किसान आत्महत्या कर रहे हैं। उपज के लिए जितनी लागत आती है उतनी भी पैदावार से निकलती नहीं है। रसायनिक खाद के दाम, दवा छिड़कने के दाम, बिजली का खर्चा, पानी का खर्चा, कर्जा, ब्याज और कुछ वर्षों से लगातार फसल की बर्बादी के कारण किसान परेशान हैं। इसलिए समर्थन मूल्य पूरे देश में नहीं तो जोन में करें और उसको धान का समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार को देना चाहिए। उसके साथ रसायनिक खाद, दवा, बिजली, पानी, ट्रेक्टर और अन्य खेती में काम आने वाले संसाधनों पर सब्सिडी बढ़ाना अनिवार्य है और विदर्भ के किसानों की आत्महत्या रोकने के लिए संपूर्ण कर्जा माफ करने की आवश्यकता है। उसकी उपज का उसे 1000 रुपया प्रति क्विंटल मिलना चाहिए, ऐसी मेरा आग्रह है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष जी, मैं एक संवेदनशील विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ये सभी राज्य के विषय हैं। आप यहां राज्य के विषय ला रहे हैं। मुझे नहीं पता वे यहां कैसे उठाए जा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: यह स्टेट मैटर नहीं है। यह दिल्ली की एम.सी.डी. से संबंधित विषय है। करीब 10 लाख लोग साईकिल रिक्शा चलाकर अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। मैं पूरा पत्र नहीं पढ़ना चाहता हूं, केवल कुछ लाइनें उद्धृत करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"एन.डी.एम.सी. की पद्धति पर एम.सी.डी. क्षेत्रों में दिल्ली की सभी मुख्य सड़कों पर रिक्शा चालन निषिद्ध होना चाहिए और इसके उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध नगरपालिका उपविधि के तहत एम.सी.डी. द्वारा कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

इसका क्या परिणाम होगा? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि इससे 10 लाख रिक्शा-चालक बेरोजगार हो जाएंगे। दिल्ली के सौन्दर्यकरण के नाम पर गरीबों की रोजी-रोटी छीनने का काम एम.सी.डी. द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली में रिक्शा चलाने वाले ज्यादातर परिवार पूर्वांचल के हैं। बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम या फिर उत्तरांचल के लोग ज्यादातर रिक्शा-चालक हैं। आज उनकी रोजी-रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। जब भारत सरकार लोगों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दे रही है तब दिल्ली में सौंदर्यकरण के नाम पर लाखों लोगों की रोजी-रोटी छीनने का काम किया जा रहा है। रिक्शा-चालकों पर प्रतिबंध राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य से मेल नहीं खाता है। आज 20 राज्यों में करीब 70 लाख रिक्शा-चालक हैं और अगर इस प्रकार की परम्परा शुरू हो गयी तो 70 लाख रिक्शा-चालकों की रोजी-रोटी खतरे में पड़ जाएगी। ये रिक्शा-चालक 100 रुपये रोज कमाकर अपने परिवार का भरण-पोषण करते हैं। ये 70 लाख रिक्शा-चालक 70 करोड़ रुपये की आमदनी करते हैं। उनके लिए सरकार को कोई निवेश नहीं करना पड़ता है, बल्कि वे सरकार को रिक्शा लाइसेंस के बदले कुछ चार्ज अदा करते हैं और सरकार का राजस्व बढ़ाते हैं। इसलिए मेरी केंद्र सरकार से मांग है कि वह हस्तक्षेप करे और गरीब रिक्शा-चालकों पर जो प्रतिबंध लग रहा है, उस पर तुरंत विचार करके, एक

विधान लाकर संविधान के अनुच्छेद 41 के तहत सुनिश्चित करे कि गरीब रिक्शा-चालक, जो समाज का अंतिम आदमी है, उसकी रोजी रोटी नहीं छीनी जाए।

श्री बसुदेव आचार्य : अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपने को इस विषय से सम्बद्ध करता हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यह दिल्ली का बहुत बड़ा सवाल है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह आपके द्वारा उठाया जाने वाला विषय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: दिल्ली में कांग्रेस सरकार है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप यह कह चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा दृढ़ता से इसका समर्थन करते हैं। श्री ब्रजेश पाठक दृढ़ता से इसका समर्थन करते हैं। श्री बसुदेव आचार्य समर्थन करते हैं। वे कोलकाता में अलग कार्य कर रहे हैं। श्री सुधांशु सील समर्थन करते हैं। श्री रामदास आठवले समर्थन करते हैं। श्री रामजीलाल सुमन समर्थन करते हैं। श्री अशोक प्रधान समर्थन करते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अपने नाम भेजिए।

श्री किन्जरपु येरननायडु (श्रीकाकुलम): अध्यक्ष महोदय, यह अविलंबनीय लोक महत्व का मामला है। फेरो क्रोम उद्योग मुख्य कच्चे माल क्रोम अयस्क की कमी के कारण गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। पश्चिम बंगाल, आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा में स्थित सोलह फेरो मिश्रधातु उद्योगों को कच्चा माल नहीं मिल रहा है अतः वे बंद होने के कगार पर है। हजारों कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे।

वे पूरे मिश्रधातु और स्टेनलेस स्टील उद्योग को, जिसकी लगभग 500 इकाइयां हैं, फेरो क्रोम प्रदान कर रहे हैं। अब चाहे जो भी कच्चा माल उपलब्ध हो, वे उसका निर्यात कर रहे हैं किन्तु हमारे उद्योग की स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए प्रदान नहीं कर रहे हैं। भारत में क्रोमाइट अयस्क का भंडार कुल विश्व भंडार का केवल चार प्रतिशत है किन्तु आज भारत सबसे बड़ा निर्यातक है। अन्य देशों के पास भी भंडार हैं। दक्षिण अफ्रीका के पास क्रोमाइट अयस्क के विश्व भंडार का 70 प्रतिशत है, किन्तु वे इसका निर्यात नहीं कर रहे हैं। विश्व भंडार का केवल चार प्रतिशत होने के बावजूद भारत अन्य देशों से ज्यादा निर्यात कर रहा है।

हमारे अपने उद्योग बंद होने के कगार पर हैं। ये उद्योग विष्णुपुर संसदीय क्षेत्र में हैं जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में दो उद्योग हैं जो बंद होने के कगार पर हैं। यदि सरकार दो या तीन दिन में कोई निर्णय नहीं लेती, तो पूरा उद्योग बंद हो जाएगा। अतः मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि तुरंत इसका निर्यात रोका जाए और हमारे अपने घरेलू उद्योग को कच्चा माल उपलब्ध कराया जाए।

[हिन्दी]

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रेल मंत्री जी का ध्यान 11 जुलाई, 2006 को मुम्बई में लोकल ट्रेन सीरीज बम ब्लास्ट्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस घटना में करीब 200 लोगों की जान गई और करीब 1077 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। रेल मंत्री जी, प्रधान मंत्री जी और अनेक मंत्रियों ने मुम्बई में जा कर घोषणा की थी कि मारे गए लोगों के परिजनों को और घायलों को वित्तीय मदद करेंगे। इनमें से जिनकी जानें गईं, उनके परिजनों को वित्तीय सहायता दे दी गई, लेकिन 1077 घायलों में से 424 लोग गंभीर रूप से अपाहिज हुए हैं, कई लोग अपने कान गवां बैठे हैं, कई आंख गवां बैठे हुए हैं, इन लोगों का इलाज मुम्बई के अनेक अस्पतालों में हुआ, अस्पतालों ने उनका ट्रीटमेंट करके लोगों की जान बचाई है, लेकिन रेल मंत्री जी ने जो वित्तीय सहायता देने की घोषणा की थी, वह सहायता उन्हें अभी तक नहीं मिली है। इस वजह से इन घायलों के परिजन अस्पतालों की तरफ से दबाव आने की

[श्री हंसराज जी. अहीर]

वजह से परेशान हैं क्योंकि अस्पतालों को पेमेंट नहीं दी गई है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए हैं, रेल मंत्री जी की घोषणा के अनुसार उन्हें तुरंत वित्तीय सहायता दी जाए, ताकि उनका इलाज हो सके।

अध्यक्ष महोदय: इसी तरह से छोटी और मुख्य बातें कहनी चाहिए।

[अनुवाद]

मैं इसके लिए आपको बधाई देता हूं।

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकता दक्षिण): महोदय, मैं आपका ध्यान मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों के छात्रों के आन्दोलन की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। इन छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सरकार चाहे उनकी मांग माने या न माने किन्तु वे उन पर अत्याचार कर रहे हैं। छात्रों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है और आंसू गैस छोड़ी जा रही है। उन्होंने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी ले लिए हैं।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि यदि उन्हें कुछ कहना है या उनकी कुछ शिकायतें हैं तो सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए ताकि उन्हें ऐसा महसूस न हो उन्हें मुख्य धारा से बाहर कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण इस सभा में उठाए जाने वाले अविलंबनीय लोक महत्व के अन्य मामले सभा पटल पर रखे जा सकते हैं।

[हिन्दी]

***श्री रबिन्दर कुमार राणा** (खगड़िया): महोदय, माननीय सांसद श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव ने रिक्शाचालकों की जिस समस्या को उठाया है, मेरा नाम भी उस विषय से सम्बद्ध किया जाये।

***श्री राम कृपाल यादव** (पटना): महोदय, कृपया मेरा नाम भी श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उठाये गये शून्य काल के विषय - रिक्शाचालकों की समस्या - से जोड़ा जाये।

***श्री गणेश प्रसाद सिंह** (जहानाबाद): महोदय, मैं अपना नाम श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा उठाये गये विषय से प्रतिबद्ध करता हूं जो दिल्ली के एम.सी.डी. के रिक्शाचालकों के लिए कहा गया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

***श्री अशोक प्रधान** (खुर्जा): महोदय, आज देश का किसान असहाय और बेबस महसूस कर रहा है। हम सदन में हर सत्र में किसानों की दयनीय हालत पर चर्चा करते हैं। कल भी देर रात तक किसानों की स्थिति पर चर्चा करते रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और है।

महोदय, आज किसान केवल कर्जे के लिए ही आत्महत्या नहीं कर रहा है, अपितु उसकी फसल की उचित कीमत का न मिलना, उसे बिजली-पानी समय पर न मिलना, कम रेट पर ऋण का न मिलना, उसकी जमीन का कम कीमत पर अधिग्रहण करना, उसकी फसल बाढ़ में बह जाना, सूखे से खेती का तबाह हो जाना और उसके बाद उसे सरकार से उचित सहायता न मिलना।

महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र खुर्जा में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और दादरी में ग्रेटर नोएडा फेस-2 प्राधिकरण है तथा सिकंदराबाद में यू.पी.एस.आई.डी.सी. है। ये सब सरकार की एजेंसीज हैं। ये जमीन का अधिग्रहण करके उद्योगपतियों, शिक्षण संस्थाओं, बड़े-बड़े व्यापारियों, बड़े-बड़े कालोनाइजरों और टाउनशिप व व्यावसायिक केन्द्र (मॉल) आदि एवं अन्य योजनाओं के लिए किसानों की जमीन को कौड़ियों के भाव अधिग्रहण कर हजारों और लाखों रुपये प्रतिवर्ग गज के हिसाब से बेचते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताना चाहूंगा कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में केवल लगभग 300-400 रुपये प्रतिवर्ग गज के हिसाब से जमीन का मुआवजा किसानों को दिया जाता है और उनसे बलपूर्वक कब्जा ले लिया जाता है, फिर उस जमीन को उपरोक्तों को हजारों और लाखों रुपये प्रतिवर्ग गज के हिसाब से बेचा जाता है। ग्रेटर नोएडा फेस-2 बनाया गया है जो कि दादरी की जमीन का इसी तरह से अधिग्रहण करके बड़े-बड़े उद्योगपतियों/व्यापारियों को बेचा जाएगा।

मान्यवर, मेरे संसदीय क्षेत्र में, सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र के तकरीबन 10-15 गांवों जिनमें, हमीदपुर, सराय जगन्नाथ, सराय दूल्हा, आशा देई प्रानगढ, शहबाजपुर, बोढ़ा, तालिबपुर उर्फ कनकपुर, लुहाकर, आसफपुर, जौली, मल्लपुर, महताब नगर, नगला चीनी, निजामपुर आदि की जमीनों का अधिग्रहण यू.पी.एस.आई.डी.सी. कर रहा है और किसानों की जमीनों की कीमत 13, 15 और 18 रुपये प्रतिवर्ग गज के हिसाब से दे रहा है। जबकि वहां जमीन की जमीन की कीमत हजार रुपये प्रतिवर्ग गज से भी ज्यादा है और निजी लोग वहां इस कीमत पर खरीद रहे हैं और खरीदने को तैयार हैं। यू.पी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा किसानों का यह शोषण नहीं तो और क्या है?

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

ऐसे ही खुर्जा विधानसभा के भी कुछ गांवों की जमीन यू.पी.एस.आई.डी.सी. ने वर्षों से कौड़ियों के भाव ले रखी है। आज किसान बेबस हैं और अपने आपको असहाय महसूस कर रहे हैं। इसको तुरंत रोका जाना चाहिए और वर्तमान मूल्य के अनुसार वहां के किसानों को जमीन की कीमत मिलनी चाहिए।

मान्यवर, मेरा इस देश की महापंचायत जिसमें मुझे भी मेरे क्षेत्र की सम्मानित जनता ने चुनकर भेजा है, से निवेदन है कि कोई ऐसी ठोस योजना ये सदन बनाए कि जिससे प्रदेश की सरकारें और प्रदेश की एजेंसियां किसानों का शोषण न कर सकें। किसान के साथ टेबल पर बैठकर ये एजेंसियां समझौते के हिसाब से जमीन की कीमत तय करें और वहां जो उद्योग लगें व अन्य योजनाएं बनें, उनमें इन एजेंसियों के माध्यम से किसानों के बच्चों को नौकरी मिले, उनकी व्यवसाय में भागीदारी हो, किसानों के गांवों का विकास हो, किसानों के बच्चों को शिक्षा के साधन उपलब्ध कराए जाएं। इसके अलावा किसानों की जितनी जमीन का अधिग्रहण हो, उसमें से 10 प्रतिशत जमीन किसानों को दी जाए, जिससे किसान भी देश के व्यवसाय की मुख्य धारा से जुड़कर अपने आपको आर्थिक और सामाजिक रूप से सक्षम महसूस कर सके और सम्मान का जीवन जी सके तथा 21वीं सदी के भारत में अपना योगदान दे सके।

मैं पुनः एक बार फिर सम्मानित सदन के माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि किसानों के शोषण को रोकने के लिए दलीय राजनीति से ऊपर उठकर किसानों का शोषण रोका जाए और उनके लिए वे सभी सुख-सुविधाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लें। धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री दुष्यंत सिंह** (झालावाड़): महोदय, मैं आपके माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलना चाहता हूं। महोदय, विद्यालयों में विद्यार्थियों को एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तकों से गलत तथ्य पढ़ाए जा रहे हैं। इनसे सामाजिक सौहार्द में गड़बड़ी फैल रही है। महोदय, एन.सी.ई.आर.टी. में उल्लेख किया गया है कि "जाट लुटेरे है"। महोदय, केन्द्र सरकार ने जाट समुदाय की भावनाओं को सुना है। जाट समुदाय ने अच्छे कृषि उत्पादों के उत्पादन के लिए किसानों के साथ कड़ी मेहनत की है। उन्होंने वर्ष 1965, 1971 और कारगिल युद्ध जैसी विभिन्न लड़ाइयां लड़ी हैं। महोदय, इस समुदाय ने इस देश के लिए अपना खून बहाया है। लेकिन अपने देश की खातिर लड़ने के पश्चात् उन्हें यू.पी.ए. सरकार से यह सिला मिला है।

महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप केन्द्र सरकार से एन.सी.ई.आर.टी. पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार करने का आग्रह करें। हमें जाट समुदाय का सम्मान करने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जी ने जाटों को एक प्रगतिशील और कड़ी मेहनत करने वाले समुदाय के रूप में देखा है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के प्रतिष्ठित बिड़ला मंदिर का शिलाधार धौलपुर के दिवगंत महाराजा महाराज उदयभान सिंह जी द्वारा रखा गया था।

महोदय, हमें जाट समुदाय की भावनाओं को बहाल करने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारी स्वतन्त्रता के लिए लड़ने वाले अपने समुदायों के नायकों का सम्मान किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

***श्री पुन्नूलाल मोहले** (बिलासपुर): महोदय, पंचायत एवं ग्रामीण विकास योजना स्वर्णजयन्ती एवं अन्य लम्बित योजनाओं की स्वीकृति बाबत मैं अपनी मांगें सदन के पटल पर ले करना चाहता हूं।

भारत सरकार द्वारा लगभग 3000 करोड़ रुपये से चलाई जा रही योजना में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वर्ष 2005-06 में प्रस्ताव किया गया था। यह प्रस्ताव अभी तक विचाराधीन है। जिसके कारण आम नागरिकों में आक्रोश और शासन के प्रति उदासीनता है। इसके कारण विकास कार्य अवरुद्ध हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में निम्न योजनाएं लम्बित हैं।

1. उद्यानिकी परियोजना जिला महासमुन्द 1500.00 लाख।
2. उद्यानिकी पशुपालन एवं मत्स्य पालन परियोजना जिला बस्तर 1431.89 लाख।
3. लघु सिंचाई एवं दुग्ध विकास जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़
4. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार परियोजना छत्तीसगढ़ कोसा पालन 1424.30 लाख।
5. स्वर्ण जयन्ती विशेष योजना कोरबा जिला 479.20 लाख।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री पुन्नूलाल मोहले]

6. विशेष लिवलीहुड एवं एनहान्समैन्ट 487.03 लाख।

7. मत्स्य पालन धमतरी 1000.00 लाख।

8. हाटबाजार एस.जी.वाई. परियोजना 4500.00 लाख।

9. ग्रामीण विकास की समस्त लमसम परियोजना 3000 करोड़ रुपये।

***श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): महोदय, स्पेशल मेंशन में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न है। आज समूचा भारत और दिल्ली, मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता आदि प्रमुख महानगर चीन की मिसाइलों के निशाने पर हैं। चीन अधिकृत तिब्बत की राजधानी ल्हासा (लहासा) के पूर्व में स्थित कोकोनोर झील के पास तैनात की गयी हैं। चीन की न्युक्लियर वेपन रिसर्च अकादमी इन खतरनाक हथियारों को बनाने में जुटी है। अकादमी के खिलाफ निर्वासित तिब्बती समुदाय पहले भी आन्दोलन करता रहा है। सेटेलाइट चित्रों व अन्य सूत्रों से इसकी पुष्टि हो चुकी है। धर्मशाला स्थित तिब्बत की निर्वासित सरकार ने इस मिसाइलों के सेटेलाइट चित्र मीडिया के सामने प्रस्तुत किए हैं। तिब्बत में चीन द्वारा स्थापित गए, गैर-कुदरती खतरे की सूचना मिली है। माननीय गृहमंत्री, रक्षामंत्री, भारत सरकार इसकी जानकारी लें और सरकार ने इसके लिए अब तक क्या उपाय सोचा है यह भी स्पष्ट करें क्योंकि यह राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है।

[अनुवाद]

***श्री लोनाप्पन नम्बाडन** (मुकुन्दपुरम): महोदय, मैं देश में केन्द्रीय विद्यालयों की कुछेक समस्याओं के संबंध में सभा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

केरल में मेरे संसदीय क्षेत्र मुकुन्दपुरम में कोई केन्द्रीय विद्यालय नहीं है और संसदीय क्षेत्र के निकट त्रिचुर में भी नहीं है, जो कि केरल का सांस्कृतिक केन्द्र है।

केन्द्रीय विद्यालय के अभाव में लोग, विशेषकर केन्द्र सरकार के कर्मचारी, परेशानी महसूस कर रहे हैं। राजमार्ग के समीप केन्द्र सरकार की रिक्त भूमि पड़ी है। हम ऐसी भूमियों पर विद्यालय खोल सकते हैं। सरकार को सभी संसदीय क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करने पर विचार करना चाहिए। हमारे पास प्रत्येक वर्ष प्रत्येक संसद सदस्य के लिए केन्द्रीय विद्यालय में केवल दो सीटों का कोटा है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए।

मैं अनुरोध करता हूं कि सरकार सभी संसदीय क्षेत्रों में केन्द्रीय विद्यालय शुरू करने और सभी संसद सदस्यों के लिए प्रत्येक वर्ष 2 सीट के कोटे में वृद्धि करने हेतु कदम उठाने की कृपा करे।

***डा. आर. सेनथिल** (धर्मपुरी): महोदय, कृपया मुझे 26-8-06 को "शून्यकाल" के दौरान अत्यन्त सार्वजनिक महत्व का निम्नलिखित मामला उठाने की अनुमति दें।

संसद में केन्द्र सरकार की संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने हेतु एक विधेयक लाया गया है। दिल्ली के कुछेक अस्पतालों के कुछेक विद्यार्थियों और रेसिडेंट डाक्टरों ने सभा में इस विधेयक को सभापटल पर रखे जाने से पहले ही इस विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन किया है। एम्स के कुछेक रेसिडेंट डाक्टर सामूहिक आकस्मिक छुट्टी पर चले गए हैं। इससे कुछेक अत्यन्त गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं।

महोदय, यह संसद का परमाधिकार है कि वह समाज के विभिन्न वर्गों के विकास के लिए नीतियां और कानून बनाए। जब जनता की सरकार पूर्ण रूप से संविधान के अनुसार कानून बनाती है, तो संसद के बाहर संसद को कार्यकरण के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रदर्शन स्पष्ट रूप से गैर-कानूनी है।

रेसिडेंट डाक्टरों का सामूहिक रूप से आकस्मिक छुट्टी पर चले जाना एक प्रकार से अपने कार्य से दूर रहकर विरोध प्रकट करना है। एम्स के रेसिडेंट डाक्टरों ने पुनः कानून को अपने हाथ में लिया है। डाक्टरों के एक प्रतिनिधि ने टेलीविजन पर बताया कि वे छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन यह सुनिश्चित करेंगे कि ओ.पी.डी. में मरीजों को देखा जाए। यह आश्चर्यजनक है। यदि वे छुट्टी पर हैं, तो क्या एम्स के अहाते में प्रवेश करना और मरीजों को देखना अवैध नहीं है? छुट्टी पर रहने वाला डाक्टर मरीजों को कैसे देख सकता है? प्रतिनिधियों ने कहा कि इस बार वे गांधीवादी तरीके से विरोध नहीं करेंगे बल्कि इस बार विरोध हिंसक होगा। इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है।

उच्चतम न्यायालय पहले ही कह चुका है कि आरक्षण के समर्थन और विरोध में किसी भी प्रकार का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता और ये प्रदर्शन अवैध है। उच्चतम न्यायालय

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

के निदेशों का जानबूझकर उल्लंघन करने वाले हड़ताली डाक्टरों और छात्रों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

महोदय, मैं सरकार से आरक्षण के विरुद्ध किसी भी प्रकार के प्रदर्शन के और 25 अगस्त, 2006 को सामूहिक आकस्मिक अवकाश लेने वाले डाक्टरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का अनुरोध करता हूं। मैं यह अनुरोध भी करता हूं कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के रेजीडेन्ट डाक्टरों, के प्रतिनिधियों जो टेलीविजन पर यह कह रहे थे कि इस बार विरोध गांधीवादी न होकर हिंसक होगा, के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

***श्री पी.एस. गढ़वी** (कच्छ): महोदय, मुझे शून्यकाल के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दा उठाए जाने की अनुमति दी जाए। "कच्छ में उद्योगों की स्थापना हेतु उत्पाद शुल्क लाभ के लिए समय सीमा में विस्तार।"

वर्ष 2001 में कच्छ में आए भयंकर भूकंप से तबाह हुई अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भारत सरकार ने उत्पाद शुल्क लाभ देने की घोषणा की और गुजरात सरकार ने भी बिक्री कर लाभ हेतु पैकेज देने की घोषणा की थी। पहले इकाइयों की स्थापना हेतु 2 वर्ष का समय सीमा निर्धारित की गई थी जिसे बाद में बढ़ाकर दिसम्बर, 2006 तक कर दिया गया था और आखिर में इसे वर्ष 2005 तक तक बढ़ा दिया गया था। कच्छ एक दूर-दराज का सूखा क्षेत्र है जहां पर सीमित अवसंरचना है और यहां वर्षा भी बहुत कम होती है। इस क्षेत्र में बार-बार प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। विशेषकर, कमजोर अवसंरचना के कारण यहां पर सीमित समय में एक बड़े उद्योग की स्थापना कर पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए राज्य सरकार; भारत सरकार से समय सीमा को वर्ष 2006 तक बढ़ाने के लिए लिख रही है और साथ ही उत्तरांचल; हिमाचल प्रदेश; झारखंड और सिक्कम हेतु घोषित किए गए उदार उपबंधों को इस राज्य पर भी लागू करने का अनुरोध कर रही है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से 7900 करोड़ रुपये के निवेश वाली 180 परियोजनाओं को शुरू किया गया है जबकि लगभग 32.000 करोड़ रुपये निवेश वाली 409 परियोजनाएं 31-12-2005 की स्थिति के अनुसार निर्माणाधीन है। यद्यपि भारत सरकार ने दिसम्बर 2005 तक समय सीमा का विस्तार किया है लेकिन जिस तरीके से किस्तों में विस्तार की अनुमति दी गई थी उससे कोई सहायता नहीं मिली। यदि समय सीमा को वर्ष 2007 तक बढ़ा दिया जाता है और उदार उपबंधों को लागू कर दिया जाता है तो दूर-दराज के इस सूखे क्षेत्र में अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। यदि समय-सीमा में विस्तार नहीं किया जाता है तो कुछ इकाइयां परियोजनाओं को बंद कर सकती है और इससे राज्य को निवेश तथा रोजगार के अवसरों से हाथ धोना पड़ेगा। इसलिए राज्य सरकार ने इसे केवल पाइपलाइन के मामलों के लिए समय-सीमा को दिसम्बर 2007 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस संबंध मे माननीय मुख्यमंत्री ने 3 मार्च, 2006 को माननीय वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है। इसलिए मैं भारत सरकार से कच्छ में उद्योगों की स्थापना हेतु उत्पाद शुल्क लाभ की समय सीमा को दिसम्बर, 2007 तक बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

***श्रीमती अर्चना नायक** (केन्द्रपाड़ा): मैं माननीय जल संसाधन मंत्री का ध्यान अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की गंभीर समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

इस क्षेत्र में 13,000 हेक्टेयर की कृषि योग्य भूमि वाला गगहा पाटा क्षेत्र भी आता है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त दो नदियों के पुश्तों से छेड़छाड़ के कारण बाढ़ का पानी भी इस क्षेत्र में घुस जाता है। पिछले 30 वर्षों से मानसून सत्र के दौरान हर बार यही कहानी दुहराई जाती है। इसके परिणामस्वरूप उर्वर भूमि; परती भूमि में तब्दील हो गई है। यद्यपि बेगुनी का नाला जोकि नरनपुर स्थित स्लूस गेट की ओर आता है वह इस क्षेत्र में आने वाले बाढ़ के पानी की निकासी के लिए बनाया गया था लेकिन अब यह बेकार हो गया है क्योंकि नदियों का जलस्तर बाढ़ में डूबी हुई भूमि के जलस्तर से अधिक होता है। हर साल इस नदी दीपो पर रहने वाले छः ग्राम पंचायतों के लोगों की फसल बाढ़ से बर्बाद हो जाती है। कृषि इस क्षेत्र का प्रमुख व्यवसाय है। जल भराव के कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

इसलिए मैं, जल संसाधन मंत्री से मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जल भराव की इस समस्या के समाधान हेतु एक विशेष वित्तीय पैकेज देने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

***श्री संतोष गंगवार** (बरेली): महोदय, भारत से बंग्लादेश को गोवंश की तस्करी बड़ी संख्या में हो रही है। माननीय रेल मंत्री ने ढाका तक रेल परिवहन की अनुमति देकर गोवंश तस्करी को और भी आसान बना दिया है। मार्च 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अखिल भारत कृषि गो सेवा

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री संतोष गंगवार]

संघ बनाम आंध्र प्रदेश राज्य व अन्य के निर्णय के पैरा 63 में केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है कि पशु संख्या में हो रही कमी तथा भारत के नागरिकों को पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए मांस निर्यात नीति पर पुनर्विचार करें। भारत सरकार ने इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की है?

समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि केन्द्र सरकार ने गोवंश तस्करी रोकने के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। इस तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए जा रहे हैं? सीमाओं पर फैंसिंग आदि समयबद्ध कार्यक्रम क्या हैं?

[अनुवाद]

***श्रीमती प्रतिभा सिंह** (मंडी): महोदय, जैसा कि आपको मालूम है कि पंजाब से अलग होकर 1966 में हिमाचल प्रदेश को एक राज्य के रूप में मान्यता मिली थी लेकिन हिमाचल प्रदेश को भाखडा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में कभी भागीदार नहीं माना गया। 1985-86 में हिमाचल प्रदेश राज्य को भाखडा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का सहभागी राज्य घोषित किया गया था। 1985-86 से लगातार विशेष सचिव का पद हिमाचल प्रदेश के पास था। लेकिन 11 जुलाई, 2006 को उक्त पद को बिना कारण बताए समाप्त कर दिया गया और 'सुरक्षा निदेशक और सी.वी.ओ.' के रैंक का पद जो कि प्रबंधन के चार पदों में नहीं था, का पद हिमाचल प्रदेश को दे दिया गया था। विभिन्न साझीदार राज्यों को प्रबंधन के उक्त चार पदों का आबंटन निम्न प्रकार से किया गया था। पंजाब को सदस्य (विद्युत), हरियाणा को सदस्य (सिंचाई), राजस्थान को सचिव और हिमाचल प्रदेश को विशेष सचिव का पद दिया गया था। मुझे लगता है कि यह अन्य राज्यों के सदस्यों का षड्यंत्र है। महोदय अध्यक्ष/भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिया गया निर्णय अतार्किक, बेतुका है। वर्तमान अध्यक्ष, अध्यक्ष/भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाल रहे है। अपने पद के अतिरिक्त कोई अन्य कार्यभार संभालने वाला कोई व्यक्ति बोर्ड द्वारा बीस वर्ष पूर्व लिए गए नीतिगत निर्णय को बदलने का अधिकार नहीं रखता। अध्यक्ष/भाखडा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा लिए गए ऐसे निर्णय से भागीदार राज्यों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों में अनावश्यक बाधा डाली गई है। एक तटस्थ प्राधिकारी होने के नाते अध्यक्ष का यह कर्तव्य है कि वह किसी भी राज्य की तरफदारी न करें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय विद्युत मंत्री से हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारी को विशेष सचिव का पद पुनः देने का अनुरोध करता हूं ताकि एक महत्वपूर्ण भागीदार राज्य होने के नाते भाखडा ब्यास प्रबंधन में हिमाचल प्रदेश के हितों का समुचित ध्यान रखा जा सके।

*मापण समा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***डा. राजेश मिश्रा** (वाराणसी): महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद से ही राजभर समाज की सामाजिक और आर्थिक हालत को देखकर उसे अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग उठती रही है। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के 19 जातियों को विमुक्त जाति का दर्जा दिया गया था जिसमें 18 जातियों को अनुसूचित जाति का दर्जा दे दिया गया था। सिर्फ राजभर जाति को छोड़ दिया गया था।

पूर्व के लोक सभा सत्र में मैंने माननीय सदन में इस विषय को उठाया था। पूर्व की उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विषय की अनुशंसा करके उसे केन्द्र सरकार के पास भेजा भी था। लेकिन अभी तक राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल नहीं किया जा सका है। लोक सभा में यह विषय आने के बाद यू.पी.ए. सरकार ने केन्द्रीय स्तर पर एक सर्वेक्षण दल राज्य में राजभर जाति की सामाजिक और आर्थिक हालात का जायजा लेने के लिए भेजा था। इस सर्वेक्षण दल ने अपनी अनुशंसा के साथ रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को समय से पेश भी कर दी थी। इस रिपोर्ट को समिति द्वारा पेश करने की अन्तिम तिथि 30 जुलाई, 2006 थी।

मेरी मांग है कि केन्द्र सरकार उत्तर प्रदेश पर यह दबाव डाले कि वह इस रिपोर्ट को जल्द से जल्द अपनी स्वीकृति के साथ उसके पास भेजे जिससे राजभर समाज को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए जल्द से जल्द कानून बन सके।

[अनुवाद]

***श्री एस.के. खारवेन्थन** (पलानी): महोदय, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों में सहायकों और वैयक्तिक सहायकों के वेतनमानों में काफी समय से लम्बित विसंगति को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। कर्मचारियों का यह वर्ग मंत्रालयों की रीढ़ है और इस वर्ग के

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

कर्मचारियों में बहुत असंतोष है। यह माना जाता है कि यह मामला संदर्भ के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष लम्बित पड़ा है और एक संदर्भ के अनुसार वित्त मंत्रालय ने बहुत अधिक वित्तीय जटिलताओं की ओर संकेत किया है। जबकि इस मामले विशेष में वित्तीय जटिलता बहुत कम है। महोदय, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के कर्मचारियों के इस वर्ग का मनोबल बनाए रखने के लिए इस विसंगति को शीघ्र से शीघ्र दूर करने की मांग करता हूं।

[हिन्दी]

***चौधरी विजेन्द्र सिंह** (अलीगढ़): महोदय, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया।

मान्यवर, इस देश में एक वैधानिक व्यवस्था है कि भारत सरकार व राज्य सरकार बहुत सी जनहितकारी विकास योजनाओं से देश में विकास करती हैं। मैं यू.पी.ए. सरकार, माननीया सोनिया जी और माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने स्वर्गीय राजीव जी के सपनों को पूरा करने के लिए इस देश में सर्वांगीण विकास के लिए, पंचायतीराज के साथ-साथ हर गांव को बिजली, हर गांव में सड़क निर्माण के लिए राजीव गांधी विद्युतीकरण व महानगरों की विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ए.पी.डी.आर.पी. स्कीम को स्वीकृत किया है।

मान्यवर, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत आज तक इन योजनाओं में उ.प्र. को 32 सौ करोड़ रुपये स्वीकृत कर 2161 करोड़ रुपये आवंटित किए गये हैं। यह राशि मूल रूप से जनता का पैसा है और जनता के लिए है। लेकिन मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्य व धनराशि को केंद्रीय कार्यसमिति द्वारा निविदा अनुमोदित धनराशि को आर.ई.सी. के रेटों से लगभग 60 प्रतिशत बढ़ाकर मनमानी दरों पर विभिन्न प्राइवेट कंपनियों से कराया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर एटा में 39 करोड़ रुपये स्वीकृत धनराशि को अनुमोदित कर 64 करोड़ 26 लाख किया गया है, जिसका टेंडर मैसर्स (एक्यूरेट ट्रांसफार्मर दिल्ली) व आगरा, अलीगढ़, हाथरस व मथुरा में स्वीकृत धनराशि 49 करोड़ 14 लाख को बढ़ाकर 84 करोड़ 85 लाख रुपये अनुमोदन उपरांत (मैसर्स रिलायंस इनर्जी लिमिटेड, नोएडा) फिरोजाबाद व मैनपुरी, फरूखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरय्या, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, कानपुर नगर एवं कानपुर देहात जनपदों की स्वीकृत धनराशि को अनुमोदित कर हजारों करोड़ रुपयों में बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं विभिन्न प्राइवेट कंपनियों द्वारा एनएप्रूव्ड कंपनियों का मैटेरियल लगाया जा रहा है, जिसमें कोई गुणवत्ता नहीं है और इससे विद्युतीकरण को कोई लाभ नहीं मिलेगा।

महोदय, इसी तरह उ.प्र. के विभिन्न महानगरों में विद्युत व्यवस्था को सुचारू तथा मजबूत किए जाने हेतु ए.पी.डी.आर.पी. स्कीम के अंतर्गत भारत सरकार ने उ.प्र. सरकार को 1091 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं। जिसमें से मेरे महानगर अलीगढ़ को 30 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये हैं। लेकिन इस धनराशि को अधिकारियों ने बंदरबाट कर बर्बाद कर दिया है। क्योंकि अधिकारियों ने लोकल कांट्रैक्टरों से लोकल मैटेरियल लगवाकर अनुचित भुगतान कर दिया है। जो पूरे प्रदेश में किया गया है। इस कार्य को हुए मात्र एक वर्ष ही हुआ है और सभी ट्रांसफार्मर जल चुके हैं व तारों का टूटना शुरू हो चुका है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उ.प्र. सरकार विकास कार्यों के प्रति जागरूक नहीं है।

महोदय, मैं इस योजना के अंतर्गत पी.एम.जी.एस.वाई. योजना की दुर्दशा की तरफ भारत सरकार का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। इस योजना के अंतर्गत आज तक उ.प्र. सरकार को दो हजार नौ सौ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जिसमें से 2222 करोड़ रुपये आवंटित किए जा चुके हैं। लेकिन उ.प्र. सरकार ने केवल 1366 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और आज उ.प्र. सरकार के पास भारत सरकार का 856 करोड़ रुपये शेष हैं। जिसकी स्वीकृत धनराशि से 19700 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना था, लेकिन उ.प्र. सरकार 1300 किलोमीटर सड़क का निर्माण कर पायी। आज भी 6700 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य शेष है। यह उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य कुशलता का प्रमाण है।

महोदय, जनपद अलीगढ़ में यमुना नदी के बाढ़ नियंत्रण हेतु बंधा निर्माण के लिए 80 करोड़ रुपये स्वीकृत कर लगभग 48 करोड़ रुपये आवंटित किए गए, लेकिन उ.प्र. के सिंचाई विभाग ने उक्त धनराशि को भ्रष्टतम अधिकारियों के माध्यम से अपने मनचाहे ठेकेदारों को देकर सफाया कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास कार्यों के लिए कोसते हैं और माननीय सोनिया जी एवं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। जबकि गत वर्ष प्रदेश की योजना हेतु 11 हजार करोड़ रुपये की मांग के उपरांत उसे 13 हजार करोड़ रुपये दिए गए।

महोदय, प्रदेश की विभिन्न विकास कार्य योजनाओं में 75 प्रतिशत भारत सरकार का धन है। जिसमें पंचायती राज

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[चौधरी विजेन्द्र सिंह]

में, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायतें, ग्राम पंचायतें एस.जे.आर.वाई, इन्दिरा आवास, राशन प्रणाली, मिडडे मिल, सतत शिक्षा, सुनिश्चित रोजगार योजना आदि वे योजनाएं हैं, जो भारत सरकार की देन हैं।

अंत में महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग करता हूं कि इन विभिन्न योजनाओं में जनता के धन के दुरुपयोग को रोका जाए और विद्युत विभाग व ग्राम विकास विभाग से स्पेशल टीमों का चयन कर तत्काल जांच कराने के निर्देश दिए जाएं, जिससे कि भारत सरकार की इच्छा के अनुरूप जनता को विकास कार्यों का लाभ मिल सके। जयहिंद।

[अनुवाद]

***श्री अरुण कुमार वुन्डावल्ली** (राजामुन्दरी): महोदय, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों में सहायकों और वैयक्तिक सहायकों के वेतनमानों में काफी समय से लम्बित विसंगति को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। कर्मचारियों का यह वर्ग मंत्रालयों की रीढ़ है और इस वर्ग के कर्मचारियों में बहुत असंतोष है। यह माना जाता है कि यह मामला संदर्भ के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष लम्बित पड़ा है और एक संदर्भ के अनुसार वित्त मंत्रालय ने बहुत अधिक वित्तीय जटिलताओं की ओर संकेत किया है। जबकि इस मामले विशेष में वित्तीय जटिलता बहुत कम है। महोदय, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के कर्मचारियों के इस वर्ग का मनोबल बनाए रखने के लिए इस विसंगति को शीघ्र से शीघ्र दूर करने की मांग करता हूं।

***श्री अधीर चौधरी** (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों में सहायकों और वैयक्तिक सहायकों के वेतनमानों में काफी समय से लम्बित विसंगति को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं। कर्मचारियों का यह वर्ग मंत्रालयों की रीढ़ है और इस वर्ग के कर्मचारियों में बहुत असंतोष है। यह माना जाता है कि यह मामला संदर्भ के आधार पर प्रधानमंत्री कार्यालय के समक्ष लम्बित पड़ा है और एक संदर्भ के अनुसार वित्त मंत्रालय ने बहुत अधिक वित्तीय जटिलताओं की ओर संकेत किया है। जबकि इस मामले विशेष में वित्तीय जटिलता बहुत कम है। महोदय, केन्द्र सरकार के मंत्रालयों के कर्मचारियों के इस वर्ग का मनोबल बनाए रखने के लिए इस विसंगति को शीघ्र से शीघ्र दूर करने की मांग करता हूं।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***श्री रवि प्रकाश वर्मा** (खीरी): महोदय, हिन्दुस्तान में करीब आठ करोड़ छात्र/छात्राएं प्रति वर्ष 10+2 की परीक्षा पास कर रहे हैं परंतु उच्च शिक्षा के लिए सिर्फ 6 प्रतिशत लोगों को दाखिला मिल रहा है। यह दुखद है। कोरिया जैसे मुल्कों में 80 प्रतिशत के लगभग छात्रों को उच्च शिक्षा में दाखिला हासिल है। इसलिए सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही बड़ी तादाद में उच्च शिक्षण संस्थाएं खोल कर छात्रों/छात्राओं को उच्च शिक्षा दिलाने का काम करे। हिन्दुस्तान में व्यावसायिक शिक्षण सिर्फ दो प्रतिशत है और सिर्फ 141 ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पूरी दुनिया में लगभग 95 प्रतिशत छात्रों एवं छात्राओं को लगभग 3000 ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अतः सरकार से मेरा यह कहना है कि हिन्दुस्तान में विश्व स्तर के विशेषज्ञ पैदा करके हिन्दुस्तान के बाहर भेजने के लिए नीति बनाए तथा उच्च शिक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करे।

[अनुवाद]

***श्री के. फ्रांसिस जार्ज** (इदुक्की): महोदय, अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली में कार्यरत इन नर्सों को आपस में अपनी मातृभाषा मलयालम में बोलने के लिए सेवा से निकाल दिया गया है।

अपोलो अस्पताल के निदेशक ने अस्पताल में मलयालम पर प्रतिबंध लगा दिया है जहां 90 प्रतिशत स्टॉफ मलयाली है जबकि वहां अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर कोई ऐसा प्रतिबन्ध नहीं है। अपोलो प्रबन्धन का यह रवैया अत्यधिक आपत्तिजनक है क्योंकि हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में मलयालम भाषा शामिल है।

भारत सरकार को अपोलो प्रबन्धन के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करनी चाहिए और देश के सभी कर्मचारियों को देश की सभी भाषाओं का आदर करने का अनुदेश दें।

***श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** (कनकपुरा): महोदय, मैं आपके माध्यम से मध्य जिले के 'बेस्तर' और 'गंगामाथा' समुदायों के अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का अनुरोध करती हूं। 'बेस्तर' और 'गंगामाथा' समुदाय पड़ौसी जिलों में 'नाईका' कहलाते हैं और जो पहले ही अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल है।

किन्तु लगभग साढ़े तीन लाख 'बेस्तर' और 'गंगामाथा'

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

जनसंख्या कर्नाटक के मध्य जिले में रहती है जो कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 'कनकपुरा' के मालावल्ली का एक हिस्सा है।

उल्लिखित 'बेस्तर' और 'गंगामाथा' जनसंख्या वास्तव में पिछड़ी हुई है और अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने की हकदार है जो उनके विकास में सहायक होगा।

***श्री मधु गौड यास्खी** (निजामाबाद): महोदय, लोक महत्व के अविलम्बनीय मुद्दे को उठाने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद। महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान घातक विषाणु ज्वर अर्थात् 'चिकनगुनिया' की ओर दिलाना चाहता हूं जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात आदि में बहुत फैला हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य में 10 में से 7 व्यक्ति इस ज्वर से पीड़ित है और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी भी इस विषाणु ज्वर से पीड़ित है। इसके लक्षण उच्च ज्वर, जोड़ों में दर्द, पैरों में सूजन आदि है। जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि इस ज्वर से किसी की भी मौत भी नहीं हुई है और इसका उपचार एमेडगी और पेरासिटामोल है। महोदय, यह बहुत भ्रामक है और अपनी जिम्मेवारी से मुंह चुराना है। मधुमेह, ह्रदय रोग और रक्त दाब से पीड़ित वृद्ध व्यक्तियों को जब यह ज्वर होता है और यदि उन्हें भर्ती करके, चिकित्सीय निगरानी में नहीं रखा जाता है तथा अन्तःशिरा द्रव मद नहीं दी जाती है तो इसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता। किन्तु रोगियों और डाक्टरों की जागरूकता में कमी की वजह से डाक्टर तेज दर्द निवारक दवाएं दे रहे हैं जिससे बीमारी का निराकरण नहीं हो पाता।

महोदय, मेरे चाचा की मृत्यु भी इसी घातक ज्वर और उपरोक्त कारणों की वजह हुई।

महोदय, व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से अनुरोध करता हूं कि हमें नॉनरिमूवल टॉक्सिक ऑइजेनीटै संबंधी परामर्श देने के लिए चिकित्सकों का एक जागरूकता शिविर लगाया जाना चाहिए। चल क्लीनिक स्थापित किए जाने थे, सरकारी अस्पतालों में युद्धस्तर पर पृथक् कैजुएल्टी वार्डों की स्थापना की जानी चाहिए। महोदय, मुर्गियों के मार देने का मतलब यह नहीं है कि रोग का उन्मूलन हो रहा है और लोग नहीं मर रहे हैं। इस मामले पर खुली आंखों और मानवीय भावनाओं के साथ विचार किया जाना चाहिए तथा घातक वायरल बुखार से पीड़ित लाखों लोगों को राहत दी जानी चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[हिन्दी]

***श्री निखिल कुमार चौधरी** (कटिहार): महोदय, मैं निम्नोक्त लोक महत्व के प्रश्न को शून्य प्रहर में उठाने की सूचना देता हूं तथा आपकी अनुमति चाहता हूं।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे अंतर्गत कटिहार तेजनारायणपुर रेल खण्ड में कटावग्रस्त के बाद बलुआ घट्टी स्टेशन विगत तीन माह से बनकर तैयार है लेकिन रेलगाड़ियों का परिचालन अब तक नहीं किया गया है जिससे सैंकड़ों यात्रियों को प्रतिदिन परेशानियों से दो चार होना पड़ता है।

अतः जन-साधारण की कठिनाई को अविलम्ब दूर करने के लिए कटिहार बलुआ घट्टी स्टेशन से गाड़ियों का परिचालन शुरू किया जाये।

***श्री ब्रजेश पाठक** (उन्नाव): महोदय, मैं आपका ध्यान माननीय प्रधान मंत्री जी के विदेश दौरे के समय एयर इण्डिया पर प्रधान मंत्री जी के साथ विदेश गये गणमान्य व्यक्तियों को उपहार हेतु लाखों के उपहार दिये गये जिनका कि वाणिज्यिक अधिकारी ने एयर इंडिया के जी.एम. की अनुमति से खरीदा। हमारा आपसे अनुरोध है कि एयर इंडिया ने जो उपहार देने के लिए माल खरीदा है, प्रधान मंत्री कार्यालय ने इस बात का खंडन किया है।

हमारा आपसे अनुरोध है कि उक्त प्रमाण की जांच किसी स्वतंत्र कमेटी या एर्जेसी से करवायी जाये जो सी.एम.डी. के अंडर में नहीं हो क्योंकि इससे जांच प्रभावित हो सकती है। हमारे पास पूरे तथ्य हैं जिनसे स्पष्ट है कि सी.एम.डी. एयर इण्डिया ने वाणिज्यक अधिकारी को उक्त खरीद के लिए अधिकृत किया। पी.एम.ओ. ने उक्त उपहार के लिए कोई भी स्वीकृति नहीं दी है। ऐसा स्वीकार कर कहा है कि जांच करायी जायेगी, परन्तु जांच जो अधिकारी कर रहे हैं वह सी.एम.डी. के अधीन आते हैं। अतः निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। किसी अन्य स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का कष्ट करें तथा दोषी को दंडित करने का कष्ट करें।

***श्रीमती किरण माहेश्वरी** (उदयपुर): महोदय, आयकर अधिनियम में सार्वजनिक पुन्यार्थ संस्थाओं की कर गणना एवं कर से छूट से संबंधित प्रावधान धारा 11,12,13 में दिये गये हैं। इन धाराओं में कर से छूट लेने के लिए यह आवश्यक शर्त है कि वह संस्था अधिनियम की धारा 12 ए में पहले अपना पंजीकरण करवायें। बिना पंजीकरण के उन्हें कोई भी छूट इन धाराओं में नहीं मिलती है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती किरण माहेश्वरी]

मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ है कि भारत में लायंक क्लब और रोटरी क्लब के नाम से लगभग 10000 से अधिक संस्थायें देश के सभी शहरों और प्रमुख कस्बों में पिछले 50 सालों से कार्य कर रही है। इनमें से किसी भी संस्था ने आयकर कानून की धारा 12 ए में अपना पंजीकरण नहीं करवा रखा है। ये संस्थायें कम्पनी अधिनियम में संस्था पंजीकरण अधिनियम में अथवा न्यास के रूप में भी पंजीकृत नहीं है। ऐसे में ये संस्थायें मात्र व्यक्तियों का समूह है। इनकी कोई भी वैधानिक पृथक् पहचान नहीं है।

धारा 12 ए में पंजीकरण नहीं होने से इन संस्थाओं की कुल सकल प्राप्तियां कर गणना के लिये कुल आय मानी जानी चाहिये। पर आयकर विभाग ने अभी तक इन संस्थाओं से कर वसूली की कोई भी प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की है। राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका के माध्यम से भी सरकार द्वारा इतने बड़े स्तर पर हो रही कर चोरी रोकने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। यह याचिका भी लगभग 2 सालों से लंबित है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भी इस बारे में ज्ञापन दिये गये हैं। पर सरकार ने इन संस्थाओं से कर वसूली के कोई भी प्रयास ही नहीं किये हैं।

देश में ऐसी लगभग 10000 संस्थायें कार्य कर रही हैं। एक संस्था अपने सदस्यों से व जनता से औसतन 5 लाख रुपया साल भर में संग्रहित करती है। इस पर कर मुक्त आय सीमा के एक लाख रुपयों की छूट देने के बाद भी कर एक लाख बीस हजार रुपया बनता है। इस प्रकार एक साल में लगभग 120 करोड़ रुपयों की कर चोरी की जा रही है। इन पर ब्याज व शास्ति भी 120 करोड़ रुपया बनती है। पिछले 50 सालों में यह कर चोरी 12000 करोड़ रुपयों की हो जाती है।

लायंस क्लब का दक्षिण पूर्व एशिया का मुख्यालय मुम्बई में स्थित है। इस मुख्यालय द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपयों की प्राप्ति की जाती है। यह भी धारा 12 ए में पंजीकृत नहीं है। इसकी कर देयता भी 300 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष की बनती है। ये संस्थायें स्रोत पर कर कटौती नहीं करने की भी दोषी है।

महोदय, इसी प्रकार ये संस्थायें विदेशों से भी अनुदान प्राप्त करती हैं। विदेशों से अनुदान प्राप्त करने के लिये विदेशी अनुदान नियमन अधिनियम 1976 के अंतर्गत पूर्व पंजीकरण आवश्यक होता है। इन संस्थाओं ने इस अधिनियम में भी कोई पंजीकरण नहीं करवा रखा है। गृह मंत्रालय कई बार सूचना देने के बाद भी इस अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।

सरकार का इतने बड़े स्तर पर एवं खुली कर चोरी पर मूक दर्शक बना रहना जनता में कई संदेहों को उत्पन्न करता है। सरकार इस बारे में क्या ठोस कार्यवाही कर रही है। इस बारे में सदन को बतायें।

*श्री सुनिल कुमार महतो (जमशेदपुर): महोदय, केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत सुविधा उपलब्ध करने हेतु अप्रैल, 2005 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना प्रारंभ किया। इस योजना के द्वारा देश के कोई राज्य में वर्ष 2005-06 में करीब 7 हजार गांवों में बिजली पहुंचायी गयी एवं वर्ष 2006-07 के दौरान 40 हजार गांवों का विद्युतीकरण किया गया। परन्तु, झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा एवं पश्चिम सिंहभूम जिलों में राज्य सरकार का उदासीनता के कारण राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु अभी तक निविदा का निष्पादन नहीं हो पाया है जिसके कारण कार्य प्रारंभ होने में काफी विलंब हो रहा है जबकि इन तीनों जिलों में 70 प्रतिशत से भी अधिक गांवों में विद्युतीकरण नहीं हुआ है। इस तरह राज्य सरकार के अक्षमता के कारण केन्द्र सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उसे समयावधि में पूरा नहीं कर सकता है।

अत: सदन के माध्यम से सरकार से मेरी मांग है कि झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसांवा एवं पश्चिम सिंहभूम जिलों में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का अविलंब कार्यान्वयन हेतु हस्तक्षेप कर यथाशीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाये।

*प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): महोदय, बाढ़ से राजस्थान में भारी जन धन की हानि के सर्वेक्षण हेतु केन्द्रीय दल शीघ्र भेजा जाये। राजस्थान के दक्षिणी तथा पश्चिमी जिलों में विशेषत: बाडमेर, पाली सिरोही, जालौर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाडा, उदयपुर, कोआ, झालावाड़, राजसमंद आदि जिलों में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण भारी जन धन की हानि हुई है। स्वाधीनता दिवस के बाद मूसलाधार बारिश के कारण रेगिस्तानी जिले विशेष रूप से बाढ़ की लपेट में आ गये हैं कि दक्षिणी जिलों की अनेक बस्तियां जलमग्न होने के साथ ही सड़कों, भवनों पुलियों आदि का भारी नुकसान हुआ है। पिछले दो तीन दिन में राजस्थान के पश्चिमी जिलों बाडमेर, जैसलमेर आदि में बाढ़ से मृतकों की संख्या सैकड़ों के आसपास पहुंच गयी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी मरने वालों की संख्या 70 से ऊपर हो गयी है। यद्यपि राजस्थान सरकार ने अपने प्रयासों तथा सेना ने हेलिकॉप्टरों एवं सैनिकों के माध्यम से बचाव कार्य कर

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

सैकड़ों लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया है। बाढ़ से पश्चिमी राजस्थान के बाडमेर, जालौर, जैसलमेर, सिरोही, पाली तथा दक्षिणी राजस्थान में करोड़ों रुपये की फसलें तबाह हो चुकी हैं और जो फसलें बची हैं उन पर फसलनाशक कीटों ने धावा बोल दिया है। राजस्थान में पहले अकाल एवं अब बाढ़ ने किसानों की कमर तोड़ दी है। वर्षा के कारण कई गांव बह गये हैं, कई गांवों की फसलें डूब गयी हैं, खरीफ की पूरी फसल चौपट हो चुकी है। अकेले बाडमेर क्षेत्र में 4 लाख हैक्टेयर में बोई गयी फसल बाढ़ की भेंट चढ़ गयी है। इस अतिवृष्टि से बाडमेर, जैसलमेर जिलों में 42 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है।

अतः भारत सरकार से अनुरोध है कि राजस्थान की विकट परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय सर्वेक्षण टीम नुकसान का जायजा लेने के लिए अविलंब भेजी जाये, केन्द्रीय आपदा कोष तथा केन्द्रीय आपदा आकस्मिक कोष के पुराने निर्धारित मापदंडों को अविलंब बदला जाये, जनधन की भारी हानि को देखते हुए तथा सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति एवं फसलों की भारी बरबादी को देखते हुए अन्य राज्यों की भांति राजस्थान को भी अविलंब विशेष सहायता पैकेज घोषित किया जाये तथा केन्द्र की ओर से राजस्थान को मिलने वाली पूर्व बकाया राशि 123 करोड़ रुपये भी शीघ्र प्रदान किये जायें, राजस्थान को उचित मात्रा में गेहूं उपलब्ध कराया जाये तथा बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत के लिए अलग से राशि प्रदान की जाये।

[अनुवाद]

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय, "राष्ट्र के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए बात करें, राष्ट्र के लिए जिएं" इस नारे के साथ श्री देवराज, प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर ने अपनी पदयात्रा 12-01-2006 को कन्याकुमारी से शुरू की थी और दिल्ली पहुंचे। 14-08-2006 को बंगलोर में श्री जी.एन. शेट्टी उनसे जुड़े और उनके गुरू डा. कल्याण रमण की सात खण्डों वाली पुस्तक में 30 संपर्कों सहित 60 नदियों का सूक्ष्म ब्यौरा दिया है। यह विशिष्ट अध्ययन वी.के.आर.वी. राव के सुझाव और दस्तुर समिति के प्रतिवेदन से बिल्कुल भिन्न है। सरकार को एक पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है तथा इसे "कोंकण रेलवे निर्माण" और कर्नाटक में "एन.आई.सी.ई. द्वारा सड़क निर्माण" की तर्ज पर किया जा सकता है। सरकारी स्रोतों ने इन नदियों को आपस में जोड़ने पर आने वाले व्यय की राशि का अनुमान 5,60,000/- करोड़ रुपये लगाया है जबकि डा. कल्याण रमण घोषणा करते हैं कि इस कार्य को 1.5 लाख करोड़ रुपये से भी कम धनराशि से सम्पन्न किया जा सकता है।

इस सम्पूर्ण कार्य को उत्तरी ग्रिड और दक्षिणी ग्रिड की तरह सम्पन्न किया जाना चाहिए। नदी जल को तालाबों में संग्रहीत किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् इसे धीरे-धीरे बहाया जाना चाहिए। इससे भूक्षरण रुकता है तथा भूमिगत जल का स्तर ऊंचा उठता है।

बाढ़ों के दौरान होने वाली सैकड़ों मौतों और सम्पत्ति की भारी हानि का स्थायी समाधान किया जा सकता है।

इन पुस्तकों में अंतर्विष्ट "दस आदेश" काफी क्रांतिकारी हैं और इन पर उच्च स्तरीय मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा शीघ्र विचारण आवश्यक है क्योंकि ये विश्व के इस सबसे बड़े लोकतंत्र की प्रगति और सम्पन्नता हेतु मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर तथा भाषण सभा पटल पर भी रखा गया।

[हिन्दी]

***श्री राजेन्द्र कुमार** (हरिद्वार): महोदय, जब से जिला हरिद्वार तथा जनपद उद्यमसिंह नगर को उत्तरांचल में शामिल किया गया तभी से दोनो जनपदों की जनता आंदोलित है। इसी विरोध के चलते मंगलौर गुड़मंडी पर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने गोली चलायी और लाठियां भांजी, जिसमें एक किसान रघुवीर नामक शहीद हो गया, हजारों लोग जेलों में ठूस दिये गये तथा दर्जनों 8 साल, 10 साल तक के बच्चे पुलिस की गोली से घायल हुए।

आज उत्तरांचल सरकार स्थानीय व्यक्तियों के नाम पर केवल पर्वतीय बंधुओं को रोजगार दे रही है और मैदानी क्षेत्र के लोगों को डोमिसाइल नाम पर प्रमाण पत्र में यह शर्त लगायी जा रही है कि 15 साल पुराना गृह कर की रशीद या खसरा-ढालौनी की नकल होनी चाहिए। हरिद्वार जनपद में 50 साल से भी ऊपर से लोग निवास कर रहे हैं, लेकिन उनके पास इस प्रकार का कोई प्रमाण पत्र नहीं है। उनके बच्चे डोमिसाइल न होने पर नौकरियों से वंचित रह जायेंगे।

उत्तरांचल की कुल आबादी का 20 प्रतिशत जनसंख्या केवल हरिद्वार में रहती है। किसानों के लिए नये-नये नियम कानून बनाकर इनका शोषण किया जा रहा है। पिछड़ों का आरक्षण 27 प्रतिशत से घटाकर 14 प्रतिशत, दलितों का 21 प्रतिशत से घटाकर 19 प्रतिशत कर दिया गया है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री राजेन्द्र कुमार]

पर्वतीय पुलिस द्वारा वर्ष 2004 के कुंभ के समापन पर यहां के लोगों, पुलिस अधिकारियों तथा पत्रकारों को भी जमकर मारा पीटा, जिसमें एक काली नामक व्यक्ति की मौत तथा दर्जनों बच्चे-महिलायें घायल हुई। यहां के व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आग लगा दिया गया, इस अत्याचार और दमन की घटना ने उत्तरांचल को शर्मिन्दा किया तथा इतिहास में पहली बार हरिद्वार में कर्फ्यू लगा। उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई।

1 अगस्त, 2006 को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री अम्बरीश कुमार के नेतृत्व में जिला हरिद्वार जनपद उधमसिंह नगर को उत्तर प्रदेश में शामिल करने के लिए रामलीला मैदान व जंतर मंतर पर हजारों की संख्या में विशाला धरना प्रदर्शन किया गया।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिला हरिद्वार व जनपद उधमसिंह नगर की जनता उत्तरांचल में नहीं जाना चाहती है। उत्तरांचल से निकल कर पुनः उत्तर प्रदेश में शामिल कर लिया जाये ताकि जिला हरिद्वार का विकास व बेरोजगारों को नौकरी इत्यादि मिल सके।

यदि इस दिशा में केन्द्र सरकार द्वारा सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी और जनपद हरिद्वार के 15 लाख लोगों की आकांक्षाओं को रौंदने का कार्य किया तो हम बेरोजगारों, किसानों के हक की लड़ाई हेतु समस्त समाजवादी पार्टी के लोग, संवैधानिक मर्यादाओं के अंतर्गत प्रतिरोध करने को बाध्य होंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं विधायी कार्य, मद सं. 28 पर आता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, अभी वाइल्ड लाइफ अमैंडमैंड बिल न लिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): महोदय, यदि हम इस विधेयक पर चर्चा करना और इसे पारित करना चाहते हैं तो हममें से प्रत्येक को बोलने के लिए मात्र पांच मिनट का समय मिलेगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: इस पर दो-तीन मैम्बर्स बोलेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं इस विधेयक को चर्चा हेतु लेने की पुरजोर वकालत करता हूं क्योंकि प्रत्येक दिन सरकारी कामकाज में कटौती की गई है। आज के लिए यह अंतिम विधान है और हमें इसे पारित करना है। हम मात्र इसी काम के लिए यहां उपस्थित हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, आपने एक वचन दिया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आपने अनुरोध किया था और मैंने कोई वचन नहीं दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: हमने इस पर चर्चा की अनुमति दी है। इसलिए, मैं आपसे और इस सभा से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को चर्चा हेतु लिया जाए।...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इस विधेयक को चर्चा हेतु अभी लिया जाना चाहिए। यह एक काफी महत्वपूर्ण विधेयक है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, आपके पक्ष के सदस्यों ने भी इस मुद्दे पर बोलने के लिए अनुरोध किया है।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: परन्तु यह विधेयक 10 मिनट या 15 मिनट में पारित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति को इस मुद्दे पर बोलने का अवसर दिया जाना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा, हम देखें इसमें कितना समय लगता है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मद सं. 28, श्री राजा।

अपराह्न 4.20 बजे

वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006

[अनुवाद]

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री ए. राजा): मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की एक योजना के रूप में बाघ परियोजना वर्ष 1973 से क्रियान्वित की जा रही है।...*(व्यवधान)* तब से इन वर्षों में शुरुआत के नौ बाघ अभयारण्यों की वर्तमान संख्या 28 अभयारण्य तक हो गई है। इस परियोजना के क्रियान्वयन में 17 राज्य संलग्न हैं।

परियोजना के क्षेत्रों में क्रियान्वयन को कई कमियां यथा क्षेत्रीय इकाइयों हेतु राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता को जारी करने में विलंब, कर्मचारियों की रिक्तियां, क्षेत्रीय कर्मचारियों की उम्र ज्यादा होना, क्षमता-सृजन संबंधी कदमों की कमी, संरक्षण कार्य का कमजोर प्रवर्त्तन और निगरानी इत्यादि प्रभावित करती हैं। हाल की घटनाओं ने इस तथ्य को दर्शाया है कि राज्यों में वृहत प्रतिबद्धता एवं निगरानी की आवश्यकता है। बाघ अभयारण्य का प्रबंधन करने वाले क्षेत्रीय प्रशासन को क्षमता सृजन और पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।

स्थिति की गंभीरता और इसमें अन्तर्ग्रस्त आवश्यकता पर विचार करते हुए उपरोक्त चिंताओं को केवल वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सृजन के अलावा बाघ परियोजना को वैधानिक अधिकार प्रदान करके ही दूर किया जा सकता है, जैसाकि माननीय प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त बाघ कृतक बल द्वारा सिफारिश की गई है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी विभाग से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने प्रस्तावित संशोधनों की जांच की और अपनी रिपोर्ट में कई सिफारिशों के अलावा उक्त को स्वीकार किया है। उसने वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वैधानिक निकाय के रूप में वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सृजन पर काफी जोर दिया है।

प्रस्तावित संशोधन, बाघ अभयारण्यों के संरक्षण हेतु वैधानिक आधार प्रदान कर और पारिस्थिकीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों एवं संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण हेतु सुदृढ़ सांस्थानिक प्रविधियों को प्रदान कर बाघों के संरक्षण की प्रशासनिक चिंताओं के साथ ही साथ पारिस्थिकी संबंधी समस्याओं को भी दूर करेंगे। प्रस्तावित प्राधिकरण बाघ संरक्षण हेतु दिशानिर्देशों को लागू करेगा और बाघ अभयारण्यों के क्षेत्रीय निदेशकों के रूप में अच्छे सेवा रिकार्ड वाले कर्तव्यनिष्ठ और प्रशिक्षित अधिकारियों को तैनात करने के अलावा उक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी भी करेगा। इससे समयबद्ध कर्मचारी विकास योजना के अलावा बाघ अभयारण्यों में पदस्थापित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता सृजन में भी सुविधा मिलेगी। वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में समर्थकारी उपबंध किए जाने की आवश्यकता है। ये संशोधन समर्थकारी उपबंधों के द्वारा "बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो" की स्थापना करने हेतु वैधानिक आधार प्रदान करेंगे।

राज्य सभा में लंबित वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 से संबंधित संशोधन नोटिस देने के पश्चात् पर्यावरण और वन मंत्रालय को बाघ अभयारण्यों में और इसके आस पास के क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों की शंकाओं को दूर करने हेतु लंबित विधेयक में कुछ संशोधन करने के लिए कुछ सुझाव प्राप्त हुए थे। यद्यपि विधेयक में निहित उपबंध उक्त हितों का पर्याप्त रूप से संरक्षण करते है, विधेयक के कुछ उपबंधों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं।

विधेयक पर राज्य सभा में चर्चा की गई है और इसमें कुछ सुझाव भी जोड़े गए हैं। विधेयक के उपबंध राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिकरण और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के सृजन के द्वारा बाघों के संरक्षण हेतु न केवल पारिस्थितिकीय एवं प्रशासनिक चिंताओं पर गौर करता है बल्कि बाघ अभयारण्यों के आस पास के क्षेत्रों में मानव-वन्य पशु संघर्ष के साथ-साथ आजीविका संबंधी समस्याओं का भी समाधान करता है।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं यह अनुरोध करता हूं कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करने वाले राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया:

"कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित; पर विचार किया जाए"।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): अध्यक्ष महोदय, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006 और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 का और संशोधन करने वाला विधेयक जो

[प्रो. महादेवराव शिवनकर]

सभागृह में प्रस्तुत किया गया है, वह और कुछ नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमैन्ट के द्वारा नये प्रकार का विधेयक लाकर अपनी चमड़ी बचाने और हाथ झटकने का प्रयत्न है। वास्तविक रूप से अगर हम इस बिल को देखें तो एक प्राधिकरण बनाया गया है। वर्ष 1973 से व्याघ्र परियोजना सारे देश में लागू की गई। हम देखते हैं कि 28 व्याघ्र परियोजनाएं 17 राज्यों में चल रही है, लेकिन बाघों की संख्या दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। बाघ जंगल का राजा है। एक ओर जंगल तबाह हो रहे हैं और जब गांवों के पास बाघों का सड़कों पर आना प्रारम्भ हुआ, तब सरिस्का और रणथम्भौर और देश के अन्य भागों में बहुत चिल्लाहट हुई। उसके परिणामस्वरूप सरकार द्वारा इस प्रकार का विधेयक लाना अपनी चमड़ी बचाने और लोगों की आंखों में धूल झोंकने का प्रयत्न है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस संबंध में देश में क्या स्थिति है, यह देखना अनिवार्य है। इस सभागृह में भी कई बार इस तरह के सवाल आये और उन पर चर्चाएं हुईं कि कहां-कहां कितने बाघों की संख्या कम हो रही है। माननीय मंत्री जी ने एक रिपोर्ट कल-परसों सदन में प्रस्तुत की। रिपोर्ट बहुत सुन्दर है। सुन्दर का मतलब उसकी छपाई अच्छी है, मुखपृष्ठ पर शेर का चित्र भी बहुत अच्छा है, लेकिन रिपोर्ट में जो बताना चाहिए था कि 1973 से लेकर अभी तक कितने बाघों की संख्या कम हुई तथा किस परियोजना में बाघों की संख्या कम हुई, इसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया है। इसमें 'ए' 'बी' या 'सी' किस प्रकार का सुधार होगा या कैसा सुधार होगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं समझता हूं कि इस परियोजना को विभाजित करके सभागृह को गुमराह करने का प्रयत्न किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इस सभागृह में 25-07-2005 को एक सवाल आया था। उसमें पूछा गया था कि उस समय बाघों की कहां-कहां समस्या है और कहां-कहां बाघ मरे हैं, क्या इसकी सूचना केन्द्र सरकार को मिली - इस प्रकार का सवाल सदन में आया था। सरिस्का के संबंध में उस समय सरकार ने स्वीकार किया था कि यह सूचना प्राप्त हुई है। उसके साथ 25-07-2005 को जवाब देते समय, कितने बाघों की संख्या किस राज्य में कम हुई, बाघों की परियोजना के संबंध में तथा नेशनल पार्कों में जहां बाघ मरे थे, उनकी संख्या इसमें नहीं है। मैं आपका ध्यान कुछ आंकड़ों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं - 2002-2005 के बीच आंध्र प्रदेश में एक, असम में एक, गुजरात में तीन, झारखंड में तीन, कर्नाटक में 26, केरल में तीन, मध्य प्रदेश में चार, महाराष्ट्र में 20 और राजस्थान में एक बाघ मारा गया। इस प्रकार से ये बाघों के मरने के आंकड़े हैं।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि सदन में हम बाघों के अतिरिक्त हाथियों के संबंध में चर्चा क्यों नहीं करते, चीतों के संबंध में चर्चा क्यों नहीं करते? गैंडे इस देश से चाइना में जा रहे हैं, उनकी हड्डियां और चमड़ी बाहर जा रही है, इस संबंध में सदन में हम चर्चा क्यों नहीं करते। गैंडों के भी कुछ आंकड़े मैं सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं - वर्ष 2001-2004 में असम में 22 गैंडे मारे गये। ऐसी ही संख्या हाथियों के संबंध में भी है। देश में हाथियों की भी बहुत दुर्दशा है। यदि हम हाथियों के आंकड़े देखें तो असम में एक, झारखंड में तीन, कर्नाटक में 26, केरल में 15...(*व्यवधान*) महाराष्ट्र में हाथी नहीं शेर रहते हैं। रामदास जी, आप वल्चर का काम क्यों करते हैं? मैं बता रहा था कि मिजोरम में 3, उड़ीसा में 22, यह संख्या हाथियों के संबंध में है। वन्य प्राणियों के संबंध में यह चिन्ता का विषय है। एक बार यहां माननीय प्रधान मंत्री जी ने सन् 2002 में, अपनी अध्यक्षता में गठित भारतीय वन्य जीव बोर्ड के संबंध में कहा था कि राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 2016 के लिए बनाई गई है। मैं बताना चाहूंगा कि 29-07-2005 के उत्तर के क्रम में, इस देश के प्रधान मंत्री जी ने, उस समय एक सिफारिश टॉस्क फोर्स के गठन हेतु की थी, लेकिन वह टॉस्क फोर्स गठित करने के बाद भी बाघ और शेरों का मरना कम नहीं हुआ है। इसीलिए इस बिल पर मैं अपना तीव्र असंतोष व्यक्त करना चाहता हूं।

मैं बताना चाहता हूं कि केवल शेर ही वन्य प्रोजेक्ट्स में मारे जाते हैं, ऐसा नहीं है। जो हमारे नेशनल पार्क है, उसमें भी शेर बहुत बड़े प्रमाण में मारे जाते हैं। सरकार ने कबूल किया कि सरिस्का, रणथम्भौर और पन्ना में भी शेर मारे गए हैं। इस देश में कस्तूरी मृगों की संख्या भी दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। वर्ष 2003 में उसकी संख्या 513 थी, जो संख्या अब घटकर 279 रह गई है। मैं जहां से आता हूं, उस महाराष्ट्र में, नवेगांव बांध, नागझोरा, नाडोबा और तालोबा में राष्ट्रीय उद्यान हैं। नवेगांव बांध में, गोंदिया भंडारा में, नागझोरा, गोंदिया भंडारा में तालोबा और चंद्रपुर में खुलेआम बाघ मारे गये लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

अध्यक्ष महोदय: अब आप कंक्लूड कीजिए।

प्रो. महादेवराव शिवनकर: अध्यक्ष जी, मैं एक बात वल्चर के संबंध में और बताना चाहता हूं। डायक्लोफेनिक दवा, जो जानवरों को दी जाती थी, इससे वल्चर मारे जाते थे, उस दवा पर बैन लगा दिया गया, मगर उसके स्थान पर दूसरी दवा मैलॉक्सीकैम, जो प्रैस्क्राइब की गई, एक्सपर्ट्स का

कहना है कि उस दवा से भी वल्चर को मलेरिया होता है। गढ़चिरौली जिला, जहां से मैं आता हूं...*(व्यवधान)* अध्यक्ष जी, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं। वल्चर के संबंध में, इसकी रिपोर्ट को केवल जहां पर अमेरिकन एड मिलती है, बॉम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसायटी, केवल इस सोसायटी की रिपोर्ट को ही स्वीकार किया गया। वहां जो बाकी एन.जी.ओज हैं, वहां जो शासन के पशु वैद्य और पक्षी वैद्य हैं, उनका विचार न करते हुए उस संबंध में इस प्रकार की यह मेलॉकसीकैम दवा को एप्रूव किया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संबंध में सरकार पुनर्विचार करे। केवल बोर्ड ने नया प्राधिकरण स्थापित कर दिया और बाकी कुछ नहीं हुआ, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसका जरा विस्तार करना चाहिए। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस बिल को वापस लें और इसके साथ-साथ परियोजनाएं और नेशनल पार्क के संबंध में पुनर्विचार करें। यह कहते हुए आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: समय तो सीमित है। आप बहुत अच्छा बोलते हैं। आप अध्यापक हैं, हम आपका बहुत आदर करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई भी माननीय सदस्य, जो अपना लिखित वक्तव्य देना चाहते हैं इसे दे सकते हैं।

श्री प्रशान्त प्रधान - उपस्थित नहीं।

श्री शैलेन्द्र कुमार आप अपना लिखित वक्तव्य दे सकते है।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मैं ऐसा ही करूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ले कर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव ने इसे भेज दिया है।

श्रीमती भवानी राजेन्तीरन

श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन (रामनाथपुरम): महोदय, मैं अपना वक्तव्य सभा पटल पर रखती हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप ले कर दीजिए।

[अनुवाद]

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): महोदय, वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2006 भारतीयों की बुद्धिमता पर एक कलंक है। मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि यह सभा हर चीज को राजनीति के अंतर्गत लाना चाहती है। इस विधेयक को धन विधेयक की तरह समझा जा रहा है इसलिए हर कोई इस विधेयक को पारित कराने के लिए आतुर है।

हम यह भूल चुके है कि मानव इस पृथ्वी पर अकेला नहीं रह सकता। हमें प्रकृति के साथ मिल कर रहना सीखना होगा और वन्य जीव पारिस्थितिकीय संतुलन का अभिन्न अंग है और केवल इससे ही मानव जीवन के अस्तित्व में सहायता मिलेगी।

आज भारत में हम देखते हैं कि हमने पारिस्थितिकीय संतुलन को किस हद तक हानि पहुंचाई है और इसके कारण उड़ीसा जैसे राज्य जहां से मेरा संबंध है, हमें प्रत्येक वर्ष प्रकृति की मार के कारण नुकसान उठाना पड़ता है। सृष्टि के निर्माता ने मानव को दो चीजों की नेमत बख्शी है। यह प्रकृति के किसी और प्राणी के पास नहीं है। पहली, बुद्धि और दूसरा तार्किक ज्ञान। लेकिन क्या हम इस सभा में इन दोनों चीजों का उपयोग करते है? हमें अपने आप से यह प्रश्न करना चाहिए। मैं अपने आप से यह प्रश्न पूछ रहा हूं। मैं किसी और से यह प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि हम अधीरतावश कार्य करने में अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते। इसलिए यदि ऐसा ही चलता रहा तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जहां हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें हमारी अदूरदर्शिता और अज्ञानता के लिए कोसेंगी।

यह सर्वविदित तथ्य है कि बाघ और शेर भूमि पर रहने वाले जानवरों की खाद्य श्रृंखला के शीर्ष स्थान पर है। जब हम इस खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर स्थित बाघ और शेर को मारते है तो निश्चित रूप से हम प्रकृति द्वारा भूमि पर सृजित संतुलन को बिगाड़ने का काम करते हैं। हम सभी को पता है कि शाकाहारी जानवरों की बहुतायत के कारण हमारा हरित क्षेत्र कम होता जा रहा है। अफ्रीका और आस्ट्रेलिया में इस बात का अनुभव किया गया है। इन सभी चीजों को देखते हुए अफ्रीका के अनेक देशों ने वन्य जीव के संरक्षण हेतु अपने सशस्त्र बलों और सेना को यह दायित्व सौंपा है।

[श्री तथागत सत्पथी]

पेड़-पौधे खाने वाले जानवरों द्वारा पर्यावरण में मीथेन गैस का उत्सर्जन किया जाता है जिसके कारण ओजोन की परत को नुकसान पहुंचता है। मानव केवल उन्हीं जानवरों को प्यार करता है जो उसके साथ खुश रहते हैं। हम मवेशी, कुत्तों, बिल्लियों और ऐसे जानवरों को पसन्द करते हैं जिन्हें हम पालतू बनाकर उनका उपयोग कर सकें। ये वे जानवर हैं जो हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। लेकिन विश्व को किसी और चीज की आवश्यकता है जो हम नहीं कर पा रहे है।

भारत के महान दार्शनिक श्री श्री अरविन्द ने कहा था कि विकास ऐसी प्रक्रिया है जो सदा होती रहती है तथा सदा से हो रही है। वानर मनुष्य बन गया और मनुष्य सुपरमैन में विकसित हो जाएगा। परन्तु वानर ने विकास के साथ सहयोग नहीं किया, इसलिए, वह पीछे रह गया। यदि मनुष्य विकास के साथ सहयोग नहीं करेगा तो एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य भी पीछे रह जाएगा और सुपरमैन हमसे आगे निकल जाएगा। हम आज कुछ ऐसी ही स्थिति में हैं। यह विधेयक पशु की एक प्रजाति 'बाघ' की सुरक्षा संबंधी सामान्य विधेयक नहीं है। यह ऐसा विधेयक है जो आने वाली पीढ़ियों को इस देश का भविष्य बताएगा, यह विधेयक इस देश, वन्य जीवन, जीव-जन्तु और वनस्पति के बारे में हमारी सोच क्या थी तथा देश के लिए हम किस प्रकार का संतुलन बनाना चाहते थे, के संबंध में है।

मैं अपने दल का एकमात्र वक्ता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आपके दल को पांच मिनट का समय दिया गया था। आप पहले ही पांच मिनट ले चुके हैं। मैं दो मिनट और दूंगा।

श्री तथागत सत्पथी: आपकी उदारता के लिए धन्यवाद।

अब मैं विधेयक पर आता हूं। मैं एक-दो बातों का ही उल्लेख करूंगा। इस विधेयक में व्यवस्था है कि ग्राम सभाएं बाघ अभयारण्य के प्रतिमानों के संबंध में निर्णय लेंगी। ग्राम सभाएं यह भी निर्णय लेंगी कि जनजातियों अथवा वनों में रहने वाले अन्य लोगों को पुनः स्थापित किया जाए या नहीं। हम सभी जानते हैं कि ग्राम सभाओं को कम नहीं आंका जाना चाहिए। वे लोकतंत्र का आधार हैं और हमारी सम्पूर्ण व्यवस्था ऐसी ही नींव पर आधारित होती है।

परन्तु जनप्रतिनिधि होने के नाते हम यह भी जानते हैं कि ग्राम सभाओं में किस प्रकार के लोग होते हैं - किस प्रकार बहुत कम महत्व की छोटी तथा लघु परियोजनाओं के लिए वाद-विवाद चलता रहता है, वाद-विवाद के दौरान लोग कैसे लड़ते हैं, खून-खराबा होता है और लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। यही हमारी ग्राम सभाओं का निचोड़ तथा उनकी पराकाष्ठा है। आप उस विशेष प्रकार के लोगों को यह जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं कि वह हमारे जीव-जन्तुओं तथा वनस्पति की रक्षा करेंगे। सभा को इस पर विचार करना चाहिए। क्या यह बुद्धिमत्ता है? क्या यह एक बुद्धिमान तथा विवेकपूर्ण मनुष्य की प्रतिक्रिया है? यह एक तथ्य है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।

मनुष्य और बाघ कभी भी साथ-साथ नहीं रह सकते। पर्यावरण के हित के लिए मानवजाति को अपनी सुविधाओं का त्याग करना होगा। अन्य शब्दों में, केवल बाघ ही नहीं, परन्तु ऐसे सभी पशुओं तथा पक्षियों को हमारी देखभाल, हमारे प्यार तथा हमारी समझ की आवश्यकता है ताकि उनका अस्तित्व बना रहे और पृथ्वी पर संतुलन बना रहे। हमें सुरक्षित अभयारण्य बनाने होंगे और बाघ संरक्षण प्राधिकरण को इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिए व्यापक शक्तियां देनी होंगी...*(व्यवधान)*। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राधिकरण में बहुत अधिक सदस्य न हों। यदि आप देखें तो जिस प्रकार इसका गठन किया गया है, यह ढोंग बन जाएगा तथा किसी के पास कोई शक्ति नहीं होगी; जनजातीय कार्य मंत्रालय अथवा पर्यावरण और वन मंत्रालय इस पूरी परियोजना का मजाक बना देंगे।

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग कीजिए।

श्री तथागत सत्पथी: केवल दो मिनट का समय और दीजिए।

क्या इस सभा की इच्छा और संसार चंदों को जन्म देने की है? हमें इस तर्ज पर सोचना होगा। मेरा सविनय निवेदन है कि आपके नेतृत्व में यह विवेकपूर्ण सभा इस विधेयक को रोक ले। यह कोई साधारण विधेयक नहीं है, जो 'हां' कहने से पारित हो जाएगा और 'नहीं' कहने से समाप्त हो जाएगा। यह असाधारण विधेयक है। हमें इसे महसूस करना होगा क्योंकि यहां गिद्धों अथवा बाघों अथवा शेरों के प्रतिनिधि नहीं हैं। वे गूंगे हैं और हमें उनकी ओर से बोलना होगा। यहां बहुत से बाघ हैं - वीर पुरुष; इन वीर पुरुषों तथा महिलाओं तथा विशेषकर महिलाओं को उठकर बोलना होगा।

अध्यक्ष महोदय: आपके दल के एक माननीय सदस्य उस स्थायी समिति में थे, जिसने इस विधेयक की जांच की थी।

श्री तथागत सत्पथी: यह कोई बहाना नहीं है, यदि मेरे दल के किसी सदस्य ने गलती की है तो।

अध्यक्ष महोदय: आपको बोलने का अधिकार है।

श्री तथागत सत्पथी: मुझे खेद है कि यदि मेरे दल का सदस्य गलती करता है तथा अपनी आवाज नहीं उठाता है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, कृपया समाप्त कीजिए। आप दिए गए समय से तीन गुणा अधिक समय ले चुके हैं।

श्री तथागत सत्पथी: मैं इस सभा से विनती करता हूं कि इस विधेयक को पारित न किया जाए। केवल मनुष्य ही नहीं है, जिसका अस्तित्व रह सकता है। केवल कुछ लोग ही नहीं है जो राजनीतिक हितों के साथ यह निर्णय करेंगे कि इस देश के भविष्य के लिए क्या किया जाना चाहिए। मेरी इच्छा इस विधेयक को रोकना तथा स्कूलों तथा कॉलेजों में बच्चों को यह पढ़ाना है कि इस देश के जीव-जन्तुओं तथा वनस्पति की रक्षा किस प्रकार करें। आज हमें कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिसके लिए भारत की भविष्य की पीढ़ियां, जो कि कल इस धरती पर रहेंगी, वह हमारी अज्ञानता और अदूरदर्शिता पर शर्मिंदा हों। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

***श्री एस.के. खारवेनथन** (पलानी): मैं अपनी कांग्रेस पार्टी तथा अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। हमारी सरकार टाइगर टास्क फोर्स और विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी संसदीय स्थायी समिति से जुड़े विभाग की सिफारिशों पर आधारित इस विधेयक को लाई है।

विश्व में जितनी संख्या में बाघ हैं उससे आधे से अधिक संख्या में बाघ भारत में हैं। यद्यपि इसे विशेषज्ञों द्वारा "अनुमान" कहा गया था, वर्ष 1993 में पिछली अखिल भारतीय गणना के अनुसार कुल 3750 बाघों का अनुमान था। इस संख्या में पूर्व चार वर्षों की पिछली गणना की अपेक्षा तेजी से गिरावट आई थी। इनमें से कुल संख्या में से केवल 1266 (34 प्रतिशत) तत्कालीन (अब यह संख्या 25 है और इसमें 33000 वर्ग कि.मी. का क्षेत्रफल आता है) प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्वों के भीतर पाए गए थे। भारत में बाघों की संख्या का वर्तमान अनुमान 3000 से 3500 बाघ है। अधिकांश बाघ विशेषकर संरक्षित रिजर्वों के बाहर वाले बाघ अधिक अवैध शिकार, धोखाधड़ी से शिकार और अत्यधिक प्रयुक्त पर्यावास के कारण परेशान होते हैं।

भारत में बाघ संरक्षण हेतु रणनीति प्रोजेक्ट टाइगर और वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के इर्द-गिर्द घूमती है। मध्य 1970 और मध्य 1980 के बीच बाघ पर्यावास के बड़े भूभागों सहित, अनेक संरक्षित क्षेत्रों (66 राष्ट्रीय उद्यानों और 421 वन्य जीव अभयारण्यों) को अलग कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप अनेक स्थानों पर बाघ घनत्व में वृद्धि हुई है। दुख की बात है कि ये संरक्षण सफलताएं थोड़े समय तक रहीं। भारत की सीमाओं से बाहर के बाजारों के लिए तय बाघ के शरीर के अंगों के लिए अत्यधिक अवैध शिकार के कारण अब बाघ के अस्तित्व का संकट हो गया है।

मौजूदा संरक्षण प्रयास और प्रोजेक्ट टाइगर, न तो इस दिशा में है और ना ही कोई संरक्षण रणनीतियों अर्थात् बेहतर ढंग से कानून लागू करने, प्रशिक्षण और सहायता की दिशा में है। कुछ टाइगर रिजर्वों में आसूचना नेटवर्क स्थापित है और हमारे लगभग 80 प्रतिशत टाइगर रिजर्वों में अवैध शिकार को रोकने के लिए सशस्त्र बल अथवा आधारभूत संरचना और उपस्कर नहीं हैं।

अवैध शिकारियों के पास प्रायः वन रक्षकों से अधिक बंदूकें होती हैं और उनकी संख्या वन रक्षकों से अधिक होती है। दिसंबर, 1998 में तीन वन कर्मचारियों की मानस टाइगर रिजर्व में हत्या कर दी गई थी और वर्ष 2005 में विभिन्न राज्यों में दस स्थानों से अवैध शिकारियों से बाघ की खाल बरामद की गई थीं। प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली देश के उच्चतम वन्य जीव संरक्षण नीति योजना निकाय, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की पिछले दस वर्षों में केवल एक बार बैठक हुई है। बाघ पर्यावास पर बड़ी संख्या में खनन और जल विद्युत बांधों जैसी विकास परियोजनाओं में वृद्धि हो रही है। पिछले पांच वर्षों में, हजारों वर्ग किलोमीटर वन भूमि को ऐसी परियोजनाओं को सुविधा प्रदान करने के लिए अन्यत्र प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया है और नष्ट कर दिया गया है। यद्यपि, संरक्षित नेटवर्क के बाहर अधिकांशतः इस महत्वपूर्ण पर्यावास की हानि के भारत में बाघ संरक्षण पर गंभीर प्रभाव पड़ेंगे।

महोदय मैं इस महान सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में शिवपुरी में माधव विधान नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम स्वर्गीय नेता माधव राव सिंधिया के नाम पर रखा गया है। वहां पर बाघ सहित सभी प्रकार के वन्य जीव उपलब्ध हैं। परंतु निकटवर्ती वन क्षेत्रों में अवैध खनन से जीवों पर प्रभाव पड़ रहा है। खनन और उत्खनन कार्य राजपत्र अधिसूचित क्षेत्र में भी चल रहे हैं। टी.एन. गोधवर्मन के मामले में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने का निदेश दिया कि

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री एस.के. खारवेनथन]

संरक्षित वन और रिजर्व का फोरेस्ट के 5 और 7.5 कि.मी. के भीतर वन कार्यकलापों को अनुमति न दी जाए।

महोदय, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में वन्यजीव अपराधों की रोकथाम करने के लिए कोई विशिष्ट उपबंध नहीं हैं। कारगर उपबंध करने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा ये संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। इस विधेयक में प्रस्तावित संशोधन वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

इस देश में "प्रोजेक्ट टाइगर" की शुरुआत वर्ष 1973 के दौरान की गई थी। महोदया इंदिरा जी ने इस देश में बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं। अब यह प्रोजेक्ट 17 राज्यों में बढ़कर 28 टाइगर प्रोजेक्ट हो गई है।

इस वर्तमान विधेयक में, भारत संघ द्वारा "राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण" का गठन करने के लिए धारा 38एल(1) के अंतर्गत संशोधन है। यह कदम स्वागतयोग्य है। धारा 38-ओ (1) के अंतर्गत बाघ संरक्षण प्राधिकरण की शक्तियों और कार्यों को मुख्य रूप से दर्शाया गया है। धारा 38(यू) के अंतर्गत राज्य सरकारों को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में टाइगर रेंज राज्यों में प्रोजेक्ट टाइगर की संचालन समिति का गठन करने का अधिकार है। परंतु इस विधेयक में राज्यों में संचालन समिति के कार्यों के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। इस विधेयक में अन्य महत्वपूर्ण संशोधन टाइगर रिजर्व की अधिसूचना के बारे में है। बाघ संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर, राज्य सरकारें एक क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर सकती हैं।

बाघों का संरक्षण करने के लिए, हमारे माननीय मंत्रियों ने इन बहुमूल्य संशोधनों को पुरःस्थापित किया है। मैं इन संशोधनों को लाने के लिए दोनों मंत्रियों श्री राजा और श्री नमोनारायण मीणा को बधाई देता हूं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं तथा इस विधेयक का समर्थन कर रहा हूं।

***श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन** (रामनाथपुरम): मुझे वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बोलने का मौका देने के लिए मैं खुश हूं तथा अनुग्रहीत महसूस करती हूं। इस विधेयक की मंशा राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने के उद्देश्य से मूल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन करके एक नई धारा चार ख जोड़ने का है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

विधेयक रा.बा.सं. प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) के अध्यक्ष तथा सदस्यों के कार्यालयों की सेवा-शर्तों, शक्तियों तथा कार्यों के संबंध में खंड 38 तथा इसके उपखंडों में प्रावधान करता है। प्रावधान विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विस्तृत तथा सक्षम है।

भारत एक विशाल देश है जिसमें भरपूर वनस्पति तथा वन्य जीव हैं। पूरे मानसून तथा पर्वतों, घाटियों, नदियों तथा घने जंगलों के रूप में प्राकृतिक संसाधनों की दौलत से परिपूर्ण हमारा देश वन्यजीवों को पनपने के लिए मनोरम आश्रयस्थल प्रदान करते हैं। जानवर पृथ्वी की जीवन प्रणाली का अंग हैं। जानवर तथा पौधे पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संरक्षण करते हैं। यदि जानवर और पौधों की देखभाल नहीं की गई तो मानवजीवन खतरे में पड़ जायेगा। एक ओर मानव समुदाय के बीच उचित तथा प्रबुद्ध विचार-विमर्श तथा दूसरी ओर पौधों तथा जानवरों के बीच पारस्परिक सहअस्तित्व इस ग्रह की जीवंतता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तभी हम, प्रकृति में संतुलन बनाए रख सकते हैं। यदि वन्य जीवों को जिंदा रखना है, तो घने जंगल आवश्यक हैं। भरपूर बारिश के लिए घने जंगल आवश्यक हैं।

वन हमें पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। वन तथा वन्यजीव घरेलू तथा विदेशी दोनों प्रकार के पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण के केन्द्र होते हैं। हमारे पास कई राष्ट्रीय पार्क तथा बाघ अभयारण्य हैं जिन्हें सतत आधार पर संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है। अतएव, प्रस्तावित संशोधन विधेयक उचित समय पर लाया गया है। स्वतंत्रता के समय से पहली बार सं.प्र.ग. सरकार ने वन्य जीवों, विशेष रूप से बाघों को संरक्षण प्रदान करने के लिए सांविधिक उपाय करने के संबंध में एक मुख्य पहल की है।

प्रकृति और प्रकृति की उन रचनाओं के संरक्षण के लिए जिनके संकटापन्न के आसार है सरकार की ओर से किसी भी प्रयास का स्वागत है। अतएव, माननीय वन तथा पर्यावरण मंत्री इस सम्माननीय सभा के समक्ष विधेयक लाने के लिए प्रमुख पहल हेतु मुक्त रूप से शुभकामना के पात्र हैं। विधेयक का अवलोकन करने से हम अत्यधिक सावधानी से विधेयक का प्रारूप तैयार करने में उनके धैर्य और गहन अन्तर्वेशन को आसानी से देख सकते हैं। माननीय मंत्री ने बाघों की संख्या के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक सुदृढ़ राष्ट्रीय संरक्षण प्राधिकरण के सृजन के उद्देश्य के लिए व्यापक वैधानिक उपाय करने में मेहनत की है।

इस विधेयक में बाघ अभयारण्य में पर्यावासियों में उचित पर्यावरण बनाए रखने के लिए सभी पहलुओं के प्रबंध हेतु

और बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक निवेशों को प्रदान करने के लिए प्राधिकरण को विस्तृत शक्तियां प्रदान करने की मांग की गई है। राष्ट्रीय प्राधिकरण को बाघ परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार को दिशा-निर्देश देने की ड्यूटी सौंपी गई है। यह बाघों के जीवन की स्थिति, रोग निगरानी और बाघों के लिए मृत्युदर सर्वेक्षण के बारे मे विस्तृत अध्ययन और अनुसंधान करने के लिए भी उत्तरदायी है। इस विधेयक में मुख्य खंड और मध्यवर्ती या बाह्य क्षेत्रों से संबंधित स्थितियों, समस्याओं दोनों में बाघ अभयारण्य क्षेत्रों की कार्यप्रणाली के सभी पहलुओं के नियोजन, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए विस्तृत शक्तियों सहित संबंधित मुख्य मंत्री को संचालन समिति का अध्यक्ष बनाने का भी उपबंध किया गया है।

इस विधेयक में मुख्य क्षेत्रों में बाघ संख्या के हित और मुख्य क्षेत्र से बाहर पड़ोस में रहने वाले लोगों के हित के मध्य उठने वाले विरोध के समाधान के लिए राष्ट्रीय प्राधिकरण और राज्य संचालन समिति दोनों के लिए आवश्यक शक्तियों का उपबंध भी किया गया है।

इस विधेयक की एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह संकेत करती है कि मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों और वन में रहने वाले अन्य ग्रुपों के हितों और जीवनयापन सरोकारों के प्रभावित होने या हितों से छेड़छाड़ से संरक्षण के लिए काफी मेहनत है। अतः यह कार्य बाघों की संख्या, पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे अनुसूचित जाति के लोगों तथा बाघ अभयारण्य क्षेत्रों के आस-पास रह रहे लोगों की सम्भावित जीविका की समस्याओं के परस्पर विरोधी हितों को सुसंगत करने के उद्देश्य से किया गया एक संतुलन देने वाला कार्य है।

इस विधेयक का एक अन्य मुख्य योगदान यह है कि इसमें बाघ तथा अन्य संकटापन्न जातियों का संरक्षण करने के लिए एक वाइल्डलाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का गठन करने का प्रावधान है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के असमाजिक तथा राष्ट्र विरोधी तत्व वर्तमान संदर्भ में अवांछित गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं जिससे वन्यजीवन खतरे में पड़ जाता है। ऐसा बताया गया है कि संरक्षित वनों में काफी संख्या में अनाधिकृत शिकार हो रहा है और कीमती जानवरों को मारा जा रहा है। हम यह भी समाचार सुनते हैं कि जानवरों तथा जानवरों से बने उत्पादों की सौदेबाजी के लिए राष्ट्रीय सीमाओं पर अंतर्राष्ट्रीय तस्करी की जाती है। यह नितान्त आवश्यक है कि इन आपराधिक गतिविधियों को सख्ती से कुचला जाए। अतः हम बाघ तथा संकटापन्न जातियों के संरक्षण हेतु एक क्राइम कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना के लिए एक प्रमुख पहल करने के लिए माननीय मंत्री जी की सराहना करते हैं।

महोदय यह मानवीय दृष्टिकोण से एक विशेष कानून है; जबकि मनुष्य रो कर अपनी शिकायतें व्यक्त कर सकते है पर जानवर बोल नहीं सकते। अब यह विधेयक उन लाखों गूंगे जानवरों की रक्षा के लिए सामने आया है। मैं इस विधेयक को एक महत्वपूर्ण कदम मानती हूं। तमिलनाडु के संत वल्लालार ने कहा है: "वडिया पैईराई कन्डा पोथेलम वडिनेन" जिसका अर्थ है: "मैं उस फसल की तरफ देख कर रोऊंगा जो पानी के अभाव में सूख रही हो।" यह मानवता की सर्वश्रेष्ठ भावना है जो इस विधेयक में भी दिखाई देती है। अतः मैं पूर्णतः इस संशोधन का समर्थन करती हूं और डा. एम.के. स्टालिन के नेतृत्व वाले हमारी डी.एम.के. पार्टी के ओर से इस विधेयक का स्वागत करती हूं।

अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं तमिलनाडु की ओर से माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे राज्य में पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों दोनों पहाड़ी शृंखलाओं पर समृद्ध वन हैं जिसमें बाघों की संख्या को बढ़ाने हेतु एक सुव्यवस्थित प्राकृतिक वास बनाने की सभी संभावनाएं हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु में मुधुमुलई, मुन्डनथुरई तथा कुछ अन्य स्थानों में उत्कृष्ट प्राकृतिक पर्यावरण वाले घने वन हैं।

इसलिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से बाघ संरक्षण अभयारण्य की मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं जिससे कि तमिलनाडु बाघों और अन्य संकटापन्न प्रजातियों के बचाव और संरक्षण में अपना योगदान दे सके।

[हिन्दी]

***श्री शैलेन्द्र कुमार** (चायल): महोदय, एनिमल प्लेनेट के अनुसार दुनिया के इंसानों को मौसम, जीव, जंतुओं, पहाड़, नदी, जल और पेड़ के बारे में जागरूकता बढ़ेगी तो सभी बचेंगे। देश में खालों की तस्करी जबरदस्त हो रही है। तेंदुए की खाल की कीमत बाजार में ढाई लाख रुपये आंकी गई है। इस पर तीन वर्ष की सजा और दस हजार रुपये का जुर्माना भी कम है। आज वन्य जीव को संरक्षित रखने का प्रयास हो रहा है। लेकिन देखा जाए तो स्टाफ की बहुत कमी है। पुलिस एवं वनकर्मियों की भूमिका पर भी निगाह रखने की जरूरत है। क्योंकि वे शिकारियों तथा तस्करों से मिले होते

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल में चीतों की संख्या 535, तेंदुए 2168 हैं। देश में कुल चीलों की संख्या 3642 है। तेंदुओं की संख्या 8203 है। उत्तर प्रदेश में केवल एक बाघ मरा है। उत्तरांचल में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए चार करोड़ रुपये की योजना रखी गई है। सेना के फील्ड कमांडरों को मुख्य वन संरक्षक अधिकारी का अधिकार दिया जाए तभी तस्करी कम हो सकती है। इसमें सेना की भी मुख्य भूमिका होगी। अब तो डी.एन.ए. टैस्ट से पता चल जायेगा कि कौन सा जानवर किस जंगली एरिया का है। कुख्यात खाल तस्कर संसार चंद गैंग 654 तेंदुए और 40 बाघ मार चुका है। जिसका खुलासा उसके बेटे से जब्त डायरी से हुआ है। यह सब खुलासा सी.बी.आई. द्वारा किया गया है। जयपुर ताल छापर अभयारण्य 110 लाख रुपये का विशेष पैकेज दे रहा है। सरिस्का अभयारण्य में अवैध शिकार के चलते बाघ समाप्त हो गये हैं। इस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चमगादड़ फल खाने वाली 13 प्रजातियों में से 8 प्रजातियां लुप्त होने के कगार पर हैं। भारत में 116 प्रजातियां हैं। सुनामी से चमगादड़ों को विशेष खतरा हुआ है। उनके रिहायशी स्थान खत्म हो गए थे। एक चमगादड़ फ्रूट बैट एक वर्ष में 14 करोड़ 60 लाख बीजों को फैलाता है जिससे नए वृक्ष आते हैं। जो फलाहारी पक्षी हैं, 10 परसेंट ही वृक्ष अगर बचाए, तो बहुत है। एक फ्रूट बैट प्रत्यक्ष रूप से एक वर्ष में 1 लाख, 46 हजार वृक्षारोपण का कार्य करता है। हाथियों की भी तस्करी होती है। इनके दांतों तथा खालों की तस्करी होती है। इसे भी रोका जाये। वनों में उपरोक्त जानवरों, पक्षियों के अलावा अन्य बहुत से पशु-पक्षी, जानवर होते हैं, उन्हें भी संरक्षित कराने की जरूरत है।

[अनुवाद]

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह (भीलवाड़ा): मैं इस विधेयक का विरोध केवल इसी आधार पर - न कि प्राधिकरण पर क्योंकि एक प्राधिकरण का होना अच्छा विचार है - कि इस विधेयक का प्रभाव काफी हद तक क्षीण हो गया है।

बाघ परियोजना निदेशालय 1972 से कार्यरत है; उन दिनों जब बाघों को मारना प्रचलित था उस समय मैडम इन्दिरा गांधी ने ही इस पर रोक लगाई थी। उन्होंने इसका आरम्भ नौ बाघ परियोजनाओं से किया था जो अब 28 हो गई हैं। मुझे याद है - मैडम सोनिया गांधी यहां बैठी है - वह और उनके पति रणथम्बौर जाकर बाघ देखना पसन्द करते थे। जब यह परियोजना आरम्भ हुई थी तो बाघों की संख्या केवल 1972 या 1973 थी। यह संख्या 4000 तक हो गई है। यह अधिकतम संख्या थी। अब यह कम हो गई है। क्या कारण है कि जब बाघों की संख्या में वृद्धि हो गई है तो आपको प्राधिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ गई? यह दोषारोपण का खेल है। वे राज्यों पर दोषारोपण करना चाहते हैं क्योंकि सभी बाघ परियोजनाएं राज्यों में स्थित है। वे राज्यों पर दोषारोपण करना चाहते हैं क्योंकि वे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने सरिस्का के गांवों को नये स्थानों पर बसाने के लिए धनराशि उपलब्ध नहीं करवाई है। यदि उन्होंने ऐसा किया होता तो सरिस्का से बाघ गायब नहीं होते, शिकार नहीं होते। प्रमुख क्षेत्र में और बफर क्षेत्र में 28 गांव है। हम यह कहते आये हैं कि हमें धन की जरूरत है। यदि उन्होंने हमें धनराशि उपलब्ध करवा दी होती तो इन्हें अन्यत्र बसा दिया होता और सरिस्का की समस्या उत्पन्न नहीं होती।

अन्य कारण यह है कि हम बाघ परियोजना में भर्ती के लिए धन की मांग कर रहे हैं। उन्होंने हमें भर्ती के लिए कोई धनराशि नहीं दी है। यदि हम वन के अंदरूनी क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए भर्ती नहीं करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उनकी रक्षा नहीं कर पायेंगे।

सुब्रमणियम समिति रिपोर्ट ने 1994 में यह सिफारिश की थी कि हमारे पास एक अपराध ब्यूरो होना चाहिए। क्या एक अपराध ब्यूरो बनाने में इतने साल लग गए हैं? यदि हमारे पास यह होता और यदि हम अवैध शिकार के विरुद्ध बन्दूकें उपलब्ध करवा पाते तो ऐसा न होता। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि बाजार होगा तो मांग भी होगी। तिब्बत और चीन में बाजार फल-फूल रहा है।

इसी कारण से अवैध शिकार हो रहा है। शिकार में संसारचन्द्र, वालिया और कालिया ये सभी लोग संलिप्त हैं।

मैं प्रोजेक्ट टाइगर निदेशालय को दोष दूंगा। यदि उन्होंने शिकार करने वाली जनजातियों के बारे में कुछ किया होता तो स्थिति ऐसी नहीं होती। ये जनजातियां कोई और काम नहीं कर सकती हैं। वे पेशेवर शिकारी हैं। यदि उन्हें शिक्षा दी जाती, जिसके लिए प्रोजेक्ट टाइगर निदेशालय द्वारा धन दिया जाना था, तो वे अवैध शिकार में संलिप्त नहीं होते। यदि वास्तव में कुछ किया जाता तो हम इन सभी बाघों को बचा पाते। यह एक दोषारोपण का खेल है और वास्तव में वे अपनी खाल बचाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने यह प्राधिकरण बनाया है।

मैं कुछ संशोधन लाया हूं और जब उस पर विचार होगा तो मैं अपनी बात रखूंगा। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हम

जनजाति विधेयक की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम जनजाति विधेयक का समर्थन करते हैं। किंतु यह कोई जनजाति विधेयक नहीं है। यह केवल 28 प्रोजेक्ट से संबंधित है। हम इतने बड़े देश में रहते हैं और ये 28 प्रोजेक्ट भारत के भौगोलिक क्षेत्र के आधे प्रतिशत क्षेत्र में भी नहीं हैं। यह कहने की क्या जरूरत है कि इस प्रोजेक्ट क्षेत्र में रहने वाले लोगों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा और हम इन लोगों का स्वेच्छा के आधार पर पुनर्वास करेंगे। यदि यही दृष्टिकोण रहा तो यह विधेयक बाघों के लिए एक मौत का वारंट बन जाएगा क्योंकि इस विधेयक के प्रभाव को कम किया गया है।

इसके बारे में एक तर्क संगत लेख लिखा गया है। मैं इसे दिखाना नहीं चाहता हूं। इस लेख में यह लिखा गया है कि राज्यसभा में एक संसद सदस्य 12 संशोधन प्रस्तुत करके इस विधेयक से ध्यान हटाने में सफल हो गए। ऐसा केवल विधेयक के प्रभाव को कम करने हेतु किया गया है।

यदि हम बाघों को नहीं बचा पाए और इस क्षेत्र के लोगों को नहीं बचा पाए तो इस विधेयक का क्या फायदा होगा? हम क्या करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश पारित किया था कि ये सभी प्रोजेक्ट टाइगर्स अनतिक्रमणीय हैं अर्थात् इन 28 प्रोजेक्ट टाइगर्स में कोई मानवीय कार्यकलाप नहीं चल सकता है। हम उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों को देखने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं यह बात नहीं समझ पा रहा हूं। यह बहुत गलत बात है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण खत्म कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): पांच-सात मिनट का टाइम और दे दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी का जो टाइम है, वह पूरा देंगे, एक मिनट भी कम नहीं होगा।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यह आखिरी चांस है टाइगर को बचाने का। आप डाइल्यूट करके ऐसा नहीं करें कि टाइगर इस बिल से ही एक्सटिंक्ट हो जाएं। आज चीन ने एक नयी चीज की है। चीन ने सोचा कि जो टाइगर पोचिंग हमारे पास आते हैं, *[अनुवाद]* उनमें प्रत्येक बाघ की कीमत लगभग 50,000 डालर है। वहां पर एक बड़ा बाजार है। तिब्बत में भी एक बड़ा बाजार है। सीमा शुल्क विभाग से यह नहीं कहा गया है कि उन्हें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे खालों का यहां निर्यात न हो सके। *[हिन्दी]* आपने कहा था कि टाइम देंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैंने कब कहा कि नहीं देंगे। आपकी पार्टी का जो टाइम है, वह पूरा देंगे, लेकिन आपकी पार्टी के और भी सदस्य बोलने वाले हैं। आप उनको विड्रा कर लीजिए, हम आपको ही पूरा टाइम दे देंगे।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, सबसे बड़ी बात इस बिल में यह है कि ये एरियाज हर वक्त इनवायलेट रहे हैं। इसके अंदर ग्राम सभा को ले लिया गया है और उनसे राय लेंगे तब तो टाइगर बचने वाला नहीं है। यही मैं कहना चाहता हूं। *[अनुवाद]* अपने संशोधन प्रस्तुत करते समय, मैं थोड़ा ज्यादा समय लूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: उस टाइम पर देखा जाएगा।

***श्री मुंशी राम** (बिजनौर): महोदय, वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2006 के बारे में मेरा कहना है कि वन्य जीव संरक्षण होना चाहिए। परन्तु जंगली जानवरों हाथी, नीलगाय, पहा आदि जानवरों द्वारा जो किसानों की खड़ी एवं तैयार फसल को नष्ट कर दिया जाता है, उसके लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव को अपनी परिधि में रहने के लिए जो तार की बाढ़ की गयी है उससे वन्य जीव रुक नहीं पाते हैं।

वन्य जीव किसानों की तैयार एवं खड़ी फसल को नष्ट कर देते हैं जिसके कारण गरीब किसान बर्बाद हो जाता है। इसलिए वन्य जीवों को वन्य क्षेत्रों में रोकने का ठोस उपाय किया जाए एवं वन्य जीवों द्वारा किये जा रहे नुकसान का मुआवजा सरकार किसानों को दे।

[अनुवाद]

***डा. करण सिंह यादव** (अलवर): मैं, वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूं।

मैं अलवर संसदीय क्षेत्र, जहां सरिस्का बाघ अभयारण्य स्थित है, का प्रतिनिधित्व करता हूं। कुछ वर्ष पहले तक हमारे पास उस अभयारण्य में दो दर्जन से अधिक बाघ हुआ करते थे लेकिन दुर्भाग्यवश विश्व माफिया की पैठ बढ़ गई और आज उसका परिणाम यह है कि इस वन अभयारण्य में एक भी बाघ उपलब्ध नहीं है। विशेषज्ञों की बारंबार गणना ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि अलवर में एक भी बाघ नहीं है। यह दुखद है। लगातार किए जा रहे शिकार को राज्य सरकार, जिसकी वन की रक्षा करने की प्रमुख जिम्मेदारी है,

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[डा. करण सिंह यादव]

के ध्यान में लाया गया। यह वन अधिकारियों और सरकार में उच्चाधिकारियों के साथ शिकारियों की सांठगांठ का उदाहरण है।

सरिस्का में पूर्ण रूप से पर्यटन कार्यकलाप (पारिस्थिकी से जुड़ा पर्यटन) चल रहे थे लेकिन अब इस खबर के फैलने से कि अलवर अब बाघों का आश्रय स्थल नहीं रह गया है, अलवर के पर्यटक अन्य बाघ अभयारण्य की ओर आकर्षित हो गए हैं। इससे आम आदमी, रिक्शाचालक, टैक्सी चालक, ऑटो चालक, होटल और रेस्तरां मालिक अपनी जीविका, जो कि पर्यटक पर निर्भर थी, से वंचित हो गए हैं।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस सभा में दी गई इस वचनबद्धता को पूरा करें कि इस अभयारण्य में बाघों के कुछेक युग्म को लाकर सरिस्का को पुनः बाघों से हराभरा किया जाएगा। कार्यबल ने सुझाव दिया है कि कुछेक गांवों को वन से कहीं और स्थानान्तरित किया जाए और कुछेक वित्तीय आबंटन किए भी गए हैं लेकिन राज्य सरकार, केन्द्र सरकार और कार्यबल के निर्णय को कार्यान्वित करने में धीमी गति से चल रही है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह विधेयक वन अधिकारियों के हाथ में बाघ अभयारण्य में स्थित छोटे गांव में रहने वाले जनजातीय समुदायों का उत्पीड़न करने का साधन नहीं बनना चाहिए। मुझे इस तथ्य की जानकारी मिली है कि सरिस्का क्षेत्र के जनजातीय लोगों का न केवल उत्पीड़न किया जा रहा है बल्कि उनका जीना भी मुश्किल हो गया है।

सरिस्का की ओर से राज्य राजमार्ग सं. 14 गुजरता है, जो कि पहले दिल्ली से जयपुर का मार्ग था। वन विभाग इस सड़क को बंद करने पर जोर दे रहा है, जो कि कानागजी होते हुए अलवर से जयपुर जाती है। इसके परिणामस्वरूप उस क्षेत्र के गांव वालों में रोष पैदा हो गया है।

मैं ईमानदारी से आशा करता हूं कि यह विधेयक बाघों और वन के जनजातीय लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। पशु और मानव शताब्दियों से साथ-साथ रहते आए हैं और उन्हें ऐसा करते रहना चाहिए।

इन्हीं कुछेक शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं और मेरा अनुमान है कि हम यहां बाघों की सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। अतः, हमें इस पर बात करने की आवश्यकता है और आपको हमें समय देना चाहिए। मैं इससे शुरुआत करना चाहता हूं।

मैं कहना चाहता हूं कि बाघ परियोजना श्री संखा और तत्कालीन प्रधानमंत्री, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा वर्ष 1973 में शुरू की गई थी। लेकिन तीन दशकों के पश्चात् हम 9 अभयारण्य से बढ़ाकर केवल 20 ही बाघ अभयारण्य बना पाए हैं। मैं केवल वर्ष 2001-02 से आगे का कुछेक आकलन करना चाहता हूं। वर्ष 2001-02 में, उत्तरांचल के कार्बेट पार्क में, 137 बाघ मौजूद थे लेकिन इस समय वहां 50 से कम बाघ उपलब्ध हैं। असम के मानस में वर्ष 2001-02 में 65 बाघों में से अब 10 से भी कम बाघ रह गए हैं; पश्चिम बंगाल के सुंदरवन में 245 बाघों में से इनकी संख्या अब 100 से भी कम रह गई है; केरल के पेरियार में, वर्ष 2001-02 में 36 बाघों में से अब बाघों की संख्या 15 रह गई है; उत्तर प्रदेश के दुधवा में, 76 बाघों में से अब 40 से कम बाघ रह गए हैं; और उत्तर प्रदेश के किशनपुर में 25 बाघों में से लगभग पांच बाघ रह गए हैं। और आगे देखें तो, बाघों की संख्या घट रही है। यह एक गंभीर समस्या है और हमें इस पर बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। वर्ष 1947 से 1973 तक, किस दल ने सत्ता संभाली, यह हम सब जानते हैं। तब से उन्होंने वर्ष 1973 तक लुप्त होते बाघों के लिए कोई कानून अथवा नियम अथवा विनियम नहीं बनाया है। इस चरण में, इस प्राधिकरण को शिथिल किया जा रहा है। अब इसकी हमारे माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में केन्द्र के माननीय पर्यावरण मंत्री द्वारा निगरानी की जाएगी। वे इसे मंत्रालय में कुछेक वरिष्ठ लोगों के समूह, कुछेक सांसद, आठ विशेषज्ञ, जिनमें से दो जनजातीय कार्य विभाग से होंगे और छः बाघ के विशेषज्ञ होंगे तथा कुछेक नौकरशाहों के साथ मिलकर चलाएंगे।

हमारे यहां क्या किया है। हमने इसे शिथिल कर दिया है। हमने अनेक प्राधिकरण बनाए हैं। यह प्राधिकरण सुविधादायक होना चाहिए। यह प्राधिकरण सरकार के नियंत्रण से बाहर होना चाहिए और इसके कार्यकलापों की निगरानी करने वाली नोडल एजेंसी होने के नाते इसे पर्यावरण मंत्रालय के साथ एक स्वतंत्र निकाय के रूप में चलाया जाना चाहिए।

महोदय, विधेयक के एक उपबंध में खंड 11, पृष्ठ चार पर स्पष्ट रूप से कहा गया है:

"व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण इस अध्याय के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अपने कृत्यों का

निर्वहन करते हुए, व्याघ्र आरघितियों में व्याघ्र संरक्षण के लिए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित में निदेश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।"

क्या सरकार केन्द्रीय प्राधिकरण है? क्या सरकार का नियम ईश्वर का नियम है? अब, सरकार को सहमतिजन्य पद्धति अपनानी होगी। जैसा कि हम सब कह रहे हैं कि किसी को भी स्थानीय लोगों, विशेषकर अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले लोगों, के अधिकारों में दखल नहीं देना चाहिए।

महोदय, मैं एक ऐसे संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां जनजातीय आबादी रहती है। कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी ने विभिन्न अवसरों पर मेरे संसदीय क्षेत्र का दौरा किया है। हमारे यहां जनजातीय आबादी है। हम जनजातियों का आदर करते हैं। राज्यसभा के एक व्यक्ति द्वारा विधेयक को इस सीमा तक कमजोर नहीं किया जा सकता कि विधेयक का स्वरूप ही पूर्णतया बदल जाए।

यह कहा गया है कि संचालन समिति राज्य के भीतर प्रभारी होगी और राज्य सरकार संचालन समिति को चलाएगी। जैसा कि मुझसे पहले के वक्ताओं द्वारा बताया गया है, इस रिपोर्ट पर विचार नहीं किया गया। इस विधेयक में क्या कमी है? वर्ष 2005-06 के लिए बजट आबंटन 32.93 करोड़ रुपये था जिसमें से, 12 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर के लिए निर्धारित थी। अरुणाचल प्रदेश पूर्वोत्तर क्षेत्र का एक भाग है। मैंने पहले ही बताया है कि बाघों की संख्या घट रही है। अतः आप यह धन किस पर व्यय करने जा रहे हैं?

महोदय, माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी दूसरी बैठक में कार्य बल के सृजन की घोषणा की थी। इस कार्य बल ने अपनी रिपोर्ट दी थी। किन्तु श्री बाल्मीकि थापर जैसे विशेषज्ञों ने इस रिपोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाया था। वर्ष 2002 में बाघों की संख्या 3,642 थी।

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया समाप्त कीजिए।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय, मैं एक नया सदस्य हूं और आपको मुझे समय देना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा, मैं आपकी पार्टी से किसी अन्य माननीय सदस्य का नाम नहीं पुकारूंगा। आप जारी रख सकते हैं।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: वे समय चाहते हैं और मेरा उनसे लगाव है। मैं उन्हें समय दूंगा जब तक कि उनकी पार्टी का समय समाप्त नहीं हो जाता।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय, अब केवल 1300 बाघ बचे हैं। समस्याएं क्या हैं? सरकार को स्थानीय निवासियों को वन क्षेत्र से बफर क्षेत्र में पुनर्वासित किया जाए। वे परियोजना क्षेत्र को नियंत्रित नहीं कर सकते। परियोजना क्षेत्र का नियंत्रण करने वाला उस मुख्य क्षेत्र में निवासियों को रहने की इजाजत कैसे दे सकता है। सरकार के पास कोई ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जिसके माध्यम से निवासियों को बफर क्षेत्र में ले जाया जा सके। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि शिकार करने वाली जनजातियों का पुनर्वास बेहतर स्थान पर हो और पुनर्वास से समुदाय की व्यापक तौर पर सहायता ही हो।

महोदय, हमारे पास बेहतर आसूचना प्रणाली है। लेकिन राजनैतिक रुचि की भी आवश्यकता है। हमारे पास अलवर से एक माननीय सदस्य है। हमें पार्टी लाइन से ऊपर उठकर सहायता देने की जरूरत है जिससे कि हम 35 गांवों के पुनर्वास में मदद करने के लिए सभी गांवों की राजनैतिक छवि का ध्यान रख सकें।

अपराह्न 5.00 बजे

हमें बाघों की पहचान के लिए तरीकों और भिन्न-भिन्न पद्धतियों यथा कैमरा ट्रैप और डी.एम.ए. कैट पद्धति जैसी विशेष पद्धति का सहारा लेना चाहिए। मेरा कहना है कि ग्राम सभा को मुख्य क्षेत्र का निर्धारण करने वाला प्राधिकरण नहीं बनाया जाना चाहिए। आपके कानून के अनुसार, इस विधेयक के तहत मुख्य क्षेत्रों की पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए और उनकी सीमाएं ग्राम सभाओं द्वारा तय की जानी चाहिए। हमें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है।

मैं यह भी कहूंगा कि स्थानीय क्षेत्र में भी कतिपय प्रावधान किए जाने चाहिए जो विद्यालय, शिक्षण या शिक्षा पद्धतियों के बारे में हों ताकि आप उन क्षेत्रों में शिक्षा में सुधार कर सकें और शिक्षा द्वारा हम बाघों की संख्या में सुधार कर सकें। किन्तु मुझे यहां यह भी कहना चाहिए कि लंबे समय से राजनीति चल रही है। जैसा कि मैंने पहले कहा, संप्रग और इसके भागीदारों द्वारा शासित विभिन्न राज्यों में बाघ घट रहे हैं। यह केवल एक राज्य में नहीं अपितु विभिन्न अन्य राज्यों में भी है। मुझे उम्मीद है माननीय मंत्री मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करेंगे।

[हिन्दी]

***श्री रामदास आठवले** (पंढरपुर): महोदय, राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण का गठन एक अच्छा निर्णय है। व्याघ्र का संरक्षण करने के लिए इस प्राधिकरण का विशेष उपयोग होगा। मैं आर.पी.आई.(ए) की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। व्याघ्र परियोजना से सम्बन्धित रिपोर्ट वार्षिक रूप से केन्द्रीय सरकार को संसद के समक्ष भेजने के प्रावधान का भी मैं समर्थन करता हूं। व्याघ्र के संरक्षण के साथ ही उस इलाके में रहने वाले लोगों का भी संरक्षण होना चाहिए। टाइगर के साथ-साथ पैंथर का भी संरक्षण किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत): महोदय, राजग के भीतर ही इस बात पर गर्मागर्म वाद-विवाद हुआ है कि हमें इस विधेयक को पारित कराए जाने की अनुमति देनी चाहिए अथवा नहीं। राजग के नेताओं का दृढ़ विश्वास था कि इसे पारित होने नहीं देना चाहिए और मैं उनसे सहमत हूं। ऐसा पहली बार है कि मैं किसी ऐसे चीज का विरोध कर रही हूं जिसका मैं दिल से विरोध करती हूं।

1947 के बाद से संभवतः यह सबसे घटिया विधेयक प्रस्तुत किया गया है। यह एक उत्तम विधेयक था। अधिकारियों और मंत्री जी ने इसे सर्वोत्तम बनाने में कड़ी मेहनत की थी। इसे राज्य सभा में लाया गया और 13 संशोधन किए गए थे। मैं इतने रोष के साथ नहीं बोल सकती किंतु मैं केवल इतना कहती हूं कि उन्होंने इतना बुरा विधेयक बनाया है कि थोड़े बहुत बाघ व अन्य जानवर बचे हैं वह भी नहीं बचेंगे।

अपनी बात विस्तारपूर्वक कहने से पहले मैं कुछ खास प्रश्न पूछना चाहूंगी जिनका उत्तर माननीय प्रधानमंत्री दें। कृतक बल ने कई सिफारिशें कीं जिनका अनुपालन किया जाना था। क्या मंत्री महोदय बिन्दुवार हमें बताएंगे कि अनुपालन में क्या किया गया चूंकि प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त कृतक बल द्वारा अपना कार्य समाप्त किए हुए लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं?

(1) वन्यजीव अपराध ब्यूरो की स्थापना जो आज बहुत संक्षिप्त स्वरूप में हो रही है।

(2) कृतक बल की मांग के अनुरूप आपराधिक अनुबंधों को सुदृढ़ करने के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन।

(3) बाघ गणना के परिणाम और उसके निष्कर्षों के आधार पर की जाने वाली कार्रवाई।

(4) छह महीने में संसद में स्वतंत्र लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना जो विभिन्न मानदण्डों के आधार पर अलग-अलग बाघ अभयारण्यों के कार्य निष्पादन का आकलन करेगी।

(5) महत्वपूर्ण बाघ पर्यावासों में गांवों की पहचान और उनका योजनाबद्ध स्थानान्तरण जिसके वित्तीय और संभारात्मक निहितार्थों को एक वर्ष के भीतर अन्तिम रूप दिया जाना था और दो से तीन वर्षों के भीतर पूरा किया जाना था।

(6) सह अस्तित्व के लिए प्रत्येक बाघ अभयारण्य द्वारा एक वर्ष के भीतर योजना तैयार करना ताकि संरक्षण के लाभ को स्थानीय समुदायों के साथ बांटा जा सके।

मेरे मित्रों श्री वी.पी. सिंह और श्री दुष्यंत सिंह ने इस विधेयक के बारे में बहुत अच्छे से ढंग से बोला है। बहुत क्षोभ के साथ मुझे कहना है कि माननीय मंत्री हमारी किसी सिफारिश को स्वीकार करने वाले नहीं है। हमारे पास भी संशोधन है। बाघों का संबंध सिर्फ विपक्ष से नहीं है। हम इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम विपक्ष में हैं। हम आपका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस विधेयक से बाघ किसी भी चीज की तुलना में ज्यादा तेजी से मारे जाएंगे। क्या हुआ है? श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा परिकल्पित बाघ परियोजना में महत्वपूर्ण क्षेत्र अनुल्लंघनीय थे। आप वहां नहीं जा सकते थे। ये बाघों के क्षेत्र थे और जैसा कि श्री वी.पी. सिंह ने कहा था यह भारत के कुल क्षेत्र का केवल 0.1 अंश से भी कम है। अब इस विधेयक में यह संशोधन करके कहा गया है कि महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी यहां से वहां हटाया जा सकेगा और इसके लिए सरकार स्थानीय समुदायों की इच्छा पर निर्भर हैं।

मुझे पता है कि "स्थानीय समुदाय" क्या होता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 200,000 बांग्लादेशी और बंगाली आ गए हैं और उन्हें "स्थानीय समुदाय" कहा जाता है। वे जंगल के बीच बैठेंगे और निर्णय करेंगे कि अब से "महत्वपूर्ण क्षेत्र" कहां से कहां तक होगा। मेरे अपने ही संसदीय क्षेत्र में गत तीन महीनों के दौरान चार बाघ मारे गए क्योंकि उसे जंगल के नए निवासियों द्वारा परेशान किया गया। यह "स्थानीय समुदाय" बढ़ते जाते हैं।

शहरों से आने वाले लोग इनमें शामिल हैं; इनमें शिकारी शामिल हो जाते हैं; इनमें वे लोग शामिल हो जाते हैं जो

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

स्थानीय समुदाय का इस्तेमाल जंगल काटने में करते हैं। इनमें ये लोग घुस जाते हैं जो आरा मशीन लगाते हैं। सभी प्रकार का व्यवसाय होता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत क्या हम इन "स्थानीय समुदायों" को यह तय करने का अधिकार देने जा रहे हैं कि महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा होगा? ऐसी स्थिति में क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण तब तक नहीं हो पाएगा जब तक ये स्थानीय समुदाय से पूछ नहीं लिया जाता; जब तक ग्राम पंचायत से निर्णय लेने के लिए नहीं कहा जाता। हम निर्णय नहीं कर पाएंगे कि 'अपूरणीय क्षति' क्या है जब तक कि 23 व्यक्ति वर्ष में एक बार बैठकर यह तय नहीं करेंगे कि 'स्थानीय क्षति' क्या है। इसका अर्थ क्या है? यह विधेयक क्या करने जा रहा है? इससे से घिसटकर चलने वाली बाघ परियोजना भी नष्ट हो जाएगी।

इसी महान इच्छा से हाथियों को बचाने के लिए हाथी परियोजना बनायी गयी थी। हाथी भी बाघों की तरह ही संकटापन्न हैं। उसका अन्तिम प्रतिफल क्या रहा? अन्त में एक आदमी कार्यालय में बैठा है और कुछ भी नहीं करता। हाथी परियोजना के एक निदेशक ने कभी कुछ किया था तो यह कि अपनी पत्नी को छत्तीसगढ में एक हाथी के बच्चे को पकड़ने का ठेका दिया और वो वहां गयी, उसे पकड़ा तथा निर्मम ढंग से उसकी हत्या कर दी। वह छूट गयी क्योंकि उन्होंने कहा कि वह एक जनजातीय थी। यह सब फिल्म में रिकार्ड किया गया था जिसे सबको टेलीविजन पर दिखाया गया। हाथी परियोजना निदेशक अपनी पत्नी को ठेका देने के बावजूद बच गया। इसके बाद किसी भी हाथी परियोजना निदेशक ने कुछ भी नहीं किया। क्या यह विधेयक यही करने जा रहा है? इन संशोधनों से कार्य बल नष्ट हो जाएगा।

"बाघ वाले वन" शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। मान लीजिए कि "स्थानीय समुदाय" कहता है, "हम इसे बिना बाघ वाले वन के रूप में परिभाषित करते हैं।" तब उन्हें आने जाने का अधिकार मिल जाएगा। तब उन्हें बाघों का संरक्षण नहीं करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास यह निर्णय करने की क्षमता होगी कि कौन से "बाघ वाले वन" हैं क्योंकि आपने अपने अधिनियम में इसे परिभाषित नहीं किया है।

हमारे पड़ोसी देशों के साथ संपर्क करने के लिए इस विधेयक में आपने क्या किया है? यह सुविदित है और इसके दस्तावेज उपलब्ध हैं कि तिब्बत एक मुख्य कारण है कि क्यों अब बाघ भयानक रूप से संकटापन्न हैं। दो वर्षों से जब से तिब्बत अध्ययन किया गया था और फिल्म में दर्ज किया गया है आपने कोई कार्यवाही की है?

खण्ड 38(2) में संशोधन लाकर जिसमें बाघ संरक्षण प्राधिकरण को भारत में किसी व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश जारी करने का अधिकार था, अब यह कहा जा रहा है कि इस प्रकार का कोई भी निर्देश जब तक स्थानीय लोगों विशेषतः अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों में हस्तक्षेप या प्रभावित न करे। "एक ही झटके में आपने पूरे विधेयक को ही नष्ट कर दिया है। हाथी परियोजना के साथ यही हुआ था जिसके अनुसार हाथी गलियारों से गांवों को हटाने की बात की गयी थी। उसमें कहा गया" नहीं, नहीं, हम स्थानीय लोगों से पूछेंगे। पंद्रह साल हो गये और एक भी गांव नहीं हटाया गया है क्योंकि "स्थानीय लोगों" से पूछा जाना शेष है।

यह आवश्यक है कि बाघ कार्यबल को और साथ ही इस विधेयक को अधिक शक्तियां दी जाएं। हमें आपका समर्थन करते हुए खुशी होगी। अन्यथा हम बाघों को खो देंगे। अब यह कुछ ही वर्षों दो या तीन वर्षों की बात रह गयी है जिसके बाद बाघ लुप्त हो जाएंगे। इसके बाद आप कहेंगे कि "परन्तु हमने मुक्त कराया। हमने संसद में परिश्रम करके यह खूबसूरत विधेयक तैयार किया।"

यदि एक व्यक्ति ने हमें तेरह संशोधन दिए तो आखिर विधेयक का सार क्या रहा? मेरे दल के नेताओं ने, वे दोनों यहां उपस्थित हैं, यह कहा कि: "इस विधेयक को पारित न होने दें क्योंकि वस्तुतः यह एक बुरा विधेयक है।" यह सत्य है। मैं इतनी डरी हुई हूं कि मुझे वन के सत्यनिष्ठ निवासियों से बहसें करनी पड़ी। मैंने उनके साथ बहस मात्र इसलिए की क्योंकि मैं इतनी डरी हुई थी कि यदि हम इस विधेयक को इस समय पारित नहीं करते हैं तो अगली बार आप और अधिक बुरा विधेयक लाएंगे। यह बाघ संरक्षण प्राधिकरण अथवा बाघ संरक्षण विधेयक नहीं है बल्कि यह जनजातीय विधेयक है। इस पर जनजातीय विधेयक होने की पूरी छाया है।

मैं इन तेरह संशोधनों का विरोध करने के लिए खड़ी हुई हूं। मैं आशा करती हूं कि आपमें इन संशोधनों को वापस लेने का साहस और सद्‌विवेक होगा क्योंकि आपका दल पारम्परिक रूप से पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय से ही वन्यजीव की सुरक्षा का पक्षधर रहा है। भगवान के लिए एक उचित बाघ संरक्षण प्राधिकरण बनाकर बाघों को बचाएं। आप एक बुरे विधेयक को बाद में संशोधित नहीं कर सकते हैं। आपको इसे अभी करना होगा।

***श्री एम. अप्पादुरई** (तेनकासी): महोदय, मैं वन्यजीव

---

*मूलतः तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम. अप्पादुरई]

विशेषकर बाघों का संरक्षण सुनिश्चित करने हेतु इस विधेयक का स्वागत करता हूं। हमारे राष्ट्रीय पशु, बाघ का संरक्षण किया जाना चाहिए। हमारे बाघ अभयारण्य जो नौ राज्यों में अवस्थित थे अब 17 राज्यों और 20 स्थानों पर विद्यमान हैं। वर्ष 1972 में, तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अधिनियमित किया था। अब हम उस कानून में कतिपय संशोधन करना चाहते हैं।

प्राचीन समय में इस उप महाद्वीप में लाखों बाघ थे। अब इनकी संख्या घटकर करीब 4,000 हो गयी है। इसी वजह से हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को अधिनियमित कर रहे हैं। इस संशोधन विधेयक के माध्यम से सरकार का इरादा एक बाघ संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने का है। मैं वनों में रहने वाले बाघों की बात कर रहा हूं। बाघ जंगली और खूंखार होते हैं परन्तु इसके बावजूद उन्हें संरक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। यह विधेयक इस सभा के समक्ष यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है ताकि बाघ क्रूरता और हमलों का शिकार न बनें।

इस उप महाद्वीप के पारंपरिक जीवन में बाघों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है और इस कारण से भी उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। वे पारितंत्र का संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि वे वन्य जीवन में आहार शृंखला की सर्वोत्तम कड़ी हैं। जहां तक वन्य जीव का संबंध है, बाघों का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यह एक कारण है कि संप्रग सरकार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम में इन आवश्यक संशोधनों को लाने के लिए तेजी से कार्य कर रही है।

इस समय, हमारे लिए घने जंगलों और अभयारण्यों के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के कल्याण की बात सोचना जरूरी है। जनजातीय लोग संरक्षण वन अधिकार विधेयक अभी भी तैयार किया जा रहा है और इस समय इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक को पारित करने में क्यों विलम्ब किया जा रहा है। इन दोनों कानूनों को एक साथ अधिनियमित किया जाना उचित होता।

बाघों के संरक्षण हेतु, हमें अन्य प्रत्येक जानवर तथा देश में उपलब्ध प्रत्येक वन का संरक्षण करना होगा। पेड़ों का संरक्षण किया जाना चाहिए, वनों का संरक्षण किया जाना चाहिए तथा पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाना चाहिए।

पर्वतीय जनजातियां और वनों के दूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग वास्तव में उन्हें संरक्षित रखने में सहायता दे रहे हैं। वे हमारे वन आच्छादित क्षेत्र के मात्र दो प्रतिशत क्षेत्र में रह रहे हैं और अपनी जीविका चला रहे हैं। उनके पीछे ये केवल अवैध शिकारी और लोभी व्यापारी ही हैं जो अवैध निर्यात के लिए वनों के पशुओं का उनके चमड़े के लिए शिकार करते हैं और अमूल्य पेड़ों को काटते हैं। धरती पुत्रों के रूप में और सदियों से वहां रह रहे और आश्रय ले रहे स्थानीय लोगों के रूप में, केवल जनजातीय लोग ही प्रभावी रूप से वन का संरक्षण कर सकते हैं और वन्य जीव विशेष रूप से बाघों का बचाव कर सकते हैं। ये केवल वाणिज्यिक रूप से शोषण करने और अवैध शिकार करने वाला माफिया ही है, जो जंगली पशुओं, विशेष रूप से बाघों का शिकार करते हैं।

वन विभाग पर्वतीय जनजातियों को अपना शत्रु मानता है और उन गरीब लोगों को धमकाया जाता है और परेशान किया जाता है। जब कभी भी बाघों के निर्माण, खुले मुहाने वाली खानों और औद्योगिक इकाइयों के लिए वनभूमि का अधिग्रहण किया जाता है, तो केवल इन्हीं गरीब जनजातीय लोगों को अपने जन्म स्थान से बलपूर्वक स्थानान्तरित किया जाता है अथवा हटाया जाता है। उड़ीसा में, अभी हाल ही में जो कुछ हुआ है, वह अभी भी हमारे सामने है। मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करे कि गरीब जनजातीय लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उनका पीछा किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है और उन्हें मारा जा रहा है। चूंकि वन्य जीव संरक्षण और जनजातीय लोगों का संरक्षण दोनों ही अंतर्संबंधित और परस्पर जुड़े हुए मुद्दे हैं, अतः हमें दोनों को साथ-साथ लेकर कानून बनाने पर विचार करना चाहिए था।

हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करके, बाघ संरक्षण योजना बनाकर और बाघ परियोजना निदेशालयों के माध्यम से प्रचालन करके इस विधेयक के पीछे की बाघों का संरक्षण करने की मंशा प्राप्त की जाए। इनमें से कई योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जाने को कहा गया है। एक प्रकार से यह स्वागतयोग्य है। लेकिन जब सीमा क्षेत्र को समस्याओं को सुलझाने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण और समुचित देखरेख की बात आती है, तो व्यापक तौर पर केन्द्रीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। अतः, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से यह दोहराता हूं कि वह इस संबंध में अर्धक्षम निगरानी तंत्र ईजाद करे।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी): महोदय, मैं इस विधेयक पर वाद-विवाद करने के लिए खड़ा हुआ हूं क्योंकि पहली बार खास तौर पर बाघों के लिए विधेयक लाया गया है। चूंकि यह विधेयक मार्गदर्शक होगा और इस पर अभी चर्चा की जा रही है, अतः प्रथमतया मैं यह कहना चाहूंगा कि इसमें कोई राजनीतिक प्रयोजन नहीं होना चाहिए। इसका उद्देश्य बाघ को बचाना है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। अभी यह हमारे देश की पारिस्थितिकीय प्रणाली और पर्यावरण प्रणाली के शीर्ष पर है। अगर बाघ का अस्तित्व बना रहता है और इसके साथ जंगल भी रहेंगे और शिकार होने वाले जानवर भी रहेंगे एवं सम्पूर्ण पर्यावरण बना रहेगा। मैं यह कहना चाहूंगा कि जानवरों के साथ सह-अस्तित्व का विचार अनन्त काल से रहा है।

महोदय, यहां मैं राजा अशोक के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ई.पू. तीसरी शताब्दी में उन्होंने वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए कानून बनाए। अपने राज्यारोहण के छब्बीस वर्ष बाद उन्होंने यह घोषणा की कि तोता, मैना, गुलाबी हंस, नंदी मुख, सारस, चमगादड़, क्वीनएंड्स, कछुआ, हड्डी रहित मछली, और गैंडा जैसे जानवरों को नहीं मारा जाएगा। अतः, ऐसा काफी समय पहले से है। इसके बाद 1887 में पहला अधिनियम 1887 का वन्य पक्षी संरक्षण अधिनियम सं. X के अंतर्गत वन्य जीव एवं वन्य पक्षियों के संरक्षण के लिए अधिनियमित किया गया था। तत्पश्चात् 1912 में इसमें संशोधन किया गया और अंततः लंबे समय के बाद 1960 में भारत सरकार जागी और वन्य जीव को बचाने के लिए जागरूकता थी जो कि हमने आजादी के बाद कभी नहीं किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1947 से 1975 तक जानवरों के संरक्षण के लिए कोई कानून नहीं था। सिर्फ ऐसे कानून थे जो अंतरिम सरकार द्वारा शूटिंग अवधि बंद करने, शूटिंग अवधि आरंभ करने और अनुमति देने आदि के लिए लागू किए जाते थे।

महोदय, यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की धारा 4 (ख) में एक नया अध्याय जोड़ना स्वागतयोग्य कदम है। लेकिन, इसके साथ ही आपको यह देखना है कि अगर आप मानव मूल्यों को तुष्ट नहीं करते हैं तो आप जानवरों को संरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि मानवगण ही मतदाता हैं, आपकी सरकार को चुनने वाले निर्वाचक हैं।

महोदय, आज हम मूक जानवरों के लिए कानून बना रहे हैं। हमें उन्हें संरक्षण देना है क्योंकि बाघ हमारे पारिस्थितिकीय चक्र अथवा पर्यावरणीय चक्र के शीर्ष पर है। मैं कल प्रकाशन काउंटर से प्राप्त बाघों से संबंधित पुस्तक पढ़ रहा था। मैं यह कहना चाहूंगा कि 17 राज्यों में स्थित 28 बाघ संरक्षित वनों में 8 संरक्षित वनों को काफी उत्तम के रूप में, एक का उत्तम के रूप में, सात का संतोषजनक के रूप में तथा एक को दयनीय के रूप में श्रेणीकृत किया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि बाघों की संख्या एवं बाघ संरक्षित वनों में प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए 45 मानदण्ड थे। इस बीच यह देखा गया है कि वन क्षेत्रों में काफी कमियां हैं। आप आंतरिक क्षेत्र में रह रही मानव जनसंख्या का ध्यान नहीं रखते हैं। उनका सही ढंग से पुनर्वास नहीं कराया जाता है। यहां, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप अभयारण्य क्षेत्र के जनजातीय लोगों को दूसरे स्थान पर बसाते हैं तो चूंकि यह विकास क्रियाकलाप है और इसलिए इन लोगों को उसी प्रकार की क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए, जैसा कि बाघों का निर्माण करते समय अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए उद्योग स्थापित करते समय वहां से निर्वासित होने वाले व्यक्तियों को दी जाती है। यहां, मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी परियोजना विशेष के लिए वन क्षेत्र का स्थान बदलते हैं तो इस संबंध में एक चीज है 'क्षतिपूरक वन प्रतिरोपण'। अतः मैं माननीय मंत्री जी से उनके उत्तर के समय यह जानना चाहता हूं। क्या वे वन्य जीव संरक्षण के लिए भी ऐसी किसी निधि का सृजन करेंगे? अगर कोई मेगा परियोजना अथवा बड़ी परियोजना आती है तो क्या सरकार यह वचन देगी कि वे क्षतिपूरक वन प्रतिरोपण की तर्ज पर वन्य जीवों के संरक्षण के लिए पर्याप्त संसाधन देगी और वह केवल वन्य जीव के लिए होगा?

यहां, मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण पूरी धनराशि खर्च नहीं करेगा। राज्यों द्वारा भी उतनी ही धनराशि दी जानी है जो कि अधिकांश राज्य समय पर नहीं करते हैं। अतः, मैं यहां जोर देना चाहता हूं कि आप उन राज्यों को शतप्रतिशत वित्तीय सहायता दें जहां बाघ परियोजना क्षेत्र हैं। उदाहरणार्थ, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में सिमलीपाल बाघ संरक्षित क्षेत्र है। यह 2151.73 वर्ग किमी. में स्थित बाघ संरक्षित वन है। यह वन क्षेत्र है। ऐसा 1973 में घोषित किया गया था। 1979 में लगभग 2220 किमी. इसमें शामिल किया गया जिनमें 65 गांव वन में हैं। 1980 में लगभग 845.7 वर्ग किमी. नेशनल पार्क का आंतरिक क्षेत्र घोषित किया गया। मंत्री महोदय, अभी तक आपने उनके पुनर्वास के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। आपको लोगों को लुभाना है। जब आप जनजातीय लोगों को दूसरी जगह बसाते हैं तो आपको उन्हें खुश करना होगा। आप उन्हें बाहर फेंक नहीं सकते। अगर आप उन्हें निकाल फेंकते हैं तो वे प्रत्युत्तर में अवैध शिकार करेंगे।

[श्री बिक्रम केशरी देव]

आज अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों का सर्वाधिक दुखद पहलू यह है कि वहां बी.पी.एल. दर सर्वाधिक है। वहां कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। एक बार उन्हें दूसरे स्थान पर बसाए जाने के बाद उन्हें उचित भूमि नहीं दी जाती है। अतः, उन्हें उतनी ही भूमि दी जानी चाहिए जितनी भूमि का उपयोग वे आरक्षित क्षेत्र अथवा आंतरिक क्षेत्र में रहने के समय कर रहे थे। अतः, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को कुछ करना होगा। आप इस विधेयक को जल्दबाजी में पारित कर रहे है। इसकी गहराई में जाना होगा। अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए थीं। हमने संशोधन पेश किया है। आपने राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण को पूर्ण, अध्यारोही शक्तियां दे दी हैं और वे इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई कर सकते हैं। वे किसी शीर्ष अधिकारी अथवा किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ भी लिख सकते हैं। अतः अध्यारोही शक्तियों में कुछ हद तक कमी की जानी चाहिए ताकि इसका प्रबंध उचित ढंग से किया जा सके और वन्य जीव का संरक्षण किया जा सके।

मैं जोर देना चाहता हूं कि जनजातीय लोगों पर उचित ध्यान देना चाहिए। उन्हें सिर्फ निकाल फेंका नहीं जाना चाहिए। उन्हें यह आश्वस्त किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)* मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं। मैं केवल बहस कर रहा हूं। मंत्री महोदय, आप इस विधेयक में जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा होनी चाहिए। महोदय, सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित करने के लिए कोई अनिवार्य समय नहीं है। हम सात बजे तक बैठ सकते हैं। हमने इसे तैयार करने में पूरी रात लगायी है।

अध्यक्ष महोदयः आपने अपनी बात सही ढंग से कह दी है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री बिक्रम केसरी देवः अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं मंत्री जी से एक अनुरोध करना चाहता हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कोना प्रखण्ड में सुनाबेदा क्षेत्र है जो कि छत्तीसगढ़ के देवभोग क्षेत्र से लगा हुआ है। वहां उधान्ती वन्यजीव अभयारण्य है। यह एक आदर्श संरक्षित क्षेत्र होगा। राज्य सरकार ने भी अपना प्रस्ताव केंद्र को, पर्यावरण और वन मंत्रालय को भेज दिया है कि इसे बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया जाए। यह अभयारण्य उड़ीसा के नवपारा जिला में स्थित है।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल प्रदेश): महोदय, सर्वप्रथम मैं कहना चाहता हूं कि मैं कोई आम बात या मेरे अनुभव या मेरे ज्ञान की बात नहीं कहूंगा। मैं विनिर्दिष्ट टिप्पणी ही करूंगा।

यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं ऐसे क्षेत्र से हूं जो कि लगभग शतप्रतिशत वन क्षेत्र है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, जब बचपन में मैं देखता था कि हमारे गांव में बड़े-बड़े टाइगर्स मारे जाते थे और कितने मारे जाते थे, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं होता था, तो उसे देखकर मुझे बहुत दुख होता था। जब ऐसे खूबसूरत जानवर को मारकर 20-25 लोग उसे घसीटकर गांव में लाते थे, तो यह सब देखकर मुझे बहुत दुख होता था। जब हम टाइगर की बात करते हैं तो सिर्फ टाइगर ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि यह जो पूरी कैट फैमिली है जिसमें टाइगर के साथ ही लियोपर्ड, जैसे केवल अरुणाचल में पाए जाने वाले क्लाउडेड लियोपर्ड हैं, उनको संरक्षण देना चाहिए। इस तरह की जो कैट फैमिली है उनके लिए भी इस तरह का प्रावधान किया जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। यह जो टाइगर सैंसस है, मैं इसे नहीं मानता हूं। हमारे राज्य में कोई सैंसस के लिए आता ही नहीं है। वहां इतना बड़ा जंगल है इसलिए अरुणाचल प्रदेश के मामले में जो फिगर्स सैंसस के आते हैं, तो मुझे हंसी आती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां इतनी संख्या में टाइगर्स हैं कि उनका कोई हिसाब रखने वाला नहीं है।

आपने ग्राम सभा को अधिकार देने की बात कही है। यह ठीक है कि गांव के लोगों को पावर देनी चाहिए। लेकिन कभी-कभी समस्या तब आती है, जब उस ग्राम सभा में कुछ कमर्शियल ग्रीडी लोग या सैल्फ इंटेरेस्टेड लोग घुस जाते हैं। इससे ग्राम सभा या पंचायत समिति का मिसयूज होता है। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए कोई स्पेसिफिक जिक्र बिल में नहीं किया गया है। अगर आप किसी को अनलिमिटेड पावर्स देंगे, तो उसका मिसयूज होने की संभावना रहेगी। इसलिए मंत्री जी को इस पर ध्यान रखना चाहिए।

मैं हमेशा हंटिंग का विरोध करता हूं, क्योंकि मैं बौद्धिस्ट हूं। मैंने कभी एक चिड़िया तक नहीं मारी, लेकिन मेरे प्रदेश के मेरे दूसरे साथी जो बैठे हैं, उनके समुदाय के लोग शिकार करते हैं और मैं उन्हें भी मना करता हूं।

अध्यक्ष महोदयः आप अपना इंफ्ल्यूएंस उन्हें दीजिए।

श्री कीरेन रिजीजूः हमारे यहां अधिकारी लोग भी जानवरों का शिकार करते हैं इसलिए उस पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए, क्योंकि यह काम राज्य सरकार नहीं कर पाएगी। मैं

सोनिया गांधी जी को बताना चाहूंगा कि हमारे मुख्य मंत्री जी वाइल्ड एनिमल्स का मीट खाना पसंद करते हैं, तो वह कैसे इस पर कंट्रोल करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: बड़े-बड़े जानवरों को नहीं, छोटे-छोटे जानवरों को मारते हैं।

श्री कीरेन रिजीजू: वह चिड़िया को भी मारकर खा जाते हैं। वहां के अधिकारी भी ऐसा करते हैं इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। मेरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि इस संबंध में मजबूत कानून बनाया जाए। अरुणाचल प्रदेश को रिच बायोडाइवर्सिटी स्पॉट घोषित किया गया है। यह दुनिया का सबसे अच्छा रिच बायोडाइवर्सिटी स्पॉट है, जबकि हमें बंदरों को देखने के लिए दिल्ली आना पड़ता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत अच्छे वक्ता है। मुझे व्यवधान डालते हुए बहुत खेद है। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू: टाइगर को तो बचाना ही है, लेकिन उसके साथ-साथ कैट फैमिली को भी बचाना है। हॉर्न बिल नाम की जो चिड़िया है, वह जानवर नहीं है, लेकिन उसके संरक्षण के लिए भी वन मंत्री जी को कानून बनाना चाहिए। वन मंत्री जी कभी अरुणाचल प्रदेश नहीं गए हैं। मैं चाहूंगा कि वह जल्द से जल्द वहां का दौरा करें।

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे अरुणाचल प्रदेश का दौरा करें तथा वे अरुणाचल प्रदेश भी समृद्ध जैव-विविधता का आकलन करें। मैंने कुछ विनिर्दिष्ट सुझाव दिए हैं। मैं इनको इस विधेयक में शामिल करने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं भाषण नहीं दूंगा, केवल एक सुझाव देना चाहूंगा। मेरे से पूर्व दुष्यंत सिंह जी, विजेन्द्र पाल सिंह जी जो वक्ता बोले हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सबसे ज्यादा किसी ने शेर मारे हैं तो हमारे पूर्वजों ने मारे हैं। अगर आज हम उनके संरक्षण की बात कर रहे हैं, तो यह अच्छी बात है। राजाजी जो बिल यहां लाए हैं, हम उसका स्वागत करते हैं।...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): यह भी एक संयोग है।

श्री लक्ष्मण सिंह: मैं मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने अपने सुझाव यहां रखे हैं, उन्हें गम्भीरता से लेकर इस बिल में समावेश करें, जिससे शेरों का संरक्षण हो सके। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शेरों की संख्या है। अगर इसका मुख्यालय मध्य प्रदेश में रखें, तो बहुत अच्छा होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन - अनुपस्थित।

अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

चैन्नई तथा आपके स्थान के बीच झगड़ा चल रहा है।

श्री ए. राजा: माननीय अध्यक्ष महोदय, जिन माननीय सदस्यों ने इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा में भाग लिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि "बाघ परियोजना" वर्ष 1973 में श्रीमती इन्दिरा गांधी द्वारा शुरू की गई थी।

मैंने दूसरी सभा में डा. करण सिंह का भाषण सुना जिन्होंने वर्ष 1973 में इस "बाघ परियोजना" को शुरू करने में श्रीमती गांधी को प्रोत्साहन दिया था।

श्री तथागत सत्पथी: उन्होंने इसकी शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि वे स्वयं इसे पसंद करती थीं...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा: हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, ध्यान केन्द्रित रखिए।

श्री ए. राजा: महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री सत्पथी द्वारा दिए गए वक्तव्य से प्रभावित हुआ। वही वक्तव्य इस सभा में तब दिया गया था जब इस "बाघ परियोजना" की शुरुआत श्रीमती गांधी द्वारा की गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था:

> "यह मत सोचिए कि यह विश्व या यह ब्रह्माण्ड या यह धरती हमारे पूर्वजों से हमें विरासत में मिली है, लेकिन भावी पीढ़ियों को पुनः देना आपके हाथ में है क्योंकि पेड़-पौधों एवं पशुओं के साथ मानव जाति का सहआस्तित्व बहुत ही अनिवार्य हो।"

महोदय, इस अवधारणा के साथ यह विधेयक लाया गया था। यह मैं मानता हूं। यह सच है कि श्रीमती मेनका गांधी ने कहा था कि आजादी के बाद, यह सबसे खराब विधेयक है।

[श्री ए. राजा]

लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे तर्क या मेरे उत्तर के बाद तथा श्रीमती मेनका गांधी इस बात को मानेंगी कि इस संसद में पुरःस्थापित किए गए उत्तम विधेयकों में से यह एक विधेयक है।

महोदय, अब मैं विभिन्न माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर आता हूं।...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, तर्क बदलने जा रहा है...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा: महोदया, कृपया प्रतीक्षा करें। मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैंने पूर्ण एकाग्रता से आपका भाषण सुना है। मुझे सभी बिन्दुओं पर बोलने दीजिए।

महोदय, इस विधेयक में हमने दो महत्वपूर्ण अध्याय शामिल किए है। पहले अध्याय यह है कि हमने बाघों के संबंध में एक राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण गठित करने का प्रावधान किया है। दूसरा अध्याय यह है कि पहली बार यह प्रावधान किया गया है कि स्वापक ब्यूरो के समान अथवा उस जैसी एक जांच एजेंसी का गठन किया जाएगा जो वन्य जीव अपराध को नियंत्रित करेगी।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हूं?

श्री ए. राजा: मैं स्वीकार नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री दुष्यंत सिंह, वे स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

श्री दुष्यंत सिंह: महोदय, मैं उसी क्षेत्र से हूं जहां नशीले पदार्थों की खेती की जाती है। स्वापक ब्यूरो मामले दर्ज कर रहा है जिनके आंकड़े सही नहीं है। नारकोटिक क्षेत्रों में एन.डी.पी.एस. मामले सही नहीं है। स्वापक ब्यूरो सही प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी, आपने स्वापक बोर्ड का उल्लेख क्यों किया?

...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा: महोदय, यह पहली बार है कि केन्द्र सरकार ने गम्भीरता से प्रयास किए हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आप स्वापक बोर्ड को वापस ले सकते हैं।

श्री ए. राजा: यह केवल अन्वेषण एजेंसी है।

यह सच है कि इस संशोधन विधेयक के पुरःस्थापित किये जाने से पहले वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में खंड 5 था, जिससे किसी अधिकारी को शक्तियां प्रत्यायोजित की जा सकती थीं। इसी तरह सम्बन्धित राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन अपनी शक्तियां जिला का अधिकारी या अन्य किसी अधिकारी, जो वन्यजीव के प्रभारी हों, को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

यह मैं बताऊंगा कि यह क्यों आवश्यक है। सरिस्का की घटना के बाद माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड की बैठक हुई जिसमें पूरे देश के विशेषज्ञों ने भाग लिया और महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इसमें कहा गया कि देश में बाघों की संख्या में कमी आ रही है। इससे लोगों के मन में कुछ आशंकाएं हो सकती हैं। सरिस्का की घटना अपने आप में अलग हो सकती है लेकिन यह सत्य है कि सरिस्का की स्थिति या सरिस्का के तथ्यों की अन्य बाघ अभयारण्यों के समान नहीं माना जा सकता है।

जी हां, मेरी जानकार मित्र श्रीमती मेनका गांधी ने खुलासा किया था कि 28 बाघ अभयारण्यों में से अधिकांश बाघ अभयारण्य अच्छे और संतोषजनक हैं; केवल सरिस्का और इंद्रावती के दो अभयारण्यों की ही खराब स्थिति वाला घोषित किया जा रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

श्री बिक्रम केशरी देव: अध्यक्ष महोदय, 45 प्रतिमानों में से...

श्री ए. राजा: महोदय, मैं अभी बोल रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री देव, वह अभी बोल रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? आप नियमों से परिचित हैं।

श्री ए. राजा: महोदय, सरिस्का के बाद राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने यह पता लगाने के लिए कि क्या कार्य योजनाएं हैं तथा केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं, एक कार्यबल के गठन की सिफारिश की थी। तदनुसार, श्रीमती सुनीता नारायण की अध्यक्षता में एक कार्यबल की नियुक्ति की गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। श्रीमती गांधी ने सभी सुझावों का परिकलन किया था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री महोदय के उत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए. राजा: बाघ कार्य बल ने दो प्रकार की सिफारिशें की थीं। प्रथम सिफारिश अल्प-अवधि की थी तथा द्वितीय सिफारिश लंबी अवधि की सिफारिश थी। अल्प अवधि की सिफारिश में विशेषकर बाघ तथा अन्य संकटापन्न प्रजातियों के विरुद्ध अपराध पर नियंत्रण हेतु तत्काल एक सांविधिक निकाय का गठन करने की सिफारिश की गई है। पिछले 50 वर्षों से बाघों की अनुमानित संख्या, बाघों की गणना का कार्य राज्यों तथा विशेषकर केन्द्र सरकार अथवा किसी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकारों द्वारा अपनाई जा रही पद्धति तथा राज्य सरकारों द्वारा बताई गई संख्या को ध्यान में रखकर हम तो केवल इसकी गणना करते हैं और मैं संसद अथवा किसी भी अन्य मंच को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार के पास यही आंकड़े उपलब्ध हैं। इस सरकार ने बाघ कार्यबल की सिफारिश के अनुसार नई प्रक्रिया की घोषणा की थी तथा अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी आई.यू.सी.एन. अर्थात् इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजरवेशन ऑफ नेचर एण्ड नैचुरल रिसोर्सेस ने अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसकी समीक्षा की है।

महोदय, अन्य बाघ अभयारण्यों की खराब स्थिति के बारे में इस सभा में काफी कुछ कहा जा चुका है और केन्द्र सरकार पर आरोप लगाया है कि हम कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं अथवा हम बाघ संरक्षण पर उचित ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि स्थिति इसके विपरीत है। मैं रिपोर्ट का हवाला दे सकता हूं जिसमें आई.यू.सी.एन. ने भारत सरकार की निम्नलिखित रूप से प्रशंसा की है "जो जंगल में रहने वाले बाघों को बचाना चाहते हैं, उनके लिए भारत में बाघ संरक्षण एक कसौटी है। देश में बाघ अभयारण्यों के स्वतंत्र मूल्यांकनों को बढ़ावा देने तथा वर्तमान प्रबंधन, जो कि जंगलों में बाघों के भविष्य की कुंजी है, के लिए प्रोजेक्ट टाइगर तथा भारत सरकार की सराहना की जानी चाहिए।" भारत सरकार की इस प्रकार से प्रशंसा की गई है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना ध्यान भंग मत कीजिए। प्रोफेसर साहब किसी ने आपके भाषण में व्यवधान नहीं डाला है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इसका उत्तर मत दीजिए।

श्री ए. राजा: विश्लेषण के बाद यह रिपोर्ट है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उत्तर मत दीजिए। मैं क्या चाहता हूं।

श्री ए. राजा: महोदय, मैं मेरी बात समाप्त नहीं हुई हूं। मुझे खेद है, मैं अपनी बात समाप्त नहीं कर सकता...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है? आपके भाषण में किसी ने जरा भी व्यवधान नहीं डाला।

श्री ए. राजा: इस पृष्ठभूमि में मैंने माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर देने का प्रयास किया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके भाषण में किसी ने भी व्यवधान नहीं डाला। मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रख सकते हैं।

श्री ए. राजा: माननीय सदस्य श्रीमती मेनका गांधी द्वारा यहां कुछ मुद्दे उठाए गए थे और कहा गया था कि इस विधेयक को पुर:स्थापित करके संपूर्ण वन्य जीव संरक्षण अधिनियम से भटका जा रहा है, तथा यहां भी काफी कुछ कहा जा चुका है।

महोदय, दूसरी सभा में एक माननीय सदस्य ने संशोधन दिए हैं। इन संशोधनों को स्वीकार करके क्या पूरे कानून से हटा जा रहा है? मैं पूरी ईमानदारी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि दूसरी सभा में श्रीमती वृन्दा कारात द्वारा संशोधन दिए गए थे। केवल श्रीमती कारात ही नहीं सभी राजनीतिक दलों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद इन संशोधनों को स्वीकार किया गया। आप संशोधनों को देख सकते हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। मंत्री महोदय, आप अपनी बात जारी रखें। आप अपना ध्यान क्यों भ्रमित कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सिंह, यह बहुत गलत है। आप अपनी बात कह चुके हो।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात जारी रखें। केवल माननीय मंत्री महोदय की टिप्पणियों को ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं पता। मैं उत्तर नहीं दे सकता।

श्री ए. राजा: महोदय, मैं यह बता सकता हूं। मैं संक्षेप में बोलना चाहता हूं। मैंने सुषमा जी से विचार-विमर्श किया

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री ए. राजा]

है। मैं श्री अहलुवालिया जी से विचार-विमर्श कर चुका हूं। श्री अहलुवालिया सभा में स्वयं कुछ मुद्दे उठा चुके हैं। मैं अनौपचारिक रूप से भी चर्चा कर चुका हूं। भाजपा सदस्यों द्वारा राज्य सभा में कुछ बिंदु उठाए गए थे। अतः मैं इस सभा को पूरी ईमानदारी से बताना चाहता हूं कि मैं व्यापक विचार-विमर्श कर चुका हूं।

मैं इसका सारांश बता सकता हूं। राज्य सभा में स्वीकृत सभी प्रस्तावित संशोधन 'प्रोजेक्ट टाइगर' क्षेत्र में रहने वाले जनजातीय लोगों पर केन्द्रित हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा।

श्री ए. राजा: मैंने दो प्रकार के तर्कों के बारे में कहा है। श्रीमती मेनका गांधी कह रही हैं कि बाघ अभयारण्यों पर अतिक्रमण किया जा रहा है क्योंकि कोर क्षेत्र अथवा बफर क्षेत्र के सम्बन्ध में इस अधिनियम में जिन अधिकारों अथवा कतिपय परिभाषाओं पर विचार किया गया है जिसमें जनजातीय लोग बाघ अभयारण्यों को नष्ट कर सकते हैं। यह एक प्रकार का तर्क है। इसी विपक्ष की ओर से एक अन्य प्रकार का तर्क और आया है...*(व्यवधान)* अर्थात् जनजातीय व्यक्तियों के अधिकारों का अतिलंघन न किया जाए, उन्हें अन्यत्र न बसाया जाए।

इस प्रकार, इस मंत्रालय को हमेशा दो प्रकार के क्रियाकलापों का सामना करना पड़ता है। एक तो विकासात्मक और दूसरी ओर विनियामक से संबंधित बातें हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जिसका अन्त भी हो।

श्री ए. राजा: महोदय, तथापि मैं इस प्रस्तावित संशोधन में जिन पर विचार किया गया है उन्हें प्रस्तुत कर सकता हूं। मैं इसे पढ़ देता हूं। इसका आरम्भिक वाक्य ही यह है:

> 38(फ) "(i) राज्य सरकार, व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की सिफारिश पर किसी क्षेत्र को व्याघ्र आरक्षिति के रूप में अधिसूचित करेगी।"

पहले सभी राज्य सरकारों को राष्ट्रीय उद्यान अथवा अभयारण्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की गई थी और इसे केन्द्र सरकार को भेजना होता था। इस विधेयक के आधार पर, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार को सिफारिश भेज सकती है। कोर और बफर क्षेत्रों के बारे में कानून सम्मत व्याख्या इस प्रकार है:

> "(i) अ राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के मुख्य या क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्रों को, जहां यह स्थापित किया गया है..."

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां क्या हो रहा है? यह बहुत अनुचित बात है।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा: कृपया धैर्य रखें। मैं आपकी बात सुनूंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, चाहे आप मुझे पसंद ना ही करें कृपया आप अध्यक्षपीठ को ही संबोधित करें।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा: महोदय, जल्द ही मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। इसके अनुसार:

> "उन राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के मुख्य या क्रांतिक व्याघ्र निवासी क्षेत्रों, को जहां वैज्ञानिक और विषयपरक मानदंडों के आधार पर यह स्थापित किया गया है कि ऐसे क्षेत्र व्याघ्र संरक्षणों के प्रयोजनों के लिए अनुसूचित जनजातीय एवं या ऐसे अन्य वन निवासियों और राज्य सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के परामर्श से उस रूप में अधिसूचित अधिकारों पर प्रभाव डाले बिना अक्षत रखा जाना अपेक्षित है।"

अध्यक्ष महोदय: ऐसा कानून में है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसी टिप्पणी न करें। कृपया सभा के सदस्य के रूप में व्यवहार करें। आप समझते हैं कि आप बहुत विद्वान हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री ए. राजा: महोदय, अब तक कोर क्षेत्र एवं बफर क्षेत्र का प्रयोग प्रथा के रूप में किया गया है अथवा ऐसा अधिनियम में है, परन्तु इसकी कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। अधिनियम में यह प्रस्ताव किया गया है कि कोर क्षेत्र एवं बफर क्षेत्र की परिभाषा राज्य सरकार और विशेषज्ञ समिति के परामर्श से वैज्ञानिक उद्देश्यों के साथ दी जानी चाहिए। नियमों में ही विशेषज्ञ समिति के स्वरूप की व्याख्या की जा

सकती है। यदि श्रीमती मेनका गांधी के मन में शंकाएं हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा, विशेषज्ञ समिति के गठन के समय राज्य सरकार केन्द्र सरकार के परामर्श से कुछ विशेषज्ञों को रख सकती है, जो लोग बाघों के साथ-साथ जनजातीय लोगों के अधिकारों को बरकरार रख सकते है...(*व्यवधान*) मेरे विचार से शंका का कोई आधार नहीं है।...(*व्यवधान*)

कुछ अन्य माननीय सदस्यों ने यह आशंका व्यक्त की है कि 'बाघ परियोजना' से यहां रहने वाले जनजातीय एवं गैर-जनजातीय लोग प्रभावित होंगे। कुछ लोग गैर-जनजातीय हो सकते हैं - जिन्हें ब्रिटिश काल के दौरान यहां लाया गया था। जन्म से वे भले ही जनजातीय न हों किन्तु वनों को बचाने के लिए जब ब्रिटिश लोगों द्वारा वन अधिनियम, 1927 अस्तित्व में लाया गया, कुछ गैर जनजातीय लोगों को वन क्षेत्रों में ले जाया गया था। उनका भी संरक्षण किया जाएगा।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेंगे।

खण्ड 2

नए अध्याय 4 ख का अंत:स्थापन

अध्यक्ष महोदय: श्री विजयेन्द्र पाल सिंह, क्या आप संशोधन सं. 1 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4, पंक्ति 28 और 29 -

"और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी निदेशों का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा।" का लोप किया जाए।

महोदय, मैं यहां आपसे कहना चाहूंगा कि यह राज्य के अधिकारों में बाधक होगा।

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह विषय संविधान की समवर्ती सूची में है, संघ सूची में नहीं। यदि आप सातवीं अनुसूची को देखें तो 'वन' का उल्लेख समवर्ती सूची में है। यह क्या किया जा रहा है? यदि प्रधानमंत्री इस प्राधिकरण के अध्यक्ष होते और मुख्यमंत्री को निदेश दें तो यह अनुकूल होता किन्तु आज इस प्राधिकरण की अध्यक्षता मंत्री द्वारा की जा रही है और यदि वह आदेश देता है तो यह राज्य के अधिकारों में बाधक होगा। इसमें कहा गया है, "और ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण..." अब राज्य में कोई प्राधिकरण नहीं है क्योंकि वे प्राधिकरण नहीं बना रहे हैं।

उन्होंने कहा कि यह संचालन समिति बनने जा रही है। जो अब एक प्राधिकरण बनने वाला है जिसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे। यदि इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे तथा यदि कोई मंत्री आदेश देते है तथा उन्हें बाध्य करना चाहते है तथा पालन करवाना चाहते है, तो मैं समझता हूं इसे वापस लिया जाए। इसे तुरन्त हटा लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री विजयेन्द्र पाल सिंह द्वारा खण्ड 2 में प्रस्ताव किए गए संशोधन संख्या 1 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, इस संशोधन के लिए मैं आपका संरक्षण चाहूंगा, क्योंकि यह राज्य के अधिकारों का उल्लंघन होगा।

अध्यक्ष महोदय: यह संख्या का खेल है। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं।

...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय: आप देश का प्रभार ले लीजिए तथा ऐसा कर लीजिए।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह, क्या आप संशोधन सं. 2 प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, मेरा भी नाम था।

अध्यक्ष महोदय: आपका नाम संशोधन संख्या 1 में था, संशोधन सं. 2 में नहीं। हम संशोधन संख्या 1 पहले ही निपटा चुके है। कोई बात नहीं, मैं आपको पठन के तीसरे चरण में बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

पृष्ठ 4, लाईन 26 एवं 27 -

"विशेषकर स्थानीय लोगों" का लोप किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: मैं श्री विजयेन्द्र पाल सिंह द्वारा खण्ड 2 में प्रस्ताव किए गए संशोधन सं. 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 3 से 7 विधेयक में जोड़ दिए गए। खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ए. राजा: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

श्री बिक्रम केशरी देव: अध्यक्ष महोदय, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री तथा सम्पूर्ण यू.पी.ए. की प्रमुख यहां हैं, तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। वन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर सरकार को विचार करना है क्योंकि वन ही हमारे देश की पारिस्थितिकी तथा पारि प्रणाली को नियंत्रित करते हैं, तो वह संशोधन लाकर इसे केन्द्रीय सूची में स्थानांतरित क्यों नहीं करते ताकि देश के वनों पर उनका पूर्ण नियंत्रण हो जाए?

अध्यक्ष महोदय: क्या आप सभी राज्यों की राजधानियों में जाकर इसकी वकालत करोगे? कृपया ऐसा मत कीजिए।

श्री बिक्रम केशरी देव: महोदय, मेरा यह कहना है कि यदि इसे केन्द्रीय सूची में स्थानांतरित कर दिया जाए तो बेहतर होगा।

अध्यक्ष महोदय: आप एक विवाद उत्पन्न कर रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय, चूंकि माननीय सदस्य को और अवसर नहीं मिला इसलिए उन्होंने मुझसे आपसे एक प्रश्न पूछने का अनुरोध किया था और मैं ऐसा ही करने जा रहा हूं। उन्होंने कहा था कि "क्या आप मंत्री महोदय से पूछ सकते हैं कि क्या महत्वपूर्ण क्षेत्र तथा बफर क्षेत्र घोषित करने की कोई समयबद्ध योजना है जैसाकि उन्होंने अब तक निर्णय लिया है कि इस विधेयक के अंतर्गत अब इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कोई भी प्रवेश कर सकता है?" माननीय मंत्री महोदय, क्या आपके पास इसका कोई उत्तर है?

श्री ए. राजा: महोदय, अधिनियम में एक व्यापक बाघ संरक्षण प्रबंध योजना बनाने की बात कही गई है और जब योजना बनाई जाएगी तो इन सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.44 बजे

विदाई उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, चौदहवीं लोक सभा का आठवां सत्र जो 24 जुलाई, 2006 को शुरू हुआ था, आज समाप्त होने जा रहा है। सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें हुई और लगभग 123 घंटे चली।

इस सत्र के दौरान सभा में कई महत्वपूर्ण विधायी, वित्तीय और अन्य कार्य किए गए। सभा द्वारा 2006-07 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) तथा (रेल) को स्वीकृति दी गई और संबंधित विनियोग विधेयकों को क्रमशः छह घण्टे और चार घण्टे से अधिक चलने वाली चर्चा के बाद पारित किया गया।

"देश के विभिन्न भागों में सुनियोजित आतंकवादी हिंसा जैसाकि 11 जुलाई, 2006 को मुम्बई की अनेक लोकल ट्रेनों में हुए हाल के शृंखलाबद्ध बम विस्फोटों, जिसमें 200 से अधिक व्यक्ति मारे गए और 700 से अधिक व्यक्ति घायल हुए, से उजागर होता है, के परिणामस्वरूप निर्दोष नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सरकार की विफलता के बारे में" एक स्थगन प्रस्ताव पर सभा में चर्चा हुई। इस छह घन्टों से अधिक चले वाद-विवाद के बाद यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

इस सत्र के दौरान सत्रह विधेयक पारित हुए। अभी-अभी पारित हुए विधेयक के अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण विधेयक खाद्य सुरक्षा और मानक विधेयक, 2005; संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन विधेयक, 2006; किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2005; मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित हुए।

सभा ने नियम 193 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के पांच महत्वपूर्ण मामलों पर 23 घण्टे और 31 मिनट से अधिक की विशद् और लम्बी चर्चा की। ये चर्चाएं (एक) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि; (दो) नेताजी सुभाष चन्द्र बोस के कथित रूप से लापता हो जाने के बारे में न्यायमूर्ति मुखर्जी जांच आयोग के प्रतिवेदन तथा 17 मई, 2006 को सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ज्ञापन; (तीन) देश के किसानों में व्याप्त निराशा; (चार) भारत-अमरीका नाभिकीय समझौता; आदि मुद्दों पर थीं, और (पांच) न्यायमूर्ति पाठक जांच प्राधिकरण के प्रतिवेदन तथा 7 अगस्त, 2006 को सभा पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ज्ञापन के बारे में आंशिक रूप से चर्चा हुई।

चालू सत्र के दौरान, ध्यानाकर्षण के माध्यम से 9 महत्वपूर्ण मामले उठाए गए, जिनके उत्तर में संबंधित मंत्रियों ने वक्तव्य दिए। इसके अलावा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर मंत्रियों द्वारा 36 वक्तव्य दिए गए। प्रधानमंत्री ने भी लेबनान में चल रही स्थिति के बारे में एक वक्तव्य दिया। 31 जुलाई, 2006 को सभा ने भी सर्वसम्मति से इस बारे में एक संकल्प स्वीकृत किया।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का प्रश्न है, इस सत्र के दौरान गैर-सरकारी सदस्यों के 24 विधेयक पुरःस्थापित किए गए। दो विधेयक अर्थात् फसल बीमा विधेयक, 2005 और सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2005 पर सभा की अनुमति से वापस लिये जाने से पूर्व चर्चा हुई। एक विधेयक - मृत्युदण्ड का उत्सादन विधेयक, 2004 पर आंशिक रूप से चर्चा हुई। देश के सभी भागों का संतुलित और साम्यापूर्ण विकास करने हेतु कदम उठाने के लिए सरकार से आग्रह करने वाले एक गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प पर भी चर्चा अधूरी रही।

इस सत्र के दौरान 440 तारांकित प्रश्न सूचीबद्ध थे जिनमें से 57 प्रश्नों के मौखिक उत्तर दिए जा सके। इस प्रकार प्रतिदिन औसतन लगभग 214 प्रश्नों के उत्तर दिए जा सके। 3,675 अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर सभा पटल पर रखे गए। एक अल्पसूचना प्रश्न भी लिया गया। सत्र के दौरान विभागों से संबंधित स्थायी समितियों ने 18 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

प्रश्नकाल के बाद और रात को देर तक बैठकर भी अविलंबनीय लोक महत्व के 298 मामले उठाए गए। मामलों के महत्व और उपलब्ध समय को देखते हुए अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों को उठाने के लिए मेरा हमेशा यह प्रयास रहा है कि माननीय सदस्यों को पूरा अवसर प्रदान किया जाए। माननीय सदस्यों ने नियम 377 के अधीन भी 232 मामले उठाए।

इस सत्र के दौरान व्यवधानों और स्थगनों के कारण 36 घण्टे और 33 मिनट का समय खराब हुआ। 28, 29 और 30 अगस्त, 2006 को सभा की बैठकें रद्द कर दिए जाने के कारण हुए समय के नुकसान की भरपाई के लिए लोक सभा में दलों और समूहों के नेताओं के साथ मेरे एक प्रस्ताव के बाद हुई 28 जुलाई, 2006 की बैठक और नेताओं द्वारा सहमति देने के पश्चात् सभा 1 अगस्त से 18 अगस्त, 2006 तक प्रतिदिन दो घण्टे अधिक तक बैठी जिसके कारण सूचीबद्ध कार्यों का निपटान संभव हो सका। फिर भी, अध्यक्ष के सभी प्रयासों और चर्चाओं में पूरी लगन के साथ प्रभावशाली ढंग से भाग लेने के बारे में सदस्यों की प्रतिबद्धता के बावजूद हम सभा में बार-बार होने वाले व्यवधानों और मजबूरी में किए गए स्थगनों के कारण कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा नहीं कर सके।

यहां मैं बड़े क्षोभ और दुःख के साथ कल अर्थात् 24 अगस्त, 2006 को इस माननीय सदन में घटित घटना का उल्लेख करना चाहता हूं। सदन में कुछ सदस्यों द्वारा एक अन्य सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी पर विरोध जताने के दौरान हुए शोर-शराबे और गतिरोध के कारण सभा अपराह्न 1.10 बजे मेरे द्वारा स्थगित कर दी गई। यह मेरे लिए बड़े दुःख और चिन्ता का विषय है, जैसाकि मुझे बताया गया कि सभा स्थगित होने के बाद कुछ सदस्यों ने एक-दूसरे पर गालियों की बौछार की और हाथापाई की कोशिश की। मैंने तुरंत ही आपत्तिजनक टिप्पणियों को कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया और सभा जब पुनः समवेत हुई तब मैंने उन सदस्यों के इस अशोभनीय व्यवहार की कड़े शब्दों में भर्त्सना की क्योंकि ऐसा व्यवहार सदन की मर्यादा के विरुद्ध है।

मैं पुनः ऐसे आचरण की भर्त्सना करता हूं और सदन के सभी वर्गों से आग्रह करता हूं कि हमें अपने स्तर के अनुरूप आचरण करना चाहिए और मैं समझता हूं कि ऐसा करके हम न केवल अपनी मर्यादा बल्कि इस महान संस्था की मर्यादा को बढ़ाएंगे।

[अध्यक्ष महोदय]

इस अवसर पर मैं यह दोहराना चाहता हूं कि किसी संसदीय लोकतंत्र के प्रभावी कार्यकरण के लिए विपक्ष की भागीदारी आवश्यक है। किसी विशिष्ट मुद्दे पर अपना क्षोभ व्यक्त करने के किसी सदस्य के अधिकार को मानते हुए मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि इसके लिए सभा में उस विषय पर एक विशद् वाद-विवाद और चर्चा करने के अलावा कोई बेहतर विकल्प नहीं है। इस महान देश के जन प्रतिनिधि होने के नाते जनता हमसे काफी अपेक्षाएं रखती है और यह हमारा पावन कर्तव्य है कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे उतरें तथा संसदीय तरीकों के प्रभावी और अधिकतम इस्तेमाल के माध्यम से उनकी शिकायतों का निपटान करें तथा साथ ही सदाचार के मान्य नियमों का भी ध्यान रखें।

अंत में, मैं उपाध्यक्ष और सभापति तालिका में मेरे सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने सभा के कार्यों को पूरा करवाने में मुझे पूरा सहयोग दिया। मैं सभा के नेता, विभिन्न दलों और समूहों के नेताओं तथा मुख्य सचेतकों और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आप सभी की ओर से मैं प्रेस और मीडिया के अपने मित्रों को भी धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं लोक सभा सचिवालय के महासचिव और अधिकारियों एवं कर्मचारियों का भी सभा के प्रति उनके समर्पित और त्वरित सेवा के लिए धन्यवाद करता हूं। मैं सभा की कार्यवाही चलाने में कुशल सहायता देने के लिए संबद्ध एजेंसियों को भी धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्य अब खड़े हों, चूंकि वंदे मातरम् की धुन बजाई जाएगी।

अपराह्न 5.52 बजे

राष्ट्रगीत की धुन बजाई गई

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करता हूं।

अपराह्न 5.54 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	श्री राकेश सिंह	426
2.	श्री एन.एस.वी. चित्तन	427
3.	श्री रामजीलाल सुमन श्री ब्रजेश पाठक	428
4.	श्री रघुराज सिंह शाक्य	429
5.	श्री एस.के. खारवेनथन	430
6.	श्री हेमलाल मुर्मू श्री कृष्णा मुरारी मोघे	431
7.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	432
8.	श्री मधुसूदन मिस्त्री श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	433
9.	श्री हंसराज जी. अहीर श्री जी. करुणाकर रेड्डी	434
10.	डा. एम. जगन्नाथ	435
11.	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	436
12.	श्री बी. विनोद कुमार	437
13.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई श्री विजय कुमार खंडेलवाल	438
14.	श्री मणि चारेनामै	439
15.	श्री निखिल कुमार श्री बसुदेव आचार्य	440
16.	डा. चिन्ता मोहन श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन'	441
17.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री रवि प्रकाश वर्मा	442
18.	श्री पी. मोहन	443
19.	श्री के.एस. राव	444
20.	श्री बृज किशोर त्रिपाठी	445

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आचार्य, श्री बसुदेव	3624
2.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	3479, 3626, 3654
3.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	3513, 3623
4.	अहीर, श्री हंसराज जी.	3579, 3611, 3638, 3661
5.	अजय कुमार, श्री एस.	3514, 3612
6.	अजनाला, डा. रतन सिंह	3486
7.	अनंत कुमार, श्री	3515
8.	आठवले, श्री रामदास	3529, 3566, 3601, 3607, 3644
9.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	3493
10.	'बचदा', श्री बची सिंह रावत	3669
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	3488, 3557
12.	बर्मन, श्री हितेन	3494
13.	बर्मन, श्री रनेन	3497
14.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	3604
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	3477
16.	बोस, श्री सुब्रत	3594
17.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	3540
18.	चक्रवर्ती, श्री अजय	3570, 3600
19.	चारेनामै, श्री मणि	3606, 3643
20.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	3568
21.	चिन्ता मोहन, डा.	3599, 3605

1	2	3
22.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	3600
23.	चौधरी, श्री निखिल कुमार	3541
24.	चौधरी, श्री बंसगोपाल	3610
25.	चौधरी, श्री अधीर	3546, 3608
26.	दास, श्री अलकेष	3506
27.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	3535
28.	देवरा, श्री मिलिन्द	3489, 3576, 3630, 3657, 3665
29.	धनराजु, डा. के.	3547, 3672
30.	धोत्रे, श्री संजय	3519
31.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	3536
32.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	3512, 3567, 3573, 3593, 3627
33.	गमांग, श्री गिरिधर	3487
34.	जगन्नाथ, डा. एम.	3589, 3642
35.	जयाप्रदा, श्रीमती	3522, 3592
36.	झा, श्री रघुनाथ	3525, 3596, 3646
37.	जोशी, श्री कैलाश	3502
38.	कनोडीया, श्री महेश	3551
39.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	3545, 3671
40.	खैरे, श्री चंद्रकांत	3482, 3591
41.	खां, श्री सुनील	3544, 3601
42.	खारवेनथन, श्री एस.के.	3574, 3641
43.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	3490
44.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	3588, 3599
45.	लिब्रा, सरदार सुखदेव	3528
46.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	3561, 3615, 3647
47.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	3527
48.	महतो, श्री सुनिल कुमार	3569
49.	महताब, श्री भर्तृहरि	3549, 3605
50.	माझी, श्री शंखलाल	3504
51.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	3518
52.	माने, श्रीमती निवेदिता	3567, 3573, 3627, 3628
53.	मसूद, श्री रशीद	3537
54.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	3523, 3595
55.	मिश्रा, डा. राजेश	3601, 3668
56.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	3602
57.	मो. ताहिर, श्री	3524, 3553, 3567
58.	मोहिते, श्री सुबोध	3565
59.	मोल्लाह, श्री हन्नान	3506
60.	मुन्शी राम, श्री	3524
61.	मुर्मू, श्री हेमलाल	3532, 3601
62.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो.	3521
63.	नायक, श्री अनन्त	3552
64.	नायक, श्रीमती अर्चना	3530
65.	निहाल चन्द, श्री	3543, 3625
66.	निखिल कुमार, श्री	3606
67.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	3503, 3676
68.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	3500, 3554, 3583, 3636, 3659

1	2	3
69.	पलनिसामी, श्री के.सी.	3492, 3582, 3613, 3633
70.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	3518
71.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	3481, 3623
72.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	3569
73.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	3501, 3559, 3627
74.	पाठक, श्री ब्रजेश	3586, 3601, 3637, 3662
75.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	3564, 3616, 3648
76.	पटले, श्री शिशुपाल	3524, 3553, 3567, 3629, 3655
77.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	3669
78.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	3597
79.	प्रधान, श्री प्रशान्त	3506
80.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	3526, 3590
81.	राजगोपाल, श्री एल.	3478, 3575, 3631, 3656, 3666
82.	रामदास, प्रो. एम.	3499, 3584, 3634, 3658
83.	रामकृष्णा, श्री वाडिगा	3495, 3577, 3649, 3674
84.	राणा, श्री काशीराम	3538, 3623
85.	राव, श्री के.एस.	3673
86.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	3533, 3609, 3645
87.	रावले, श्री मोहन	3498, 3533

1	2	3
88.	रावत, श्री अशोक कुमार	3524, 3553, 3567
89.	रावत, श्री कमला प्रसाद	3520
90.	रेड्डी, श्री जी करूणाकर	3560, 3581, 3663, 3667
91.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	3557, 3613
92.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3548
93.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	3535
94.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	3513, 3557, 3594, 3621
95.	रिजीजू, श्री कीरेन	3521, 3531
96.	सज्जन कुमार, श्री	3601, 3668
97.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	3542
98.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	3505, 3598, 3618
99.	सरोज, श्री तूफानी	3510, 3619, 3651
100.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	3534, 3557, 3650, 3660
101.	सेन, श्रीमती मिनाती	3506, 3587
102.	सेठ, श्री लक्ष्मण	3506
103.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	3526, 3568
104.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	3507, 3585, 3535, 3675
105.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	3479, 3626, 3654
106.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	3553, 3567, 3629, 3655, 3660
107.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	3560, 3581

1	2	3
108.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	3511, 3586, 3621
109.	सिंह, श्री लक्ष्मण	3555
110.	सिंह, श्री चन्द्र भूषण	3558, 3614
111.	सिंह, श्री दुष्यंत	3556, 3625, 3653
112.	सिंह, श्री गणेश	3491
113.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	3567, 3573, 3627, 3628
114.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	3532
115.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	3483, 3617
116.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	3605
117.	सिंह, श्री राकेश	3578
118.	सिंह, श्री रेवती रमन	3516
119.	सिंह, श्री सीताराम	3562, 3601
120.	सिंह, श्री सुग्रीव	3507, 3559, 3628
121.	सिंह, श्री उदय	3546
122.	सिप्पीपाराई, श्री रविचन्द्रन	3484
123.	सुब्बारायण, श्री के.	3557, 3572
124.	सुगावनम, श्री ई.जी.	3485, 3557, 3580, 3632
125.	सुमन, श्री रामजीलाल	3588, 3599, 3540, 3660
126.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	3571, 3670
127.	स्वाईं, श्री खारबेल	3563
128.	तुम्मर, श्री वी.के.	3517, 3639
129.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	3480
130.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	3567, 3620, 3652, 3664
131.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	3550
132.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	3539, 3622
133.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	3509
134.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	3479, 3626, 3654
135.	विनोद कुमार, श्री बी.	3603
136.	यादव, श्री एम. अंजन कुमार	3508, 3511, 3594
137.	यादव, श्री गिरिधारी	3508, 3517, 3590, 3622
138.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	3524, 3553, 3660
139.	यादव, श्री राम कृपाल	3496

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य		427
पृथ्वी विज्ञान		
वित्त	:	429, 430, 432, 433, 435, 436, 439, 440, 444
आवास और शहरी गरीबी उपशमन	:	437
विधि और न्याय		438
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	:	434
विद्युत		428
ग्रामीण विकास	:	431, 442, 443, 445
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	441
शहरी विकास		426

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कंपनी कार्य		3506
पृथ्वी विज्ञान	:	3488, 3534, 3644
वित्त		3479, 3481, 3486, 3489, 3490, 3491, 3496, 3499, 3500, 3501, 3502, 3511, 3519, 3520, 3521, 3522, 3525, 3526, 3527, 3528, 3532, 3535, 3541, 3546, 3547, 3548, 3551, 3553, 3554, 3558, 3560, 3561, 3562, 3563, 3565, 3568, 3569, 3570, 3572, 3574, 3577, 3583, 3587, 3589, 3592, 3593, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3603, 3606, 3607, 3608, 3609, 3614, 3617, 3621, 3622, 3623, 3629, 3631, 3634, 3636, 3638, 3642, 3643, 3649, 3650, 3651, 3654, 3655, 3656, 3659, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3673, 3676
आवास और शहरी गरीबी उपशमन		3515, 3586, 3647
विधि और न्याय	:	3484, 3509, 3536, 3540, 3545, 3564, 3573, 3611, 3612, 3619, 3635, 3641, 3663
अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	:	3477, 3492, 3497, 3633, 3645, 3658
विद्युत	:	3495, 3504, 3505, 3510, 3531, 3538, 3542, 3543, 3544, 3549, 3550, 3552, 3556, 3557, 3559, 3567, 3580, 3581, 3584, 3588, 3602, 3605, 3610, 3613, 3618, 3620, 3624, 3625, 3640, 3653, 3657, 3660, 3661, 3662, 3664

ग्रामीण विकास	:	3498, 3503, 3539, 3555, 3571, 3578, 3579, 3604, 3615, 3616, 3626, 3632, 3652
विज्ञान और प्रौद्योगिकी	:	3478, 3493, 3582, 3628, 3648, 3674
शहरी विकास	:	3480, 3482, 3483, 3485, 3487, 3494, 3507, 3508, 3512, 3513, 3514, 3516, 3517, 3518, 3523, 3524, 3529, 3530, 3533, 3537, 3566, 3575, 3576, 3585, 3590, 3591, 3594, 3595, 3596, 3627, 3630, 3637, 3639, 3646, 3672, 3675

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. - 48/22/22/2006 (एन.)

232

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382
अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा